खण्ड–523, अंक–04
गुरुवार, 19 श्रावण, शक संवत् 1945
(दिनांक 10 अगस्त, 2023 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2023)

(खण्ड 523 में 05 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर (जारी)	7-203
मा0 सदस्यगण को उनके जन्मदिन पर सदन की ओर से बधाई ...	203-204
विपक्ष को बोलने का अवसर न देने विषयक आक्षेप पर विपक्ष द्वारा खेद ...	204-206
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	206-212
जनपद कुशीनगर के मदरसा अंजुमन इस्लामिया नूरुल उलूम ग्राम भानपुर, पोस्ट नकटहां मिश्र जनपद कुशीनगर में तैनात फैकानिया शिक्षिका सेहराबानो की गलत जन्मतिथि के बावजूद नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	212-213
जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र हापुड़ सदर के अन्तर्गत ग्राम नूरपुर में इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	213
जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा टिकुरी से अमिलिया में नाले पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	214
प्रदेश में सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सी0यू0जी0 नम्बर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	214
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	215
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत डिबाई नगर से बाहर नेशनल हाई-वे-93 कादरी बाग वाले छोईया पुल से पटरी-पटरी कर्णवास मार्ग होते हुए इछावरी से सवलपुर नेशनल हाई-वे-93 तक लम्बाई लगभग 6 किमी0 बाईपास मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	215-216
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत ब्लाक-रमियाबेहड़ के ग्राम कफारा, बड़ा कफारा राधेश्याम मन्दिर से विक्रम तिवारी के खेत होते हुये लोहरीपुर गाँव तक 3.5 किमी0 डामर रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	216

विषय	पृष्ठ संख्या
विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद, जनपद बिजनौर के अन्तर्गत ग्राम लालपुर सौजीमल से बालावाली रेलवे स्टेशन तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	216
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग के कि0मी0-49 से अलादीनपुर मार्ग का उच्चीकरण कर सम्पूर्ण चौड़ाई में आबादी भाग में नाली व सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	216-217
जनपद कुशीनगर के कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुबेर स्थान बाजार को नगर पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	217
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के उरई नगर में एक थाना स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	217
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत नगर पंचायत डुमरियागंज में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन तथा चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	217-218
जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना के ग्राम सिसवारा व विकास खण्ड गिलौला के चन्दरखा बुजुर्ग में सी0एच0सी0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	218
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम भाज्जू में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	218
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के विकास खण्ड सठियांव के अन्तर्गत मुबारकपुर से ढकवा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	219
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज में नहर के जल स्तर और प्रवाह की बहाली और कुशल प्रबन्धन के लिये संसाधनों का आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	219-220

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के ब्लाक सैया में ग्राम सैया रेलवे फाटक से रामपाल का पूरा तक 02 कि0मी0 रोड का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	220-221
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड सिकन्दरपुर सरोसी की ग्राम सभा शंकरपुर सराय में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	221
जनपद झांसी में बेतवा नदी पर डिकौली/शहुपरा लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	221-222
जनपद उन्नाव के भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र के तहसील सदर, ब्लाक सिकन्दरपुर अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	222
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में कतिपय मार्गों की मरम्मत/चौड़ीकरण/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	222
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के बाड़ी स्थित महाकवि नरोत्तमदास की जन्मस्थली का विकास एवं पुस्तकालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	223
श्रीमती रेनू सिंह, वन दरोगा के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से विभागीय अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कर अपने पति श्री निशांत रूद्र की कम्पनी को लाभ दिलाने हेतु किये गये भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	223-224
जनपद देवरिया के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	224-225
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत सदर तहसील उतरौला के ऐतिहासिक/प्राचीन तालाब केवरागढ़ को विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	225
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के कूकनगर ग्रन्ट में राजकीय महाविद्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	225

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सलोन के ब्लॉक डीह के ग्राम सभा पोठई बाजार से पटिया पुल तक सड़क का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	225-226
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र पिपराइच के ग्राम सभा कोनी में चकबन्दी प्रक्रिया में सीलिंग की जमीन को स्पष्ट रूप से निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	226
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र हसनपुर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	226-227
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेउता के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन में हुए भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	227
जनपद बिजनौर में नहटौर नगर पालिका में परिवहन निगम के बस स्टेशन भवन का पुनर्निर्माण कर डिपो बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	227-228
जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर के मौजा अहरौली अन्तर्गत नगर पालिका में सरकारी जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने तथा इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	228
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर के अन्तर्गत ग्राम शंकरनगर, मौजा भगता, विकास खण्ड हरैया सतघरवा से मुख्य मार्ग (मणिपुर सिकटिहवा) तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	228
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत ग्राम अतरौली से ग्राम अतरेहटी सम्पर्क मार्ग पर अतरौली के पास पहूँज नदी पर रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	229
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र के कैम्पियरगंज में गन्ना विभाग की खाली पड़ी जमीन पर औद्योगिक इकाई की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	229
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बालामऊ के विकास खण्ड-कछौना, नगर पंचायत कछौना पतसेनी में एलिवेटेड मोड़ में फ्लाईओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	229-230

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ में मौदहा बांध को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	230
जनपद महोबा में कबरई से पहरा कुनहटा तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	230-231
विधान सभा क्षेत्र तरबगंज के अत्यधिक आवागमन वाले मार्ग की व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक में अनुमोदनोपरान्त शुक्लगंज से गंगरौली, आदमपुर, ताराडीह मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की लम्बित पत्रावली को राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	231
दिल्ली स्थित यू0पी0 भवन के पुनः निर्माण से सम्बन्धित कार्यवाही प्रारम्भ होने तक पुरानी चीजों यथा गद्दे, चादरें, तकिया, तकिया कवर, तौलिया आदि बदलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	231-232
चरखारी (महोबा) राजकीय महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	232
वर्ष 2019 में प्रयागराज के बेगम बाजार पुल का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के बाद रुके हुए पुल का शेष कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	233
जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के विकास खण्ड सेमरियावां में ग्राम पैलीखास में जर्जर एवं क्षतिग्रस्त ए0ए0नएम0 सेन्टर का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	223
बी0सी0जी0 टेक्नीशियन संवर्ग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	233-234
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लम्भुआ के अन्तर्गत ओ0डी0आर0 चिलबिला-अमेठी राष्ट्रीय राजमार्ग आशापुर मिश्रान से होते हुए चन्दिकन सम्पर्क मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	235
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा कुण्डासर-हुजूरपुर मार्ग के कि0मी0 01 से 13 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	235

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा अन्तर्गत कोटवा/नेबुआ नौरंगिया उपकेन्द्र की उपभोक्ता के सापेक्ष नये उपकेन्द्र की स्थापना व समस्त फीडरों को नियमित रूप से संचालन करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	236
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी नगर में रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	236
तुर्तीपार नगरा-रसड़ा-सिधागर घाट-कठवा मोड़ (गाजीपुर) राज्य मार्ग सं0-108 में जनपद बलिया के नगर पालिका क्षेत्र रसड़ा के प्यारे लाल चौराहे के रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	236-237
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत एक वर्कशाप के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	237
जनपद प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्मित सड़कों की कमेटी गठित कर जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	237-238
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत फतेहपुर ककरडिल्ला चौराहे से (राइसमिल) के उत्तर की तरफ से पंचायत भवन होते हुए राजभर बस्ती तक पिच का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	238
जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगर पालिका शिकोहाबाद में पेयजल की सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	238
विधान सभा क्षेत्र बक्शी का तालाब में कमता पुलिस चौकी से रजत डिग्री कॉलेज को जाने वाली सड़क से श्री रामजी अवस्थी, शंकरपुरी सेक्टर-सी से श्री चन्द्रशेखर गुप्ता के घर को जाने वाली 400 मीटर अर्धनिर्मित इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	239
जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र सहसवान के अन्तर्गत इस्लामनगर की मण्डी समिति के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	239

विषय	पृष्ठ संख्या
विधान सभा क्षेत्र धनौरा, जनपद अमरोहा के ब्लाक धनौरा के खादर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	239-240
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	240
जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड समरेर में कतिपय विद्युत सब-स्टेशनों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	240
जनपद भदोही के अन्तर्गत एल0डी0 रोड स्थित सर्विस सेन्टर से अब्दुल अजीज एवं बदरुद्दीन के हाता होते हुए डिजाइनर प्वाइंट कम्पनी तक सी0सी0 रोड का निर्माण तथा भदोही-पकरी (फूलन देवी तिराहे) रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	241
जनपद वाराणसी के अन्तर्गत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात विभिन्न पी0आर0ओ0 द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	241-242
उत्तर प्रदेश के पुरुष संवर्ग के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में महिलाओं को पदास्थापित कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	242
भारत के संविधान में अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक-53 पर उल्लिखित ''मझवार'' जाति को उनके उपनाम के आधार पर अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	243
भारत के संविधान में अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक-53 पर उल्लिखित ''मझवार'' जाति को उनके उपनाम के आधार पर अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	244
पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	245
ग्राम पंचायत गागलहेड़ी से ग्राम हरोड़ को जोड़ती हुई, कच्ची सड़क, जो लगभग पिछले 15 वर्षों से जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है, जिसको सी0सी0 रोड अथवा लो0नि0 विभाग से पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	246

विषय	पृष्ठ संख्या
घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुगल रोड से मुरलीपुर सरहद तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	246
केन्द्र सरकार के अनुसूचित जातियों की सूची को देखते हुए कतिपय जातियों को मझवार का अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	247
उत्तर प्रदेश सेन्सस आफ इंडिया के मैनुअल में पार्ट एक में मझवार की पर्यायवाची केवट, मल्लाह आदि किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	247-248
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	248
जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों को गड्ढा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	248-249
जनपद बस्ती के रुधौली विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरौली शुमाली को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	249
जनपद बाराबंकी के जैदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पार के पूर्व में रेठ नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में ...	250
जनपद बहराइच के जरवल से उपधी जर्जर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	250
जनपद मेरठ के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज की व्यवस्था उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	250-251
जनपद प्रतापगढ़ की नवसृजित ग्राम पंचायत पृथ्वीगंज तथा कटरा गुलाब में हो रहे विकास कार्यों में मानक न पूरे होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	251
जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा महुद्दीनपुर में गाजीपुर शहर का कूड़ा न डाले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	251-252
जनपद कुशीनगर में तैनात खनन अधिकारी जीतेन्द्र शर्मा द्वारा किये जा रहे अवैध खनन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	252

विषय	पृष्ठ संख्या
पशुपालन विभाग के पशुओं के दवा घोटाले की जांच के पश्चात् आरोप-पत्र न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	252-253
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम में टिकैतराय तालाब का सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	253-254
जनपद हरदोई के मल्लावां को नयी तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	254
जनपद लखनऊ के आशियाना में बने सार्वजनिक सामुदायिक केन्द्र को गिराए जाने के पश्चात् भू-माफिया पर कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	254-255
जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नदी के कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	255
जनपद आजमगढ़ के लालगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	255-256
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना में कतिपय सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	256
जनपद हरदोई की विधान सभा क्षेत्र सांडी के अन्तर्गत पक्षी विहार में लिफ्ट कैनाल में जलापूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	256-257
प्रदेश में नए ट्यूबवेल कनेक्शन में हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	257
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनिया में श्री अनिल वर्मा, जे0ई0 द्वारा किये जा रहे भष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	257-258
जनपद गाजियाबाद में गम्भीर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	258
जनपद लखनऊ के अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में छात्रों को डिग्री न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	258-259
जनपद रामपुर के मिलक विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	259

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में विलुप्त प्रजाति के काले हिरणों के संरक्षण हेतु बचाव केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	259
धारा-143 में अकृषक भूमि के नामांकन दाखिल खारिज हेतु दो तरह के मानक लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	260-261
जनपद बस्ती के हरैया विधान सभा क्षेत्र के राजकीय पालीटेक्निक कालेज जाने वाली मुख्य मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	261
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	261
उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	261-263
विधान सभा में अपनाई गई ऑनलाइन प्रश्नोत्तर प्रणाली की विसंगतियों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	264
श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा की गई अभद्रता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	264-265
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण	265
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2019 (खण्ड-1 व खण्ड-2) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	265-266
विधान सभा के सुरक्षा कर्मियों को पुलिस के समान पौष्टिक आहार भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में	266
याचिकाओं का उपस्थापन	266
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	266
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	266
श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	267

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	267
श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	267
श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	267
श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	267
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	267-268
श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	268
श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	268
डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	268
डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	268
श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	268
श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	269
डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	269
श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	269
श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	269

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	269
श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	269-270
श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	270
श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	270
श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	270
श्रीमती आशा मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	270
श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	270
श्री मेघश्याम, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	271
श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	271
श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	271
श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	271
डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	271
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	271
श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	272

विषय	पृष्ठ संख्या
श्रीमती ओममणी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	272
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	272
श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्ध नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	272
श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	272
श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	272
डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	273
श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	273
श्री रमेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	273
श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	273
श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	273
श्री राजेश्वर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	273
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	274
श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाँदा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)...	274
श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	274
श्री शहजिल इस्लाम अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	274

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	274
श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	274-275
श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	275
श्री दुधराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	275
श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	275
डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	275
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	275
श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	276
श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	276
श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	276
श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	276
श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	276
श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	276
श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	277
श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	277

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	277
डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	277
श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	277
श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	277
श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	278
श्री अंकुर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	278
श्री अमित अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	278
श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	278
श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	278
श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	278
श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	279
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	279
श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	279
श्री जय कुमार सिंह जैकी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	279

विषय	पृष्ठ संख्या
श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	279
श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	279
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	279
श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	280
श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	280
श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	280
श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	280
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	280
श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	280–281
श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	281
श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	281
श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	281
श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	281
श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	281

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री जयमंगल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	282
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	282
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	282
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)...	282
श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	282
श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)... ...	282-283
डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	283
याचिकाओं को स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	283-285
कृषि मंत्री के वक्तव्य पर निर्धारित चर्चा के सम्बन्ध में सदन को सूचना ...	285-286
कार्य-स्थगन को पहले लिए जाने के सम्बन्ध में ...	286
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	286-294
प्रदेश में मानसून के विलम्ब से आने, सूखा, बाढ़, बादल फटने आदि से फसलों के आच्छादन में हुए विलम्ब पर आज तक सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के सम्बन्ध में कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री के वक्तव्य पर निर्धारित चर्चा	294-335
उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 का अननुमोदन (अस्वीकृत) ...	335
उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (पारित)... ...	336-341
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का अननुमोदन (अस्वीकृत)	341
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (पारित) ...	341-349

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023 (पारित)	349-351
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023 (पारित)...	351-353
नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्तावों पर चर्चा ...	353
जनपद लखनऊ में गोमती नदी के तटों पर काशी की भाँति घाटों का निर्माण कराये जाने विषयक डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	354
बिना कीटनाशक/रासायनिक खादों से उत्पादित उपज, फल, सब्जी, अनाज का उचित मूल्य किसानों को दिलाये जाने हेतु बुन्देलखण्ड की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को देखते हुए क्षेत्र को प्राकृतिक खेती का हब बनाये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	354
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-खुदागंज के ग्राम रेहरा में वैवहा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	354
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा सराय मोहन टांड में बेसो नदी पर पुल का नव निर्माण कराये जाने विषयक श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	354
जनपद बस्ती के अन्तर्गत मुण्डेरवा में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	355
जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगलाचूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों के अभाव में बन्द डिलीवरी प्वाइंट को यथाशीघ्र पुनः चालू कराये जाने विषयक डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	355

विषय	पृष्ठ संख्या
विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुये 01 एजूकेशन टाउनशिप बनाये जाने की व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)... ...	355
जनपद सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल को जनहित में नगर पालिका परिषद् का दर्जा प्राप्त कराये जाने विषयक श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	355
जनपद मुरादाबाद की विधान सभा क्षेत्र बिलारी स्थित पौड़ाखेड़ा मंदिर और दादा मियां की दरगाह को पर्यटन स्थल घोषित कराये जाने विषयक श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)... ...	356
जनपद अयोध्या के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोसाईगंज में जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाने, सर्वे कराकर ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि कराने के साथ-साथ बिजली कटौती की समस्या का समाधान कराये जाने विषयक श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)... ...	356
जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड/किसान पथ पर अलग-अलग दिशाओं में पांच नये अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने विषयक डा0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)...	356
प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को विभागीय संविदा कर्मी के रूप में विनियमितीकरण करते हुए उन्हें भी विभागीय कर्मियों की भांति समस्त सुविधायें प्रदान किये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	356
जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की जर्जर सड़कों का मरम्मतीकरण/चौड़ीकरण तथा कच्चे मार्गों का नव निर्माण कराये जाने विषयक श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	357

विषय	पृष्ठ संख्या
विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत भंगेली एवं बड़खर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)...	357
जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नव-निर्मित 100 बेड के अस्पताल व महिला अस्पताल, कटघर में डाक्टर, फार्मासिस्ट, चिकित्सकीय उपकरण, पैथोलॉजी एवं सफाई कर्मी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराकर मरीजों के हित में चिकित्सीय सुविधा बहाल कराये जाने विषयक श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)... ...	357
जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)... ...	358
विधान सभा क्षेत्र-96, जासराना में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)... ...	358
जनपद कौशाम्बी की नगर पालिका परिषद्, मंझनपुर के असकरनपुर मंगरोहनी में पानी टंकी बनवा कर पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति कराये जाने विषयक डॉ0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव माननीय सदस्य द्वारा वापस लेने के कारण (व्यपगत)	358
जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-251, सिराथू के नगर पालिका परिषद्, मंझनपुर के असकरनपुर मंगरोहनी एवं नगर पंचायत सिराथू अझुआ, कड़ा में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा ...	359
जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड जैतीपुर को तहसील बनाये जाने विषयक श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव माननीय सदस्य द्वारा वापस लेने के कारण (व्यपगत) ...	359

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के अन्तर्गत गढ़ेवा-डोमनपुरवा पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री आशुतोष शुक्ल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण (व्यपगत) ...	360
प्रदेश में गौसंवर्धन हेतु गौ-पालकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर दो गुना किये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव माननीय सदस्य द्वारा वापस लेने के कारण (व्यपगत) ...	360
जनपद उन्नाव की तहसील सदर व विकास खण्ड सिकन्दरपुर करन के अन्तर्गत ग्राम दुबेपुर में क्रीड़ा स्थल और व्यायामशाला का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण (व्यपगत)... ...	360
विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर में दिबियापुर नहर पुल से मल्हौसी नहर पुल तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (जारी)... ...	361
विधान सभा क्षेत्र भरथना के विकास खण्ड महेवा के ग्राम अंदावा की मड़ैया को विकास खण्ड चकरनगर के ग्राम नौगावां से जोड़ने वाले मार्ग पर यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (जारी)... ...	361
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर बस्ती के अन्तर्गत मालवीय रोड पर ब्राह्मण महासभा से होते हुए सेंट बेसिल्स स्कूल तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (जारी)...	361
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में स्थित दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, मोरना की पेराई क्षमता 2500 टी0सी0डी0 से बढ़ाकर 7500 टी0सी0डी0 की जाय एवं चीनी भण्डारण हेतु भवन निर्माण कराये जाने विषयक श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (जारी)... ...	361-362

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत कोल नाला से दल छपरा होकर श्रीनगर टी0एस0 बन्धा तक मार्ग का निर्माण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (जारी)...	362
जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र बिधुना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत याकूबपुर को नगर पंचायत बनाये जाने विषयक श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (जारी)... ...	362
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में खानपुर बार्डर से पीथापुर कोटिया तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण (व्यपगत) ...	362
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में एक विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा (जारी)...	362
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	363-369
विधान सभा क्षेत्र कालपी में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री विनोद चतुर्वेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	369-371
जनपद गाजीपुर के ग्राम पंचायत रवसहा में ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में, श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	371-373
जनपद फतेहपुर से मोहनलालगंज, लखनऊ तक 116 किमी0 सीमा को मोहनलालगंज से मौरावां बिहार थाना होते हुये, मुरादीपुर चौराहे से ललौली यमुना तक फोरलेन किये जाने के सम्बन्ध में श्री जय कुमार सिंह जैकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	373

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में कतिपय सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में, श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	374
जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में कतिपय स्थानों पर सड़कों के चौड़ीकरण व पुनः निर्माण के सम्बन्ध में श्री कमाल अख्तर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	374-377
जनपद फिरोजाबाद के थाना रामगढ़, थाना दक्षिण एवं थाना उत्तर के अत्यन्त पुराने एवं जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण एवं नवीन भवन निर्माण के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	377
जनपद बागपत के वि0ख0 बड़ौत, थाना रमाला, ग्राम सभा बरवाला के अन्तर्गत ग्राम बरवाला में शहीद लांस नायक जयपाल सिंह की पत्नी महेन्द्री को आवंटित कृषि भूमि पर अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश धामा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	378-379
जनपद अमेठी के निवर्तमान अपर जिलाधिकारी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं अवैधानिक कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	379-380
जनपद कानपुर नगर के सुजातगंज चंदारी वार्ड-99 के जलाशय को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 हसन 'रूमी' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	380-381
जनपद मेरठ की सरधना विधान सभा क्षेत्र के कस्बा दौराला में शुगर मिल में वाटर ट्रीटमेंट कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल प्रधान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य	382-384
नत्थियाँ	385-419

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 10 अगस्त, 2023 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-359

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — सन्तकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अखिलेश यादव, श्री — मैनपुरी
5. अजय, श्री — गोण्डा
6. अजय कुमार, डॉ0 — बागपत
7. अजय सिंह, श्री — बस्ती
8. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
9. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
10. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
11. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
12. अदिति सिंह, श्रीमती — रायबरेली
13. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
14. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
15. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्तकबीरनगर
16. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
17. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
18. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
19. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
20. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
21. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
22. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
23. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
24. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
25. अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री — कानपुर नगर
26. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
27. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
28. अमित सिंह चौहान, डा0 — अयोध्या
29. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
30. अरमान खान, श्री — लखनऊ
31. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
32. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
33. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
34. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
35. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
36. अशरफ अली खान, श्री — शामली
37. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
38. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
39. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
40. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
41. आकाश सक्सैना (हनी), श्री — रामपुर
42. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
43. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
44. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
45. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर

46. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री हरदोई
47. आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी', श्री लखनऊ
48. आशुतोष शुक्ल, श्री उन्नाव
49. आशु मलिक, श्री सहारनपुर
50. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
51. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
52. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
53. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
54. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
55. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
56. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
57. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
58. ओमकुमार, श्री बिजनौर
59. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
60. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
61. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
62. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
63. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
64. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
65. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
66. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
67. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
68. कैलाश, श्री चन्दौली
69. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
70. गणेश चन्द्र, श्री सन्तकबीरनगर
71. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
72. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
73. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरैया
74. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
75. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
76. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
77. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
78. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
79. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
80. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
81. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
82. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
83. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
84. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
85. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
86. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
87. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
88. जय प्रकाश निषाद, श्री देवरिया
89. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
90. जयमंगल, श्री महराजगंज
91. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
92. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
93. जाहीद, श्री भदोही
94. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
95. जी0एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
96. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
97. जै किशन साहू, श्री गाजीपुर
98. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
99. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
100. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
101. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
102. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
103. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
104. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
105. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
106. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
107. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
108. दीपक कुमार मिश्र ''शाका'', श्री देवरिया
109. दुधराम, श्री बस्ती

110. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
111. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
112. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
113. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
114. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
115. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
116. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
117. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
118. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
119. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
120. नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी", श्री प्रयागराज
121. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
122. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
123. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
124. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
125. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
126. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
127. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
128. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
129. पंकज पटेल, श्री जौनपुर
130. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
131. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
132. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
133. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
134. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
135. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
136. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
137. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
138. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
139. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
140. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
141. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
142. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
143. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
144. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
145. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
146. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
147. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
148. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
149. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
150. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
151. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
152. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
153. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
154. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
155. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
156. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
157. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
158. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
159. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
160. बाबूराम, श्री पीलीभीत
161. बाबूलाल, श्री आगरा
162. बावन सिंह, श्री गोण्डा
163. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
164. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
165. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
166. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
167. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
168. बेदी, श्री गाजीपुर
169. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
170. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
171. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
172. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
173. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
174. मदन भैया, श्री मुजफ्फरनगर

175. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
176. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
177. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
178. मनीष रावत, श्री सीतापुर
179. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
180. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
181. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
182. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
183. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
184. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
185. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
186. महबूब अली, श्री अमरोहा
187. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
188. महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री अमरोहा
189. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
190. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
191. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
192. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
193. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
194. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
195. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
196. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
197. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
198. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद
199. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
200. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
201. मेघश्याम, श्री मथुरा
202. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
203. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
204. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
205. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री कानपुर नगर
206. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
207. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
208. योगेश धामा, श्री बागपत
209. योगेश वर्मा, श्री खीरी
210. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
211. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
212. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
213. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
214. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
215. रमेश सिंह, श्री जौनपुर
216. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
217. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
218. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
219. रवि शर्मा, श्री झांसी
220. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
221. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
222. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
223. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
224. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
225. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
226. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
227. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
228. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
229. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
230. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
231. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
232. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
233. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
234. राजमणि, श्री प्रयागराज
235. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
236. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
237. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
238. राजीव सिंह ''पारीक्षा'', श्री झाँसी

239. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
240. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
241. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
242. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
243. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
244. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
245. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
246. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
247. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
248. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
249. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
250. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
251. रामकेश निषाद, श्री बांदा
252. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
253. राम चन्द्र यादव, श्री अयोध्या
254. रामदुलार, श्री सोनभद्र
255. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
256. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
257. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
258. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
259. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
260. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
261. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
262. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
263. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
264. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
265. रिंकी कोल, श्रीमती मिर्जापुर
266. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
267. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
268. लकी यादव, श्री जौनपुर
269. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
270. लक्ष्मीराज सिंह, श्री बुलन्दशहर
271. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
272. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
273. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
274. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
275. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
276. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
277. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
278. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
279. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर
280. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
281. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
282. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
283. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
284. विपुल दुबे, श्री भदोही
285. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
286. वीरेन्द्र यादव, डॉ0 गाजीपुर
287. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
288. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
289. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
290. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
291. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
292. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
293. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
294. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
295. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
296. शशांक वर्मा, श्री खीरी
297. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
298. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
299. शिव प्रताप यादव, डॉ0 बलरामपुर
300. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
301. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
302. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली

303. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
304. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
305. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
306. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
307. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
308. संग्राम सिंह, श्री बलिया
309. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
310. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
311. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
312. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
313. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
314. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
315. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
316. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
317. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
318. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
319. सभाकुंवर, श्री देवरिया
320. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
321. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
322. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
323. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
324. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
325. सर्वेश सिंह, श्री फिरोजाबाद
326. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहांपुर
327. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री प्रयागराज
328. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
329. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
330. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
331. सुनील पटेल, डॉ0 वाराणसी
332. सुभाष त्रिपाठी, श्री बहराइच
333. सुरभी, डॉ0 फर्रुखाबाद
334. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री कुशीनगर
335. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री देवरिया
336. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
337. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
338. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
339. सुरेश राही, श्री सीतापुर
340. सुशांत सिंह, कुँवर बिजनौर
341. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
342. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
343. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री गाजीपुर
344. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
345. सैय्यदा खातून, श्रीमती सिद्धार्थनगर
346. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 मेरठ
347. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
348. सौरभ सिंह सोनू, श्री खीरी
349. स्वामी ओउ्मवेश, श्री बिजनौर
350. हंसु राम, श्री बलिया
351. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
352. हरिओम, श्री कासगंज
353. हरिप्रकाश वर्मा, श्री शाहजहांपुर
354. हरीश चन्द्र, श्री बदायूं
355. हरेन्द्र सिंह, श्री हापुड़
356. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री प्रयागराज
357. हाकिम लाल बिन्द, श्री प्रयागराज
358. हिमान्शु यादव, श्री बदायूं
359. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री आजमगढ़

नोट :-लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद), नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा), मत्स्य मंत्री (डा0 संजय निषाद), जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में किसानों के फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण करने की प्रक्रिया अथवा कार्य योजना की जानकारी विषयक

***1-डॉ0 आर0 के0 वर्मा तथा श्री सर्वेश सिंह-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण करने की प्रक्रिया अथवा कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा भारत सरकार स्तर पर गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, इस बात से पूरा सदन सहमत है कि, यहां केन्द्र सरकार के द्वारा सी0एल0सी0पी0 जो कमीशन बना है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। आज जो महंगाई की दर इस तरह से बढ़ी है हमारे किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, वह उस गति से नहीं बढ़ा है। किसानों को कहीं पर आत्महत्या करनी पड़ रही है, उनके बच्चों के सपने बर्बाद हो रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, उनके बुजुर्गों की दवाई बाधित हो रही है, आज अगर वह अपने बच्चों को स्नातक कराना चाहता है, अभी प्रकरण आया था कल भी आया था कि अगर वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपने बच्चे को स्नातक कराना चाहता है तो जो फीस पहले 900 रुपये थी, आज पांच हजार रुपये हो गई है। लेकिन किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उस दर से नहीं बढ़ा है। मेरा एक आग्रह है कि केन्द्र सरकार इसको निर्धारित करती है, लेकिन प्रदेश सरकार बोनस के रूप में अगर आज जिस तरह से कहीं पर सूखे से किसान मार खा रहा है, कहीं पर बाढ़ के वजह से प्रभावित हो रहा है, एक पैकेज ले करके खरीफ की प्रमुख फसलों पर कम से कम 100 रुपये या 50 रुपये कुन्टल भी अगर बोनस के रूप में प्रदेश सरकार किसानों को दे दे तो उनको बड़ी राहत मिल जाएगी। न तो उनको आत्महत्या करने की जरूरत पड़ेगी और अपने बच्चों को कम से कम पढ़ा सकेंगे एवं इलाज करा सकेंगे। यह मेरा एक छोटा सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

श्री सर्वेश सिंह जी उपस्थित नहीं हैं मा0 मंत्री जी आप बोलिए।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, जो इन्होंने प्रश्न किया है, वह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। वह बोनस की बात कर रहे हैं, बोनस मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। इन्होंने जो पूछा था, वह हमसे यह पूछा है।

श्री अध्यक्ष-

चलिए उसका उत्तर आ गया है उसके ऊपर वह सन्तुष्ट हैं। उससे वह सन्तुष्ट हैं उस पर और कुछ नहीं पूछना चाहते हैं। उससे वह असन्तुष्ट हैं, जिन्होंने पूछा नहीं, जिन्होंने पूछा है उससे वह सन्तुष्ट हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सही है कि उस समिति की रिपोर्ट भारत सरकार तय करती है, लेकिन प्रदेश सरकार भी रिकमेंडेशन भेजती है, तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य के लिए क्या रिकमेंडेशन भेजा है, यह नम्बर एक है। नम्बर दो है कि बोनस मूल प्रश्न से अलग नहीं है, अगर कम है तो क्या सरकार प्रति कुन्टल 500 रुपये बोनस देने पर विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष-

नहीं वह अलग है।

प्रदेश के किसानों को बुवाई हेतु निःशुल्क/सब्सिडी दर पर उन्नत एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

***2-श्री अतुल प्रधान-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को बुवाई हेतु निःशुल्क/ सब्सिडी दर पर उन्नत एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार द्वारा कृषि केन्द्रों पर उपलब्ध प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता का समय-समय पर परीक्षण कराने तथा जवाबदेही निर्धारित करने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

किसानों को बुवाई हेतु निःशुल्क/सब्सिडी दर पर उन्नत एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार की निम्नलिखित योजनाएं हैं :-

प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना।

संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना।

उ0प्र0 मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम।

निःशुल्क दलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम।

बीज ग्राम योजना।

जी हाँ।

कृषि केन्द्रों पर आपूर्ति किये जा रहे बीजों की गुणवत्ता का परीक्षण उ0प्र0 बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया जाता है एवं उस बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही वह गुणवत्तायुक्त बीज कृषि केन्द्रों को आपूर्ति किया जाता है। उक्त गुणवत्तायुक्त बीजों के अमानक होने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा बीज का नमूना ग्रहण कर पुनः परीक्षण हेतु भेजा जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, मैंने उन्नत प्रमाणित बीजों पर सब्सिडी की बात की थी। माननीय मंत्री जी हमारे समक्ष बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहूंगा कि रबी, खरीफ और जायद तीन तरह की हमारे यहां पर फसलें होती हैं। रबी अक्टूबर, नवम्बर में और खरीफ हमारी जून, जुलाई में और जायद इसके बीच में रहती है, जनवरी और फरवरी के करीब। इसमें गेहूँ है, सरसों है, चना है, मटर है, मसूर है। इसमें गेहूँ सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में होता है, लेकिन अगर हम इसके बीज की बात करने लगें, जो मान्यवर ने बात कही है कि हम लोग प्रमाणित बीजों का वितरण करते हैं तो, वह बहुत कम लोगों को होता है। मैं मा0 मंत्री जी से पहला यही सवाल करूंगा कि चाहे वह गेहूँ हो, सरसों हो, चना हो, मटर हो, या मसूर हो, क्या इसकी जो संख्या पहले थी, उस पर बढ़ाने पर विचार करेंगे। साथ-साथ हमारे यहां खरीफ में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का है।

इसमें भी धान सबसे ज्यादा होता है। धान के मामले में भी वैसे तो 50 प्रतिशत सब्सिडी की बात कह दी जाती है, लेकिन यह बहुत कम संख्या में लोगों को मिलती है। इससे किसानों को ठीक बीज भी नहीं मिल पाता है और इससे बेहतर चीज भी नहीं बन पाती है। मान्यवर, हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जहाँ पर गन्ने की खेती बहुतायत में होती है। इस समय हम लोग गन्ने के बीज की 238 प्रजाति लगा रहे हैं, लेकिन जो 238 प्रजाति का बीज है, वह इस समय खेतों से उजड़ने लगा है, उसमें बीमारी आ गयी है। इसलिये नये बीजों की आवश्यकता हो रही है। इसमें बीजों की जो तीन नयी प्रजातियाँ आयी हैं, उसमें 13235, 15023 तथा 14221 हैं। जैसे मैं मेरठ जिले का जिक्र करूँ तो 1000 से 2000 कुन्तल तक ही

बीज दिया जाता है और इस बीज पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। जब कोई व्यक्ति गन्ने का बीज लेकर खेत में लगाता है और उसके बाद जब गन्ना बिकता है, तब उसके बाद 50 रुपये कुन्तल के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। गन्ने की जो फसल इस समय खड़ी है और जो 238 प्रजाति का बीज है वह इस समय खेतों में उजड़ने लगा है, जिससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। क्या मा0 मंत्री जी इस बारे में बतायेंगे कि इस समस्या को दूर करने के लिये क्या कोई नयी प्रजाति का बीज लायेंगे ? इसके साथ-साथ क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जायेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को वह बीज मिल सके ? मान्यवर, इस समय आलू की बहुत बात की जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न आ गया है, अब मा0 मंत्री का उस पर उत्तर आ जाये।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, मैं एक साथ अपने सभी प्रश्न पूछ ले रहा हूँ। इसके बाद मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आप दूसरा प्रश्न भी पूछ लीजिये।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, आलू की बात हुयी। प्रदेश के एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज आदि जनपदों में आलू की पूरी बेल्ट है। हमारे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़े पैमाने पर आलू की फसल होती है, लेकिन कई बार देखने में यह आता है कि जब आलू के बीज के वितरण की बात होती है या सब्सिडी की बात आती है, तो यह बहुत कम संख्या में किसानों को मिलता है अथवा कई बार मिलता ही नहीं है। पिछली बार ऐसी स्थिति बनी कि अगर आलू की खरीद की बात हुयी तो उस खरीद में भी आलू ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहा और कुछ मात्रा में आलू खरीदा भी गया तो उसमें आपने नापने का पैमाना लगा दिया। मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं एक प्रश्न और पूछूंगा कि हमारे यहाँ सब्जियों तथा फलों की भी खेती की जाती है तथा फल में खासतौर से आम की पैदावार हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इस पर सब्सिडी ऊँट के मुँह में जीरे की तरह है। इसके अलावा अमरूद है, पपीता है, जिस पर भी किसी प्रकार की सब्सिडी की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गयी है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सरधना विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर भिण्डी, गोभी, पत्तागोभी, बैगन, टमाटर, मिर्च, हल्दी तथा गाजर आदि सब्जियों की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, लेकिन इन सभी पर सब्सिडी के नाम पर किसानों को कुछ नहीं मिलता। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री

जी से पूछना चाहूँगा कि चाहे किसी भी तरह की सब्जी हो, उस पर सब्सिडी सब्सिडी देने पर अथवा जो सब्सिडी दी जा रही है, उस सब्सिडी पर किसानों की संख्या बढ़ाने पर क्या यह सरकार विचार करेगी ? मान्यवर, मेरा अन्तिम प्रश्न है कि जैसे जायद की फसलें हैं। जायद की फसलों के अन्तर्गत बेलों पर लगने वाली फसलों में चाहे लौकी हो, चाहे खीरा हो, चाहे तोरई हो, चाहे खरबूजा हो, चाहे तरबूज हो, इस समय पूरे पश्चिम में आ रही बाढ़ में पूरी की पूरी फसल चौपट हो गयी। अगर सरकार इस साल सारा का सारा बीज बाढ़ की जगहों पर दे दे तो वहाँ की स्थिति बहुत अधिक सुधर सकती है। मान्यवर, इसलिये मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है अथवा सूखाग्रस्त क्षेत्र है, क्या सरकार वहाँ के किसानों को बीज पर किसी तरह की सब्सिडी देगी ? इसके बारे में मा0 मंत्री जी बता दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, अगर आपका कोई और प्रश्न बचा हो तो वह भी पूछ लें।

(सदन में हँसी)

मा0 मंत्री जी उत्तर दे दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय अध्यक्ष जी, यद्यपि अतुल प्रधान जी का प्रश्न कई विभागों से सम्बन्धित है, इन्होंने एक साथ कई प्रश्न, कई विभाग के पूछ लिये हैं। पहले मैं इनको कृषि विभाग के सन्दर्भ में थोड़ी जानकारी देता हूँ। प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान 50 प्रतिशत तक का है। बीज की लागत का 50 प्रतिशत अलग-अलग फसलों के लिए अलग-अलग प्रकार का अनुदान है। यदि आप चाहेंगे तो उसका ब्यौरा मैं अलग से उपलब्ध करवा दूंगा। जहां तक आपने कहा कि प्रमाणित बीजों की उपलब्धता काफी कम रहती है। स्वाभाविक है कि फाउण्डेशन सीड ब्रीडर सीड से ब्रीड सीड न्यूक्लियस सीड से बनाये जाते हैं तथा न्यूक्लियस सीड बनाने में 10-11 साल, ब्रीडर सीड के लिए 6-7 साल एक्सपेरिमेन्ट करने पड़ते हैं। तब जाकर एक ब्रीडर सीड तैयार होता है। फिर उससे फाउण्डेशन सीड तैयार किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एवं हमारे कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि हम पर्याप्त मात्रा में ब्रीडर सीड निकालें जिससे फाउण्डेशन या सर्टिफाइड सीड दे सकें। उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोगों ने खास तौर पर धान की फसल के लिए इण्टरनेशनल रिसर्च राइस सेन्टर यू0एन0 आर्गेनाईजेशन का जो फिलिपिन्स के मनीला में मुख्यालय है। उनका एक सब सेन्टर वाराणसी में (साउथ एशिया कैम्पस वाराणसी) में स्थापित किया है। उनके माध्यम से स्पीड ब्रीडिंग का काम हम लोगों ने शुरू किया गया है। जिससे किसी न्यूक्लियस बीज को 10-11 साल लगता था वह घटाकर 7 साल कर दिया जाये। आपके इस प्रश्न के पहले ही राज्य सरकार एवं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इस बात को लेकर चिन्तित रहे कि इतने

बड़े देश में जहां खेती का इतना बड़ा क्षेत्रफल है वहां किसान को अच्छी मात्रा में धान के बीज उपलब्ध हो जायें। उसके लिए वे स्वयं मनीला, फिलिपिन्स के सेन्टर पर गये। मैं स्वयं राज्य सरकार की ओर से वहां गया और अनुरोध करके उन्हें पर्याप्त मात्रा में वाराणसी में भूमि उपलब्ध करायी है। हमारा सेन्टर फंक्शनल शुरू हो गया है। अनेक प्रकार के धान जो देश में उनका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड आदि राज्यों में सबका धान कलेक्शन कराया है। उस पर काम शुरू कर दिया गया है।

आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वैज्ञानिक पद्धति से एक लम्बा समय लगता है। जिसकी वजह से उतनी बड़ी मात्रा में फाउण्डेशन सीड या सर्टिफाइड सीड नहीं उपलब्ध कराये जा सकते। बावजूद इसके योगी जी की सरकार ने गत वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश के 86 लाख 16 हजार 798 किसानों को 44 लाख 83 हजार 200 क्विंटल बीज फाउण्डेशन और सर्टिफाइड बीज उपलब्ध कराये हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। पिछले पांच साल में हम लोगों ने इस पर 01 हजार 07 करोड़ 44 लाख रुपये का व्यय भी किया है। अनुदान के रूप में उनके खातों में भेजा है। जिससे किसान भाइयों को उन्नतशील व सस्ता बीज मिल सका। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कितना परिश्रम पूर्वक इस कार्य को कर रही है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी इन योजनाओं का लाभ अत्यधिक किसानों तक पहुंच रहा है और जहां तक आपने उद्यान, आलू या गन्ना के बारे में कहा तो यदि यह सवाल आपने गन्ना मंत्री जी से किया होता तो बहुत अच्छा होता। बावजूद इसके मैं आपको इतनी जानकारी देना चाहता हूँ कि 6-7 वर्षों के भीतर गन्ने की बुआई की पद्धति को भी बदला गया है। अब ड्रेन्च के साथ-साथ टिस्यू डेवलेप करके उनको सीड उपलब्ध कराया जा रहा है। यह एक अच्छा प्रयास है और इसका परिणाम यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज बढ़ी है। यही वजह है कि 22 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 27 लाख हेक्टेयर के ऊपर गन्ने की बिक्री हो रही है। तीसरी बात आपने उद्यान के बारे में पूछा वह भी मुझसे सम्बन्धित नहीं था, लेकिन थोड़ी जानकारी रखता हूं, इसलिए मैं आपको बता दूं।

श्री अध्यक्ष-

अरे नहीं मंत्री जी, इनकी आदत बिगड़ जायेगी और ये सवाल पूछते रहेंगे। अगर आप ऐसे ही उत्तर देते रहेंगे तो इनकी आदत बिगड़ जायेगी।

प्रदेश में किसानों की फसलों की बढ़ती लागत एवं महंगाई के दृष्टिगत राज्य सरकार तथा डीजल कम्पनियों द्वारा निर्धारित डीजल की दरों को कम करने के सम्बन्ध में

***3-श्री स्वामी ओऊमवेश-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की फसलों की बढ़ती लागत एवं महंगाई के दृष्टिगत राज्य सरकार तथा डीजल कम्पनियों द्वारा निर्धारित डीजल की

दरों को किसान की भूमि जोत के अनुसार कम करके किसानों को देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे किसानों की फसलों की बढ़ती लागत और महंगाई जैसे ज्वलन्त मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

बोलने के लिए नहीं व सवाल पूछने के लिए अवसर प्रदान किया है।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां पर 70 से 75 प्रतिशत किसान रहता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने एक बात कही थी कि जिस व्यक्ति के पास जमीन भी नहीं है।

मान्यवर, जो खेती से सम्बन्ध रखता है, तो वह भी किसान की श्रेणी में आता है। चौधरी साहब कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है और यह खेत और खलिहान छोटे-छोटे किसानों के जिनके पास 10-20 बीघे जमीन है और लागत इतनी हो गयी है कि उनकी कमाई और खर्चा बराबर हो जाता है। एक शायर ने बहुत ही खूब कहा है। जिसे प्यास है उसे कम से कम, जिसे प्यास नहीं उसे दम में दम मेरे साथिया मुझे यह तो बता यह मजाक है या नजात है। छोटे-छोटे किसानों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए तभी वह छोटा किसान मेरे प्रदेश को अच्छा बनायेगा। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार छोटे किसानों को कम्पनियों के द्वारा सस्ते दरों पर डीजल उपलब्ध करायेगी और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय छोटे किसानों को डीजल में एथेनॉल मिला करके सस्ती दरों पर किसानों को दिलाने का काम करेंगे। मेरे यह दो प्रश्न हैं, मैं इनका जबाव चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इन प्रश्नों का उत्तर आ चुका है, आपके सामने लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए।

प्रदेश के किसानों की कृषि उपज बढाने एवं आमदनी को दोगुना करने हेतु सरकार की कार्य योजना की जानकारी के सम्बन्ध में

***4-श्री जियाउर्रहमान, श्री पंकज पटेल, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री अभय सिंह तथा डॉ0 पल्लवी पटेल-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की कृषि उपज बढ़ाने एवं आमदनी को दोगुना करने हेतु सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

प्रदेश के किसानों की कृषि उपज बढ़ाने एवं आमदनी को दोगुना करने हेतु निम्नवत् योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

बुन्देलखण्ड के सभी विकास खण्डों में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती की योजना।

प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना।

नेशनल प्रोजेक्ट ऑन स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी।

जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम।

प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना (राज्य सेक्टर)।

संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना (राज्य सेक्टर)।

कृषोन्नति योजना (बीज ग्राम योजना) (केन्द्र सेक्टर)।

परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0के0 वी0वाई0)।

नमामि गंगे योजना।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।

वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम)।

मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0एम0)।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम)।

खेत तालाब योजना।

नेशनल मिशन ऑन एडबिल ऑयल (ऑयल सीड्स) NMEO-OS।

नेशनल मिशन ऑन एडबिल ऑयल (ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स) NMEOTBO

सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन।

सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना।

प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यू योजना।

पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना।

उ0प्र0 मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम (राज्य सेक्टर)।

निःशुल्क दलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम (राज्य सेक्टर)।

राज्य सहायतित निःशुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम (राज्य सेक्टर)।

आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना (एफ0पी0ओ0)।

एग्रीस्टैक योजना।

जनपद कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना।

नवीन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री पंकज पटेल-

मा0 अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश की लगभग 70 फीसदी आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जिससे स्पष्ट है कि कृषि और किसान का हमारे लिए क्या महत्व है, लेकिन आज भी किसान भगवान भरोसे है, किसानों को यदि पानी की जरूरत है, तो नहरों में पानी नहीं है और किसान का दूसरा साधन बिजली है और वह अपने खेतों पर सिंचाई करना चाहता है, तो पूरे प्रदेश में बिजली की व्यवस्था एकदम धवस्त है। हमारे क्षेत्र में अगर एक बार बिजली चली जाती है, ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, तो उसे रिपेयर होने में एक महीना लग जाता है। बड़े ही दुःख की बात है, जो किसान इस देश को अन्न देता है, उसके लिए यह सरकार बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है। जब किसान को पानी की जरूरत है, नहरों में पानी नहीं है और जब बिजली की जरूरत है, तो प्रदेश में बिजली नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि समय से बरसात न होने के कारण जो इस समय की फसलें हैं जैसे धान, तिल, उड़द, मूंग, अरहर क्या मंत्री जी इनके समर्थन मूल्य को बढ़ाने का कार्य करेंगे और कब तक नहीं करेंगे, तो क्यों और क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण की अन्तिम तिथि

10 अगस्त, 2023 है, यानि की आज तक है, इसको 30 अगस्त, 2023 तक बढ़ाने का कार्य करेंगे अगर नहीं करेंगे तो क्यों और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि किसानों को मिलने वाली कीटनाशक दवाइयां जिस पर 5 प्रतिशत से लेकर 18 प्रतिशत तक जी0एस0टी0 लागू है, क्या मंत्री जी किसान हित में जी0एस0टी0 वापिस लेने का काम करेंगे और यदि नहीं करेंगे, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष-

यह तीन-चार मा0 सदस्यों का प्रश्न है। आपसे निवेदन है कि एक साथ उत्तर दे दीजिए।

श्री पंकज पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने की बात करती है। प्रदेश के किसानों की खेती पर जो लागत आती है, वह 63182 रुपये प्रति हेक्टेयर आती है और इस पर जो एम0एस0पी0 दी जाती है, अगर उसको जोड़ दिया जाये तो यह लगभग 95000 रुपये हो जाती है। अगर शुद्ध लाभ की बात की जाये तो आपके डाटा के अनुसार किसानों को सिर्फ 32218 रुपये का बेनिफिट होता था। जब प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में आते हैं या माननीय योगी जी जब जिलों में जाते हैं, तो किसानों की आय को दोगुनी करने की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकारी बेवसाइट के हिसाब से जब किसानों का शुद्ध लाभ 32219 रुपये प्रति हेक्टेयर है और प्रति हेक्टेयर लागत 63182 रुपये आ रही है, तो किसानों की आय कहां से दोगुनी हो रही है ?

श्री अभय सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जिस प्रकार से मौसम की मार पड़ रही है और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उससे किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई है।

श्री अध्यक्ष-

इसके ऊपर कल भी काफी चर्चा हुई है और आज भी चर्चा जारी है। आप सीधे अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री अभय सिंह-

मान्यवर, मैं सीधे प्रश्न पूछ लेता हूँ। इस पर नहीं बोलूँगा।

श्री अध्यक्ष-

आप खूब बोलिये, लेकिन जब इस पर कल तीन-चार घण्टे चर्चा हो चुकी है, और आज भी हो रही है, तो आप सीधे अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री अभय सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार किसानों की फसलों जैसे धान, गेहूँ, गन्ना, मक्का, दलहन और तिलहन जैसी सभी फसलों की लागत का सर्वे कराकर उसके लागत मूल्य को दोगुना करने का काम करेगी। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है, कि जब किसी किसान के साथ हुई दुघर्टना के कारण या बाढ़ और सूखा के कारण किसान अपना लोन अदा नहीं कर पाता है, तो बैंक किसान के कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाती है। तो क्या सरकार उस स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज करने की दिशा में कोई कदम उठायेगी ? यह मेरे दो स्पेसिफिक प्रश्न हैं, कृपया इनका जवाब दिलवा दीजिये।

डॉ0 पल्लवी पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया, जिसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश में आज भी रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत खेती है और खेती से जुड़े हुये इस देश के 64 लाख किसान देश की रीढ़ और आधार बनते हैं। किसान को लेकर बड़े-बड़े मंचों पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। जैसे कि सब्सिडी दे देंगे, जैसे कि आय दोगुनी कर देंगे, जैसे कि कृषि उपज बढ़ जायेगी तो, इन्हीं तमाम बड़े-बड़े दावों को लेकर मैंने अपना प्रश्न रखा था, जिसके क्रम में मा0 मंत्री जी का जवाब मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन इस सूची और जवाब को देखने के बाद यहां बैठे समूचे विपक्ष के जितने मा0 सदस्य हैं वह इस बात पर मेरे साथ सहमति जरूर जतायेंगे कि, हमारा उद्देश्य सरकार को परेशान करना नहीं है, अपितु हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस सदन के माध्यम से सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनायें चल रही हैं, उनका क्रियान्वयन किस हद तक जमीनी स्तर पर हुआ है, उसकी जीती-जागती तस्वीर जनता के बीच में पहुँचनी चाहिये। मैंने सीधा प्रश्न किया था कि, प्रदेश में किसानों की आमदनी को बढ़ाने और दोगुना करने के लिए सरकार ने अगर कोई योजना बनाई है, तो उसका विवरण उपलब्ध करा दें, तो मेरे सामने यह लम्बी-चौड़ी लिस्ट दे दी जाती है, जिसमें 28 योजनायें उल्लिखित हैं। अब मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि, यह 28 योजनायें जिनके नाम यहां लिखे गये हैं, जनता या फिर यहाँ बैठे सभी माननीय विधायक तो समझ नहीं पायेंगे, बल्कि अगर मैं स्वयं माननीय मंत्री जी को भी दे दूँ, तो इन योजनाओं का नाम पढ़ने के बाद वह नहीं बता पायेंगे कि सवा साल की सरकार में आपकी इन योजनाओं का मूलभूत रूप में कितना क्रियान्वयन हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

आप या तो माननीय मंत्री जी के बारे में जानती नहीं हैं। इस प्रकार की टिप्पणी मा0 मंत्री जी के ऊपर करना उचित नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि उनको हर चीज मालूम

है। उन्होंने आपको योजनायें बताई हैं और यह कहना कि उनको नहीं मालूम यह बात उचित नहीं है। आप अपना प्रश्न करिये।

डॉ0 पल्लवी पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या सरकार बतायेगी कि इन 28 योजनाओं को चलाये जाने के बाद किसानों की आय दोगुनी और कृषि उपज अपेक्षानुरूप पूर्ण हो गई है ? यदि हां, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि सरकार इन सभी 28 योजनाओं के पिछले पांच वित्तीय वर्षों के आंकड़े सदन के पटल पर रखे और यदि नहीं तो सरकार की क्या योजना है, उस योजना का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रख दें और इसकी समय-सीमा क्या होगी ? चूंकि उर्वरकों पर 05 प्रतिशत जी0एस0टी0 लगाया जाता है। कच्चे माल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया पर जी0एस0टी0 परिषद् की सिफारिशों के बाद 28 प्रतिशत जी0एस0टी0 लगाया जाता है, तो मेरा दूसरा अनुपूरक मा0 मंत्री जी से है कि क्या सरकार किसानों को उन्नत बीज और उर्वरक की खरीद पर जी0एस0टी0 मुक्त करेगी ? बहुत-बहुत आभार।

श्री अध्यक्ष-

जी0एस0टी0 उनका विषय नहीं है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, देश की सबसे बड़ी आबादी के अन्नदाताओं के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने मुझे अनुपूरक पूछने की हमें अनुमति दी है और आपका संरक्षण भी कृषि के विषय पर मिल रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, यह सच है कि राज्य की सबसे बड़ी आबादी और रोजगार आज कृषि पर आधारित है। मा0 मंत्री जी से बहुत स्पष्ट सवाल किया गया था कि, क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की कृषि उपज बढ़ाने एवं आमदनी को दोगुना करने हेतु सरकार ने क्या योजना बनायी है। मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में लगभग 28 विभागों की चर्चा की है। मान्यवर, मुझे भी इसी प्रदेश में कृषि के कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मा0 मंत्री जी ने इसमें कई एजेंसियाँ और योजना बतायी हैं, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलाइजर, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, खेत तालाब योजना, सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनिकल योजना, राज्य सहायतित निःशुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम राज्य सेक्टर, आत्मनिर्भर कृषक समानुपातिक विकास योजना। मान्यवर, हम इन योजनाओं पर भी एक प्रश्न पूछेंगे। लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, सच्चाई यह है कि महंगी खाद, बीज, सिंचाई, जुताई के बाद आज उत्तर प्रदेश का किसान जब वर्षा कम होने के कारण नहरों में पानी न मिल पाने के कारण ट्यूबवेल बिगड़े होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होने के

कारण जब उसकी धान की खेती में रोपाई का समय चल रहा था, तो पानी नहीं पहुंचा। छुटटा जानवर सांड़ अलग से उनके खेत को नष्ट करते जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस योजना में आपने सांड़ों के लिए क्या किया उसका एक कॉलम आपने क्यों नहीं रखा, कि आप साड़ों से बचाने के लिए क्या करेंगे। आपने इसको क्यों नहीं स्वीकार किया कि बिजली नहीं दे पा रहे हैं, नहर में पानी नहीं आ रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, अगर किसान परेशान रहेगा, किसान संकट में रहेगा तो कभी कोई सरकार अच्छा काम नहीं कर सकती है और उत्तर प्रदेश में खुशहाली नहीं ला सकती है। इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कृषि मंत्री जी बतायेंगे प्रति हेक्टेयर आज के समय किसानों को रबी पर और खरीफ में खाद के रेट, बीज के रेट, सिंचाई और जुताई में कितना व्यय हो रहा है, कितना सांड़ चर जा रहे हैं, और उसके बाद उसको कितनी आमदनी प्राप्त हो रही है, क्या तुलनात्मक कोई विवरण आप इस सदन में रखेंगे कि यह उसका व्यय है और यह किसान को आमदनी मिल रही है, यह आज लाइव चल रहा है, यह आप रख दीजिए, उत्तर प्रदेश का किसान आपकी बात सुन ले कि वह आमदनी पर है कि घाटे पर है।

श्री अध्यक्ष-

आपके खेत से सांड़ कितना खा गये आप हिसाब बताओ, तब तो वह भी बता देंगे। अपने खेत का हिसाब है नहीं उनसे पूरे प्रदेश का पूछ रहे हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मा0 अध्यक्ष जी, श्री पंकज पटेल जी ने तीन प्रश्न पूछे हैं। एम0एस0पी0 को बढ़ाने के लिए, दूसरा बीज और खाद से जी0एस0टी0 को घटाने के लिए।

और मान्यवर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खेती को बढ़ाये जाने के लिए प्रश्न किया है। डॉ0 पल्लवी पटेल जी ने जी0एस0टी0 के बारे में कह दिया है। मैं यह बता दूं कि जी0एस0टी0 तय करना जी0एस0टी0 कौंसिल का काम है, जब भारत सरकार तथा सभी राज्य मिलकर एक बिन्दु पर सहमत होते हैं, तब जाकर जी0एस0टी0 का निर्धारण होता है और यह यहां का विषय नहीं है, इसलिए इस पर कोई प्रश्न उठता नहीं है। एम0एस0पी0 बढ़ाने का प्रश्न मा0 मनोज कुमार पाण्डेय जी ने कर दिया और डॉ0 पल्लवी पटेल जी ने भी एम0एस0पी0 से सम्बन्धित प्रश्न किया है। मैं प्रमुख फसलों के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आप ज्यादा सुन नहीं पायेंगे और यदि आप इजाजत दें तो मैं सभी का बता देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप सिर्फ प्रमुख फसलों के बारे में बता दीजिए, क्योंकि आगे अभी और प्रश्न लेने हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैं वर्ष 2014-15 के आंकड़े बता रहा हूँ, जब श्री मनोज पाण्डेय जी कृषि मंत्री थे। उस समय धान की एम0एस0पी0 1360 रुपये थी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, इस पर भी अनुपूरक प्रश्न निकलेगा और आपकी अनुमति चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आज तक जबसे हम विधान सभा में हैं, कभी इतने प्रश्न लिए गये हों, तो आप बता दीजिए। आप पहले उत्तर सुनिए, इसका मतलब है कि आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं, आप अपनी सुबह वाली मंशा को पूरा कराना चाहते हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, उस समय धान की एम0एस0पी0 1360 रुपये थी, लेकिन मा0 मोदी जी एवं मा0 योगी जी की सरकार ने धान की एम0एस0पी0 को बढ़ाकर 2183 रुपये किया है, जो दोगुने के करीब है। ज्वार की एम0एस0पी0, जहां से मा0 शिवपाल सिंह यादव जी भी आते हैं और संयोग ऐसा रहा है कि यह भी कृषि मंत्री के रूप में रहे हैं। जब यह कृषि मंत्री थे तो उस समय ज्वार की एम0एस0पी0 1530 रुपये थी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, सवाल यह नहीं है, इन्होंने एम0एस0पी0 को दोगुना करने की बात कही है। आप आज की आमदनी पर बात नहीं कर रहे हैं, आप वर्ष 2012 की आमदनी पर बात कर रहे हैं।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, एक सवाल पर पूरा भाषण दिया गया और आपको जवाब सुनना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप जवाब तो सुन लीजिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, समाजवादी पार्टी दो मिनट के लिए सदन से बहिर्गमन करती है।

(समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

आप दो मिनट के लिए क्यों जा रहे हैं, पूरे प्रश्न भर के लिए जाइए, दो मिनट क्या होता है। मा0 मंत्री जी आप प्रश्न का जवाब दीजिए।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, ज्वार की एम0एस0पी0 1530 रुपये थी, लेकिन मा0 मोदी जी एवं मा0 योगी जी की सरकार ने बढ़ाकर 3180 रुपये कर दिया है, दोगुने से भी ज्यादा ज्वार की एम0एस0पी0 कर दी गयी है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

बाजरे की एम0एस0पी0 1250 रुपये थी, लेकिन मोदी एवं मा0 योगी जी की सरकार ने बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया है, जो दोगुने से अधिक है। मक्के की एम0एस0पी0 1310 रुपये थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 2090 रुपये कर दिया गया है। उर्द की एम0एस0पी0 4350 रुपये थी, लेकिन अब उसकी एम0एस0पी0 को बढ़ाकर 6950 रुपये कर दिया गया है। तिल की एम0एस0पी0 4600 रुपये थी, उसको बढ़ाकर 8635 रुपये कर दिया गया है। अरहर की एम0एस0पी0 4350 रुपये थी, उसको बढ़ाकर 7000 रुपये कर दिया गया है और गेंहू की एम0एस0पी0 वर्ष 2014 में 1450 रुपये प्रति क्विंटल थी, जब मा0 शिवपाल सिंह यादव जी एवं मा0 मनोज कुमार पाण्डेय जी और मा0 शिवपाल यादव जी क्रमशः कृषि मंत्री रहे हैं। उस समय गेहूं की एम0एस0पी0 1450 रुपये प्रति क्विंटल थी, लेकिन वर्ष 2022-23 में गेंहू की एम0एस0पी0 2125 रुपये प्रति क्विंटल थी। अपने को गरीब किसानों एवं छोटे किसानों के बड़े हमदर्द कहते हैं और छोटा किसान एवं गरीब किसान जौ लगाता था कि कम खर्च में हमारी फसल तैयार हो जाए तो उनको यह लोग 1150 रुपये प्रति क्विंटल की एम0एस0पी0 देते थे लेकिन मा0 मोदी जी एवं मा0 योगी जी की सरकार 1735 रुपये प्रति क्विंटल जौ की एम0एस0पी0 दे रही है। चने की एम0एस0पी0 3175 रुपये प्रति क्विंटल थी, लेकिन अब चने की एम0एस0पी0 5335 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गयी है और हम इस सीजन में गेहूं, जौ एवं चने की एम0एस0पी0 और बढ़ाने वाले हैं। मसूर की एम0एस0पी0 3075 रुपये प्रति क्विंटल थी, लेकिन उसको 6000 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा गया है। सरसों की एम0एस0पी0 3100 रुपये प्रति क्विंटल थी, लेकिन हमने उसको 5450 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा है।

राज्य के भीतर पहली बार योगी जी की सरकार ने सरसों की खरीद करायी। योगी जी की सरकार ने उरद, चना, मसूर की खरीददारी करायी। योगी जी की सरकार ने मक्के की खरीददारी कराई। ये जो तथाकथित किसानों के हितैषी हैं, जिन लोगों ने अभी वाकआउट किया है, ये लोग न कभी मक्के की खरीद कराते थे, न कभी ज्वार की खरीद कराते थे, न बाजरे की कराते थे, न आलू की कराते थे, न सरसों की कराते थे, यदि किसी ने कराया है तो एम0एस0पी0 पर खरीददारी का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कराया है।

***5-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-**

[03-बुधवार के तारांकित प्र0सं0-16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के जनपदों में नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने की जानकारी के सम्बन्ध में

***6-श्री अखिलेश तथा श्री गुलाम मौहम्मद-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने की सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')-

सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से ही वर्ष 2018 में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 1045 एम0ओ0यू0 रुपये 4.28 लाख करोड़ के हस्ताक्षरित किए गये थे। इसके पश्चात् हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 को धरातल पर लाये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 03 ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 50 प्रतिशत से ऊपर के एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित औद्योगिक इकाइयों द्वारा क्रियाशील होकर अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके पश्चात् माह फरवरी, 2023 में प्रदेश सरकार द्वारा पुनः 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023' का आयोजन किया गया। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रदेश के समस्त जनपदों में नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कराये जाने के उद्देश्य से लगभग प्रदेश के समस्त जनपदों में विभिन्न क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने हेतु रुपये 33,52,553.02 करोड़ के 19,250 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये हैं। (जनपदवार हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 की सूची संलग्न[†] है)

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में औद्योगिक इकाइयों को लगाये जाने हेतु 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022' के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में 20 सेक्टोरल नीतियाँ यथा निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना, उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, उ0प्र0 हैण्डलूम, पॉवरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग नीति, उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति, उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, उ0प्र0 आई0टी0 स्टार्टअप नीति, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति, उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति, उ0प्र0 पर्यटन नीति, जैव ऊर्जा प्रोत्साहन कार्यक्रम, उ0प्र0 फार्मास्युटिकल उद्योग नीति, उ0प्र0 वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति, उ0प्र0 फिल्म नीति, उ0प्र0 दुग्ध नीति, एक जनपद एक उत्पाद योजना, उ0प्र0 इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति, उ0प्र0 स्टार्टअप नीति, कोविड महामारी के परिप्रेक्ष्य में त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति, उ0प्र0 डाटा सेण्टर नीति, तथा उ0प्र0 ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के अतिरिक्त कुक्कुट विकास नीति भी प्रख्यापित की गई है, जो प्रदेश में स्थापित होने वाली समस्त औद्योगिक इकाइयों पर लागू होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-[†] देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ-385-387 पर।

श्री गुलाम मौहम्मद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सीधा-सीधा सवाल था कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में कौन-कौन सी औद्योगिक इकाइयां लगायी जाएंगी ? बहुत सीधा-सा सवाल था। चूंकि अब उद्योग भी विकास की रीढ़ हैं और इनको ज्यादा फैलाया जाये, जितना ज्यादा लगाया जाये उतना ज्यादा रोजगार भी मिलेगा और तरक्की भी होगी, लेकिन जवाब बहुत बड़ा आया और बहुत घुमा-फिराकर आया। वर्ष 2018 में इन्वेस्टर्स समिट होती है, जिसमें कुल 1045 एम0ओ0यू0 साइन हुए और इसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वह रुपये 4.28 लाख करोड़ है। उसके बाद में फिर एक समिट 'ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह' आयोजित किये जाते हैं जिसमें 50 प्रतिशत इन्वेस्ट किया गया, ऐसा बताया गया। जहां कुछ औद्योगिक इकाइयां क्रियाशील हो गयीं। फिर वर्ष 2023 में एक और 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' होती है जिसमें 07 डिजिट्स में रुपये 33,52,553.02 करोड़ के 19,250 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये हैं। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ और आपके जरिये से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हमने तो बहुत छोटा-सा सवाल किया था, इन्होंने एक लिस्ट थमा दी थी जिसमें सारे जनपदों में इतने एम0ओ0यू0 साइन हुए, इतने पैसे के हुए, सब कुछ हमें थमा दिया।

श्री अध्यक्ष-

आपने यही तो पूछा था।

श्री गुलाम मौहम्मद-

सवाल बहुत पर्टीकुलर था और उसका पर्टीकुलर जवाब आना चाहिए था। मैं अपने जिले के बारे में जानना चाहूंता हूँ कि हमारे जिले में कौन-कौन से उद्योग लगने जा रहे हैं, उसका कोई पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपने प्रश्न में किन-किन जनपदों का जिक्र किया है, आपने सारे जनपदों के बारे में पूछा था।

श्री गुलाम मौहम्मद-

मैं आपके जरिये माँग करना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा पर्टीकुलर जवाब आ जाये कि किस जिले में कौन-सा उद्योग लगने जा रहा है, कुछ इस तरह का जवाब आना चाहिए। ये तो घुमा-फिराकर बहुत सारे उद्योगों की लिस्ट दे दी है।

श्री अध्यक्ष-

गुलाम मौहम्मद जी, आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री गुलाम मौहम्मद-

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी तशरीफ फरमा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं आप औद्योगिक विकास मंत्री जी से प्रश्न पूछिए, तीन मिनट हो चुके हैं।

श्री गुलाम मौहम्मद-

मान्यवर, आप इन्ट्रप्ट करेंगे तो मैं भूल जाऊंगा। (हंसी)

श्री अध्यक्ष-

चलिए, कोई बात नहीं, आप पूछिए।

श्री गुलाम मौहम्मद-

मैं सिर्फ एक शेर सुना दूँ, मा0 खन्ना जी यहां मौजूद हैं और वे समझते हैं मैं इस वजह से कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

हाँ, आप शेर सुना दीजिए। खन्ना जी, जरा शेर सुन लीजिए।

श्री गुलाम मौहम्मद-

हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत लेकिन,

दिल के खुश रखने को 'गालिब' ये खयाल अच्छा है।

श्री अध्यक्ष-

आप खुश हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में

***7-डॉ0 रागिनी-**

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री गिरीश चन्द्र यादव)-

जी हां।

प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाडियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गयी नीतियां निम्नवत् है :-

1-उत्तर प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022,

2-राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार/ प्रोत्साहन राशि,

3-उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022,

4-उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की बिना पारी की पदोन्नति) नियमावली, 2022,

5-उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002,

6-उत्तर प्रदेश खेल नीति-2023,

7-उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति नियमावली, 2020,

उक्त के अतिरिक्त खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु संचालित योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

1-प्रशिक्षण शिविरों का संचालन,

2-विभिन्न स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन,

3-प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार,

4-भूतपूर्व प्रसिद्ध पहलवानों/महानुभाव खिलाडियों को आर्थिक सहायता,

5-एकलव्य क्रीड़ा कोष नियमावली, 2021 के अन्तर्गत प्रदेश के खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता/फेलोशिप प्रदान करना,

6-प्रदेशीय क्रीड़ा संघों/क्लबों/समितियों को अनुदान,

7-सामान्य खिलाड़ियों की भांति दिव्यांगजन खिलाड़ियों को सुविधायें,

8-आवासीय क्रीड़ा छात्रावास।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 रागिनी-

बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश और देश के बच्चे जो खेल-कूद में रुचि रखते हैं और जैसा

कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि योगा, खेल-कूद इन सारी चीजों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारी सेहत में और साथ ही साथ हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। अध्यक्ष जी, एक पुरानी कहावत है, बच्चों को डराने के लिए कहा जाता था कि 'अगर खेलोगे-कूदोगे होगे खराब और अगर पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब' हमारे प्रदेश के बच्चों ने इस बात को गलत साबित किया और खेल-कूद में इतनी मेहनत की और इतने आगे तक पहुँचे हैं। अध्यक्ष जी, लेकिन यहाँ की जो सरकार है, वह पढ़ाई के मामले में तो बच्चों को खेल-कूद में भी कुछ बेटरमेंट नहीं दे पा रही है, लेकिन इस बात से बार-बार डरा रही है और बच्चों को कुछ अच्छा करने का अवसर नहीं दे पा रही है। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो उत्कृष्ट हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार की क्या-क्या नीतियाँ हैं, क्या-क्या किया जा रहा है ? एक सूची प्रोवाइड की गयी है, जिसमें बताया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता में भर्ती, पुरस्कार, प्रोत्साहन राशि सीधी भर्ती और साथ ही साथ बिना पारी के पदोन्नति और बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हैं, सिर्फ कागजी लिखी हैं। अध्यक्ष जी, मेरा मंत्री जी से यह पूछना है कि आप इन बच्चों को किस तरीके से प्रशिक्षण दे रहे हैं, किस तरीके से उन्हें आप यहाँ तक पहुँचने के लिए काबिल बना रहे हैं, क्या इस तरीके की सरकार की कोई योजनाएँ हैं, जिससे बच्चों का खेल-कूद में रुझान बढ़े और वह सरकार के लिए पदक जीत करके आए।

साथ ही साथ मैं आपसे यह भी पूछना चाहूँगी कि जनपदवार आपने कितने ट्रेनिंग प्रशिक्षण संस्थान बनाये हैं, क्या उसके बारे में आप डिटेल में बतायेंगे और जितने भी आपने ऐसे ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूशन्स बनाये हुए हैं, उसमें कॉमन वेल्थ गेम्स में और ओलम्पिक गेम्स में जितने भी गेम्स आते हैं, उनमें से किन-किन गेम्स में बच्चों को सिखाया जा रहा है, कृपा करके उसके बारे में बतायें और मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे यह है कि यहाँ आज सदन में बैठा हर एक व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय आई0पी0एल0 क्रिकेट का गेम हमारे प्रदेश में समाजवादियों द्वारा दिए गए इकाना स्टेडियम में हुआ, यहाँ पर उपस्थित आधे से ज्यादा लोग वहाँ पर उपस्थित रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पूर्व मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने इस तरीके का एक स्टेडियम बनाया। अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस तरीके के कितने स्टेडियम आज आपने हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट में बना लिए क्योंकि आपने बहुत बड़े-बड़े वायदे खेल-कूद विभाग में किए थे। लेकिन आज ऐसा कोई भी स्टेडियम दिखायी नहीं दे रहा है। माननीय मंत्री जी, इसके बारे में जवाब दे दें।

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि इन्होंने जो सवाल किया था कि 'उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए आपने कोई योजना बनायी है', तो हमारी सरकार में जो विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चल रही थीं,

उनका उल्लेख करते हुए हमने जवाब दिया था। शायद सदस्य जी को यह बात नागवार लगी कि सरकार ने ऐसा काम क्यों किया। मैं आज इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि जो पदक विजेता खिलाड़ी हुआ करते थे, इसी देश में पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और बिहार में ऐसे पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी देने का प्राविधान था, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं था, सरकार में आप थे, लेकिन आपने सोचा नहीं कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को किस तरह रोजगार दिया जाय। लेकिन हमारी सरकार ने, 26 मई, 2022 को एक शासनादेश किया और कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर कि हमारे जो ओलम्पिक और पैरा ओलम्पिक के खिलाड़ी होंगे जो पदक जीतकर आयेंगे, उनको सरकार क्लास-2 के पद पर, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं, उन्हें लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर करके सीधी भर्ती के माध्यम से नौकरी देंगे। यह हमारी सरकार ने फैसला किया है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

माननीय अध्यक्ष जी, उसका परिणाम रहा, मैं आज इस बात को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार में ललित उपाध्याय जी का डिप्टी एस0पी0 के पद पर चयन हुआ, उनको नियुक्ति-पत्र दे दिया।

श्री विजय यादव को नायब तहसीलदार के पद पर जो बनारस के रहने वाले हैं उनको दे दिया वह जूडो के खिलाड़ी थे और दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार के पद पर हम लोगों ने तीन लोगों को रोजगार दिया। अभी मा0 सदस्य जी कह रहे थे तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, वह यह कह रहे थे कि खेलोगे-कूदोगे तो होगे खराब इस परिभाषा को हमारी सरकार ने बदल दिया है। हमारी सरकार में मा0 प्रधानमंत्री जी के मार्ग-दर्शन में और मा0 मुख्य मंत्री जी के मार्ग-दर्शन में इस परिभाषा को बदला है, खेलोगे-कूदोगे तो भी मिलेगा रोजगार इस दिशा में हमने कदम उठाया है। मैं जिक्र करना चाहता हूं, जब आपकी सरकार थी तो 2006 का जी0ओ0 है, उसमें बड़ी विडम्बना है, 2006 के जी0ओ0 में है कि खेल का दो परसेण्ट का कोटा रहेगा और यह खेल विभाग ने जारी किया और खेल विभाग द्वारा जारी उस जी0ओ0 को अन्य विभाग मानने के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। जब कार्मिक विभाग से जी0ओ0 जारी होता है वही सभी विभागों पर प्रभावी होता है, इस विसंगति को भी हमने दूर किया है। मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि 7 जनवरी, 2022 को हमारी सरकार ने शासनादेश किया है कि जो समूह ग के लोग हैं, उनके लिये कार्मिक विभाग से जी0ओ0 जारी किया गया है, जिसमें दो प्रतिशत स्पोर्ट कोटा है। हमारे खेल मंत्रालय द्वारा पत्र जारी हुआ है कि सभी विभागों में नियुक्तियां भरी जाएं, जो कि बहुत दिनों से नहीं भरी जा रही हैं। पुलिस विभाग में कुशल खिलाड़ियों की भर्तियों की प्रक्रिया का विज्ञापन 534 खिलाड़ियों के लिए निकाला है और 534 में

से 489 लोगों का सेलेक्शन हो गया और 227 लोगों का वेरिफिकेशन आ गया है और उनको मा0 मुख्य मंत्री जी के हाथों द्वारा नियुक्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया।

मैं अगला विषय यह बताना चाहता हूँ कि प्रोत्साहन के लिए हमारी सरकार ने क्या-क्या योजना बनाई है और आपकी सरकार ने क्या-क्या किया है, जिसका मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ। साउथ एशियन गेम एकल में इनके जमाने में स्वर्ण पदक तीन लाख रुपए का था, रजत में दो लाख रुपए था और कांस्य पदक में एक लाख रुपए था, जब हमारी सरकार आई 6 जनवरी, 2022 को जो शासनादेश किया उसमें मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वर्ण पदक को छः लाख रुपए का किया, रजत को चार लाख रुपए का किया और कांस्य को दो लाख रुपए का किया। साउथ एशियन गेम्स (सैफ) टीम गेम में आपकी सरकार के समय में स्वर्ण पदक एक लाख रुपए का था, रजत 50 हजार रुपए का था और कांस्य का 25 हजार रुपए का था योगी जी की सरकार में स्वर्ण पदक को दो लाख रुपए का किया, रजत को एक लाख रुपए का किया और कांस्य को 50 हजार रुपए का किया इसके साथ-साथ सब जूनियर में आपकी सरकार में स्वर्ण पदक 25 हजार रुपए का था और हमारी सरकार में स्वर्ण पदक 50 हजार रुपए का है, सब जूनियर में आपकी सरकार में स्वर्ण पदक में 50 हजार रुपए का था और हमारी सरकार में एक लाख रुपए का है और इसी के साथ-साथ रजत पदक में आपकी सरकार में 35 हजार रुपए था और हमारी सरकार में 75 हजार रुपए है और आपकी सरकार में कांस्य पदक में 25 हजार रुपए का है और हमारी सरकार में 50 हजार रुपए का है लगभग दोगुना और इसके साथ-साथ मैं यह जिक करना चाहता हूँ कि इनकी सरकार में नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक में 3 लाख रुपए था, रजत पदक में दो लाख रुपए था और कांस्य में एक लाख रुपए था हमारी भाजपा की सरकार में इसको बढ़ाकर स्वर्ण पदक को छः लाख रुपए कर दिया गया था और चार लाख रुपए रजत पदक था और दो लाख रुपए कांस्य पदक को किया। यह सरकार में कई बार रहे और रहने के बावजूद भी इस उत्तर प्रदेश में।

इस उत्तर प्रदेश में कोई खेल विश्वविद्यालय नहीं बना था। हमारी सरकार मा0 प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मा0 मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मेरठ में मेजर ध्यानचन्द के नाम से खेल विश्वविद्यालय बनाने जा रही है।

(मेजों की थपथपाहट)

मा0 सदस्य ने एक और सवाल किया है, मैं उसका भी उत्तर दे देना चाहता हूँ। इन्होंने पूछा कि आप खेल के लिए क्या-क्या गतिविधि चला रहे हैं ? मैं इस पर भी चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे पास तीन स्पोर्ट्स कालेज हैं। वहाँ छात्रावास बने हुए हैं छात्र वहाँ रहते हैं और उनकी पढ़ाई, खेल की पूरी गतिविधि के लिए निःशुल्क है, उसमें ढाई हजार रुपये लेते हैं, जितना भी खाने-पीने और खेल की सुविधायें उनको चाहिए वह पूरा निःशुल्क है और इसी के साथ-साथ

अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में 44 जगह पर हमारे छात्रावास हैं। 16 खेलों के 18 जिलों में हमारे छात्रावास बने हुए हैं वहाँ खिलाड़ी रहता है और उसके खाने-पीने और रहने की पूरी व्यवस्था सरकार करती है।

श्री अध्यक्ष-

आप अच्छे खिलाड़ी हैं, मा0 मंत्री जी, एक अनुपूरक और आ जाये उसका उत्तर दे दीजिएगा। डॉ0 रागिनी इस पर एक और अनुपूरक अलाउड है। आप प्रश्न पूछ लें।

डा0 रागिनी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने बिल्कुल सही कहा मा0 मंत्री जी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, क्योंकि इतनी देर से जितने जवाब दे रहे हैं उसमें वह यही बता रहे थे जैसे इतने सालों से यह होता रहा है कि मान लें जैसे इस वर्ष यदि सदन का बजट 5 लाख 15 हजार करोड़ है, तो अगले एक साल बाद वह 6 लाख 15 हजार करोड़ होगा। उसके बाद के वर्ष में 7 लाख 15 हजार करोड़ होगा, उसके बाद 8 लाख 15 हजार करोड़ होगा, तो जब साल बढ़ते चले जा रहे हैं तो बजट भी बढ़ता चला जा रहा है, उसमें आपने इसको इन्क्लूड किया है यह एक प्रत्यक्ष सी बात है, इसमें आप कौन-सी वाहवाही लूटना चाहते हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

आपका अनुपूरक क्या है ?

डा0 रागिनी-

इसके साथ ही साथ मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि मैंने स्टेडियम की बात की थी। इन्होंने इतनी सारी चीजें, कागजी बातें, जो लिखकर दी गयी हैं वह गिना दी हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि ऐसा एक भी स्टेडियम बता दें, जो आपने हमारे यहाँ पर दिया हो। जौनपुर से मंत्री जी भी आते हैं और वहीं से मैं भी विधायक हूँ। जौनपुर में बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए अगर एक भी ऐसा काम किया है, जो प्रत्यक्ष रूप से जमीनी स्तर पर हो तो उसको जरा मा0 मंत्री जी दिखा दें।

(विपक्ष के कई सदस्यों के आपस में बात-चीत करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आपस में बात-चीत नहीं करें।

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं इसका भी जिक्र करना चाहता हूँ।

(विपक्ष के सदस्यों को इंगित करते हुए)

आप लोग बैठ जायें प्लीज, इस तरह से सवाल-जवाब नहीं होते हैं। अब आप लोग मुझे इसका उत्तर बताने दें।

डा0 रागिनी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने इनसे यह पूछा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में 22 गेम्स होते हैं और ओलम्पिक गेम्स में 40 स्पोर्ट्स होते हैं। इन 22 और 40 स्पोर्ट्स में से कितने गेम्स के लिए आप बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। उसके कितने कोच आपने रखे है क्या आपके पास जनपदवार कोई सूची या कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है।

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

मेरे पास पूरी सूची है।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास जो सूची है उसको आप उनके पास भिजवा दीजिए।

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

मैं उस सूची को आपको पढ़कर बता भी दूँगा।

श्री अध्यक्ष-

आप उसको सब पढ़कर मत बताइये, हमें आगे के प्रश्न भी लेने हैं। आप उत्तर भी सुन लें।

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि एक भी स्टेडियम बता दें। अब आप लोग बैठ जायें आपके माध्यम से मैं मा0 सदस्य जी को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस बात को कहा था कि जिन जिलों में अभी मुख्यालय स्तर पर स्टेडियम नहीं बने हैं उन पर सर्वे करके उसकी सूची होनी चाहिए कि कौन-कौन से जिले खेल की सुविधा से वंचित हैं उसमें हापुड़, शामली, सम्भल और चन्दौली चार जिले ऐसे आये थे जिसमें से शामली में हमने धन अवमुक्त कर दिया है और अन्य चारों पर भी प्रक्रिया चल रही है, जो कि अतिशीघ्र हो जाएगा। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस बात को बताना चाहता हूँ कि अभी हमारी सरकार ने खेल नीति बनायी है। ये लोग वाहवाही लूट रहे हैं। अभी तक जो खेल विभाग चलता था। वह खेल विभाग बिना खेल नीति के चलता था। पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने खेल नीति बनाई है। खिलाड़ियों की दृष्टि से हर सुविधा को ध्यान में रखकर हमने खेल नीति को बनायी है और यही नहीं मैं मा0 अध्यक्ष जी इस बात को बताना

चाहता हूँ कि अभी हमने उस खेल नीति में इस बात का प्राविधान किया है कि हर विकास खण्ड के स्तर पर हम खेल के मैदान को विकसित करेंगे।

(मेजों की थपथपाहट)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात और कहना चाहूंगा कि जो मा0 विधायक जी हैं, इनके विधान सभा क्षेत्र में युवा कल्याण विभाग का भटेउरा गांव में स्टेडियम निर्मित है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। प्रश्न संख्या-08, श्री सचिन यादव।

(श्रीमती पूजा एवं डॉ0 रागिनी के अपने-अपने स्थान से अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

नहीं, अब इस पर और डिबेट नहीं, 15-20 मिनट हो गये हैं, मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ।

डॉ0 रागिनी-

माननीय अध्यक्ष जी, कोई जवाब देने लायक नहीं है, इन्होंने घुमा-घुमा कर जवाब दिया है। मंत्री जी अपेक्षानुसार संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके हैं।

श्री अध्यक्ष-

मेरे खड़े होने के बाद कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। श्री सचिन यादव आप भी बैठ जायें। जब सब खड़े होंगे तो मैं बैठ जाऊँगा। इस प्रश्न पर मा0 मंत्री जी ने पूरा जवाब दिया है और मा0 सदस्य ने पूरी बात पूछी है, अब इसको यहीं समाप्त करके अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कुल निवेश व उद्योगों के संचालन के सम्बन्ध में जानकारी

*** 8-श्री सचिन यादव-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कुल कितनी धनराशि के निवेश उद्योगवार व निवेशकवार प्राप्त हुए ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2022 में हुई इन्वेस्टर समिट में प्राप्त निवेश से कितने निवेशित उद्योगों में कार्य का पूर्ण रूप से संचालन प्रारम्भ हो चुका है एवं शेष में क्या प्रगति है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 19,250 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये, जिसमें कुल लगभग रुपये 33,52,553.02 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में उद्योगवार एवं कुल हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के सापेक्ष निवेश प्रस्ताव प्राप्त धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

उद्योगवार व निवेशवार प्राप्त एम0ओ0यू0 का विवरण-

सम्बन्धित क्षेत्र का नाम	कुल	
	कुल निवेश (रु0 करोड़ में)	हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 की संख्या
1	2	3
कृषि	1253.8	61
अल्कोहलिक बेवरेजेज	2617.03	16
पशुधन	5159.73	1344
आटोमोबाइल	942.89	80
बांस आधारित उद्योग	1672	6
बायो फ्यूल्स/बायोमॉस	25442.11	198
गन्ना आधारित उद्योग	2105	14
सर्टिफाइड टिम्बर उद्योग	1	1
कालेज/विश्वविद्यालय	257922	64
को-आपरेटिव फ्यूल पम्प्स/ई0वी0 को-आपरेटिव सोसायटी	4100	1
डेयरी	30662.36	1040
रक्षा एवं एयरोस्पेस	11325.5	35
डिस्टलरीज	19448	25
इकोटूरिज्म	250.35	17

1	2	3
इलेक्ट्रिक वाहन	18855.19	38
इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग	359460.79	154
एथेनाल	9367.83	41
ई0वी0 मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड ऑपरेसन्स	1635	6
एक्सप्रेस-वेज	204	2
फिल्म एण्ड मीडिया	2749.04	23
मत्स्य	661	52
खाद्य एवं रसद	27872	73
खाद्य प्रसंस्करण	41528.61	1017
फारेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट	96	23
फर्नीचर एण्ड वुडबेस्ड एक्सपोर्ट यूनिट्स	1911.55	24
हेल्थकेयर	47096.66	73
अस्पताल	11296.93	125
होटल	21033.38	420
हाउसिंग	47618.02	361
आई0टी0 इनेबेल्ड सर्विसेज	112962.4	93
लॉजिस्टिक एण्ड वेयरहाउसिंग	117676.14	251
मैन्युफैक्चरिंग	138393.03	7640
मेडिकल कालेज	9035.45	76
मेडिकल विश्वविद्यालय	6307	14
खनन	292	6
मल्टीपल सेक्टर फाइनेन्स बाई कोआपरेटिव बैंक्स	855.7	2
N/A (अन स्पेसिफाइड एण्ड एम0एस0एम0ई0 सेक्टर)	205654.36	582
नैनो यूरिया प्लाण्ट्स	638	1

1	2	3
अन्य	92929.88	1108
अन्य ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण	26701.3	41
अन्य गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	18205.9	106
अन्य नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	39552.91	227
अन्य यूपीसीडा सेक्टर	45429.45	122
अन्य उ0प्र0 एक्सप्रेस-वे औद्योगिक प्राधिकरण	20373.46	21
अन्य यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	107575.05	96
फार्मास्युटिकल्स	14613.18	125
प्लाण्टेशन एण्ड एग्रोफारेस्ट्री	99.5	6
पावर डिस्ट्रीब्यूसन	9200	1
पावर जेनरेशन	85755	8
पावर ट्रान्समिशन	25822	4
निजी औद्योगिक पार्क	56047.9	84
पल्प एण्ड पेपर इण्डस्ट्रीज	5298.73	25
रीयल इस्टेट	105076.84	494
रेन्यूवल इनर्जी	564476.32	163
रिसार्ट्स	3994.7	86
स्कूल	532.42	20
सर्विस मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड	1576.7	163
स्किल डेवलपमेण्ट	17056.07	79
स्मार्ट सिटी एण्ड अन्य पी0पी0पी0	165523	27
सॉलिड बेस्ड मैनेजमेण्ट	18759.8	52

1	2	3
टेक्निकल इन्स्टीट्यूट/यूनिवर्सिटी	6243.85	199
टेक्सटाइल	54709.91	1092
थीम पार्क	3633.5	14
टूरिज्म रिलेटेड एक्टीविटी	98371.54	406
ट्रान्सपोर्ट फैसिलिटी	13304	16
वेयरहाउस/साइलोज	9087.86	69
बेस्ड टू इनर्जी	20501.87	45
वुड बेस्ड	6419.56	122
वुड बेस्ड हैण्डीक्राफ्ट	937.5	6
वुडबेस्ड इण्डस्ट्रीज	3638.47	219
वुड बेस्ड स्पोर्ट इण्डस्ट्रीज	3	1
इन्फ्रास्ट्रक्चर	165000	4
कुल योग	**33,52,553.02**	**19,250**

वर्ष 2022 में प्रदेश सरकार द्वारा कोई इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन नहीं किया गया था।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सचिन यादव-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर जो मेरा प्रश्न था, उस पर बोलने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कल मेरा आधा ही प्रश्न आ पाया था, जवाब नहीं आ पाया था, तो शायद आज मुझे जवाब मिल जाये। हमारा प्रदेश एक नैचुरल रिसोर्सेज को लेकर ट्रेडिश्नल बिजनेसेज को लेकर काफी रिक्त था । हमारे प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग में चाहे डेयरी हो, शुगर केन की इण्डस्ट्रीज हों, फूड ग्रेन की इण्डस्ट्रीज हों, वह पहले से ही लगी रही हैं। मिल्क प्रोडक्शन में शुगर केन प्रोडक्शन में हम लोग नम्बर-1 पर रहे हैं। फलों के प्रोडक्शन में हम नम्बर-3 पर रहे हैं, फिश के प्रोडक्शन में हम नम्बर-3 पर रहे हैं, हमारा प्रदेश मीट के एक्सपोर्ट में देश में नम्बर-1 रहा है, टेक्सटाइल में हम नम्बर-3 पर रहे हैं, आई0टी0 के 40 पार्क हमारे इस प्रदेश में पाये जाते हैं, जिसमें पुरानी सरकारों में खासकर हमारे आदरणीय अखिलेश जी ने ज्यादातर आई0टी0 पार्क बनाये। सबसे ज्यादा अगर

फोन के सब्सक्राइबर कहीं पाये जाते हैं तो वह हमारे प्रदेश में पाये जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर वर्किंग एज के, जो रोजगार पाने लायक लोग हैं, वह 56 प्रतिशत हमारे यहां पाये जाते हैं। सबसे लारजेस्ट कन्ज्यूमर बेस हमारे यहां हैं, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट यदि पूरे देश में कहीं आते हैं, तो वह उत्तर प्रदेश में आते हैं। एम0एस0एम0ई0 हमारे यहां 14 प्रतिशत पूरे देश की पायी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष-

तो सब अच्छी बातें ही तो हैं।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, मैं प्रश्न पर आऊँगा, बिल्ड अप करने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बिल्ड अप करिए।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, मेरा कल भी विषय रह गया था, परसों भी रह गया था।

श्री अध्यक्ष-

कल परसों का आज थोड़े पूछ लेंगे ? आप प्रश्न करिए।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, हमारे यहां मूवीज का बॉक्स आफिस का कलेक्शन पूरे देश में 40 प्रतिशत हमारे प्रदेश में पाया जाता है। इसलिए यह जो सारी चीजें हैं, इसमें पुरानी सरकारों ने आजादी के बाद से जो काम किया है और हमारी खुद की नैचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारी खुद की जो मैन पावर है, हमारा खुद का जो लैण्ड बैंक है, उससे यह सारी चीजें हमारे प्रदेश में उपलब्धियां प्राप्त थीं। उसी को आगे बढ़ाते हुए जब मैंने अपना प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2023 में कितना निवेश हुआ, उसको सेक्टरवाइज बता दें। तो मुझे सेक्टरवाइज जवाब आया है, उसमें ऐसे-ऐसे सेक्टर्स ले लिये जो पहले से ही चल रहे थे। पेट्रोल पम्प हमारे यहां पहले ही लगे थे, एम0ओ0यू0 में उसका अलग से नाम आ गया। कृषि, पशुधन, गन्ना, टिम्बर, कालेज यूनिवर्सिटीज जो लग रही हैं, टूरिज्म लग रहा है, इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग जो पहले से ही हम लोग अच्छा कर रहे थे, एक्सप्रेस-वे, हॉस्पिटल, होटल, हाउसिंग, मेडिकल कालेज इन पर एम0ओ0यूज जो साइन किये, उसकी लिस्ट दे दी और जो नये हमारे सेक्टर्स हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर है तो इन पर बहुत कम निवेश दिखाया गया है। मान्यवर, जो मेरा प्रश्न है, मैंने इसमें पुराने इन्वेस्टर्स समिट में निवेश को भी लेकर प्रश्न पूछा था, जिस पर जवाब आया है कि वर्ष 2022 में कोई इन्वेस्टर्स समिट हुआ ही नहीं

जबकि न्यूज पेपर्स के माध्यम से मैंने देखा कि वर्ष 2022 में भी 3 जून को समिट हुआ था। उसमें 80,000 करोड़ का वादा सरकार ने किया था। 1406 एम0ओ0यू0 साइन करने का भी वादा हुआ था उसमें हमारे देश के एक बड़े बिजनेस मैन थे जिन्होंने 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट और 30,000 जॉब्स का वादा किया था। उससे पहले भी इन्वेस्टमेंट आये। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार वर्ष 2018, 2019, 2022 में किये हुए अपने एम0ओ0यू0 को नकार देगी ? क्या उन एम0ओ0यू0 को नहीं मानेगी ? क्योंकि जवाब में आया है कि वर्ष 2022 में कोई एम0ओ0यू0 साइन नहीं हुए और अगर मानेगी तो उनकी आपरेटिंग कण्डीशन क्या है ? जमीन पर वह कितने पूर्ण हो चुके हैं, वो बिजनेस वाइज और एम0ओ0यू0 वाइज क्या सदन के पटल पर रखेगी और अगर नहीं रखेगी तो क्यों ? दूसरा- जो अन्य सेक्टर्स बताये हैं उसमें जो आलरेडी एक्जिस्टिंग सेक्टर्स हमारे यू0पी0 में हैं और जो एक्जिस्टिंग बिजनेसेज हैं उनके कितने एम0ओ0यू0 हैं और जो नई कम्पनी आयी हैं और जो बाहर से कम्पनी आयी हैं जिनके लिए हमारे आदरणीय मंत्री जी और गवर्नमेंट की काफी बड़ी टीम बाहर-बाहर गयी थी। बाहर से कितनी ऐसी कम्पनियां हमारे यू0पी0 में पहली बार आयी हैं ? उसको दोनों को डिफरेंसिएट करके दे दें कि पहले से ही काम कर रही हैं, कोई कालेज पहले से ही यहां पर चल रहा है, उसने अपना लगा लिया तो वो कितने हैं और जो बाहर से पहली बार आये हैं वह कितने हैं ? आलरेडी एक्जिस्टिंग सेक्टर्स में एक्जिस्टिंग कम्पनीज हैं उनके कितने एम0ओ0यू0 हैं और जो बाहर से पहली बार दूसरे प्रदेशों से या देशों से आयी हैं उनकी लिस्ट पटल पर रखने की कृपा करेंगे और यदि नहीं रखेंगे तो क्यों ? तीसरा-वर्ष 2023 के जो एम0ओ0यू0 साइन हुए थे उनमें से कितने जमीन पर आ चुके हैं उनमें से कितनों का काम पूरा हो चुका है, कम्पनी वाइज वह डिटेल भी देने की कृपा करें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रहा था उसको पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा। बहुत से हमारे माननीय मंत्रीगण विदेश भी गये और वहां से इन्वेस्टमेंट लाने की बात भी हुई। इसके पहले भी दो ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी हैं, इन्वेस्टर्स समिट हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि जितना हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी को आयोजित करने में, रेड कारपेट बिछाने में जितना भी खर्च हुआ उसके सापेक्ष कितना इन्वेस्टमेंट अभी तक उत्तर प्रदेश में आया है क्योंकि वह जनता की गाढ़ी कमाई थी। इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बड़ी चीज जो हमारे नौजवान देख रहे हैं कि कितना रोजगार धरातल पर आया, क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको एक्जेक्ट नम्बर आफ

इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्रीज लगीं तो कहां लगीं, क्या इस पर सरकार श्वेत-पत्र सदन में जारी करेगी ? सदन के पटल पर श्वेत-पत्र रखेगी ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो माननीय सदस्य का प्रश्न है कि क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कुल कितनी धनराशि के निवेश उद्योगवार व निवेशवार प्राप्त हुए ? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 19250 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये, जिसमें से कुल लगभग 33,52,553.02 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में उद्योगवार कुल हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के सापेक्ष निवेश प्रस्ताव प्राप्त धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, इन्वेस्टर्स समिट से कितना पैसा आया है ? मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या सरकार इस पर श्वेत-पत्र जारी करेगी ? ये लिस्ट तो हम लोगों के पास भी है।

श्री अध्यक्ष-

अध्यक्ष होने के बाद मैं जवाब थोड़े दूंगा, मंत्री जी जो कह रहे हैं, वह सही कह रहे हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

आप लोगों ने जो पूछा है, उसका जवाब सुनिये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, वह जवाब आ गया है।

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

मान्यवर, पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेण्ट का इतना अच्छा गन्तत्व बन करके उभरा है कि आज देश के बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट और दुनिया के बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आतुर हैं और लगातार आ रहे हैं। निश्चित रूप से जो आपने सवाल को किया है, आप इस सवाल को एक बार फिर से पढ़ लेंगे। आपने जिस तरह से पूछा है, मैंने उसी तरह से जवाब दिया है। पहली बार उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया और इन्वेस्टर समिट का जो

माहौल बना, पहले आपकी सरकार में, आप जिस तरह से चर्चा कर रहे थे, पहले किस तरह से गुण्डागर्दी थी। कोई जमीन खरीद करके जैसे ही जे0सी0बी0 लगाता था, एक गुण्डा आ करके बोलता था, नहीं, नहीं । गुण्डागर्दी किस तरह से चरम सीमा पर थी। आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गुण्डों पर लगाम लगाई गई है, उसी के कारण आज देश ही नहीं पूरी दुनिया आकर्षित है। आज जब फरवरी, 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ, पूरी दुनिया के 17 देशों में 21 सिटीज में इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन किये गये।

(विपक्ष के कई सदस्यों के द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग सुनिये तो सही। अरे, आप सुनें तो सही। आप पूरा उत्तर सुन लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

मान्यवर, और देश के 10 बड़े महानगरों में आयोजन किये गये और उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में आयोजन किये गये, जिसका यह नतीजा है कि 33,52,553.02 करोड़ रुपये के एम0ओ0यू0 प्राप्त हुए। अभी आप 2018 की चर्चा कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2018 में जो 81 परियोजनाओं में 61,791 करोड़ रुपये की ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई और दूसरी 28 जुलाई, 2019 को कुल 67,202 करोड़ रुपये के निवेश की ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई।

(विपक्ष के कई सदस्यों के द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग उत्तर सुन लीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पूरा उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्ष-

पूरा उत्तर आ गया है तो अब कुछ नहीं पूछना है ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

मान्यवर, 3 जून, 2022 की जो आप चर्चा कर रहे हैं, तो 80,224 करोड़ रुपये की ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित हुई।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, आपने अपने लिखित जवाब में कहा है कि वर्ष 2022 में कोई इन्वेस्टर्स समिट नहीं हुई है। लेकिन अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि 2022 में इन्वेस्टर्स समिट हुई और उसमें 80 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेण्ट आया या तो इस जवाब को सही माना जाये या जो आप सदन में बोल रहे हैं, उसको सही माना जाये। दोनों कन्ट्राडिक्टरी जवाब हैं।

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को प्रश्न लगाने से पहले उसको कई बार पढ़कर प्रश्न लगाना चाहिए था। आपने जो प्रश्न लगाया है, मैं बताना चाहता हूँ कि 3 जून, 2022 को ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई और 80,224 करोड़ रुपये की ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, सरकार यह नहीं बता पाई कि कितनी इन्डस्ट्री कौन से जिले में लगीं।

श्री अध्यक्ष-

यह सब लिखा हुआ है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, और कितने रोजगार मिले, इस पर सरकार श्वेत-पत्र कब लायेगी ? माननीय अध्यक्ष जी, इस विभाग को तो आपने बड़े अच्छे से संचालित किया था, जब आप मंत्री थे। आप तो बता दीजिए कि कितना पैसा आया, प्रस्ताव की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, अगला प्रश्न लेते हैं। माननीय संग्राम सिंह जी अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

(विपक्ष के कई सदस्यों के द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

माननीय नेता प्रतिपक्ष आये हैं, सब लोग अनुशासित हो जाइये ?[†]

(विपक्ष के किसी सदस्य की ओर से 'हम जबरदस्ती अनुशासित हैं' कहे जाने पर)

हमने कहा कि सब लोग अनुशासित हो जाइये। आप कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती अनुशासित हैं। मतलब मन से नहीं हैं। आपको जबरदस्ती अनुशासित नहीं होना चाहिए, मन से होना चाहिए।

नोट :-[†] नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या-8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

विपक्ष को बोलने का अवसर न देने के आक्षेप पर श्री अध्यक्ष द्वारा सदन का त्याग

श्री धर्मराज सिंह यादव-

मान्यवर, आप विपक्ष को बोलने नहीं देते।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस आरोप को सहने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं यहाँ से चला जाऊँगा, अगर आप कहते हैं कि मैं विपक्ष को बोलने नहीं देता हूँ। कोई अधिष्ठाता आकर यहाँ पर बैठ जाये, रवि जी, आप आइये। अगर आपको लगता है कि मैं विपक्ष को बोलने नहीं देता, तो मैं यहाँ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने इस बात को पहले दिन कहा था।

श्री अध्यक्ष-

सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(12 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित हुई)

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

प्रदेश में जातीय जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में

***9-डॉ0 संग्राम यादव-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जातीय जनगणना कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनगणना की विषयवस्तु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची के क्रमांक-69 पर अंकित है। जनगणना कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 एवं जनगणना नियमावली, 1990 बनायी गयी है, जिसके अन्तर्गत जनगणना का कार्य भारत सरकार द्वारा कराया जाता है।

प्रदेश में संचालित अभ्युदय योजना के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के कोचिंग के खर्चे को सीधे डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खाते में डलवाये जाने के सम्बन्ध में

***10-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित अभ्युदय योजना के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के कोचिंग के खर्चे को सीधे डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खाते में डलवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री असीम अरुण)-

मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। योजनान्तर्गत अंशकालिक शिक्षकों को इम्पैनल कर छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत छात्रों को केवल प्रशिक्षण की सुविधा अनुमन्य है, जिसके अन्तर्गत छात्रों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उद्यान स्नातक छात्रों को कृषि स्नातक की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में

***11-श्री अनिल प्रधान-**

क्या कृषि शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा तथा सैम हिंगिनबाटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एण्ड साइन्सेज, प्रयागराज में उद्यान विषय से स्नातक की उपाधि प्रदान की जाती है, किन्तु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उद्यान विषय के स्नातक छात्रों को सम्मिलित नहीं किया जाता है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि उद्यान विषय में प्रवेश के समय कृषि स्नातक के समतुल्य कहकर प्रवेश लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उद्यान विषय के स्नातक छात्रों को कृषि स्नातक के समकक्ष की श्रेणी में सम्मिलित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि विपणन (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1992 के अन्तर्गत सहायक कृषि विपणन निरीक्षक/सहायक वर्गीकरण निरीक्षक के पदों हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता कृषि में स्नातक अथवा उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1305/67-कृषि-अ 18-400(36)/14टी0सी0, दिनांक 12-06-2018 द्वारा मान्यता दी गई है।

उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह ख श्रेणी-2 (अभियंत्रण शाखा, विकास शाखा एवं विभिन्न शाखाओं यथा रसायन, वनस्पति, शस्य, कृषि रक्षा) पदों के सीधी भर्ती हेतु समकक्ष अर्हता हेतु शासनादेश संख्या-3478855/2023/कृषि-अ-67-400(36)/14टी0सी0, दिनांक 04-08-2023

द्वारा बी0एस-सी0 उद्यान/बी0एस-सी0 (आनर्स) उद्यान को बी0एस-सी0 (कृषि) के समकक्ष मान्यता दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विगत वर्षों में मृत पशुओं के चमड़े की कीमतों को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में

***12-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या सूक्ष्म, लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत वर्षों में मृत पशुओं के चमड़े की कीमत घटकर शून्य स्थिति में पहुंच गई है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार प्रदेश में चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (श्री राकेश सचान)-

अवगत कराना है कि प्रदेश में विगत दो वित्तीय वर्षो में कच्चे चमड़े की कीमत 35 रुपये से लेकर 125 रुपये प्रति वर्ग फीट थी एवं वर्तमान में यह कीमत 25 रुपये से 120 रुपये प्रति वर्ग फीट तक रही है।

विगत वर्षों में प्रदेश में मृत पशुओं के चमड़े की कीमत कम होने का कारण माँग में कुछ कमी आना तथा चर्म के बाजार का कुछ हिस्सा बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं अफ्रीकन देशों में भी स्थानान्तरित होना है। इस प्रकार यह शून्य स्थिति में नहीं है।

सरकार द्वारा चर्म उत्पादों के समग्र विकास हेतु चर्म उत्पाद बाहुल्य जिलों यथा- कानपुर नगर व आगरा में चर्म उत्पादों को एक जनपद एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) योजना के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए इनके समग्र विकास हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जा रही है :-

1-जनपद कानपुर नगर में ओ0डी0ओ0पी0 मार्जिन मनी योजना में अब तक कुल 265 इकाइयों को ऋण वितरण कराया गया, जिनकी परियोजना लागत रु0 16035.02 लाख है तथा इससे आच्छादित मार्जिन मनी/सब्सिडी रु0 2113.953 लाख है। इसी प्रकार प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना में अब तक कुल 1550 लाभार्थियों को प्रशिक्षित कर उनको उन्नत टूल किट उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 650 लाभार्थी लेदर उत्पाद से सम्बन्धित हैं।

2-जनपद आगरा में ओ0डी0ओ0पी0 मार्जिन मनी योजना में अब तक कुल 406 इकाइयों को ऋण वितरण कराया गया, जिनकी परियोजना लागत रु0 7490.6688 लाख है तथा इससे आच्छादित मार्जिन मनी/सब्सिडी रु0 1780.01145 लाख है। इसी प्रकार प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना में अब तक कुल 1550 लाभार्थियों को प्रशिक्षित कर उनको उन्नत टूल किट उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 1250 लाभार्थी लेदर उत्पाद से सम्बन्धित हैं।

चर्म निर्यातकों को उ0प्र0 सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के कार्यालय निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा संचालित योजनाओं- 'अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के विपणन विकास प्रोत्साहन योजना' तथा 'गेटवे पोर्ट तक माल भाड़े पर अनुदान योजना' के माध्यम से भी लाभ प्रदान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

खेलो इण्डिया खेलों के अन्तर्गत राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम की योजना के विवरण एवं शेष कार्यो को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

***13-श्री अताउर रहमान-**

क्या युवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खेलो इण्डिया खेलों के अन्तर्गत राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम की योजना संचालित है ? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत प्रदेश में अब तक कितने मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कार्य कराया गया है तथा कितना शेष है ? क्या सरकार शेष कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

युवा कल्याण विभाग हेतु कुल स्वीकृत 21 स्थानों में से 15 स्थानों पर मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कराया जा चुका है तथा 06 स्थानों पर मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माणाधीन है।

जी हाँ।

02 परियोजनायें यथा युवा कल्याण मुख्यालय एवं कोटरा, जनपद-हरदोई की परियोजना हेतु तृतीय एवं अन्तिम किस्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिससे निर्माण कार्यपूर्ण कराया जा रहा है। 04 परियोजनायें यथा-आसपुर देवसरा एवं मंगरौरा, जनपद-प्रतापगढ़, मकसूदाबाद, जनपद-कानपुर नगर एवं मीतली, जनपद बागपत की परियोजना हेतु भारत सरकार से तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त शीघ्र ही निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शादी अनुदान योजना पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में

***14-श्री पंकज मलिक, श्री प्रसन्न कुमार, श्री जय प्रकाश अंचल तथा श्री अवधेश प्रसाद-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शादी अनुदान योजना बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त योजना को पुनः चालू करने या इसके स्थान पर नई योजना लाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी नहीं।

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी वर्गों की गरीब बेटियों के विवाह हेतु प्रति जोड़ा धनराशि रु0 51000/- का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गेहूँ, चना, सरसो आदि फसलों के एम0एस0पी0 मूल्य में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में

***15-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ओला वृष्टि से गेहूँ, चना, सरसों इत्यादि रवी फसल के नुकसान से किसानों के हित में उक्त फसलों के एम0एस0पी0 मूल्य में वृद्धि सरकार करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम0एस0पी0) भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष गेहूं, चना, सरसों आदि फसलों की एम0एस0पी0 में वृद्धि की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

***16-श्री प्रसन्न कुमार-**

[तारा0 प्रश्न स0-14 पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय के पिछड़ी जाति/अनसूचित जाति के छात्र/छात्राओं सहित स्नातकोत्तर के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का समय से भुगतान करने के सम्बन्ध में

***17-श्री त्रिभुवन दत्त-**

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय के पिछड़ी जाति/अनसूचित जाति के छात्र/छात्राओं सहित स्नातकोत्तर के छात्र/छात्राओं की

छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति समय से नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त छात्रों को क्या सरकार छात्रवृत्ति एवं प्रतिपूर्ति समय से भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप)-

प्राथमिक/जूनियर नामांकन के कक्षा-01 से 08 तक के अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति के प्राथमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं हेतु वर्तमान में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की कोई योजना संचालित नहीं है।

अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित है, जिसमें समय-सारिणी के अनुसार समयान्तर्गत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

***18-श्री मनोज कुमार पारस-**

[04-मंगलवार के तारांकित प्र0सं0-12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में खेल/गेम्स को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के हर गांव व तहसील स्तर पर खेल का मैदान व स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में

***19-श्री अरमान खान-**

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेल/गेम्स को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के हर गांव व तहसील स्तर पर खेल का मैदान व स्टेडियम बनाये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के खेल/गेम्स प्रतिभाओं को बढ़ाने व प्रोत्साहन के लिए जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम इन्डोर मिनी स्टेडियम का जीर्णोद्धार सहित प्रदेश के प्रत्येक तहसील स्तर पर स्टेडियम व खेल के मैदान का निर्माण करवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

(1) युवा कल्याण विभाग द्वारा गांव व तहसील स्तर पर खेल का मैदान व स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया जाता है।

(2) युवा कल्याण विभाग द्वारा भूमि एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 के प्रावधान के अनुसार विकास खण्ड स्तर पर ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण कराया जाता है।

(3) ग्राम्य विकास अनुभाग-7 के शासनादेश दिनांक 22 जनवरी, 2020 में निहित व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायतों में मनरेगा कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत खेल मैदान के निर्माण का कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कराया जाता है।

(4) जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम इण्डोर मिनी स्टेडियम का निर्माण आवास विभाग द्वारा किया गया है एवं संचालन भी उन्ही के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए उसका जीर्णोद्धार भी आवास विभाग द्वारा ही कराया जा सकता है। उपरोक्त मिनी स्टेडियम का सम्बन्ध युवा कल्याण विभाग से नहीं है।

(5) युवा कल्याण विभाग द्वारा तहसील स्तर पर स्टेडियम व खेल के मैदान का निर्माण नहीं कराया जाता है।

(6) युवा कल्याण विभाग द्वारा भूमि एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 के प्रावधान के अनुसार विकास खण्ड स्तर पर ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में पावरलूमों को फिक्स रेट पर विद्युत कनेक्शन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में

***20-श्री रामअवतार सिंह-**

क्या हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0-1969/24 पी-3-2006, दिनांक 14-06-2006 द्वारा पावरलूम उद्योग के लिए फिक्स रेट पर विद्युत मूल्य के भुगतान का प्राविधान शासनादेश सं0-1403/63 व उ0 2019-60 (एच/2016, दिनांक 04-12-2019 को समाप्त कर दिया था ? क्या यह सही है कि पावरलूम प्रतिनिधियों की माँग पर शासन के पत्र सं0-1456/63 व0 उ0 2020-21-60(एच)टी0सी0-II, दिनांक 11-12-2021 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को मंत्रि-परिषद् द्वारा निर्णय न किये जाने तक विद्युत देयों की वसूली विद्युत कनेक्शन विच्छेदन न करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः फिक्स रेट पर पावरलूमों को विद्युत मूल्य भुगतान करने का आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

वर्तमान में पावरलूम बुनकरों की माँग के अनुसार पुनः फिक्स रेट पर पावरलूमों को विद्युत बिल का भुगतान करने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या-10/2023/617/63-व0 उ0-2023-60(एच)/2016, दिनांक 06-04-2023 द्वारा अटल बिहारी बाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना दिनांक 01-04-2023 से लागू गयी है।

शासनादेश संख्या-12/2023/814/63-व0 उ0-2023-60(एच)/2016टी0सी0, दिनांक 15-05-2023 द्वारा 01 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए पावरलूम बुनकरों के विद्युत बिल का भुगतान ऊर्जा विभाग के शासनादेश संख्या-1969/24पी-3-2006, दिनांक 14-06-2006 में प्राविधानित फ्लैट रेट की व्यवस्था के अनुसार किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में किसानों को उनकी फसल निर्यात करने के लिए प्रत्येक जिले में निर्यात केन्द्र खोलने पर विचार किये जाने विषयक

1-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को उनकी फसल निर्यात करने के कितने केन्द्र स्थापित हैं तथा उनमें से कितने क्रियाशील हैं ? क्या सरकार किसानों को उनकी फसल निर्यात के लिए प्रत्येक जिले में निर्यात केन्द्र खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनेश प्रताप सिंह)-

किसानों को उनकी फसल निर्यात करने के लिए कोई केन्द्र अलग से स्थापित नहीं है।

खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों का क्रय एवं सहकारिता विभाग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन व तिलहन की कतिपय फसलों का क्रय किया जाता है।

प्रदेश के उत्पादों को ई-नाम के माध्यम से अन्य राज्यों में विक्रय किए जाने की व्यवस्था है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भारत सरकार द्वारा एपीडा के माध्यम से विनियमित किया जाता है।

प्रदेश के बाहर स्थित संस्थाओं में अध्ययनरत् प्रदेश के छात्र-छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

2-श्री अनिल प्रधान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बाहर स्थित संस्थाओं में अध्ययनरत् प्रदेश के छात्र-छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्या

सरकार बतायेगी कि जनवरी, 2022 से 19 मार्च, 2023 तक प्रदेश से बाहर स्थित संस्थाओं में अध्ययनरत् अब तक कितने छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के उन छात्र/छात्राओं को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों एवं सम्पूर्ण भारत वर्ष में राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे हों, उनको नियमावली की शर्तों के अधीन पात्र होने पर दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

माह जनवरी, 2022 से 19 मार्च, 2023 तक वाह्य प्रदेश में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के लाभान्वित छात्रों का विवरण निम्नवत् है :-

वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति योजना (सामान्य वर्ग)

क्र0-सं0	वर्ष	लाभान्वित छात्र
1	2021-22	934
2	2022-23	-

वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति योजना (अनुसूचित जाति)

क्र0-सं0	वर्ष	लाभान्वित छात्र
1	2021-22	499
2	2022-23	-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दशकों पूर्व मृत व्यक्ति का जाति प्रमाण-पत्र निरस्त करने के सम्बन्ध में जानकारी

3-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दशकों पूर्व मृत व्यक्ति का जाति प्रमाण-पत्र भी निरस्त किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या उक्त हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने सम्बन्धी शासनादेश की प्रति सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो क्या मृत व्यक्ति का जाति प्रमाण-पत्र निरस्त करने की प्रक्रिया निर्धारण हेतु किसी निश्चित अवधि तक सरकार कोई शासनादेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

शासनादेश संख्या-685/26-03-2011, दिनांक 28-02-2011 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार जनपद स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति द्वारा जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की कार्यवाही की जाती है।

जी हाँ । (शासनादेश संलग्न)†

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन अथवा शिकायत हेतु समय सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में

4-श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन अथवा शिकायत हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन अथवा शिकायत हेतु समय-सीमा निर्धारण का कोई शासनादेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

समाज कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-685/26-3-2011, दिनांक 28-02-2011 द्वारा जनपद स्तर पर जाति सत्यापन समिति का गठन किया गया है। जनपद स्तरीय सत्यापन समिति के समक्ष अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं, उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश हेतु अथवा किसी सेवा में नियुक्ति के लिए जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उक्त समिति द्वारा सत्यापन की पुष्टि विलम्बतम् 15 दिनों में एवं अन्य प्रकरणों में जाति सत्यापन की कार्यवाही विलम्बतम 30 दिनों के भीतर पूर्ण किये जाने का प्राविधान है।

शासनादेश संख्या-428/26-3-2011, दिनांक 27-01-2011 द्वारा मण्डल स्तर पर मण्डलीय अपीलीय फोरम का गठन किया गया है। जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण-पत्र के निस्तारण सम्बन्धी निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उक्त निर्णय के अधिकतम 90 दिनों के भीतर मण्डलीय अपीलीय फोरम में अपील कर सकेगा तथा

नोट :-† देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ संख्या-388-390 पर।

उक्त अपीलीय समिति उसको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आवश्यकतानुसार जाँच कराकर विलम्बतम् 30 दिनों में सम्बन्धित प्रकरण का निर्णय करते हुए निस्तारित किये जाने का प्राविधान है।

इसी प्रकार कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-22/16/92-का-2/1996 टी0सी0-III, दिनांक 05-01-1996 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें मण्डलीय अपीलीय फोरम के निर्णय से असन्तुष्ट व्यक्ति अपील कर सकता है तथा शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020 से 2022 तक पिछड़े और अनुसूचित समाज के आवेदकों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

5-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020 से 2022 तक पिछड़े और अनुसूचित समाज के पूर्वदशम् और दशमोत्तर के कितने छात्र-छात्राओं ने शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किया था तथा उक्त आवेदन के सापेक्ष कितने छात्र-छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

वित्तीय वर्ष 2020 से 2022 तक पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदित एवं लाभान्वित छात्रों का विवरण निम्नवत् है :-

पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना-

वर्ष	आवेदित पात्र छात्रों की संख्या	छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्रों की संख्या
2020-21	698955	698955
2021-22	792445	792445
2022-23	1005086	871112
योग :	**2496886**	**2362512**

दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना-

वर्ष	आवेदित पात्र छात्रों की संख्या	छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्रों की संख्या
2020-21	1288079	1203475
2021-22	2271771	1550952
2022-23	2075443	1596455
योग :	**5635293**	**4350882**

वित्तीय वर्ष 2020 से 2022 तक पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के आवेदित एवं लाभान्वित छात्रों का विवरण निम्नवत् है :-

पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना-

वर्ष	आवेदित पात्र छात्रों की संख्या	छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्रों की संख्या
2020-21	421578	362511
2021-22	464701	320390
2022-23	552954	386139
योग :	**1439233**	**1069040**

दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना-

वर्ष	आवेदित पात्र छात्रों की संख्या	छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्रों की संख्या
2020-21	989116	802648
2021-22	1474713	1229471
2022-23	1352223	903088
योग :	**3816052**	**2935207**

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अभ्युदय योजना के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के विवरण के सम्बन्ध में

6-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कुल कितने अभ्यर्थी दिनांक 20-03-2023 तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में प्रारम्भिक मुख्य परीक्षा तथा अन्तिम रूप से चयनित हुये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में दिनांक 20-03-2023 तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कुल 418 अभ्यर्थी प्रारम्भिक मुख्य परीक्षा तथा 137 अभ्यर्थी अन्तिम रूप से चयनित हुए हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले प्राइवेट कोचिंग सेन्टर्स के छात्र-छात्राओं व अभ्युदय योजना के अन्तर्गत संचालित कोचिंग सेन्टर्स के परिणाम पृथक से घोषित करने के सम्बन्ध में

7-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले प्राइवेट कोचिंग सेन्टर्स के छात्र-छात्राओं व अभ्युदय योजना के अन्तर्गत संचालित कोचिंग सेन्टर्स के छात्र-छात्राओं के परिणामों को एक साथ मर्ज करके दिखाया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार अभ्युदय योजना के अन्तर्गत संचालित कोचिंग सेन्टर के छात्र-छात्राओं का परिणाम पृथक से घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना जनपद स्तर पर संचालित है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना तथा राजकीय आवासीय कोचिंग केन्द्रों के छात्र/छात्राओं का परिणाम पृथक-पृथक दिखाया जाता है। प्राइवेट कोचिंग सेन्टर्स तथा अभ्युदय योजना का कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं के लिये चलायी जा रही सरकारी कोचिंग सेन्टर्स पर होने वाले व्यय के सापेक्ष सफलता अनुपात की जानकारी के सम्बन्ध में

8-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं के लिये चलायी जा रही सरकारी कोचिंग सेन्टर्स पर होने वाले व्यय के सापेक्ष सफलता का अनुपात क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलायी जा रही सरकारी कोचिंग सेन्टर्स पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में होने वाले व्यय की धनराशि रु0 2113.04 लाख है तथा कुल 163 अभ्यर्थी सफल हुए हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थापित आलू क्रय केन्द्र एवं उनकी तौल खरीद की जानकारी के सम्बन्ध में

9-श्री अतुल प्रधान-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आलू के कितने क्रय केन्द्र स्थापित हैं तथा उक्त में से कितने क्रय केन्द्रों पर आलू की तौल खरीद की जा रही है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

अपर मुख्य सचिव, उद्यान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-604/58-2023-100 (1)/2021, दिनांक 14-03-2023 के क्रम में जनपद-बरेली, पीलीभीत, बदायूँ, चन्दौसी (सम्भल), बिजनौर, अमरोहा, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, अजुहा (कौशाम्बी), फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, बुलन्दशहर, सहारनपुर एवं शामली में दिनांक 19-03-2023 से 10-04-2023 तक क्रय केन्द्र स्थापित थे तथा उक्त अवधि के लिए सभी क्रय केन्द्र संचालित थे।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वर्ष 2018 से दिनांक 20 मार्च, 2023 तक जारी पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति विषयक

10-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2018 से दिनांक 20 मार्च, 2023 तक कितने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग के कितने छात्र/छात्राओं को कितनी छात्रवृत्ति जारी की गई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक जारी की गयी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण निम्नवत् है :-

पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना-

वर्ष	लाभान्वित छात्रों की संख्या	छात्रों को वितरित की गयी धनराशि (लाख रु0 में)
2018-19	771988	16000.94
2019-20	833622	17500.00
2020-21	698955	13247.08
2021-22	792445	15049.99
2022-23	871112	17947.00
योग	**3968122**	**79745.01**

दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना-

वर्ष	लाभान्वित छात्रों की संख्या	छात्रों को वितरित की गयी धनराशि (लाख रु0 में)
2018-19	1813891	144228.43
2019-20	2022865	160941.80
2020-21	1203475	124038.95
2021-22	1550952	120299.76
2022-23	1596455	133546.00
योग	**8187638**	**683054.94**

अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2018 से 2023 तक जारी की गयी छात्रवृत्ति का विवरण निम्नवत् है :-

अनुसूचित जाति पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना

क्र0-सं0	वर्ष	छात्र	छात्रों को वितरित की गयी धनराशि (रु0 करोड़ में)
1	2018-19	524426	142.15
2	2019-20	541386	149.26
3	2020-21	362511	89.43
4	2021-22	320390	78.44
5	2022-23	386139	41.54

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना-

क्र0-सं0	वर्ष	छात्र	छात्रों को वितरित की गयी धनराशि (रु0 करोड़ में)
1	2018-19	1143804	1594.11
2	2019-20	1360376	1747.58
3	2020-21	802648	1089.16
4	2021-22	1229461	567.49
5	2022-23	429585	121.02

सामान्य वर्ग पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना-

क्र0-सं0	वर्ष	छात्र	छात्रों को वितरित की गयी धनराशि (रु0 करोड़ में)
1	2018-19	62326	16.64
2	2019-20	88113	25.00
3	2020-21	118153	29.11
4	2021-22	124193	30.59
5	2022-23	172566	46.64

सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना-

क्र0-सं0	वर्ष	छात्र	छात्रों को वितरित की गयी धनराशि (रु0 करोड़ में)
1	2018-19	600069	749.96
2	2019-20	699359	635.25
3	2020-21	500204	657.79
4	2021-22	538642	575.00
5	2022-23	104347	91.17

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 5 वर्ष में दो करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्ट फोन देने का लक्ष्य निर्धारित एवं बजट के सम्बन्ध में

11-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 5 वर्ष में दो करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्ट फोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त हेतु वर्तमान वर्ष में कितने विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्ट फोन देने हेतु कितने बजट की व्यवस्था की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 25 लाख स्मार्ट फोन एवं 10 लाख टैबलेट पीसी क्रय किये जाने हेतु स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत कुल रु0 360000.00 लाख बजट की व्यवस्था की गई है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जाति प्रमाण-पत्रों में त्रुटि पाये जाने पर निरस्त किये जाने पर कार्यवाही विषयक

12-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसी के पिता का जाति प्रमाण-पत्र निरस्त होने पर उसकी संतान का जाति प्रमाण-पत्र स्वयं निरस्त हो जाएगा अथवा

प्रत्येक जाति प्रमाण-पत्र के निरस्तीकरण हेतु जाति प्रमाण-पत्र बनवाने की तरह अलग प्रक्रिया अपनानी होगी ? क्या सरकार बतायेगी कि राज्य स्क्रूटनी कमेटी के सम्मुख विचाराधीन जाति प्रमाण-पत्र के मामले का निर्णय होने तक जनपद स्तरीय सत्यापन समिति अथवा मण्डलीय अपीलीय फोरम का निर्णय अप्रभावी रहेगा ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

शासनादेश संख्या-685/26-3-2011, दिनांक 28-02-2011 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार जनपद स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति द्वारा जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की कार्यवाही की जाती है।

शासनादेश संख्या-685/26-03-2011, दिनांक 28-02-2011 द्वारा जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु जनपद स्तरीय सत्यापन समिति का गठन किया गया है। जनपद समिति के निर्णय से असन्तुष्ट व्यक्ति द्वारा अधिकतम 90 दिनों के भीतर शासनादेश संख्या-428/26-03-2011, दिनांक 27-01-2011 के माध्यम से गठित मण्डलीय अपीलीय फोरम के समक्ष अपील किये जाने की व्यवस्था है। मण्डलीय अपीलीय फोरम के निर्णय से असन्तुष्ट व्यक्ति उक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-22/16/92-का-2/1996-टी0सी0-III, दिनांक 05-01-1996 के अनुसार राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी द्वारा जाति सत्यापन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को सहायता देने पर विलम्ब करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही विषयक

13-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को सहायता देने हेतु कोई समय-सीमा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार अवगत करायेगी कि प्रदेश में ऐसे कितने प्रकरण हैं जिसमें सिटीजन चार्टर (समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी) ऐसे प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो सका है ? क्या सरकार उक्त विलम्ब के लिये सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेवारी सुनिश्चित कराते हुये उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत शासनादेश सं0-20/2016/1468/26-02-2016-100(02)/2007, दिनांक 10 जून, 2016 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन होने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर पात्र आवेदन-पत्रों की स्वीकृति/भुगतान करने की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों की स्वीकृति (उप-जिलाधिकारियों द्वारा सत्यापन कराये जाने/पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर रिस्पाँस विलम्ब से प्राप्त होने) की दशा में शासनादेश सं0-23/2016/1700/26-2-2016-100 (2)/2007, दिनांक 27 जुलाई, 2016 में यह व्यवस्था दी गयी है कि 75 दिवस से अधिक विलम्ब होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी निदेशक, समाज कल्याण से अनुमति लेकर जनपद स्तर पर पात्र लाभार्थियों को धनराशि भुगतान सुनिश्चित करायेंगे।

उक्त शासनादेश दिनांक 27 जुलाई, 2016 के क्रम में सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा 75 दिवस से अधिक के प्रकरणों में विलम्ब के कारणों सहित निदेशक, समाज कल्याण से भुगतान की अनुमति मांगी जाती है, जिसके क्रम में निदेशालय स्तर से तत्काल भुगतान की अनुमति प्रदान करते हुए समस्त पात्र आवेदकों को धनराशि का भुगतान जनपद स्तर पर किया जाता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाता है कि शासनादेश में दी गयी समय-सीमा के भीतर समस्त पात्रों को धनराशि का भुगतान हो जाये।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पावर पम्प की स्थापना कराने के सम्बन्ध में

14-श्री पंकज पटेल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पावर पम्प की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजनान्तर्गत मुंगराबादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र में अद्यतन अब तक कुल 36 सोलर पम्पों की स्थापना कृषकों के प्रक्षेत्रों पर करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्य मंत्री आवास योजना का लाभ नोएडा में निवास करने वाले जरूरतमन्द लोगों को प्रदान करने के सम्बन्ध में

15-श्री पंकज सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्य मंत्री आवास योजना का लाभ नोएडा में निवास करने वाले जरूरतमन्द लोगों को नहीं मिलता है ? यदि हां, तो उक्त योजना के स्थान पर प्राधिकरण द्वारा कोई आवासीय स्कीम लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्य मंत्री आवास योजना सम्बन्धी परियोजनाओं का कार्य प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाता है।

नोएडा प्राधिकरण द्वारा देश के सभी वर्गों के लिए समय-समय पर यथा आवश्यकतानुसार राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में अपनी योजनाएं प्रकाशित करायी जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में युवकों में नशे की बढ़ती प्रवृति की रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

16-डॉ0 अजय कुमार-

क्या मद्य निषेध मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में युवकों में नशे की बढ़ती प्रवृति की रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नितिन अग्रवाल)-

जी हाँ।

मद्य निषेध विभाग, उ0प्र0 द्वारा 05 वर्ष तक की कार्य योजना बनाई गयी है, जिसके तहत विभिन्न शिक्षात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से युवकों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु उनको नशे के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के सम्बन्ध में जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में कस्बा जसराना स्थित पूर्ण निर्मित सरकारी अनाज मण्डी को सुचारु रूप से संचालित करने के सम्बन्ध में

17-श्री सचिन यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में कस्बा जसराना स्थित पूर्ण निर्मित सरकारी अनाज मण्डी को सुचारु रूप से संचालित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

उप मण्डी स्थल जसराना में 'स' श्रेणी की 10 नग दुकानें व 01 नग नीलामी चबूतरा निर्मित है। उक्त दुकानें पूर्व से ही गल्ला एवं लहसुन व्यापारियों को आवंटित हैं। वर्तमान में 03 लहसुन व्यापारियों एवं 01 गल्ला व्यापारी द्वारा व्यापार किया जा रहा है। धान के सीजन के समय 03 व्यापारियों द्वारा उप मण्डी स्थल में व्यापार किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर गेहूँ व धान के सरकारी क्रय केन्द्र उप मण्डी स्थल में खोले जाते हैं। इस प्रकार वर्तमान में उप मण्डी स्थल जसराना संचालित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विगत माह में ओले और बारिश से किसानों की आम की फसल का नुकसान होने पर मुआवजा प्रदान करने के सम्बन्ध में

18-श्री चन्दन चौहान-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत माह में ओले और बारिश से किसानों की आम की फसल को नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की आम की नष्ट फसल का मुआवजा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में ओ0बी0सी0 व एस0सी0, एस0टी0 के कितने बच्चों को जारी स्कॉलरशिप की जानकारी के सम्बन्ध में

19-श्री अखिलेश-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में ओ0बी0सी0 व एस0सी0, एस0टी0 के कितने बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है तथा उक्त में कितने बच्चों की स्कॉलरशिप जारी कर दी गयी है तथा

कितने शेष हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखते हुये शेष बच्चों की स्कालरशिप जारी करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

वित्तीय वर्ष 2021-2022 एवं 2022-2023 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदित एवं लाभान्वित छात्रों का विवरण निम्नवत् है :-

पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना-

वर्ष	आवेदित पात्र छात्रों की संख्या	छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्रों की संख्या	बजट के अभाव में अवशेष छात्रों की संख्या
2021-22	792445	792445	0
2022-23	1005086	871112	133974

पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना-

वर्ष	आवेदित छात्रों की संख्या	ऐसे छात्रों की संख्या जिन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की गयी	बजट के अभाव में अवशेष छात्रों की संख्या
2021-22	2271771	1550952	720819
2022-23	2075443	1596455	478988

वित्तीय वर्ष 2021-2022 एवं 2022-2023 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के आवेदित एवं लाभान्वित छात्रों का विवरण निम्नवत् है :-

अनुसूचित जाति पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना :-

वर्ष	आवेदित छात्रों की संख्या	धनराशि प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या	अवशेष छात्रों की संख्या
2021-22	464701	320390	-
2022-23	552954	386139	-

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना-

वर्ष	आवेदित छात्रों की संख्या	धनराशि प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या	अवशेष छात्रों की संख्या
2021-22	1474713	1229471	-
2022-23	1352223	903088	58313

वित्तीय वर्ष 2021-2022 एवं 2022-2023 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के आवेदित एवं लाभान्वित छात्रों का विवरण निम्नवत् है :-

अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना-

वर्ष	आवेदित छात्रों की संख्या	धनराशि प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या	अवशेष छात्रों की संख्या
2021-22	3528	815	-
2022-23	3941	1579	01

अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना-

वर्ष	आवेदित छात्रों की संख्या	धनराशि प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या	अवशेष छात्रों की संख्या
2021-22	18962	8930	-
2022-23	15804	6427	3093

उपरोक्तानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आय-व्ययक में प्रविधानित धनराशि की सीमा तक नियमावली के प्राविधानों/शर्तों को पूर्ण करने वाले पात्र छात्र/छात्राओं को विहित वरीयता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत धनराशि समाप्त होने पर यदि छात्र की देयता लम्बित रहती है, तो वह देयता अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं होती है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अवशेष छात्रों को भारत सरकार से धनराशि प्राप्त हो जाने पर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के अवशेष 58313 छात्रों के सापेक्ष धनराशि रु0 4304.19 लाख की अनुमति के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अनुमति प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में किसानों की लघु/सीमान्त मानक के दायरे को बढ़ाने के सम्बन्ध में

20-श्री अनिल प्रधान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में किसानों की लघु/सीमान्त मानक के दायरे को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

देश में कृषि गणना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के अन्तराल पर राज्यों के सहयोग से कराया जाता है। भारत सरकार इस कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक सहयोग के साथ-साथ तकनीकी दिशा-निर्देश देती है।

प्रदेश में करायी गयी कृषि गणना में कार्य-प्रणाली एवं परिभाषाएं वही रखी जाती हैं, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। कृषि गणना के दिशा-निर्देशों में संशोधन भारत सरकार के स्तर से ही किया जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा कृषि गणना में कृषक श्रेणी एवं जोत आकार सभी राज्यों के लिए एक समान निर्धारित किया जाता है।

कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कृषक श्रेणी एवं जोत आकार को निम्नवत् वर्गीकृत किया गया है :-

क्र0-सं0	समूह	जोत आकार
1	सीमान्त	0.50 हे0 से कम
		0.50< 1.00
2	लघु	1.00< 2.00
3	अर्ध-मध्यम	2.00< 3.00
		3.00< 4.00
4	मध्यम	4.00< 5.00
		5.00< 7.50
		7.50< 10.00
5	वृहद्	10.00< 20.00
		20.00 हे0 या उससे अधिक

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर में उर्वरक इकाइयों की संख्या तथा मानक मिश्रित रहित कीटनाशक विक्रेताओं पर कार्यवाही विषयक

21-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में कितनी इकाइयां उर्वरक तथा कीटनाशक का उत्पादन कर रही हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त उर्वरक इकाइयों के गुणवत्ता की जांच कब-कब की गई तथा उक्त जांच का नतीजा क्या रहा ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, बुलन्दशहर में किसानों को मानक रहित मिश्रित कीटनाशक बेचे जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

वर्तमान में जनपद-मुजफ्फरनगर में 36 इकाइयाँ उर्वरक का उत्पादन कर रही हैं एवं 63 इकाइयाँ कीटनाशक का उत्पादन कर रही हैं।

वर्ष 2022-23 में समय-समय पर उर्वरक निरीक्षकों द्वारा उर्वरक इकाइयों का निरीक्षण कर कुल 27 उर्वरक नमूने ग्रहीत कर प्रयोगशालाओं को प्रेषित किए गये हैं, जिसमें से सभी के परिणाम प्राप्त हो गये हैं, वे नमूने मानक में पाये गये हैं।

वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 (मई, 2023 तक) में जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बुलन्दशहर में किसानों को मानक रहित मिश्रित कीटनाशक बेचे जाने की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

जनपद शामली में वर्ष 2022-23 में 03 शिकायतें प्राप्त हुई थीं एवं वर्ष 2023-24 (मई, 2023 तक) में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

जनपद शामली में वर्ष 2022-23 में 03 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसके क्रम में सम्बन्धित विक्रय प्रतिष्ठानों से कृषि रक्षा रसायन के 05 नमूने ग्रहीत किये गये, सभी नमूने प्रयोगशाला में जांच उपरान्त मानक में पाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

22-श्री अखिलेश-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

प्रदेश में विगत 2 वर्षों में निर्माण हेतु स्वीकृत खेल स्टेडियम एवं निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके खेल स्टेडियम के सम्बन्ध में

23-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 2 वर्षों में कितने खेल स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृत हुए एवं उक्त में से कितनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

खेल विभाग में निम्नलिखित खेल अवस्थापनाओं के सृजन हेतु स्वीकृति निर्गत की गयी है :-

1-जनपद मेरठ में शूटिंग रेन्ज का निर्माण,

2-जनपद मुरादाबाद में छात्रावास भवन का निर्माण,

3-देवीपाटन मण्डल गोण्डा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में छात्रावास भवन का निर्माण,

4-जनपद अलीगढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में छात्रावास भवन का निर्माण,

5-जनपद वाराणसी के डा0 भीमराव अम्बेडकर क्रीड़ा संकुल लालपुर में दर्शक दीर्घा का निर्माण,

6-जनपद वाराणसी के डा0 भीमराव अम्बेडकर क्रीड़ा संकुल लालपुर में बालक/ बालिकाओं हेतु 100-100 बेडेड छात्रावास भवन का निर्माण,

7-जनपद देवरिया के स्पोर्ट्स स्टेडियम में छात्रावास भवन का निर्माण एवं निर्मित खेल अवस्थापना का जीर्णोद्धार,

8-जनपद चित्रकूट में बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल का निर्माण,

9-ग्रीनपार्क कानपुर में छात्रावास भवन का निर्माण,

10-जनपद शामली में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण,

11-जनपद वाराणसी में डा0 भीमराव अम्बेडकर क्रीड़ा संकुल लालपुर में निर्मित सिन्थेटिक हाकी मैदान की पुनर्स्थापना,

12-जनपद वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि क्रय,

13-खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत जनपद वाराणसी के सिगरा स्टेडियम के विकास एवं आधुनिकीकरण के अन्तर्गत फेस-II एवं फेस-III का कार्य,

14-जनपद मिर्जापुर में छात्रावास भवन का निर्माण,

15-जनपद बस्ती में छात्रावास भवन का निर्माण,

16-जनपद जौनपुर में तरणताल का निर्माण,

17-जनपद जौनपुर में सिन्थेटिक रनिंग ट्रैक का निर्माण,

18-जनपद रामपुर में निर्मित सिन्थेटिक हाकी मैदान की पुनर्स्थापना,

19-जनपद उन्नाव के स्पोर्ट्स स्टेडियम में बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल का निर्माण,

20-जनपद मेरठ में मेजर ध्यान चन्द खेल विश्वविद्यालय की स्थापना।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विगत 6 वर्षों में किसानों की आय एवं फसलों में बढ़ोत्तरी तथा उक्त फसलों का 6 वर्षों में बढ़े लागत खर्च की जानकारी के सम्बन्ध में

24-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 6 वर्षों में किसानों की आय एवं फसलों में कितनी बढ़ोत्तरी तथा उक्त फसलों का 6 वर्षों में लागत खर्च कितना बढ़ा है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी डबलिंग फारमर्स इन्कम वाल्यूम-2 के पृष्ठ-27 पर प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012-13 में कृषक हाउसहोल्ड की औसत आय रु0 53698/- वार्षिक थी।

भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा तैयार की गयी 'ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों की स्थिति और परिवारों की भूमि एवं पशुधन धृतियों का मूल्यांकन, 2019' के अनुसार कृषक हाउसहोल्ड की औसत वार्षिक आय (जुलाई, 2018 से जून, 2019 में) रु0 96732 रही है। वर्तमान समय में अद्यतन आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश में गत 6 वर्षों में वर्षवार खाद्यान्न एवं कुल तिलहन के उत्पादन का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	खाद्यान्न (लाख मी0 टन)	कुल तिलहन 'शुद्ध' (लाख मी0 टन)
2017-18	573.84	13.62
2018-19	604.15	13.31
2019-20	601.84	10.75
2020-21	619.39	12.75
2021-22	623.80	14.70
2022-23*	599.90	21.32

*2022-23 के आंकड़े परिवर्तनीय है।

नोट :- खाद्यान्न के अन्तर्गत धान्य फसलें एवं दालें सम्मिलित हैं।

उत्तर प्रदेश में गत 6 वर्षों में विभिन्न फसलों का उत्पादन लागत (रु0/हेक्टे0) का विवरण निम्नवत् है :-

फसल	कृषि वर्ष (2017-18)	कृषि वर्ष (2022-23)	वृद्धि
खरीफ			
धान (सामान्य)	38865	53307	14442
धान (ग्रेड-ए)	40185	50980	10795
धान (बासमती)	41337	58470	17133
ज्वार	12996	20539	7543
बाजरा	16696	21505	4809
मक्का	19035	25850	6815
उर्द	14924	19243	4319
मूंग	13951	18765	4814
अरहर	21461	27013	5552
मूंगफली	23599	31098	7499
सोयाबीन	17083	19636	2553
तिल	9996	12710	2714

रबी	कृषि वर्ष (2016-17)	कृषि वर्ष (2021-22)	वृद्धि
गेहूं	35867	54291	18424
जौ	26414	42606	16192
चना	19452	35842	16390
मटर	22922	34552	11630
मसूर	19824	27612	7788
लाही-सरसों	24358	36680	12322

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सहित जनपद शामली में बेरोजगार युवाओं को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग शुरू करने हेतु वर्ष 2022-23 में दिये गये ऋण की जानकारी

25-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सहित जनपद शामली में कितने बेरोजगार युवाओं को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग शुरू करने हेतु वर्ष 2022-23 में आसान किस्तों पर ब्याज मुक्त ऋण सरकार द्वारा दिए गये हैं ? क्या सरकार यह भी बताएगी की जनपद शामली में मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत कितने युवाओं को वर्ष में 2022-23 में ऋण दिया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग शुरू करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनात्मक योजनायें यथा-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना व एक जनपद एक उत्पाद ऋण योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रोजेक्ट लगाने हेतु लिए गये ऋण पर सब्सिडी उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। आसान किस्तों पर ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उल्लिखित योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2022-23 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा कुल 13209 लाभार्थियों को प्रोजेक्ट राशि रु0 207086.04 लाख जिसकी सब्सिडी धनराशि रु0 41582.51 लाख की है, का ऋण उपलब्ध कराया गया।

जनपद शामली में वर्ष 2022-23 में उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 81 लाभार्थियों को प्रोजेक्ट राशि रु0 1725.91 लाख जिसकी सब्सिडी धनराशि रु0 325.58 लाख की है, का ऋण उपलब्ध कराया गया।

जी हाँ। जनपद शामली में मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में कुल 35 लाभार्थियों को प्रोजेक्ट राशि रु0 357.94 लाख जिसकी सब्सिडी 89.48 लाख है, का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में संचालित कौशल विकास केन्द्रों की जानकारी के सम्बन्ध में

26-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कितने कौशल विकास केन्द्र किस-किस विद्यालय में संचालित हैं तथा किस-किस संस्था द्वारा कौन-कौन से ट्रेड चलाये जा रहे हैं ? क्या सरकार दिनांक 01-04-2020 से 31-03-2023 तक का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कपिल देव अग्रवाल)-

जी हाँ। उ0प्र0 कौशल विकास मिशन एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की संकल्पना के अनुरूप वर्ष 2022-23 से प्रत्येक जनपद में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हित राजकीय माध्यमिक विद्यालय (बालक एवं बालिका) में कक्षा 9-12 तक में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत नियमित विषयों के साथ-साथ उनकी रुचि के अनुसार कौशलपरक् व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में प्रवेशित छात्राओं को भी उक्त प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है। चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की जा रही इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में प्रदेश के कुल 301 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (बालक एवं बालिका) तथा 42 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों को आच्छादित किया गया है। उक्त में से जनपद शाहजहाँपुर निम्नलिखित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं अन्य विद्यालय परिसरों में संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रों/छात्राओं के लिये व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है :-

क्र0-सं0	विद्यालय का नाम व पता जहां प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं	प्रशिक्षण प्रदाता का नाम	संचालित ट्रेड्स	प्रोजेक्ट प्रवीण/अन्य
1	2	3	4	5
1	राजकीय बालक इण्टर कालेज, शाहजहांपुर।	डोरेक मल्टीमीडिया प्रा0 लिमिटेड।	आई0टी0एस0 (डोमेस्टिक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर)।	प्रोजेक्ट प्रवीण

1	2	3	4	5
2	एल0बी0आई0 इण्टर कालेज, कुरिया कलां, शाहजहाँपुर।	ई-आश्रम इन्फोटेक प्रा0 लिमिटेड।	अपेरल (पैटर्न मास्टर)	अन्य
3	सरस्वती ज्ञान मंदिर, निकट बैंक आफ बड़ौदा, हथौड़ा बुजुर्ग, शाहजहाँपुर।	बूझ इन्फोटेक प्रा0 लिमिटेड	अपेरल (पैटर्न मास्टर)	अन्य
4	सेंट एच0एन0 इण्टर कालेज, निकट रेलवे क्रासिंग, शाहजहाँपुर।	ई-आश्रम इन्फोटेक प्रा0 लिमिटेड	आई0टी0एस0 (डोमेस्टिक डाटा इन्ट्री आपेरटर)	अन्य
5	चकझाऊ इण्टर कालेज चकझाऊ, निकट महासिर, शाहजहाँपुर।	आर0के0टी0 सेल्युशन्स प्रा0 लिमिटेड।	अपेरल (पैटर्न मास्टर)	अन्य
6	अवन्तीबाई इण्टर कालेज, भरगवां, शाहजहाँपुर।	सुप्रीम फाउण्डेशन।	हेल्थकेयर (टेली हेल्थ सर्विस कोआर्डीनेटर)	अन्य
7	न्यू ग्रेट इण्टर कालेज, अल्हागंज, शाहजहाँपुर।	सुप्रीम फाउण्डेशन।	कन्सट्रक्शन्स (फोरमेन इलेक्ट्रीशियन वर्क्स)	अन्य
8	बी0 आर0 पब्लिक स्कूल, जैतीपुर, शाहजहाँपुर।	साविक कर्मा रिसर्च फाउण्डेशन।	एग्रीकल्चर एवं अपेरल (गार्डनर कम-नर्सरी रेजर एण्ड सेम्पलिंग टेलर)	अन्य
9	श्रीमती रामादेवी इण्टर कालेज, अल्हागंज, शाहजहाँपुर।	नक्ष वेन्चर प्रा0 लिमिटेड।	हेल्थकेयर (योगा थिरैपी असिस्टेन्ट)	अन्य

1	2	3	4	5
10	राजकीय बालिका इण्टर कालेज, तिलहर, शाहजहाँपुर।	माँस इन्फोटेक सोसायटी।	आई0टी0एस0 एवं अपेरल (डोमेस्टिक डाटा इन्ट्री आपरेटर एण्ड सेल्फ एम्पलाई टेलर)	प्रोजेक्ट प्रवीण
11	अटल बिहारी इण्टर कालेज, मो0 रौसर कोठी, शाहजहाँपुर।	नया सवेरा संस्था।	अपेरल (सेम्पलिंग टेलर)	अन्य
12	सर्वोदय बाल विद्या मंदिर, निकट रेलवे क्रासिंग निगोही, शाहजहाँपुर।	सोसायटी आफ फ्यूचर रिफलेक्शन टेक्नोलॉजी।	हेल्थकेयर (ड्रेसर)	अन्य
13	मनोहर लाल महाविद्यालय, कुतुआपुर, शाहजहांपुर।	मदर टेरेसा जनकल्याण समिति।	अपेरल (सेम्पलिंग टेलर)	अन्य
14	गुरुकुल पब्लिक स्कूल, चमकली करभला, शाहजहाँपुर।	धन्या इन्फोमीडिया प्रा0 लिमिटेड।	इलेक्ट्रानिक्स (मल्टी स्किल टेक्नीशियन)	अन्य

उक्त के अतिरिक्त मिशन द्वारा संचालित अन्य कौशल प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत भी प्रशिक्षण प्रदाता स्वयं जनपदों में स्थापित विद्यालयों के प्रबन्धन से सहमति प्राप्त कर विद्यालय परिसर में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करते हैं। उक्त व्यवस्था सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाता संस्था व विद्यालय प्रबन्धन की पारस्परिक सहमति व शर्तों पर आधारित होती है और सामान्यतः ये प्रशिक्षण केन्द्र अस्थाई होते हैं। जनपद शाहजहाँपुर में दिनांक 01-04-2020 से दिनांक 31-03-2023 के मध्य संचालित कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का विवरण (संलग्नक के रूप में) संलग्न[†] है।

जी हाँ। उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-[†] देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या-391-394 पर।

ग्रेटर नोएडा में लीज बैंक पॉलिसी के तहत गठित समिति की संस्तुतियों के क्रम में किसानों की लीज बैंक की कार्यवाही पूर्ण करने के सम्बन्ध में

27-श्री मदन भैया-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-3 द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2010 को जारी शासनादेश संख्या-1216/77-3-10-184-अर्जन/09 द्वारा ग्रेटर नोएडा के किसानों की आबादियों के सम्बन्ध में लीज बैंक पॉलिसी के तहत गठित समिति की संस्तुति पर प्राधिकरण की विभिन्न बोर्ड बैठकों में अप्रूव होने के उपरान्त भी किसानों के कुल 2192 प्रकरणों में से लगभग 350 प्रकरणों में ही लीज बैंक की कार्यवाही पूर्ण हो सकी है, शेष अभी तक बाकी है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह सैनी)-

शासनादेश संख्या-1216/77-3-10-184-अर्जन/09, दिनांक 24-04-2010 तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबन्धन एवं विनियमितीकरण) विनियमावली, 2011 यथा संशोधित, 2015 के प्राविधानों में गठित समिति द्वारा सम्यक् सुनवाई के उपरान्त 2192 प्रकरणों में पट्टा प्रलेख (लीज बैंक) किये जाने की संस्तुति को प्राधिकरण बोर्ड की विभिन्न बैठकों द्वारा अनुमोदित किया गया।

लीज बैंक में भूमि आवंटन में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु शासन स्तर से वर्ष 2019 में विशेष जांच दल का गठन किया गया और विशेष जांच दल द्वारा जांच आख्या में की गई संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 24-04-2010 से आच्छादित 1451 प्रकरणों में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही प्राधिकरण स्तर पर सुनिश्चित करने के निर्देश नोएडा प्राधिकरण को दिए गये। शेष 741 प्रकरणों के सम्बन्ध में विशेष जांच दल से अतिरिक्त आख्या/सूचना मांगी गई थी जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड की 124वीं बैठक दिनांक 08-11-2021 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में नियमानुसार अग्रेतर विधिसम्मत कार्यवाही किये जाने हेतु 1306 लीज बैंक (145 शिफ्टिंग के प्रकरण को छोड़ते हुए) के प्रकरणों में कृषकों को पट्टा प्रलेख निष्पादन की कार्यवाही से पूर्व औपचारिकतायें पूर्ण कराने के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

कृषकों के पक्ष में लीज डीड निष्पादन की कार्यवाही हेतु औपचारिकतायें पूर्ण कराने हेतु प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 16-11-2022 से 05-12-2022 तक विशेष शिविरों का भी

आयोजन किया गया। ऐसे प्रकरण जिनमें कृषकों द्वारा लीज डीड निष्पादन की कार्यवाही हेतु औपचारिकतायें पूर्ण की गईं, में कृषकों के पक्ष में लीज निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

लीज बैंक प्रकरणों में लीज डीड निष्पादन की कार्यवाही से पूर्व कृषकों द्वारा अपना प्रतिकर प्राप्त कर प्राधिकरण कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है। लीज बैंक की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित 1306 प्रकरणों में अधिकांश कृषकों द्वारा न ही मूल प्रतिकर प्राप्त किया गया है और न ही 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर, जिस कारण से अवशेष प्रकरणों में लीज बैंक की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी है।

जनपद गाजियाबाद, लोनी, ट्रोनिका सिटी में यू0पी0सी0डा0 द्वारा दूषित जल सीधे यमुना में प्रवाहित किये जाने पर कृत कार्यवाही की जानकारी

28-श्री मदन भैया-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद, लोनी, ट्रोनिका सिटी में यू0पी0सी0डा0 द्वारा प्रदूषण करने पर एन0जी0टी0 ने जुर्माना लगा कर बिना ट्रीटमेंट किये यमुना में पानी छोड़ने पर प्रतिबन्ध लगाया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान में भी उक्त एजेंसी द्वारा क्षेत्र के सीवर का पानी बिना ट्रीटमेंट किये सीधे यमुना नदी में डाल कर प्रदूषण फैला रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हां।

दूषित उत्प्रवाह को शोधित करने के लिए यूपीसीडा ने सीईटीपी का निर्माण कराया एवं वर्तमान में सीईटीपी का संचालन एसपीवी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है, जिसका पर्यवेक्षण नियमित रूप से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है तथा शोधित उत्प्रवाह जावली स्केप के माध्यम से हिण्डन नदी में डाला जाता है।

लागू नहीं।

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अन्तर्गत पुश्तैनी अथवा गैर पुश्तैनी काश्तकारों की भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित जानकारी विषयक

29-श्री मदन भैया-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के गठन से पूर्व के भू-काश्तकारों को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की नियमावली में किस रूप में पुश्तैनी अथवा गैर पुश्तैनी काश्तकार को परिभाषित किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि ग्रेटर

नोएडा अथॉरिटी के अन्तर्गत किन-किन गैर पुश्तैनी काश्तकारों की अधिग्रहण से पूर्व कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहण मुक्त की गई थी और किन-किन गैर पुश्तैनी काश्तकारों को कितनी-कितनी भूमि लीज बैंक के जरिए अधिग्रहण मुक्त करने हेतु बोर्ड बैठक में अनुमोदन किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि 10 जनवरी, 2019 को जारी उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या-101/77-3-19-200-एम/18 के तहत आबादी के लीज बैंक प्रकरणों की जांच हेतु सीईओ यमुना प्राधिकरण की चेयरमैनशिप में गठित एसआईटी द्वारा जांच पूरी कर ली गई है ? यदि हां, तो क्या एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवंत सिंह सैनी-

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबन्धन एवं विनियमितीकरण) विनियमावली, 2011 यथा संशोधित-2015 में पुश्तैनी अथवा गैर पुश्तैनी काश्तकार परिभाषित नहीं है। यद्यपि उक्त विनियमावली में परिवार की परिभाषा निम्नवत् वर्णित है :-

''परिवार का तात्पर्य ऐसे कृषक परिवार से है, जिसकी भूमि प्राधिकरण द्वारा अर्जित की गयी हो अथवा अर्जित की जानी प्रस्तावित हो तथा वह प्राधिकरण के गठन से पूर्व प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र का मूल निवासी हो। प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र का मूल निवासी न होने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की स्थापना के दिनांक 17 अप्रैल, 1976 को या उक्त दिनांक से पूर्व से जिला गौतमबुद्धनगर में वर्तमान में सम्मिलित ग्राम का मूल निवासी हो तथा उसका नाम वार्षिक रजिस्टर (खतौनी) में दर्ज हो। पति/पत्नी व अवयस्क सन्तान को कृषक का परिवार माना जायेगा तथा उसके वयस्क पुत्र/पुत्रों के परिवार को इस विनियमावली के उद्देश्य के लिये पृथक-पृथक परिवार माना जायेगा।''

शासनादेश संख्या-1216/77-3-10-184-अर्जन/09, दिनांक 24-04-2010 तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबन्धन एवं विनियमितीकरण) विनियमावली, 2011 यथा संशोधित-2015 के प्राविधानों में गठित समिति द्वारा सम्यक् सुनवाई के उपरान्त 2192 प्रकरणों में पट्टा प्रलेख (लीज बैंक) किये जाने की संस्तुति को प्राधिकरण बोर्ड की विभिन्न बैठकों द्वारा अनुमोदित किया गया।

जी हां।

जी नहीं। जांच रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना अथॉरिटी क्षेत्र के स्थानीय किसानों के बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिये जाने की पॉलिसी के सम्बन्ध में

30-श्री मदन भैया-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के गठन के बाइलॉज में जिन किसानों की भूमि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अर्जित की जाएगी उनके परिवार के बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिये जाने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को इन प्राधिकरणों द्वारा आवंटित भू-खण्डों की लीज शर्तों में स्थानीय किसानों के बच्चों को रोजगार देने को शर्त में जोड़ा गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नये भू-अर्जन अधिनियम, 2013 में भी उन किसानों के पात्र बेरोजगार बच्चों को अनिवार्य रोजगार देने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण द्वारा रोजगार देने की कोई पॉलिसी बनाई गई है ? यदि हां, तो उक्त पॉलिसी क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित नये भू-अर्जन अधिनियम भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 प्रदेश में 01 जनवरी, 2014 से प्रभावी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं। भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 तथा भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 2016 में प्राविधानित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के तहत अर्जन से प्रभावित किसानों को अनुमन्य लाभ दिये जाने का प्रावधान अधिनियम के शेड्यूल-2 में प्राविधानित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30/2013) दिनांक 01-01-2014 को प्रवृत्त है।

उक्त अधिनियम के आलोक में उ0 प्र0 शासन की अधिसूचना दिनांक 23-11-2016 से भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 2016 प्रवृत्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में औद्योगिक मिशन संचालित/लागू करने के सम्बन्ध में

31-श्री जगदीश नारायण-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक मिशन संचालित है ? यदि हां, तो उक्त योजना किन-किन जनपदों में लागू है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना अन्तर्गत प्रदेश में कौन-कौन से कार्य किये जाते हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

जी हाँ।

प्रदेश सरकार राज्य में औद्योगीकरण हेतु प्रतिबद्ध है। इसी के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 का प्रख्यापन किया गया है। साथ ही विभिन्न 20 सेक्टोरल नीतियाँ यथा निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना, उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, उ0प्र0 हैण्डलूम, पॉवरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग नीति, उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति, उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, उ0प्र0 आई0टी0 स्टार्टअप नीति, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति, उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति, उ0प्र0 पर्यटन नीति, जैव ऊर्जा प्रोत्साहन कार्यक्रम, उ0प्र0 फार्मास्युटिकल उद्योग नीति, उ0प्र0 वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति, उ0प्र0 फिल्म नीति, उ0प्र0 दुग्ध नीति, एक जनपद एक उत्पाद योजना, उ0प्र0 इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति, उ0प्र0 स्टार्टअप नीति, कोविड महामारी के परिप्रेक्ष्य में त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति, उ0प्र0 डाटा सेण्टर नीति तथा उ0प्र0 आक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 को भी प्रख्यापित किया गया है। यह नीतियां प्रदेश के समस्त जनपदों हेतु लागू हैं।

प्रदेश के समस्त उद्यमियों/निवेशकों/विकासकर्ताओं को हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट किये जाने की व्यवस्था है। इसी क्रम में मुख्य मंत्री उद्यमी मित्र योजना लागू की गई है और इसके अन्तर्गत प्रदेश में 105 उद्यमी मित्रों को चयनित करके प्रदेश के विभिन्न जनपदों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में पदस्थापित किया गया है। उद्यमी मित्रों के मुख्य कार्य एवं दायित्व उद्यमियों की समस्या का निराकरण करना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खेलों कों प्रोत्साहन देने हेतु स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रकचर को बेहतर करने तथा स्टेडियम और सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस स्थापित करने के सम्बन्ध में

32-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन देने स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रकचर को बेहतर करने तथा स्टेडियम और सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? क्या सरकार जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के कस्बा चाँदपुर व बास्टा में स्टेडियम बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हां।

प्रदेश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा खेल विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

खेल विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनायें-

1-प्रशिक्षण,

2-आवासीय क्रीड़ा छात्रावास,

3-प्रतियोगिता,

4-विशेष प्रशिक्षण शिविर एवं किट की व्यवस्था,

5-लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार,

6-राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाडियों को पुरस्कार,

7-प्रदेश के भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाडियों को पहलवानों को वित्तीय सहायता,

8-स्पोर्ट्स कालेजेज,

9-प्रदेशीय क्रीड़ा संघों/क्लबों एवं समितियों को अनुदान।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 83 स्टेडियम निर्मित हैं, जहाँ तक सेन्टर आफ एक्सिलेन्स का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खेलों को प्रोत्साहन देने की दिशा में तथा खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से प्रदेश में 16 खेलों में 18 जनपदों में कुल 890 (670 बालक एवं 220 बालिका) खिलाड़ियों हेतु 44 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। आवासीय छात्रावास के अन्तर्गत रहने वाले खिलाड़ियों को

रु0 375/- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से भोजन, आवासीय सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा, खेल किट, उपकरण आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

इसके अतिरिक्त 03 स्पोर्ट्स कॉलेजेज क्रमशः गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर एवं मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कालेज, सैफई (इटावा) की स्थापना की गई है, इन कॉलेजों में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के 12 वर्ष की आयु के बच्चों का चयन कर प्रवेश दिया जाता है और उनके अध्ययन तथा विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था इसी आवासीय संस्था में एक स्थान पर की जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में खेल विभाग द्वारा पूर्व से ही एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कराया गया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत मुख्य खेल मैदान, प्रशासनिक भवन, बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल, बॉस्केटबाल कोर्ट सीमेंटेड, शूटिंग रेंज एवं तरणताल का निर्माण कराया जा चुका है। जहाँ पर जनपद बिजनौर के उदीयमान खिलाड़ियों को खेल का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में वर्ष 2022-2023 में अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी विषयक

33-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में वर्ष 2022-2023 में कितने अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कार्यवाही में कितने लोग वांछित थे तथा वांछित लोगों में कितनों की गिरफ्तारी की गयी तथा कितनों को गिरफ्तार किया जाना शेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जनपद बिजनौर के चाँदपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2022-2023 में अवैध शराब/ मादक पदार्थों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2022 से दिनांक 31-03-2023 तक आबकारी विभाग, जनपद बिजनौर द्वारा कुल 183 अभियोग आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये हैं। आलोच्य अवधि में आबकारी विभाग द्वारा कुल 1950 छापे मारे गये एवं 7867.20 ब0ली0 अवैध शराब बरामद की गयी एवं उक्त अवधि में कुल 84 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की गयी तथा 41 अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

उपर्युक्तानुसार पंजीकृत समस्त अभियोगों में कोई भी गिरफ्तारी हेतु वांछित अभियुक्त शेष नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में युवकों को औद्योगिक प्रशिक्षण का लाभ देने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में

34-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में युवकों को औद्योगिक प्रशिक्षण का लाभ देने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खुलवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के अन्तर्गत युवकों को औद्योगिक प्रशिक्षण का लाभ देने हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाती है। जनपद बिजनौर में विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के जहाँगीरपुर (जलीलपुर) में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निर्माणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में युवा खेल प्रतिभाओं को उभारने हेतु कार्य योजना का संचालन करने के सम्बन्ध में

35-श्री नाहिद हसन-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में युवा खेल प्रतिभाओं को उभारने हेतु वर्तमान में किन-किन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ? क्या ब्लाक व ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में कबड्डी, वालीबाल, फुटबाल, कुश्ती आदि खेलों के प्रोत्साहन हेतु बनाई गयी कार्य योजना का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को उभारने हेतु युवा कल्याण विभाग में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण खेल-कूद प्रतियोगिता (जिला योजना), ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण, ग्रामीण स्टेडियमों का संचालन एवं अनुरक्षण, विभिन्न आयु वर्ग में खेल प्रतियोगिताओं

का आयोजन तथा ग्राम पंचायत स्तर पर गठित युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री (खेल किट) उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी योजना तथा भारत सरकार की खेलो इण्डिया राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खेल अवस्थापना सृजन सम्बन्धी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

जी हाँ।

विधान सभा क्षेत्रवार कार्य योजना नहीं बनाई जाती है, अपितु सम्पूर्ण प्रदेश के ब्लाक स्तर व ग्राम पंचायत स्तर हेतु योजना बनाई गयी है।

उपरोक्तानुसार

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में मण्डी समिति की बिल्डिंग की मरम्मत करने के सम्बन्ध में

36-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में मण्डी समिति की बिल्डिंग का रख-रखाव न होने के कारण बिल्डिंग धराशायी होने के कगार पर है ? क्या सरकार उक्त बिल्डिंग की मरम्मत कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

नवीन मण्डी स्थल चाँदपुर में लगभग 29 वर्ष पूर्व विभिन्न श्रेणी के 19 आवासीय भवन निर्मित कराये गये थे। 29 वर्ष पूर्व निर्मित किसी भी संरचना का क्षरण होना स्वाभाविक है।

वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में नवीन मण्डी/उपमण्डी स्थल निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण के लिए धनराशि प्रस्तावित है और मरम्मत कार्य हेतु इस वर्ष में कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में किसानों को दी जाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को आधार कार्ड से लिंक कराने विषयक

37-श्री मनीष असीजा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में किसानों को दी जाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तेरहवीं किस्त में कितने किसान ऐसे हैं जिनके खातों में धनराशि नहीं पहुँची है ? क्या सरकार बतायेगी कि किस कारण से किसानों के खातों में उक्त किस्त नहीं पहुँची है ? क्या सरकार किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की किस्त

नहीं पहुँचने के मुख्य कारण बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाने की समस्या के निदान हेतु ब्लाकवार किसानों की सूची तैयार करके उनके बैंक खातों से आधार कार्ड को लिंक कराये जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद फिरोजाबाद में कुल 18950 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त की धनराशि नहीं पहुंची है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कृषकों के भू-लेख अंकन और आधार सीडिंग न होने के कारण 13वीं किस्त कृषकों के खाते में नहीं पहुँची है।

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-30/2023/398/12-5-2023-सा0-01/2019, दिनांक 23-03-2023 के अनुपालन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तरीय कैम्प का दिनांक 22-05-2023 से 10-06-2023 तक आयोजन किया गया है एवं तहसील स्तर पर दिनांक 13-06-2023 से 23-06-2023 तक एवं ब्लाक स्तर पर दिनांक 24-06-2023 से अनवरत् आयोजन कर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है तथा यह एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की मण्डी समिति में सार्वजनिक हित के प्रस्ताव यथा-सड़क, नाली, चबूतरे आदि निर्माण कार्यों के प्रस्तावों के लम्बित कार्यों को शुरू कराने के सम्बन्ध में

38-श्री मनीष असीजा-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की मण्डी समिति में सार्वजनिक हित के प्रस्ताव यथा-सड़क, नाली, चबूतरे आदि निर्माण कार्यों के प्रस्तावों के लम्बित कार्यों को स्वीकृत कर कार्य सरकार शुरू करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

नवीन मण्डी स्थल फिरोजाबाद में पूर्व निर्मित दुकानों के आगे खुले चबूतरे के शेड पर क्षतिग्रस्त ए0सी0 शीट की मरम्मत व रंगाई-पुताई कार्य, सब्जी मण्डी के आन्तरिक मार्गों पर सी0सी0 सुदृढ़ीकरण के कार्य एवं आन्तरिक नालियों की मरम्मत के कार्य स्वीकृत हो गये हैं, परन्तु नगरीय निकाय निर्वाचन-2023 की आचार संहिता लागू होने के कारण दिनांक 21-04-2023 को आमंत्रित निविदा को स्थगित कर दिया गया था। नगरीय निकाय

निर्वाचन-2023 की आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त उपनिदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद्, आगरा के निविदा सूचना दिनांक 16-05-2023 द्वारा दिनांक 07-06-2023 तक ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में पात्र लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण हेतु विशेष अभियान चलाये जाने हेतु

39-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में ऐसे कितने पात्र वृद्धावस्था पेंशनधारी हैं जिनके आधार प्रमाणीकरण न होने के कारण पेंशन लेने से वंचित हैं ? क्या सरकार उक्त पात्र लाभार्थियों के आधार कार्ड प्रमाणीकरण कराने हेतु विशेष अभियान चलाते हुये शेष लाभार्थियों को पेंशन दिलवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जनपद फिरोजाबाद में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत कुल 133 पेंशनधारी आधार प्रमाणीकरण न होने के कारण पेंशन लेने से अवशेष हैं।

जी हाँ।

अवशेष लाभार्थियों का बायोमैट्रिक आधार केन्द्र/जनसेवा केन्द्र के माध्यम से के0वाई0सी0 अद्यतन कराने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा सूचित किया गया है। अपडेट आधार विवरण प्राप्त होते ही जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में 80% से ऊपर के पात्र दिव्यांगों को बँटने हेतु 100 मोटराईज्ड रिक्शों का वितरण होने की प्रक्रिया में अत्यन्त विलम्ब करने वोले दोषियों पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

40-श्री मनीष असीजा-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में 80% से ऊपर के पात्र दिव्यांगों को बँटने हेतु 100 मोटराईज्ड रिक्शों का वितरण होने की प्रक्रिया में अत्यन्त विलम्ब हो रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त के लिये जिम्मेवारों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में मोटराईज्ड रिक्शा दिये जाने की योजना संचालित नहीं है, अपितु जनपद फिरोजाबाद में निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल हेतु चयनित एवं पात्र 100 दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया जा चुका है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी में खेलो इण्डिया खेलो के अन्तर्गत मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

41-श्री अताउर रहमान-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी में खेलो इण्डिया खेलो के अन्तर्गत मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार की खेलो इण्डिया खेलो योजना की नवीन संशोधित गाइड लाइन दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 के अनुसार जनपद से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत अली अकबरपुर नवादा में फर्जी भू-लेख लगाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आहरित किये जाने के सम्बन्ध में

42-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत अली अकबरपुर नवादा, विकास खण्ड जैतीपुर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 29-01-2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर 507 लाभार्थी दर्शाए गए हैं ? क्या सरकार की जानकारी है कि उक्त ग्राम पंचायत में राजस्व अभिलेखों के अनुसार व ग्राम पंचायत अभिलेखो के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति न ही निवास करता है, न ही भू-लेख अभिलेखो में कोई नाम दर्ज है, जबकि सैकड़ों अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर माफियाओं द्वारा फर्जी भू-लेख लगाकर पोर्टल पर अपलोड कर व उनके नाम पर फर्जी बैंक खाता लगाकर किसान सम्मान निधि की 12 किस्तें आहरित की जा चुकी हैं ? क्या सरकार पूरी

ग्राम पंचायत के लाभार्थियों के भू-लेख व आहरित बैंक खातो में दर्शाए गए पते व आधार नम्बर की जांच कर सत्यापित लाभार्थियों व बैंक खाता की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही -

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत अली अकबरपुर नवादा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर 585 कृषक पंजीकृत हैं।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत अली अकबरपुर नवादा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर 585 पंजीकृत कृषकों में से 42 कृषक अल्पसंख्यक समुदाय के थे। इन 42 कृषकों को विभाग द्वारा समय-समय पर कराये गये सत्यापन एवं परीक्षण में अपात्र पाये जाने पर इनका स्टाप पेमेन्ट कर दिया गया है।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत अली अकबरपुर नवादा की सूची भारत सरकार द्वारा संचालित पीएम- किसान योजना के पोर्टल (www.pmkisan.gov.in) पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2023 के द्वितीय गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0-42 के उत्तर के क्रम में कार्यवाही विषयक

43-श्री वीर विक्रम सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2023 के द्वितीय गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0-42 के उत्तर के क्रम में क्या व्यवसायिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण दिनांक 10-12-2022 तथा 17-02-2023 को तीन सदस्यीय गठित समिति तथा संयुक्त समिति की टीम में कौन-कौन अधिकारी थे तथा निरीक्षण रिपोर्ट में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रश्नकर्ता/शिकायतकर्ता से साक्ष्य लेकर जांच कार्य पूर्ण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर जांच कार्य पूर्ण कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तिलहर, शाहजहाँपुर के निर्माणाधीन भवन के निर्माण में भ्रष्टाचार एवं निर्माण गुणवत्ता की जांच हेतु निम्न चार सदस्यीय गठित समिति द्वारा दिनांक 12-10-2022 को स्थलीय निरीक्षण किया गया :-

अपर जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।

अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण।

प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शाहजहाँपुर।

उक्त चार सदस्यीय समिति की जांच आख्यायों में आंशिक अन्तर्विरोध होने के कारण जिलाधिकारी शाहजहाँपुर द्वारा 17-02-2023 को निर्माणाधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तिलहर का स्थलीय निरीक्षण नवगठित समिति से कराया गया, जिसमें प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रौजा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रा0ख0 एवं जिला विकास अधिकारी, शाहजहाँपुर थे।

निरीक्षण आख्या के अनुसार भवन के निर्माण में चहारदीवारी, टाइप-1 आवास, कार्यशाला, मुख्य भवन, ओवरहेड टैंक, सी0सी0 रोड, गार्ड रूम के निर्माण कार्य में गम्भीर अनियमितताएं पाई गई हैं, भवन निर्माण कार्य में मानकों का पालन नहीं किया गया है।

मुख्य द्वार से प्रवेश करने के उपरान्त बायीं ओर स्थित टाइप-1 आवास एवं सेप्टिक टैंक का पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण (जैसा कि संरचनात्मक अभियन्ता की राय के अनुसार सुरक्षात्मक गारण्टी हेतु आवश्यक हो), कार्यशाला के अधोमानक टिनशेड का प्रतिस्थापन अथवा भुगतान न्यूनीकरण तथा बाउण्ड्रीवाल को निर्धारित मानक के अनुसार ऊँचा करने, सड़क का पुनर्निर्माण करने व भवन की दीवारों में आ रही सीलन का ट्रीटमेंट, ब्रिक कोबा का नवीनीकरण आदि अन्य कमियों को अभियांत्रिकीय मानक के अनुरूप किये जाने की आवश्यकता बताई गई है।

प्रश्नकर्ता/शिकायतकर्ता से साक्ष्य लेकर जांच कार्य पूर्ण किये जाने का उल्लेख निरीक्षण आख्या में नहीं है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तिलहर, शाहजहाँपुर के निर्माण कार्य के गुणवत्ता की जांच ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की टी0ए0सी0 से कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में उद्योगहीन और पिछड़ेपन को देखते हुए उद्योग लगाने विषयक

44-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में उद्योगहीन और पिछड़ेपन को देखते हुए कोई उद्योग लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

जी हाँ।

प्रदेश के समस्त जनपदों में नई औद्योगिक इकाइयों के स्थापनार्थ प्रदेश सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022' प्रख्यापित की गयी है, जिसमें पूर्वांचल के समस्त जनपदों हेतु नवीन औद्योगिक इकाइयों के स्थापनार्थ विशेष छूट/रियायतें

प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के उद्योगों के स्थापनार्थ लगभग 20 सेक्टोरल नीतियाँ भी प्रख्यापित की गयी हैं। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा माह फरवरी, 2023 में आयोजित 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023' में जनपद-सिद्धार्थनगर हेतु विभिन्न क्षेत्रों में नवीन औद्योगिक इकाई के स्थापनार्थ कुल 133 एम0ओ0यू0 लगभग रुपये 9,656 करोड़ की धनराशि के हस्ताक्षरित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए उनके बीज एवं उनकी उपज के क्रय/विक्रय बाजार किसानों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

45-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए उनके बीज एवं उनकी उपज के क्रय/विक्रय बाजार किसानों को उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

प्रदेश में केन्द्र पोषित, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटा अनाज (मक्का एवं जौ) कार्यक्रम वर्ष 2014-15 से प्रदेश के 28 जनपदों में चलाया जा रहा है। मोटा अनाज (मक्का एवं जौ) के अन्तर्गत क्लस्टर प्रदर्शन एवं सामान्य बीज वितरण में प्रमाणित बीज पर अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-पौष्टिक अनाज (ज्वार, बाजरा, सावां, कोदो एवं रागी) कार्यक्रम वर्ष 2014-15 से प्रदेश के 24 जनपदों में संचालित किया जा रहा है। पौष्टिक अनाज (ज्वार, बाजरा, सावां, कोदो एवं रागी) के अन्तर्गत क्लस्टर प्रदर्शन तथा सामान्य बीज वितरण में प्रमाणित बीज अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है।

दिनांक 01 जनवरी, 2023 से राज्य पोषित 'उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम' स्वीकृत किया गया है। मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलेट्स फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, सावां, कोदो, रागी के निःशुल्क बीज मिनीकिट कृषकों को उपलब्ध कराये गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव, ब्लाक बीघापुर में इन्देमऊ चौराहे पर हॉट बाजार (मण्डी) बनाये जाये विषयक

46-श्री पल्टूराम-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 जयपाल सिंह व्यस्त, मा0 सदस्य, विधान परिषद् का दिनांक 24 फरवरी, 2023 का पत्र जोकि जनपद उन्नाव, ब्लाक बीघापुर में इन्देमऊ चौराहे पर हॉट बाजार (मण्डी) बनाये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी नहीं।

जनपद उन्नाव ब्लाक बीघापुर में इन्देमऊ चौराहे पर हाटपैठ बनाये जाने विषयक डॉ0 जयपाल सिंह व्यस्त, मा0 सदस्य, विधान परिषद् स्तर से कोई पत्र कार्यालय अथवा मंडी परिषद् में प्राप्त नहीं हुआ है।

यद्यपि मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा लिखित एक पत्र दिनांक 25-02-2023 जनपद अमरोहा में कतिपय नवीन सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु मण्डी परिषद् में प्राप्त हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में फसलों के नुकसान के दृष्टिगत बीमा सुरक्षा कवच के अन्तर्गत सभी फसलों को सम्मिलित किये जाने हेतु

47-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में किसानों की फसलों के नुकसान से बचाव के लिये दिया जा रहा बीमा सुरक्षा कवच को सभी फसलों पर देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रदेश के समस्त जनपदों में खरीफ मौसम में फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूँग, तिल, मूँगफली, सोयाबीन व अरहर तथा रबी मौसम में फसल गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, अलसी व आलू को ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित करते हुए संचालित कराया जा रहा है। यह योजना सभी कृषकों हेतु स्वैच्छिक आधार पर लागू की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के कस्बा चाँदपुर में युवाओं के दैनिक अभ्यास एवं प्रोत्साहन हेतु सरकार खेल स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

48-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के कस्बा चाँदपुर में युवाओं के दैनिक अभ्यास एवं प्रोत्साहन हेतु सरकार खेल स्टेडियम का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बिजनौर में मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बिजनौर, ग्राम-शेखपुरा, विकास खण्ड-देवमल में एक ग्रामीण स्टेडियम निर्माणाधीन है।

युवा कल्याण विभाग द्वारा भूमि व बजट की उपलब्धता के आधार पर शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 के प्रावधानानुसार सर्वप्रथम उन जनपदों में ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा, जहाँ पर एक भी विभागीय स्टेडियम पूर्व से निर्मित नहीं है।

जनपद बिजनौर में वर्ष 2018 में वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की जानकारी के सम्बन्ध में

49-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ मिला ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जनपद बिजनौर में वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक 12824 लाभार्थियों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया।

विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में वर्तमान में कुल पंजीकृत दिव्यांगजनों की जानकारी एवं ट्राईसाइकिल वितरण करने के सम्बन्ध में

50-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में वर्तमान में कुल कितने दिव्यांगजन पंजीकृत हैं एवं कितनों को ट्राईसाइकिल का वितरण कर दिया

नोट :-[†] देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ संख्या-395 पर।

गया है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद बिजनौर में निःशुल्क ट्राईसाइकिल प्राप्त करने हेतु कुल 215 दिव्यांगजन पंजीकृत हुए, पंजीकृत 215 दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल प्रदान कर दी गयी तथा कोई पंजीकृत दिव्यांगजन शेष नहीं है।

उक्तानुसार।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के सचिवालय कालोनी, महानगर में कतिपय मकानों के बाहर बाउण्ड्रीवाल, नाली निर्माण आदि कराये जाने के सम्बन्ध में

51-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सचिवालय कालोनी, महानगर में मकान संख्या-सी-61, सी-62, सी-63, सी-64 आदि मकानों के चारों ओर बाउन्ड्रीवाल न होने तथा पीछे से प्रवाहित खुली नाली एवं बड़े-बड़े झाड़ियों के कारण जंगली जानवरों के आने का खतरा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मकानों के पीछे पक्की नाली का निर्माण तथा साफ-सफाई की व्यवस्था करायेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त मकानों के चारों तरफ बाउन्ड्रीवाल का निर्माण व इन्ट्री गेट से मकान के चारों तरफ इण्टरलॉकिंग का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जी नहीं।

आवासों के मुख्य द्वार की तरफ सड़क की ओर लोहे की जाली व गेट लगा हुआ है, जिससे उक्त ब्लाक सुरक्षित है।

उक्त आवासों का सीवर का पानी चैम्बरों से जुड़ा हुआ है तथा वर्षा का पानी वर्षा बन्द होने के उपरान्त प्राकृतिक ढलान के कारण अपने आप निकल जाता है।

उक्त आवासों के पीछे झाड़ियों को कटवा दिया गया है।

मेन गेट से उक्त आवासों तक ईट खड़न्जा लगा हुआ है जो सही स्थिति में है। उक्त आवास के चारों तरफ इण्टरलॉकिंग कार्य की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन बंगला बाजार लखनऊ स्थित सचिवालय कालोनी का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में

52-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन बंगला बाजार लखनऊ स्थित सचिवालय कालोनी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कालोनी के जीर्णोद्धार हेतु समय-सीमा निर्धारित करते हुये निर्माण/अनुरक्षण कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। जनपद लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन सेक्टर-एल, एल0डी0ए0 कालोनी, बंगला बाजार, कानपुर रोड जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है।

उक्त कालोनी की मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्यों के लिए अधिशासी अभियन्ता, सिविल अनुरक्षण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत आगणन रु0 14.46 लाख के सापेक्ष राज्य सम्पत्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-आ-784/32-4/001-31-2023, दिनांक 04 अगस्त, 2023 द्वारा धनराशि रु0 14.46 लाख की स्वीकृति निर्गत कर दी गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के ग्रामीण क्षेत्र में मिनी स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में

53-श्री हंसु राम-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिये मिनी स्टेडियम बनाने का सरकार के पास कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

जनपद बलिया में पूर्व से ही 02 विभागीय ग्रामीण स्टेडियम स्थापित है।

युवा कल्याण विभाग द्वारा भूमि व बजट की उपलब्धता के आधार पर शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 के प्रावधानानुसार सर्वप्रथम उन जनपदों में ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा, जहाँ पर एक भी विभागीय स्टेडियम पूर्व से निर्मित नहीं है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा और घाघरा नदी के कटान से प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक खेती की प्रशिक्षण की योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

54-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा और घाघरा नदी के कटान से प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक खेती की प्रशिक्षण की योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

जनपद बलिया में एन0एफ0एस0एम0 योजनान्तर्गत चावल, गेहूं, दलहन, कोर्स सीरियल्स (मक्का एवं जौ) एवं उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न मदों के साथ-साथ कृषक प्रशिक्षण तथा फसल उत्पादन के कार्यक्रमों का प्रचार भी किया जा रहा है। यह कार्यक्रम जिले के सभी ब्लाक/विकास खण्डों में चलाया जा रहा है, जिसमें बैरिया क्षेत्र भी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद शाहजहांपुर में अवैध शराब की बिक्री के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक

55-डॉ0 वीर विक्रम सिंह-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में अवैध शराब पकड़े जाने पर आबकारी निरीक्षक द्वारा थाना गढ़िया रंगीन में दिनांक 08-03-23 को धारा-60 (1) में अभियोग पंजीकृत कराया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त क्षेत्र में तैनात आबकारी निरीक्षक की मिलीभगत से अवैध शराब की बिक्री की जा रही है ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

दिनांक 08-03-2023 को थाना गढ़िया रंगीन में एफ0आई0आर0 संख्या-0101, दिनांक 08-03-2023 को आबकारी अधिनियम की धारा-60(1) में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है।

जी हाँ। दोषी पाये जाने की दशा में सरकार द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता के महानिदेशक प्रान्तीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

56-डॉ0 वीर विक्रम सिंह-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-14715 जो दिनांक 20-12-21 जो महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित है तथा युवा कल्याण अधिकारी शाहजहांपुर के द्वारा गठित युवक मंगल दल बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर व ग्राम प्रधान के बिना जानकारी दिये गठन करने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में हाजीपुर-अन्जान शहीद मार्ग से बनावें तक मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित रोड का निर्माण करने के सम्बन्ध में

57-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में हाजीपुर-अन्जान शहीद मार्ग से बनावें तक लगभग 1 किमी0 मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित रोड पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग हाजीपुर अन्जान शहीद मार्ग से बाजार गोसाई (लम्बाई 1.00 किमी0) तक के नाम से मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित हैं। उक्त मार्ग का लगभग 0.80 किमी0 भाग घनी आबादी क्षेत्र में स्थित होने एवं जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण

क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्राम पंचायत में जल निकासी व्यवस्था का उत्तरदायित्व पंचायती राज विभाग का है। जल निकासी की व्यवस्था होने तथा मण्डी की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति-2013 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में प्रस्तावित किया जाना लक्षित होगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खेलो इण्डिया खेलो राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम की योजना के अन्तर्गत मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण की जानकारी विषयक

58-श्री तसलीम अहमद-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेलो इण्डिया खेलो राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम की योजना संचालित है ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अब तक कितने मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कार्य कराया जा चुका है तथा कितना कराया जाना शेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

युवा कल्याण विभाग में उक्त योजना के अन्तर्गत कुल स्वीकृत 21 स्थानों में से 15 स्थानों पर मल्टीपरपज हॉल का निर्माण कराया जा चुका है तथा 06 स्थानों पर मल्टीपरपज हॉल निर्माणाधीन है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में खेलो इण्डिया खेलो के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

59-श्री तसलीम अहमद-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में खेलो इण्डिया खेलो के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में भूमि चिन्हित कर मिनी स्टेडियम का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार की खेलो इण्डिया खेलो योजना की नवीन संशोधित गाईड लाइन दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 के अनुसार जनपद से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के युवाओं के लिए मिनी स्टेडियम का निर्माण करने के सम्बन्ध में

60-श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के युवाओं के लिए स्टेडियम या मिनी स्टेडियम न होने के कारण खिलाड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर मिनी स्टेडियम का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(1) जनपद देवरिया में मनरेगा योजना से 26 खेल मैदान एवं 14 ओपेन जिम स्थापित है।

(2) ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम निर्माण योजना के शासनादेश संख्या-1/286709/2023/50-1099/18/2022, दिनांक 14 मार्च, 2023 द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड में ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण भूमि एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार कराया जाता है।

प्रदेश में यू0पी0 कौशल सतरंग योजना 2022 के अन्तर्गत लाभार्थियों का जनपद वार विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

61-श्री पंकज पटेल-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यू0पी0 कौशल सतरंग योजना 2022 संचालित है ? यदि हां, तो उक्त योजना का प्रारूप क्या है ? क्या सरकार बताएगी कि उक्त योजना के प्रारम्भ से अब तक कुल कितने लाभार्थियों को कितनी धनराशि का लाभ पहुँचाया गया है ? क्या सरकार लाभार्थियों का जनपदवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जी नहीं, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग में 'यू0पी0 कौशल सतरंग योजना, 2022' संचालित नहीं है ।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के प्रत्येक तहसील स्तर पर बच्चों को खेलने हेतु स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में

62-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक तहसील स्तर पर बच्चों को खेलने हेतु स्टेडियम बनाने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के तहसील मुख्यालय आलापुर में स्टेडियम का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

युवा कल्याण विभाग द्वारा विकास खण्ड स्तर पर बजट एवं भूमि की उपलब्धता के आधार पर ही ग्रामीण स्टेडियम व ओपेन जिम का निर्माण कराया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

युवा कल्याण विभाग द्वारा विकास खण्ड स्तर पर बजट एवं भूमि की उपलब्धता के आधार पर ही ग्रामीण स्टेडियम व ओपेन जिम का निर्माण कराया जाता है।

प्रदेश में कृषि विभाग में समूह ख व ग के कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति विषयक

63-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि विभाग में समूह ख व ग के कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति क्या है ? क्या यह सही है कि जनपद बिजनौर में जिला मुख्यालय पर तैनात कार्मिक एक ही स्थान पर स्थानान्तरण नीति के विपरीत कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित कर जनपदीय मण्डल से बाहर स्थानान्तरित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

शासनादेश संख्या-5/2023/262/सामान्य/47-का-4-2023-1/3/96, दिनांक 07 जून, 2023 द्वारा समूह ख एवं ग के कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2023-24 निर्गत की गयी है।

निदेशक कृषि द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या के अनुसार ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के विवरण के सम्बन्ध में

64-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत कोई योजना संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जी हाँ, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा जनपद बिजनौर में संचालित निम्नलिखित कौशल प्रशिक्षण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है :-

1-एस0एस0डी0एफ0 (स्टेट स्किल डेवलपमेंट फण्ड)

2-एस0सी0ए0एस0सी0एस0पी0 (स्पेशल सेन्ट्रल असिस्टेंस टू शिड्यूल्ड कास्ट सब प्लान)

3-पी0एम0के0वी0वाई0 राज्य घटक (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना)

4-डी0डी0यू0जी0के0वाई0 (दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना)

(योजनाओं का विवरण संलग्नक-1 के रूप में संलग्न† है)

प्रश्न नहीं उठता है।

नोट :-† देखिये नत्थी (ङ) आगे पृष्ठ संख्या-396 पर।

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अन्तर्गत जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में औद्योगिक इकाई लगाने विषयक

65-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अन्तर्गत जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में औद्योगिक इकाई लगाने की दिशा में सरकार ने कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हाँ ।

एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बिजनौर का चयनित उत्पाद काष्ठ कला (वुड क्राफ्ट) है। जनपद में ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद से सम्बन्धित इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है :-

एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना :-योजना अन्तर्गत बैंकों द्वारा उद्योगों हेतु वित्त पोषण किया जा रहा है तथा उक्त के सापेक्ष प्राप्त दावों के विरुद्ध सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ओ0डी0ओ0पी0 योजना अन्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से उक्त मार्जिन मनी की धनराशि हेतु ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गयी है।

परियोजना लागत	देय मार्जिन मनी
रु0 25.00 लाख तक	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 6.25 लाख, जो भी कम हो
रु0 25.00 लाख से अधिक एवं रु0 50.00 लाख तक की परियोजना	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अथवा रु0 6.25 लाख, जो भी अधिक हो
रु0 50.00 लाख से अधिक एवं रु0 150.00 लाख तक की परियोजना	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अथवा रु0 10.00 लाख, जो भी अधिक हो
रु0 150.00 लाख से अधिक की परियोजना	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम रु0 20.00 लाख, जो भी कम हो

उक्त योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2018-19 से किया जा रहा है। योजना प्रारम्भ से मार्च, 2023 तक जनपद बिजनौर में अद्यतन रु0 4636.00 लाख परियोजना लागत की 303 इकाइयों की स्थापना की गयी है, जिसमें रु0 1130.92 लाख मार्जिन मनी के रूप में

उपादान उपलब्ध कराया गया है। अतः उक्त इकाइयों की स्थापना द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 3718 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना :-इस योजना के अन्तर्गत जनपद के चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के अवयवों जैसे- कच्चा माल, डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण, पैकेजिंग आदि की सुविधाओं हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्राविधान है। कुल रु0 15 करोड़ लागत तक की परियोजनायें योजनान्तर्गत स्थापित की जा सकती हैं। उक्त हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राज्य सरकार के अंशदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

योजना प्रारम्भ से मार्च, 2023 तक जनपद बिजनौर में 03 सी0एफ0सी0 परियोजनायें स्वीकृत हैं। (जनपद बिजनौर में एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से मार्च, 2023 तक हुई भौतिक, वित्तीय तथा रोजगार सृजन की प्रगति/ ओ0डी0ओ0पी0 सामान्य सुविधा केन्द्र योजनान्तर्गत जनपद बिजनौर में स्वीकृत/निर्माणाधीन 03 परियोजनाओं का विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कक्षा 6, 9 व 11 में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को मुफ्त साइकिल और यूनिफार्म प्रदान करने के सम्बन्ध में

66-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कक्षा 6, 9 व 11 में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को मुफ्त साइकिल और यूनिफार्म देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

जनजाति विकास विभाग द्वारा कक्षा 6, 9 व 11 में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति की छात्राएं जो विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों अथवा अन्य किसी आवासीय विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं बल्कि दूसरे विद्यालयों में पढ़ती हैं, को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से यूनीफार्म व साइकिल प्रदान किये जाने की योजना संचालित है।

नोट :-[†] देखिये नत्थी (च) आगे पृष्ठ संख्या-397-398 पर।

2-शासनादेश संख्या-150/2018/1094/26-3-2018-50 (एस0एन0डी0)/03 दिनांक 26 जून, 2018 द्वारा योजना के संचालन हेतु साइकिल हेतु रु0 3300/- तथा यूनीफार्म हेतु रु0 700/- कुल रु0 4000/- की दर निर्धारित है।

3-चयनित छात्राओं को साइकिल प्रदान की जाती है तथा यूनीफार्म (शीतकालीन/ ग्रीष्मकालीन स्कूल ड्रेस तथा जूते-मोजे) हेतु धनराशि सम्बन्धित छात्रा को उसके खाते में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

4-छात्राओं की संख्या बजट की उपलब्धता तक सीमित रखी जाती है।

5-छात्राओं का चयन उनके कक्षा 5, 8 व 10 में प्राप्त शैक्षिक प्राप्तांक (मेरिट) के आधार पर किया जाता है।

6-वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनान्तर्गत धनराशि रु0 100.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अपात्र व्यक्तियों द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

67-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री सम्मान निधि ले रहे कितने लोग सत्यापन में दिनांक 26-03-23 तक अपात्र पाए गए ? क्या सरकार अपात्रों को किसान सम्मान निधि दिलाने के जिम्मेदारों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कृषकों को लाभ प्राप्त करने हेतु एक सतत् योजना है, जिसमें किसान द्वारा स्वयं स्वघोषणा-पत्र के माध्यम से अपनी पात्रता घोषित करते हुए पंजीकरण करा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा आयकर विभाग, भारत सरकार से सीधे डाटा प्राप्त कर परीक्षण के आधार पर 3,76,347 कृषकों को आयकर दाता होने के कारण अपात्र चिन्हित करते हुए भुगतान को रोक दिया गया है ।

प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर भौतिक सत्यापन कराया गया, जिसमें योजना की पात्रता के मानक के अनुरूप न होने यथा एक ही परिवार के सदस्यों को लाभ लेने, पेंशन धारक होने, भूमिहीन होने, सरकारी सेवक होने तथा अन्य कारणों से कुल 1,86,870 अपात्र कृषक चिन्हित किये गये।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में अपात्रों द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना लेने के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

68-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन लेने वालों में दिनांक 27-03-23 तक कितने अपात्र चिन्हित किये गये हैं ? क्या सरकार ने अपात्र लोगों से वसूली तथा अपात्रों को पेंशन स्वीकृत करने वाले दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

योजनान्तर्गत अपात्र पाये गये पेंशनर पूर्व में वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र थे। वृद्धजनों के परिवार में से किसी सदस्य के सेवायोजित हो जाने अथवा अन्य कारणों से आय में वृद्धि हो जाने के कारण जो वृद्धजन अपात्र हो गये हैं, ऐसे पेंशनरों की पेंशन निरस्त कर दी गयी है। जिस समय उक्त वृद्धजनों की पेंशन स्वीकृत की गयी थी तथा जिस अवधि में उनके द्वारा पेंशन प्राप्त की गयी, उस अवधि में वे पात्रता की श्रेणी में थे।

प्रदेश में कतिपय फसलों हेतु बीमा लागू किये जाने के सम्बन्ध में

69-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में केला, मिर्च, पान, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मटर एवं आम की फसलों हेतु प्रदेश में बीमा योजना लागू है ? यदि हां, तो इन फसलों का बीमा प्राप्त करने की संक्षिप्त प्रक्रिया सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना ब्लाक स्तर को इकाई मानते हुए प्रदेश के चयनित जनपदों में संचालित की जा रही है। यह योजना औद्यानिक फसलों खरीफ मौसम में फसल केला, मिर्च व पान तथा रबी मौसम में फसल टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मटर व आम को अधिसूचित करते हुए प्रदेश के 60 जनपदों के 550 फसल बाहुल्य चयनित विकास खण्डों को अधिसूचित करते हुए क्रियान्वित करायी जा रही है। इसके अन्तर्गत मौसम सम्बन्धी कारक यथा वर्षा, तापमान, आर्द्रता की गति से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है। योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। यदि ऋणी कृषक योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो

अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से अवगत कराना होगा। गैर ऋणी कृषक निकटतम बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के बीमा मध्यस्थ/कामन सर्विस सेन्टर (सीएससी)/फसल बीमा पोर्टल पर ऑनलाईन बीमा करा सकेंगे।

बीमा कराने हेतु आवश्यक प्रपत्र :-

आधार कार्ड (अद्यतन)।

भूमि स्वामित्व दस्तावेज अधिकार का रिकार्ड (आरओआर) और भूमि कब्जा प्रमाण-पत्र (एलपीसी)।

बैंक पासबुक (प्रथम पृष्ठ-बैंक खातों के विवरण के साथ)।

फसल बुवाई प्रमाण-पत्र।

बटाईदार किसान या किराये पर ली गयी भूमि की स्थिति में, भूमि के मालिक के साथ अनुबन्ध समझौता, किराया/पट्टा विलेख, भूमि के मालिक का सुस्पष्ट आधार कार्ड तथा मोबाइल नम्बर इत्यादि।

कृषक का मोबाईल नम्बर (बीमा कम्पनी से किसी भी सूचना के लिए)।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने हेतु जनपदवार स्थापित उद्योगों की जानकारी

70-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस-किस जनपद में कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा समस्त 75 जनपदों में निम्न उत्पादों को ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के रूप में बढ़ावा देने हेतु चयनित किया गया है :-

क्र0-सं0	जनपद का नाम	ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद का नाम
1	आगरा	चमड़े के उत्पाद एवं संगमरमर पर जड़ना कार्य

क्र0-सं0	जनपद का नाम	ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद का नाम
2	मथुरा	स्वच्छता सम्बन्धी उपकरण तथा ठाकुरजी की पोशाक, श्रृंगार मूर्ति एवं कण्ठी माला उत्पाद
3	मैनपुरी	तारकशी कला तथा वस्त्र सिलाई एवं कढ़ाई (जरी जरदोजी)
4	फिरोजाबाद	कांच उत्पाद
5	अलीगढ़	ताले एवं हार्डवेयर, धातु शिल्पकला
6	कासगंज	जरी जरदोजी
7	एटा	घुंघरू घंटी एवं पीतल उत्पाद
8	हाथरस	हींग प्रसस्करण, सिले सिलाये वस्त्र
9	अयोध्या	गुड़ उत्पाद
10	सुल्तानपुर	मूंज उत्पाद तथा आयरन एण्ड स्टील फैब्रीकेशन
11	बाराबंकी	हथकरघा एवं वस्त्र उत्पाद
12	अम्बेडकरनगर	वस्त्र उत्पाद
13	अमेठी	मूंज उत्पाद एवं खाद्य प्रसंस्करण
14	आजमगढ़	काली मिट्टी की कलाकृतियाँ एवं वस्त्र उत्पाद (रेशमी साड़ी)
15	बलिया	बिंदी
16	मऊ	वस्त्र उत्पाद
17	बरेली	जरी जरदोजी एवं बांस के उत्पाद/सुनारी उद्योग
18	बदायूं	जरी जरदोजी
19	पीलीभीत	बांसुरी, काष्ठ उत्पाद
20	शाहजहांपुर	जरी जरदोजी
21	बस्ती	काष्ठ शिल्प (वुड क्राफ्ट) एवं सिरका उत्पाद
22	संतकबीरनगर	पीतल के बर्तन एवं होजरी उत्पाद
23	सिद्धार्थनगर	खाद्य प्रसंस्करण (काला नमक चावल)

क्र0-सं0	जनपद का नाम	ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद का नाम
24	चित्रकूट	लकड़ी के खिलौने एवं काष्ठ कला उत्पाद
25	बांदा	शजर पत्थर शिल्प
26	हमीरपुर	जूती
27	महोबा	गोरा पत्थर शिल्प एवं धातु शिल्प
28	गोण्डा	खाद्य प्रसंस्करण
29	बहराइच	गेहूँ के डंठल की कलाकृतियाँ एवं खाद्य प्रसंस्करण
30	श्रावस्ती	जनजातीय शिल्प (ट्राइबल काफ्ट) एवं फर्नीचर
31	बलरामपुर	खाद्य प्रसंस्करण (दाल)
32	गोरखपुर	मिट्टी के बर्तन (टेराकोटा) तथा रेडीमेड गारमेंट्स उत्पाद
33	कुशीनगर	केले के रेशे से बने उत्पाद तथा केले के उत्पाद
34	देवरिया	सजावटी उत्पाद तथा कढ़ाई, बुनाई सम्बन्धी उत्पाद एवं रेडीमेड गारमेंट्स उत्पाद
35	महराजगंज	फर्नीचर
36	झांसी	कोमल खिलौने (साफ्ट ट्वायज) एवं वस्त्र उत्पाद
37	ललितपुर	जरी सिल्क साड़ी तथा खाद्य प्रसंस्करण, स्कूल ड्रेस (रेडीमेड गारमेन्ट्स/होजरी)
38	जालौन	हस्त निर्मित कागज एवं मटर प्रसंस्करण
39	कानपुर नगर	चमड़े के उत्पाद तथा होजरी एवं टेक्सटाइल उत्पाद
40	कानपुर देहात	एल्युमीनियम के बर्तन एवं प्लास्टिक उत्पाद
41	इटावा	वस्त्र उत्पाद तथा सिलाई (टेलरिंग) तथा वस्त्र कढ़ाई
42	औरैया	देसी घी एवं दुग्ध उत्पाद
43	फर्रुखाबाद	वस्त्र छपाई (टेक्सटाइल प्रिंटिंग) तथा जरी जरदोजी
44	कन्नौज	इत्र उत्पाद तथा अगरबत्ती व धूपबत्ती उत्पाद
45	लखनऊ	चिकनकारी एवं जरी जरदोजी
46	रायबरेली	काष्ठ कला (वुड वर्क)

क्र0-सं0	जनपद का नाम	ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद का नाम
47	उन्नाव	जरी जरदोजी तथा चर्म उत्पाद
48	हरदोई	हथकरघा एवं वस्त्र उत्पाद
49	सीतापुर	दरी
50	लखीमपुर खीरी	जनजातीय शिल्प (ट्राइबल काफ्ट) एवं गुड़ उत्पाद
51	मेरठ	खेल का सामान
52	बागपत	घरेलू सजावटी सामान
53	गाजियाबाद	यांत्रिकी उत्पाद
54	बुलन्दशहर	सिरेमिक्स उत्पाद
55	गौतमबुद्ध नगर	सिले सिलाए वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद
56	हापुड़	घरेलू सजावटी सामान
57	मुरादाबाद	धातु शिल्प
58	रामपुर	पैचवर्क के साथ एप्लिक वर्क, जरी पैच वर्क तथा मेंथा
59	बिजनौर	काष्ठ शिल्प (वुड काफ्ट)
60	अमरोहा	वाद्य यंत्र (ढोलक) एवं रेडीमेड गारमेंट्स
61	सम्भल	सींघ एवं अस्थि उत्पाद
62	मिर्जापुर	कालीन तथा मेटल उद्योग (ब्रास)
63	सोनभद्र	कालीन
64	संतरविदासनगर (भदोही)	कालीन
65	प्रयागराज	मूंज उत्पाद एवं फूड प्रोसेसिंग
66	फतेहपुर	बेडशीट एवं आयरन फैब्रीकेशन वर्क्स
67	प्रतापगढ़	खाद्य प्रसंस्करण (आँवला)
68	कौशाम्बी	खाद्य प्रसंस्करण (केला एवं अमरूद)
69	सहारनपुर	काष्ठ शिल्प (वुड कार्निंग)
70	मुजफ्फरनगर	गुड़ उत्पाद
71	शामली	लौह कला

क्र0-सं0	जनपद का नाम	ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद का नाम
72	वाराणसी	रेशम उत्पाद तथा गुलाबी मीनाकारी, वूडेन लेकर वेयर व ट्वायज
73	गाजीपुर	जूट वॉल हैंगिंग्स
74	जौनपुर	ऊनी दरी
75	चंदौली	जरी जरदोजी, काला चावल

एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश के जिन-जिन जनपदों में जिन-जिन उत्पादों का चयन किया गया है, उन उत्पादों से सम्बन्धित उद्योग सम्बन्धित जनपदों में स्थापित किये गये हैं। उपरोक्त चयनित उत्पादों से सम्बन्धित उद्योगों के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है :-

1-ओ0डी0ओ0पी0 वित्त पोषण योजना-

इस योजना के अन्तर्गत, योजना प्रारम्भ से मार्च, 2023 तक प्रदेश की कुल 11,988 इकाइयों को रु0 283836.91 लाख बैंकों से ऋण दिलाते हुये कुल रु0 43505.81 लाख मार्जिन मनी वितरण किया गया है।

2-ओ0डी0ओ0पी0 प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना-

इस योजना के अन्तर्गत योजना प्रारम्भ से मार्च, 2023 तक प्रदेश स्तर पर कुल 83472 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करते हुये 80872 लाभार्थियों को उन्नत किस्म के टूलकिट वितरित किये गये हैं।

3-ओ0डी0ओ0पी0 सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना-

इस योजना के अन्तर्गत अब तक 23 जनपदों की कुल 28 सी0एफ0सी0 परियोजनाओं को अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें से 07 सी0एफ0सी0 परियोजनाओं के निर्माण/स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा मा0 मुख्य मंत्री जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पित किया जा चुका है। (उ0प्र0 राज्य की ओ0डी0ओ0पी0, सी0एफ0सी0 योजना के अन्तर्गत कुल स्वीकृत 28 परियोजनाओं का विवरण/एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की प्रगति रिपोर्ट/एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना की भौतिक, वित्तीय तथा रोजगार सृजन की प्रगति का विवरण संलग्न † है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-† देखिये नत्थी (छ) आगे पृष्ठ संख्या-399-405 पर।

जनपद शामली में कोई नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित/विकसित करने के सम्बन्ध में

71-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में कोई नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित/विकसित करने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जनपद शामली में औद्योगिक भू-खण्डों की माँग नहीं होने के कारण वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित/विकसित करने की योजना नहीं बनाई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विकलांग कोटे के खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि दिए जाने के सम्बन्ध में

72-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विकलांग कोटे के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु सरकार की आगामी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि दिए जाने कि कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हां।

शासनादेश संख्या-1617/बयालीस 2020-135 (विविध)/2013, दिनांक 30-09-2020 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश के बिन्दु संख्या-03 के प्रस्तर-01 में सामान्य खिलाड़ियों की भांति दिव्यांगजन खिलाड़ियों को भी नियमानुसार समस्त सुविधाएं प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

शासनादेश संख्या-3992/बयालीस 2001-33/एस0पी0/2/82, दिनांक 14-12-2001 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले राष्ट्रीय टीम के एकल खिलाड़ियों को, जिन्हें ऑफिशियाली प्रायोजित किया गया हो, प्रदेशीय खिलाड़ियों को पचास प्रतिशत हवाई किराया साधारण दर्जे का अधिकतम रुपये 15,000/- या वास्तविक किराया, जो भी कम हो, किट चार्जेज एवं पॉकेट एलाउन्स रुपये 5,000/- अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिये योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

73-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हाँ।

प्रदेश में खादी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही हैं :-

पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के अन्तर्गत खादी संस्थाओं को उत्पादन लागत पर 15 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है, जिसका 34 प्रतिशत अंश खादी उत्पादन में कार्यरत कामगारों (कत्तिन/बुनकरों) को सीधे उनके बैंक खाते में प्रोत्साहन स्वरूप (बोनस) प्रदान किया जाता है।

खादी के शोध, डिजाइन, मानकीकरण एवं प्रचार-प्रसार- योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान, रायबरेली के सहयोग से वर्तमान बाजार माँग के अनुरूप खादी वस्त्रों का गुणवत्तायुक्त उत्पादन, नई डिजाइनों का समावेश आदि के सम्बन्ध में खादी संस्थाओं में कार्यरत कामगारों को प्रतिवर्ष एक माह का आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है।

सोलर चर्खा प्रशिक्षण एवं वितरण योजना- प्रदेश में खादी के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना संचालित की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में कार्यरत खादी संस्थाओं के माध्यम से चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षणोंपरान्त संस्था के द्वारा सोलर चर्खे वितरित किये जाते हैं, जिससे खादी सूत के उत्पादन में वृद्धि होने से खादी कपड़े के उत्पादन में वृद्धि सहित कत्तिनों के पारिश्रमिक में उचित वृद्धि हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र कालपी के लिये अवमुक्त धनराशि का विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

74-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र कालपी के लिये सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 27 मार्च, 2023 तक कितनी धनराशि अवमुक्त की गई तथा उक्त में से दिनांक 27-03-2023 तक कितनी धनराशि

व्यय की गयी तथा कितने लाभार्थियों को उक्त के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जनपद जालौन में मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र कालपी के लिए (कौशल सुधार प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण योजना हेतु) वर्ष 2017 से 27 मार्च, 2023 तक कुल धनराशि रु0 3,73,95,625.00 (तीन करोड़ तिहत्तर लाख पन्चानबे हजार छः सौ पच्चीस मात्र) अवमुक्त की गई, जिसमें से दिनांक 27-03-2023 तक धनराशि रु0 3,67,90,125.00 (तीन करोड़ सड़सठ लाख नब्बे हजार एक सौ पच्चीस मात्र) व्यय की गयी।

व्यय धनराशि से 5825 लाभार्थियों को कौशल सुधार प्रशिक्षण के माध्यम से स्किल अपग्रेड किया गया तथा 525 लाभार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया, जिनके द्वारा बैंक ऋण के माध्यम से उद्यम इकाई स्थापित की गई।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों द्वारा कोरोना काल में बैंकों द्वारा अथवा के0सी0सी0 कार्ड द्वारा लिये गये ऋण के ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में

75-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों के सहकारी/सरकारी बैंकों के के0सी0सी0 कार्ड पर कोरोनाकाल के ऋण तथा सरकारी बैंकों का ब्याज माफ करने अथवा ब्याज की प्रतिपूर्ति करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा कृषकों को फसली ऋण पर 3 लाख की सीमा तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण की सुविधा प्रदान की गयी है। समय से या उसके पूर्व ऋण की अदायगी करने पर कृषकों को 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज दर पर छूट प्रदान की जाती है, अर्थात् जो कृषक अपने ऋण को समय से या उसके पूर्व अदा करते हैं, उन्हें केवल 4 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज देना पड़ता है।

कृषकों द्वारा के0सी0सी0 पर सहकारी बैंकों से प्राप्त किये गये ऋण पर समय या समय से पूर्व जमा करने पर 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होता है।

के0सी0सी0 कार्ड पर यह सुविधा किसानों को कोरोनाकाल में भी देय रही है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री सम्मान निधि के सत्यापन में अपात्रों को चिन्हित करने विषयक

76-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री सम्मान निधि के सत्यापन में कितने अपात्र चिन्हित किये गये ? क्या सरकार ने उक्त निधि आहरण करने वाले तथा उक्त हेतु स्वीकृत करने के दोषियों पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले कितने व्यक्ति की मृत्य हो गई तथा उक्त के कितने फर्जी व्यक्ति तथा आयकरदाता मिले ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के सत्यापन में 5598 को अपात्र चिन्हित किया गया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कृषकों को लाभ प्राप्त करने हेतु एक सतत् योजना है, जिसमें किसान द्वारा स्वयं स्वघोषणा-पत्र के माध्यम से अपनी पात्रता घोषित करते हुए पंजीकरण कराने की व्यवस्था है। भविष्य में किसी भी प्रकार की अपात्रता की स्थिति की जानकारी पाये जाने पर योजना में अपात्र करते हुए नियमानुसार धनराशि वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाती है। यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है, जो योजना लागू रहने तक अनवरत् रहेगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों में 594 कृषक मृतक, 3496 कृषक आयकरदाता की श्रेणी में एवं 1508 अन्य कारणों से अपात्र हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बेरोजगार युवकों को लघु उद्योगों को शुरू एवं प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत उन्हें आसान किस्तों पर ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में

77-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगार युवकों को लघु उद्योगों को शुरू एवं प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत उन्हें आसान किस्तों पर ब्याज मुक्त ऋण देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

प्रदेश में बेरोजगार युवकों को छोटे एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित एवं प्रारम्भ करने हेतु विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद, एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में रु0 50.00 लाख तक की परियोजनाओं में 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक, मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना में रु0 25.00 लाख तक की परियोजनाओं हेतु 25 प्रतिशत तथा ओ0डी0ओ0पी0 ऋण योजनान्तर्गत परियोजनाओं हेतु 10 से 25 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जाता है, इसके अतिरिक्त विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना एवं ओ0डी0ओ0पी टूलकिट प्रशिक्षण योजना के माध्यम से युवाओं को उचित प्रशिक्षण एवं टूलकिट उपलब्ध कराकर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

इस प्रकार अधिक लाभप्रद योजना पूर्व से ही लागू होने के फलस्वरूप ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की कोई नयी योजना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां में खेल स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में

78-श्री बेदी-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां में खेल स्टेडियम बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र जखनियां, जनपद-गाजीपुर के अन्तर्गत पूर्व से ही दो विभागीय ग्रामीण स्टेडियम निर्मित हैं।

युवा कल्याण विभाग द्वारा भूमि व बजट की उपलब्धता के आधार पर शासनादेश दिनांक 14-03-2023 के प्रावधानानुसार सर्वप्रथम उन जनपदों में ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा, जहाँ पर एक भी विभागीय स्टेडियम पूर्व से निर्मित नहीं है।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं को विभिन्न खेलों में राज्य व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनाने हेतु ट्रेनिग व संसाधन उपलब्ध करने विषयक

79-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं को विभिन्न खेलों में राज्य व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनाने हेतु ट्रेनिंग व संसाधन

उपलब्ध करने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो किन खेलों के लिए क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली युवाओं को विभिन्न खेलों में राज्य व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनाने तथा उन्हें ट्रेनिंग व संसाधन उपलब्ध कराने हेतु युवा कल्याण विभाग के शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 में क्षेत्रीय स्तर पर लोकप्रिय एवं युवाओं की अभिरुचि के अनुसार खेलों व उससे सम्बन्धित सुविधाओं को विकसित करने तथा जिम्नास्टिक, कुश्ती आदि खेलों में प्रशिक्षण हेतु रुचि होने पर उक्त सुविधाओं से आच्छादित स्टेडियमों के निर्माण तथा उक्त स्टेडियमों में कम से कम 200 मी0 के रनिंग ट्रैक को अनिवार्य एवं भूमि अधिक होने पर 400 मी0 रनिंग ट्रैक का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त स्टेडियमों में युवाओं के प्रशिक्षण हेतु खेल प्रशिक्षकों, खेल सामग्री व उपकरणों की व्यवस्था किये जाने का भी प्रावधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अमरोहा में कॉटन बेस्ड उद्योग के कारोबारियों को मिलने वाली सब्सिडी बन्द करने के कारणों की जानकारी

80-श्री महबूब अली-

क्या हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमरोहा में कॉटन बेस्ड उद्योग के कारोबारियों को मिलने वाली सब्सिडी बन्द करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

काटन बेस्ड उद्योग धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-598/63-व0-302020-56(एच)/2016, दिनांक 17-07-2020 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। जो निम्नवत् हैं :-

क-प्रत्येक छोटे लूम (कार्डिक मशीन) के धुनकर को प्रतिमाह 120 यूनिट की सीमा तक रु0 3.50 प्रति यूनिट की दर से अनुमन्य प्रतिपूर्ति की जायेगी। शेष धनराशि सम्बन्धित धुनकर द्वारा वहन की जायेगी।

ख-प्रत्येक बड़े लूम (कार्डिक मशीन) के धुनकर को प्रतिमाह 240 यूनिट की सीमा तक रु0 3.50 प्रति यूनिट की दर से अनुमन्य प्रतिपूर्ति (सब्सिडी) दी जायेगी। शेष धनराशि सम्बन्धित धुनकर द्वारा वहन की जायेगी।

ग-उक्त योजना एल0एम0वी0-2 (5 किलोवाट से कम भार) एवं एल0एम0वी0-6 तक (5 किलोवाट से 75 किलोवाट भार तक) विद्युत कनेक्शन वाले केवल धुनकरों पर लागू है।

2-जनपद अमरोहा में काटन बेस्ड उद्योग (धुनकरों) को निम्नानुसार वर्षवार सब्सिडी दी गई है :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में धनराशि रु0 2.00 करोड़।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में धनराशि रु0 2.00 करोड़।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट प्राविधान नहीं हुआ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रु0 1.00 करोड़।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रु0 1.00 करोड।

3-सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा उक्त योजना का लाभ दिलाने के सम्बन्ध में धुनकरों से आधार कार्ड संख्या, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, मोबाइल नम्बर आदि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आवेदन व अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा भी इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की धनराशि की माँग नहीं की गयी। उक्त के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2019-20 के पश्चात् प्रस्ताव प्राप्त न होने के करण प्रतिपूर्ति नहीं की गयी। वर्तमान में कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विगत 5 वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के निर्माण की जानकारी के सम्बन्ध में

81-श्री राम अवतार सिंह-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 5 वर्षों में कितनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का निर्माण कराया गया है, इनमें से कितने संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है तथा कितने संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाना शेष है ? क्या सरकार शेष प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

प्रदेश में विगत 5 वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत 35 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 13 संस्थानों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिनमें प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही

प्रक्रियाधीन है। शेष 22 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उक्त शेष 22 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में उद्यान विभाग को वर्ष 2017 से दिनांक 28-03-2023 तक आवंटित बजट का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

82-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में उद्यान विभाग को वर्ष 2017 से दिनांक 28-03-2023 तक कितना बजट आवंटित किया गया तथा उक्त बजट को कहाँ-कहाँ किस मद पर व्यय किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

उद्यान विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से दिनांक 28-03-2023 तक जनपद जालौन को विभिन्न औद्यानिक योजनाओं के अन्तर्गत कुल धनराशि रु0 6229.75 लाख आवंटित की गयी है, जिसके सापेक्ष रु0 6158.13 लाख निम्नलिखित मदों पर व्यय किया गया :-

(धनराशि लाख रु0 में)

कोड संख्या	मद का नाम	व्यय
01	वेतन	420.75
02	मजदूरी	81.15
03	मंहगाई भत्ता	72.89
04	यात्रा व्यय	3.62
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.12
06	अन्य भत्ते	15.57
08	कार्यालय व्यय	1.83
09	विद्युत देय	31.96

कोड संख्या	मद का नाम	व्यय
10	जलकर	0.30
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.96
13	टेलीफोन पर व्यय	0.96
15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की रसीद	6.30
18	प्रकाशन	1.84
19	विज्ञापन	0.72
24	वृहत् निर्माण कार्य	39.66
27	सब्सिडी	5288.95
29	अनुरक्षण	4.66
42	अन्य व्यय	74.23
43	सामग्री एवं सम्पूर्ति	84.53
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	16.94
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.27
49	चिकित्सा व्यय	7.94
	योग :	**6158.13**

उक्त का विवरण उपरोक्तानुसार है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के दौरान नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक नगरीय क्षेत्र घोषित गांवों के विकास हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

83-श्री मदन भैया-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के दौरान नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक नगरीय क्षेत्र घोषित गांवों के विकास के लिये कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? क्या सरकार बतायेगी कि विकास हेतु स्वीकृत उक्त धनराशि व्यय कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा स्मार्ट विलेज भी चयनित सूची में शामिल गांव मिलक लच्छी में कम्युनिटी हाल पुस्तकालय व खेल मैदान की व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के दौरान नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक नगरीय क्षेत्र घोषित ग्रामों के विकास के लिये स्वीकृत एवं व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

नोएडा-

क्रम-सं0	वर्ष	वर्षवार स्वीकृत धनराशि (रु0 करोड़ में)	वर्षवार व्यय धनराशि (रु0 करोड़ में)
1	2020-21	125.50	67.1866
2	2021-22	125.50	75.4714
3	2022-23	125.50	101.3303

ग्रेटर नोएडा-

क्रम-सं0	वर्ष	वर्षवार स्वीकृत धनराशि (रु0 करोड़ में)	वर्षवार व्यय धनराशि (रु0 करोड़ में)
1	2020-21	200.00	21.58
2	2021-22	210.00	36.5116
3	2022-23	239.10	63.5132

यीडा-

क्रम-सं0	वर्ष	वर्षवार स्वीकृत धनराशि (रु0 करोड़ में)	वर्षवार व्यय धनराशि (रु0 करोड़ में)
1	2020-21	115.00	42.71
2	2021-22	117.95	41.41
3	2022-23	157.20	57.19

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा स्मार्ट विलेज की चयनित सूची में शामिल गांव मिलक लच्छी स्मार्ट विलेज फेस-2 के अन्तर्गत विकसित किये जाने हेतु चयनित किया गया है। स्मार्ट विलेज मिलक लच्छी को विकसित कराये जाने एवं ग्रामवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु सीवर, जलापूर्ति, आर0सी0सी0 ड्रेन, ब्रिक ड्रेन, बारात घर एवं आन्तरिक

सड़क का कार्य कराये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 12-06-2023 को प्रदान की जा चुकी है एवं वर्तमान में प्राधिकरण में आगणन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया में है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त ई-निविदा आमंत्रित कर निविदा स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जाएगा।

ग्राम मिलक लच्छी में पुस्तकालय एवं खेल के मैदान हेतु भूमि के नियोजन का प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा पृथक से तैयार किया जा रहा है।

प्रदेश में मुख्य मंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में लाभान्वित बालिकाओं का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

84-श्री तुफानी सरोज-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य मंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कितनी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

मुख्य मंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में व्यक्तिगत उद्यमियों को खादी ग्रामोद्योग से व्यक्तिगत ऋण देने की योजना की जानकारी के सम्बन्ध में

85-श्री जगदीश नारायण-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में व्यक्तिगत उद्यमियों को खादी ग्रामोद्योग से व्यक्तिगत ऋण देने का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी नहीं। किसी व्यक्तिगत उद्यमी को व्यक्तिगत ऋण दिये जाने की कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु

बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाये जाने की निम्न दो योजनायें संचालित है :-

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना-

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (पीएमईजीपी) पूर्णतया भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण स्वरोजगार की योजना है, जिसका संचालन प्रदेश में तीन एजेन्सियों क्रमशः जिला उद्योग केन्द्र, खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सेवा क्षेत्र के उद्यम की स्थापना हेतु धनराशि रु0 20.00 लाख एवं उत्पादन इकाइयों को धनराशि रु0 50.00 लाख तक के ऋण पर सामान्य वर्ग के पुरुष उद्यमियों को कुल प्रोजेक्ट कास्ट का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों को क्रमशः 15 तथा 25 प्रतिशत मार्जिनमनी (अनुदान) की सुविधा अनुमन्य है। उक्त योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना अन्तर्गत ब्याज उपादान (अधिकतम 13 प्रतिशत तक) प्रथम किस्त ऋण वितरण की तिथि से प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत घटते क्रम में अवशेष बैंक ऋण पर तीन वर्षों तक दिये जाने का प्राविधान है।

मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना-

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों मे उद्यम की स्थापना करने हेतु अधिकतम परियोजना लागत रु0 10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थी को परियोजना में निहित पूँजीगत ऋण पर बैंक द्वारा कुल प्रभारित ब्याज में 4% ब्याज के अतिरिक्त शेष ब्याज तथा महिला सहित आरक्षित वर्ग के सभी लाभार्थियों को पूँजीगत ऋण पर बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज की सम्पूर्ण राशि ब्याज उपादान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उद्यमी के पक्ष में 05 वर्षों तक बैंक को दिया जाता है। प्रोजेक्ट लागत में निहित कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज उपादान की सुविधा अनुमन्य नहीं है।

जनपद जौनपुर में कृषक उत्पाद संगठन की संख्या एवं इनके गठन की जानकारी के सम्बन्ध में

86-श्री जगदीश नारायण-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में वर्तमान में कितने कृषक उत्पादन संगठन हैं तथा इनके गठन की प्रक्रिया क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद जौनपुर में कुल 30 कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) हैं तथा इनका संगठन कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं सहकारिता अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत किया जाता है।

जनपद जौनपुर में गठित एफ0पी0ओ0 का विस्तृत विवरण संलग्न† है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए उनके बीज एवं उनकी उपज के क्रय/विक्रय बाजार किसानों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

87-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए उनके बीज एवं उनकी उपज के क्रय/विक्रय बाजार किसानों को उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

प्रदेश में केन्द्र पोषित, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटा अनाज (मक्का एवं जौ) कार्यक्रम वर्ष 2014-15 से प्रदेश के 28 जनपदों में चलाया जा रहा है। मोटा अनाज (मक्का एवं जौ) के अन्तर्गत क्लस्टर प्रदर्शन एवं सामान्य बीज वितरण में प्रमाणित बीज पर अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है।

इसी तरह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- पोषक अनाज (ज्वार, बाजरा, सावां, कोदो एवं रागी) कार्यक्रम वर्ष 2014-15 से प्रदेश के 24 जनपदों में संचालित किया जा रहा है। पौष्टिक अनाज (ज्वार, बाजरा, सावां, कोदो एवं रागी) के अन्तर्गत क्लस्टर प्रदर्शन तथा सामान्य बीज वितरण में प्रमाणित बीज अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है।

दिनांक 01 जनवरी, 2023 से राज्य पोषित 'उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम' स्वीकृत किया गया है। मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलेट्स फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, सावां, कोदो, रागी के निःशुल्क बीज मिनीकिट, बीज उत्पादन हेतु एफ0पी0ओ0 को सीड मनी उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम, मिलेट्स प्रसंस्करण इकाई की स्थापना,

† छापा नहीं गया।

मिलेट्स अनुसंधान एवं नवाचार हेतु वित्तीय सहयोग तथा मिलेट्स मोबाइल आउटलेट एवं मोबाइल स्टोर की स्थापना का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती से उत्पादित उपज को उचित दामों में बेचने हेतु बाजार/क्रय केन्द्र सरकार द्वारा तय करने के सम्बन्ध में

88-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती से उत्पादित उपज को उचित दामों में बेचने हेतु बाजार/क्रय केन्द्र सरकार तय करेगी ? यदि हां, तो किस स्तर पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

प्रदेश में जैविक/प्राकृतिक कृषि उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मण्डल स्थित 18 मण्डी समितियों में जैविक/प्राकृतिक बाजारों का संचालन वर्ष 2020 से हो रहा है।

जिले स्तर के मण्डी स्थलों में जैविक/प्राकृतिक कृषि उत्पादों के विपणन हेतु बाजार संचालित कराये जाने की योजना के अन्तर्गत मण्डी स्थल में पूर्व से एक हिस्से को जैविक/प्राकृतिक उत्पादकों के उत्पादों की बिक्री को विपणन की सुविधा हेतु सचिवों द्वारा आरक्षित किये गये हैं।

सरकार की नीति के अन्तर्गत क्रय केन्द्र तय किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत अनुचित तरीके से लाभ ले रहे अपात्रों से वसूली कर वंचितों को लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में

89-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत अनुचित तरीके से लाभ ले रहे अपात्रों के प्रकरण प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अपात्रों से वसूली कर वंचित पात्र किसानों को चिन्हित कर उन्हें योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

जी हां।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हेतु अपात्रों से वसूली व पात्रों को योजना में जोड़ कर लाभ दिलाने की एक सतत् प्रक्रिया है, जो आगे भी योजना अवधि तक चलती रहेगी। वंचित पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से दिनांक 22 मई, 2023 से 10 जून, 2023 तक ग्राम पंचायत स्तर पर तथा दिनांक 11 से 23 जून, 2023 तक तहसील स्तर पर वृहद् सन्तृप्तीकरण शिविरों का आयोजन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष में आलू क्रय का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

90-श्री सचिन यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष में कितने मीट्रिक टन आलू क्रय किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जनपद फिरोजाबाद के किसी भी मण्डी स्थल में मण्डी परिषद् अथवा किसी अन्य विभाग द्वारा आलू क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है और न ही किसी अन्य संस्था द्वारा आलू खरीद की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल एवं उसकी हेल्पलाइन नम्बर के सुचारु रूप से संचालन के सम्बन्ध में

91-श्री अखिलेश-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल एवं उसकी हेल्पलाइन न0-18004190001 सुचारु रूप से संचालित है ? यदि हाँ, तो अक्टूबर, 2022 से 29 मार्च, 2023 तक समस्त पेंशन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये तथा कितनों की पेंशन स्वीकृत हुई ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अवधि में हेल्पलाइन नम्बर पर प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (http//sspy.up.gov.in) संचालित है एवं हेल्पलाइन न0-18004190001 संचालित नहीं है।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत एकीकृत पोर्टल पर अक्टूबर, 2022 से 29 मार्च, 2023 तक 4,30,665 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा 1,41,654 आवेदन-पत्रों पर जिला स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा पेंशन स्वीकृत की गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

92-श्री राजपाल सिंह बालियान-

[दिनांक 08-08-2023 के अता0 प्र0 सं0-205 द्वारा उत्तरित]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के किसानों को कृषि उपकरणों पर अनुदान विषयक

93-डॉ0 रागिनी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में कितने किसानों को कृषि उपकरणों पर अनुदान वर्तमान में दिया जा रहा है ? क्या सरकार किसानों की अनुदान सूची का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में 33 किसानों को कृषि उपकरणों पर अनुदान वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिया जा चुका है।

किसानों की अनुदान सूची संलग्न[†] है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के बेरोजगारों को रोजगार सृजन करने के लिए कल-कारखाना अथवा औद्योगिक क्षेत्र बनाये जाने के सम्बन्ध में

94-डॉ0 रागिनी-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के बेरोजगारों को रोजगार सृजन करने के लिए कोई कल-कारखाना अथवा औद्योगिक क्षेत्र बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-[†] देखिये नत्थी (ज) आगे पृष्ठ संख्या-406 पर।

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) जौनपुर के अन्तर्गत अधिग्रहीत 508 एकड़ में अवस्थापना सुविधाओं सहित औद्योगिक भू-खण्डों का विकास किया गया है। वर्तमान में 443 आवंटित औद्योगिक भू-खण्डों के सापेक्ष लगभग 262 भू-खण्डों पर इकाई क्रियाशील है। प्राधिकरण क्षेत्र की प्रमुख एवं प्रतिष्ठित इकाई मे0 वरुण बेवरेज लि0, मे0 एच0आई0एल0 लि0, हॉकिंग्स कूकर्स लि0, मे0 सिद्धार्थ रोलिंग एण्ड एनर्जी प्रा0लि0, मे0 अमित आयल लि0, मे0 पी0सी0आई0, मे0 कलर क्रोम, मे0 मार्डन फोम, मे0 आर0के0 प्रिंट एवं पैक, मे0 गणेश लक्ष्मी सीमेन्ट आदि प्रमुख औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। निकट भविष्य में कटारिया पाइप्स मे0 एपेक्स पेट्रोकेम इण्डस्ट्रीज एवं कामन बायो मेडिकल बेस्ड ट्रीटमेन्ट एण्ड डिस्पोजल फेसेल्टी की इकाई शीघ्र क्रियाशील होने की सम्भावना है। उक्त इकाइयों में लगभग 5000 रोजगार सृजित हैं। अवशेष भू-खण्डों पर इकाइयों की स्थापना के उपरान्त और रोजगार सृजन की सम्भावनायें उत्पन्न होंगी। उक्त के अतिरिक्त सीडा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकारी बोर्ड के निर्देशानुसार तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर के अन्तर्गत औद्योगिक विकास हेतु 1000 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने के निर्देश दिए गये हैं, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियारत् है।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में स्टेडियम का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

95-डॉ0 रागिनी-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में स्टेडियम का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में पूर्व से ही ग्राम-भटवेरा, विकास खण्ड-मछलीशहर में ग्रामीण स्टेडियम स्थापित है।

युवा कल्याण विभाग द्वारा भूमि व बजट की उपलब्धता के आधार पर शासनादेश दिनांक 14-03-2023 के प्रावधानानुसार सर्वप्रथम उन जनपदों में ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा, जहाँ पर एक भी विभागीय स्टेडियम पूर्व से निर्मित नहीं है।

जनपद जौनपुर के जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा 01-04-2020 से 30-01-2023 तक शादियों का विवरण प्रदान करने विषयक

96-डॉ0 रागिनी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के जिला समाज कल्याण कार्यालय में 01-04-2020 से 30-01-2023 तक कितनी शादियां किन तिथियों को किस-किस स्थान पर कराई गयीं ? उपरोक्त में खाना का ठेका किन व्यक्तियों को दिया गया तथा कितनी-कितनी धनराशि खाना पकाने में कब-कब कितना-कितना खर्च/खाना बनाने का सामान किन-किन दुकानों से खरीदा गया तथा उसमें कितनी-कितनी जी0एस0टी0 का भुगतान कब-कब सरकार द्वारा व्यय किया गया ? यदि खाना में पैक बन्द खाना लिया गया तो कितने पैकेट खाना कब-कब किस फर्म से लिये गये ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जिला समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर की आख्यानुसार जिला समाज कल्याण कार्यालय में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 30 जनवरी, 2023 तक कुल 2480 जोड़ों का सामूहिक विवाह दिनांक 18-01-2021, 17-02-2021, 13-03-2021, 15-10-2021, 11-12-2021, 14-12-2021, 10-06-2022, 01-11-2022 व 24-01-2023 को विकास खण्ड स्तर पर, तहसील स्तर पर एवं जनपद स्तर पर सम्पन्न कराया गया।

उपरोक्त में खाना बनाने का ठेका मेसर्स जनरल टेडर्स, अलीगढ़, मेसर्स शिवम इण्टर प्राइजेज, जौनपुर, अलबरकत इण्टर प्राइजेज, जौनपुर एवं प्रसाद इण्टर प्राइजेज, जौनपुर को निविदा के माध्यम से दिया गया था।

मेसर्स इण्डियन जनरल स्टोर अलीगढ़ को रु0 8.50 लाख, शिव इण्टर प्राइजेज, जौनपुर को रु0 8.41 लाख, मेसर्स अलबरकत इण्टर प्राइजेज को रु0 9.97 लाख तथा मेसर्स प्रसाद इण्टर प्राइजेज को रु0 9.97 लाख अर्थात् कुल रु0 36.85 लाख का व्यय खाना पकवाने में खर्च हुआ था।

खाना बनाने की समस्त व्यवस्था मेसर्स इण्डियन जनरल स्टोर, अलीगढ़, शिव इण्टर प्राइजेज, जौनपुर, मेसर्स अलबरकत इण्टर प्राइजेज तथा मेसर्स प्रसाद इण्टर प्राइजेज, जौनपुर द्वारा गयी थी।

निविदादाताओं को टैक्स की कटौती करते हुए नियमानुसार भुगतान किया गया था।

सामूहिक विवाह के आयोजन में भोजन पैकेट से आपूर्ति नहीं की गयी थी, अपितु निविदादाता फर्म द्वारा आयोजन स्थल पर भोजन बनाकर आपूर्ति की गयी थी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के प्रत्येक विकास खण्ड में खेल को बढ़ावा देने के दृष्टिगत स्टेडियम का निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में

97-श्री सर्वेश सिंह-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के प्रत्येक विकास खण्ड में खेल को बढ़ावा देने के दृष्टिगत स्टेडियम का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में पूर्व से 03 विभागीय ग्रामीण स्टेडियम स्थापित हैं।

युवा कल्याण विभाग द्वारा भूमि व बजट की उपलब्धता के आधार पर शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 के प्रावधानानुसार सर्वप्रथम उन जनपदों में ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा, जहाँ पर एक भी विभागीय स्टेडियम पूर्व से निर्मित नहीं है।

प्रदेश में किसानों के हित में बीमा योजनाओं का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

98-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के हित में कौन-कौन सी बीमा योजना प्रचलित है तथा उक्त योजनाओं में विगत 5 वर्षों के दौरान किस योजना में कितनी प्रीमियम धनराशि जमा की गई एवं मुआवजा की कितनी धनराशि किसानों को भुगतान की गई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत विगत 5 वर्षों में जमा की गयी प्रीमियम की धनराशि का एवं कृषकों को मुआवजा के रूप में वितरित क्षतिपूर्ति का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वर्ष	प्रीमियम (करोड़ रु0 में)				वितरित क्षतिपूर्ति का विवरण	
		कृषक अंश	राज्यांश	केन्द्रांश	कुल	लाभार्थी कृषकों की संख्या (लाख में)	वितरित क्षतिपूर्ति का विवरण (करोड़ रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2017-18	382.36	499.20	499.20	1380.76	5.89	373.98

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2018-19	409.77	546.08	546.08	1501.93	6.06	452.66
3	2019-20	321.25	494.21	494.21	1309.67	9.69	1093.47
4	2020-21	329.46	641.79	640.77	1612.02	6.38	501.00
5	2021-22	297.46	619.48	618.17	1535.11	10.12	938.59
6	2022-23	283.58	612.12	610.61	1506.31	8.36#	651.30#

#वर्ष 2022-23 में खरीफ, 2022 मौसम की क्षतिपूर्ति का भुगतान हो चुका है तथा रबी 2022-23 मौसम के अन्तर्गत मध्यावस्था/स्थानिक आपदा के अन्तर्गत रु0 16.47 करोड़ की आंशिक क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। क्रॉप कटिंग प्रयोगों के आधार पर क्षतिपूर्ति के आंकलन/भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत विगत 5 वर्षों में जमा की गयी प्रीमियम की धनराशि का कृषकों को मुआवजा के रूप में वितरित क्षतिपूर्ति का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वर्ष	प्रीमियम (करोड़ रु0 में)				वितरित क्षतिपूर्ति का विवरण	
		कृषक अंश	राज्यांश	केन्द्रांश	कुल	लाभार्थी कृषकों की संख्या (लाख में)	वितरित क्षतिपूर्ति का विवरण (करोड़ रु0 में)
1	2017-18	1.35	2.05	2.05	5.45	0.04	4.92
2	2018-19	1.42	2.22	2.22	5.86	0.04	3.40
3	2019-20	2.91	3.72	3.72	10.35	0.09	5.92
4	2020-21	1.62	1.33	1.29	4.24	0.05	5.46
5	2021-22	1.79	1.51	1.48	4.77	0.08	3.61
6	2022-23	1.49	1.45	1.40	4.34	0.03*	1.95*

*खरीफ 2022 मौसम में अद्यतन स्थिति तक क्षतिपूर्ति का भुगतान। शेष प्रक्रियाधीन।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में दिव्यांगजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक रिक्शा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

99-श्री सर्वेश सिंह-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में दिव्यांगजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक रिक्शा उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

दिव्यांगजन को निःशुल्क इलेक्ट्रिक रिक्शा उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना संचालित नहीं है, अपितु दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन को निःशुल्क ट्राईसाईकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, स्मार्ट केन, छड़ी, कृत्रिम हाथ-पैर, एम0आर0 किट, लेप्रोसी किट इत्यादि सहायक उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं।

उक्तानुसार।

प्रदेश में किसानों के क्रेडिट कार्ड की अवधि एक वर्ष को बढ़ाकर तीन वर्ष करने सम्बन्ध में

100-श्री सर्वेश सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के क्रेडिट कार्ड की अवधि एक वर्ष को बढ़ाकर तीन वर्ष करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि पूर्व से ही पाँच वर्ष निर्धारित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में खरीफ एवं रबी के 30 मार्च, 2023 तक बीमित किसानों की संख्या एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में

101-श्री सर्वेश सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने कृषक हैं तथा इसमें से खरीफ एवं रबी के 30 मार्च, 2023 तक बीमित किसानों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार सभी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचाए जाने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही -

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अगस्त, 2019 में अन्तिमीकृत "All India Report on Number and Area of Operational Holdings" रिपोर्ट के अनुसार उ0प्र0 में किसानों (Operational Holdings) की संख्या 238.22 लाख है।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश में वर्ष 2016-17 से लागू की गयी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक खरीफ व रबी मौसम में बीमित कृषकों का वितरण निम्नवत् है :-

(बीमित कृषकों की संख्या लाख में)

वर्ष	खरीफ	रबी	योग
2016-17	39.86	32.96	72.82
2017-18	25.81	28.39	54.20
2018-19	31.69	29.66	61.35
2019-20	23.89	23.32	47.21
2020-21	22.18	19.73	41.91
2021-22	21.57	19.90	41.47
2022-23	21.67	20.01	41.68
वर्ष 2016-17 से 2022-23 योग	**186.67**	**173.97**	**360.64**

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर खरीफ व रबी की मुख्य फसलों को अधिसूचित करते हुए संचालित कराया जा रहा है। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

गंगा एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ पेड़ लगाये जाने के सम्बन्ध में

102-श्री अतुल प्रधान-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ कितने पेड़ लगाये जाने हेतु प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

गंगा एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ वन विभाग के माध्यम से कुल 1819081 पेड़ लगाया जाना प्रस्तावित है, जिनका जनपदवार विवरण निम्नवत है :-

क्र0-सं0	जनपद	प्रस्तावित वृक्षों की संख्या
1	मेरठ	44198
2	हापुड़	108735
3	बुलन्दशहर	25740
4	अमरोहा	81653
5	सम्भल	107129
6	बदायूं	285274
7	शाहजहांपुर	108372
8	हरदोई	326513
9	उन्नाव	308891
10	रायबरेली	237853
11	प्रतापगढ़	132990
12	प्रयागराज	51733
	योग :	**1819081**

103-श्री अतुल प्रधान-

[1-शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-100 के अन्तर्गत स्थानान्तरित**]**

प्रदेश में वर्ष 2018 से दिनांक 31-03-2023 तक वर्षवार नकली खाद बिक्री के प्रकरण पर कार्यवाही विषयक

104-श्री अतुल प्रधान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2018 से दिनांक 31-03-2023 तक वर्षवार नकली खाद बिक्री के कितने प्रकरण प्रकाश में आये हैं तथा कितने प्रकरणों में सरकार द्वारा कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि नकली खाद बिक्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश में नकली खाद बिक्री के वर्ष 2018-19 में कुल 10 प्रकरण, वर्ष 2019-2020 में कुल 17 प्रकरण, वर्ष 2020-21 में 12 प्रकरण वर्ष 2021-22 में कुल 17 प्रकरण एवं वर्ष 2022-23 में कुल 26 प्रकरण प्रकाश में आये।

इस प्रकार वर्ष 2018-19 से दिनांक 31-03-2023 तक कुल 82 प्रकरण प्रकाश में आये। सभी प्रकरणों पर सम्बन्धित जनपदों में अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3/7 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी।

प्रदेश में अमानक उर्वरकों की बिक्री को रोकने एवं कृषकों को गुणवत्तायुक्ता उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु उर्वरक गुण नियंत्रण की कार्य योजना बनाते हुये उर्वकर व्यवसाय पर छापे एवं नमूना ग्रहित करने के जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिसके क्रम में प्रदेश के समस्त उर्वरक निरीक्षकों द्वारा छापे मारकर उर्वरक नमूने ग्रहित करते हुये विश्लेषण हेतु अधिसूचित प्रयोगशालाओं को प्रेषित किये जा रहे हैं एवं प्राप्त परिणामों के आधार पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जा रही है।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रदेश के समस्त जनपदों में सम्बन्धित जिलाधिकारियों के नेतृत्व में उर्वरक प्रतिष्ठानों पर विशेष आकस्मिक छापे भी डलवाये जाते है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बैटरी चालित वाहनों की खरीद एवं बढ़ते प्रयोग के दृष्टिगत पेट्रोल पम्प की तर्ज पर बैटरी रिचार्ज स्टेशन खोले जाने के सम्बन्ध में

105-श्री सर्वेश सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बैटरी चालित वाहनों की खरीद एवं बढ़ते प्रयोग के दृष्टिगत पेट्रोल पम्प की तर्ज पर अधिक बैटरी रिचार्ज स्टेशन खोले जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 में पेट्रोल पम्प की तर्ज पर अधिक बैटरी रिचार्ज स्टेशन खोले जाने का प्राविधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार सार्वजनिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुविधाजनक बनाने और वर्ष 2070 तक नेट-जीरो प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य पूर्ति हेतु राज्य को एक प्रमुख योगदानकर्ता बनाने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है इसके अतिरिक्त सार्वजनिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए एमओएचयूए एवं एमओपी द्वारा जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों

को अपनाते हुए मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र संख्या-193/ एन0एन0ई0(2)/ इलेक्ट्रिक वाहन/2020-21, दिनांक 11-06-2020 के माध्यम से मॉडल दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं। इसे अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को विभिन्न विकास प्राधिकरणों में अंगीकृत करने के लिए तथा नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/यूपीसीडा/सीडा/गीडा/डीएमआईसी-आईआईटीजीएनए में अपनाने के लिए औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-25/2020/2058/77-6-20-एल0सी0 02/18टीसी-3, दिनांक 04-08-2020 प्रेषित किया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के अन्तर्गत इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि राज्य सरकार सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण पर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार शहरों एवं नगरीय समूहों में 3 किमी0 X 3 किमी0 के ग्रिड में चार्जिंग/स्वैपिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा देगी। एक्सप्रेस-वे/राजमार्गों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दिया जायेगा। राज्य सरकार सार्वजनिक पार्किंग स्थानों, मेट्रो स्टेशनों, बस डिपो/टर्मिनलों, पेट्रोल पम्पों, सरकारी भवनों, कारपोरेट भवनों, शैक्षिक/स्वास्थ्य संस्थानों, शॉपिंग मॉलों एवं अन्य वाणिज्यिक स्थानों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों व आर0डब्ल्यू0ए0, ग्राम सभा की भूमि आदि में चार्जिंग/स्वैपिंग सुविधाओं के निर्माण को भी बढ़ावा देगी। नगर विकास विभाग, परिवहन विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा पंचायतीराज विभाग ऐसे स्थानों को चिन्हित करने एवं चार्जिंग/स्वैपिंग सुविधाओं के विकास में सुविधा प्रदान करेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में कृषि उत्पादन मण्डी संचालन शुरू करने विषयक

106-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में कृषि उत्पादन मण्डी का निर्माण 05 वर्ष पूर्व हो जाने के उपरान्त मण्डी का संचालन शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मण्डी को समय-सीमा निर्धारित कर संचालित करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जनपद बलिया के विधान सभा बैरिया में उप मण्डी स्थल रानीगंज/बैरिया ग्राम सोनबरसा में निर्मित होकर मण्डी समिति, बलिया को दिनांक 10-06-2019 को हैण्डओवर हुआ है।

संशोधित आवंटन नियमावली-2022 के अनुसार 'ब' श्रेणी की दुकान हेतु रु0 20,000.00 से 40,000.00 एवं 'स' श्रेणी हेतु रु0 10,000.00 से 20,000.00 औसत मण्डी शुल्क की पात्रता निर्धारित है। दिनांक 28-03-2023 तक के आवेदनों के अनुसार कोई भी व्यापारी इन शर्तों को पूर्ण नहीं करता है।

यद्यपि उप मण्डी स्थल रानीगंज/बैरिया (बलिया) जो ग्राम सोनबरसा में निर्मित है, में खाद्य विभाग द्वारा रबी विपणन वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 में गेहूँ का क्रय केन्द्र स्थापित किया गया था, वहाँ रबी विपणन वर्ष 2021-22 में 10849 कु0 गेहूँ, 2022-23 में 1507 कु0 गेहूँ व 2023-24 में 461 कु0 गेहूँ क्रय किया गया है, जिस पर वर्ष 2021-22 में मण्डी शुल्क रु0 214268.00 व 2022-23 में रु0 30366.00 मण्डी समिति बलिया को प्राप्त हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने की सरकार द्वारा संचालित योजना का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

107-श्री जै किशन साहू-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने की सरकार द्वारा संचालित योजना का विवरण क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि किसानों की आय दोगुनी हो गयी है ? यदि हां, तो वर्तमान में किसानों की आय कितनी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में कृषकों के सतत् उन्नयन एवं कृषि उत्पादन के साथ-साथ कृषकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषि विभाग की विभिन्न योजनाएं संचालित है। इन योजनाओं का लक्ष्य कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कृषि विकास दर में वृद्धि कराना भी है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में किसानों को लाभान्वित करने के लिए निम्नवत् योजनाएं संचालित की गयी हैं :-

बुन्देलखण्ड के सभी विकास खण्डों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की योजना।

प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना।

नेशनल प्रोजेक्ट ऑन स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी।

जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम।

प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना (राज्य सेक्टर)।

संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना (राज्य सेक्टर)।

कृषोन्नति योजना (बीज ग्राम योजना) (केन्द्र सेक्टर)।

परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0के0वी0वाई0)।

नमामि गंगे योजना।

जनपद हमीरपुर में जैविक खेती की योजना।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।

वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम)।

मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0एम0)।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान (पी0एम0 कुसुम)।

खेत तालाब योजना।

नेशनल मिशन ऑन एडबिल ऑयल (ऑयल सीड्स) NMEO-OS

नेशनल मिशन ऑन एडबिल ऑयल (ट्री बोर्न ऑयल सीड्स) NMEO-TBO

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन।

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना।

प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यू योजना।

पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गयी है। राज्य सरकार सभी फसलों के उत्पादन लागत का 1.5 गुना से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार को प्रस्तावित करती है।

उत्तर प्रदेश सरकार तथा कृषि विभाग के सतत् प्रयास से किसानों की आय में आशातीत वृद्धि हुयी है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी डबलिंग फारमर्स इनकम वाल्यूम-2 के पृष्ठ 27 पर प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012-13 में कृषक हाउसहोल्ड की औसत आय रु0 53698/- वार्षिक थी।

भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा तैयार की गयी ''ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों की स्थिति और परिवारों की भूमि एवं पशुधन धृतियों का मूल्यांकन, 2019'' के अनुसार कृषक हाउसहोल्ड की औसत वार्षिक आय (जुलाई, 2018-जून, 2019 में) रु0 96732/- रही है। वर्तमान समय में अद्यतन आंकड़ें अभी प्रकाशित नहीं हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को खरीफ एवं जायद की फसलों की बुआई हेतु खादों की उपलब्धता कराने विषयक

108-श्री जै किशन साहू-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को खरीफ एवं जायद की फसलों की बुआई हेतु यूरिया, डी0ए0पी0 आदि उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

हां, प्रदेश के कृषकों को फसलों की बुवाई हेतु उनकी आवश्यकता के अनुरूप समय से यूरिया एवं डी0ए0पी0 आदि उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार कृतसंकल्प है।

खरीफ सीजन, 2023 हेतु भारत सरकार के स्तर से प्रदेश के लिए नत्रजनिक, फास्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। निर्धारित मासिक लक्ष्यों के सापेक्ष भारत सरकार के द्वारा माहवार मूवमेंट सप्लाई प्लान के अनुसार प्रदेश को उर्वरकों की आपूर्ति की जाती है। खरीफ सीजन में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष दिनाक 20 जुलाई, 2023 तक यूरिया, डी0ए0पी0 एन0पी0के0, एम0ओ0पी0 एवं एस0एस0पी0 उर्वरकों की प्रदेश में उपलब्धता निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	उर्वरक	खरीफ, 2023		
		लक्ष्य		उपलब्धता (दिनांक 20 जुलाई, 2023 तक)
		खरीफ 2023 हेतु कुल लक्ष्य	माह जुलाई, 2023 तक क्रमिक लक्ष्य	
1	2	3	4	5
1	यूरिया	37.15	22.91	32.31
2	डी0ए0पी0	8.50	5.60	9.75
3	एन0पी0के0	3.00	2.00	3.42
4	एम0ओ0पी	1.00	0.50	0.35
5	एस0एस0पी0	3.00	1.75	3.94
योग		**52.65**	**32.76**	**49.77**

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों को समय पर और समुचित मात्रा में डी0ए0पी0, यूरिया व अन्य उर्वरक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

109-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को समय पर और समुचित मात्रा में डी0ए0पी0, यूरिया व अन्य उर्वरकें उपलब्ध न होने पर अनाज उत्पादन प्रभावित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को समुचित मात्रा में उर्वरकें उपलब्ध कराने की कोई ठोस कार्य योजना/नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

देश के कृषकों को फसलों की बुवाई हेतु आवश्यकता के अनुरूप किसानों को समय पर और समुचित मात्रा में डी0ए0पी0, यूरिया व अन्य उर्वरकें उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार कृतसंकल्प है।

प्रदेश में खरीफ 2023 सीजन हेतु भारत सरकार के द्वारा उर्वरकों यथा-यूरिया 37.15 लाख मी0 टन, डी0ए0पी0 8.50 लाख मी0 टन, एन0पी0के0 3.00 लाख मी0 टन, सिंगल सुपर फास्फेट (एस0एस0पी0) 3.00 लाख मी0 टन एवं एम0ओ0पी0 1.00 लाख मी0 टन आपूर्ति के लक्ष्य प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किये गये हैं। प्रदेश में खरीफ, 2023 हेतु किसानों को समय पर और समुचित मात्रा में डी0ए0पी0, यूरिया व अन्य उर्वरकें आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। खरीफ सीजन मे निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 23 जुलाई, 2023 तक उर्वरकों की प्रदेश में उपलब्धता इस प्रकार है :-

क्र0-सं0	उर्वरक	खरीफ, 2023		
		लक्ष्य		उपलब्धता (23 जुलाई, 2023)
		खरीफ, 2023 हेतु कुल लक्ष्य	माह जुलाई, 2023 तक क्रमिक लक्ष्य	
1	यूरिया	37.15	22.91	32.31
2	डी0ए0पी0	8.50	5.60	10.11
3	एन0पी0के0	3.00	2.00	3.47
4	एम0ओ0पी	1.00	0.50	0.42
5	एस0एस0पी0	3.00	1.75	3.99
योग		**52.65**	**32.76**	**51.20**

प्रत्येक वर्ष रबी एवं खरीफ के पूर्व भारत सरकार के कृषि मंत्रालय तथा उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में जोनल कान्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रदेश के रबी एवं खरीफ में उर्वरक आपूर्ति के लक्ष्य निर्धारित किये जाने की रणनीति तैयार की जाती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप माहवार उर्वरकों का मूवमेंट सप्लाई प्लान प्रदेश हेतु किया जाता है। तदनुसार जनपदों में उर्वरकों की आपूर्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के कस्बा मुबारकपुर में निर्मित बुनकर विपणन केन्द्र में बुनकरों के हित में योजना बनाने के सम्बन्ध में

110-श्री अखिलेश-

क्या हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के कस्बा मुबारकपुर में निर्मित बुनकर विपणन केन्द्र में बुनकरों के हित की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जनपद आजमगढ़ के कस्बा मुबारकपुर में निर्मित बुनकर विपणन केन्द्र की दुकानों के आवंटन हेतु शासन के पत्रांक-1008/63व0उ0-2015सी0एच0-152/2012 दिनांक 21 अगस्त, 2015 द्वारा शासन स्तर से मंडलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। दुकानों के आवंटन, रख-रखाव, किराया, अग्रिम धनराशि/प्रति दुकान पगड़ी आदि के जमा/व्यय आदि निर्धारण से सम्बन्धित अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार गठित कमेटी को प्रदान किया गया है। साथ ही साथ कमेटी को सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा करने का भी अधिकार है। वर्तमान में सरकार के स्तर पर कोई अन्य योजना विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में किसानों द्वारा जमा धनराशि का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

111-श्री अतुल प्रधान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में किसानों से तथा प्रदेश सरकार द्वारा कितनी धनराशि बतौर प्रीमियम जमा की गई तथा बीमा कम्पनियों द्वारा उक्त अवधि में किसानों को कितनी धनराशि मुआवजा के रूप में दी गई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में किसानों से तथा प्रदेश सरकार द्वारा बतौर प्रीमियम जमा की गई धनराशि तथा बीमा कम्पनी द्वारा उक्त अवधि में किसानों को मुआवजा के रूप में दी गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रु0 करोड़ में)

वर्ष	कृषक प्रीमियम	राज्य अनुदान	केन्द्र अनुदान	कुल योग	वितरित क्षतिपूर्ति
2019-20	321.25	494.21	494.21	1309.67	1093.47
2020-21	329.46	641.79	640.77	1612.02	501.00
योग	**650.71**	**1136.00**	**1134.98**	**2921.69**	**1594.47**

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर समिट के माध्यम से दिनांक 01-04-2023 तक जनपद मेरठ में किये गये औद्योगिक निवेश के सम्बन्ध में

112-श्री अतुल प्रधान-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर समिट में दिनांक 01-04-2023 तक कितने उद्योगपतियों ने मेरठ जिले में उद्योग लगाने के लिए एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये तथा उसमें से कितनों ने कार्य शुरू कर दिये तथा कितनों ने किन कारणों से कार्य शुरू नहीं किया है ? क्या सरकार उन कारणों का निराकरण कर उद्योग लगाने का कार्य सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

जी हाँ।

प्रदेश सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के दौरान एवं उसके पश्चात् दिनांक 01-04-2023 तक जनपद-मेरठ में विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग लगाये जाने हेतु कुल 551 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये हैं, जिसमें लगभग रुपये 26,956 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इन एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित इकाइयों में से लगभग 26 इकाइयों द्वारा धरातल पर

कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रक्रियाधीन है। शेष परियोजनाओं को कार्यान्वित कराये जाने हेतु सम्बन्धित उद्यमी मित्र द्वारा सतत् प्रयास करते हुए हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट प्रदान किया जा रहा है।

प्रदेश के समस्त उद्यमियों/निवेशकों विकासकर्ताओं को हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट किये जाने की व्यवस्था है। इसी क्रम में मुख्य मंत्री उद्यमी मित्र योजना लागू की गयी है और इसके अन्तर्गत प्रदेश में 105 उद्यमी मित्रों को चयनित करके प्रदेश के विभिन्न जनपदों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में पदस्थापित किया गया है। उद्यमी मित्रों के मुख्य कार्य एवं दायित्व उद्यमियों की समस्या का निराकरण करना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार और आय के नये साधन उपलब्ध कराने हेतु छोटे उद्यमियों को मण्डी शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी व जी0एस0टी0 आदि में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में

113-श्री अतुल प्रधान-

क्या सूक्ष्म, लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार और आय के नये साधन उपलब्ध कराने हेतु छोटे उद्यमियों को मण्डी शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी व जी0एस0टी0 आदि में छूट देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का क्या स्वरूप है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार और आय के नये साधन उपलब्ध कराने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु उ0 प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 प्रख्यापित की गयी है, जिसके क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-04/2023/519202-2-18/2-18-2099/116/2022 दिनांक 12-01-2023 द्वारा निर्गत स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अन्तर्गत एम0एस0एम0ई0 इकाइयों हेतु बिन्दु-11 में स्टाम्प शुल्क छूट के सम्बन्ध में उल्लिखित है कि प्रदेश में स्थापित होने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा परियोजना स्थापना हेतु भूमि क्रय करने अथवा लीज पर प्राप्त करने के क्रम में देय स्टाम्प पर औद्योगिक इकाइयों को इस सम्बन्ध में स्टाम्प विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले शासनादेश के क्रम में पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 100 प्रतिशत, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्धनगर तथा गाजियाबाद को छोड़कर) क्षेत्र में 75 प्रतिशत, गौतमबुद्धनगर तथा गाजियाबाद में 50 प्रतिशत तथा महिला उद्यमियों को प्रदेश में कहीं भी उद्यम स्थापित करने के लिए 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क से छूट का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बिन्दु-15 में उल्लिखित है कि रु0 5 करोड़ अथवा इससे अधिक की मशीनरी एवं संयंत्र वाली सभी नयी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चे माल की खरीद पर 5 वर्ष के लिए मण्डी शुल्क से छूट की

व्यवस्था मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-17-क(1)(क) तथा मण्डी नियमावली, 1965 के नियम-137 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार देय होगी। जी0एस0टी0 छूट का प्राविधान उल्लिखित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों का अनुरक्षण विषयक

114-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों के अनुरक्षण हेतु कोई व्यवस्था न होने से अधिकांश सड़कें जर्जर हैं ? क्या सरकार मण्डी परिषद् द्वारा बनाई गई सड़कों के अनुरक्षण हेतु कोई ठोस नीति बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ ।

विधान सभा क्षेत्र आलापुर में मण्डी परिषद् के स्वामित्व के कुल 22 सम्पर्क मार्ग थे, जिनमें से 05 सम्पर्क मार्ग वर्तमान में लोक निर्माण विभाग/अन्य विभाग के अधीन हैं। वर्ष 2017-18 से अद्यतन शेष 17 सम्पर्क मार्गों की मरम्मत का कार्य 'उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013' में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत कराया गया है। (सूची संलग्न[†])

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में मन्दिरों तथा स्कूलों में शराब की दुकानों की निर्धारित दूरी के उल्लंघन पर कार्यवाही विषयक

115-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मन्दिरों तथा स्कूलों से शराब की दुकानों की निर्धारित दूरी नियमानुसार कितनी है ? क्या सरकार उक्त नियम का उल्लंघन कर रही दुकानों को विशेष अभियान चलाकर चिन्हित कर अन्यत्र स्थपित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-[†] देखिये नत्थी (झ) आगे पृष्ठ संख्या-407 पर।

श्री नितिन अग्रवाल-

उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2008 के नियम-5(4) (क) के अनुसार नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत स्थित विद्यालय अथवा चिकित्सालय अथवा आवासीय कालोनी से शराब दुकानों की न्यूनतम दूरी 50 मीटर, नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायत के मामलों में 75 मीटर और अन्य क्षेत्रों के लिये 100 मीटर है। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में न्यूनतम दूरी का प्राविधान नहीं है।

उक्त नियम का उल्लंघन प्रकाश में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मन्दिरों, स्कूलों, जिला मार्ग, राज्य मार्ग अथवा राष्ट्रीय मार्ग पर शराब की दुकान के बोर्ड हटवाने के सम्बन्ध में

116-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मन्दिरों, स्कूलों, जिला मार्ग, राज्य मार्ग अथवा राष्ट्रीय मार्ग पर शराब की दुकान के बोर्ड लगाने की अनुमति का प्रावधान किस शासनादेश के अनुसार है ? क्या सरकार उक्त के उल्लंघन में जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय मार्ग पर शराब की दुकानों के बोर्डों को हटवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जी हां।

मन्दिरों, स्कूलों जिला मार्ग, राज्य मार्ग अथवा राष्ट्रीय मार्ग के प्रतिबन्धित स्थल पर नियम विरुद्ध शराब की दुकान के बोर्ड लगाने की अनुमति दिये जाने का प्रावधान किसी भी शासनादेश में नहीं है।

मदिरा के किसी फुटकर अनुज्ञापी द्वारा ऐसे प्रतिबन्धित किसी स्थान पर दुकान का बोर्ड लगाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में विकास कराने के सम्बन्ध में

117-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत ब्लाक जलीलपुर, नूरपूर व हल्दौर के अन्तर्गत गावों की बाल्मीकि बस्ती व अनुसूचित जाति की बस्तियों में सरकार की विकास कार्य कराये जाने की योजना पर विचार करेगी कि जिससे उनके जनजीवन-यापन का स्तर उच्च हो सके ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-54/2022/264/26-3-2022-10(15)/2007, दिनांक 10-05-2022 में दी गयी व्यवस्थानुसार अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए रोजगार सृजन, प्रशिक्षण एवं अवस्थापना सुविधा, पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग का निर्माण तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों के निर्माण हेतु एकीकृत विकास योजना संचालित है।

योजनान्तर्गत ऐसे ग्रामों के प्रस्ताव सम्मिलित किये जाते हैं, जिनमें अनुसूचित जाति की आबादी कम से कम 25 प्रतिशत तथा अधिकतम 50 प्रतिशत से कम निवास कर रही हो, जिससे अधिकतम अनुसूचित जाति के व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से योजना से लाभान्वित हो सकें एवं उक्त ग्रामों में विकास सुनिश्चित किया जा सके।

उक्त योजनान्तर्गत शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित ग्राम/विकास खण्ड में विकास कार्य कराये जाने हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव/आगणन उपलब्ध कराये जाने पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में भूमि संरक्षण हेतु विभाग में लेखा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 से दिनांक 31-03-23 तक भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किये गये कार्यों का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

118-श्री राम अवतार सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में भूमि संरक्षण हेतु विभाग में लेखा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 से दिनांक 31-03-23 तक कुल कितने कार्य भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किये गये, कार्य का विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनप्रतिनिधियों को उक्त कार्यों की सूचना दी जाती है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

भूमि संरक्षण इकाई बिजनौर द्वारा वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (खेत-तालाब) के अन्तर्गत कुल 20 खेत तालाब के कार्य कराये गये हैं। वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत 598.380 हे0 में कुल 07 परियोजनाओं द्वारा भूमि विकास एवं नाला जीर्णोद्धार के कार्य कराये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत कुल 06 परियोजनाओं द्वारा 284.47 हे0 क्षेत्र का उपचार कराया गया तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (खेत-तालाब) के अन्तर्गत कुल 24 खेत-तालाब के कार्य कराये गये है। वर्ष 2022-23 (दिनांक 31-03-2023 तक) में पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत कुल 10 परियोजनाए प्रस्तावित हैं तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (खेत-तालाब) के अन्तर्गत कुल 07 खेत-तालाब के कार्य कराये गये हैं।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में वर्ष 2022 में मानसून की कमी के कारण सूखे एवं सितम्बर/अक्टूबर में हुयी अतिवृष्टि के कारण किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में

119-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2022 में मानसून की कमी के कारण सूखे एवं सितम्बर/अक्टूबर में हुयी अतिवृष्टि के कारण किसानों की खरीफ की धान, बाजरा, उरद, तिल, मूंग, अरहर, ज्वार, मक्का, मूंगफली आदि फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति प्रधानमंत्री फसल बीमा से कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित फसलों को प्राकृतिक आपदाओं व रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों यथा रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने की स्थितियों में, बीमित कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

खरीफ 2022 मौसम में योजनान्तर्गत 8.03 लाख कृषकों को कुल रु0 623.07 करोड़ की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-1-उपर्युक्त आँकड़े अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के आधार पर हैं।

आँकड़े परिवर्तनीय हैं।

प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में योजनाओं तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

120-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में किन-किन योजनाओं द्वारा कौन-कौन से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना बनाई गयी है तथा उक्त योजनाओं के माध्यम से कितने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

जी हाँ।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 का प्रख्यापन किया गया है साथ ही विभिन्न 20 सेक्टोरल नीतियाँ यथा निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना, उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, उ0प्र0 हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेटिंग नीति, उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति, उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, उ0प्र0 आई0 टी0 स्टार्टअप नीति, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति, उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति, उ0प्र0 पर्यटन नीति, जैव ऊर्जा प्रोत्साहन कार्यक्रम, उ0प्र0 फार्मास्युटिकल उद्योग नीति, उ0प्र0 वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति, उ0प्र0 फिल्म नीति, उ0प्र0 दुग्ध नीति, एक जनपद एक उत्पाद योजना, उ0प्र0 इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति, उ0प्र0 स्टार्टअप नीति, कोविड महामारी के परिप्रेक्ष्य में त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति, उ0प्र0 डाटा सेण्टर नीति, उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति तथा उ0प्र0 आक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 को भी प्रख्यापित किया गया है, जिसमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उक्त नीतियों के अन्तर्गत वृहद् रोजगार के अवसर सृजित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए निम्नवत् कार्य-योजना बनाई गयी है :-

निजी क्षेत्र द्वारा विकसित बुन्देलखण्ड में 20 एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के निजी औद्योगिक पार्कों के विकासकर्ताओं को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे :-

बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में अधिकतम रुपये 45 करोड़ की सीमा के अधीन पात्र स्थाई पूँजी निवेश (भूमि की लागत तथा हॉस्टल/डारमेट्री के भवन निर्माण की लागत को छोड़कर) के 25 प्रतिशत की पूंजीगत उपादान।

श्रमिकों के लिए हॉस्टल/डारमेट्री के निर्माण की लागत (भूमि लागत को छोड़कर) के 25 प्रतिशत की दर से पूँजीगत उपादान अधिकतम रुपये 25 करोड़ की सीमा के अधीन।

विकासकर्ता को भूमि क्रय पर स्टाम्प शुल्क से शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

इस हेतु पार्क विकासकर्ता द्वारा प्राप्त स्टाम्प शुल्क में छूट के समतुल्य बैंक गारण्टी जमा करायी जायेगी, जोकि पार्क विकसित होने के उपरान्त रिलीज की जायेगी।

मेगा अथवा उच्चतर की परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत पात्र, पम्प स्टोरेज प्लान्ट्स को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिये जायेंगे :-

राज्य के बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट।

इस नीति के प्रस्तर-12.3.1 में वर्णित निवेश प्रोत्साहन उपादान के विकल्प-1 (तालिका-3) में परिभाषित पूँजीगत उपादान। यद्यपि, इस नीति में परिभाषित जीसीएम एवं सभी बूस्टर, ऐसी परियोजनाओं हेतु लागू नहीं होंगे।

संतुलित क्षेत्रीय प्रगति सुनिश्चित करना :-

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में एक सुरक्षित एवं भयमुक्त औद्योगिक वातावरण प्रदान करना सुनिश्चित करेगी। इसी क्रम में बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर्स/ क्षेत्रों में समर्पित पुलिस स्टेशन स्थापित किये जायेंगे। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु विभिन्न कदम उठाये गये थे। इसमें बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, डिफेन्स कॉरिडोर, विभिन्न औद्योगिक पार्कों, फ्लैटेड फैक्ट्री काम्पलेक्सेज, इन्टीग्रेटेड मैन्युफैचरिंग क्लस्टर्स, ओ0डी0ओ0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यवाही आदि जैसी अवस्थापना सुविधाओं का विकास सम्मिलित है। क्षेत्र के लिए उच्च प्रोत्साहन सहित विभिन्न नीतिगत कार्य किए गए।

प्रदेश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की गति की निरन्तरता बनाए रखने के लिए यह नीति उक्त क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए श्रेणीबद्ध संरचना प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, नीति राज्य के बुन्देलखण्ड की विशिष्टियों का लाभ उठाते हुए इन क्षेत्रों से निर्यात में सुधार पर केन्द्रित उपाय करेगी। प्रदेश सरकार इन क्षेत्रों में शिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं पहुँच में सुधार करने का प्रयास करेगी। इन क्षेत्रों में इच्छित समाधान प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए सड़क अवस्थापना तथा विद्युत कनेक्टिविटी में वृद्धि की जाएगी तथा नवीन औद्योगिक पार्क्स एवं क्षेत्र भी विकसित किये जायेंगे।

राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र-

राज्य की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को अधिकतम करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन का ध्येय, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के प्राविधान के अन्तर्गत, झाँसी एवं औरैया में दो राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र (एन0आई0एम0जेड0) का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

इन एन0आई0एम0जेड0 में स्थापित विनिर्माण उद्योगों को भारत सरकार की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में उल्लिखित सुविधायें प्रदान की जायेंगी जैसे-सरलीकृत व्यापार विनियमन, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों/मशीनों/उपकरणों के उत्पादन/अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहन, निजी क्षेत्र द्वारा कौशल विकास पहलों के लिए प्रोत्साहन, छोटे तथा मध्यम उद्यमों के लिए वित्त पोषण।

प्रदेश के समस्त जनपदों के साथ-साथ बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नये उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनपरक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। परियोजना स्थापना पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्य मंत्री युवा स्व-रोजगार योजना में 15 से 35 प्रतिशत तक का अनुदान एवं एक जनपद एक उत्पाद ऋण योजना में 10 से 25 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार प्रशिक्षण योजनान्तर्गत विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद टूलकिट एवं प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान कर उन्नत किस्म की टूलकिट प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सिंचाई हेतु सस्ते दरों पर डीजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

121-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सिंचाई हेतु सस्ते दरों पर डीजल उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सस्ते दामों पर डीजल उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

कृषि विभाग द्वारा सिंचाई हेतु डीजल पर अनुदान नहीं दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के सभी ब्लॉकों में गत 01 वर्ष से निर्माणाधीन स्टेडियम के कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

122-श्री सचिन यादव-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के सभी ब्लॉकों में गत 01 वर्ष से निर्माणाधीन स्टेडियम के कार्य को पूर्ण कराने की तय समय-सीमा क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कार्य तय समय-सीमा में पूर्ण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त स्टेडियम के कार्यों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जनपद-फिरोजाबाद में कोई भी स्टेडियम निर्माणाधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खेलकूद महाविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में

123-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन स्थानों पर कौन-कौन एवं कहाँ-कहाँ खेलकूद महाविद्यालय स्थापित हैं ? क्या सरकार प्रदेश की बालिकाओं में खेलकूद का स्तर उठाने के उद्देश्य से पृथक से बालिका खेलकूद महाविद्यालय स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

कहीं नहीं।

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-2023/001-2272422023 दिनांक 13-7-2023 द्वारा मेजर ध्यान चन्द स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रु0 38853.75 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त प्रायोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 30000.00 लाख में से धनराशि रु0 97,13,43,750.00 (रुपये सत्तानवे करोड़ तेरह लाख तैंतालिस हजार सात सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

मेजर ध्यान चन्द स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना हो जाने के उपरान्त बालक/बालिकाओं को सामान्य रूप से प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था होगी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक छात्र-छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति की जानकारी के सम्बन्ध में

124-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए थे ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि उक्त के सापेक्ष कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति हुई तथा अवशेष छात्र-छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 तक अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग पूर्वदशम्/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन का विवरण निम्नवत है :-

अनुसूचित जाति पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना :-

क्र0	वर्ष	प्राप्त आवेदन की संख्या
1	2020-21	421578
2	2021-22	464701
3	2022-23	552954

सामान्य वर्ग पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना :-

क्र0	वर्ष	प्राप्त आवेदन की संख्या
1	2020-21	138263
2	2021-22	178751
3	2022-23	192842

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना :-

क्र0	वर्ष	प्राप्त आवेदन की संख्या
1	2020-21	989116
2	2021-22	1474713
3	2022-23	1352223

सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना :-

क्र0	वर्ष	प्राप्त आवेदन की संख्या
1	2020-21	673928
2	2021-22	1071809
3	2022-23	899686

जी हाँ।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक उक्त के सापेक्ष भुगतानित एवं अवशेष छात्रों का विवरण निम्नवत् है :-

अनुसूचित जाति पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना :-

क्र0	वर्ष	भुगतानित छात्र	अवशेष छात्र
1	2020-21	362511	--
2	2021-22	320390	--
3	2022-23	386139	--

सामान्य वर्ग पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना-

क्र0	वर्ष	भुगतानित छात्र	अवशेष छात्र
1	2020-21	118153	--
2	2021-22	124193	--
3	2022-23	172566	--

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना :-

क्र0	वर्ष	भुगतानित छात्र	अवशेष छात्र
1	2020-21	802648	--
2	2021-22	1229471	--
3	2022-23	903088	58313

सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना :-

क्र0	वर्ष	भुगतानित छात्र	अवशेष छात्र
1	2020-21	500204	--
2	2021-22	538642	392512
3	2022-23	704505	--

सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना फण्ड एण्डेड योजना है। किसी वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत विधान मण्डल द्वारा आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा सीमित बजट की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए नियमावली में प्राविधानित छात्रों/संस्थाओं की वरीयता के आधार पर छात्रों को धनराशि भुगतान की जाती है। यदि प्राविधानित धनराशि समाप्त हो जाये तथा उस वित्तीय वर्ष में सामान्य वर्ग के पात्र छात्रों की देयता लम्बित रह जाये तो उक्त देयता को वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन समाप्त माना जाता है। उक्त देयता को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं किया जाता है।

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 के अवशेष 58313 अनुसूचित जाति के छात्रों के सापेक्ष धनराशि रु0 4304.19 लाख के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दिव्यांगों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले ईंधन चालित वाहनों हेतु रियायती दर पर डीजल/पेट्रोल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

125-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिव्यांगों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले ईंधन चालित वाहनों हेतु रियायती दर पर डीजल/पेट्रोल उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

प्रदेश में दिव्यांगजन द्वारा प्रयोग किये जाने वाले ईंधन चालित वाहनों हेतु रियायती दर पर डीजल/पेट्रोल उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना संचालित नहीं है, अपितु दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित ''निःशुल्क बस यात्रा योजना'' के अन्तर्गत दिव्यांगजन को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में उनके अन्तिम गन्तव्य स्थल (चाहे व राज्य की सीमा से बाहर ही क्यों न हो) तक निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

उक्तानुसार।

जनपद बलिया में स्थापित बन्द कताई मिल चलाये जाने के सम्बन्ध में

126-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में स्थापित कताई मिल विगत वर्षों से बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपने संसाधन/पी0पी0पी0 मॉडल पर उक्त कताई मिल को चलाने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

यू0पी0 स्टेट यार्न कम्पनी लि0, कानपुर की रसड़ा (बलिया) स्थित इकाई उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्राविधानों के अनुरूप दिनांक 16-10-2000 से विधिक रूप से बन्द हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में वर्तमान में भूमिहीन कृषि मजदूरों का जिलावार विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

127-श्री अतुल प्रधान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या जिलावार कितनी है ? क्या सरकार भूमिहीन कृषि मजदूरों को बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ दिलाने के लिए मजदूरों को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

उ0 प्र0 सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये उ0 प्र0 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है तथा असंगठित कामगारों के अन्तर्गत 2.5 एकड़ अथवा उससे कम कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले कृषक एवं कृषि श्रमिकों को भी सम्मिलित

किया गया है। उ0 प्र0 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितार्थ प्रस्तावित दो योजनायें क्रमशः मुख्य मंत्री दुर्घटना बीमा योजना एवं मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना अधिसूचित किये जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।

केन्द्र सरकार द्वारा असंगठित कामगारों के पंजीयन के लिये ई-श्रम पोर्टल दिनांक 26-8-2021 को प्रारम्भ किया गया, जिस पर 156 प्रकार के असंगठित कर्मकारों का निःशुल्क पंजीयन होता है। कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मकार एवं खेतिहर कामगार भी इस पोर्टल पर निःशुल्क पंजीयन कराते हुये कम्प्यूटर जनित ई-श्रम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं तथा भविष्य में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं से आच्छादित हो सकेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

128-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[1-शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-112 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 13-08-2022 तक मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत शादियों का विवरण

129-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 13-08-2022 तक मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कुल कितने जोड़ों की शादिया हुयीं ? क्या सरकार बतायेगी कि उनको मिलने वाली अनुमन्य धनराशि उनके खातों में भेज दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 13-08-2022 तक मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 16,134 जोड़ों की शादियाँ हुयी।

जी हाँ।

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कन्या को दी जाने वाली अनुमन्य धनराशि रु0 35,000/- (प्रति जोड़ा) उनके बैंक खातों में भेज दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

130-श्री हाकिम लाल बिन्द-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में गौंड़ और खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में

131-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में गोंड़ और खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र सरकार जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

भारत का राजपत्र 'अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2002' में उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों की सूची में क्रमांक-6 पर अंकित गोंड (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड) को प्रदेश में 13 जनपदों (यथा महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सौनभद्र) में तथा क्रमांक-7 पर अंकित खरवार, खैरवार जाति को जनपद देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (द्वितीय संशोधन) एक्ट 2022 दिनांक 24-12-2022 के अधीन प्रदेश के अन्य 04 जनपदों संतकबीरनगर, कुशीनगर, चन्दौली एवं भदोही में गोंड (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड) को अनुसूचित जनजाति की सूची में अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर में लेखा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कृषकों को कृषि यन्त्रों की खरीद पर अनुदान दिलाये जाने विषयक

132-श्री राम अवतार सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में लेखा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कृषकों को कृषि यन्त्रों की खरीद पर कुल कितना अनुदान का भुगतान किया गया है ? क्या सरकार कृषि यन्त्रों को विक्रय करने वाली फर्मों का नाम तथा दिये गये अनुदान के बैंक विवरण सहित उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद बिजनौर में लेखा वर्ष 2020-21 में 900 कृषकों को रु0 9,71,24,200/- एवं लेखा वर्ष 2021-22 में 418 कृषकों को रु0 4,07,99,617/- की धनराशि का अनुदान भुगतान किया गया।

जनपद बिजनौर में कृषि यंत्रों का विक्रय करने वाली फर्मों का नाम तथा कृषकों को दिये गये अनुदान का विवरण बैंक के नाम सहित संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

133-श्री सचिन यादव-

[01-शुक्रवार के अतारांकित प्र0सं0-101 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में वर्तमान वर्ष के अप्रैल माह के प्रारम्भ में हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसल में हुए नुकसान की भरपाई करने के सम्बन्ध में

134-श्री सचिन यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान वर्ष के अप्रैल माह के प्रारम्भ में हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसल में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार किसान फसल सुरक्षा बीमा देगी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि किसान फसल सुरक्षा बीमा का लक्ष्य क्या है ? क्या सरकार उक्त का जनपदवार विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

वर्तमान में प्रदेश के समस्त जनपदों में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ग्रामपंचायत स्तर पर खरीफ व रबी की मुख्य फसलों को अधिसूचित करते हुए संचालित कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता का प्राविधान है।

योजना के अन्तर्गत निम्न जोखिमों को कवर किया गया है :-

प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाने/अफसल बुवाई की स्थिति (ग्राम पंचायत स्तर पर) खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं यथा-सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ़, ओला, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों-रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति (ग्राम पंचायत स्तर पर)।

फसल की प्रारम्भिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की सम्भावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति (ग्राम पंचायत स्तर पर)।

---

† छापा नहीं गया।

खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति की स्थिति (व्यक्तिगत स्तर पर)।

फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से क्षति की स्थिति (व्यक्तिगत स्तर पर)।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत रबी 2022-23 मौसम में मध्यावस्था/स्थानिक आपदा से फसलों को हुई क्षति के आधार पर लगभग 16 हजार कृषकों को रु0 16.47 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। क्राप-कटिंग प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर क्षतिपूर्ति के आंकलन/ विवरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

जी हां, विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की गृहणियों को कारोबार में सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में

135-श्री सचिन यादव-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गृहणियों को कारोबार में सुविधा प्रदान करने हेतु क्या नीति बनायी गयी है ? क्या सरकार उक्त गृहणियों को कारोबार हेतु बिजली दरों में छूट एवं आवासीय घरों को कमर्शियल घरों में परिवर्तित किये बगैर कारोबार करने देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

प्रदेश के औद्योगिक विकास तथा रोजगार सृजन में उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 28-09-2022 को नई एम0एस0एम0ई0 नीति-2022 लागू की गयी है। उक्त नीति के अन्तर्गत उद्योग स्थापनार्थ भूमि क्रय किये जाने पर सम्पूर्ण प्रदेश में महिलाओं के लिये 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट एवं महिला उद्यमियों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता पूँजीगत उपादान दिये जाने का प्राविधान है।

प्रदेश में बेरोजगार युवतियों/युवकों को छोटे एवं लघु उद्योगों को शुरू एवं प्रोत्साहित करने हेतु उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवतियों/

नोट :-[†] देखिये नत्थी (ञ) आगे पृष्ठ संख्या-408-409 पर।

युवकों का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में अधिकतम रु0 50.00 लाख तक की परियोजनाओं में 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक, मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अधिकतम रु0 25.00 लाख तक की परियोजनाओं हेतु 25 प्रतिशत तथा ओ0डी0ओ0पी0 ऋण योजनान्तर्गत परियोजना धनराशि पर 10 से 25 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जाता है साथ ही विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना एवं ओ0डी0ओ0पी0 टूलकिट प्रशिक्षण योजना के माध्यम से युवतियों/युवकों को उचित प्रशिक्षण एवं टूलकिट उपलब्ध कराकर स्वरोजगार सृजित कराया जाता है। उक्त योजनाओं में गृहणियों को कारोबार हेतु बिजली दरों में छूट एवं आवासीय घरों को कमर्शियल घरों में परिवर्तित किये बगैर कारोबार करने का कोई प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में सरलीकरण कर पात्रों को लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में

136-श्री सर्वेश सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में जटिलता के कारण किसानों को समय पर उक्त निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हित में ऑनलाइन एवं के0वाई0सी0 की प्रक्रिया के सरलीकरण करवाने तथा पात्रों को उक्त का लाभ दिलाने हेतु किसी अधिकारी को जिम्मेदारी निर्धारण पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु ओपेन सोर्स से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी है, यदि किसान को स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने से कठिनाई हो तो वह जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। भारत सरकार द्वारा पीएम-किसान पोर्टल पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया सरल एवं सुलभ बनायी गयी है। अभी विगत 27 जुलाई, 2023 को 14वीं किस्त जारी हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 86 लाख से अधिक किसानों के खाते में 4100 करोड़ रुपये की धनराशि का लाभ मिला है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में मिनी स्टेडियम की स्थापना करने के सम्बन्ध में

137-श्री सर्वेश सिंह-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में बच्चों के खेलों में प्रोत्साहन हेतु मिनी स्टेडियम की स्थापना की योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

जनपद फिरोजाबाद में पूर्व से 03 विभागीय ग्रामीण स्टेडियम निर्मित हैं।

युवा कल्याण विभाग द्वारा भूमि व बजट की उपलब्धता के आधार पर शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 के प्रावधानानुसार सर्वप्रथम उन जनपदों में ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा, जहाँ पर एक भी विभागीय स्टेडियम पूर्व से निर्मित नहीं है।

138-श्री मदन भैया-

[अता0 प्र0सं0-28 की पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद कुशीनगर में छोटे बच्चों के तैराकी अभ्यास हेतु स्विमिंग पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

139-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में छोटे बच्चों के तैराकी अभ्यास हेतु छोटा तरण ताल/स्वीमिंग पूल न होने के कारण बच्चों को तैराकी सीखने में कठिनाइयां होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार छोटे बच्चों के लिए स्वीमिंग पूल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हां।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मद संख्या-06-प्रदेश में खेल अवस्थापनाओं का विकास एवं उन्नयन/नव निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत रु0 11671.98 लाख की बजटीय व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है।

उक्त के दृष्टिगत जनपद कुशीनगर में बाल तरणताल के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2030/बयालिस-2023, दिनांक 21 जुलाई, 2023 द्वारा उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को पुनः पुराने स्थान पर स्थापित कराने के सम्बन्ध में

140-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय कैसरबाग बस स्टैण्ड लखनऊ और जिला अधिकारी कार्यालय के बीच में से हटाकर विकास भवन, इन्दिरा नगर, लखनऊ की तीसरी मंजिल पर स्थापित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त कार्यालय तीसरी मंजिल पर स्थित होने के कारण वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले वृद्ध उक्त स्थान तक नहीं जा पाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार लखनऊ जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को पुनः पुराने स्थान पर स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां।

वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले वृद्धजनों के लिये विकास भवन इन्दिरानगर, लखनऊ में तीसरी मंजिल पर आवंटित कार्यालय के अतिरिक्त भू-तल पर कक्ष संख्या-05 आवंटित है तथा विकास भवन में लिफ्ट भी लगी हुई है। वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान तथा पूर्व विधायकों को रात्रि-विश्राम करने के लिए लखनऊ शहर में मीराबाई गेस्ट हाऊस तथा वी0आई0पी0 गेस्ट हाऊस डालीबाग में रूम में आरक्षित कराने के सम्बन्ध में

141-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान तथा पूर्व विधायकों को रात्रि-विश्राम करने के लिए लखनऊ शहर में मीराबाई गेस्ट हाऊस तथा वी0आई0पी0 गेस्ट हाऊस डालीबाग

का निर्माण कराया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि विभाग में पत्र देने के बाद एवं वार्ता करने के बाद भी राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त गेस्ट हाउस में रूम खाली होने के बावजूद भी रूम आरक्षित नहीं किया जाता है तथा बाहरी व्यक्तियों को गैर कानूनी रूप से रूम आरक्षित कराया जा रहा है जिससे विधायकों को रूम आरक्षित होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य अतिथि गृह 'सरयू', मीराबाई मार्ग, लखनऊ एवं विशिष्ट अतिथि गृह 'यमुना' डालीबाग, लखनऊ में शासनादेश दिनांक 06 मार्च, 2014 में निहित प्राविधानानुसार पात्र महानुभावगण को कक्षों का आरक्षण नियमानुसार उपलब्धता एवं भुगतान के आधार पर किया जाता है। इस पात्रता सूची में मा0 वर्तमान विधायकगण एवं पूर्व विधायकगण भी सम्मिलित हैं। मा0 वर्तमान विधायकगणों को विभाग द्वारा उनके लखनऊ में अध्यासन हेतु आवास भी आवंटित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पावर पम्प की स्थापना कराने के सम्बन्ध में

142-श्री पंकज पटेल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पावर पम्प की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजनान्तर्गत मुंगराबादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 में माह जुलाई, 2023 तक कुल 36 सोलर पम्पों की स्थापना कराई जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित सरकारी खाद की दुकानों में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में

143-श्री पंकज पटेल-

क्या कृषि मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में मुंगराबादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी खाद की कितनी दुकानें वर्तमान में संचालित हैं तथा उक्त में वित्तीय वर्ष 2021-2022 में तथा 2022 2023 में कितने टन खाद सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि फसल ऋतु में किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों को समय अन्तर्गत खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद जौनपुर में सरकारी खाद की कोई दुकान संचालित नहीं है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति की 17 डी0सी0एफ0 की 03 तथा यू0पी0एस0एस0 की 05 बिक्री केन्द्र संचालित हैं।

उक्त संस्थानों के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से मुंगराबादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 में यूरिया उर्वरक 3176.00 मै0टन एवं फॉस्फेटिक उर्वरक 590.00 मै0टन तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में यूरिया उर्वरक 3202.00 मै0टन एवं फॉस्फेटिक उर्वरक 860.00 मै0टन किसानों को उपलब्ध कराई गई है। फसल ऋतु में कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराई जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

144-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[दिनांक 09-08-2023 के अता0प्र0सं0-206 द्वारा उत्तरित]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के वि0ख0 महराजगंज व बिलरियागंज में मण्डी परिषद् की सड़कों का मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

145-श्री नफीस अहमद-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के वि0ख0 महराजगंज व बिलरियागंज में मण्डी परिषद् द्वारा कितनी सड़कें निर्मित हैं तथा उक्त में से वर्तमान में कितनी जर्जर हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हां।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के विकास खण्ड महराजगंज व बिलरियागंज में मण्डी परिषद् की कुल 20 सम्पर्क मार्ग निर्मित कराये गये हैं। मण्डी परिषद् के स्वामित्व के 20 मार्गों में से 03 मार्ग अन्य विभाग द्वारा ग्रहण कर लिये गये हैं। 11 मार्ग संतोषजनक स्थिति में हैं, शेष 06 मार्ग पैच-मरम्मत/नवीनीकरण योग्य हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति-2013 के अनुरूप एवं मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में सम्मिलित किया जाना लक्षित होता है।

उपरोक्तानुसार। (सूची संलग्न)†

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

146-श्री नफीस अहमद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में कितने ग्रामों का चयन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में किया गया है तथा चयनित ग्रामों में कौन-कौन से विशेष कार्य कराये गये हैं ? क्या सरकार उक्त योजना में चयन हेतु पात्रता की शर्तों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में कुल 49 ग्रामों का चयन प्रधानमत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत किया गया है। भारत सरकार द्वारा चयनित ग्रामों में गैपफिलिंग के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित आधारभूत संरचनाओं का विकास, ठोस व द्रव अवशिष्ट निपटान सुविधाओं का विकास, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ियों में शौचालयों का निर्माण एवं वृहद मरम्मत कार्य, आंगनबाड़ियों का निर्माण एवं सोलर लाइट एवं स्ट्रीट लाइट की स्थापना सम्बन्धी कार्य अनुमन्य है। गैपफिलिंग के अन्तर्गत चिन्हित कार्यों को कराये जाने हेतु शासन द्वारा यू0पी0 सिडको को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में चयनित बरजी ग्राम में गैपफिलिंग के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको द्वारा निम्न कार्य कराये गये हैं :-

ग्राम सभा बरजी पिच रोड से काली माता स्थान तक इण्टरलॉकिंग रोड कार्य।

गुलाब राय के घर से पोखरी तक इण्टरलॉकिंग रोड कार्य।

प्रेम राय के घर से वीर प्रताप के घर तक सी0सी0 रोड कार्य।

नोट :-† देखिये नत्थी (ट) आगे पृष्ठ संख्या-410 पर।

जी हां।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0 ए0जी0वाई0) के अन्तर्गत ग्रामों का चयन सीधे भारत सरकार द्वारा किया जाता है। योजना में चयनित ग्रामों का आधार वर्ष 2021-22 तक निर्गत योजना की गाइड लाइन फरवरी, 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत या उससे अधिक तथा वर्ष 2022-23 में निर्गत योजना की गाइड लाइन दिसम्बर, 2022 के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के आबादी वाले गांव और जिनकी आबादी 500 या उससे अधिक है, का चयन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना से दिनांक 11-04-2023 तक लाभार्थियों के विवरण के सम्बन्ध में

147-श्री नफीस अहमद-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना से दिनांक 11-04-23 तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हां, मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2018-19 से संचालित है। इस योजना से दिनांक 11-04-2023 तक जनपद आजमगढ़ में कुल 421 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

उक्त का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	विवरण की संख्या (लाभन्वित व्यक्ति)
2018-19	66
2019-20	60
2020-21	109
2021-22	93
2022-23	93
2023-24 (दिनांक 11-04-2223 तक)	00
कुल योग	**421**

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में खेलों के प्रति युवाओं को जागरूक करने हेतु विगत 2 वर्षों में निर्मित खेल मैदानों की संख्या की जानकारी के सम्बन्ध में

148-श्री नफीस अहमद-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में खेलों के प्रति युवाओं को जागरूक करने हेतु विगत 2 वर्षों में कितने खेल मैदान बनाये गये हैं एवं निर्मित खेल मैदानों में कितने प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

खेल विभाग द्वारा जनपद आजमगढ़ में विगत 02 वर्ष में कोई खेल मैदान निर्मित नहीं किया गया है।

जनपद आजमगढ़ में खेल विभाग द्वारा पूर्व से ही एक स्टेडियम का निर्माण कराया जा चुका है, जहां पर मुख्य खेल का मैदान, बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल, जिम्नेजियम हाल, पैवेलियन, छात्रावास भवन, सिन्थेटिक बास्केटबाल कोर्ट, बाक्सिंग रिंग, बालीबाल कोर्ट एवं अत्याधुनिक जिम स्थापित हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0ख0 महराजगंज तथा बिलरियागंज में किसानों को कृषि उपकरणों पर दिये गये अनुदान के सम्बन्ध में

149-श्री नफीस अहमद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के वि0ख0 महराजगंज तथा बिलरियागंज में कितने किसानों को कृषि उपकरणों पर अनुदान वर्तमान में दिया जा रहा है ? क्या सरकार किसानों की अनुदान सूची का विकास खण्डवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज के 03 कृषकों को तथा विकास खण्ड बिलरियागंज में 08 कृषकों को विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि उपकरणों पर अनुदान का लाभ दिया गया है।

उक्त कृषकों की अनुदान सूची का विकास खण्डवार विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-† देखिये नत्थी (ठ) आगे पृष्ठ संख्या .... पर।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के नोटिफाइड गांवों में अनाधिग्रहीत भूमि पर शिक्षण संस्थान संचालित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) देने के सम्बन्ध में

150-श्री मदन भैया-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के नोटिफाइड गांवों में अनाधिग्रहीत भूमि पर शिक्षण संस्थान संचालित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन0ओ0सी0) देने की क्या कोई पॉलिसी है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के नोटिफाइड गांवों में अनाधिग्रहीत भूमि पर शिक्षण संस्थान संचालित करने के लिये प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन0ओ0सी0) दिये जाने की सम्प्रति कोई नीति प्रचलित नहीं है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कालेज खोलने के सम्बन्ध में

151-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया विधान सभा क्षेत्र बैरिया में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कालेज खोलने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया में पूर्व से ही एक स्टेडियम निर्मित है, जहां पर मुख्य खेल मैदान, प्रशासनिक भवन, बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल, डारमेट्री, शूटिंग रेन्ज, बॉस्केटबाल कोर्ट एवं अत्याधुनिक जिम स्थापित है।

स्पोर्ट्स कालेज के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद बलिया के ग्राम पूर, तहसील सिकन्दरपुर बलिया में स्पोर्ट्स कालेज के अन्तर्गत प्रथम चरण में रु0 972.88 लाख की लागत से बाउण्ड्रीवाल, मेनगेट, गार्डरूम एवं ट्यूबवेल का निर्माण कराया जा चुका है।

द्वितीय चरण के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रु0 1000.00 लाख की बजटीय व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

जनपद बिजनौर में लेखा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 तथा 2022-23 में दिनांक 31-03-2023 तक कृषकों को कृषि यन्त्रों की खरीद पर अनुदान विषयक

152-श्री राम अवतार सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में लेखा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 तथा 2022-23 में दिनांक 31-03-2023 तक कृषकों को कृषि यन्त्रों की खरीद पर कुल कितना अनुदान का भुगतान किया गया है ? क्या सरकार कृषि यन्त्रों का विक्रय करने वाली फर्मों का नाम तथा अनुदान प्राप्त कृषकों का बैंक के नाम सहित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद बिजनौर में लेखा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 तथा 2022-23 में दिनांक 31 मार्च, 2023 तक कृषकों को कृषि यन्त्रों की खरीद पर 2020-21 में रु0 97124200.00, वर्ष 2021-22 में रु0 40799617.00 एवं वर्ष 2022-23 में रु0 52136575.00 कुल धनराशि रु0 190060392.00 का अनुदान कृषि यंत्रों पर अनुदान अनुमन्य किया गया है।

वर्षवार, यन्त्रवार वितरित कृषि यन्त्रों का विवरण विभागीय पोर्टल www.upagriculture.com पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में लेखा वर्ष 2020-21 से दिनांक 01-04-2023 तक भूमि संरक्षण विभाग द्वारा भूमि संरक्षण हेतु किये गये कार्यों का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

153-श्री राम अवतार सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में लेखा वर्ष 2020-21 से दिनांक 01-04-2023 तक भूमि संरक्षण विभाग द्वारा भूमि संरक्षण हेतु किये गये कार्यों का विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनप्रतिनिधियों को उक्त कार्यों की सूचना दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

भूमि संरक्षण इकाई बिजनौर द्वारा वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (खेत-तालाब) के अन्तर्गत कुल 20 खेत-तालाब के कार्य कराये गये हैं तथा मनरेगा योजनान्तर्गत 598.380 हे0 में भूमि विकास एवं नाला जीर्णोद्धार के कार्य कराये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत 284.45 हे0 भूमि के उपचार का कार्य किया गया तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (खेत-तालाब) के अन्तर्गत कुल 24 खेत-तालाब के कार्य कराये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत 439.33 हे0 भूमि के उपचार का कार्य किया गया तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई (खेत-तालाब) योजनान्तर्गत कुल 07 खेत-तालाब के कार्य कराये गये हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आजमगढ़ में वर्तमान में पंजीकृत दिव्यांगजन एवं उन्हें वितरित ट्राईसाइकिल के सम्बन्ध में

154-श्री नफीस अहमद-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वर्तमान में कुल कितने दिव्यांगजन पंजीकृत हैं एवं इनमें से कितनों को ट्राईसाइकिल का वितरण कर दिया गया है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित 'कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद आजमगढ़ में निःशुल्क ट्राईसाइकिल प्राप्त करने हेतु कुल 572 दिव्यांगजन पंजीकृत हुए, पंजीकृत 572 दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल प्रदान कर दी गई है तथा कोई पंजीकृत दिव्यांगजन शेष नहीं है।

उक्तानुसार।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में सरकार द्वारा सत्र, 2021-22 में वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट योजना के अन्तर्गत चयनित उत्पादों के विवरण के सम्बन्ध में

155-श्री नफीस अहमद-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में सरकार द्वारा सत्र, 2021-22 में वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट योजना के अन्तर्गत किस उत्पाद का चयन किया गया है तथा उसे बढ़ावा देने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हां।

सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियां एवं वस्त्र उत्पाद (रेशमी साड़ी) का चयन किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कारोबारियों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है :-

1-एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना- योजना अन्तर्गत बैंकों द्वारा उद्योगों हेतु वित्त पोषण किया जा रहा है तथा उक्त के सापेक्ष प्राप्त दावों के विरुद्ध सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ओ0डी0ओ0पी0 योजना अन्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से उक्त मार्जिन मनी की धनराशि हेतु ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है।

परियोजना लागत	देय मार्जिन मनी
रु0 25.00 लाख तक की परियोजना	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 6.25 लाख, जो भी कम हो,
रु0 25.00 लाख से अधिक एवं रु0 50.00 लाख तक की परियोजना,	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अथवा रु0 6.25 लाख, जो भी अधिक हो,
रु0 50.00 लाख से अधिक एवं रु0 150.00 लाख तक की परियोजना,	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अथवा रु0 10.00 लाख, जो भी अधिक हो,
रु0 150.00 लाख से अधिक की परियोजना,	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम रु0 20.00 लाख, जो भी कम हो।

उक्त योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2018-19 से किया जा रहा है। योजना प्रारम्भ से मार्च, 2023 तक जनपद आजमगढ़ में रु0 1880.00 लाख परियोजना लागत की 233 इकाइयों की स्थापना की गयी है, जिसमें रु0 468.70 लाख मर्जिन मनी के रूप में उपादान उपलब्ध कराया गया है। अतः उक्त इकाइयों की स्थापना द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 1725 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

2-एक जनपद-एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना- इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित उत्पादों को एक ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेला/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने तथा ई-मार्केटिंग के माध्यम से विपणन हेतु सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत उक्त मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक हस्तशिल्पियों/उद्यमियों को मेला स्थल तक माल ढुलाई, स्टाल चार्जेज, यात्रा हेतु किया गया व्यय आदि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक कामर्स की प्रतिष्ठित वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से किये गये व्यवसाय में हुए व्यय का 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

योजना प्रारम्भ से मार्च, 2023 तक अद्यतन रु0 11.30 लाख की प्रतिपूर्ति की गई है।

3-प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चिन्हित किये गये ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के निर्माण हेतु चिन्हित उत्पाद की विधा में उचित प्रशिक्षण एवं आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराकर उत्पाद की गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ कम श्रम, कम लागत एवं कम समय में गुणात्मक उत्पादन सुनिश्चित करने की योजना बनाई गयी है।

योजना प्रारम्भ से मार्च, 2023 तक अद्यतन 925 कारीगरों/हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्नत किस्म के टूलकिट वितरित किये गये हैं।

4-सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना- इस योजना के अन्तर्गत जनपद के चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के अवयवों जैसे-कच्चा माल, डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण, पैकेजिंग आदि की सुविधाओं हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्राविधान है। कुल रु0 15 करोड़ लागत तक की परियोजनायें योजनान्तर्गत स्थापित की जा सकती हैं। उक्त हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राज्य सरकार के अंशदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

योजना प्रारम्भ से मार्च, 2023 तक जनपद आजमगढ़ में धनराशि रु0 181.72 लाख लागत की 01 सी0एफ0सी0 परियोजना ''ब्लैक पॉटरी फाउण्डेशन'' स्थापित की गई है, जो वर्तमान में कार्यरत है।

ओ0डी0ओ0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय उद्यमियों/कारीगरों/हस्तशिल्पियों को वित्त पोषण विपणन आदि के क्षेत्र में हैण्डहोल्डिंग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न ई-कामर्स की संस्थाओं यथा-अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि पर ऑन बोर्डिंग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

(जनपद आजमगढ़ की एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से मार्च, 2023 तक की अवधि की भौतिक, वित्तीय तथा रोजगार सृजन की प्रगति/बजट एलाटमेंट अण्डर ओ0डी0ओ0पी0/एम0डी0ए0 स्कीम/एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत दक्षता, कौशल विकास, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट दिनांक 07-07-2023/ ओ0डी0ओ0पी0 सामान्य सुविधा केन्द्र योजनान्तर्गत जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में स्थापित ''ब्लैक पॉटरी फाउण्डेशन'' का विवरण संलग्न[†] है।)

नोट :-[†] देखिये नत्थी (ड) आगे पृष्ठ संख्या-412-415 पर।

जनपद शाहजहांपुर में जिला रेशम कार्यालय द्वारा दिनांक 01-04-2021 से 31-03-2023 तक उत्पादित रेशन के सम्बन्ध में

156-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में जिला रेशम कार्यालय द्वारा दिनांक 01-04-2021 से 31-03-2023 तक कितना रेशम का उत्पादन हुआ तथा उससे क्या-क्या सामान का निर्माण हुआ ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कार्यालय में 3 वर्षों से कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उक्त कार्यालय द्वारा क्या-क्या कार्य कराये जाते हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जनपद शाहजहांपुर में जिला रेशम कार्यालय (सहायक निदेशक, रेशम) द्वारा दिनांक 01-04-2021 से 31-03-2023 तक कुल 147614.500 कि0ग्रा0 कोया का उत्पादन किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	अवधि	कोये का विवरण (कि0ग्रा0)			
		वाईXवाई	मल्टीXवाई	मल्टीXमल्टी	कुल योग
1	01-04-2021 से 31-03-2022 तक	43629.000	22253.000	6298.000	72180.000
2	01-04-2022 से 31-03-2023 तक	41594.500	17532.000	16308.000	75434.500
योग		**85223.500**	**39785.000**	**22606.000**	**147614.500**

उक्त अवधि में उत्पादित कोये से जनपद पीलीभीत में स्थापित रेशम धागाकरण इकाई में रेशम धागे का उत्पादन कार्य एवं मल्टी प्रजाति के उत्पादित कोये को कृषकों द्वारा विक्रय कर आय प्राप्त की गई।

जनपद शाहजहांपुर में उत्पादित कोये से निर्मित धागे का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	अवधि	उपयोग किये गये कोये द्वारा उत्पादित धागे का विवरण	
		खपत किये गये कोये की मात्रा (किग्रा0 में) (वाईXवाई)	उत्पादित धागे की मात्रा (किग्रा0 में)
1	01-04-2021 से 31-03-2022 तक	15900.000	1632.200
	01-04-2022 से 31-03-2023 तक	12265.000	1460.600
	योग :	**28165.000**	**3092.800**

उक्त उत्पादित धागे का विक्रय औद्योगिक रेशम धागा उत्पादन समूह मरौरी द्वारा वाराणसी, मुबारकपुर एवं पश्चिम बंगाल के व्यवसायियों को किया गया।

धागा उत्पादन हेतु कोया क्रय करने के उपरान्त अवशेष 119449.50 किग्रा0 (बाई x बाई का 57058.50 किग्रा0 मल्टी x बाई का 39785.00 किग्रा0 एवं मल्टी x मल्टी का 22606.00 किग्रा0) कोये का विक्रय कीटपालकों द्वारा सीधे पश्चिम बंगाल के व्यापारियों यथा- जमशेद अली, माल्दा, पश्चिम बंगाल, ताजमुल हुसैन, माल्दा पश्चिम बंगाल एवं जैनतुल फिरदौस, कलिया चक, पश्चिम बंगाल आदि को विक्रय किया।

जनपद शाहजहांपुर के जिला रेशम कार्यालय में विगत 03 वर्षों से कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	कार्यालय/फार्म का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	अभ्युक्ति
1	नियंत्रक अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक (रेशम) पीलीभीत (जून, 2022 तक)	श्री मिथलेश कुमार सिंह	जनपद शाहजहांपुर में कोई जिला स्तरीय कार्यालय नहीं है। जनपद का कार्य कार्यालय सहायक निदेशक (रेशम) पीलीभीत से सम्पादित किया जाता है।
2	नियंत्रक अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक (रेशम) पीलीभीत (जुलाई, 2022 से वर्तमान तक)	श्री दयाशंकर सिंह	
3	राजकीय रेशम फार्म सतवा बुजुर्ग	श्री गोपाल चन्द्र (सहायक रेशम विकास अधिकारी)	
4	राजकीय रेशम फार्म-सतवा बुजुर्ग	श्री हरि सिंह (अनुरक्षक रेशम उत्पादन)	
5	राजकीय रेशम फार्म- जैनुद्दीननगर (जुलाई, 2022 तक)	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह (अनुरक्षक रेशम उत्पादन)	
6	राजकीय रेशम फार्म- जैनुद्दीननगर (अगस्त, 2022 से वर्तमान तक)	श्री प्रमोद कुमार (रेशम विकास अधिकारी)	
7	राजकीय रेशम फार्म- महमूदपुर सैजनिया	श्री राजेश चौहान (अनुरक्षक रेशम उत्पादन)	
8	राजकीय रेशम फार्म- सिधौली	श्री विपिन कुमार (चौकीदार)	

जनपद शाहजहांपुर में 03 वर्षों में कराये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

जनपद शाहजहांपुर में जिला रेशम कार्यालय स्थापित नहीं है। इसका नियंत्रण पीलीभीत परिक्षेत्र द्वारा किया जाता है। जनपद स्तर पर रेशम कार्यों का संचालन एवं जनपद स्तरीय बैठकों में भाग लेना तथा जिला प्रशासन द्वारा सौंपे गये कार्यों का ससमय निस्तारण राजकीय रेशम फार्म सतवा बुजुर्ग में तैनात सहायक रेशम विकास अधिकारी द्वारा किया जाता

है। वृहद् वृक्षारोपण के अन्तर्गत शहतूत वृक्षारोपण कार्य, फार्म से सम्बन्धित कर्षण कार्य, चाकी कीटपालक कार्य, फार्म स्तरीय गोष्ठी एवं प्रशिक्षण कृषकों को दिया जाता है तथा समय-समय पर कृषकों को राज्यीय प्रशिक्षण वर्ष (2021-22) में 07 लाभार्थी एवं वर्ष (2022-23) में 07 लाभार्थी हेतु विभागीय प्रशिक्षण संस्थान मिर्जापुर तथा अन्तर्राज्यीय प्रशिक्षण वर्ष (2021-22) में 03 लाभार्थी एवं वर्ष (2022-23) में 03 लाभार्थी हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार के प्रशिक्षण संस्थान मैसूर (कर्नाटक)/बहरामपुर (पश्चिम बंगाल) में निःशुल्क कृषकों/लाभार्थियों को रेशम उत्पादन/तकनीक का प्रशिक्षण कराया गया है।
उपरोक्तानुसार।
प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बुनकरों/जुलाहों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु एवं उनके उत्पादों की बिक्री एवं भण्डारण हेतु लाभकारी योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

157-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बुनकरों/जुलाहों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु एवं उनके उत्पादों की बिक्री एवं भण्डारण हेतु लाभकारी योजना सरकार ने बनायी है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हां।

उत्तर प्रदेश के हथकरघा बुनकरों/जुलाहों के विकास एवं कल्याण के लिये प्रदेश सरकार द्वारा निम्नांकित योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं :-

1-अनुसूचित जाति के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों के विकास के लिये हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम (एस0सी0पी0) योजना।

2-मुख्य मंत्री पावरलूम एवं हैण्डलूम उद्योग का विकास (सामान्य) योजना।

3-हथकरघा उद्योग बुनकरों को प्रोत्साहित करने हेतु सन्त कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना।

4-हथकरघा क्षेत्र के प्रशिक्षणार्थियों को सहायता।

5-हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट प्रतिपूर्ति।

उपरोक्त के अतिरिक्त केन्द्र सरकार की योजनायें यथा-राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार के माध्यम से निम्न उपघटक के अन्तर्गत हथकरघा के कल्याण/विकास हेतु योजनायें संचालित की जाती हैं :-

1-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, 2-हथकरघा संवर्धन सहायता, 3-विपणन प्रोत्साहन, 4-हथकरघा विपणन सहायता (स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो/नेशनल हैण्डलूम एक्सपो का आयोजन)।

केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नेशनल हैण्डलूम एक्सपो, स्टेट हैण्डलूम एक्सपो, स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो एवं जिला स्तरीय हथकरघा प्रदर्शनियों एवं दिल्ली हाट के माध्यम से हथकरघा बुनकरों के हथकरघा उत्पादों के विक्रय हेतु अवसर/स्थान आदि उपलब्ध कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया में उद्योग लगाने विषयक

158-श्री पंकज पटेल-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया में सन् 2022 में हुई इन्वेस्टर समिट में औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया में उद्योग लगाने के लिए किसी कम्पनी द्वारा एम0ओ0यू0 साइन हुआ है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 में किसी प्रकार की इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन नहीं किया गया था।

माह फरवरी, 2023 में प्रदेश सरकार द्वारा 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023' का आयोजन किया गया था, जिसमें जनपद जौनपुर में नवीन औद्योगिक इकाइयों के स्थापनार्थ कुल 107 एम0ओ0यू0 लगभग रुपये 46,057 करोड़ के हस्ताक्षरित किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को रबी फसलों के उन्नत प्रजातियों के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने विषयक

159-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को किन-किन रबी फसलों के उन्नत प्रजातियों के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं ? क्या सरकार उनकी पैदावार अथवा पर्यावरण के दुष्परिणाम के सम्बन्ध में जानकारी का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

रबी 2022-23 में प्रदेश में किसानों को चना, मसूर, तोरिया एवं राई/सरसों फसल के उन्नत प्रजातियों के बीज मिनीकिट निःशुल्क उपलब्ध कराये गये हैं।

उक्त फसलों की उन्नत प्रजातियों के प्रमाणित बीज के प्रयोग से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि दलहनी फसलों की जड़ों में पाये जाने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमण्डल से नत्रजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं, जिससे फसल को नत्रजन की उपलब्धता होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के उप कृषि निदेशक कार्यालय में 01-04-2020 से 31-03-2023 तक कृषि यन्त्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

160-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के उप कृषि निदेशक कार्यालय में 01-04-2020 से 31-03-2023 तक कौन से कृषि यन्त्र कितनी-कितनी धनराशि के विधान सभा क्षेत्र कटरा में किन-किन कृषकों को कब-कब कितनी-कितनी धनराशि के उपलब्ध कराये गये ? क्या सरकार उक्त कृषकों की सूची तथा यन्त्रों का लाभ धनराशि सहित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद शाहजहांपुर के उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से दिनांक 31 मार्च, 2023 तक अनुदान पर वितरित कृषि यन्त्रों की सूची में विधान सभा क्षेत्र कटरा के 166 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

वर्षवार, यन्त्रवार वितरित कृषि यन्त्रों का विवरण विभागीय पोर्टल www.upagriculture.com पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या के नरेन्द्र देव यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी के सभी छात्रों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की छात्रवृत्ति विषयक

161-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या के नरेन्द्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी के सभी छात्रों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की छात्रवृत्ति जारी कर दी गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि रजिस्ट्रेशन संख्या-470310102100345 की छात्रवृत्ति जारी कर दी गई है ? यदि नहीं, तो उक्त के क्या कारण हैं तथा क्या सरकार उक्त के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त छात्रवृत्ति जारी करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी नहीं।

सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता समयान्तर्गत ऑनलाइन सत्यापित न किये जाने के कारण उक्त यूनिवर्सिटी के परास्नातक (कृषि) द्वितीय वर्ष के छात्र श्री आशीष कुमार वर्मा पुत्र श्री राम केवल वर्मा द्वारा वर्ष 2022-23 में ऑनलाइन किये गये छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन संख्या-470311102100345 की छात्रवृत्ति जारी नहीं की जा सकी।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासन स्तर से निर्गत समय-सारिणी के अनुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को निर्धारित समय, दिनांक 30 जनवरी, 2023 तक ऑनलाइन सत्यापित न होने के कारण नियमानुसार ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सका था।

उल्लेखनीय है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना फण्ड लिमिटेड योजना है और उपलब्ध बजट सीमा तक ही नियमावली में प्राविधानित व्यवस्थानुसार उसी वित्तीय वर्ष में दिये जाने की व्यवस्था है। यदि पात्र छात्र की देयता लम्बित रही है, तो वह देयता अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं होती है, जिसके कारण सम्बन्धित छात्रों को नियमानुसार छात्रवृत्ति का भुगतान सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकरनगर के दयाराम वर्मा महाविद्यालय पीठपुर कुरीया छितौना के वित्तीय वर्ष 2022-23 में सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में

162-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के दयाराम वर्मा महाविद्यालय पीठपुर कुरीया छितौना के वित्तीय वर्ष 2022-23 के सभी छात्रों की छात्रवृत्ति जारी कर दी गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि रजिस्ट्रेशन संख्या-482430502200090 की छात्रवृत्ति अभी तक जारी नहीं की गई है, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुये उक्त की छात्रवृत्ति जारी करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाती है। जनपद अम्बेडकरनगर के दयाराम वर्मा महाविद्यालय पीठपुर कुरीया छितौना के वित्तीय वर्ष 2022-23 के सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति के सभी पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति जारी कर दी गई है।

जी हां।

सरकार के संज्ञान में है कि रजिस्ट्रेशन संख्या-482430502200090 की छात्रवृत्ति जारी नहीं की गई है। रजिस्ट्रेशन संख्या-482430502200090 बी0एड पाठ्यक्रम के अन्तर्गत दशमोत्तर सामान्य वर्ग से सम्बन्धित है। सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 55 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित (मैनेजमेंट कोटा व स्पॉट प्रवेश को छोड़कर) छात्र/छात्रायें ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह हैं। उक्त रजिस्ट्रेशन संख्या-482430502200090 के स्नातक के 55 प्रतिशत अंक नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति जारी नहीं की गई है।

जी नहीं।

उक्त रजिस्ट्रेशन संख्या को नियमावली के अनुसार पात्र नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति न जारी करने हेतु कोई दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

छात्रवृत्ति नियमावली के अनुसार उक्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं है।

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र सहसवान में मण्डी समिति इस्लामनगर की चहारदीवारी, गेट एवं गेट पिलर्स आदि का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

163-श्री ब्रजेश-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र सहसवान में मण्डी समिति इस्लामनगर की चहारदीवारी, गेट एवं गेट पिलर्स आदि का निर्माण कार्य दिनांक 05-07-2014 को प्रारम्भ किया गया था, वर्तमान तक पूर्ण नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जनपद बदायूं की मण्डी समिति, इस्लामनगर की चहारदीवारी, गेट एवं गेट पिलर का निर्माण कार्य दिनांक 05-07-2014 को प्रारम्भ किया गया था एवं कार्य वास्तविक रूप से दिनांक 25-06-2015 को पूर्ण कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद झांसी में माह सितम्बर/अक्टूबर वर्ष 2022 में हुई भीषण बरसात में फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति से वंचित किसानों को फसल बीमा दिलाये जाने के सम्बन्ध में

164-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में माह सितम्बर/अक्टूबर वर्ष 2022 में हुई भीषण बरसात में फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति से वंचित किसानों को फसल बीमा दिलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0-187547, दिनांक 18 अप्रैल, 2023 अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

जनपद झांसी में खरीफ 2022 मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मध्यावस्था/स्थानिक आपदा के अन्तर्गत व्यक्तिगत आधार पर 1675 बीमित किसानों को रु0 89.31 लाख की आंशिक क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया गया है। मौसम के

अन्त में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर 1.43 लाख बीमित कृषकों को रु0 121.24 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है, जिसमें आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में वितरित की गई धनराशि समायोजित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर, थाना गढ़ियारंगीन के अन्तर्गत ग्राम टाटराबाद में देशी शराब की अवैध बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

165-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के थाना गढ़ियारंगीन के अन्तर्गत ग्राम टाटराबाद में दिनांक 07-03-2023 को शराब बन्दी के दिन आबकारी टीम व उ0प्र0 पुलिस की संयुक्त टीम ने टाटराबाद में देशी शराब बरामदगी की जांच के उपरान्त उक्त शराब देशी दुकान सं0-4770 ग्राम टाटराबाद की निकली, जिसके क्रम में आबकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 07/08-03-2023 को थाना गढ़ियारंगीन में उक्त दुकान की अनुज्ञापी मुन्नी देवी व सेल्समैन भूरा के खिलाफ क्राइम संख्या-101/2023, धारा-60 में अभियोग पंजीकृत कराया गया, परन्तु उक्त अनुज्ञापी के खिलाफ दुकान निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनुज्ञापी पर शराब लाइसेन्स निरस्तीकरण की कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में आबकारी विभाग व थाना गढ़िया रंगीन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 07/08-03-2023 की रात्रि में बरामदगी के फलस्वरूप मु0अ0सं0-101/2023, धारा-60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कराया गया। उक्त बरामदगी टाटराबाद में देशी शराब दुकान के अनुज्ञापित परिसर से न होकर अन्यत्र स्थान से हुई है। उक्त प्रकरण विवेचनाधीन है।

विवेचना के उपरान्त प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर नियमों के आलोक में यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वृद्धा पेंशन से वंचित 60 वर्ष से ऊपर आयु के पात्रों की पहचान हेतु अभियान चलाकर वृद्धावस्था पेंशन दिलाये जाने के सम्बन्ध में

166-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन से वंचित 60 वर्ष से ऊपर आयु के पात्रों की पहचान हेतु अभियान चलाकर वृद्धावस्था पेंशन दिलाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

आवेदक द्वारा वेबसाइट http://ssyp.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किये जाने की सुविधा उपलब्ध है। पात्र व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्वयं अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर आवेदन किया जा सकता है।

पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दिलाये जाने हेतु समय-समय पर अभियान चलाये जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पेंशन हेतु पात्र व्यक्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है, तो वह Elderline 14567 पर सूचना दे सकता है। Elderline द्वारा उस व्यक्ति से सम्पर्क कर पेंशन हेतु फार्म भरने में मदद की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अतिवृष्टि में बर्बाद हुई विगत खरीफ फसल की क्षतिपूर्ति विषयक

167-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अतिवृष्टि में बर्बाद हुयी विगत खरीफ फसल की क्षतिपूर्ति प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत कर दी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

खरीफ 2022 मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 8.20 लाख किसानों को रु0 634.83 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। रबी 2022-23 मौसम में मध्यावस्था/स्थानिक आपदा से फसलों को हुई क्षति के आधार पर लगभग 16 हजार कृषकों को रु0 16.47 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में उप कृषि निदेशक कार्यालय में दिनांक 01-04-2021 से 21-04-2023 तक वितरित कृषि यंत्रों का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

168-श्री पंकज पटेल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में उप कृषि निदेशक कार्यालय में दिनांक 01-04-2021 से 21-04-2023 तक कुल कितने कृषि यन्त्रों का वितरण किन कृषकों को कब किये गये तथा कितनी धनराशि जमा करायी गयी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद जौनपुर में उप कृषि निदेशक कार्यालय में दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से दिनांक 21 अप्रैल, 2023 तक कुल 406 कृषि यन्त्रों का वितरण 406 कृषकों को किया गया तथा रुपये 1147500 की धनराशि जमा कराई गई।

वर्षवार, यन्त्रवार वितरण कृषि यन्त्रों का विवरण विभागीय पोर्टल www.upagriculture.com पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में दिनांक 21-04-2023 तक वृद्धावस्था पेंशन विषयक

169-श्री पंकज पटेल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में दिनांक 21-04-2023 तक ऐसे कितने वृद्धजन हैं, जिन्होंने वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन किया है एवं उक्त में से कितनों को पेंशन प्राप्त हो रही है तथा कितने को पेंशन नहीं मिल पा रही है ? क्या सरकार पात्रता श्रेणी के अवशेष वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में दिनांक 21-04-2023 तक 23448 वृद्धजनों ने वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन किया है। उक्त में से 23058 वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त हो रही है। 390 आवेदन-पत्र खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जांच हेतु लम्बित होने के कारण पेंशन नहीं मिल पा रही है। खण्ड विकास अधिकारियों से डाटा प्राप्त होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर द्वारा नियमानुसार स्वीकृति की कार्यवाही कराई जायेगी।

वृद्धावस्था पेंशन एक सतत् प्रक्रिया है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वृद्धजनों द्वारा आवेदन-पत्र दिये जाने के उपरान्त जांचोपरान्त पात्र वृद्धजनों को पेंशन प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में छात्र/छात्राओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तान्तरित की गयी छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि विषयक

170-श्री सचिन यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छात्र/छात्राओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तान्तरित की गयी छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि सभी पात्र छात्र/छात्राओं के खातों में सफलतापूर्वक हस्तान्तरण की सुनिश्चितता हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित है ? क्या सरकार को जानकारी है कि कतिपय पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि प्रदर्शित नहीं होती है, किन्तु विभाग द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उनकी छात्रवृत्ति धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तान्तरित की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार हस्तान्तरित की गयी धनराशि किस बैंक खाते में कब भेजी गयी हैं, की सूचना छात्र/छात्राओं को उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग की पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाती है।

पूर्वदशम्/दशमोत्तर-

1-अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। छात्रों के डेमोग्रेफिक आधार आथेन्टिकेशन के उपरान्त आवेदन अन्तिम रूप से अग्रसारित होता है।

2-अनुसूचित जाति के छात्रों के आधार सीडेड बैंक खातों का पी0एफ0एम0एस0 से वैलिडेशन तथा जनपदीय स्वीकृति समिति के सत्यापन के उपरान्त 40 प्रतिशत राज्यांश राज्य स्तर से, 60 प्रतिशत केन्द्रांश भारत सरकार स्तर से छात्रों के आधार सीडेड बैंक खातों में अन्तरित की जाती है।

3-सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि को आवेदन में फीड किये गये बैंक खातों में अंतरित की जाती है।

जी हां।

छात्रों के बैंक खातों/आधार सीडेड बैंक खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अन्तरण की प्रक्रिया निर्धारित है। कतिपय छात्र/छात्रों के बैंक खातों में बैंकिंग नियमों के अन्तर्गत बैंक खातों में अधिकतम क्रेडिट लिमिट सेट होने, धनराशि प्रेषण के समय खाता बन्द होने, के0वाई0सी0 पूरी न होने तथा एकाउण्ट फ्रीज/ब्लॉक होने आदि कारणों से ट्रान्जेक्शन फेल हो जाता है। ऐसी स्थिति में छात्रों के स्टेटस में ट्रांजेक्शन फेल होने की सूचना एवं कारण छात्र स्टेटस में प्रदर्शित किया जाता है। ट्रान्जेक्शन फेल होने के कारण वांछित धनराशि छात्र के बैंक खाते में क्रेडिट नहीं होती है।

जी हां।

छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की बैंक खातों में प्रेषित धनराशि को छात्र के स्टेटस में बैंक का नाम व खाता संख्या के अन्तिम चार अंक प्रदर्शित किये जाते हैं। पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल एवं सम्बन्धित बैंक के माध्यम से छात्र अपने खाते में भुगतान की जानकारी प्राप्त कर सकता है। छात्रों के स्टेटस में ट्रान्जेक्शन फेल होने की सूचना एवं कारण छात्र के स्टेटस में प्रदर्शित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के दृष्टिगत मटर का समर्थन मूल्य घोषित करने के सम्बन्ध में

171-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के दृष्टिगत क्या सरकार मटर का समर्थन मूल्य घोषित कराने के लिये केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में रबी में फसल मटर के आच्छादन के दृष्टिगत उसके सहाय्य मूल्यों की संस्तुति भारत सरकार स्तर पर गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से फसल मटर के समर्थन मूल्यों की घोषणा हेतु अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कम वर्षा के कारण नष्ट/खराब फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में

172-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कम वर्षा के कारण नष्ट/खराब हुई उरद, मूंग, तिल, मूंगफली, धान आदि खरीफ की फसलों का सर्वे करवाकर किसानों को हुए नुकसान की भरपाई हेतु उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ सरकार दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित फसलों को प्राकृतिक आपदाओं व रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों यथा रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने की स्थितियों में, बीमित कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

खरीफ 2022 मौसम में योजनान्तर्गत 8.20 लाख कृषकों को कुल रु0 634.83 करोड़ की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पूर्ण शराब बन्दी लागू करने के सम्बन्ध में

173-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पूर्ण शराब बन्दी लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जी नहीं।

राज्य में शराब बन्दी से अवैध मदिरा के निर्माण, तस्करी एवं उपभोग से जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश में पूर्ण शराब बन्दी से राज्य सरकार को भारी राजस्व से वंचित होना पड़ेगा तथा राज्य की विकास योजनायें भी प्रभावित हो सकती हैं, जो जनहित में नहीं होगा।

प्रदेश में किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों को लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में

174-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसान सम्मान निधि के पात्र कितने किसान इस योजाना के लाभ से वर्तमान तक वंचित हैं ? क्या सरकार ऐसे वंचित किसानों को उक्त योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के स्व घोषणा-पत्र पर आधारित योजना है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को भारत सरकार द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर घोषणा करनी होती है कि वह योजना की अपवर्जन में नहीं आता है और वह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है। साथ ही योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को स्वयं ओपन सोर्स से ऑनलाइन पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण हेतु पीएम-किसान पोर्टल अनवरत् रूप से किसानों हेतु खुला हुआ है, जिस पर किसान स्वयं अथवा जन सेवा केन्द्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण एवं स्व-घोषणा-पत्र के सत्यापनोपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

जी हां।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पात्र लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने की एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के आगरा मण्डल में मझवार जाति के लोगों की संख्या की जानकारी के सम्बन्ध में

175-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1961 की सरकारी जनगणना के अनुसार प्रदेश के आगरा मण्डल में मझवार जाति के लोगों की संख्या 16000 थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2023 में आगरा मण्डल में मझवार जाति के जातकों की संख्या क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2023 तक मझवार जाति के लोगों की संख्या अन्य समाज के लोगों की संख्या के सापेक्ष कम हुई है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी नहीं।

वर्तमान में आगरा मण्डल के अन्तर्गत आगरा, मथुरा, मैनपुरी तथा फिरोजाबाद जनपद आते हैं। सेन्सस 1961 (डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैण्डबुक) उत्तर प्रदेश के अनुसार मझवार जाति की जनसंख्या आगरा में 33034 तथा मैनपुरी में 02 है। जनपद मथुरा तथा फिरोजाबाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष 2023 में मझवार जाति के लोगों की जातिवार जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में रिटायर्ड कर्मचारी को संविदा पर रखे जाने विषयक

176-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में रिटायर्ड कर्मचारी को संविदा पर रखे जाने की नियमावली है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त केन्द्र पर सेवानिवृत्ति के उपरान्त संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को हटाकर अन्य कर्मियों की भर्ती करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी नहीं।

संविदा पर कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है।

संविदा पर कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है।

177-श्री पंकज पटेल-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

लखनऊ उत्तर क्षेत्र के ग्राम रहीम नगर डुडौली में आई0टी0आई0 निर्माण विषयक

178-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ उत्तर क्षेत्र के ग्राम रहीम नगर डुडौली में आई0टी0आई0 निर्माण हेतु खसरा संख्या-48 की सरकारी भूमि सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को आवंटित हुई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि तकनीकी कारणों से आई0टी0आई0 निर्माण उक्त स्थान पर नहीं हो सकता था, इसलिए उक्त भूमि के बदले अन्य स्थान की भूमि आवंटित कराई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार रहीमनगर डुडौली की प्रश्नगत अनुपयुक्त भूमि नगर निगम को वापस करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जी हाँ ।

जी हाँ। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु जनपद लखनऊ की तहसील सदर के ग्राम इरादतनगर मोहल्ला डालीगंज में खसरा संख्या-330, रकबा-बी 2-17-10-4 व खसरा संख्या-331, रकबा बी 2-7-12-19 व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग को नजूल भूमि आवंटित की गयी। कार्यदायी संस्था द्वारा मौका मुआयने के पश्चात् अवगत कराया गया कि आवंटित भूमि पर एक से दो मंजिले मकान बने हुये हैं तथा पूरे क्षेत्रफल का शहरीकरण हो चुका है। इस प्रकार आवंटित भूमि पर अतिक्रमण होने के दृष्टिगत संस्थान के भवन निर्माण हेतु भूमि पर हुये अतिक्रमण को हटाने के लिये जिलाधिकारी, लखनऊ से पत्र दिनांक 03-02-2022 के द्वारा अनुरोध किया गया। आवंटित भूमि से अतिक्रमण न हट पाने के कारण जिला प्रशासन द्वारा इसी परिसर में अतिरिक्त भूमि को आवंटित करने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ को आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। प्रधानाचार्य द्वारा आख्या जिला प्रशासन को प्रेषित कर दी गई है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु आवंटित की गयी भूमि संस्थान के भवन निर्माण हेतु अनुपयुक्त पाये जाने के कारण ग्राम रहीम नगर डुडौली में नगर निगम लखनऊ की गाटा संख्या-48 क्षेत्रफल 1.012 हे0 की आवश्यकता नहीं है, से जिलाधिकारी, लखनऊ को अवगत कराते हुये प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 15-12-2022 के माध्यम से उक्त आवंटित भूमि के सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध जिलाधिकारी, लखनऊ से किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में कुटीर उद्योग तथा कुटीर उद्योगों से रोजगार पाने वालों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

179-श्री मो0 ताहिर खान-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन जनपदों में कुटीर उद्योग स्थापित हैं तथा उक्त कुटीर उद्योगों से कितने लोगों को रोजगार दिया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' एवं 'मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना' में ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों के स्थापनार्थ प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित है।

'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2023-24 (दिनांक 14-07-2023) तक 2,24,773 व्यक्तियों को एवं 'मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना' के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2023-24 (दिनांक 14-07-2023) तक 93,803 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है, जिसका विवरण अनुलग्नक-1 व अनुलग्नक-2 में संलग्न[†] है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सामान्य वर्ग में पायी जाने वाली जातियों का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

180-श्री राम सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामान्य वर्ग में पायी जाने वाली जातियां कौन-कौन सी हैं और कितनी हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

उ0प्र0 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जारी सूची में सूचीबद्ध जातियों के अतिरिक्त अन्य समस्त जातियां सामान्य वर्ग में मानी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जिला उद्योग केन्द्र बस्ती द्वारा उद्यमियों हेतु ओ0टी0एस0 लागू किये जाने के सम्बन्ध में

181-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उद्योग केन्द्र बस्ती द्वारा उद्यमियों को उद्योग स्थापना होने के बाद जिला उद्योग केन्द्र ने मार्जिन मनी लोन का ब्याज विगत वर्षों में ओ0टी0एस0 स्कीम लाकर ब्याज माफ कर मूल धन जमा करने का आदेश दिया गया था ? क्या सरकार उक्त ओ0टी0एस0 स्कीम फिर से चालू कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हां, शासनादेश संख्या-715/18-2-13-175 (ल0उ0)/2010, दिनांक 27-05-2013 द्वारा एकीकृत मार्जिन मनी ऋण जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण एवं छूटी हुई अन्य

नोट :-[†] देखिये नत्थी (ढ) आगे पृष्ठ संख्या-416-417 पर।

विभागीय ऋण योजनाओं के अन्तर्गत बकाया ऋणों की वसूली हेतु एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) पुनः लागू की गयी थी, जिसका क्रियान्वयन समस्त प्रदेश में कराया गया है। इस योजना के अन्तर्गत बस्ती जनपद में भी इक्कीस इकाइयों द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया गया था।

वर्तमान में विभाग स्तर पर ओ0टी0एस0 योजना को पुनः शुरू करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के आकांक्षी विकास क्षेत्र-विशुनपुरा में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सर्वोदय विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

182-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के आकांक्षी विकास क्षेत्र-विशुनपुरा में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सर्वोदय विद्यालय की स्थापना कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

समाज कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-114/2015/आर-110 वी0आई0पी0/26-3-2015-246 सी0एम0/2015, दिनांक 06-10-2015 द्वारा प्रदेश में वंचित वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु असेवित जनपदों, जहाँ अभी तक जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय स्थापित नहीं है, में 05 एकड़ निःशुल्क भूमि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय स्थापित किये जाने का प्राविधान है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर में 02 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय 1-सिरसिया हेतिमपुर एवं 2-लक्ष्मीपुर पडरौना पूर्व से ही संचालित किये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के जिला उद्यान अधिकारी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच विषयक

183-श्री राम सिंह-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के जिला उद्यान अधिकारी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच विषयक शिकायतकर्ता का पत्र दिनांक 30-06-2022 आई0जी0आर0एस संख्या-60000220105027, जो दिनांक 01-07-2022 को प्रमुख सचिव उद्यान विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-डी0एच0-1144, दिनांक 03-01-2023 द्वारा प्रकरण की जांच उप निदेशक उद्यान, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज से करायी गयी। उप निदेशक, उद्यान, प्रयागराज द्वारा दिनांक 13-06-2023 को जाँच आख्या प्रस्तुत की गयी। जाँच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या में उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता श्री शम्स तबरेज ने अपने पत्र दिनांक 08-06-2023 द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया है कि उसने कतिपय सूत्रों द्वारा दी गयी फीडिंग के आधार पर उक्त शिकायत की थी तथा व्यक्तिगत रूप से शिकायती तथ्यों की जानकारी किये जाने पर शिकायती तथ्य सही नहीं पाये गये तथा उन्हें डा0 सीमा सिंह राणा, जिला उद्यान अधिकारी, प्रतापगढ़ से शिकायत नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त शिकायती पत्र का संज्ञान न लिये जाने का अनुरोध किया है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष पद की नियुक्ति किए जाने विषयक

184-श्री कमाल अख्तर-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति न किए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार बताएगी कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति की कोई प्रक्रिया गतिमान है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में मौसम विभाग में प्रमुख पद पर तैनात कार्मिक की जानकारी के सम्बन्ध में

185-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में मौसम विभाग में प्रमुख पद पर वर्तमान में मौसम वैज्ञानिक तैनात है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कार्मिक का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में मौसम वैज्ञानिक (एग्रोमेट्रोलॉजिस्ट) का पद सृजित है, किन्तु उक्त पद पर किसी भी मौसम वैज्ञानिक की नियमित नियुक्ति नहीं हुयी है। कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत डा0 सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय, प्रशिक्षण सहायक से उक्त कार्य लिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में सरकारी शीतगृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

186-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में प्रचुर मात्रा में सब्जी (आलू, परवल) का उत्पादन होता है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि उक्त क्षेत्र में सरकारी शीतगृह न होने के कारण किसानों की अधिक मात्रा में पैदा होने वाली सब्जी को रखने में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसान हित में बैरिया में सरकारी शीतगृह का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ एवं मेरठ में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा राजकीय शीतगृह संचालित हैं, जिनमें राजकीय औद्यानिक प्रक्षेत्रों पर उत्पादित आधारीय श्रेणी का आलू बीज एवं विभाग द्वारा क्रय किये गये ब्रीडर आलू बीज को भण्डारित किया जाता है। कोई नया शीतगृह बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

जनपद बलिया में कुल 17 निजी शीतगृह संचालित हैं, जिनकी भण्डारण क्षमता कुल 123912.50 मी0 टन है। उक्त में से 04 निजी शीतगृह विधान सभा क्षेत्र बैरिया में हैं, जिनकी भण्डारण क्षमता 11021.20 मी0 टन है।

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) निर्माण के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन में सुविधा अनुमन्य है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के दिशा-निर्देश

के अनुसार नवीन तकनीकी मानकों के 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के शीतगृहों के निर्माण, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए धनराशि रु0 8000-10000 प्रति मीट्रिक टन की दर से कुल इकाई लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रु0 140 से 175 लाख अनुदान की सुविधा उपलब्ध है।

कानपुर नगर के अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीन पार्क स्टेडियम में रेस्टोरेन्ट एवं बार बनाये जाने के सम्बन्ध में

187-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीन पार्क स्टेडियम में रेस्टोरेन्ट एवं बार बनाये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

विजिटर गैलरी के अन्दर रेस्टोरेन्ट निर्मित है।

विजिटर गैलरी में बार का संचालन नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में वाहन स्टैण्ड का ठेका विषयक

188-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में वाहन स्टैंड का ठेका गतवर्ष की दर रु0 3,34,000/- से कम रु0 1,05,000/- पर वर्तमान वर्ष में दिए जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं। गत वर्ष साइकिल स्टैण्ड ठेका से सम्बन्धित प्रक्रिया अपनाई गयी, किन्तु कोई भी ठेकेदार टेण्डर प्रक्रिया में उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार गत वर्ष स्टेडियम में वाहन स्टैण्ड का ठेका नहीं हुआ था और न ही रु0 3,34,000.00 धनराशि प्राप्त हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिलाधिकारी, कानपुर की स्वीकृति अनुसार कमेटी का गठन करते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 06-06-2023 को सायं 04.00 बजे ठेका नीलामी की

प्रक्रिया कमेटी द्वारा पूर्ण करायी गयी जिसमें सर्वाधिक धनराशि रु0 1,05,500/- पाये जाने पर कमेटी द्वारा श्री हरीश गुप्ता, 13/286, परमट कानपुर को ठेका संचालित करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

साथ ही विजिटर गैलरी को संचालित कर रहे ओ एंड एम द्वारा विजिटर गैलरी में आने वाले आगन्तुकों का वाहन स्टैण्ड शुल्क चालान संख्या-एफएस-128/28-06-2023 के द्वारा रु0 2,17,000.00 जमा किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में साइकिल/वाहन स्टैण्ड से कुल धनराशि रु0 3,22,500.00 जमा कराया गया है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में लाभार्थियों का विवरण प्रदान करने सम्बन्ध में

189-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत वर्ष 2017 से दिनांक 09-06-2023 तक कितने लोगों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ मिला है ? क्या सरकार उक्त का सूचीवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में वर्ष 2017 से दिनांक 09-06-2023 तक कुल 635 लोगों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ मिला है।

उक्त 635 लाभार्थियों की सूची संलग्न है। इसका विवरण https://drive.google.com पर भी देखा जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत क्षेत्रीय युवाओं के दैनिक अभ्यास एवं खेल प्रोत्साहन हेतु खेल स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

190-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत क्षेत्रीय युवाओं के दैनिक अभ्यास एवं खेल प्रोत्साहन हेतु खेल स्टेडियम का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में पूर्व से 02 विभागीय ग्रामीण स्टेडियम स्थापित हैं।

युवा कल्याण विभाग द्वारा भूमि व बजट की उपलब्धता के आधार पर शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 के प्रावधानानुसार सर्वप्रथम उन जनपदों में ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा, जहाँ पर एक भी विभागीय स्टेडियम पूर्व से निर्मित नहीं है।

जनपद बलिया में हथकरघा व वस्त्रोद्योग को बढ़ावा देने के दृष्टिगत उक्त उद्योग हेतु 50 प्रतिशत सब्सिडी तथा प्रशिक्षण दिलाकर उक्त उद्योग को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में

191-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में हथकरघा व वस्त्रोद्योग को बढ़ावा देने के दृष्टिगत उक्त उद्योग हेतु 50 प्रतिशत सब्सिडी तथा प्रशिक्षण दिलाकर उक्त उद्योग को प्रोत्साहित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

वस्त्रोद्योग को बढ़ावा देने के दृष्टिगत उ0प्र0 हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2022, दिनांक 17-10-2022 द्वारा प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत नयी/विस्तारीकृत/विविधीकृत वस्त्र इकाई को भूमि लागत अनुदान, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, रोजगार सृजन अनुदान, पूँजीगत उपादान, ब्याज उपादान आदि मदों में आंचलिक क्षेत्रवार स्थापित वस्त्र इकाई की प्रोजेक्ट लागत का अधिकतम 100 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान किये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त हथकरघा व पावरलूम बुनकरों हेतु झलकारी बाई कोरी हथकरघा तथा मुख्य मंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजनाओं के अन्तर्गत लूम व सम्बन्धित उपकरण पर अनुदान एवं बुनकरों को प्रशिक्षण आदि दिये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के समाज कल्याण कार्यालय में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत लम्बित आवेदकों को पूर्ण कराये जाने विषयक

192-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के समाज कल्याण कार्यालय में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में कितने आवेदन-पत्र वर्तमान में लम्बित हैं ? क्या सरकार लम्बित आवेदन-पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही कर लाभार्थियों को शत-प्रतिशत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जनपद बलिया के समाज कल्याण कार्यालय में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में 422 आवेदन-पत्र लम्बित हैं।

समाज कल्याण कार्यालय में 2022-23 में लम्बित 422 आवेदन-पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए योजना का शत-प्रतिशत लाभ चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिलाया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017 से 2023 तक पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड द्वारा लाभार्थियों को कृषि पारम्परिक व्यवसाय, तकनीकी तथा लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु बजट उपलब्ध कराने विषयक

193-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017 से 2023 तक पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड द्वारा कितने लाभार्थियों को कृषि पारम्परिक व्यवसाय, तकनीकी तथा लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2012-13 से ऋण देना बन्द कर दिया गया है, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2017 से 2023 तक उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग को कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अयोध्या, गोण्डा, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर जनपद सहित पूर्वांचल के जनपदों में निवास करने वाली धनगर जाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति में शामिल करने के सम्बन्ध में

194-श्री अभय सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अयोध्या, गोण्डा, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर जनपद सहित पूर्वांचल के जनपदों में निवास करने वाली धनगर जाति

को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति में शामिल होने के बाद भी जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं होने का प्रकरण सरकार के संज्ञान में है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जाँच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां।

भारत का राजपत्र अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 में उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों की सूची में क्रमांक-27 पर 'धंगड़' जाति को सम्पूर्ण उ0प्र0 में सूचीबद्ध किया गया है।

उक्त राजपत्र के अनुपालन में प्रदेश के अयोध्या, गोण्डा, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर सहित पूर्वांचल के समस्त जनपदों में निवास करने वाली धंगड़ जाति को अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। धनगर जाति उ0प्र0 की अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या स्थित आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2021-2022 तथा 2022-2023 तक स्वीकृत धनराशि विषयक

195-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या कृषि शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या स्थित आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यागिक विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2021-2022 तथा 2022-2023 में विकास के क्या-क्या कार्य हुए तथा केन्द्र एवं प्रदेश सरकारों द्वारा उक्त वर्षों में किन-किन योजनाओं हेतु कितना-कितना धन स्वीकृत हुआ ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

अयोध्या स्थित आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-2023 में विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में विकास के कार्य किये गये हैं :-

- कृषि शिक्षा
- छात्र कल्याण

- फसल शोध कार्य
- प्रसार
- प्रशासनिक प्रबन्धन
- वित्तीय प्रबन्धन
- सामाजिक पहल
- अमृत महोत्सव
- अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर 2023
- पर्यावरण संरक्षण
- सेन्टर आफ एक्सिलेंस
- प्रौद्योगिकियों का विकास
- निर्माण कार्य

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से प्राप्त अनुदान		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान	
2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
रु0 500.00 लाख	रु0 641.40 लाख	रु0 943.68 लाख	रु0 213.33 लाख	रु0 943.68 लाख	रु0 142.74 लाख

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु लगाये जाने वाले सोलर पम्पों का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

196-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु लगाये जाने वाले सोलर पम्प की क्या प्रक्रिया है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बलिया में वर्ष 2017 से जून, 2023 तक कितने सोलर पम्प स्थापित किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त की ब्लाकवार सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजनान्तर्गत भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर उसका विज्ञापन समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है

तत्पश्चात् इच्छुक कृषि विभाग में पंजीकृत कृषक अनुदान पर सोलर पम्प की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विज्ञापन में इंगित तिथि को वेबसाइट (upagriculture.com) पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। कृषकों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ रु0 5000.00 टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा।

टोकन कन्फर्म करने के एक सप्ताह के अन्दर अवशेष कृषक अंश की धनराशि ऑनलाइन अथवा ऑनलाइन चालान जेनरेट कर इंडियन बैंक के किसी भी शाखा में जमा करनी होगी अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाती है तथा बोरिंग सत्यापन के समय उपयुक्त न पाये जाने पर भी टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाती है।

निर्धारित धनराशि जमा होने की पुष्टि सम्बन्धित बैंक द्वारा कृषि विभाग एवं सम्बन्धित उप कृषि निदेशक को हो जायेगी। धनराशि जमा होने के बाद सम्बन्धित फर्म/उप कृषि निदेशक द्वारा चयनित कृषक की बोरिंग आदि का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन के उपरान्त सम्बन्धित सोलर पम्प आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सोलर पम्प की आपूर्ति/स्थापना करते हुए आपूर्ति एवं स्थापना की तिथि सहित सोलर पम्प के स्थापना का फोटोग्राफ पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के अन्तर्गत जनपद बलिया में वर्ष 2017 से जून, 2023 तक कुल 506 सोलर पम्पों की स्थापना करायी गयी है। विकास खण्डवार स्थापित सोलर पम्पों की संख्या निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	विकास खण्ड का नाम	स्थापित सोलर पम्पों की संख्या
1	पन्दह	61
2	नवानगर	91
3	मनियर	34
4	बांसडीह	19
5	बे0 बारी	17
6	हनुमानगंज	09
7	गडवार	42
8	सोहांव	15
9	बेलहरी	03
10	दुबहड	13

क्र0-सं0	विकास खण्ड का नाम	स्थापित सोलर पम्पों की संख्या
11	नगरा	32
12	चिलकहर	29
13	सीयर	74
14	रसडा	16
15	रेवती	12
16	मुरलीछपरा	17
17	बैरिया	22

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश सरकार द्वारा जनपद बलिया में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट योजना के अन्तर्गत उत्पादों को बढ़ावा देने विषयक

197-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा जनपद बलिया में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट योजना के अन्तर्गत किस उत्पाद का चयन किया गया है ? क्या सरकार उक्त उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु किये गये कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हाँ।

सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बलिया में 'बिन्दी' का चयन किया गया है। एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बलिया के 'बिन्दी' उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु निम्नवत् योजनायें संचालित हैं :-

1-एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना- योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा उद्योगों हेतु वित्त पोषण किया जा रहा है तथा उक्त के सापेक्ष प्राप्त दावों के विरुद्ध सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ओ0डी0ओ0पी0 योजनान्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से उक्त मार्जिन मनी की धनराशि हेतु ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गयी है।

परियोजना लागत	देय मार्जिन मनी
रु0 25.00 लाख तक की परियोजना	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 6.25 लाख, जो भी कम हो
रु0 25.00 लाख से अधिक एवं रु0 50.00 लाख तक की परियोजना	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अथवा रु0 6.25 लाख, जो भी अधिक हो
रु0 50.00 लाख से अधिक एवं रु0 150.00 लाख तक की परियोजना	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अथवा रु0 10.00 लाख, जो भी अधिक हो
रु0 150.00 लाख से अधिक की परियोजना	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम रु0 20.00 लाख, जो भी कम हो

उक्त योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2018-19 से किया जा रहा है। योजना प्रारम्भ से अब तक जनपद बलिया में रु0 218.00 लाख परियोजना लागत की 68 इकाइयों की स्थापना की गयी है, जिसमें रु0 54.47 लाख मर्जिन मनी के रूप में उपादान उपलब्ध कराया गया है। उक्त इकाइयों की स्थापना द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 162 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

2-एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना- इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित उत्पादों को एक ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेला/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने तथा ई-मार्केटिंग के माध्यम से विपणन हेतु सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत उक्त मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक हस्तशिल्पियों/उद्यमियों को मेला स्थल तक माल ढुलाई, स्टाल चार्जेज, यात्रा हेतु किया गया व्यय आदि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक कामर्स की प्रतिष्ठित वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से किये गये व्यवसाय में हुए व्यय का 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

3-प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चिन्हित किये गये ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के निर्माण हेतु चिन्हित उत्पाद की विधा में उचित प्रशिक्षण एवं आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराकर उत्पाद की गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ कम श्रम, कम लागत एवं कम समय में गुणात्मक उत्पादन सुनिश्चित करने की योजना बनाई गयी है।

योजना प्रारम्भ से अब तक जनपद बलिया में 1300 कारीगरों/हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए 1000 कारीगरों/हस्तशिल्पियों को उन्नत किस्म के टूलकिट वितरित किये गये हैं।

4-सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना :- इस योजना के अन्तर्गत जनपद के चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के अवयवों जैसे-कच्चा माल, डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण, पैकेजिंग आदि की सुविधाओं हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्राविधान है। कुल रु0 15 करोड़ लागत तक की परियोजनायें योजनान्तर्गत स्थापित की जा सकती हैं। उक्त हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राज्य सरकार के अंशदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

ओ0डी0ओ0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय उद्यमियों/कारीगरों/हस्तशिल्पियों को वित्त पोषण विपणन आदि के क्षेत्र में हैण्डहोल्डिंग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न ई-कामर्स की संस्थाओं यथा-अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि पर ऑन बोर्डिंग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

(जनपद बलिया की एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना की वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि की भौतिक, वित्तीय तथा रोजगार सृजन की प्रगति का विवरण/एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत दक्षता, कौशल विकास, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना की वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि का विवरण संलग्न† है।)

प्रश्न नहीं उठता।

198-श्री जय प्रकाश अंचल-

[2-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-202 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया में अग्नि, बाढ़ एवं छुट्टा जानवरों से नुकसान को फसल बीमा योजना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में

199-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में किसान बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने किसानों को लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अग्नि, बाढ़ एवं छुट्टा जानवरों के चरने से फसल नुकसान को भी उक्त योजना में शामिल करते हुए सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-† देखिये नत्थी (ण) आगे पृष्ठ संख्या-418-419 पर।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र बैरिया (विकास खण्ड बैरिया, बेलहारी, दुबहड़ एवं मुरलीछपरा) में लाभान्वित कृषकों का विवरण निम्नवत् है :-

मौसम	लाभान्वित कृषकों की संख्या
खरीफ, 2022	2962
रबी 2022-23	आंकलन प्रक्रियाधीन है।
योग :	**2962**

योजनान्तर्गत दैवीय आपदा के विरुद्ध बीमा कवर प्रदान किया जाता है। आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं बाढ़ से होने वाली क्षति को योजना में कवर किया गया है। छुट्टा जानवरों के चरने से फसलों का नुकसान योजनान्तर्गत कवर नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में मिनी स्टेडियम का निर्माण करने के सम्बन्ध में

200-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में युवाओं को शारीरिक दक्षता हेतु तहसील मुख्यालय पर एक मिनी स्टेडियम की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में पूर्व से 02 विभागीय ग्रामीण स्टेडियम स्थापित है।

युवा कल्याण विभाग द्वारा भूमि व बजट की उपलब्धता के आधार पर शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 के प्रावधानानुसार सर्वप्रथम उन जनपदों में ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा, जहाँ पर एक भी विभागीय स्टेडियम पूर्व से निर्मित नहीं है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में आलू भण्डारण हेतु राजकीय शीतगृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

201-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में आलू भण्डारण हेतु राजकीय शीतगृह न होने के कारण किसानों को अपना उत्पादित आलू

रखने में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में विधान सभा क्षेत्र बैरिया में राजकीय शीतगृह का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखनऊ एवं मेरठ में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा राजकीय शीतगृह संचालित हैं, जिनमें राजकीय औद्यानिक प्रक्षेत्रों पर उत्पादित आधारीय श्रेणी का आलू बीज एवं विभाग द्वारा क्रय किये गये ब्रीडर आलू बीज को भण्डारित किया जाता है। कोई नया शीतगृह बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

जनपद बलिया में कुल 17 निजी शीतगृह संचालित हैं, जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 123912.50 मी0 टन है। उक्त में से 04 निजी शीतगृह विधान सभा क्षेत्र बैरिया में हैं, जिनकी भण्डारण क्षमता 11021.20 मी0 टन है।

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) निर्माण के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन में सुविधा अनुमन्य है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के दिशा-निर्देश के अनुसार नवीन तकनीकी मानकों के 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के शीतगृहों के निर्माण, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए धनराशि रु0 8000-10000 प्रति मीट्रिक टन की दर से कुल इकाई लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रु0 140 से 175 लाख अनुदान की सुविधा उपलब्ध है।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के विकास खण्ड चरथावल के गांव बेहड़ी में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

202-श्री अनिल कुमार-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के विकास खण्ड चरथावल के गांव बेहड़ी में बडकली रेलवे फाटक से लेकर बेहड़ी गांव तक सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के विकास खण्ड चरथावल में सम्पर्क मार्ग बडकली रेलवे फाटक से लेकर बेहड़ी गांव लम्बाई 1.25 किमी0 की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2017-18 में कराया गया था। 'उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति-2013' के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुरूप गड्ढामुक्तीकरण का कार्य कराया जाना लक्षित होता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद खीरी के ब्लाक धौरहरा में एरा से बसहिया घुटघुट्टा होते हुए बेलवा सरसवा तक मार्ग का निर्माण व चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

203-श्री विनोद शंकर अवस्थी-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के ब्लाक धौरहरा में एरा से बसहिया घुरघुट्टा होते हुये बेलवा सरसवा तक मार्ग जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण व चौड़ीकरण करवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

मण्डी क्षेत्र, लखीमपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड धौरहरा में सम्पर्क मार्ग एरा से बसहिया घुरघुट्टा होते हुए बेलवा मोती, लम्बाई 5.27 किमी0 का निर्माण दो भागों में एरा से बसहिया होते हुए घुरघुट्टा लम्बाई 3.27 किमी0 एवं घुरघुट्टा से बेलवा मोती लम्बाई 2.00 किमी0 मण्डी परिषद् द्वारा कराया गया था। दोनों भाग की कुल लम्बाई 5.27 किमी0 की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2017-18 में कराया गया था। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश ग्राम सड़क सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013 के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुरूप गड्ढामुक्तीकरण/नवीनीकरण का कार्य कराया जाना लक्षित होता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

204-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत प्रदेश के कितनी ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त ग्राम पंचायतों के सम्पूर्ण विकास हेतु केन्द्र सरकार से दी

जाने वाली 20-20 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो उक्त धनराशि किसी निश्चित सीमा तक चयनित ग्राम पंचायतों को दिलाने की योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई0) के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में 1550 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है।

उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में चयनित 1550 ग्रामों के सापेक्ष तैयार/अनुमोदित ग्राम विकास योजना (वी0डी0पी0) वाले 424 ग्रामों को रु0 20-20 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

शेष 1126 ग्रामों की ग्राम विकास योजना (वी0डी0पी0) जनपद स्तर पर तैयार करायी जा रही है। जनपद स्तर पर वी0डी0पी0 अनुमोदित होने के उपरान्त जनपदों से प्राप्त मांग-पत्र के आधार पर धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में न्याय पंचायत स्तर पर ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में

205-श्री अनिल प्रधान-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में न्याय पंचायत स्तर पर ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र की स्थापना की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार की ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों को सुचारु रूप से संचालित कराने हेतु कोई कार्य योजना संचालित है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

बुन्देखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों के अन्तर्गत चयनित स्थलों पर 133 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों (रिन) की स्थापना की गयी है।

जी हां।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) की धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन शासन की अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 द्वारा 128 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों को उपमण्डी स्थल घोषित किया गया है। इन उपमण्डी स्थलों का संचालन सम्बन्धित मण्डी समितियों द्वारा किया जाता है तथा मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र

(रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के 'आवंटन विनियमावली-2016' (अद्यतन संशोधित) लागू है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गौतमबुद्धनगर अन्तर्गत नोएडा में कतिपय गाँवों के नाम पर मेट्रो स्टेशनों का नाम रखने के सम्बन्ध में

206-श्री पंकज सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत नोएडा में गांवों की पहचान बनाये रखने के दृष्टिगत कतिपय मेट्रो स्टेशनों के नाम सलारपुर, बरौला, होशियापुर गांव के नाम रखने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

सलारपुर और बरौला गांव एन0 एम0 आर0 सी0 की एक्वा लाइन के पास स्थित हैं। एन0 एम0आर0सी0 मेट्रो स्टेशनों के वर्तमान नाम सेक्टरों के नाम पर आधारित हैं, जो कि 2014-15 में डी0पी0आर0 तैयार करते समय उ0प्र0 शासन एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये थे। विदित है कि नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में प्रारम्भ से ही स्थानों का नाम सेक्टर-1 (अंको के आधार पर) से अग्रतर रूप में रखा गया है (वर्तमान में सेक्टर-1 से सेक्टर-168 तक स्थित है)। नोएडा के समस्त परिक्षेत्र/हिस्से का नामकरण शासकीय प्रपत्रों में सेक्टर के आधार पर ही अंकित किया जाता है। क्षेत्रों का नाम आस-पास के गांवों या कस्बों के नाम पर रखने का प्रचलन या उदाहरण उपलब्ध नहीं है एवं सन् 1976 से ही नोएडा की पहचान सेक्टरों के आधार पर ही है।

उक्त के अतिरिक्त होशियारपुर गाँव दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ब्लू लाइन के मेट्रो स्टेशन सेक्टर-34 एवं मेट्रो स्टेशन के सेक्टर-52 के बीच में स्थित है। अतः उक्त पर कार्यवाही डी0एम0आर0सी0 द्वारा किया जाना अपेक्षित है, जो राज्य सरकार की संस्था नहीं है।

(अपराह्न 12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

[12:30] मा0 सदस्यगण को उनके जन्मदिन पर सदन की ओर से बधाई

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 10 अगस्त, 2023 को तीन विधान सभा सदस्यों का जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री संजय कुमार शर्मा, निर्वाचन क्षेत्र-अनूपशहर, जिला-बुलन्दशहर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में द्वितीय बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम स्व0 सियाराम शर्मा है, आपका जन्म दिनांक 10 अगस्त, 1970 को बिरौली (बुलन्दशहर) में हुआ था, आपने बी0टेक0, एल0एल0बी0 तक की शिक्षा ग्रहण की

है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री महेश चन्द्र गुप्ता, निर्वाचन क्षेत्र बदायूँ, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में तीसरी बार सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम स्व0 रघुवीर सरन है, आपका जन्म दिनांक 10 अगस्त, 1957 को दहगवां (बदायूँ) में हुआ था, आपने हाईस्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, निर्वाचन क्षेत्र सकलडीहा, जिला-चन्दौली, समाजवादी पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में चौथी बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम श्री राममूर्ति सिंह यादव है, आपका जन्म दिनांक 10 अगस्त, 1959 को कैलावर (चन्दौली) में हुआ था, आपने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

[12:34] विपक्ष को बोलने का अवसर न देने विषयक आक्षेप पर विपक्ष द्वारा खेद

श्री अध्यक्ष-

आप पुराने सदस्य हैं, आप यह बतायें कि उत्तर प्रदेश की इस अट्ठारहवीं विधान सभा में किसी एक माननीय सदस्य का सम्मान मैंने न किया हो, एक आदमी खड़े होकर बता दें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की छवि गुण्डों और बदमाशों की थी तो, मैंने कहा कि ऐसा नहीं है मेरे पास डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। अगर मैंने यह सब कुछ गलत किया है, तो मैं गलत हूं।

श्री संग्राम सिंह-

मान्यवर, उसके लिए क्षमा माँग ली गई है।

श्री अध्यक्ष-

क्षमा वाली बात नहीं है, आप जब चाहें कोई बात कह देंगे, पुरानी परिस्थितियों के अन्दर अगर आप जाना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं वहां नहीं ले जाऊंगा।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, आपने इस विधान सभा की और इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, आपने इतिहास रचा है और हम जैसे सभी माननीय सदस्यों के मान-सम्मान को बढ़ाया है। आपका हृदय विराट है और आप हम सभी के संरक्षक हैं।

श्री संग्राम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगा था जातीय जनगणना को लेकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने बराबर जातीय जनगणना को लेकर देश और प्रदेश में।

श्री अध्यक्ष-

वह विषय नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष को किसी भी समय कोई भी बात कहने का अधिकार है, मैं उस बात को मानता हूं, उस बात का सम्मान भी करता हूँ और मानूंगा भी। नेता प्रतिपक्ष का जो सम्मान होना चाहिए मैं उनके सम्मान में एक बिन्दी भी कम नहीं कर सकता।

जितनी सूचनाएं आज ली जाती हैं, उतनी सूचनाएं पहले कभी अगर ली जाती हों तो कोई एक सदस्य खड़ा होकर बताए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, यह पूरा सदन इससे सहमत भी है और प्रशंसा भी करता है और अपने में गर्व महसूस करता है कि आपके संरक्षण में उत्तर प्रदेश की विधान सभा एक नये आयाम पर पहुंची है, आप संरक्षक हैं हमारे किसी मा0 सदस्य की किसी भी बात से आप आहत हुए हों तो हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। लेकिन आपका संरक्षण 403 विधायकों पर रहा और वह ऐसे ही बना रहा ऐसी हम अपेक्षा भी करते हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, जितना सम्मान आपका है, उतना सम्मान इस सरकार का नहीं है और आपने इतना बढ़िया काम किया है, आपने विधान सभा का इतिहास रचा है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं ऐसा नहीं है सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, जो कुछ भी अभी प्रश्नकाल में हुआ वह बहुत ज्यादा अप्रिय है और मैं समझता हूँ कि मा0 सदस्य ने भी भावावेश में कह दिया, लेकिन अपनी वाणी पर और अपने व्यवहार पर संयम जरूर होना चाहिए और मैं यह विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि आपने इस विधान सभा को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए मा0 सदस्य ने इस बात का एहसास भी किया और हम इसलिए खड़े हुए हैं और केवल इस बात की अपेक्षा करते हैं सभी मा0 सदस्यों से कि इस प्रकार के व्यवहार की पुनरावृति न हो। यही मान्यवर, मैं अपेक्षा करता

हूँ। मा0 अध्यक्ष जी आपने निश्चित रूप से गरिमा भी बढ़ायी है और हम चाहते हैं कि आगे इसी प्रकार और बेहतर होता रहे। धन्यवाद।

[12:37] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-301 में 114 सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं। हम सबको मालूम है कि नियम-301 की सूचना सप्ताह में एक बार दी जा सकती है, यह नियमावली में है। जिन 114 सदस्यों ने सूचनाएं दी थीं, उसमें से 21 मा0 सदस्यों की सूचनाएं पहले ली जा चुकी हैं। इसलिए वह नियमावली के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं हैं, यह सबको मालूम है और बाकी सूचनाएं ग्राह्य करता हूँ।

आज दिनांक 10 अगस्त, 2023 को कुल 114 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्री मोहन वर्मा की जनपद कुशीनगर के मदरसा अंजुमन इस्लामिया नूरुल उलूम ग्राम भानपुर, पोस्ट नकटहां मिश्र जनपद कुशीनगर में तैनात फैकानिया शिक्षिका सेहराबानो की गलत जन्मतिथि के बावजूद नियुक्ति में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री विजयपाल (आढ़ती) की जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र हापुड़ सदर के अन्तर्गत ग्राम नूरपुर में इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री संदीप सिंह की जनपद प्रयागराज में विधान सभा क्षेत्र मेजा टिकुरी से अमिलिया में नाले पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की प्रदेश में सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सी0यू0जी0 नम्बर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री रमेश सिंह की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री चन्द्रपाल सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत डिबाई नगर से बाहर नेशनल हाई-वे-93 कादरी बाग वाले छोईया पुल से पटरी-पटरी कर्णवास मार्ग होते हुए इछावरी से सवलपुर नेशनल हाई-वे-93 तक लम्बाई लगभग 6 किमी0 बाईपास मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री विनोद शंकर अवस्थी की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत ब्लाक-रमियाबेहड़ के ग्राम कफारा, बड़ा कफारा राधेश्याम मन्दिर से विक्रम तिवारी के खेत होते हुये लोहरीपुर गाँव तक 3.5 किमी0 डामर रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद, जनपद बिजनौर अन्तर्गत ग्राम लालपुर सौजीमल से बालावाली रेलवे स्टेशन तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री राम अवतार सिंह की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग के किमी0-49 से

अलादीनपुर मार्ग का उच्चीकरण कर सम्पूर्ण चौड़ाई में आबादी भाग में नाली व सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री पंचानन्द पाठक की जनपद कुशीनगर के कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुबेर स्थान बाजार को नगर पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी) की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के उरई नगर में एक थाना स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्रीमती सैय्यदा खातून की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत नगर पंचायत डुमरियागंज में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन तथा चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री राम फेरन पाण्डेय की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना के ग्राम सिसवारा व विकास खण्ड गिलौला के चन्दरखा बुजुर्ग में सी0एच0सी0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री प्रसन्न कुमार की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम भाज्जू में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री अखिलेश की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के विकास खण्ड सठियांव के अन्तर्गत मुबारकपुर से ढकवा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्रीमती ऊषा मौर्या की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज में नहर के जल स्तर और प्रवाह की बहाली और कुशल प्रबन्धन के लिये संसाधनों का आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के ब्लाक सैया में ग्राम सैया रेलवे फाटक से रामपाल का पूरा तक 02 किमी0 रोड का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड सिकन्दरपुर सरोसी की ग्राम सभा शंकरपुर सराय में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी में बेतवा नदी पर डिकौली/शहुपरा लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री आशुतोष शुक्ल की जनपद उन्नाव के भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र के तहसील सदर, ब्लाक सिकन्दरपुर अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट) की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में कतिपय मार्गों की मरम्मत/चौड़ीकरण/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री मनीष रावत की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के बाड़ी स्थित महाकवि नरोत्तमदास की जन्मस्थली का विकास एवं पुस्तकालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'' की श्रीमती रेनू सिंह, वन दरोगा के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से विभागीय अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कर अपने पति श्री निशान्त रूद्र की कम्पनी को लाभ दिलाने हेतु किये गये भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है,

चौबीसवीं सूचना श्री सुरेन्द्र चौरसिया की जनपद देवरिया के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत सदर तहसील उतरौला के ऐतिहासिक/प्राचीन तालाब केरावगढ़ को विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के कूकनगर ग्रन्ट में राजकीय महाविद्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री अशोक कुमार की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सलोन के ब्लॉक डीह के ग्राम सभा पोठई बाजार से पटिया पुल तक सड़क का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री महेन्द्र पाल सिंह की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र पिपराइच के ग्राम सभा कोनी में चकबन्दी प्रक्रिया में सीलिंग की जमीन को स्पष्ट रूप से निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र हसनपुर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री ज्ञान तिवारी की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेउता के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन में हुए भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं सूचना श्री ओमकुमार की जनपद बिजनौर में नहटौर नगर पालिका में परिवहन निगम के बस स्टेशन भवन का पुनर्निर्माण कर डिपो बनाये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र सिंह की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर के मौजा अहरौली अन्तर्गत नगर पालिका में सरकारी जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने तथा इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री कैलाश नाथ की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर के अन्तर्गत ग्राम शंकरनगर, मौजा भगता, विकास खण्ड हरैया सतघरवा से मुख्य मार्ग (मणिपुर सिकटिहवा) तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री मूल चन्द्र सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत ग्राम अतरौली से ग्राम अतरेहटी सम्पर्क मार्ग पर अतरौली के पास पहूँज नदी पर रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री फतेह बहादुर सिंह की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र कैम्पियरगंज में गन्ना विभाग की खाली पड़ी जमीन पर औद्योगिक इकाई की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री रामपाल वर्मा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बालामऊ के विकास खण्ड-कछौना, नगर पंचायत कछौना पतसेनी में एलिवेटेड मोड में फ्लाईओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्रीमती मनीषा अनुरागी की जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ में मौदहा बांध को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री राकेश कुमार गोस्वामी की जनपद महोबा में कबरई से पहरा कुनहटा तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्री प्रेम नरायन पाण्डेय की विधान सभा क्षेत्र तरबगंज के अत्यधिक

आवागमन वाले मार्ग की व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक में अनुमोदनोपरान्त शुक्लगंज से गंगरौली, आदमपुर, ताराडीह मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की लम्बित पत्रावली को राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री सुरेन्द्र मैथानी की दिल्ली स्थित यू0पी0 भवन के पुनः निर्माण से सम्बन्धित कार्यवाही प्रारम्भ होने तक पुरानी चीजों यथा गद्दे, चादरें, तकिया, तकिया कवर, तौलिया आदि बदलवाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तालीसवीं सूचना श्री ब्रजभूषण राजपूत की चरखारी (महोबा) राजकीय महाविद्यालय बनाने के सम्बन्ध में है, बयालीसवीं सूचना श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह की वर्ष 2019 में प्रयागराज के बेगम बाजार पुल का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के बाद रुके हुए पुल का शेष कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालीसवीं सूचना श्री अंकुर तिवारी की जनपद सन्त कबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के विकास खण्ड सेमरियावां में ग्राम पैलीखास में जर्जर एवं क्षतिग्रस्त एएनएम सेन्टर का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं सूचना श्री कैलाश राजपूत की बी0सी0जी0 टेक्नीशियन संवर्ग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालीसवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लम्भुआ के अन्तर्गत ओ0डी0आर0 चिलबिला-अमेठी राष्ट्रीय राजमार्ग आशापुर मिश्रान से होते हुए चन्दिकन सम्पर्क मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा कुण्डासर-हुजूरपुर मार्ग के किमी0 01 से 13 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालीसवीं सूचना श्री विवेकानन्द पाण्डेय की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा अन्तर्गत कोटवा/नेबुआ नौरंगिया उपकेन्द्र की उपभोक्ता के सापेक्ष नये उपकेन्द्र की स्थापना व समस्त फीडरों को नियमित रूप से संचालन करने के सम्बन्ध में है, अड़तालीसवीं सूचना प्रो0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी नगर में रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की तुर्तीपार नगरा-रसड़ा-सिधागर घाट-कठवा मोड़ (गाजीपुर) राज्य मार्ग सं0-108 में जनपद बलिया के नगर पालिका क्षेत्र रसड़ा के प्यारे लाल चौराहे के रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना डॉ0 आर0 के0 पटेल की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत एक वर्कशाप के निर्माण के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री जीत लाल पटेल की जनपद प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्मित सड़कों की कमेटी गठित कर जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत फतेहपुर ककरडिल्ला चौराहे से (राइस मिल) के उत्तर की तरफ से पंचायत भवन होते हुए राजभर बस्ती तक पिच का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं

सूचना डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगर पालिका शिकोहाबाद में पेयजल की सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री हृदय नारायण सिंह पटेल की विधान सभा क्षेत्र बक्शी का तालाब में कमता पुलिस चौकी से रजत डिग्री कॉलेज को जाने वाली सड़क से श्री रामजी अवस्थी, शंकरपुरी सेक्टर-सी से श्री चन्द्रशेखर गुप्ता के घर को जाने वाली 400 मीटर अर्धनिर्मित इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री ब्रजेश यादव की जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र सहसवान के अन्तर्गत इस्लामनगर की मण्डी समिति के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री राजीव तरारा की विधान सभा क्षेत्र धनौरा, जनपद अमरोहा के ब्लाक धनौरा के खादर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री लक्ष्मी राज सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया की जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड समरेर में कतिपय विद्युत सब-स्टेशनों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्सठवीं सूचना श्री जाहीद की जनपद भदोही के अन्तर्गत एल0डी0 रोड स्थित सर्विस सेन्टर से अब्दुल अजीज एवं बदरुद्दीन के हाता होते हुए डिजाइनर प्वाइंट कम्पनी तक सी0सी0 रोड का निर्माण तथा भदोही पकरी (फूलन देवी तिराहे) रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री ओम प्रकाश की जनपद वाराणसी के अन्तर्गत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात विभिन्न पी0आर0ओ0 द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की उत्तर प्रदेश के पुरुष संवर्ग के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में महिलाओं को पदस्थापित कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना डा0 विनोद कुमार बिन्द की भारत के संविधान में अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक-53 पर उल्लिखित ''मझवार'' जाति को उनके उपनाम के आधार पर अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत कराने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना इंजी0 सरवन कुमार निषाद की भारत के संविधान में अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक-53 पर उल्लिखित ''मझवार'' जाति को उनके उपनाम के आधार पर अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत कराने के सम्बन्ध में है, चौंसठवीं सूचना श्री अनिल प्रधान की पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना श्री आशु मलिक की ग्राम पंचायत गागलहेड़ी से ग्राम हरोड़ को जोड़ती हुई कच्ची सड़क जो लगभग पिछले 15 वर्षों से जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है, जिसका सी0सी0 अथवा लो0नि0 विभाग से पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छाछठवीं सूचना श्रीमती सरोज कुरील की घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुगल रोड से मुरलीपुर सरहद तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, सड़सठवीं सूचना श्री विपुल दुबे की केन्द्र सरकार के अनुसूचित जातियों की सूची को देखते हुए कतिपय जातियों

को मझवार का अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री असीम कुमार की उत्तर प्रदेश सेन्सस आफ इंडिया के मैनुअल में पार्ट एक में मझवार की पर्यायवाची केवट, मल्लाह आदि किये जाने के सम्बन्ध में है, उनहत्तरवीं सूचना श्री पंकज पटेल की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं सूचना श्री मोहम्मद हसन 'रूमी' की जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों को गड्ढा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकहत्तरवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी की जनपद बस्ती के रुधौली विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरौली शुमाली को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना श्री गौरव कुमार की जनपद बाराबंकी के जैदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पार का पूर्व में रेठ नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवीं सूचना श्री आनन्द कुमार यादव की जनपद बहराइच के जरवल से उपधी जर्जर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना श्री रफीक अंसारी की जनपद मेरठ के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज की व्यवस्था उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं सूचना डॉ0 आर0 के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ की नवसृजित ग्राम पंचायत पृथ्वीगंज तथा कटरा गुलाब में हो रहे विकास कार्यों में मानक न पूरे होने के सम्बन्ध में है, छिहत्तरवीं सूचना डा0 वीरेन्द्र यादव की जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा मोहिद्दीनपुर में गाजीपुर शहर का कूड़ा न डाले जाने के सम्बन्ध में है, सतहत्तरवीं सूचना श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू की जनपद कुशीनगर में तैनात खनन अधिकारी जीतेन्द्र शर्मा द्वारा किये जा रहे अवैध खनन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, अठहत्तरवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की पशुपालन विभाग के पशुओं के दवा घोटाले की जांच के पश्चात् आरोप-पत्र न दिए जाने के सम्बन्ध में है, उन्यासीवीं सूचना श्री अरमान खान की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम में टिकैतराय तालाब का सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं सूचना श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' की जनपद हरदोई के मल्लावां को नयी तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यासीवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की जनपद लखनऊ के आशियाना में बने सार्वजनिक सामुदायिक केंद्र को गिराए जाने के पश्चात् भू-माफिया पर कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में है, बयासीवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नदी के कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में है, तीरासीवीं सूचना श्री बेचई सरोज की जनपद आजमगढ़ के लालगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरासीवीं सूचना श्री राजपाल सिंह बालियान की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना में कतिपय सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में है, पच्चासीवीं सूचना श्री प्रभाष कुमार की जनपद हरदोई की विधान सभा क्षेत्र सांडी के अन्तर्गत पक्षी विहार में लिफ्ट कैनाल में जलापूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियासीवीं सूचना

श्री अभय सिंह की प्रदेश में नए ट्यूबवेल कनेक्शन में हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में है, सत्तासीवीं सूचना श्री बेदी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनिया में श्री अनिल वर्मा, जे0ई0 द्वारा किये जा रहे भष्टाचार के सम्बन्ध में है, अट्ठासीवीं सूचना श्री नन्दकिशोर की जनपद गाजियाबाद में गम्भीर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है, नवासीवीं सूचना श्री ज्ञानेन्द्र सिंह की जनपद लखनऊ के अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में छात्रों को डिग्री न दिए जाने के सम्बन्ध में है, नब्बेवीं सूचना श्रीमती राजबाला सिंह की जनपद रामपुर के मिलक विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में है, इक्यानबेवीं सूचना श्री सचिन यादव की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में विलुप्त प्रजाति के काले हिरणों के संरक्षण हेतु बचाव केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, बानबेवीं सूचना श्री राकेश पाण्डेय की धारा-143 में अकृषक भूमि के नामांकन दाखिल खारिज हेतु दो तरह के मानक लागू किये जाने के सम्बन्ध में है तथा तिरानबेवीं सूचना श्री अजय सिंह की जनपद बस्ती के हरैया विधान सभा क्षेत्र के राजकीय पालीटेक्निक कालेज जाने वाले मुख्य मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :-

श्री पंकज कुमार मलिक, श्री गणेश चन्द्र, डॉ0 राजेश्वर सिंह, श्रीमती नीलिमा कटियार, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री बम्बा लाल, श्रीमती केतकी सिंह, श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री प्रभु नरायण सिंह यादव, श्री मौहम्मद ताहिर खान, श्री वीर विक्रम सिंह, श्री हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मनोज कुमार पारस, श्री अवधेश प्रसाद, श्री शाहिद मंजूर, श्री मुकेश चौधरी, श्री अमिताभ बाजपेई, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बाबूलाल तथा श्री दुर्गा प्रसाद यादव।

जनपद कुशीनगर के मदरसा अंजुमन इस्लामिया नूरुल उलूम, ग्राम भानपुर, पोस्ट नकटहां मिश्र, जनपद कुशीनगर में तैनात फैकानिया शिक्षिका सेहराबानो की गलत जन्मतिथि के बावजूद नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहन वर्मा-

[मान्यवर, सदन के माध्यम से गम्भीर विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद कुशीनगर के मदरसा अंजुमन मकतब इस्लामिया नुरुल उलूम, ग्राम भानपुर, पोस्ट नकटहां, मिश्र जनपद कुशीनगर में तैनात फैकानिया शिक्षिका सेहराबानो खातून की उक्त मदरसा के द्वारा जारी किए गये वर्ष 2009 के मौलवी अंक पत्र में जन्मतिथि 1990 दर्शायी गयी है। नियुक्ति के बाद जालसाजी के उजागर होने के डर से सेहराबानो ने मा0

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका 25622/2019 दर्ज कर जन्मतिथि सुधार की गुहार लगाई। योजित याचिका में असल जन्मतिथि का जिक्र नहीं किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय ने रजिस्ट्रार-निरीक्षक मदरसा शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश को नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया। तत्कालीन रजिस्ट्रार आर0 पी0 सिंह ने बिना निस्तारण शीट तैयार किए मौलवी के अंक-पत्र पर जन्मतिथि बदलते हुए पेन से स्वयं लिखित (On the Behalf of Court Order) अंक-पत्र जारी कर दिया। क्या मा0 उच्च न्यायालय के आदेश पर अंक-पत्र में पहले से अंकित जन्मतिथि सुधार के लिए निस्तारण शीट तैयार रजिस्ट्रार मा0शि0प0 ने कराया ? उसकी कॉपी रजिस्ट्रार उच्चतम न्यायालय एवं शासन को क्यों नहीं भेजी गयी ? सेहराबानो ने उक्त मदरसा से ही शिक्षा ग्रहण किया है ? उनकी 08 वीं व 9 वीं कक्षा में जन्मतिथि क्या दर्शायी गयी है ? अनुमोदन के समय जन्मतिथि क्या दर्शायी गयी है ? क्या इसकी जाँच सरकार कराएगी ? क्या उक्त मदरसा में फर्जी तरह से नियुक्ति पाई शिक्षिका सेहराबानो खातून की नियुक्ति के समय रजिस्ट्रार मा0शि0प0 के कार्यालय के टी0आर0 में दर्ज जन्मतिथि की जाँच सरकार कराएगी ? क्या सरकार शिक्षिका सेहराबानो की नियुक्ति के समय उक्त मदरसा के चयन समिति के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार जांचोपरान्त शिक्षिका सेहराबानो की अनुमोदन को निरस्त करेगी ?

अतः तत्कालीन मदरसा प्रबन्धक रिजवान खान एवं चयन कमेटी के साथ साथ फैकानिया शिक्षिका सेहराबानो खातून के द्वारा किए गये भ्रष्टाचार को टीम गठित कर जाँच कराना तथा दोषी पाये जाने पर कठोर कार्यवाही करना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र हापुड़ सदर के अन्तर्गत ग्राम नूरपुर में इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय पाल (आढ़ती)-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-59, हापुड़ सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड हापुड़ के ग्राम नूरपुर में इण्टर कालेज है, जिसका भवन निर्माण आज तक नहीं हो पाया है जिसकी कक्षाएं 4 किमी0 दूर एक प्राइमरी स्कूल में चलती है, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मा0 मंत्री जी को अवगत कराया गया है यह ग्राम नूरपुर पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली है, जनहित में इण्टर कालेज का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हेतु कार्रवाई की माँग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रयागराज में विधान सभा क्षेत्र मेजा के टिकुरी से अमिलिया में नाले पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संदीप सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत विकास खण्ड उरुवा के ग्राम सभा टिकुरी से अमिलिया कला में नाले पर पुल नहीं है, बारिश के मौसम में नाला ओवरफ्लो हो जाता है एवं नाले पर पुल न होने के कारण ग्रामवासियों को आवागमन में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है एवं महोदय यह भी अवगत कराना है कि बारिश के मौसम में नाला ओवरफ्लो हो जाता है जिसके कारण ग्रामवासियों/क्षेत्रवासियों को घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। उक्त ग्राम में नाले पर पुल ना होने के कारण हजारों लोगों का जीवन प्रभावित हो जाता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत विकास खण्ड उरुवा के ग्राम सभा टिकुरी से अमिलिया कला में नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

प्रदेश में सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सी0यू0जी0 नम्बर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हाकिम लाल बिन्द-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

उत्तर प्रदेश में सिचाई विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के राजकीय उपयोग हेतु किसी के पास सी0यू0जी0 नम्बर विभाग/सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, जिसके कारण प्रदेशवासियों को सिंचाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क करने हेतु अत्यधिक समस्याओं का समाना करना पड़ना हैं एवं विभाग/सरकार द्वारा सी0यू0जी0 नम्बर न मिलने का कारण अधिकारियों/कर्मचारियों के निजी मोबाइल नम्बर पर फोन/सम्पर्क किया जाता है, जिसके कारणवश कर्मचारियों/अधिकारियों, स्थानान्तरण के बाद अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रदेश में सिचाई विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सी0यू0जी0 नम्बर प्रदान किये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहगंज, जनपद जौनपुर में राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज नहीं है। जिससे छात्र-छात्राओं को व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जिससे धन व समय का भी अपव्यय होता है। राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज का निर्माण जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। जिले में मात्र एक ही कालेज है, जो 40 किमी0 की दूरी पर है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की माँग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत डिबाई नगर से बाहर नेशनल हाई-वे-93 कादरी बाग वाले छोईया पुल से पटरी-पटरी कर्णवास मार्ग होते हुए इछावरी से सवलपुर नेशनल हाई-वे-93 तक लम्बाई लगभग 6 किमी0 बाईपास मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रपाल सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र डिबाई अन्तर्गत गंगा किनारे स्थित ग्राम पंचायत कर्णवास में दूर-दराज से आये हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का प्रतिदिन गंगा स्नान हेतु आना-जाना लगा रहता है, इसके अतिरिक्त लगभग 70 गांवों के शवों का दाह संस्कार भी इसी गंगा घाट पर किया जाता है। इस सम्बन्ध में सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि यह सम्पूर्ण आवागमन डिबाई नगर के बीच बाजार से होकर करना पड़ता है, जहां पहले से ही बाजार में भीड़-भाड़ की वजह से प्रतिदिन जाम की स्थिति बनी रहती है, ऐसे में श्रद्धालुओं का गंगा स्नान व शव दाह संस्कार करने आये लोगों को डिबाई नगर पार करने में काफी समय लग जाता है, परिणामस्वरूप काफी समय डिबाई नगर को पार करने में व्यर्थ चला जाता है, और इसी वजह से बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। जनहित में डिबाई नगर से बाहर नेशनल हाई-वे-93 कादरी बाग वाले छोईया पुल से पटरी-पटरी कर्णवास मार्ग होते हुए इछावरी से सवलपुर नेशनल हाई-वे-93 तक लम्बाई लगभग 6 किमी0 बाईपास मार्ग का नव निर्माण किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनहित में उक्त बाईपास मार्ग के नव निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत ब्लाक-रमियाबेहड़ के ग्राम कफारा, बड़ा कफारा राधेश्याम मन्दिर से विक्रम तिवारी के खेत होते हुये लोहरीपुर गाँव तक 3.5 किमी0 डामर रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद शंकर अवस्थी-

[महोदय, जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र-14, धौरहरा, ब्लाक रमियाबेहड़ के अन्तर्गत ग्राम कफारा में बड़ा कफारा राधेश्यान मन्दिर से विक्रम तिवारी के खेत होते हुये लोहरीपुर गाँव तक 3.5 किमी0 डामर रोड बनना अति आवश्यक है। उक्त मार्ग में डामरीकरण न होने के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित रहता है और दुर्घटना होने का भी भय बना रहता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद, जनपद बिजनौर के अन्तर्गत ग्राम लालपुर सौजीमल से बालावाली रेलवे स्टेशन तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम अहमद-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम लालपुर सौजीमल से बालावाली रेलवे स्टेशन तक मार्ग पूर्ण रूप से कच्चा है। इस मार्ग पर दैनिक आवागमन करने वाले सैकड़ों राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सम्पर्क मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है। जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं। इस मार्ग का निर्माण जनहित में कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई किए जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग के कि0मी0-49 से अलादीनपुर मार्ग का उच्चीकरण कर सम्पूर्ण चौड़ाई में आबादी भाग में नाली व सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अवतार सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग के किमी0-49 से अलादीनपुर मार्ग का उच्चीकरण कर सम्पूर्ण चौड़ाई में आबादी भाग में नाली व सी0सी0 रोड निर्माण कराने का प्रस्ताव दिया था

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किन्तु उक्त कार्य स्वीकृत नहीं हुआ। उक्त मार्ग के 01 किमी0 के भाग में आबादी हो गयी और दोनों तरफ मकान बन गये हैं, जिस कारण पूरा मार्ग नाले के रूप में बदल गया है। जिससे हर समय पानी भरा रहता है और गन्दगी तथा मच्छरों के कारण भयंकर बीमारी फैलने से पूरी आबादी परेशान है।

अतः मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुबेर स्थान बाजार को नगर पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक)-

[महोदय, जनपद कुशीनगर के कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र के कुबेर स्थान बाजार को नगर पंचायत घोषित किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। कुबेर स्थान बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने से क्षेत्र एवं क्षेत्रवासियों का विकास होगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के उरई नगर में एक थाना स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरीशंकर वर्मा (कोरी)-

[महोदय, सूच्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-221, उरई, जनपद जालौन के अन्तर्गत उरई नगर की आबादी लगभग 3 लाख से अधिक है यहां शहर में एक कोतवाली होने से कानून व्यवस्था में काफी परेशानी होती है, एक थाना स्थापित कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत नगर पंचायत डुमरियागंज में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन तथा चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सैय्यदा खातून-

[महोदय, मैं आपके माध्यम मैं सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हूँ कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत डुमरियागंज में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डुमरियागंज का भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है। अस्पताल के चारो तरफ कोई चहारदीवार नहीं है। भवन जर्जर होने के कारण प्रतिदिन

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अप्रिय घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। इन परिस्थतियों को देखते हुए उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर भवन को ध्वस्त करके नया भवन का निर्माण तथा साथ ही साथ चहारदीवार का भी निर्माण कराये जाने की जनहित में अति आवश्यकता है। यह प्रकरण लोक महत्व का है और क्षेत्रीय जनता से जुड़ा हुआ है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नया भवन बनाने तथा चहारदीवारी के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की माँग करती हूँ।]

जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना के ग्राम सिसवारा व विकास खण्ड गिलौला के चन्दरखा बुजुर्ग में सी0एच0सी0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामफेरन पाण्डेय-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-290, श्रावस्ती, जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड इकौना के ग्राम सिसवारा व विकास खण्ड गिलौला के चन्दरखा बुजुर्ग में सी0एम0सी0 की स्थापना कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

यहां से अस्पतालों की दूरी लगभग 25 किमी0 से अधिक है, जिससे आम-जनमानस को स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं में काफी कठिनाइयों का सामना करना पडता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम भाज्जू में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रसन्न कुमार-

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। विधान सभा क्षेत्र-10, सदर, शामली के अन्तर्गत ग्राम भाज्जू लगभग 15000 आबादी का ग्राम है, जो कि शहर से लगभग 13 से 14 किमी0 दूरी में स्थित है। उक्त ग्राम बरात घर से वंचित है, जिसके कारण ग्रामवासियों, बच्चों की शादी एवं अन्य कार्यक्रमों को करने में बहुत ही परेशानी होती है। ग्रामवासियों द्वारा उक्त समस्या का निस्तारण कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग को अनेकों बार अवगत कराया गया। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी जनाक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण में कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के विकास खण्ड सठियांव के अन्तर्गत मुबारकपुर से ढकवा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अखिलेश-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित एवं लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड सठियांव अन्तर्गत मुबारकपुर से ढकवा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। उक्त मार्ग अत्यन्त जर्जर होने के कारण इस मार्ग पर चलना दूभर व कठिन हो गया है। बरसात के दिनों में इस मार्ग पर पानी भर जाता है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मुबारकपुर-ढकवा सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज में नहर के जल स्तर और प्रवाह की बहाली और कुशल प्रबन्धन के लिये संसाधनों का आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती ऊषा मौर्या-

[महोदय, मैं आपके ध्यान में एक बड़ी चिन्ता का विषय लाने के लिए लिख रही हूं, जो जिला फतेहपुर के हुसैनगंज निर्वाचन क्षेत्र में किसानों की आजीविका को सीधे प्रभावित करता है। यह मुद्दा नहर के जल स्तर की चिन्ताजनक स्थिति और पानी के धीमे प्रवाह से सम्बन्धित है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे कृषक समुदाय को महत्वपूर्ण नुकसान और कठिनाइयाँ हुई हैं।

हमारे निर्वाचन क्षेत्र के विशेष रूप से मेहनती किसानों, जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, के कल्याण के लिए मैं गहराई से प्रतिबद्ध हूँ। वर्तमान स्थिति से हमारे किसानों की पीड़ा को कम करने के लिए तत्काल ध्यान देने और उपचारात्मक उपाय किये जाने की माँग करती हूँ।

इस मुद्दे को संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किया गया है :-

हुसैनगंज निर्वाचन क्षेत्र में नहर का निम्न जल स्तर और धीमा प्रवाह हमारे निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली नहरें गम्भीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जल स्तर चिन्ताजनक स्तर तक गिर गया है और पानी का प्रवाह अत्यन्त धीमा हो गया है। इस स्थिति के कारण हमारे कृषक समुदाय पर गम्भीर परिणाम होंगे।

फसल का नुकसान- अपर्याप्त जल आपूर्ति से खड़ी फसलों को नुकसान हो रहा है, जिससे हमारे किसानों की पैदावार और वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ रही है।

आजीविका दांव पर- लम्बे समय तक निम्न जल स्तर और धीमे जल प्रवाह ने हमारे किसानों को अपने भविष्य के बारे में अनिश्चितता से जूझने पर मजबूर कर दिया है।

आर्थिक प्रभाव- कृषि उत्पादकता में गिरावट न केवल किसानों को बल्कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र की समग्र अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है।

खाद्य सुरक्षा- चूंकि कृषि जीविका का प्राथमिक स्रोत है, इसलिए यह मुद्दा सीधे तौर पर हमारे घटकों की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है।

इन गम्भीर चिन्ताओं के आलोक में मैं विनम्रतापूर्वक आपके सम्मानित सदन से इस मुद्दे के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह करती हूँ। हुसैनगंज निर्वाचन क्षेत्र में नहर के जल स्तर और प्रवाह की बहाली और कुशल प्रबन्धन के लिए संसाधनों का आवंटन करना अनिवार्य है। समय पर हस्तक्षेप न केवल आगे के नुकसान को रोकेगा, बल्कि हमारे किसानों के बीच आशा और स्थिरता भी बहाल करेगा।

हमारे निर्वाचन क्षेत्र की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं अनुरोध करती हूँ कि चर्चा शुरू करने, धन आवंटित करने और सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। हमारे किसानों की भलाई हमारे निर्वाचन क्षेत्र की प्रगति और विकास के लिए महत्वपूर्ण है।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के ब्लाक सैया रेलवे फाटक से रामपाल का पूरा तक 02 किमी0 रोड का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-92, खैरागढ़, जनपद आगरा के ब्लाक सैया में ग्राम सैया रेलवे फाटक से रामपाल का पुरा 02 किमी0 रोड का नव निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। वहां पर लगभग 500 की आबादी है, सैया बाजार में आने के लिए लगभग 12 किमी0 घूमकर आना पड़ता है, जबकि सैया बाजार, रामपाल के पुरा मात्र 02 किमी0 है तथा बीच में बघेल का अड्डा सैया भी पड़ता है। जिससे आम-जनता को काफी कठिनाई होती है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूं।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड सिकन्दरपुर सरोसी की ग्राम सभा शंकरपुर सराय में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज गुप्ता-

[महादेय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर, उन्नाव के विकास खण्ड सिकन्दरपुर सरोसी की ग्राम सभा शंकरपुर सराय में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हेतु खसरा संख्या-642, रकबा क्षेत्रफल 0.2780 हे0 भूमि संरक्षित है। ग्राम सभा शंकरपुर सराय बहुत बड़ी ग्राम सभा होने के साथ-साथ न्याय पंचायत भी है। शंकरपुर सराय से लगभग 10 किमी0 की दूरी तक कोई चिकित्सालय नहीं है, जिसके कारण ग्रामवासियों को अपना इलाज कराने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। मैं सदन के माध्यम से माँग करता हूँ कि ग्राम सभा शंकरपुर सराय, विकास खण्ड सिकन्दरपुर सरोसी, जनपद उन्नाव में एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाये।

अतः मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराकर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद झांसी में बेतवा नदी पर डिकौली/शहपुरा लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूँ।

अवगत कराना है कि जनपद झांसी की ब्लाक बामौर में किसानों के खेतों की बुआई एवं फसलों की सिंचाई हेतु नहरों में पानी पर्याप्त मात्रा में टेल तक नहीं पहुँच पाता है। जिस कारण से किसानों की फसलें सूख जाती हैं और किसान समय पर अपने खेतों की बुआई तक नहीं कर पाते हैं। बेतवा नदी पर डिकौली/शहपुरा लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराये जाने की बहुत आवश्यकता है। जनहित में नहरों में उक्त कैनाल का निर्माण कराया जाना बहुत आवश्यक है। उक्त लिफ्ट कैनाल से रियाँ माइनर में पानी डाल दिया जाये, तो अत्यधिक किसानों के खेतों तक पानी पहुँच जायेगा।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः जनपद-झांसी में किसानों की सिंचाई की समस्या को देखते हुये बेतवा नदी पर डिकौली/शहपुरा लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराये जाने एवं लिफ्ट कैनाल से रियाँ माइनर में पानी डाले जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र के तहसील सदर, ब्लाक सिकन्दरपुर अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशुतोष शुक्ल-

[महोदय, जनपद उन्नाव के भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र के तहसील सदर, ब्लाक सिकन्दरपुर करन के अन्तर्गत ग्राम दुबेपुर में साँई बाबा मन्दिर से लेकर गांव के किनारे से प्रेम लाल की चक्की तक पक्की सड़क नहीं है। जिसकी दूरी लगभग 2 किमी0 है, जिससे ग्रामीणों को वाहन सहित आने-जाने में परेशानी उत्पन्न होती है। कई बार नियम-51 के द्वारा शासन को इस समस्या से अवगत कराया परन्तु पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग से उक्त प्रकरण को जिला पंचायत को भेज दिया जाता है और जिला पंचायत द्वारा उक्त मार्ग को करने में सक्षम या सहमत नहीं होता है।

अतः जनहित में तहसील सदर, ब्लाक सिकन्दरपुर करन के अन्तर्गत ग्राम दुबेपुर में साँई बाबा मन्दिर से लेकर गाँव के किनारे से प्रेम लाल की चक्की तक सड़क का निर्माण के लिए जो विभाग सक्षम हो सके, लोक निर्माण/ग्राम विकास विभाग उसके द्वारा सड़क का निर्माण कराये जाने हेतु सम्बन्धित को आदेश देने हेतु याचिका स्वीकार करने की कृपा करें।]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में कतिपय मार्गों की मरम्मत/चौड़ीकरण/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट)-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र-240, सदर, फतेहपुर के मुख्य मार्ग जी0टी0 रोड से आंबापुर चकीवा होते हुए हथगांव मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 18 किमी0 जो बहुत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो गया है। उक्त मार्ग जो लगभग दो-ढाई हजार गांवों को जोड़ने वाला मार्ग है। इसी प्रकार थरियांव गांव से मलांव गांव तक जाने वाला मार्ग लम्बाई लगभग 9.00 किमी0 जिसका चौड़ीकरण एवं निर्माण/मरम्मत कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। उक्त मार्गों का निर्माण/मरम्मत एवं चौड़ीकरण न होने के कारण स्थानीय जनता में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से उक्त समस्या को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से उपरोक्त दोनो मार्गों का निर्माण/मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के बाड़ी स्थित महाकवि नरोत्तमदास की जन्मस्थली का विकास एवं पुस्तकालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष रावत-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से अति महत्वपूर्ण, लोकहित विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के बाड़ी स्थित महाकवि नरोत्तमदास की जन्मस्थली है जो प्रदेश में बहुत पिछड़ी हुयी है जिसका विकास किया जाना अभी बाकी है वहां पर एक पुस्तकालय का निर्माण भी करा दिया जाये जिससे सिधौली क्षेत्र में महाकवि नरोत्तमदास की स्मरण कराता रहे।

अतः जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के बाड़ी स्थित महाकवि नरोत्तमदास की जन्म स्थली का विकास एवं महाकवि नरोत्तमदास के नाम से एक पुस्तकालय का निर्माण कराये जाने हेतु मैं सदन से माँग करता हूँ।]

श्रीमती रेनू सिंह, वन दरोगा के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से विभागीय अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कर अपने पति श्री निशांत रुद्र की कम्पनी को लाभ दिलाने हेतु किये गये भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा''-

[महोदय, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-159/23-2-44, दिनांक 12 जुलाई, 2021 के द्वारा मै0 ओफिडियन बायोनिक्स, गाटा संख्या-815-क, तप्पेसिपाह, परगना हिसामपुर, तहसील व जनपद बहराइच को निजी क्षेत्र में सर्पों को विष विदोहन लाइसेन्स निर्गत किया गया है।

M/S OPHIDIAN BIONICS को निर्गत उपरोक्त लाइसेन्स का इस्तेमाल श्री निशांत रूद्र जिनकी पत्नी श्रीमती रेनू सिंह, वन दरोगा, कुकरैल, वन रेंज, लखनऊ में कार्यरत हैं, जो पूर्व में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में दैनिक वेतन कार्मिक थी उनके सहयोग से एवं वन विभाग के अधिकारियों से सांठ-गांठ कर मिलते-जुलते नाम की फर्म M/S OPHIDIAN BIONICS PRIVATE LIMITED के नाम पर सर्पों को विष विदोहन को कार्य किया जा रहा है। M/S OPHIDIAN BIONICS PRIVATE LIMITED के तीन निदेशकों में श्री निशांत रूद्र एक है। श्रीमती रेनु सिंह द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण निमयावली, 1956 का उल्लंघन करते हुए अपने पति श्री निशांत रूद्र को नियम विरुद्ध तरीके से लाभ प्रदान किया जा रहा है ।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः श्रीमती रेनू सिंह, वन दरोगा के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से विभागीय अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कर अपने पति श्री निशांत रूद्र की कम्पनी M/S OPHIDIAN BIONICS PRIVATE LIMITED को सर्प विष विदोहन के कार्य में सहायता करने/लाभ प्रदान किये जाने, जो उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण निमयावली, 1956 का उल्लंघन है, के दृष्टिगत श्रीमती रेनू सिंह, वन दरोगा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में फैले इस भष्टाचार पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए जनहित में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा सदन में चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद देवरिया के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

[महोदय, सदन के माध्यम से अवगत कराना है की जनपद देवरिया में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बहुत ही खस्ता हाल में है। देवरिया मुख्य चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा को ध्यान में न रखते हुए केवल स्थानान्तरण व टेण्डर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार में लिप्त है, आए दिन जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं में जिले के मरीजों को जनपद के बाहर भेजा जा रहा है जिसमें दलालों के द्वारा आम आदमी को लूटा जा रहा है वहीं देवरिया सी0एच0ओ0 की रैंकिंग में लुढ़कता जा रहा है जिसका नतीजा है की देवरिया का स्थान प्रदेश में 72वाँ है नतीजा ये है की पाँच वर्षों से जिले की छात्राओं को एक भी नैपकिन का वितरण नहीं किया गया, आज-कल देवरिया स्वास्थ्य विभाग में जहाँ मरीज व तीमारदार स्वास्थ्य सुविधाओं का आभाव झेल रहे हैं, वहीं ये विभाग अखबार व मेडिकल की सुर्खियाँ बना हुआ है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है देवरिया में जहाँ बिना सेवा के सी0एच0ओ0 का वेतन भुगतान किया जा रहा है वही आउट सोर्सिंग के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों से ज्यादा संख्या दिखाकर प्रतिमाह धन निकाल कर बंदरबाट किया जा रहा है। देवरिया जनपद में बिना सरकार के गाइडलाइन, बिना टेण्डर के ही करोड़ों रुपये की बाजार रेट से काफी ज्यादा दर पर खरीददारी कर सरकारी धन का बन्दर बाट किया जा रहा है। देवरिया के मुख्य जिला चिकित्साधिकारी के क्रिया-कलापों स्वास्थ्य विभाग में हो रही लापरवाही, बिना टेण्डर कराए हो रहे करोड़ों की खरीददारी तथा बिना कार्य किए सी0एच0ओ0 के वेतन का आपस में हो रहे बंदरबाट की जाँच कराकर कठोर कार्यवाही की जाए।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत सदर तहसील उतरौला के ऐतिहासिक/प्राचीन तालाब केरावगढ़ को विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पल्टूराम-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बलरामपुर सदर तहसील उतरौला के अन्तर्गत ऐतिहासिक/प्राचीन तालाब केरावगढ़ जोकि लगभग कई एकड़ों में फैला हुआ है उक्त तालाब में समय-समय पर विदेशी पक्षी भी आते रहते हैं तथा उक्त तालाब में हमेशा जल भरा रहता है जिससे पशु-पक्षी को बहुत लाभ मिलता है उपरोक्त तालाब को विकसित कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के कूकनगर ग्रन्ट में राजकीय महाविद्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराने के सम्बन्ध में कूकनगर ग्रन्ट गोण्डा में कराने की कृपा करें। जनहित में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सलोन के ब्लॉक डीह के ग्राम सभा पोठई बाजार से पटिया पुल तक सड़क का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक कुमार-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र सलोन के ब्लॉक-डीह के ग्राम सभा पोठई बाजार से पटिया पुल तक मण्डी समिति द्वारा जनेश्वर मिश्र सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। सड़क की बदहाल अवस्था

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के कारण आये दिन यहां पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस सड़क का नवीनीकरण कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है ताकि आवागमन सुचारु रूप से चल सके।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र पिपराईच के ग्राम सभा कोनी में चकबन्दी प्रक्रिया में सीलिंग की जमीन को स्पष्ट रूप से निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्रपाल सिंह-

[महोदय, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चकबन्दी का कार्य किया जा रहा है। मेरी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा कोनी में 1962 एवं 1991 में जो चकबन्दी हुई है उसमें किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या यह है कि जिस जमीन को आज जिलाधिकारी द्वारा सीलिंग की जमीन बतायी जा रही है चूँकि उस जमीन पर दो बार चकबन्दी हो चुकी है और उस जमीन का मालियत लगाकर उस पर दूसरे किसान का चक बना दिया गया है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सीलिग की जमीन कौन सी मानी जायेगी। यह चकबन्दी कर्मचारियों की उदासीनता एवं घोर लापरवाही के कारण हुआ है। इससे किसान पीड़ित एवं आक्रोशित है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए दोनों बार हुई चकबन्दी प्रक्रिया में सीलिंग की जमीन को स्पष्ट रूप से निर्धारित कराये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र हसनपुर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र सिंह खड्गवंशी-

[महोदय, अवगत कराना है जनपद अमरोहा, 42-हसनपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्गों की हालत अत्यन्त जर्जर है जिससे आवागमन बाधित रहता है और दुर्घटना होने का भय बना रहता है, मार्ग निम्नवत् हैं :-

1-ग्राम ख्यालीपुर ढाल से हसनपुर होते हुये गंगाचोली तक मार्ग चौड़ीकरण।

2-ग्राम आदमपुर से खड़करानी तक सड़क का नव निर्माण कार्य/चौड़ीकरण।

3-ग्राम कुदैना ढाल से रखेड़ा होते हुये शाहपुर कला तक सड़क का नव निर्माण/चौड़ीकरण।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-ग्राम रहरा से पोरारा घाट तक व सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण।

5-ग्राम ढवारसी से रहरा तक सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेउता के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन में हुए भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ज्ञान तिवारी-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम निधि-6 में ब्याज एवं मृतक व गलत नामों के बचे हुए रुपये को वर्ष (2019-20) तत्कालीन जिलाधिकारी की आदेश पर बनाई गयी डिमाण्ड ड्राफ्ट जो भारत सरकार को वापस जानी थी वह जिले के ब्लाक व ग्रामसभावार कितने-कितने बनाई गयी थी कितनी डी0डी0 डीपीआरओ कार्यालय सीतापुर में जमा हुई अभी तक कितनी शेष बची है वह कहां है इसका पता नहीं चल रहा है। रामपुर-मथुरा ब्लाक की 20 ग्राम सभाओं की डी0डी0 एडीओ पंचायत/सचिव अभय मौर्या के द्वारा स्वयं तुड़वाकर धनराशि गबन कर ली गयी है। यह गबन हुई धनराशि की डी0डी0 किसके आदेश से तोड़ी गयी वह रुपये किन खातों में गया उसका उपयोग कहा किया गया क्या मरम्मत के नाम पर इस धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। जबकि लाभार्थियों को पहले ही 12 हजार शौचालय निर्माण का अनुदान दिया जा चुका है । पुनः मरम्मत के नाम पर इस धनराशि का दुरूपयोग क्यों किया गया। ये सभी डी0डी0 2 वर्षों तक मुख्यालय में जमा नहीं हुई इसके लिए उत्तरदायी कौन है और शेष बची 59 ग्राम सभाओं की डी0डी0 कहां है ?

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्ब लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर में नहटौर नगर पालिका में परिवहन निगम के बस स्टेशन भवन का पुनर्निर्माण कर डिपो बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम कुमार-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-21, नहटौर जनपद बिजनौर (सुरक्षित) के अन्तर्गत नहटौर में परिवहन निगम के बस स्टेशन भवन का पुनर्निर्माण कर डिपो बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है जिसके कारण भवन खराब होने के कारण बसें स्टैण्ड पर नहीं जा पा रही है जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। जनहित में रोडवेज भवन को पुनर्निर्माण कराकर बस स्टेशन का निर्माण अति आवश्यक है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर के मौजा अहरौली अन्तर्गत नगर पालिका में सरकारी जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने तथा इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर, कासगंज के मौजा अहरौली अन्दर नगर पालिका कासगंज के अन्तर्गत सरकारी सम्पत्ति गाटा सं0-38 रंगवा 0.4370 जोकि बरेली-मथुरा रोड किनारे पर स्थित है इस पर तहसील के क्षेत्र तत्कालीन लेखपाल एवं तहसील के अन्य कर्मचारियों की मिली भगत से अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसकी शिकायत जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी कासगंज से करने के बावजूद तहसील के कर्मचारियों के मिलीभगत होने से कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उक्त सरकारी जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को हटाया जाना और इसके लिए दोषी लेखपाल एवं तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उच्च स्तरीय जाँच कराकर सरकारी जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने एवं इसके लिए दोषी लेखपाल एवं तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराये जाने हेतु कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर के अन्तर्गत ग्राम शंकरनगर, मौजा भगता, विकास खण्ड हरैया सतघरवा से मुख्य मार्ग (मणिपुर सिकटिहवा) तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-291, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत ग्राम शंकरनगर मौजा भगता विकास खण्ड हरैया सतघरवा से मुख्य मार्ग (मणिपुर-सिकटिहवा) तक आने-जाने का कोई मार्ग न होने के कारण ग्रामवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है इस मार्ग का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूं।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत ग्राम अतरौली से ग्राम अतरेहटी सम्पर्क मार्ग पर अतरौली के पास पहूज नदी पर रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मूल चन्द्र सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद जालौन, तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत ग्राम- अतरौली से ग्राम- अतरेहटी सम्पर्क मार्ग पर अतरौली के पास पहूज नदी पर रपटा न होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उक्त रपटे का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्त्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किए जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र कैम्पियरगंज में गन्ना विभाग की खाली पड़ी जमीन पर औद्योगिक इकाई की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फतेह बहादुर सिंह-

[महोदय, जनपद-गोरखपुर के तहसील मुख्यालय-कैम्पियरगंज में गन्ना विभाग के पास 27 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जो खाली पड़ी हुई है। यह जमीन किसी औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु अत्यन्त उपयोगी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित नहीं है। इस क्षेत्र के समुचित विकास हेतु गन्ना विभाग की खाली पड़ी जमीन पर औद्योगिक इकाई की स्थापना कराये जाने हेतु जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये जनहित में उक्त गन्ना विभाग की 27 एकड़ जमीन पर औद्योगिक इकाई को स्थापित किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बालामऊ के विकास खण्ड-कछौना, नगर पंचायत कछौना पतसेनी में एलिवेटेड मोड में फ्लाईओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामपाल वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद हरदोई विकास खण्ड-कछौना, नगर पंचायत कछौना पतसेनी में लखनऊ-पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-731) के विस्तारीकरण 4-6 लेन के निर्माण के क्रम में नगर पंचायत कछौना पतसेनी के आबादी क्षेत्र में बनने वाले क्लोज

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फ्लाईओवर को एलिवेटेट फ्लाईओवर (पिलर पर बनने वाले) पुल की माँग जनता के द्वारा की जा रही है। उक्त फ्लाईओवर के एलिवेटेड मोड में बनने से कछौना की अर्थव्यवस्था और अधिक सुदृढ होगी, जबकि ऐसा न होने की दशा में नगर दो भागों में विभाजित हो जाएगा, जिससे धन व समय की बर्बादी होगी । अतः जनहित में उक्त फ्लाईओवर एलिवेटेड मोड पर बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ में मौदहा बांध को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती मनीषा अनुरागी-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-229, राठ (हमीरपुर) में मौदहा बांध स्थित है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र काफी पिछड़ा क्षेत्र है। मौदहा बांध को पर्यटन क्षेत्र की दृष्टि से विकसित किये जाने से इस क्षेत्र में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ पर्यटकों के आने से यहां पर रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। इसी कारण से पर्यटन विभाग के द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव भी शासन स्तर पर प्रेषित किया है। जनहित में मौदहा बांध को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना नितान्त आवश्यक है ।

अतः मै आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये वक्तव्य की माँग करता हूं।]

जनपद महोबा में कबरई से पहरा कुनहटा तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश कुमार गोस्वामी-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूँ।

जनपद महोबा में कबरई से पहरा एवं कुनहटा तक सड़क न होने के कारण उक्त कस्बे में रहने वाले लोगों को आने-जाने हेतु बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उक्त ग्रामों में भी रहने वालों को कबरई तक आने-जाने में आसान हो जायेगा । अभी लोगों को घूमकर जाना पड़ता है। उक्त सड़क के निर्माण कराये जाने हेतु कई बार जिले में सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराया गया है, परन्तु उनके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः जनपद महोबा में कबरई से पहरा एवं कुनहटा तक सड़क बनाये जाने की माँग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र तरबगंज के अत्यधिक आवागमन वाले मार्ग की व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक में अनुमोदनोपरान्त शुक्लगंज से गंगरौली, आदमपुर, ताराडीह मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की लम्बित पत्रावली को राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तरबगंज जनपद गोण्डा की शुक्लगंज से गंगरौली, आदमपुर, ताराडीह मार्ग अत्यधिक आवागमन वाली सड़कों में से एक है इस मार्ग से क्षेत्र के अधिकांश लोगों का आवागमन रहता है। मार्ग सकरा होने के कारण आये दिन क्षेत्रवासियों की दुर्घटनाएं होती रहती है इस मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने का आगणन पिछले वित्तीय वर्ष में भेजा गया था परन्तु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल सकी थी। क्षेत्र भम्रण/जनसम्पर्क के दौरान क्षेत्रवासियों द्वारा निर्माण कराये जाने की माँग की जा रही है, क्षेत्र के सबसे ज्यादा आवागमन वाले मांर्गों में से यह एक प्रमुख मार्ग है। इस मार्ग का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

उक्त मार्ग के निर्माण कार्य की व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक में अनुमोदनोपरान्त लगभग 06 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

दिल्ली स्थित यू0पी0 भवन के पुनः निर्माण से सम्बन्धित कार्यवाही प्रारम्भ होने तक पुरानी चीजों यथा गद्दे, चादरें, तकिया, तकिया कवर, तौलिया आदि बदलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

[महोदय, सादर संज्ञान देना चाहता हूँ कि, यूपी भवन नई दिल्ली में कुल 74 कमरे हैं और द्वारिका, नई दिल्ली में नव निर्मित, नए भवन में कुल 30 कमरे हैं (परन्तु वह उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति/दिल्ली के अनियंत्रित यातायात के कारण से, बहुत दूर है, अतः बहुत कम उपयोग होता है) तथा यू0पी0 सदन में, विधायकगण, आवंटन के अधिकारी नहीं है। दोनों

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थल मिलाकर कुल 104 कमरे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के मा0 विधायकों की संख्या 403 और विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या 100 यानि कुल 503 MLA&MLC हैं।

यूपी भवन 'संगम' नई दिल्ली के बारे में, एनडीएलसी की रिपोर्ट के अनुसार, UP भवन की मियाद, साल भर पहले ही खत्म हो गई थी। इसके लिए यू0पी0आर0एन0एन0 ने एक प्रस्ताव भी उ0प्र0 शासन को भेजा है। उक्त स्थल पर ही, नए भवन निर्माण हेतु, मुख्य सचिव जी ने भी संज्ञान लिया था, जिसके आधार पर सर्वे भी हो चुका है।

वर्तमान में यूपी भवन 'संगम' में अव्यवस्था का आलम यह है कि बाहरी अनधिकृत लोगों के वाहन भी बिना किसी रोक-टोक के अन्दर खड़े कर दिए जाते हैं और अनधिकृत लोग भी अन्दर तक, लॉबी में तथा ऊपर प्रत्येक खण्ड की गैलरीओं में बेरोक-टोक टहलते देखे जा सकते हैं, जो अन्य कारणों तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी, कभी भी चुनौती बन सकता है। अतः सुरक्षा भी, किसी प्राइवेट एजेंसी को देनी चाहिए।

विशेष आग्रह सहित निवेदन है कि, अग्रिम कार्रवाई तक यूपी भवन के कमरों में वर्षों से पड़े गद्दे, चादरें, तकिया, तकिया कवर, तौलिया आदि बेहद पुराने और खराब एवं गन्दे दिखने वाले मिलते हैं। गद्दे भी जगह-जगह से पिचके हुए हैं और उनसे अजीब तरह की बदबू आती है, जिससे बिस्तर पर लेटना भी बहुत मुश्किल होता है। जिसके कारण, मजबूरी में यू0पी0 भवन से बाहर, आसपास के क्षेत्रों में ही, होटल का प्रयोग करना मजबूरी होती है।

अतः जब तक नये भवन पुनः निर्माण से सम्बन्धित कार्यवाही प्रारम्भ हो, तब तक उक्त पुरानी चीजों को बदलवाने हेतु, अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही की अतिआवश्यकता महसूस होती है।

अतः नियम- 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

चरखारी (महोबा) राजकीय महाविद्यालय बनाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रजभूषण राजपूत-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र-231, चरखारी (महोबा) में राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है जिससे छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है। जिससे समय एवं धन का अपव्यय होता है। जनहित में राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्ष 2019 में प्रयागराज के बेगम बाजार पुल का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के बाद रुके हुए पुल का शेष कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा शहर पश्चिमी प्रयागराज के अन्तर्गत बेगम बाजार पुल का वर्ष 2018 में 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका था। किन्तु शेष लगभग 10 प्रतिशत कार्य पिछले साढ़े चार वर्षों से रुका हुआ है। यह पुल कानपुर रोड़ से कौशाम्बी रोड़ कनेक्ट करेगा, इससे एयरपोर्ट, भगवतपुर अस्पताल आदि के आवागमन में सुविधाजनक होगा। अतः महाकुम्भ 2025 के दृष्टिगत रखते हुये भी यह पुल बनाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद संत कबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के विकास खण्ड सेमरियावां में ग्राम पैलीखास में जर्जर एवं क्षतिग्रस्त एएनएम सेन्टर का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अंकुर तिवारी-

[महोदय, अविलम्बनीय अत्यन्त लोक हित के विषय पर मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जनपद-संत कबीरनगर के मेरे विधान सभा क्षेत्र-313, खलीलाबाद के विकास खण्ड-सेमरियावां में ग्राम-पैलीखास में जर्जर एवं क्षतिग्रस्त ए0एन0एम0 सेन्टर का पुनः निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में शासन-प्रशासन स्तर पर प्रयास किये गये परन्तु उक्त कार्य नहीं हो पाया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर सदन की कार्रवाई रोक कर चर्चा कराने की माँग करता हूँ।]

बी0सी0जी0 टेक्नीशियन संवर्ग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश राजपूत-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत टी0बी0 जैसी जानलेवा बीमारी के उपचार एवं नियंत्रण हेतु वर्ष 1965 में बी0सी0जी0 टेक्नीशियन/बी0सी0जी0 टीम लीडर स्थायी एवं नियमित पद स्वीकृत किये गये थे तभी से ये कर्मचारी टी0बी0 नियंत्रण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में बी0सी0जी0 टेक्नीशियन के कुल 6 पद तथा बी0सी0जी0 टीम लीडर का 1 पद स्वीकृत किया गया था। प्रदेश में बड़े पैमाने पर क्षय रोगी (टी0बी0) होने के कारण वर्ष 1995 में भारत सरकार द्वारा आर0एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम लांच किया गया था तथा प्रत्येक जिले में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 से अधिक संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी थी तथा वर्ष 2008 में बी0सी0जी0 टेक्नीशियन/बी0सी0जी0 टीम लीडर को उक्त संविदा कर्मियों के कार्यों का सुपरवीजन शासनादेश दिनांक 21-05-2008 द्वारा सौंपा गया था तथा बी0सी0जी0 टेक्नीशियन संवर्ग को और अधिक कुशल तथा उपयोगी बनाने के उद्देश्य से उ0प्र0 शासन द्वारा बी0सी0जी0 टेक्नीशियन सेवा नियमावली को संशोधित करते हुए बी0सी0जी0 टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता में दो वर्षीय डिप्लोमा का प्रावधान चिकित्सा अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-24/पाँच-7-1417-एम0एस0-55/2006 दिनांक 06 जनवरी 2017 के माध्यम से किया गया था तथा स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा 'डिप्लोमा इन ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम मैनेजमेन्ट' को प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्तमान में सैकड़ों डिप्लोमाधारी बेरोजगार घूम रहे हैं किन्तु अचानक ही भ्रामक एवं निराधार तथ्यों के आधार पर तत्कालीन राज्य क्षय नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त पदों को अनुपयोगी बताकर कैडर को डेड करने की संस्तुति शासन को प्रेषित करा दी गयी जोकि इनकी मनमानी और द्वेषभावनापूर्ण कार्यवाही का परिचायक है। स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि आर0एन0टी0सी0पी0 प्रोग्राम वर्ष 2025 तक भारत सरकार द्वारा बन्द किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि ऐसा होता भी है तो उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त संविदा कर्मियों के पदों को समाप्त किया जाना चाहिए न कि वर्ष 1965 से नियुक्त स्थायी एवं नियमित बी0सी0जी0 टेक्नीशियन संवर्ग को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद भी बी0सी0जी0 टेक्नीशियन संवर्ग की उपयोगिता बनी रहेगी । इस सम्बन्ध में उ0प्र0 टी0बी0 कन्ट्रोल इम्पलाइज एसोसिएशन के विस्तृत साक्ष्यों सहित पत्र दिनांक 03-08-2023 आदि के माध्यम से विवादित प्रस्ताव को निरस्त कर रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती किये जाने का अनुरोध किया गया है। वर्णित स्थिति एवं व्यापक जनहित में स्वास्थ्य महानिदेशालय के विवादित प्रस्ताव को निरस्त कर शीघ्र रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना न्यायोचित होगा ।

अतएव महोदय जनहित एवं लोक महत्व के इस विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रभावी कार्रवाई करने की माँग करता हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लम्भुआ के अन्तर्गत ओ0डी0आर0 चिलबिला-अमेठी राष्ट्रीय राजमार्ग आशापुर मिश्रान से होते हुए चन्दिकन सम्पर्क मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्वनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान का आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 248 प्रतापगढ़ के जनपद प्रतापगढ़ अन्तर्गत चौड़ीकरण ओ0डी0आर0 चिलबिला-अमेठी राष्ट्रीय राजमार्ग आशापुर मिश्रान से होते हुए चन्दिकन सम्पर्क मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण तक अन्य जिला मार्ग पर आम जनमानस का चलना दूभर हो गया है, वर्षा के समय सड़क पर कीचड़ हो जाता है जिससे आस-पास की हजारों आम जनमानस को आने-जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है सड़क बन जाने से यह बाईपास के रूप में कार्य करेगा, उक्त सड़क को जनहित में बनवाया जाना महत्वपूर्ण है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा कुण्डासर-हुजूरपुर मार्ग के कि0मी0 01 से 13 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष त्रिपाठी-

[महोदय, उक्त मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसी मार्ग पर उ0प्र0 सेतु निगम द्वारा लगभग 14 करोड़ की लागत से सेतु (पुल) का निर्माण कराया गया है। यह सेतु कैसरगंज, कुण्डासर होते हुए हुजूरपुर जनपद श्रावस्ती जाने के लिए मार्ग को जोड़ता है। इसी के साथ ही सेतु बनने से हुजूरपुर क्षेत्र के गन्ना किसानों को पारले चीनी मिल जाने के लिए लगभग 12 से 14 किमी0 दूरी कम हो गयी है परन्तु अपूर्ण मार्ग होने से सेतु का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्नीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त कुण्डासर-हुजूरपुर मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा अन्तर्गत कोटवा/नेबुआ नोरंगिया उपकेन्द्र की उपभोक्ता के सापेक्ष नये उपकेन्द्र की स्थापना व समस्त फीडरों को नियमित रूप से संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-329, खड्डा, जनपद कुशीनगर अन्तर्गत कोटवा/नेबुआ नोरगिंया उपकेन्द्र की उपभोक्ता के सापेक्ष नये उपकेन्द्र की स्थापना व समस्त फीडरों को नियमित रूप से संचालन करना जनहित में आवश्यक है क्योंकि 39 हजार विद्युत उपभोक्ता के सापेक्ष नये उपकेन्द्र का स्थापना व नेबुआ नोरगिंया/कोटवा उपकेन्द्र के समस्त फीडरों का नियमित संचालन अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी नगर में रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रो0 श्याम बिहारी लाल-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एवं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जिला बेरली के विधान सभा क्षेत्र-122, फरीदपुर के अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी नगर में लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं। सड़क पर खड़े रहने के कारण वर्ष भर अनेक दुर्घटनाएं होती है। फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली में रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की माँग करता हूं।]

तुर्तीपार नगरा-रसड़ा-सिधागर घाट-कठवा मोड़ (गाजीपुर) राज्य मार्ग सं0-108 में जनपद बलिया के नगर पालिका क्षेत्र रसड़ा के प्यारे लाल चौराहे के रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद बलिया की सबसे बड़ी नगरपालिका क्षेत्र रसड़ा के प्यारे लाल चौराहे पर एक रेलवे क्रासिंग है तथा इस रेलवे क्रासिंग के पास ही तहसील, कचहरी एवं मुंसफी के साथ ही साथ रसड़ा का मेन बाजार भी पड़ता है

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिससे यहां पर अत्यधिक आवागमन रहता है। चूंकि इसी रेल मार्ग से बिहार एवं बंगाल व अन्यत्र जाने वाली ट्रेनों का रूट होने के कारण यहां पर क्रासिंग बंद होने से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है।

मान्यवर, यदि इस राज्य मार्ग पर जनपद बलिया की रसड़ा तहसील के प्यारे लाल चौराहे में पड़ने वाली रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण करा दिया जाता है तो यहां की लाखों-लाख जनता को इससे सीधा लाभ मिलेगा तथा हमेशा लगने वाले जाम की स्थिति भी खत्म हो जायेगी।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर जनपद बलिया की रसड़ा तहसील के प्यारे लाल चौराहे में पड़ने वाली रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने हेतु शासन से कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत एक वर्कशाप का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 आर0 के0 पटेल-

[महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे जनपद जौनपुर में 62806 ट्रांसफार्मर लगे हुए है एवं इनकी मरम्मत के लिए मात्र एक वर्कशाप जौनपुर जनपद में है, एक वर्कशाप बदलापुर विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन है। आस-पास के जनपद जैसे कि प्रयागराज में 57000 ट्रांसफार्मर के लिए 3 वर्कशाप कार्यरत हैं, वाराणसी में 26770 ट्रांसफार्मर के लिए 2 वर्कशाप कार्यरत हैं। जौनपुर के अन्य जनपदों कि तुलना में सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर है किन्तु केवल एक ही वर्कशाप कार्यरत है। जिसकी वजह से हुए ट्रांसफार्मर को ठीक कराने में लगभग 15 दिनों का समय लगता है। जिस कारण जनप्रतिनिधियों एवं सरकार की छवि धूमिल हो रही है। यह कार्य करवाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनपद जौनपुर के मड़ियाहूँ विधान सभा क्षेत्र में एक वर्कशाप का निर्माण करवाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में निर्मित सड़कों की कमेटी गठित कर जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जीत लाल पटेल-

[महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विश्वनाथगंज में लोक निर्माण विभाग

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्माण खण्ड-2 व प्रान्तीय खण्ड द्वारा सारी सड़कें मानक के अनरूप नहीं बनाई गयी है तथा विशेष मरम्मत योजना/पं0 दीन दयाल योजना/नाबार्ड योजना/राज्य सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित समस्त सड़कों की जांच कराना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनपद प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्मित सड़कों की कमेटी गठित जांच कराये जाने के जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत फतेहपुर ककरडिल्ला चौराहे से (राइसमील) के उत्तर की तरफ से पंचायत भवन होते हुए राजभर बस्ती तक पिच का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत फतेपुर ककरडिल्ला चौराहे से (राईसमील) के उत्तर की तरफ से. पंचायत भवन होते हुए राजभर बस्ती तक पिच का कार्य कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। यह रोड बहुत ही जर्जर अवस्था में है जिससे ग्राम वासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त पिच रोड का निर्माण कराये जाने की माँग करता हूं।]

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगर पालिका शिकोहाबाद में पेयजल की सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगर पालिक शिकोहाबाद में पेयजल की काफी दिक्कते हैं नगर पालिका क्षेत्र के मौहल्ला गंगा नगर, कृष्णा नगर एवं बाईपास रोड पर पेयजल की सप्लाई नहीं है यहां के निवासियों को पेयजल के पानी के लिये दूर-दूर भटकना पड़ता है जिससे उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र बक्शी का तालाब में कमता पुलिस चौकी से रजत डिग्री कॉलेज को जाने वाली सड़क से श्री रामजी अवस्थी, शंकरपुरी सेक्टर-सी से श्री चन्द्रशेखर गुप्ता के घर को जाने वाली 400 मीटर अर्द्धनिर्मित इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-

[महोदय, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र संख्या-169 बक्शी का तालाब में कमता पुलिस चौकी से रजत डिग्री कालेज को जाने वाली सड़क से श्री रामजी अवस्थी, शंकरपुरी सेक्टर-सी से श्री चन्द्रशेखर गुप्ता के घर को जाने वाली 400 मीटर अर्द्धनिर्मित इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है उक्त सड़क के न बनने से जनता को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र सहसवान के अन्तर्गत इस्लामनगर की मण्डी समिति के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रजेश यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र सहसवान के अन्तर्गत इस्लामनगर की मण्डी समिति का निर्माण कार्य कराया गया था, उक्त कार्य को ठेकेदार द्वारा अधूरे कार्य कराकर छोड़ दिया गया है। क्षेत्र की जनता द्वारा बार-बार माँग की जा रही है कि अधूरे कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा। जनहित की समस्या को देखते हुए मण्डी समिति के अधूरे कार्य को पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त कार्य हेतु सरकार से माँग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र धनौरा, जनपद अमरोहा के ब्लाक धनौरा के खादर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र धनौरा जनपद अमरोहा के ब्लाक धनौरा के खादर क्षेत्र में कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है जिसके कारण खादर क्षेत्र के गरीब एवं निर्बल

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्रायें उच्च्य शिक्षा से वंचित हो रही हैं। काफी समय से इस खादर क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना की माँग की जा रही है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने से क्षेत्र की जनता में निराशा एवं आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ब्लाक धनौरा जनपद अमरोहा के खादर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मीराज सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में कोई मुंसिफ कोर्ट स्थित नहीं है। सिकन्द्राबाद में मुंसिफ कोर्ट की माँग विगत 40 वर्षों से चल रही है। चूंकि सिकन्द्राबाद क्षेत्र काफी सघन आबादी वाला क्षेत्र है। जनहित में सिकन्द्राबाद में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड समरेर में कतिपय विद्युत सब-स्टेशनों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भैया-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूँ के विकास खण्ड समरेर के अन्तर्गत मौसमपुर व दातागंज विकास खण्ड के सेजनी में विद्युत सब-स्टेशन स्वीकृत है । परन्तु अभी तक धन अवमुक्त न किये जाने के कारण क्षेत्र के लोग लो-वोल्टेज व बरसात के समय कई-कई दिनों तक विद्युत आपूर्ति की समस्या से परेशान होना पड़ता है। जिससे किसानों को सिंचाई एवं छात्रों की शिक्षा प्रभावित होती रहती है। जनहित में उक्त स्वीकृत विद्युत सब-स्टेशनों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है ।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विधान सभा क्षेत्र दातागंज के उपरोक्त दोनों विकास खण्डों में स्वीकृत विद्युत सब-स्टेशनों के निर्माण हेतु धन उपलबध कराये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद भदोही के अन्तर्गत एल0डी0 रोड स्थित सर्विस सेन्टर से अब्दुल अजीज एवं बदरुद्दीन के हाता होते हुए डिजाइनर प्वाइंट कम्पनी तक सी0सी0 रोड का निर्माण तथा भदोही पकरी (फूलन देवी तिराहे) रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जाहीद-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद भदोही में भदोही जिला योजना वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत एल0डी0 रोड स्थिति सर्विस सेन्टर से अब्दुल अजीज एव बदरुद्दीन के हाता से होते हुए डिजाइनर प्वाइंट कम्पनी तक सी0सी0 रोड निर्माण हेतु आगणन तैयार है। परन्तु अभी तक धन उपलब्ध नहीं हो पाया है तथा भदोही पकरी (फुलन देवी तिराहा) रेलवे फाटक पर आये दिन घण्टों तक जाम लगा रहता है। जहां पर क्षेत्र के व्यापारियों के साथ-साथ विदेशी ग्राहक भी जाम में फंसे रहते हैं। जहां पर रेलवे का ओवर ब्रिज बनाया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का उक्त रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाये जाने हेतु माँग करता हूँ।]

जनपद वाराणसी के अन्तर्गत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात विभिन्न पी0आर0ओ0 द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद वाराणसी के अन्तर्गत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी मंदिर में दर्शन/स्पर्श दर्शन किये जाने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रोटोकाल/कानुन व्यवस्था) वाराणसी के पत्रांक में दिनाक 22-3-2023 से प्राप्त औपचारिक अनुमति/प्रोटोकाल के अन्तर्गत गये थे। इतना ही नहीं दर्शन पूजन हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा दूरभाष पर श्री सुनील वर्मा मुख्य कार्यापालक अधिकारी से भी अनुरोध किया गया था, जिस पर श्री वर्मा द्वारा अखिलेश सिंह, अरविन्द्र शुक्ला, श्री गौरव राय और श्री गौरव रघुवंशी, श्री योगेश वर्मा एवं श्री पुनीत धवन को निर्देशित किया गया। किन्तु इन लोगों द्वारा मेरे पारिवारिक सदस्यों के साथ अभद्रता की गयी, और यह भी कहा गया कि ऐसे प्रोटोकाल को हम कुछ नहीं समझते। ऐसे स्थिति में इन सब कर्मचारियो द्वारा परेशान किया गया है। मन्दिर परिसर में 24 घण्टे अपर मजिस्ट्रेट के स्तर से नामित अधिकारी कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी तैनात रहते हैं। जब कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तैनाती आधिकारिक रूप से निरन्तर की जाती है तो धार्मिक स्थल की आय से पी0आर0ओ0 को रखकर मानदेय दिया जाना धार्मिक/शासकीय धन अपव्यय एवं दर्शनार्थियों को अनावश्यक ही दर्शन में व्यवधान पैदा किया जाना मात्र है। ऐसे स्थिति में श्री अखिलेश सिंह, श्री अरविन्द शुक्ला, श्री गौरव राय, श्री गौरव सिंह रघुवंशी, श्री योगेश वर्मा, श्री पुनीत धवन, यह सभी पी0आर0ओ0 आदि द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर प्रांगण में दलाली एवं अवैध वसूली की जा रही है। तथा इन लोगो की आय से अधिक अकूत सम्पत्ति की जांच भी कराया जाना आवश्यक है। जिसकी जांच कराकर कार्रवाई किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर प्रकरण पर सदन के संज्ञान में लाते हुए श्री काशीनाथ मन्दिर प्रांगण में किये जा रहे अवैध वसूली को रोकने एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की सरकार से माँग करता हूँ।]

उत्तर प्रदेश के पुरुष संवर्ग के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में महिलाओं को पदस्थापित कर भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद चतुर्वेदी-

[महोदय, उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विधालयों की स्थापना पुरुष संवर्ग एवं महिला संवर्ग हेतु अलग-अलग की गई है। पुरुष संवर्ग एवं महिला संवर्ग के पद अलग-अलग निर्धारित है। लोक सेवा आयोग द्वारा पुरुष संवर्ग एवं महिला संवर्ग के लिए अलग-अलग विज्ञापन निकाला जाता है, अलग-अलग चयन किया जाता है, पदस्थापन अलग-अलग निर्धारित अधिष्ठानों द्वारा किया जाता है। पुरुष संवर्ग एवं महिला संवर्ग की वरिष्ठता अलग-अलग निर्धारित की जाती है और पदोन्नति अलग-अलग होती है। परन्तु प्रायः यह देखा जा रहा है कि पुरुष संवर्ग के विद्यालयों में महिला को सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक (अधिनस्थ राजपत्रित), उप प्रधानाचार्य हैं, जिससे पुरुषों के पद पदोन्नति के समय एवं अधियाचन भेजते समय भरे हुए दिखाए जा रहे हैं और महिला संवर्ग के विधालयों के पद पर पदोन्नत के समय एवं अधियाचन भेजते समय खाली दिखाए जाते हैं। इससे पुरुष शाखा के पद निरंतर कम होते जा रहे हैं एवं महिला शाखा के पद निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। पुरुष संवर्ग के पदों पर पुरुषों के पदोन्नति एवं चयन महिलाओं के पदस्थापित होने से निरन्तर कम संख्या में हो रहा है। पुरुष संवर्ग के लिए निर्धारित ये पद (जिस पर महिलाएं पदस्थापित हैं) मृत होते जा रहे हैं. समाप्त होते जा रहे हैं। यह दुर्व्यवस्था एवं नियम विरुद्ध कार्य अधिकारियों द्वारा अपने स्वजनों, रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने या भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। यह घोर विसंगति है, संविधान विरुद्ध है और मूल नियम का उल्लंघन है।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भारत के संविधान में अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक-53 पर उल्लिखित ''मझवार'' जाति को उनके उपनाम के आधार पर अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद कुमार बिन्द-

[महोदय, आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 शासन, (हरिजन सहायक अनुभाग) के पत्र दिनांक 29 अगस्त, 1977 के क्रम में शासनादेश संख्या-4442/छब्बीस-818-1957, दिनांक 22 मई, 1957 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जन-जातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 को उत्तर प्रदेश के लिए निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची के क्रमांक-53 पर उल्लिखित 'मझवार' जाति को परिभाषित करते हुए (धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी, केवट, मल्लाह, मझवार) दिनांक 27 जुलाई, 1977 से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए प्रभावी कर दिया गया है। अधीक्षक, जनगणना कार्य, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जारी नियमावली मझवार के निम्नलिखित समानार्थी प्रकाशित किया गया था । मझवार मुजाविर, राजगोंड, मल्लाह, केवट, गौड, मझवार के साथ ही यह भी कहा कि सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार अनुसूचति जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित सभी मामलों का नोडल मंत्रालय है। सेन्सस आफ इण्डिया 1961 एपेनडिस्क टू सेन्सस मैनुअल पार्ट (एक) उत्तर प्रदेश की गाइड लाइन है। उसके आधार पर लेदरमैन/ वा वाटरमैन की सभी जातियों को संविधान में वर्णित चमार/धोबी को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र मिल रहा है। इसी आधार पर फिशरमैन को मझवार की पर्यावाची-केवट, मल्लाह को भी मझवार का सर्टीफिकेट परिभाषित कर दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश महामहिम राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा-13 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के अधिसूचना संख्या-4(1)/2002-का-2, दिनांक 31-12-2016 को संशोधित कर केवट, मल्लाह आदि जाति को पिछड़ा वर्ग से निकाल दिया गया है। उपरोक्त जातियाँ अब अधिसूचना के अनुसार पिछड़ी जाति में नहीं हैं। संविधान और सेन्सस ऑफ इण्डिया 1961 के अनुसार यह मझवार हैं।

क्या यह अधिसूचना उत्तर प्रदेश में प्रभावी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई दिलाये जाने की माँग करता हूं।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भारत के संविधान में अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक-53 पर उल्लिखित ''मझवार'' जाति को उनके उपनाम के आधार पर अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

इंजी0 सरवन कुमार निषाद-

[महोदय, आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 शासन, (हरिजन सहायक अनुभाग) के पत्र दिनांक 29 अगस्त, 1977 के क्रम में शासनादेश संख्या-4442/छब्बीस-818-1957, दिनांक 22 मई, 1957 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जन-जातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 को उत्तर प्रदेश के लिए निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची के क्रमांक-53 पर उल्लिखित 'मझवार' जाति को परिभाषित करते हुए (धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी, केवट, मल्लाह, मझवार) दिनांक 27 जुलाई, 1977 से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए प्रभावी कर दिया गया है। अधीक्षक, जनगणना कार्य, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जारी नियमावली मझवार के निम्नलिखित समानार्थी प्रकाशित किया गया था। मझवार, मुजाविर, राजगोंड, मल्लाह, केवट, गौड, मझवार के साथ ही यह भी कहा कि सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार अनुसूचति जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित सभी मामलों का नोडल मंत्रालय है। सेन्सस ऑफ इण्डिया 1961 एपेनडिस्क टू सेन्सस मैनुअल पार्ट (एक) उत्तर प्रदेश की गाइड लाइन है। उसके आधार पर लेदरमैन/ वाशरमैन की सभी जातियों को संविधान में वर्णित चमार/धोबी को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र मिल रहा है। इसी आधार पर फिशरमैन को मझवार की पर्यावाची- केवट, मल्लाह को भी मझवार का सर्टीफिकेट परिभाषित कर दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश महामहिम राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-13 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के अधिसूचना संख्या-4 (1)/2002-का-2, दिनांक 31-12-2016 को संशोधित कर केवट, मल्लाह आदि जाति को पिछड़ा वर्ग से निकाल दिया गया है। उपरोक्त जातियाँ अब अधिसूचना के अनुसार पिछड़ी जाति में नहीं हैं। संविधान और सेन्सस ऑफ इण्डिया 1961 के अनुसार यह मझवार हैं।

क्या यह अधिसूचना उत्तर प्रदेश में प्रभावी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई दिलाये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल प्रधान-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित पेट्रोल पम्पों में ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति टैंकर-लारी द्वारा किया जाता है। वर्तमान में संचालित टैंकर-लारी पेट्रोलियम नियमावली में दिये गये डिजाइन के अनुसार निर्मित नहीं है। इस कारण इन टैंकरों का परीक्षण व प्रमाणीकरण नहीं होता है। विधिक माप विज्ञान विभाग से इन टैंकरों का मॉडल अनुमोदित भी नहीं है। बिना खरीद इनवाइस के ऐसे टैंकर क्रय किये जाते हैं। क्योंकि टैंकर निर्माता के पास निर्माण, बिक्री व मरम्मत करने का कोई लाइसेन्स नहीं होता है। इन कर्मियों के बाद भी विधिक माप विज्ञान अधिकारियों द्वारा ऐसे लाइसेंस नहीं होता है। सत्यापन/मुद्राकंन किया जाता है। विधिक माप विज्ञान विभाग ने निजी व्यक्तियों व ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों को पानी भरने का गैरकानूनी तरीके से लाइसेन्स देकर उसकी आड़ में टैंकरों का सत्यापन/मुद्रांकन कराया जा रहा है। ऑयल मार्केटिंग कम्पनियां पेट्रोलियम एवं विष्फोटक सुरक्षा सगठन से बिना अनुमोदन प्राप्त किये गैरकानूनी रूप से अनाधिकृत व अप्रशिक्षित व्यक्तियों से टैंकरों का मरम्मत के नाम पर छोटे व बड़े बदलाव करवाती है। जिससे टैंकरों में ई-लाकिंग सिस्टम व अन्य तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों की चोरी के लिये छेड़छाड़ की जाती है।

इसी प्रकार ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों ने पेट्रोल पम्पों पर डीजल/पेट्रोल के भण्डारण हेतु अमानक भूमिगत टैंक लगा रखा है तथा अमानक व असत्यापित डिपराड से भूमिगत टैंकों में उपलब्ध स्टाक का मापन किया जाता है तथा गैरकानूनी तरीके से आटोमेशन भी लगा रखा है। ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों ने गैरकानूनी तरीके से पेट्रोल पम्प मालिकों को डिस्पेसिंग यूनिटों इत्यादि को अभिरक्षक के रूप में देकर विधिक माप विज्ञान विभाग से परीक्षण मुद्रांकन कराने का दायित्व सौंप दिया गया। जिससे गैर कानूनी कृत्यों के चलते ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों व विधिक माप विज्ञान की मिलीभगत व संलिप्तता के कारण टैंकरों के माध्यम से प्रथम चरण में ही बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों की चोरी हो रही है। जोकि बहुत संवेदनशील ही नहीं अपितु राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा व्यय में कालाधन के संचय कराने में ऑयल मार्केटिंग कम्पनियां बहुत बड़ी सहयोगी बनी हुई हैं। अन्ततः इस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थों की प्रथम चरण में चोरी के कारण पेट्रोल पम्पों के माध्यम से आम जनता को घटतौली का शिकार होना पड़ता है। यह बहुत ही लोकहित का मामला है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह है कि राष्ट्रहित व जनहित में प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये विधिक माप विज्ञान विभाग को विधिक प्राविधानों के तहत सही व सुधारात्मक कदम उठाये जाने के निर्देश देने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम पंचायत गागलहेड़ी से ग्राम हरोड़ को जोड़ती हुई कच्ची सड़क जो लगभग पिछले 15 वर्षों से जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है, जिसको सी0सी0 रोड अथवा लो0नि0 विभाग से पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशु मलिक-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-04, सदर जनपद सहारनपुर अन्तर्गत विकास खण्ड पुवांरका के ग्राम पंचायत गागलहेड़ी से सदबू व सोमपाल के प्लाट से होकर एक रास्ता ग्राम पंचायत हरोड़ो को जाता है जिस पर काफी संख्या में लोगों का एक दूसरे गांव में आना-जाना रहता है। यह मार्ग वर्षा ऋतु में पानी भर जाने के कारण कीचड़ हो जाता है जिससे लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाई होती है। उक्त मार्ग का मण्डी समिति से सी0सी0 रोड अथवा लोक निर्माण विभाग से पक्का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। उक्त मार्ग का निर्माण न होने के कारण स्थानीय जनता में सरकार के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त मार्ग का सी0सी0 रोड अथवा लोक निर्माण विभाग द्वारा पक्का निर्माण कराये जाने की माँग करता हूँ।]

घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुगल रोड से मुरलीपुर सरहद तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरोज कुरील-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से एक लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में बहुत से ऐसे आज भी कच्चे मार्ग पड़े हुए हैं जिनसे निकल पाना बहुत मुशकिल है। जिनमें से एक प्रमुख मार्ग मेन मुगल रोड से हुसैना कोठी होते हुए मुरलीपुर सरहद तक विदित हो यह मार्ग कई गाँव व एक विधान सभा क्षेत्र से दूसरी विधान सभा क्षेत्र को जोड़ने वाला मार्ग है।

अतः क्षेत्रवासियों की इस मार्ग आवागमन की समस्या को शीघ्र अति शीघ्र आगड़न लोक निर्माण विभाग के माध्यम से बनवा कर सम्बन्धित विभाग (पी0डब्लू0डी0) को रोड बनवाने का सम्बन्धित अधिकारियों का आदेश निर्दिष्ट करने का कष्ट करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

केन्द्र सरकार के अनुसूचित जातियों की सूची को देखते हुए कतिपय जातियों को मझवार का अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विपुल दुबे-

[महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने दिनांक 31-12-2016 को शासनादेश उपरोक्त जातियों को पिछड़ी जाति की सूची से कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4 (1)/2002-का-2, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 द्वारा आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-13 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी कर उपरोक्त जातियों को पिछड़ी जाति से निकाल दिया। जबकि सन् 1961 में सेन्सस आफ इण्डिया 1961 एपेनडिस्क टू सेन्सस मैनुअल पार्ट (एक) सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की सूची जो प्रकाशित है, उसमें उपरोक्त जातियों पूर्ववत् सम्मिलित हैं । यहाँ यह कहना न्याय संगत होगा कि उपरोक्त जातियाँ अनुसूचित जाति से हैं एवं उपरोक्त सेन्सस रिपोर्ट एवं केन्द्र सरकार के अनुसूचित जातियों की सूची को देखते हुए उपरोक्त जातियों को मझवार का अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत कराया जाना न्याय संगत होगा।

क्या यह अधिसूचनाएं उत्तर प्रदेश में प्रभावी हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई दिलाये जाने की माँग करता हूँ।]

उत्तर प्रदेश सेन्सस आफ इंडिया के मैनुअल में पार्ट एक में मझवार की पर्यायवाची केवट, मल्लाह आदि किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री असीम कुमार-

[महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 संजय कुमार निषाद जी के पत्र दिनांक 18-12-2021 को मा0 मुख्य मंत्री जी को दिया गया और देश के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को उनके उपनाम, सरनेम लगाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

इसी क्रम में दिनांक 20-12-2021 को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा रजिस्ट्रार, जनरल आफ इण्डिया, जनगणना आयुक्त, भारत सरकार, नई दिल्ली से मझवार जाति को उनके पर्यायवाची उपनाम को मझवार अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन की माँग किया गया।

जिसके क्रम में विशेष सचिव/महारजिस्ट्रार जनगणना, भारत सरकार के पत्र दिनांक 18-01-2022 को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जति मझवार के पर्यायवाची उपनाम के विषय में

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सहकारिता एवं सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को एक पत्र लिखा कि जनगणना विभाग उत्तर प्रदेश के सन् 1961 में सेन्सस आफ इण्डिया 1961 एपेनडिस्क टू सेन्सस टू मैनुअल पार्ट (एक) उत्तर प्रदेश में उपरोक्त पर्यायवाची उपनाम उपजातियां क्रम संख्या-51 पर मझवार की पर्यायवाची जाति केवट, मल्लाह आदि का नाम अंकित है, 30 सालों से उनके हक अधिकार न मिलने से ये जातियां समाज व विकास की मुख्य धारा से पिछड़ती चली गयी।

क्या यह अधिसूचनाएं उत्तर प्रदेश में प्रभावी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुँगराबादशाहपुर में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज पटेल-

[महोदय, सादर आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में लाना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र-368, मुँगराबादशाहपुर, जनपद-जौनपुर अन्तर्गत बरईपार बाजार से कतिपय मार्गों पर नाली न होने के कारण अत्यधिक पानी जमा हो जाता है। इससे व्यापारियों, स्थानीय लोगों तथा बाजार में आने-जाने वाली आम-जनता के आवागमन में काफी परेशानी आ जाती है। स्थायी पानी निकासी की सुविधा न होने से रास्ते में पानी आदि जमा हो जाता है, जिससे सड़कें खराब हो जाती हैं तथा बरसात के मौसम में अत्यधिक बीमारी फैलने की आशंका बढ़ जाती है। यहां से निकले वाले निम्न मार्गों पर नाली निर्माण कराये जाने की नितान्त आवश्यकता है :-

1-बरईपार बाजार से सुजानगंज रोड पर 01 किमी0,

2-बरईपार बाजार से कंधी रोड पर 500 मीटर,

3-बरईपार बाजार से मछलीशहर रोड पर 800 मीटर।

अतएव लोकहित के इस अविलम्बनीय, महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए त्वरित कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों को गड्ढा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'-

[महोदय, कानपुर का दौरा करने के दौरान भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि कानपुर में तो पता ही नहीं चलता है कि सड़क में गड्ढा है

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

या गड्ढे में सड़क, उनका यह जुमला तबकी सरकार को शर्मसार करने को काफी था। आज फिर कानपुर का वही हाल है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र छावनी और बाकी विधान सभा क्षेत्रों की सड़कों का यही हाल है। हमारे नगर से प्रकाशित दैनिक अखबार अमृत विचार इस पर कई दिनों सचित्र रिपोर्ट छापकर मुहिम चला रहा है। सरकार की आंखें खोलने को रिपोर्ट्स पर्याप्त हैं। नगर विकाम विभाग और पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के मंत्री बताएं कि कानपुर की सड़कों की हालत ऐसी क्यों है, यदि बजट की आवश्यकता है, तो सरकार इसे संज्ञान में लेते हुए कब तक आवंटित करेगी।]

जनपद बस्ती के रुधौली विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरौली शुमाली को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र रुधौली, जनपद-बस्ती के अन्तर्गत चार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरौली शुमाली, सल्टौआ गोपालपुर, भानपुर, रुधौली है। आज-कल बीमारी की जाँच के लिए माइक्रोस्कोप, स्टेथेस्कोप, एक्स-रे, ई0सी0जी0, ABG मशीन, वाई पैप, मॉनीटर, सी0टी0 स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड जैसे तकनीकी उपकरणों का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। पदस्थापित डॉक्टर आते नहीं। डॉक्टरों के आभाव के कारण समुचित इलाज में काफी समस्या बनी रहती है। महिला डॉक्टर न होने के कारण प्रसव केन्द्र भी संचालित नहीं रहता, जिसके कारण आम-जनमानस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अमरौली शुमाली में न तो डॉक्टर है और न ही जाँच के कोई उपकरण, सल्टौआ में डॉक्टर है, तो उपकरण नहीं, कहीं डॉक्टर हैं तो उपकरण नहीं, अस्पताल फार्मासिस्ट और वार्ड ब्वाय के सहारे संचालित रहता है। सल्टौआ, भानपुर, रुधौली पर राष्ट्रीय राज्य मार्ग से जुड़ा होने के बाद यहाँ पर एक भी ट्रामा सेन्टर नहीं है। सड़क दुर्घटना हो जाने के बाद इलाज की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल को रेफर कर दिया जाता है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टरों एवं माइक्रोस्कोप, स्टेथेस्कोप, एक्स-रे, ई0सी0जी0 ABG मशीन, वाई पैप, मॉनीटर, सी0टी0 स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड जैसे जांच के सभी उपकरण को उपलब्ध कराया जाना अतिआवश्यक है। स्वास्थ्य मनुष्य का अमूल्य धन है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल डॉक्टरों की क्षमता बढ़ाये जाने एवं जांच से सम्बन्धित सभी उपकरणों को स्थापित कराये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बाराबंकी के जैदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पार का पुरवा में रेठ नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरव कुमार-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व व गम्भीर विषय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र जैदपुर जनपद बाराबंकी में विकास खण्ड हरख में ग्राम पार का पुरवा मजरे करीमाबाद मलौली के समीप रेठ नदी पर पुल का निर्माण न होने के कारण लोगों ने अपने खेतों में आने-जाने के लिए बांस-बल्ली लगाकर पुल बनाया है जिससे ग्राम पार का पुरवा, मजरे करीमाबाद मलौली, अड़गपुर मार्ग जाता है। उक्त पुल से पास के गांव सेठमऊ, इब्राहिमाबाद, तीरगांव होलियामऊ, गोपालपुर, अड़गपुर आदि गांवों के लोगों का आना-जाना रहता है। रेठ नदी पर पुल न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मैं इस जनहित के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल रेठ नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बहराइच के जरवल से उपधी जर्जर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आनन्द कुमार यादव-

[महोदय, आपका ध्यान जनपद बहराइच के जरवल से उपधी जर्जर सम्पर्क मार्ग के तरफ दिलाना चाहता हूँ कि उक्त सम्पर्क मार्ग जनपद बहराइच के लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आता है। मरम्मत का कार्य कई वर्ष पूर्व हुआ था, वर्तमान समय में सड़क एक तरह से गडढ़ायुक्त हो चुकी है। आवागमन में किसानों एवं जनता को परेशानी हो रही है। पूरी तरह से आवागमन बाधित है, यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग जिला मुख्यालय को जोड़ता है। किसान हित एवं जनहित में विशेष मरम्मत कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः महोदय जी के माध्यम से जनहित के प्रकरण पर सरकार से विशेष मरम्मत कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देश दिलाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद मेरठ के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज की व्यवस्था उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रफीक अंसारी-

[महोदय, मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र-48, मेरठ के अन्तर्गत हापुड़ रोड पुराना कमेला स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज मेरठ की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। जिसमें 1400 छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। जबकि मात्र 100 छात्राओं के बैठने हेतु फर्नीचर उपलब्ध

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है, जो बहुत ही दुःखद विषय है, जबकि 1300 छात्राएं, जमीन पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं, जबकि सरकार का नारा है बेटी पढ़ओ, बेटी बचाओ। ऐसे में समस्त छात्राओं को बैठने हेतु फर्नीचर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे सरकार तत्काल पूर्ण कराये, साथ ही विद्यालय में अलपसंख्यक विभाग द्वारा 10 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जा रहा था, जो कि दो वर्षों से लम्बित पड़ा है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। उक्त दोनो कार्य को प्राथमिकता पर कराया जाना जनहित में है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त पर कार्रवाई कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ की नवसृजित ग्राम पंचायत पृथ्वीगंज तथा कटरा गुलाब में हो रहे विकास कार्यों में मानक न पूरे होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 आर0 के0 वर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अति अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि प्रतापगढ़ की 13 अगस्त, 2019 को अधिसूचित नवसृजित नगर पंचायत पृथ्वीगंज एवं नवसृजित नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह की विभिन्न योजनाओं यथा गौशाला योजना, 15वाँ, पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर योजना, नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राज्य वित्त, नगरीय पेयजल योजना, मुख्य मंत्री पेयजल योजना, मुख्य मंत्री नवसृजित योजना अन्तर्गत किये गये कार्य गुणवत्ता रहित अधोमानक में एवं मानक विरुद्ध किये गये हैं, जिससे सरकारी धन का बन्दरबांट हुआ है। जिससे क्षेत्रवासियो में इस भ्रष्टाचार को लेकर असन्तोष और भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः महोदय जी इस अति अबिलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर उच्च स्तरीय जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा महुद्दीनपुर में गाजीपुर शहर का कूड़ा न डाले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि ग्राम सभा महुद्दीनपुर उर्फ जंजीरपुर, ब्लाक सदर, गाजीपुर में गाजीपुर शहर का कूड़ा ग्राम पंचायत के क्षेत्र में डाला जा रहा है और उसके बगल में विद्यालय स्थापित है। प्रतिदिन लड़कियां विद्यालय पढ़ने आती हैं और गांव के लोगो को भी कूड़े से परेशानी होती है जब कुड़ा जलता है, तो उससे जो प्रदूषित धुआं निकलता है, उससे बीमारियां फैलती हैं।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस गम्भीर प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर में तैनात खनन अधिकारी जीतेन्द्र शर्मा द्वारा किये जा रहे अवैध खनन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

[महोदय, उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत खनन विभाग में तैनात खनन अधिकारी श्री जितेन्द्र शर्मा के द्वारा जनपद के आस-पास से सटे नदियों एवं बिहार से खुलेआम अवैध रूप से खनन कार्य कराया जा रहा है, संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा अवैध बालू करोबारी से मिलकर बिहार से रात के अंधरे में अपनी सह देकर जनपद में बालू की सप्लाई का कार्य कराकर महंगे दामों पर बेचवाया जा रहा है। इनके द्वारा प्राइवेट आदमी को रख के प्रत्येक ट्रक से वूसली की जाती है। जनपद के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों, पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इनके द्वारा कराये जा रहे अवैध खनन की शिकायत की जा रही है। परन्तु अभी तक इनके ऊपर विभाग के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। साथ ही साथ खनन विभाग के द्वारा इनको जनपद-देवरिया का चार्ज भी दे दिया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इनको बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। इनके द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी की जीरो टॉलरेन्स की नीतियों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो अत्यन्त खेद का विषय है ? उक्त प्रकरण भ्रष्टाचार एवं सरकार की छवि धूमिल करने से जुड़ा अति लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर, सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए भ्रष्टाचार में संलिप्त खनन अधिकारी जितेन्द्र शर्मा के विरुद्ध कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

पशुपालन विभाग के पशुओं के दवा घोटाले की जांच के पश्चात् आरोप-पत्र न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

[महोदय, अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि पशुपालन विभाग में पशुओं के लिए दवा एवं अन्य सामग्री की खरीद में हुए घोटाले में अपर निदेशक (एडी) ग्रेड-2 डा0 जे0पी0 वर्मा को चार्जशीट दे दी गई है। इस मामले में चार अधिकारियों के नाम सामने आए थे, जिनमें से दो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पशुपालन विभाग में वर्ष 2021-2022 में की गई दवा खरीद एवं अन्य सामग्री घोटाले में कार्रवाई शुरू हो गयी है। इस प्रकरण में सामने आया था कि जुलाई माह तक ही 65 करोड़ में से करीब

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

50 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए थे। इसमें मास्क आदि ज्यादा दामों पर खरीदे गए, जो कोल्ड बाक्स जम्मू में 59,000 रुपये में, मध्य प्रदेश में 47,250 रुपये प्रति पीस की दर पर खरीदे गये थे, वह यूपी में 1,27,770 रुपये की दर पर खरीदे गए। इस प्रकरण में चार लोगों के नाम सामने आए थे। इनमें निदेशक (रोग नियंत्रक) के पद पर कार्यरत तीन अधिकारियों इन्द्रमणि, जिलेदार सिंह, जीवन दत्त तथा अपर निदेशक जे0पी0 वर्मा का नाम सामने आया था । इनमें जिलेदार सिंह एवं जीवन दत्त सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन्द्रमणि इस समय निदेशक रोग नियंत्रक एवं प्रशासन के पद पर कार्यरत हैं। निदेशक डा0 इन्द्रमणि को आरोप-पत्र नहीं दिया गया है। वह 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्रवाई की माँग करती हूँ।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम में टिकैतराय तालाब का सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अरमान खान-

[महोदय, आपको सदन से माध्यम से लोक महत्व की गम्भीर समस्या को अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र-171, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ के राजाजीपुरम में करीब 200 से अधिक वर्ष पुराना प्राचीन टिकैतराय तालाब स्थित है, जिसे क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिये पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी जी ने 1996 में अपनी सांसद निधि से संगीतमय फव्वारा व सौन्दर्यीकरण कराया गया तथा वर्ष 2014-15 में तत्कालीन सरकार द्वारा इस तालाब का वृहद् रूप से कायाकल्प कर सौन्दर्यीकरण कराया गया था। इस प्राचीन तालाब परिसर में क्षेत्रवासियों के साथ ही लखनऊ जनपद के लोग घूमने व टहलने आते हैं, महोदय उक्त प्राचीन तालाब को लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा मनमानी व अवैध तरीके से निजी व्यक्ति को लाभ प्रदान करने के लिये किराये पर लीज/पट्टे पर दे दिया है जिससे अब तालाब पर आने वाले क्षेत्रवासियों व वृद्धजनों से पट्टाधारक द्वारा रुपया वसूल किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों व आस-पास के निवासियों में काफी रोष व्याप्त है तथा प्रतिदिन टिकैतराय तालाब पर टहलने, घूमने आने-जाने वाले लोगों से विवाद व झगड़ा होता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक/पौराणिक एवं ऐतहासिक महत्व के इस प्राचीन स्थल को वैवाहिक/सांस्कृतिक आयोजनों के लिये किराये पर देना ऐसी प्राचीन धरोहर के मूल भाव को नस्ट करना है एवं उक्त स्थल को जूडो/कराटे प्रशिक्षण, स्कैटिंग प्रशिक्षण, रेस्टोरेन्ट के रूप में किराये पर देकर आय अर्जित करना सर्वथा अनुचित भी है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व की अति महत्वपूर्ण मेरी सूचना को स्वीकार करते हुये क्षेत्र में स्थित प्राचीन टिकैतराय तालाब का लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निजी व्यक्ति को दिया गया लीज/पट्टा का निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने एवं तालाब का सौन्दर्यीकरण करवाकर जनहित में पूर्व की भांति जन-सामान्य के लिये खोले जाने हेतु सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के लिये आदेशित करने की कृपा करें।]

जनपद हरदोई के मल्लावां को नयी तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-159, बिलग्राम-मल्लावां के क्षेत्रवासियों को तहसील जाने हेतु लगभग 20 से 25 किमी0 की दूरी तय करनी होती है। जिससे क्षेत्रवासियों को इतनी दूरी तय करने में अधिक पैसे व समय का नुकसान होता है। ब्रिटिशकाल में मल्लावां जिला मुख्यालय भी रह चुका है। मल्लावां तहसील बन जाने से आस-पास के क्षेत्रवासियों को पैसे व समय की बचत होगी।

अतः महोदय मल्लावां को नई तहसील बनाये जाने हेतु वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के आशियाना में बने सार्वजनिक सामुदायिक केंद्र को गिराए जाने के पश्चात् भू-माफिया पर कार्रवाई न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा-

[महोदय, लखनऊ में आशियाना थाना अन्तर्गत शारदानगर योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक सामुदायिक केंद्र लगभग 40 लाख रुपए खर्च करके बनवाया गया था, जिसको कुछ भू-माफियाओं द्वारा दिनांक 04-10-2021 को दिनदहाड़े बुल्डोजर चलाकर गिरा दिया गया, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-416/21 अन्तर्गत धारा-2/3 सार्वजनिक नुकसान निवारण अधिनियम तथा इसी प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या-418/21 धारा-147, 148, 427, 504, 506 के तहत दर्ज हुआ था। लखनऊ शहर में भू-माफियाओं द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के सार्वजनिक समुदाय केन्द्र को दिन दहाड़े जे0सी0वी0 मशीन लगाकर गिराने पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी भू-माफियाओं पर न तो कठोर क़ानूनी कार्यवाही की गई और न ही जनता के टैक्स के पैसे की वसूली की कोई प्रभावी कार्यवाही हुई। जिससे की आम-जनमानस में आक्रोश व्याप्त तथा

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजधानी लखनऊ में कानून व्यवस्था का यह हाल है तो प्रदेश के बाकी जिलों की क्या स्थिति होगी। इस पर सरकार से वक्तव्य दिए जाने की माँग करता हूँ।

जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नदी के कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया के अन्तर्गत गंगा नदी और घाघरा नदी के हो रहे भीषण कटान को रोकने के लिए स्थलीय निरीक्षण कराकर तत्काल परियोजना स्वीकृति के साथ धन आवंटित कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय, जिससे कटान से आम-जनमानस को निजात मिल सके तथा गंगा और घाघरा नदी के कटान से प्रभावित होकर हजारो बेघर हुए परिवारों को सरकारी स्तर पर जमीन क्रय कराकर पट्टे दिलाना और मुख्य मंत्री आवास योजनान्तर्गत पीड़ित परिवारों को लाभाविन्त कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सरकार से त्वरित कार्यवाही व वक्तव्य दिये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के लालगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेचई सरोज-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हमारे विधान सभा क्षेत्र लालगंज की निम्न सम्पर्क मार्ग जो कि काफी जर्जर, क्षतिग्रस्त व गड्ढायुक्त हो चुकी है, जो निम्न है :-

1-ग्राम सभा उबारपुर, लखमीपुर (वि0ख0 लालगंज) में श्री केशव प्रधान के घर से होते हुए अमेठी तक कच्चे मार्ग पर पिच रोड का कार्य लम्बाई 01 किमी0,

2-वि0ख0 ठेकमा के अर्न्तगत ग्राम सभा बहादुरपुर में श्री गुड्डू यादव के मिल के सामने नहर से श्री दीपक राय के स्कूल के सामने तक के कच्चे/जर्जर मार्ग पर डामर रोड का कार्य लम्बाई 01 किमी0,

3-वि0ख0 तरवां के अन्तर्गत ग्राम सभा सुधी में श्री रामअधार यादव के घर के पीछे से श्री कैलाश यादव के घर से होते हुए श्री रामचन्दर यादव के घर से गाजीपुर बार्डर तक 800 मीटर कच्चे/जर्जर मार्ग पर पिच रोड/डामर रोड का कार्य,

4-वि0ख0 ठेकमा मे अन्तर्गत ग्राम सभा सरायमोहन में स्व0 बुधिराम सरोज के घर से ग्राम तम्मपुर में श्री गुल्लू सरोज के घर तक लगभग 02 किमी0 सम्पर्क मार्ग पर पिच

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रोड/डामर रोड का कार्य कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है। उक्त मार्ग बेहद ही जर्जर व क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आम-जनमानस को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्गो पर डामर रोड/पिच रोड का नव निर्माण कराये जाने हेतु सालों से शासन/प्रशासन से मार्ग की जा रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होने के कारण आम-जनता में शासन/प्रशासन के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनता की परेशानी को देखते हुए जनहित में यथाशीघ्र उक्त कच्चे/जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों पर डामर रोड/पिच रोड का नव निर्माण कार्य कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना में कतिपय सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजपाल सिंह बालियान-

[महोदय, मैं अति लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद-मुजफ्फरनगर के मेरे विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के अन्तर्गत निम्न मुख्य मार्ग काफी जर्जर अवस्था में हैं, जिससे जनमानस को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

1-बुढ़ाना-खतौली रोड से बसी, वैली, नसीमपुर-रियावली, नगला तक विशेष मरम्मत लम्बाई लगभग-9 किमी0।

2-रघुकुल स्कूल के तिराहे से ग्राम-गढ़ीनौआबाद विशेष मरम्मत कार्य लम्बाई लगभग 1 किमी0।

3-हड़ौली-कुटबी रोड से सत्रुद्दीन नगर तक विशेष मरम्मत लम्बाई लगभग 02 किमी0।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के उपरोक्त सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने की कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद हरदोई की विधान सभा क्षेत्र साण्डी के अन्तर्गत पक्षी विहार में लिफ्ट कैनाल में जलापूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभाष कुमार-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र साण्डी के अन्तर्गत साण्डी पक्षी विहार में प्रतिवर्ष बाहर से प्रवासी पक्षी

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आते हैं। आने वाले पक्षियों में विभिन्न दुलर्भ प्रजातियों के भी पक्षी होते हैं जिन्हें देखने हेतु प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं।

वर्ष 2018 में साण्डी पक्षी विहार हेतु लिफ्ट कैनाल परियोजना के अन्तर्गत पानी की पूर्ति हेतु धनराशि स्वीकृत कर कार्यवाही की गयी थी, परन्तु कतिपय कारणोंवश उक्त योजना को पूरा नहीं किया जा सका, जिससे पानी की पूर्ति न होने के कारण प्रवासी पक्षियों की संख्या बहुत कम हो गयी है।

अतः मैं जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र साण्डी के अन्तर्गत साण्डी पक्षी विहार में जाने वाली लिफ्ट कैनाल में जलापूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

प्रदेश में नए ट्यूबवेल कनेक्शन में हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अभय सिंह-

[महोदय, मैं आपका ध्यान अतिलोक महत्व की सूचना की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि सरकार के निर्देश के क्रम में पूरे प्रदेश में विजलेंस के छापे लगातार डाले जा रहे हैं, जो कि उचित है, किन्तु गरीब किसानों द्वारा जब ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया जाता है तो उन्हें उच्चाधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया जाता है कि सरकार का निर्देश है कि पुराने ट्रांसफार्मर पर उन्हें कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए स्थानीय जे0ई0 द्वारा नए ट्रान्सफार्मर व विद्युत पोलों का आगणन (1.5 लाख से 2 लाख का) बना दिया जाता है जिसका भुगतान करना एक गरीब किसान के लिए असम्भव है। क्या सरकार का कोई ऐसा दिशा निर्देश है जिसमें यह अवगत कराया गया हो कि 'नया ट्यूबवेल कनेक्शन पुराने ट्रान्सफार्मर पर नहीं दिया जाएगा, नए कनेक्शन के लिए नए ट्रान्सफार्मर व विद्युत पोलों का आगणन बना दिया जाएगा जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा'। यदि है तो सरकार उसे सदन के पटल पर रखने का कष्ट करे।

अतः इस लोक महत्व की सूचना पर आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से इस गम्भीर प्रकरण पर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां में श्री अनिल वर्मा, जे0ई0 द्वारा किये जा रहे भष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेदी-

[महोदय, अविलम्बनीय, अत्यन्त लोक हित के विषय पर मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जनपद-गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां में लोक निर्माण

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विभाग के सहायक अभियन्ता श्री खुर्शीद अहमद एवं जे0ई0 श्री अनिल वर्मा व जे0ई0 चन्दन वर्मा ठेकेदारों से मिलकर मार्ग निर्माण में घटिया एवं मानक से कम सामग्री का प्रयोग करके आपस में सरकारी धन का बन्दरबाँट कर रहे हैं। मेरे द्वारा फोन करने पर फोन नहीं उठाते हैं तथा अपने सगे-सम्बन्धी को गलत तरीके से टेण्डर कराकर सरकारी नीतियों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। उक्त दोनों जे0ई0 विगत कई वर्षों से इसी पद पर बने हुए हैं। यह मेरे विशेषाधिकार का हनन है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर सदन की कार्रवाई रोक कर चर्चा कराने की माँग करता हूँ।]

जनपद गाजियाबाद में गम्भीर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नन्द किशोर-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र लोनी जनपद गाजियाबाद के नगर पालिका परिषद्, लोनी के तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध जिलाधिकारी, गाजियाबाद ने गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं विषयक आख्या शासन को वर्ष 2021-22 में भेजी थी और उसमें तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री के0 के0 भड़ाना निलम्बित हुए थे। उसी अध्यक्ष के विरुद्ध तत्कालीन ई0ओ0 कु0 शालिनी ने लिपिक श्री प्रणव के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र करते हुए करोडों की वित्तीय अनियमितताओं की पत्रावलियों को गायब करने की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना लोनी में दर्ज करायी थी, परन्तु अब तक भ्रष्टाचारी अध्यक्ष एवं अन्य दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। करोड़ों रुपये के घोटाले का प्रकरण होने के बाद भी शासन की उदासीनता के कारण कोई कार्यवाही न होने से भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ गया है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त प्रकरण पर तत्काल कार्रवाई किये जाने हेतु वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में छात्रों को डिग्री न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

[महोदय, निवेदन है कि मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद-लखनऊ के अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में छात्रों को डिग्री न दिये जाने का ज्वलन्त उदाहरण है कि श्री मो0 अशहद पुत्र

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जमालुद्दीन, रोल नं0-0000410022 ग्राम पोस्ट ककरैटा जनपद आजमगढ़ के वर्ष 2000 में छात्र रहे हैं कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कम्प्यूटर विज्ञान मे बी0टेक की डिग्री लेने के लिये चक्कर लगाते लगाते, छात्र का भविष्य अन्धकारमय होता दिखाई दे रहा है।

अतः मा0 अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर जनहित में जनपद लखनऊ के अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में छात्रों को डिग्री दिलाये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद रामपुर के मिलक विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजबाला सिंह-

[महोदय, कृपया मैं आपके माध्यम से इस सम्माननीय सदन को अवगत कराना चाहती हूँ की मेरे विधान सभा क्षेत्र मिलक रामपुर में सिंचाई विभाग द्वारा पानी के टंकियों का कार्य करने के दौरान सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, परन्तु कार्य समाप्ति के उपरान्त क्षतिग्रस्त सड़कों को पुनः ठीक नहीं किया जाता है, अतएव सड़कों के पुनः सिंचाई विभाग द्वारा ठीक करने के सम्बन्ध में मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के बिन्दु पर सदन में वक्तव्य कराए जाने की माँग करती हूँ।]

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में विलुप्त प्रजाति के काले हिरणों के संरक्षण हेतु बचाव केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सचिन यादव-

[महोदय, आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका में ग्राम पंचायत ठाठी गदनपुर के आस-पास वन विभाग में लगभग विलुप्त हो चुकी काले हिरण की प्रजाति के हिरण अक्सर इस क्षेत्र में विचरण करते हुए पाये जाते हैं। चूंकि हिरनों की यह प्रजाति देश भर में विलुप्त होती जा रही वन्य जीवों की श्रेणी में है, इसलिये इस क्षेत्र में इनके बचाव हेतु संरक्षण केन्द्र स्थापित कर वन्य जीव पर्यटन स्थल हेतु विकसित किया जाना चाहिये। जिससे तहसील जसराना क्षेत्र को वन्य जीव संरक्षण कर पर्यटन के स्तर पर भी प्रदेश भर में एक पहचान दिलाई जा सके।

अतः वन्य जीव संरक्षण के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तहसील जसराना में काले हिरणों हेतु संरक्षण केन्द्र स्थापित कराये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

धारा-143 में अकृषक भूमि के नामांकन दाखिल खारिज हेतु दो तरह के मानक लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश पाण्डेय-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील अकबरपुर में राजस्व संहिता के पूर्व में प्रदत्त नियमों में कृषक भूमि को आवश्यकतानुसार आवासीय एवं व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने हेतु धारा-143 में करने का अधिकार उप जिलाधिकारी को प्रदत्त है, जिसके तहत ऐसे तमाम लोगों ने अपनी पूर्व की कृषि की भूमि जिस पर आवासीय भवन अथवा व्यवसायिक निर्माण कार्य को प्रारम्भ किया, उनके प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार द्वारा जांच कराकर 143 में अकृषक घोषित की गयी, उक्त भू-स्वामियों द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि को दाखिल खारिज कराये जाने हेतु तहसीलदार अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर के यहां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये, परन्तु नायब तहसीलदार अकबरपुर द्वारा दाखिल खारिज कराये जाने में दो मानकों को अपनाया गया है, जहां उनके द्वारा वाद संख्या-04128/30-12-20 खाता संख्या-6, रकबा 209.10 वर्ग मी0 विक्रेता गण आशीष पाण्डेय आदि, वाद संख्या-022251 /17-06-21, वाद संख्या-1780/2021 दिनांक 16-07-2021, वाद संख्या-1351/2021 दिनांक 16-07-2021, वाद संख्या-1474/2021 आदेश, दिनांक 16-07-2021, वाद संख्या-3638/21-08-2021, वाद संख्या-4349/24-09-2021 जैसे अनेक प्रकरणों में उपरोक्त भूमि की रजिस्ट्री दाखिल खारिज करने का निर्देश पारित किया, तदुपरान्त भू राजस्व के अभिलेखों में वह दाखिल खारिज कर दिये गये। वहीं एक ही तरीके के प्रकरण जो कि धारा-143 के द्वारा अकृषक घोषित किये गये थे इसी प्रकार एक ही क्षेत्र के (नगर पालिका क्षेत्र) मोहल्ला पुलसांवा में शारदा तिवारी बनाम आशीष पाण्डेय, रिता मिश्रा बनाम आशीष पाण्डेय, रोहित मौर्या बनाम आशीष पाण्डेय, आलोक, लालता प्रसाद त्रिपाठी बनाम आशीष पाण्डेय, पूर्णिमा तिवारी बनाम आशीष पाण्डेय, अजय कुमार वर्मा बनाम राहुल अग्रवाल, शीला यादव बनाम आशीष कुमार, किशोर कुमार बनाम आशीष, सुभाष त्रिपाठी बनाम आशीष आदि में दाखिल खारिज किये जाने के प्रार्थना पत्र को अनावनश्यक रूप से लगभग 6 माह से लम्बित किया गया है, जिसके कारण जिन लोगों को उपरोक्त भूमि/गाटा संख्या पर व्यवसायिक/आवासीय गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं या करना चाहते हैं और वह बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, दाखिल खारिज अत्यधिक विलम्ब होने के कारण न वह भवन का निर्माण करा पा रहे और न ही अपनी कोई व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित कर पा रहे हैं, क्योंकि बैंक द्वारा दाखिल खारिज के प्रपत्र माँगे जाते हैं।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः एक ही तरीके के प्रकरण में पूर्व में समय से आदेश दे दिया जाना, दूसरे प्रकरणें को अनावश्यक लम्बित किया जाना नियमों के सर्वदा विपरीत है, उल्लेखनीय है कि दाखिल खारिज किये जाने की अधिकतम अवधि 35 दिन नियत की गयी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये नियम-301 में स्वीकार करने का कष्ट करें।]

जनपद बस्ती के हरैया विधान सभा क्षेत्र के राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज जाने वाले मुख्य मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र हरैया जनपद बस्ती में निर्माणाधीन राजकीय पॉलीटेक्निक जाने वाले मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाना जनता के लिए अति आवश्यक है, कृपया नियम-301 में ग्रहण करने का कष्ट करें।]

[12:38] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत 04 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री ओम प्रकाश जी की है, ओम प्रकाश जी अभी भी सन्तुष्ट नहीं हैं, आपको अभी भी उपाध्यक्ष चाहिए।

उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री ओम प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, कल नियमावली की बात हो रही थी, अब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब आप नाराज हो जाते हो तो हम लोग दुखी हो जाते हैं । मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं है हम आपसे बहुत सन्तुष्ट हैं। मेरे कहने का जो मकसद है तथा हमारे अन्दर की जो आत्मा है, उसको आप समझ ही नहीं रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक जगह आपके सामने खाली पड़ी है और यह नियम में भी है। इसमें लिखा है कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो अध्यक्ष नियत करें और प्रमुख सचिव प्रत्येक सदस्य को इस तिथि की सूचना भेजेंगे, परन्तु इस प्रकार इस तिथि की अवधि में होने वाले रिक्तता की दशा में यदि सभा उस समय उपवेशन में हो तो रिक्तता होने के तथा यदि उपवेशन में न हो तो उस दिनांक के जब सभा तदुपरान्त पहली बार समवेत् हो, 30 दिन के भीतर होगी। मा0 अध्यक्ष जी, हमारा आपके प्रति ऐसा कोई भाव नहीं है, हम चाह रहे हैं कि नेता विरोधी दल के बगल में जो उपाध्यक्ष की कुर्सी खड़ी है, खाली है, इसमें जो हमारी नियमावली बनाने वाले होंगे।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं सोच-समझकर ही बनाए होंगे और फिर आपकी उम्र अधिक है, आपको तकलीफ न हो, इसलिए भी जरूरी है। इस पर मत विवाद करिएगा कि आपकी उम्र अधिक नहीं है। इस पर कोई विवाद नहीं होगा। हम लोग समकक्ष के हैं, इसलिए मैंने कहा मा0 अध्यक्ष जी । इसका सरकार से कोई मतलब नहीं है। श्रीमन् आप मुस्करा देंगे, तो हो जायेगा और स्थान नेता प्रतिपक्ष के बगल में खाली है, वह भर जायेगा। मैंने आपकी स्थिति, पीड़ा, दर्द और वेदना को देखते हुए कहा कि जो बगल में कुर्सी खाली पड़ी है, वह भर जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से कोई व्यवस्था हो जाए। हम आपसे नाराज तो नहीं हो सकते और कोई भले ही नाराज हो जाए।

मा0 अध्यक्ष जी, यह विधान सभा लोकतंत्र का बहुत खूबसूरत मंदिर है। इसमें किसी एक का भी नाराज होना, दुखी होना, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। कितने दिन इस दुनिया में रहना है। 70-80 वर्ष में यहीं निपट जाना है, फिर इस दुनिया में किसी को आना नहीं है। अगर कोई गलतफहमी में जी रहा हो कि हम दो सौ, तीन सौ वर्ष जिएंगे, तो सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप तो पुनर्जन्म लेकर आए हैं।

श्री ओम प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, इन परिस्थितियों में मेरे कहने का मतलब यह है कि हम किसी पक्ष और विपक्ष की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं 8 बार से विधायक हूँ। हम लोग क्यों इस तरह की हरकत करेंगे कि आने वाली पीढ़ी हम लोगों को सुने, जाने और हम लोगों को कलंकित करे। एक परम्परा रही है। मैं 1988-89 से देख रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि ये आपके पीठ से होना है। मा0 अध्यक्ष जी, आप बहुत अच्छे हैं, सममुच में बहुत अच्छे हैं। दिल से अच्छे हैं, चेहरे से अच्छे हैं, बात-व्यवहार से अच्छे हैं, चश्मा न लगाते, तब भी अच्छे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मा0 अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि ये सरकार के पाले में नहीं है, ये गेंद आपके पाले में है। इसलिए यदि आप इसको कर देंगे, तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, आदरणीय माता प्रसाद जी से क्षमा चाहते हुए एक बात हम जरूर कहेंगे कि चार अध्यक्षों के बराबर आप एक साल में काम कर चुके हो, तो उपाध्यक्ष की आवश्यकता क्या है ? मा0 नेता प्रतिपक्ष भी उस दिन कह रहे थे कि इनसे और अधिक काम लिया जाना चाहिए।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

ये तो कमरे की बात है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैंने कमरे का जिक्र नहीं किया। मैंने केवल बात का जिक्र किया।

श्री अखिलेश यादव-

मैं तो चाहता था कि आपका प्रमोशन हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

इससे ऊपर कौन सी सीट है ?

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष जी, ये आपके लिए आखिरी सीढ़ी नहीं है। इससे ऊपर भी सीढ़ियां हैं, लेकिन आपके सहयोगी साथी आपके शुभचिन्तक नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद। वे शुभ चिन्तक है। उन्हीं की उंगली पकड़कर यहाँ पहुँचा हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अच्छा है कि आप इतनी चिन्ता करते हैं।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, जिस सरकार में दो-दो उप मुख्य मंत्री हों, तो यहाँ क्या उपाध्यक्ष नहीं रह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री ओम प्रकाश जी और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। ये नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिए इसको अग्राह्य करता हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, ये न कहिए कि ये नियम-300 में नहीं आता है। यह तो शुद्ध रूप से नियम-300 में आता है। अब निर्णय आपके हाथ में है। वह अलग बात है कि आप क्या निर्णय लें ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसको अग्राह्य किया है।

विधान सभा में अपनाई गयी ऑनलाइन प्रश्नोत्तर प्रणाली की विसंगतियों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

इसमें मा0 श्री मनोज पाण्डेय जी की सूचना है, विधान सभा में अपनाई गयी ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रणाली की विसंगतियों के सम्बन्ध में, चूँकि ये विधान सभा से सम्बन्धित प्रश्न है, इसलिए इसके उपर यहाँ चर्चा नहीं हो सकती है। आप मुझसे अलग से मिलकर बात-चीत कर लीजिएगा, तो जो विसंगतियां होंगी, वह दूर कर देंगे।

श्री मुकेश वर्मा घरेलू विद्युत कनेक्शन नियम-300 में कैसे आता है, इसके बारे में अड़ोसी-पड़ोसी से पूछ लेना ? यह नियम-300 में एक दम नहीं आता है।

(विपक्ष के किसी सदस्य के खड़े होकर कुछ बोलने पर।)

कोई थाने में रिपोर्ट लिख दी जाये और अगर वह नियम-301 में आये, तो फिर सभी सूचना नियम-301 में सुनी जायेंगी।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य विधान सभा के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा की गई अभद्रता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, मेरा व्यक्तिगत मामला है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य इसी सदन के चुने हुए विधायक हैं। इनकी एक व्यक्तिगत बात है, उसको आप सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

क्या व्यक्तिगत है, बताइए ? भाषण मत दीजिएगा, केवल व्यक्तिगत घटना ही बताइए।

[*]श्री अतुल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, परिस्थिति यह थी कि 29 तारीख को मैंने यहाँ एम0एल0सी0 की वोट डाली और उसके बाद अकेला गाड़ी पर बैठकर एक ड्राइवर के साथ सहारनपुर जाना था और चूँकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, आपका संरक्षण चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं और पूरी सरकार सुन रही है। जनप्रतिनिधि जब एक जगह से दूसरी जगह पर कहीं जाता है और कभी-कभी ऐसी स्थिति बनती है कि प्रशासन उसको रोकता है और रोकने के बाद में

[*] वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, पुलिस लाइन या थाने में बैठा लिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी जनप्रतिनिधि विपक्ष में भी हो, हमारे सामने बैठे हुए लोग भी विपक्ष में रहे, माननीय नेता सदन भी कितनी बार गिरफ्तार हुए होंगे। पुलिस लाइन ले जाते हैं या फिर गिरफ्तार होकर थाने पर आते हैं । मान्यवर, मैं अकेला था, बैरीकेटिंग लगाकर पुलिस ने मुझे रोका, कई थानों की पुलिस खड़ी थी वहाँ पर एक क्षेत्राधिकारी थे, वहाँ पर इन्स्पेक्टर समरजीत सिंह थे उन्होंने रोककर मेरे हाथ में अपना हाथ फँसा लिया उस वीडियो को आपके पास भेजा भी था। इतनी ज्यादती और इतनी बदतमीजी उन लोगों ने की। मैंने कहा कि मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। आपका संरक्षण मुझे इस पर चाहिए। अगर उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जब आपको उसकी सूचना दे दी। उसके तीन दिन बाद मेरे ऊपर मुकदमा वहीं पर दर्ज किया गया। मेरी गलती बता दीजिए, कोई जनप्रतिनिधि हो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लॉ एण्ड ऑर्डर की भी कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि की तरह गिरफ्तार भी करते हैं और कितनी गिरफ्तारियाँ होती हैं। मान्यवर, मैं आपको वीडियो फुटेज व अन्य सारी चीजें ऑन-टेबुल कर दूँगा। मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप मुझे भिजवाईये। जो भी सम्बन्धित स्थान होगा उसको भिजवा देंगे, उसको दिखवायेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे निवेदन है कि आप इसका संज्ञान ले लीजिए।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

ठीक है मान्यवर, मैं इसको दिखवा लूँगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश की अट्ठारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2023 (दिनाँक 20-02-2023 से दिनाँक 03-03-2023 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन 2019 (खण्ड-1 व 2)(स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)[†]

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से सतर्कता अनुभाग-4 का लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन 2019 (खण्ड-1 व 2) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक

[†] छापा नहीं गया।

आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-04 व 05 में कुछ नहीं है।

विधान सभा के सुरक्षा कर्मियों को पुलिस के समान पौष्टिक आहार भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विधान सभा के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको पुलिस के बराबर पौष्टिक भत्ता दिये जाने की बात थी। कार्यवाही में रह गया था, इसलिए इनको भत्ता नहीं मिल पाया। जितने भी विधान सभा के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए खासतौर से मेरा आग्रह है कि पुलिस कर्मियों के बराबर विधान सभा के सुरक्षा कर्मियों को पौष्टिक आहार भत्ता दिनाँक 03-03-2023 से प्रदान कर दें।

श्री अध्यक्ष-

जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है उसको माननीय वित्त मंत्री जी दिखवा लेंगे।

(सदन में हँसी)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-6 याचिकाओं का उपस्थापन।

[12:48] याचिकाओं का उपस्थापन

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज महाराजगंज ग्रन्ट छपिया का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामतीरथ वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका†

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में ककरबई से गढ़वई रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत पानी की टंकी से गोविन्द सागर डैम के मुहाने तक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नालाल जैन व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम झकड़ा से ग्राम पैगारफातपुर तक 01 किमी0 सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री भानू प्रताप यादव, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील क्षेत्र करनैलगंज के अन्तर्गत ग्राम लालेमऊ में शाहपुर धौरहरा मार्ग से कुंडवा तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनलाल तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के गांव छीतली में जूनियर विद्यालय से अजय सिंह के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम चचोई से सम्पर्क मार्ग धराऊ का पुनः निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री पिताम्बर प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच के अन्तर्गत ग्रा0पं0 बनकटा में काली रोड से हनुमान जी के मंदिर तक

† छापी नहीं गयीं।

इण्टरलॉकिंग/आर0सी0सी0/डामरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम हमीरपुर में तपस्वीदास बाबा (राम जानकी मंदिर) पर प्रकाश व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शुभ करन रावत व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के विकास खण्ड मोरना में ककरौली इण्टर कालेज से टन्ढेडा होते हुए कटिया मार्ग तक सड़क की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लियाकत अली व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत पुरानी धरोहर पक्का तालाब का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका†

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम वासदेवपुर में जोगे के घर से केशवदेव मंदिर से होते हुए भूदेव सिंह के घर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीपति लाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर पडरौना के नगर पालिका शहर क्षेत्र में रेलवे स्टेशन से अम्बे चौक तक 1.50 किमी0 छतिग्रस्त पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा की तहसील खैरागढ़ के ब्लाक सैया में ग्राम पंचायत भिडावली में प्राथमिक विद्यालय के सामने रोड पर जलभराव की समस्या का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका†

डा0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज के ग्राम मिलक बमनपुरी से पीलीभीत-बरेली रोड तक सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा अमदही में स्थित राम घाट मुनि आश्रम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में श्री कमलेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हापुड़ के अन्तर्गत ग्राम लालपुर में हाई स्कूल को इण्टर कालेज में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र डिबाई के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत ग्राम दीवलाखेड़ा में राशन डीलर के मकान से हुसैनपुरा स्टेशन मार्ग तक 01 किमी0 सड़क को इण्टरलॉकिंग द्वारा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय पाल व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका†

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद की ग्राम पंचायत ताहिरपुर (मिल्कीपुर) में कन्हैया साहनी के मकान से सेवालाल

---

† छापी नहीं गयीं।

पटेल के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा राम साहनी व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी के अन्तर्गत विकास खण्ड शुकुल बाजार के ग्राम पंचायत मवइया रहमतगढ़ अन्तर्गत नवीन राजकीय बालिका डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश पाल व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत नगर पंचायत एट से कोटरा बेतवा पुल तक रोड का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकित गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन, तहसील कोंच के अन्तर्गत कोंच से नहर पटरी होकर चमरसेना सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 तोता राम व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती आशा मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती आशा मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत सी0एच0सी0 अस्पताल की क्षमता 60 बेड किये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका†

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड कर्वी के ग्राम पंचायत भैसौंधा में राजकीय इण्टर कालेज का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामू व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री मेघश्याम, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री मेघश्याम, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन में मडौरा से महरौली मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका†

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली में राजापुर जमोलिया पक्के मार्ग से चन्दरपुर होते हुए इन्द्राही तक पक्का मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री आदर्श भारती, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका†

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के ग्राम फखरापुर, पोस्ट हफीजाबाद में कल्याणी नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुत्तीलाल गौतम व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका†

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना की ग्राम पंचायत कुशगवां अहिरान में नाहरैया कुशगवां सम्पर्क मार्ग से अड्डा खुशहालपुर से होते हुए कुशगवां अहिरान में शिवराम सिंह यादव जी के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका†

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत बरामई में बहादुर सिंह के घर से चन्द्रशेखर के घर तक का सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के जे0के0 कैंसर संस्थान की दुर्दशा को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड अकराबाद के ग्राम विजयगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभात वार्ष्णेय व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती ओममणी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती ओममणी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र नरैनी के ग्राम बरछा अंश-गुढ़ाकलां से हनुमान मंदिर गुढ़ाकलां तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीतेश सिंह भदौरिया व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के ब्लाक रानीपुर के ग्राम महासो में मुहम्मदाबाद-मऊ मुख्य मार्ग के महासो मोड़ से महासो गांव के रेलवे फाटक तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक यादव व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्ध नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्धनगर के सेक्टर-46 में सड़क एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन पटवाल व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती गीता शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड बहरिया के मोहम्मदाबाद उर्फ गोपालपुर की नई बस्ती में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के विशुनपुरा सरहद से सरदहा शुक्ल मार्ग तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक यादव, निवासी जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

डा0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के ग्राम सभा बहलालपुर में बृजनाथ राजभर के घर से करूई दलित बस्ती तक नाली एवं सी0सी0 कार्य लम्बाई लगभग 250 मीटर का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बिजय यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम नानई से ग्राम मैना तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रमेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत पशु अस्पताल बीबीगंज का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज की विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम खिजिरपुर चौराहा इन्टरलाकिंग से चफला तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामराज यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर की सदर विधान सभा क्षेत्र में स्थित सिंचाई खण्ड-16 के अतिथि गृह की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेश्वर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री राजेश्वर सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ की एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड योजना के सेक्टर-आई एवं सेक्टर जे में निर्मित पानी की टंकी का निर्माण/स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती निर्मला सिंह, निवासी जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली की ऊंचाहार विधान सभा क्षेत्र के ग्राम प्रयागपुर के अन्तर्गत संचालित एन0टी0पी0सी0, ऊंचाहार की ऐश डोम की ट्रकों पर की जा रही ओवरलोडिंग को रोकने के सम्बन्ध में श्री पप्पू पाठक व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाँदा से सम्बन्धित याचिका†

श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाँदा की बबेरू विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बबेरू-औगासी-भदवारी रोड से नहर किनारे होते हुए भदौहा पुरवा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश यादव व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर की नजीबाबाद विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मो0 अलीपुर द्वारका से सलेमपुर भट्टा तक सड़क की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्तेजार अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका†

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की तहसील बरेली सदर के अन्तर्गत अटामांडा-धौराटांडा मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुल मौहम्मद, निवासी जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत ग्राम नसीरपुर में ज्ञान चन्द्र यादव की दुकान से मनोज गौतम के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम खमपुर में हरिलाल गौतम के मकान के पश्चिम मुख्य मार्ग होते हुए जय सिंह के घर होते हुए बाजारी के

---

† छापी नहीं गयीं।

घर तक नाले व पटरी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत महेवा के ग्राम पाल मडैया में रामजी तिवारी की जगह पर नलकूप लगाए जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री दुधराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री दुधराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के महादेवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सैदवार सम्पर्क मार्ग मेहड़ा गाँव के सम्पर्क मार्ग तक का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमन श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज के पाटाकोला मुख्य मार्ग से मरूखापुर होते हुए नेकवापुर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के काला कांकर रोड सातो-काला कांकर रोड मुख्य मार्ग से प्राथमिक विद्यालय होते हुए घोसियाना तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाम मुस्तफा व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड के अन्तर्गत बेरी होटल चौराहे के निकट नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यदेव सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जिला बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जिला बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड जलीलपुर के ग्राम हिरनाखेडी से मलेशिया सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के अन्तर्गत बस्ती सदर अस्पताल चौराहे से मुंडेरवा रोड पर टी0बी0 अस्पताल तक नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुहैल व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका†

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के अन्तर्गत मोहान से औरास मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रयागराज की विधान सभा क्षेत्र बारा के विकास खण्ड शंकरगढ़ के अन्तर्गत भारतगंज-प्रतापपुर मार्ग के किमी0 86 पर कल्याणपुर नाले पर 06 मी0 स्पान पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश कुमार शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका व्यपगत हुई।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के ऊरवा विकास खण्ड के अन्तर्गत औता से जेरा होते हुए कनिगड़ा से परवा जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इसरार अली व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर की तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत ग्राम कोरो की नहर पुल को चौड़ा कराकर ऊंचाई से निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रहलाद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ब्लाक नागल के अन्तर्गत ग्राम बसेडा में श्मशान घाट की ओर जाने वाले मार्ग एवं बसेडा से ताजपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत बैकुण्ठपुर बाजार में सड़क की दोनों पटरियों पर इण्टरलाकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भारत भूषण जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत चमनगंज से सराय महिमा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड पहाड़ी, ग्राम सभा बेलवन में चन्द्रिका धाम में पक्का घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के ग्राम बोरोली एन0एच0-91 बाईपास से संविलियन विद्यालय ग्राम बोरोली तक का मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहित व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के ब्लाक असोथर के ग्राम सभा कुर्रा कनक 33/11 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अहिमरदन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र इटावा के अन्तर्गत यमुना नदी के घाट पर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक चौहान व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अंकुर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अंकुर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर में देवरी में प्रवाहित होने वाली कठिनइया नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शुभम पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अमित अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका†

श्री अमित अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र कैंट में 100 शैय्या का अस्पताल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका†

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के चरथावल रोड से ग्राम मसावी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आसिफ राव व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका†

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना के ग्राम पबरसा में जर्जर तार व लाइन शिफ्ट कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजमोहन व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर के ब्लाक ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम ईसानगर में सी0एच0सी0 केन्द्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सोवरन लाल मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद की ग्राम सभा धर्मनगर में ठार मंगल से आश्रम तक के मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मकरन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका†

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा दौतियालपुर में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज में नहरों में पानी का प्रवाह बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री बिन्दा प्रसाद मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जय कुमार सिंह जैकी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री जय कुमार सिंह जैकी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के हुसैनगंज की पुलिस चौकी असनी को आवंटित भूमि पर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित पटेल व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के ग्राम तिलकापुर/परसा तटबन्ध को भखला पुल के गाइड बांध से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश्वर प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड कटेहरी, तहसील अकबरपुर के ग्राम खेवार में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती प्रमिला व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के ग्राम डाबर में कन्या इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र सिंह प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित याचिका†

श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के रहरामऊ-सिकन्दरपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 इब्राहिम व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरीओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित याचिका†

श्री हरीओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज की तहसील सहावर में तारापुर से अल्हदीनपुर तक मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर सिंह सोलंकी, निवासी जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में सहजनवां-भटिनपारा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका†

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास की ग्राम पंचायत पिठलोकर में मदरसे के सामने से हिंडन नदी के पुल की ओर इखलाक के मकान से जीम के भराव तक नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौलाना शेकीन व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर की विकास खण्ड अकबरपुर के ग्राम सभा चन्दनपुर पिच रोड से रामतीरथ चौहान के घर तक के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचेत राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम कटघर में श्री अशोक सिंह के खेत से दूधनाथ के चक तक नाला का

† छापी नहीं गयीं।

निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में बघरा से तिरपड़ी बुड़ीना खुर्द सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनेष त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के अन्तर्गत हरैया से असोना तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के वार्ड संख्या-08 में राजू टिम्बर स्टोर से राजगीर मिस्त्री कन्हैया के मकान तक 80 मीटर लम्बा नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 सफीर सिद्दीकी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के मटियारी से ढकावा मार्ग पर जाने के लिए सई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश कुमार वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के ब्लाक सकरन के अन्तर्गत कोन्सर रतनापुर मार्ग से बंजरिया होते हुये ग्राम अंबाला तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री जयमंगल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज से सम्बन्धित याचिका†

श्री जयमंगल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिन्दुरिया से सिसवां मुख्य मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के अन्तर्गत पनकी क्षेत्र में नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत डाली गयी गहरी सीवर लाइन की गुणवत्ता एवं मानकों के विपरीत किये गये और किये जा रहे निर्माण में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की जाँच के सम्बन्ध में श्री पवन सविता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड कलान के ग्राम कुन्डरिया व बोझी के मध्य रामगंगा नदी पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा-73, 74 व 76 सपठनीय, धारा-98, 100-ए, 100-बी के अन्तर्गत वार्षिकी के सम्बन्ध में श्री राजीव त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत कल्याणपुर के जोन-2 में स्थित वार्ड कल्याणपुर उत्तरी, कल्याणपुर दक्षिणी, आवास विकास, विनायकपुर एवं नानकारी में सीवर लाइन डलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में स्थानिक अभियन्ता/अपर परियोजना प्रबन्धक के पदों को लोक निर्माण विभाग की

† छापी नहीं गयीं।

भांति अधिशासी अभियन्ता पद नामित कराए जाने के सम्बन्ध में श्री एस0 डी0 द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका[†]

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम-चितांव में इण्टर कालेज के बगल से रामचन्द्र यादव के घर तक की रोड की मरम्मत कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में श्री छोटेलाल प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

[12:56] याचिकाओं को स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, आपने अनुमति दी है कि एक व्यक्ति की एक दिन में एक ही याचिका ली जाएगी पांच याचिकाएं सदन शुरू होने से पहले दी गईं आज एक आई है और कल अन्तिम दिवस है एक व्यक्ति की पांच दिवस सदन चला है तो उसकी जो पांच याचिकाएं आपने अनुमन्य की है वह अन्तिम दिन ले ली जाएं।

श्री अध्यक्ष-

आप मेरे ख्याल से याचिका समिति के सदस्य हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, हां।

श्री अध्यक्ष-

तो आप वहां पर बैठ कर यह सुझाव दीजिएगा । मेरी बात सुनिए कि अगर सिर्फ याचिका देकर अखबार में छपवाने का परपज है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, अनुमन्य आपने जो किया है वह तो लेंगे ही।

श्री अध्यक्ष-

अनुमन्य नहीं किया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, आपने एक किया है।

[†] छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष-

आप याचिका समिति के सदस्य हैं इसलिए आपको मैं स्पेसिफिक्ली प्वाइंट आउट करके कह रहा हूँ कि याचिका समिति में यह तय हुआ था कि एक सदस्य की एक याचिका लेंगे, एक सत्र में मैक्सिमम पांच लेंगे। अगर दस दिन का या बारह दिन का सत्र है, तो मैक्सिमम पांच लेंगे इसका यह मतलब हुआ।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, तो कम से कम मैक्सिमम पांच तो ले लें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं अगर पांच दिन से ज्यादा का सत्र होगा तो लेंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, अगर हमने पांच याचिका दे दिया है और केवल एक ही ली गई, कल अन्तिम दिवस है। तो फिर उस याचिका का देने का मतलब क्या होगा। पांच याचिका तो ले लीजिए, पांच के लिए आपने अनुमन्य किया है।

श्री अध्यक्ष-

अगर पांच दिन लोगों ने दी होगी तो पांच दिन एक एक लेंगे। अगर दी ही नहीं होगी तो घर से थोड़ी न लेने के लिए जाऊंगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, जैसे मेरी पांच याचिकाएं दी गई हैं और केवल एक याचिका आज ली गई है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने रोज एक-एक याचिका ली है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, रोज के हिसाब से एक-एक दिया है। लेकिन अभी तक केवल एक ली गई।

श्री अध्यक्ष-

रोज के हिसाब से जब आपने दी नहीं है, तो मैं कैसे लूंगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, जो चार याचिका बची हैं और मैंने प्रत्येक दिन दिया है, प्रत्येक दिवस दिया है।

श्री अध्यक्ष-

तो प्रत्येक दिवस आई होंगी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, नहीं आई हैं।

(सभी सदस्यों द्वारा बोलने पर कि नहीं आई हैं।)

श्री अध्यक्ष-

चलिए वह देखा जाएगा अभी उस पर कोई निर्णय नहीं लूंगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, जो शेष याचिका हैं कम से कम उनको तो ले ली जाएं। अरे इस पर संरक्षण दीजिए। अगर आपने एक कर दिया है, तो कम से कम संरक्षण तो दीजिए ।

श्री अध्यक्ष-

अभी मैं जरा उसको देख लूं। अभी मैं आपकी बात को रिजर्व रखता हूँ। विषय को मैं अभी रिजर्व रखता हूँ।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैंने प्रत्येक दिन एक याचिका लगाई है और केवल एक ही ली गई है। जो आपने अनुमन्य किया है वह तो ले लीजिए। आपने पांच एक दिवस पर एक कहा है, वह तो ले ली जाए।

श्री अध्यक्ष-

जो आपने विषय उठाया है उसको कल तक मेरे फाइनल निर्णय तक आप स्थगित रखें। आपका विषय आ गया है उस पर हम विचार करेंगे। आपने अपनी बात बता दी है, तो कल उस विषय पर बताएंगे। मैं एक सदस्य की दस-दस याचिका लेने को तैयार हूं, अगर याचिका समिति निपटाने के लिए तैयार हो तो।

(कई सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी याचिकाओं के सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रकट करने पर)

[12:59] कृषि मंत्री के वक्तव्य पर निर्धारित चर्चा के सम्बन्ध में सदन को सूचना

श्री अध्यक्ष-

वह आप याचिका के दफ्तर में जाकर पता लगाइएगा। मंत्रियों के वक्तव्य में माननीय कृषि मंत्री के द्वारा जो यहां पर वक्तव्य दिया गया था उस पर मेरा यह निर्देश था कि उस पर चर्चा होगी। कल भी दो घंटे तक उसकी चर्चा हुई आज फिर दो घंटे का समय निर्धारित करता

हूँ एक बजा है तीन बजे तक यह चर्चा जारी रहेगी और उसके अलावा माननीय नेता प्रतिपक्ष कल अपनी बात रखेंगे और माननीय नेता प्रतिपक्ष के बाद कल मा0 मुख्य मंत्री जी भी अपनी बात रखेंगे। तो कल फिर उस चर्चा को पूर्ण करेंगे।

कार्य-स्थगन को पहले लिए जाने के सम्बन्ध में

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा यह अनुरोध है कि पहले कार्य-स्थगन ले लें। उसके बाद इस पर चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष-

चूंकि कार्य-स्थगन की सूचना सुबह दी जाती है तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री उन सूचनाओं को मंगवाते हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी अगर सूचना लेना ही है, तो बाद में लेना है कि पहले लेना है अगर आपकी अनुमति हो तो ले लें।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, ले लेते हैं मैं कार्य के क्रम में चेंज कर रहा हूँ कार्य के क्रम में चेंज करके जो कार्य-स्थगन है जो 9 नम्बर पर था। जो मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य 8 नम्बर पर था। तो मैं 9 नम्बर वाला कार्य-स्थगन प्रस्ताव पहले ले रहा हूँ। बाद में मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य को करूंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 10 अगस्त, 2023 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुयीं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम 02 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा तथा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना मा0 सदस्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के विकास खण्ड दीन शाह गौरा के ग्राम पंचायत बांसी रिहायक के डेरा गाँव में दिनांक 08-07-2023 को तालाब में स्नान करते हुये पाँच बच्चियों की हुयी दर्दनाक मौत की घटना में आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी प्रदान करने के सम्बन्ध में है। कोई एक मा0 सदस्य इस पर बोल ले।

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने नियम-56 के अन्तर्गत एक बड़ी घटना पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के विकास खण्ड दीन शाह गौरा के ग्राम पंचायत बांसी रिहायक के डेरा गाँव में दिनांक 08 जुलाई, 2023 को पाँच बच्चियों कु0 रीतू (08 वर्ष), सोनम (10 वर्ष), अमित (08 वर्ष), वैशाली (12 वर्ष) तथा रूपाली (09 वर्ष) की तालाब में स्नान करते हुये डूबकर दर्दनाक मृत्यु हो गयी। एक ही गाँव में हुये इस हादसे से जहाँ पूरा परिवार बिखर गया वहीं पूरा क्षेत्र भी दुखी है। मृतक बच्चे अत्यन्त निर्धन व गरीब मजदूर डेरा मंगता समुदाय से आते हैं। यद्यपि इनके परिवारों की जो मदद प्रशासन द्वारा की गयी है वह अत्यन्त अपर्याप्त और कम है। मान्यवर, आपके माध्यम से हम सदन की ओर से यह निवेदन करना चाहते हैं कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता एवं उनके एक-एक परिजनों को सरकारी नौकरी प्रदान की जाये। मान्यवर, हम मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इस घटना में एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि इसमें कुल 10 बच्चियाँ तालाब में नहा रही थीं और नहाते समय जब वह डूबने लगीं तो 11 वर्ष की एक बेटी सोनम जो बाहर थी, उसने तालाब में कूद करके और अपनी जान पर खेल करके बहुत बहादुरी से एक 08 वर्ष की बच्ची को, एक 07 वर्ष की बच्ची को तथा एक 05 वर्ष की बच्ची को अर्थात् कुल 03 बच्चियों के प्राण बचाये। उस बच्ची द्वारा बहुत साहसिक कार्य किया गया है। प्रदेश के सभी समाचार-पत्रों ने उस बच्ची के साहस की प्रशंसा की है। कई संस्थाओं ने उसको सम्मानित भी किया है। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से यह निवेदन है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के दीन शाह गौरा के बांसी रिहायक में घटी इस घटना में जो मृतक बच्चियाँ हैं उनके परिजनों को 20-20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता एवं उनके एक-एक परिजनों को सरकारी नौकरी प्रदान की जाये। इसके अतिरिक्त जिस बच्ची सोनम ने बहादुरी और निडरता का परिचय देते हुये 03 बच्चियों की जान बचायी है, उसको राष्ट्रपति पुरस्कार दिये जाने हेतु राज्य सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा जाये। उस बच्ची की बहादुरी की सराहना होनी चाहिये और पारितोषिक देकर उसके मनोबल को बढ़ाना चाहिये। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, उत्तर दे दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, वास्तव में यह अत्यन्त दुःखद घटना है, जिसमें 05 बच्चियों की मृत्यु हो गयी, लेकिन यह घटना जिस परिस्थिति में हुयी है वह भी अपने आपमें लोगों के लिये एक सीख की बात भी है। जहाँ तक उनके परिवार को सहायता देने की बात है तो 04-04 लाख रुपये की सहायता उनके परिवारों को दी जा चुकी है और मा0 विधायक जी ने पुरस्कार की जो बात कही है तो उसमें जिलाधिकारी से रिपोर्ट मंगवाकर इसको प्रेषित कर देंगे। निश्चित रूप से घटना में अगर इस प्रकार की स्थिति आयी है और उस बच्ची ने इतने बच्चों की जान बचायी है, तो वास्तव में वह पुरस्कार दिये जाने के लायक तो है। मान्यवर, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, अतः इसे अग्राह्य कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 मनोज कुमार पाण्डेय जी को सुना। मैंने मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर से मा0 पाण्डेय जी सन्तुष्ट हैं। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है। अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

नियम-56 के अन्तर्गत दूसरी सूचना मा0 सदस्य श्री राम मूर्ति वर्मा की प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों को वेतन न मिलने, नियुक्ति न होने व अन्य विसंगतियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

***श्री राम मूर्ति वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष मौलिक पदों पर नियुक्त विगत 23 वर्षों से अनवरत अध्यापन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के अकारण अवरुद्ध वेतन की ओर दिलाना चाहता हूँ। बिना किसी लिखित आदेश व नोटिस के बगैर लगभग 15 माह बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। वेतन न मिलने के कारण लगभग आधा दर्जन शिक्षक अवसाद की स्थिति में पहुंच गये हैं। क्योंकि आयु अधिक होने के कारण वे किसी अन्य भर्ती में भी चयनित नहीं हो सकते। कई लोग ऐसे हैं जो 5-10 वर्ष में रिटायर हो जायेंगे। कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी गम्भीर बीमारियों के कारण दवा इलाज के अभाव में मृत्यु हो चुकी है। अगर यह शिक्षक सेवा न करते तो प्रदेश भर के कम से कम 300-400 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में ताला बन्दी हो जाती। लगातार इनकी मेहनत और परिश्रम से यह सब विद्यालय अपने अस्तित्व में हैं। वर्तमान में भी चयन बोर्ड भंग है। अभी लगभग साढ़े तीन हजार शिक्षक रिटायर हुए हैं। रिटायर्ड शिक्षकों की जगह कोई नियुक्ति भी नहीं की गयी है। वहां पढ़ाई कैसे कराई जा रही है यह किसी को पता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है। मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के नियमों को स्थगित करते हुए चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, तदर्थ शिक्षकों का जो मामला मैं आपके सामने लाया हूँ यह 50 से अधिक दिनों से जो माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय है। उसके सामने माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय नेता सदन की फोटो लगाकर रोज उस पर फूल माला चढ़ाते हैं। याचना करते हैं। 50 दिनों में अभी तक कोई उनकी सुधि लेने वाला नहीं है। जबकि इसके पहले जब श्री अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री हुआ करते थे। उस समय इसी तरीके का मामला हमारे शिक्षा मित्र के सम्बन्ध में कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से आया था। सरकार ने संसाधन का प्रबन्ध करके बजट में प्राविधान करके उनको 35 हजार का मानदेय देने का निर्णय किया था। वर्ष 2000 तक जो तदर्थ शिक्षक थे, पिछली सरकार में उनको नियमित करने का काम माननीय नेता विरोधी दल, श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। मैं सदन से यह माँग करता हूँ। सरकार से यह माँग करता हूँ कि जो तदर्थ शिक्षक हैं, जिनमें से ज्यादातर शिक्षकों की सेवायें पूर्ण होने के करीब हैं और वे 15-20 बल्कि 23 वर्षों से कार्यरत हैं। उनके पास अपने परिवार के भरण-पोषण का कोई दूसरा चारा नहीं है। सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए फिर से उनका वेतन बहाल करते हुए शिक्षक कार्य पर लगाना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय लालजी वर्मा जी, आपने रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा दूसरा प्रश्न है उन्हत्तर हजार शिक्षकों की भर्ती का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

वह तो आज लिया नहीं गया। वह ध्यानाकर्षण में जायेगा। ठीक है, माननीय मंत्री जी आप बोलें। एक तो मैं जबरदस्ती वर्मा जी को खड़ा कर रहा हूँ। आपको मैंने बुलाया फिर भी नहीं बोलना चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप बोल लीजिए, अपनी बात आप कह लीजिए ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा प्रश्न बेसिक शिक्षा का है।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न बेसिक शिक्षा का है लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री तो है नहीं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर आपने इजाजत दी है तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप कल दे दीजिएगा, कल सुन लेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कल का दूसरा विषय रहेगा। कल अन्तिम दिन है।

श्री अध्यक्ष-

आप एक और विषय उठा लीजिएगा। दो विषय हो जायेंगे। मेरा निवेदन सुन लीजिए। यदि आप सिर्फ प्रश्न उठाना चाहते हैं तो ठीक है क्योंकि माननीय मंत्री जी के पास इसका जवाब नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सुन लें आप इसका जवाब दिला दें। इसको तीसरे नम्बर पर लें लें।

श्री अध्यक्ष-

कल सुनेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सिर्फ एक सेकेण्ड सुन लें। नियमों में है कि आप 5 को ग्राहय करते हैं और 2 पर ग्राहय करके आप सुन लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं दो पर सुन तो रहा हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कभी-कभी परिस्थतियों के अनुसार तीन नहीं चार नहीं पांच-पांच भी सुने गये हैं तो आज उसी परस्थितिवश महत्वपूर्ण मामला है जिन शिक्षकों का चयन हुआ है और बड़े पैमाने पर उनके साथ ज्यादती हुई है इसलिए ही यह महत्वपूर्ण विषय है तीसरे इश्यू के रूप में आप इसको सुन लें मैं आपसे आग्रह करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपने कहा कि तीसरी सूचना सुन लो सुबह जिस समय सूचनाएं आती हैं उस समय सरकार में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन किया जाता है कि यह सूचनाएं हैं आप

इसकी तैयारी कर के आये। अगर सुबह तीन भी स्वीकार हो जाती और मंत्री जी उसके लिए तैयार हो जाते तो मुझको कोई दिक्कत नहीं होती है जो आप कह रहे हैं कोई भी विषय विधान सभा के अन्दर उठाया जायेगा तो सम्बन्धित विभागीय मंत्री या मा0 संसदीय कार्य मंत्री आपके उस विषय को देखेंगे और उसकी जानकारी मंगाएंगे तभी तो उसका उत्तर देंगे जब उसकी जानकारी नहीं मंगाएंगे तो उसका उत्तर कहा से देंगे चूकि सुबह यह ग्राह्य नहीं हुई थी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने ग्राहय कर लिया था ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने ग्राह्य नहीं किया था। अगर आप अपनी बात कहना चाहते है तो फिर भी मैं कहने का अवसर दे दूंगा लेकिन उसका उत्तर नहीं मिल पायेगा क्योकि मा0 मंत्री जी को पहले सूचना नहीं दी गयी थी तो कल आप इस पर बोल लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कल दूसरा शिक्षामित्र वाला मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आप कल उठाइये जो दोनों में ज्यादा जरूरी हो ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह दोनों ही जरूरी है।

श्री अध्यक्ष-

आपको कल उठाना चाहिए था।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह मैंने कल भी दिया था लेकिन कल आपने आज के लिए कह दिया था। आपने कहा था कि मंत्री जी नहीं है कल कर लेना लेकिन आज भी आप कल के लिए कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आज तो हम नहीं सुनेंगे कल की कल देखी जायेगी ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मुझे आपके निर्णय से कोई मतभेद नहीं है सिर्फ निवेदन है कि आप यह दोनों हो जाने के बाद तीसरे नम्बर पर सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसलिए नहीं सुन सकता हूँ कि मैंने सरकार को इसके जबाव के लिए सूचना नहीं दी है तो मैं इसे कैसे सुन लू।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सरकार ने माना है कि 6800 पद अनुचित तरीके से भरे गये और उसमें रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया और सरकार ने स्वयं माना कि उस को सही करेंगे लेकिन उसके बाद भी रुक गया है और मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी परसो कहा है किसी भी तरह का कोर्ट या हाई कोर्ट में हमारा मामला विचाराधीन नहीं है। जब भर्ती का विचाराधीन नहीं है तो यह 6800 जिसकी आप प्रक्रिया शुरू किये तो उसकी भर्ती क्यों नहीं हो पा रही है। मैं चाहूंगा कि इसको आप लें ले यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी पूरी बात कह चूके हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उत्तर दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

यही तो मैं आपको कह रहा हूँ जो शुरू से कह रहा हूँ आप अन्तिम में उसी बात पर आ गये हैं।

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती गुलाब देवी)-

मान्यवर, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चयन कर युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार द्वारा मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में अप्रैल माह, 2017 से अब तक शिक्षकों की 34074 पदों के चयन की कार्यवाही की गयी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी किया जा रहा है उसका कार्य भी जल्दी प्रारम्भ होगा। चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा-16 प्रवर्तन होने के उपरान्त दिनांक 30-12-2000 से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर किसी भी प्रकार की तदर्थ नियुक्ति का अधिकार प्रबन्ध समिति को नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त तदर्थ अध्यापकों के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य सिविल अपीलों पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26-8-2020 को आदेश पारित किया गया था।

दिनांक 26-08-2020 को आदेश पारित किया गया था कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा-16 (11) के अन्तर्गत नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को अध्यापक भर्ती

परीक्षा में उनकी सेवा के आधार पर भारांक प्रदान कर उनके आवेदन आमंत्रित किये जाये। उसी के आधार पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-08-2020 के अनुपालन में विज्ञापन वर्ष 2021 की परीक्षा आयोजित हो चुकी है और परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं। मान्यवर, 2254 तदर्थ शिक्षक इसमें बैठे थे जिसमें भारांक होने के उपरान्त मात्र 40 शिक्षक ही सफल हो पाये हैं। इसलिये शेष शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है और ना ही ऐसे तदर्थ शिक्षक किसी प्रकार का अनुतोष पाने के योग्य हैं। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित अपील संख्या-8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल प्रार्थना-पत्र संख्या-818/2021 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07-12-2021 को अन्तिम रूप से निर्णय लिया जा चुका है। इसके साथ-साथ सम्मानित सदस्य को मैं यह भी अवगत कराना चाहती हूँ कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 07-12-2021 द्वारा तदर्थ रूप से कार्यरत ऐसे शिक्षकों जिन्होंने चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया अथवा परीक्षा में असफल रहे उनको संस्था में बनाये रखना एवं राजकोष से उनका वेतन भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में ऐसे तदर्थ शिक्षकों के वेतन भुगतान का दायित्व प्रबन्धतंत्र का है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07-12-2021 के पश्चात् किसी प्रकार की कार्यवाही का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री राममूर्ति वर्मा जी को सुना और मा0 मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आता है इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूँ। मैं श्री प्रभु नारायण सिंह यादव जी की सूचना ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार करता हूँ। लोकदल के मा0 सदस्यों की सूचना ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार करता हूँ। श्री लालजी वर्मा जी एवं श्री उमाशंकर सिंह की सूचना ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार करता हूँ। मा0 उमाशंकर सिंह जी की सूचना भी ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार करता हूँ।

श्री अवधेश प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष जी, नियम-56 के अन्तर्गत मेरी भी सूचना है। हमारे विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय है, वहां पर अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है जिसके कारण छात्र अपना नाम कटवाकर वापस घर जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे एक सुझाव लेना चाहता हूँ। आपने कल बोला था कि इस चर्चा के ऊपर हम कल भाग लेंगे। आपको अधिकार है कि अगर आप आज बोलना चाहते हैं तो आज बोलिये और कल बोलना चाहते हैं, तो कल बोलिये।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

मान्यवर, मैं कल बोलूँगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कल प्रश्नकाल के तुरन्त बाद 12:30 बजे पर मा0 नेता विरोधी दल बोल लें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, कम से कम कार्य-स्थगन तो खत्म ना करें। मेरा अनुरोध है कि कल प्रश्नकाल के बाद नियम-56 की सूचनायें ले ली जाये। फिर मा0 नेता प्रतिपक्ष बोल लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नेता विरोधी दल कल 12:30 बजे बोल लें जिसके बाद मा0 मुख्य मंत्री जी 01:00 बजे से बोलेंगे। कार्य-स्थगन बाद में ले लें। जैसा कि निश्चित हुआ था कि कल मा0 मुख्य मंत्री जी सदन में 12:30 बजे आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

कार्य-स्थगन बाद में ले लेंगे। उसे चर्चा के बाद भी लिया जा सकता है। मा0 मुख्य मंत्री जी के आने के बाद मा0 नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। मा0 नेता प्रतिपक्ष को बोलने का पूरा अधिकार है और कह रहे हैं कि आधा घण्टे-पैतीस मिनट बोलेंगे। उनके बाद मा0 मुख्य मंत्री जी बोल लेंगे और बाद में उसी अनुसार हम कार्यवाही चला लेंगे। अभी हम चर्चा जारी करते हैं। हमें दोनों तरफ से सूची प्राप्त हुई हैं। अभी सवा एक बजे हैं और सवा तीन बजे तक यह चर्चा चलेगी। सूची में पहला नाम श्री अंकुर राज तिवारी, मा0 विधायक, खलीलाबाद का है। वह सदन में उपस्थित नहीं हैं। श्री राम फेरन पाण्डेय (अनुपस्थित) जो लोग नहीं है उनको अवसर नहीं मिलेगा।

[01:20] प्रदेश में मानसून के विलम्ब से आने, सूखा, बाढ़, बादल फटने आदि से फसलों के आच्छादन में हुए विलम्ब पर आज तक सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के सम्बन्ध में कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री के वक्तव्य पर निर्धारित चर्चा †

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हमारे यहाँ पाण्डू नदी से तीन गाँव जमुई, बधुआपुर और सरायमीता जलमग्न होते हैं। जिस पाण्डु नदी का पानी मेरी विधान सभा क्षेत्र में ओवरफ्लो हो जाता है। उस नदी के दोनों तरफ

नोट :-† दिनांक 09 अगस्त, 2023 की कार्यवाही से।

जहाँ तीस मीटर का स्थान था अब दस मीटर के स्थान पर वह नदी बह रही है। वहाँ पर अवैध कब्जे हो जाने के कारण उस नदी का पानी ओवरफ्लो होता है और तीन गाँव हमारे यहाँ जलमग्न हो जाते हैं। उसकी पानी निकासी बन्द हो जाती है, मैं इस पीठ के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि उस नदी के दोनों तरफ इस प्रकार की व्यवस्था बनायी जाये जिससे उस नदी को उसकी पूरी चौड़ाई प्राप्त हो और उस नदी के पानी से हमारा विधान सभा क्षेत्र जलमग्न होने से बच सके। इसके अलावा वहाँ पर एक दीवार है और कई क्षेत्रों का पानी उस नदी में जाता है और जब नदी ओवरफ्लो होती है तो वह पानी बैक मारता है और उससे गाँव के अलावा भी क्षेत्र के लगभग 10 हजार लोग बाढ़ से परेशान हो जाते हैं। इसलिए उस दीवार की कोई परमानेंट ऐसी व्यवस्था किये जाने का आग्रह मैं इस पीठ से करता हूँ। मान्यवर, इसके जलमग्न होने के कारण हमारे यहाँ पिछली बार भी ऐसी गतिविधियाँ हुयी थीं और लोग इसमें परेशान हुये थे और इस बार भी जब मैंने पहले सरकार से आग्रह किया था तो काफी काम उसमें हुआ था लेकिन अभी भी बहुत सारे काम वहाँ होने बाकी हैं। अगर उन कामों को करवा दिया जाये तो हजारों लोगों को उस बाढ़ से मुक्ति मिल जायेगी। जो बिना बाढ़ आने वाली स्थिति के बाद भी बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं। मान्यवर, मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र के कुछ बिन्दुओं के लिए आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र से मेरे द्वारा एक नहर पर बनवाई सड़क निकलती है जो जी0टी0 रोड से कार्डियोलॉजी में जाती है और हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी हृदयरोग का एक ऐसा बड़ा संस्थान है जिससे आसपास के 16-17 जिलों के गरीबों की जान बचती है। उसके लिये जाममुक्त मार्ग के लिए मैंने पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार और मा0 योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आग्रह किया था और मुझे वह सड़क प्राप्त हुयी थी, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। परन्तु अब और अधिक आबादी को उसका लाभ देने के लिए उस सड़क का विस्तार करने की आवश्यकता है जो नहर विभाग की जमीन है उस जमीन पर उस सड़क को विस्तार देते हुये कार्डियोलॉजी तक जाममुक्त मार्ग उपलब्ध हो जाये जिससे गरीबों की जान बच जाये। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो लेबर कालोनी है इसका मसला वर्षों से लम्बित पड़ा हुआ है। मेरा आग्रह है कि जो लेबर कालोनी है इसका निस्तारण करा दिया जाये जिससे बहुत सारे गरीब लोगों को उनका मालिकाना हक प्राप्त हो जाये। मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कानपुर का जो सरकारी मेडिकल कालेज है उस मेडिकल कालेज को इंस्टीट्यूट का दर्जा दे दिया जाये और उसी में ट्रामा सेंटर की भी आवश्यकता है, 200 बेड का एक ट्रामा सेंटर भी दे दिया जाये। हमारे यहाँ कानपुर में ही एक कैंसर का अस्पताल है। उस कैंसर अस्पताल पर आसपास के गरीब लोग आश्रित हैं और उसको हमारी सरकार ने कैंसर के इलाज के लिए काफी कुछ सक्षम बना दिया है।

(इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनोज कुमार पाण्डेय पीठासीन हुए)

मान्यवर, परन्तु उसमें अभी और संसाधनों की आवश्यकता है जिसके आधार पर गरीब लोगों के कैंसर का इलाज हो सके।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आपकी पूरी बात आ गयी है अब आप बैठ जाईए क्योंकि सभी मा0 सदस्यों को बोलना है और सभी मा0 सदस्यों को बोलने के लिए सिर्फ 4-4 मिनट का ही समय मिलेगा।

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में छठी मैय्या का पूजन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पूजन होता है और तीन किमी0 लम्बी नहर जो कच्ची बहती है जिसके आसपास लगभग 50 हजार गरीब लोग निवास करते हैं, उसे पक्की करा दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब मा0 वीरेन्द्र यादव जी बोलेंगे।

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

मान्यवर, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। उसमें पचासों हजार लोग बेमौसम बाढ़ का शिकार हो जाते हैं क्योंकि हमारे यहां हलुआ खाड़ा से प्रेशर से पानी छोड़ा जाता है और वह पानी फतेहपुर, जहानाबाद एवं घाटमपुर आदि आसपास के जिलों में जाता है। जब प्रेशर से पानी छोड़ा जाता है तो किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए टेल तक पानी पहुंचता है और यदि हम उसका प्रेशर रुकवाते हैं तो यहां पर नहर कटने से बचती है, लोगों की जान जाने से बचती है। परन्तु किसानों के लिए पानी टेल तक नहीं पहुंचता है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अब आप समाप्त कीजिए क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मा0 सदस्यों से आग्रह है कि सदन को व्यवस्थित रखें और अपने स्थान पर बैठें।

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि उस नहर को पक्की करा दिया जाए क्योंकि उसमें एक 71 वर्षीय महिला एवं एक 11 वर्षीय बच्चे का डूबकर देहान्त हो चुका है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जहां बाढ़ और सूखा दोनों हैं, बलिया जनपद में गंगा एवं घाघरा दोनों नदियां हैं। वहां के मा0 सदस्यों को बोलने का मौका दीजिए क्योंकि वहां पर सूखा पड़ा हुआ है। हम लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिए।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

मान्यवर, आपने मुझे सूखा पर बोलने का मौका दिया है इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

आप समय का ध्यान रखिएगा।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

मान्यवर, निश्चित रूप से आज पूर्वांचल जैसे क्षेत्र में सूखे की स्थिति है और वहां पर सूखा इतना जबरदस्त पड़ा हुआ है कि आज वहां की नहरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। किसान बिजली के कारण त्रहि-त्राहि कर रहा है और लगातार ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग हो रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्यों को यदि कुछ इंगित करना होगा तो वह हाथ उठाकर इंगित कर दें। कृपया वह पीठ पर न आएं।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

मान्यवर, नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आज किसान काफी परेशान है किसी तरीके से अगर वह अपने प्राईवेट ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहा है तो उसमें भी बहुत ज्यादा ट्रिपिंग हो रही है और उसके बाद ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं। आज निश्चित रूप से किसान इतना परेशान हो गया है कि आज उसके खेत को पानी नहीं मिल पा रहा है। पूर्वांचल के गाजीपुर जनपद की जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूँ वहां पसेरवा, बद्धुपुर माइनर है वह दुगौली पम्प कैनाल से निकलती है, वहां टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहां के किसान त्राहि-त्राहि कर रहे है। वहीं दूसरी तरफ राजापुर माइनर, ताड़ीघाट माइनर एवं बोगना माइनर है। इन तमाम माइनरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सफाई के समय सफाई नहीं हो पाती थी। जब मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो दो-दो बार नहरों की सफाई होती थी और टेल तक पानी पहुंचता था लेकिन आज किसान इतना परेशान हो गया है कि उसके खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, सरकार मदमस्त है, यह सरकार कहती है कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे हो पायेगी जब किसान के खेत को पानी ही नहीं मिल पायेगा, जब उसके खेत को बिजली नहीं मिलेगी और किसान बार-बार प्राईवेट ट्यूबवेल से पानी भरने का काम करता है तो न जाने दिनभर में कितनी बार ट्रिपिंग हो जाती है और कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में ट्रांसफार्मर जल न रहे हों। 25 के0वी0, 63 के0वी0, 100 के0वी0, 200 के0वी0 एवं 400 के0वी0 के ट्रांसफार्मर लगातार जल रहे हैं। किसान इतना परेशान हो गया कि वह आत्महत्या करने तक को तैयार है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कहीं-न-कहीं किसानों

को उसकी लागत की क्षतिपूर्ति देने का काम करे। वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग की विजलेंस टीम जो लगातार गांवों में छापामारी कर रही है और छापामारी करने के बाद किसानों से बेवजह धन वसूलने का काम कर रही है। यह हालत पूरे उत्तर प्रदेश एवं गाजीपुर जनपद में हो गये हैं।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि गाजीपुर जनपद में आप दिखा लीजिए कि नहरों की क्या स्थिति है, बिजली की क्या स्थिति है। लगातार ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं, अगर मैं सूची दूंगा तो हमारी विधान सभा क्षेत्र का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर ट्रांसफार्मर न जले हों इसलिए हम आपका ध्यान इस लोक महत्व के विषय आकृष्ट कराना चाहते हैं कि पूर्वांचल का यह कहीं न कहीं इन सबसे प्रभावित है। किसान इतना परेशान हो गया है कि यदि फसलों की क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से किसान आत्महत्या करने का काम करेगा। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, तमाम ऐसे गांव हैं बौरी, बोगना, युवराजपुर, सुहवल, पटटौलिया, मेदिनीपुर, कालूपुर, ताड़ीघाट, ढढनी, मलसा, बेमोई आदि जहां पर ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। मैं आपसे माँग करता हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ऐसे गांवों को दिखाने का काम करें जहां पर ये ट्रांसफार्मर जले हैं वहां पर ट्रांसफार्मर दुरुस्त किये जाये और टेल तक नहरों में पानी पहुंचाने का काम करें। मैं इसी के साथ अधिष्ठाता महोदय आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 संजय निषाद जी।

मत्स्य मंत्री (डा0 संजय निषाद)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मानसून, बाढ़ और सूखा पर और जो बादल फटने पर जो चर्चा हो रही है उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और केवल सुझाव देना है क्योंकि मंत्री होने के नाते हमें पूरे प्रदेश का दौरा करना होता है। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक योजना बनाई थी 'नदी जोड़ो योजना'। अगर नदियों को जोड़ने की योजना पूरे प्रदेश में फिर से लागू कर दी जाए और उसे सुचारु रूप से चालू किया जाए तो गंगा सहित जो सभी छोटी-बड़ी नदियां हैं तो उससे जो बाढ़ की समस्या कभी इस नदी में कभी उस नदी में, मुक्ति मिल जाएगी और जो जल पर आधारित हमारी ऊर्जा है उसको सही ढंग से अपनी अर्थव्यवस्था में लागू कर सकते हैं। नदियों को जोड़ने की जो योजनाएं हैं, उसे सरकार में होते हुए जब भी अवसर मिलेगा, कैबिनेट में भी रखूंगा। लेकिन यहां महत्वपूर्ण विषय यही है कि इस योजना को लागू किया जाए क्योंकि वर्ष 2002 में बहुत सूखा पड़ा था उस समय इस पर चिंतन किया गया था। मैं अपनी सरकार और सभी का समर्थन चाहता हूँ क्योंकि नदियों के किनारे बसने वाले लोग बंधे पर बसने लगे हैं। सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं मैं

उनसे कहूंगा कि नोट कर लें कि बन्धे पर बसने वाले जो लोग हैं उनको व्यवस्थित कर दिया जाए जिससे वहां के अधिकारी उनको सड़क चौड़ा करने के बहाने डिस्टर्ब न करें। मैं इतना कहूंगा कि आज के दिन बाढ़ से प्रभावित जो जिले हैं उनकी सूचनाएं मंगाई जायें उनकी व्यवस्थाएं की जाएं और सूखा से प्रभावित जिले हैं उन्हें भी राहत दी जाये। हम प्रदेश को एक डोर में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि कुछ जिलों में बाढ़ है और कुछ जिलों में सूखा है और जिन-जिन जगहों पर सूखा और बाढ़ है दोनों को राहत की आवश्यकता है।

हम यह जानते हैं कि पानी पूरा बरसा है, लेकिन समय पर न बरसने के कारण समय पर खेती नहीं लगा पाते हैं, अगर 15 दिन भी लेट होता है तो उसका हमारे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। समय पर जब हम बीज डालेंगे, समय पर रोपाई करेंगे और समय पर उसे पानी मिलेगा तभी हमें फसल का पूरा उत्पादन मिलेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि पानी नहीं बरसा है, लेकिन उसकी जो समय-सीमा निर्धारित है उस अनुसार नहीं बरसा है। उसके लिए अगर हम लोग योजनाओं को लागू करते हैं तो जिस तरीके से हमने कश्मीर की समस्या और राम मंदिर की समस्या हल कर ली तो इस नदी को जोड़ने की योजना को लागू करके पूरे प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बना सकते हैं।

इसी बात के साथ कि अगर हम घाघरा, सरयू, राप्ती और बाण गंगा जो उत्तर प्रदेश में हैं और गंगा, यमुना हैं, इन सारी नदियों को अगर हम एक साथ जोड़कर इनकी अक्षय ऊर्जा को संरक्षित करें और पानी पर आधारित जो हमारे व्यापार हैं, उद्योग धन्धे हैं, उन्हें भी हम बढ़ा सकते हैं और बाढ़ से भी बच सकते हैं और नहरों की मात्रा बढ़ाकर हम सूखा से भी बच सकते हैं। हमें केवल मानसून पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हम अपनी व्यवस्थाओं पर निर्भर रहकर किसानों को लाभ दे सकते हैं, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य उमर अली खान जी।

***श्री उमर अली खान-**

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बेहट विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ जो 01 नम्बर की सीट है, वह हिमाचल, उत्तराखण्ड और हरियाणा का बार्डर लगता है। जब हिमाचल और उत्तराखण्ड में बड़ी बारिश होती है तो वहाँ का पानी भी वहाँ के पहाड़ों के जरिए रैपिड फ्लड के तौर पर सबसे पहले हमारी विधान सभा क्षेत्र से आकर टकराता है। हरियाणा की तरफ से जो यमुना नदी आती है, हथिनीकुण्ड बैराज का नाम आपने सुना होगा, वह भी हमारी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर से ही होकर निकलता है और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हथिनीकुण्ड का जो पानी है, वह पूरब, पश्चिम और उत्तर दिल्ली में देने का काम करता है। मान्यवर, मेरा सदन के माध्यम से यह अनुरोध है कि बरसात का पानी या पहाड़ों का जो पानी आ रहा है, उस पानी को स्टाक करने का ऐसा कोई डैम हमारे पास होना चाहिए, चूँकि वह बाढ़ का क्षेत्र है। वहाँ जितना पानी आता है, उतना ही वहाँ सूखा भी पड़ता है, उतनी ही वहाँ पर पानी की दिक्कत भी है और बदकिस्मती से और खासकर जो हमारी बेहट विधान सभा क्षेत्र है, वह डार्क जोन के अन्दर आती है। वहाँ पर सरकार की तरफ से नए नलकूप की कोई योजना तक नहीं आ पाती है। हमारा आपसे अनुरोध है कि वहाँ पर एक बांध बनना चाहिए, जो बरसाती पानी है, उसका स्टाक होना चाहिए और जब सूखा पड़े, पानी की दिक्कत हो, तब वह पानी सिंचाई के काम आए।

मान्यवर, हमारे वहाँ बेहट विधान सभा क्षेत्र के अन्दर माता शाकुम्बरी देवी जी का मन्दिर है, वह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर भी इतना ज्यादा रैपिड फ्लड आता है, जिससे श्रद्धालुओं को नुकसान होता है और जो वहाँ पर प्रसाद बेचने वाले हैं, उनका नुकसान होता है। मान्यवर, हमारे वहाँ 02 बड़े पुल हैं, बादशाहबाग और मकनपुरा के बीच का पुल कहलाता है। वह पुल भी बाढ़ के अन्दर बह गया था और आज 08-10 साल हो गए हैं, हर साल हम लोग सदन के अन्दर इस बात को कहते हैं। मैं पिछले 02 वर्षों के अन्दर भी इसकी आवाज उठाई है। लेकिन बदकिस्मती से आज तक उस पुल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। मान्यवर, ऐसे ही हिण्डन नदी का पुल है, वहाँ पर भी जितने श्रद्धालु निकलते हैं, वह अपनी जान जोखिम में डाल कर पानी में निकलते हैं और अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा कि स्कूल के बच्चों की बस हिण्डन नदी के अन्दर फँस गयी। गाँव वालों ने वहाँ पर एतराज किया, लोगों ने एलेक्शन के बायकाट तक की धमकी दी, वह लोग परेशान हैं। मान्यवर, इस सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि जल्दी ही बादशाहबाग वाले पुल और हिण्डन नदी के उस पुल को बनाने की कृपा की जाए। मान्यवर, इस बाढ़ से किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा वहाँ फसलें बही हैं। हमारे वहाँ आम के बाग हैं, हमारे वहाँ आम का काम होता है, बड़े-बड़े बाग उस पानी के अन्दर बह गए। हमारे वहाँ धान की फसलें नष्ट हो गयीं। मान्यवर, सरकार ने बहुत कम मुआवजा देने का काम किया है। मान्यवर, सदन के माध्यम से मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा उनको मुआवजा दिया जाए और बाढ़ से जो बच्चे मरे हैं, अगर मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र बेहट की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत जान-माल का नुकसान हुआ है। जो बच्चे मरे हैं, वह गरीब परिवार के हैं, उनके परिवारों को कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, उन लोगों की आर्थिक सहायता करनी चाहिए।

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी पानी आता है, जब भी रैपिड फ्लड आता है, जब भी बाढ़ आती है, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर जितने भी खम्भे लगे हुए हैं, वह खम्भे बह जाते हैं और बिजली विभाग के पास वहाँ इतना पैसा नहीं होता कि वह उन खम्भों को दोबारा खड़ा करे। एक-एक महीने तक वहाँ गाँवों के अन्दर बिजली नहीं पहुँच पाती है। मैंने लिखित में भी इसकी कम्प्लेन की है, लेकिन आज तक उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गयी। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो सड़कें टूट गयी हैं, जो सड़कें पानी के अन्दर बह गयी हैं, उनको सरकार द्वारा जल्दी बनवाया जाए। मान्यवर, हमारा आपसे से एक छोटा सा अनुरोध और है, हमारे वहाँ जो राजाजी कार्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्र है, जब बाढ़ आती है तो उस नेशनल पार्क के सारे के सारे जानवर प्लेन के अन्दर आ जाते हैं। उसमें जंगली जानवर भी हैं, गुलदार भी हैं, दूसरे पशु भी हैं, उनके लिए भी दिक्कत होती है। सांप आ आते हैं।

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि इस बार बहुत ज्यादा कैजुअल्टी हुई कि घर में आदमी सो रहा है और सांप ने उसको काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई, उनको भी सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

जी समाप्त करें, मा0 सदस्य सुरेश पासी जी।

श्री सुरेश कुमार-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ और सूखा दोनों की समस्या है। गोमती नदी बाजार सुकुल से होकर जाती है और वहां पर दो-तीन गांव ऐसे हैं जो नदी की कटान की वजह से उनकी सैकड़ों बीघे जमीन नदी में चली गई है। पूरे जगदीशपुर ब्लाक का एक गांव है, वहां नदी ने अपनी दिशा चेंज कर दी है जिस कारण से उसमें चली गई है। हम वहां पर बांध बनवाने की माँग करते हैं, जिससे गांव की जमीन बच सके और हमारे यहां एक नादी पम्प कैनाल है जो गोमती नदी से पानी लिफ्ट करके नहर में जाता है, उसकी लम्बाई थोड़ी और बढ़ा दी जाए, जिससे मकदूमपुर कला एक गांव है वहां तक नहर पहुंच जाए तो लोगों को सिंचाई के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी और जो उसका पम्प लगा हुआ है वह कम क्षमता वाला है तो उसकी क्षमता वृद्धि भी हो जाए। सरकारी नलकूप खराब पड़े हुए हैं, जिनमें किसी में मोटर जला हुआ है, किसी में ट्रांसफार्मर की समस्या है यह भी दुरुस्त हो जाए जिससे लोगों को पर्याप्त पानी सिंचाई के लिए मिल सके। तेतारपुर एक रजवहा है जहां पर हेड से टेल तक पानी इसलिए नहीं पहुंच पाता है कि नहर की सफाई अच्छे से नहीं हुई है, हेड से टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो। मान्यवर, हमारी विधान सभा क्षेत्र में एक सड़क बहुत खराब है इन्हौना से लेकर रुदौली तक 18 किलोमीटर इसकी लम्बाई है, हम माँग करते हैं कि यह

सड़क जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाए। हमारी विधान सभा क्षेत्र में जगदीशपुर में तहसील नहीं है, जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र तीन तहसीलों की है और तीनों तहसील विधान सभा क्षेत्र के बाहर हैं, हम आपके माध्यम से माँग करते हैं कि जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र में तहसील की व्यवस्था हो जाए। जगदीशपुर कस्बा बहुत बड़ा है और बाजार शुक्ल को इन दोनों को हम नगर पंचायत बनाने की माँग करते हैं। हमारे यहां पर जामो एक थाना है जिसका एरिया बहुत बड़ा है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो मैं गोरियाबाद को नया थाना बनाने की माँग करते हैं। हमारी विधान सभा क्षेत्र में गोमती नदी की लम्बाई लगभग 30 किलोमीटर है। एक गांव है किसनी जहां पर अपने गांव के लोगों को घूमकर काफी दूर से जाना पड़ता है, मड़वा अतवारा एक गांव यहां पर दोनों जगह हम पीपे के पुल बनाने की माँग करते हैं। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं पुनः आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी।

***श्री दुर्गा प्रसाद यादव-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी हुई है। हमारे पूर्वांचल में जब किसानों ने रोपाई किया, अपने संसाधनों से निजी नलकूप से उन्होंने धान की रोपाई करने का काम किया। हमारे पूर्वांचल में खासतौर से आजमगढ़ में पानी नहीं बरसा यहां तक कि धान सूख रहा है और जमीनों में दरार पड़ गई है जिस कारण से किसान परेशान है। हम यह कहना चाहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार के नेता मा0 अखिलेश यादव जी के निर्देश पर नहरों में पानी बराबर मिलता था और जो सरकारी ट्यूबवेल हैं उनकी कभी ऐसी शिकायत नहीं आती थी। पर आज स्थिति यह हो गई है कि बिजली अगर 10 मिनट आती है तो फिर 10 मिनट में कट जाती है। अगर कोई किसान अपने निजी नलकूप के सहारे पानी ले जाता है तो 10 मिनट में बिजली कटेगी और 10 मिनट में आएगी तो उस किसान के धान के खेत तक पानी नहीं पहुँच पाता है और इसके लिए हमारे आजमगढ़ मण्डल के बिजली विभाग के अभियंता के द्वारा मीटिंग भी की गयी। मगर उसके बाद भी कोई सुधार नहीं आया। हम यह कहना चाहते हैं कि नहर में पानी नहीं है सूखा पड़ रहा है और बरसात भी हो नहीं रही है तो इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो निजी नलकूप हैं उन निजी नलकूपों में यह हालात हैं कि यदि ट्रान्सफार्मर आपका

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

63 के0वी0ए0 का है और हम उसको 100 के0वी0ए0 का कराना चाहें तो इसके लिए आज इस ऊर्जा विभाग में इसके लिए भी पैसा नहीं है। यह हालात हैं कि किसान परेशान है, नौजवान परेशान हैं और गरीब परेशान हैं।

हमारे हिन्दुस्तान को कहा जाता है कि यह किसानों का देश है और वाकई में अन्नदाता अगर गेहूँ, धान से लेकर हर फसल को पैदा नहीं करे तो हर इंसान परेशान हो जाएगा। खाद का दाम बढ़ा, सब्सिडी नहीं है, इसलिए हर तरफ से किसान मारा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो बिजली कम आती है, कभी चार घंटे बिजली आएगी, कभी 2 घंटा आएगी और उसके बाद गाँव में 24-24 घंटे तक बिजली नहीं आती है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो सूखा पड़ा है उसको देखते हुए आजमगढ़ और पूर्वांचल को सूखा घोषित करने का काम सरकार करे, क्योंकि जब हम लोगों की सरकार थी अर्थात् समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब कभी ट्रान्सफार्मर जलता भी था तो तुरन्त 24 घंटे के अन्दर ट्रान्सफार्मर नया लग जाता था। आज यह स्थिति है कि ट्रान्सफार्मर जल गया तो 10-10, 15-15 दिन तक ट्रान्सफार्मर नहीं बदला जाता है। एक-एक, दो-दो और कभी-कभी तो तीन-तीन महीने तक उसको नहीं बदला जाता है। हम लोग कहते रहते हैं और यदि हम लोग अपनी निधि से लिख भी देते हैं, ट्रान्सफार्मर के लिए तो उसमें जितने में बिजली विभाग बनाता है उससे ज्यादा बजट हम लोगों से लिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 दुर्गा प्रसाद यादव जी अब आप समाप्त करें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

एक दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इसलिए कहना चाहता हूँ कि यह जो व्यवस्था बी0जे0पी0 सरकार कर रही है, उसमें न बिजली है, न सरकारी ट्यूबवेल से पानी मिलता है, वह खराब रहते हैं। हर तरह से किसान परेशान है। जब हम लोगों की सरकार थी और मा0 अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री थे खाद्य विभाग में और आपके बिजली विभाग में पैसे की कमी नहीं थी और हमारी सरकार में नहरों में पानी भरपूर था। आज इन लोगों को नहरों से मतलब नहीं है। इसलिए इस गम्भीर विषय पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि किसान परेशान है, जो उसका नुकसान हो रहा है। फसलें सूख रही हैं, बिजली है नहीं इसीलिए सूखा बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सूखा घोषित किया जाये और गरीबों के लिए योजना लागू करके उनकी फसलों का जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा देने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'।

***श्री रघुराज प्रताप सिंह-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सूखा और बाढ़ पर जो चर्चा हो रही है, तो यह अजीब स्थिति है कि प्रदेश में एक तरफ सूखा और एक तरफ बाढ़ एक साथ एक ही वर्ष आया है। सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद दूँगा कि आपने इस चर्चा को स्वीकारा। मुख्य रूप से कृषि, बिजली, पर्यावरण और सिंचाई इन चार मंत्रालयों से सम्बन्धित यह चर्चा है और यह समस्या है। श्रीमन् अगर कृषि मंत्री यहां उपस्थित होते तो और अच्छा होता। उत्तर प्रदेश की 65 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है, इसलिए यह चर्चा और भी आवश्यक हो जाती है। कल भी इस चर्चा को हम सुन रहे थे, माननीय कृषि मंत्री ने मा0 जल शक्ति मंत्री की ओर से कहा कि नहरों में टेल तक पानी जा रहा है, जो कि सत्यता से परे है। इसको सत्ता पक्ष के विधायक और चाहे प्रतिपक्ष के विधायक इस बात को मानेंगे। यदि अपने-अपने क्षेत्रों में जायें तो टेल तक पानी नहीं जा रहा है, बहुत सुधार की आवश्यकता है। मेरे यहां भी मानिकपुर रजवाहा, हीरागंज रजवाहा है। पूरे प्रयास के बावजूद हमको यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि हम लोग उसके टेल तक पानी अनेक पत्राचार और अनेक प्रयासों के बाद भी नहीं पहुँचा पाये। श्रीमन्, रबी, खरीफ और जायद 3 फसल होती है जिसमें खरीफ की फसल में वर्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा होगा कि अगर ट्यूबवेल से या नहरों से धान की फसल को पानी पहुँचा भी दिया जाये और कड़क घाम हो रहा है, धूप हो रही है तो फसल पीली पड़ने लगती है। इसके लिए नमी की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकृति के प्रकोप के बावजूद बहुत से ऐसे कदम हैं, जिनको उठाकर हम काफी हद तक सूखा और बाढ़ से अपने प्रदेशवासियों को, किसानों को राहत दे सकते हैं।

जब हम सूखा की बात करते हैं तो वह बात केवल फसलों में पानी न पहुँचने की ही नहीं होती है, बल्कि घटते हुए जल स्तर पर भी निरन्तर हमारा ध्यान होना चाहिए। उसके निदान, उस पर खोज होनी चाहिए। आज कई ट्यूबवेल हैं, जो पानी छोड़ दे रहे हैं और छोटे हैण्डपम्प हैं जो बेकार हो गये हैं। महामहिम श्री राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए भी मैंने कहा था कि इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प एक आवश्यकता है, जो सरकार अब मना कर चुकी है। अगर गांव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है तो उसका पूरा-पूरा श्रेय सिर्फ इण्डिया मार्क-2 को जाता है। शायद ही गांव में कहीं कोई कुएँ होंगे जिनका पानी पीने योग्य होगा, न के बराबर हैं। घर-घर नल योजना अच्छी होगी, अभी तक तो लागू नहीं हुई है जब लागू होगी तब इसका

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आंकलन किया जायेगा, लेकिन लगातार जो बोरिंग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प की खराब हो रही है और उनको रि-बोर करने का न तो पैसा हमको दिया जा रहा है और न ही ग्राम सभाएं इतनी सक्षम हैं कि उनको रि-बोर करा सकें। इसलिए पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है।

(इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवि शर्मा पीठासीन हुए)

श्रीमन्, पर्यावरण की जहां तक बात की जाये उसमें वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। हम सबको सिखाया गया है और यही जुलाई-अगस्त का महीना है कि व्यापक पैमाने पर सरकारी विभाग माननीय मंत्री से और माननीय मुख्य मंत्री जी से, सभी नेताओं से वृक्षारोपण का एक समारोह जैसा मनाया जाता है, फोटो खिंचती है। कई बार यह भी कहा जाता है कि साहब! इस बार रिकार्ड तोड़ वृक्षारोपण हुए हैं। इतना बड़ा वृक्षारोपण अभियान कभी नहीं हुआ है लेकिन वह रोपित वृक्ष कितना चल पाते हैं।

यह भी देखना जरूरी है कि वृक्ष को कितना संरक्षण मिल रहा है। अरे बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे का लालन-पालन भी जरूरी है। यह नहीं कि बच्चा पैदा कर दिया उसके बाद न उसको खाना दे रहे हैं, न उसको पानी दे रहे हैं। ऐसे भी कई समाचार हैं कि उसी-उसी जगह पर हर साल वृक्षारोपण हो रहा है। लगातार पेड़ कटने पर भी सरकारी विभाग एकदम आंख बन्द करे हैं। एक्सप्रेस-वे, हाई-वे और सड़कें चौड़ी हो रही हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन उनके चौड़ीकरण होने पर जो पेड़ कट रहे हैं वह देसी आम के हैं, महुआ के हैं, हमारी पीढ़ी अपने जीवन में अब वह पेड़ नहीं देख पायेगी। आज सड़क के किनारे छायादार वृक्षों की बहुत आवश्यकता है। थोड़ा बहुत वृक्षारोपण किया भी जा रहा है, लेकिन फिर वही समस्या आती है कि जो वृक्ष हम रोपित कर रहे हैं उनमें से कितने पेड़ तैयार हो रहे हैं और कितने छाया दे रहे हैं। शहतूत, पाकड़, महुआ, देसी आम ये सब पेड़ की प्रजातियां हैं, इन पर चिड़िया भी बैठती हैं, इनके फल भी चिड़िया खाती हैं, इन वृक्षों को लगाये जाने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यूकेलिप्टिस जैसे पेड़ जो लगातार भू-जल स्तर को नीचे करते हैं उन पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए। यूकेलिप्टिस पर न तो चिड़िया घोसला बनाती है और न ही बसेरा लेती है यह पेड़ पानी के जल स्तर को बहुत नीचे कर देता है।

श्रीमान् सभी माननीय सदस्यों ने बिजली की समस्या उठायी है। हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं कि बिजली 16 घण्टे या 18 घण्टे आती है, लेकिन यह बात सही है कि लगातार ट्रांसफार्मर जल रहे हैं उनको शीघ्र बदलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी इसका संज्ञान लें। यह सही बात है कि कुछ लोग कटिया लगाते हैं, लेकिन ये हमेशा से लगाते रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उससे सरकार के पक्ष में सन्देश नहीं जा रहा है, आम-जनमानस परेशान हो रहा है और जुर्माने की इतनी भारी रकम 1 से 2 लाख रुपये किसानों के

ऊपर लगा दिया जा रहा है और वही रकम कम करने के लिए बिजली दफ्तर के बाहर दलाल बैठे हैं, जो पैसा ले करके उस रकम को कम करते हैं, यह सभी क्षेत्रों की समस्या है। मैं केवल अकेले अपने विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी यह अनुरोध है कि इस समस्या का त्वरित निदान करें। श्रीमन् ट्रांसफार्मर को जल्दी से जल्दी रिप्लेस किये जाने की व्यवस्था करें और साथ ही इस पर प्रभावी रोक लगे कि किसानों का, ग्रामवासियों का शोषण बिजली विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा न हो।

श्रीमन् प्रकृति की आपदा बचाई नहीं जा सकती, टी0वी0 पर भी हम लोगों ने देखा है कि विकसित राष्ट्र यूरोप, अमेरिका, चीन में किस तरह से गाड़ियां पानी में बही जा रही हैं, किस तरह से पूरे मकान ध्वस्त हुए जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि प्रकृति का असंतुलित दोहन हमने किया है और जल निकासी के जो प्राकृतिक मार्ग हैं उन पर इमारतें खड़ी हो गयी हैं। इस कारण से यह विनाश की लीला और प्रचण्ड हो जाती है। प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो पहले तो प्रकृति चेतावनी देती है और उस चेतावनी को अगर हम अनसुनी करेंगे तो प्रकृति अपना हिसाब बराबर कर लेती है, जैसाकि कई देशों में व दूरदर्शन पर हम सभी लोगों ने, हम सभी साथियों ने देखा है। प्रकृति का सम्मान करते हुए जलाशय, वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जब बाढ़ आ जाये तभी हम बाढ़ नियंत्रण के काम करें या सूखा पड़ जाये तभी हम सूखा नियंत्रण के काम करें, यह निरन्तर पूरे वर्ष चलने वाली योजना है और इस पर ध्यान दें। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि आम-जनमानस की समस्याओं को गम्भीरता से ले करके उनका निदान करने का कष्ट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य श्री समरपाल सिंह जी।

***श्री समरपाल सिंह-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बाढ़ पर बोलने का मौका दिया। हमारे जनपद अमरोहा में गंगा जी का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है और उसमें धनौरा क्षेत्र पड़ता है। हमारा भी थोड़ा क्षेत्र उधर है, वहाँ एक बाँध बनाने की बहुत जरूरत है। जैसा कि स्वामी जी बता रहे थे, लेकिन इस टाइम वह नहीं हैं, उनका भी मामला था, पता नहीं कहाँ गये। स्वामी जी के क्षेत्र से बृजघाट तक, तिगरी तक एक बाँध बनाया जाये। हमारा गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन सारी फसल चौपट हो जाती है। गन्ना बोया जाता है, तो वह डूब जाता है और सारा पीला पड़ जाता है, गन्ना की पैदावार चौपट हो जाती है। इतना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पानी आता है कि धान लगाने की नौबत ही नहीं आती है। माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में एक बाण नदी है। बाण नदी में अबकी बार पानी आया है। यह कहना कि सारी नदियों को हम चालू करायेंगे तो मैं आपके माध्यम से इनसे कहना चाहूँगा कि बाण नदी की भी खुदाई करायें और कुछ ऐसी व्यवस्था करायें कि उसमें पानी रहे। वह नदी पूरे जिले को पार करते आती है। अबकी पहली बार उसमें पानी आया है। मैं आपके माध्यम से सरकार और मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो बाढ़ में फसलें चौपट हुई हैं, उसके लिए मुआवजे का कोई प्रावधान है? इन्होंने पटवारी, तहसीलदार, एस0डी0एम0 या डी0एम से कोई जाँच कराई है कि उनको क्या मुआवजा दिया जायेगा ? अक्सर 17 रुपये, 50 रुपये मुआवजा बनता है। किसान उसे लेने में भी संकोच करता है। कोई ऐसा प्राविधान किया जाये कि किसान का सम्मान बना रहे और उसे सम्मानजनक मुआवजा दिया जाये। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा क्योंकि यह सिंचाई का मामला है, बाढ़ का मामला है। मेरी ओर कूपी गाँव में नहर खुदने से रह गई है। एक तरफ तो 10 लाख का मुआवजा है, इधर भी 10 लाख का मुआवजा है, लेकिन बीच में केवल 50 हजार का मुआवजा है, माननीय मंत्री जी उसका समाधान जरूर करा दें। आपने यह वादा भी किया था कि अगर बीच में अटका होगा तो उसका समाधान होगा। मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूँ कि उसका समाधान करा दें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, धन्यवाद, शुक्रिया।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य श्री राम फेरन पाण्डेय जी।

***श्री राम फेरन पाण्डेय-**

अधिष्ठाता महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बाढ़ और सूखे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं पूरे सदन को प्रणाम करते हुए और अपने क्षेत्र की 5 लाख जनता को नमन् करते हुए, जिन्होंने मुझे दूसरी बार विधान सभा में बोलने का मौका दिया। बाढ़ और सूखा के ऊपर कल से चर्चा चल रही है। मैं उस श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, जो भगवान बुद्ध की तपस्थली है, भगवान लव की नगरी है। हमारे वहाँ बाढ़ भी आती है और सूखा भी आता है। इस वर्ष अभी नेपाल से पहाड़ का पानी आया और हमारे यहाँ श्रावस्ती में बाढ़ की विभीषिका से कई अगल-बगल के गाँव जलमग्न हो गये। भिनगा से मल्हीपुर तहसील का रास्ता पूरा कटकर अवरुद्ध हो गया है। चूँकि तहसील और ब्लाक की कनेक्टिविटी जिले से कटी हुई है, जिसके लिए मैं प्रशासन से माँग करता हूँ कि उसको तत्काल जोड़ा जाये। मेरे बहुत से साथी सिंचाई विभाग की बात कर रहे थे। वह सिंचाई विभाग की नहर जो सन् 1978 से अधर में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लटकी हुई थी, मैं धन्यवाद दूँगा कि 2021 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण करके और गोरखपुर तक जल देने का काम किया है। बहुत से साथी कह रहे हैं कि उनके वहाँ टेल तक पानी नहीं आता है। हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मैं श्रावस्ती से आता हूँ, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और गोण्डा की नहरों में पानी की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी लगातार साल में दो-तीन बार विजिट करके लोगों को सिंचाई के लिए सुविधा मुहैया कराने का काम कर रहे हैं और यही नहीं मैं बताना चाहूँगा कि जबसे मैं विधायक बना हूँ, 2017 से आज तक किसानों को सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, सिंचाई मंत्री ने 25 ट्यूबवेल दे करके किसानों के मान को बढ़ाया है। बहुत से मेरे साथी सिंचाई की बात कह रहे थे। मैं समझता हूँ कि 2012 से 2017 तक बलरामपुर सिंचाई विभाग के आफिसेज में ताले लटक गये थे, यह आप किसी से पूछ सकते हैं।

मान्यवर, योगी जी के नेतृत्व में यह सरकार किसानों के लिए, दलितों के लिए, बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए काम कर रही है। कुछ समस्यायें हमारे क्षेत्र की हैं। हमारे यहाँ कटरा से मथुरा घाट के पुल का कोई रास्ता नहीं है। जब बाढ़ आती है तो हमारी कनेक्टिविटी समाप्त हो जाती है। उस पुल के बन जाने से बलरामपुर और श्रावस्ती दोनों का रास्ता सुगम हो जायेगा। हमारे श्रावस्ती के इकौना में महामाया डिग्री कालेज की स्थापना सन् 1997 में हुई थी। वहाँ पर शिक्षको की कमी है और कुछ विषयों की कमी है। मैं उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुये यह चाहूंगा कि वहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति करा दी जाय जिससे वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। पिछले साल 9 अक्टूबर को बाढ़ आती है, यह दैवी आपदा नहीं है तो और क्या है अक्टूबर में बाढ़ कभी नहीं आती है। जब 9 अक्टूबर को बाढ़ आती है तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी 12 अक्टूबर को श्रावस्ती पहुंच करके, लोगों की चिंता करते हुये, लगातार एक-एक नहीं तीन-तीन मंत्रियों को अलग से लगाते हुये, वहाँ पर लोगों को लंच पैकेट की व्यवस्था, 16 प्रकार की सामग्री और यही नहीं जानवरों के लिए भूसा की भी व्यवस्था करते हैं। जिस तरीके से हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी किसानों के लिए अग्रसर हैं। पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो रमनगरा एक गाँव है जिसमें 104 घर कट गये थे। उस गाँव में 104 घर राप्ती नदी में समाहित हो गये थे। जब वहाँ पर 104 का सर्वे हुआ तो कतिपय कारणों से 52 लोगों को इसका मुआवजा मिला, 52 लोग आज भी बेघर हैं। मैं माँग करता हूँ कि उन लोगों को भी मुआवजा दिया जाय। हमारे परिवहन मंत्री जी बैठे हुये हैं। मैं उनसे भिनगा मुख्यालय से शाम को बहराइच और लखनऊ जाने के लिए कोई बस नहीं है अगर एक डिपो बन जायेगा तो इसका लाभ किसानों को मिलेगा। हमारे यहाँ एक बहराइच से विशेश्वरगंज गंगा जमुनी मार्ग है जो 25 किलोमीटर लम्बा है, 21 किलोमीटर की लम्बाई में बहराइच जनपद का हिस्सा है उसको चौड़ीकरण और उच्चीकरण का कार्य हो चुका है, केवल

चार किलो मीटर श्रावस्ती का अवशेष भाग बाकी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मार्ग के बन जाने से लाखों लोगों की यात्रायें सुगम होंगी। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं पुनः पीठ को प्रणाम करते हुये अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

श्रीमान चन्दन चौहान जी।

***श्री चन्दन चौहान-**

मान्यवर, आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जहाँ बाढ़ और सूखे पर इकट्ठा चर्चा करने का हमें मौका मिला है, यह भी उत्तर प्रदेश की विराटता और विशालता का प्रतीक है और उसी गम्भीरता के साथ इस सदन में बैठे सभी माननीय सदस्यों और सरकार और विपक्ष की गम्भीरता को भी इस उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। जहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह की चुनौतियों का सामना आने वाले भविष्य में अधिक देखने का मौका मिलेगा वहीं हमें तैयारियाँ और आपदा आने के बाद उसका प्रबन्धन इस पर भी अपनी चिंताओं को सुनिश्चित करने का काम करना चाहते हैं। मान्यवर, मैं जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ। जहाँ हम उत्तराखण्ड से मिले हुये हैं। वहाँ पर कई नदियों का भगवान की कृपा से आशीर्वाद मिलता है, पानी की उपलब्धता मिलती है, पर आज वहाँ पर बाढ़ की वजह से, चाहे सोलानी नदी हो, चाहे गंगा का प्रभाव हो वहाँ नुकसान ही नहीं पूरा का पूरा विनाश हुआ है, फसलों का विनाश हुआ है। मैं आज आपके माध्यम से माननीय नेता सदन को और सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर निकटवर्ती समय में उसका प्रबन्धन नहीं किया, क्योंकि पानी आया और पानी गया, इसे हम बाढ़ समझते हैं, परन्तु जहां हमारा क्षेत्र है वहां पानी रुकने की वजह से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, पशुओं के लिए चारा नहीं है और बीमारियों की सम्भावनाएं बढ़ गई हैं। परन्तु मुआवजे को लेकर सरकार की ओर से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बैठे हैं, उनके समय में जब ओलावृष्टि हुई थी तो मुझे याद है सबसे बड़ा मुआवजा माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों को देने का काम किया था। इसी उम्मीद के साथ हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार फसलों के नुकसान का आंकलन कराये और जल्द से जल्द मुआवजे की घोषणा करने का काम करे।

मान्यवर, केवल फसलों की बर्बादी ही नहीं, खरीफ की फसलें चाहे गन्ना हो, मुंजी हो, चाहे घास की समस्या हो, हमारे विधान सभा क्षेत्र के गांव मजलिसपुर, तौफीर सिताबपुरी, खैरनगर, महाराजनगर जहां सोनायूं नदी के प्रकोप से पीड़ित है वहीं रामराज खादर में बड़े

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पैमाने पर पानी स्टैग्नेशन होने के कारण फसलें बर्बाद हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सदन का संरक्षण इस प्रदेश की जनता को मिलेगा। आने वाले भविष्य में हम ऐसी योजनाएं बना पायेंगे कि जिससे स्व0 चरण सिंह जी और स्व0 अजीत सिंह जी का और धरती पुत्र कहलाये जाने वाले स्व0 मुलायम सिंह जी का और बाबू नारायण सिंह जी का सपना पूरा करने का काम किया जायेगा और प्रदेश का किसान खुशहाल होगा। विषय बहुत सारे हैं फिर भी मैं सीमित करने का काम करता हूं, यहां कल मुद्दा रखा गया था लेपर्ड का, जंगल में पानी भरने के कारण वहां से जानवर बाहर निकल आते हैं। बिग कैट फैमिली का सबसे कठिन और चालाक प्रजाति जिसे लेपर्ड, गुलदार या तेंदुआ कहा जाता है, उस पर अंकुश लगाने के लिए एक पिंजड़ा लगाया गया ऐसा उत्तर आया था, परन्तु यदि उन्हें पकड़ा नहीं गया तो भविष्य में हमले बढ़ेंगे क्योंकि एक नहीं बल्कि तीन सौ से अधिक तेंदुए उस इलाके में हैं। जिस तरह से उनका हमला करने का तरीका है और जितने अन्तराल पर है उससे पता चलता है कि नरभक्षियों की संख्या कहीं अधिक है, सरकार तुरन्त इसके लिए इन्तजाम करे। आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य श्री अंकुर तिवारी जी।

***श्री अंकुर तिवारी-**

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मान्यवर, हमारा जनपद सन्तकबीरनगर बाढ़ और सूखा दोनों से प्रभावित होता है। हमारे यहां हमारा जनपद सन्तकबीरनगर दो तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। मेहदावल विधान सभा क्षेत्र में भी बाढ़ का असर हमारे यहां है और धनघटा विधान सभा क्षेत्र में भी बाढ़ का असर है। हमारी विधान सभा क्षेत्र सदर जो सूखे से प्रभावित हो रही है, दो तीन दिनों से बारिश तो हो रही है, लेकिन जितना किसानों को पानी चाहिए उतनी बारिश नहीं हो रही है इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे जनपद को सूखे की सूची में लिया जाय। विशेष रूप से मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि हमारे जनपद में रोडवेज नहीं है, मैंने मा0 परिवहन मंत्री जी से अनुरोध किया है और वह प्रयासरत् भी हैं, परन्तु उसमें जमीन का परिवर्तन कैबिनेट से पास होना है, उसे करा दें। मैं लोक निर्माण मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे यहां की दो महत्वपूर्ण सड़कों को उन्होंने स्वीकृत किया है और एक सड़क जो हमारे यहां बहुत महत्वपूर्ण है। एक सड़क जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो नौरंगिया से जिगना मार्ग है, जो तामेश्वर नाथ धाम हमारे जिले का केंद्र बिन्दु है वहां के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए वह सड़क जाती है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान वहां पर आकर्षित करना चाहता हूँ। विशेष रूप से मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का तथा मा0 लोक निर्माण मंत्री जी को धन्यवाद पुनः देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमारे यहां सड़क दी है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और नहरों में पानी आ रहा है, लेकिन कहीं-कहीं कुछ कमियां रह गयी हैं। जिसके लिए मा0 सिंचाई मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि उसको भी पूर्ण किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

श्रीमती सैय्यदा खातून जी।

***श्रीमती सैय्यदा खातून-**

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ और मेरा क्षेत्र डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर बाढ़ का इलाका है, जो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। लेकिन जब बाढ़ आयी थी, मैंने तब भी आवाज उठायी थी कि हमारे यहां बाढ़ का इलाका है, वहां पर सरकार की मदद होनी चाहिए, लेकिन जब बाढ़ आयी और जो भी गांव बाढ़ से ग्रसित थे उनमें कहीं किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। बस गिने-चुने 4-6 लोगों को मुआवजा मिला है। खुद मेरे गांव में ही बाढ़ आयी हुयी थी, नाव चल रही थी, लेकिन उस गांव में किसी भी किसान को कोई मुआवजा नहीं मिला है और जो सड़कें हैं वह बाढ़ की वजह से सारी बह जाती हैं और उनमें बहुत बड़े गड्ढे रहते हैं। लेकिन सरकार बाढ़ के बाद कह रही थी कि जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उस इलाके में सड़कें सबसे पहले बनायी जायेंगी, लेकिन हमारे यहां की सड़कें अभी भी नहीं बनी हैं। जबकि मेरे गांव की सड़क जर्जर हालत में है। इसके लिए हम लोगों ने कई बार लिख कर भी दिया है, लेकिन सड़क अभी तक नहीं बनी और जितनी माइनर नहरे हैं उन नहरों में जंगल की तरह पेड़-पौधे उगे हुये हैं, सफाई नहीं होती है इसलिए माइनर नहरों में पानी नहीं जाता है और किसानों को पानी नहीं मिलता है। जबकि अभी तक सूखा था, किसान बहुत परेशान थे, उनको पानी नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहती हूँ सरकार से कि इससे पहले जो सरकारें थीं, उन सरकारों में पानी की कोई कमी नहीं रहती थी। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि अगर किसान के लिए कुछ करना है तो नहरों की देख-भाल करें और पानी जाए। ताकि किसान बेचारा जो परेशान है उसको पानी मिल सके। हमारा इलाका बाढ़ का इलाका है, बाढ़ से उनकी धान की खेती नहीं होती है, और माइनर नहरों में पानी नहीं जाता तो उससे किसान परेशान रहता है। उनका धान व गेहूँ कुछ भी अच्छी तरीके से नहीं होता है और बिजली की यह हालत है कि 2 मिनट में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आती है और 2 मिनट में कट जाती है और बिजिलेंस वाले जिनके यहां पर 1-2 लाख कर्जा है वह उनके यहां पर नहीं जाते हैं, लेकिन जिसका 10-05 हजार का कर्जा है उनके यहां पर वह बिजली काट देते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ मेरे क्षेत्र-306, डुमरियागंज में जो बाढ़ का इलाका है, उस पर खास ध्यान दिया जाए और वहां की जो जर्जर सड़कें हैं उनको बनवाया जाए और जब बाढ़ आये तो उसमें काफी मदद मिलनी चाहिए। क्योंकि आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। 15-15 दिन गांव में पानी रहता है और सरकार से कोई भी मदद नहीं मिलती है। इसकी मैं माँग करती हूँ। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बालने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य श्री विकास गुप्ता जी।

***श्री विकास गुप्ता-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, वर्ष 2023 तक विधान सभा में मा0 सभापति श्री सतीश महाना जी के नेतृत्व में यह ई-विधान पूरे देश में पहली स्थापना हुयी, यहां की कुर्सियां भी बढ़ने का काम हुआ, गैलरी के सौन्दर्यीकरण का भी काम हुआ, यहां पर बहुत से काम हुए। मैं सिचाई मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिस प्रकार से 75 जनपदों पर फतेहपुर जनपद में जिस प्रकार से प्रत्येक ब्लाकों पर कृषि के सेमिनार लगने का काम हुआ।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, प्रत्येक ब्लाकों पर कृषि के सेमिनार लगाये गये और किसान उसमें काफी संख्या में प्रतिभाग किए। मुझे भी उसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने देखा कि बहुआ विकास खण्ड पर लगभग 400-500 किसान थे और वहाँ पर विभाग के वैज्ञानिक भी थे और वैज्ञानिकों से डिबेट में अन्नदाता बन्धुओं ने पूछा कि सूखे से कैसे निजात मिले ? टेल पर पानी कैसे पहुँचे और बिजली की व्यवस्था कैसे सुचारु रूप से चलने का काम हो ? वहाँ पर किट देने का काम हुआ और जो कम वर्षा की फसलें थीं, उनके बारे में वैज्ञानिकों ने बताने का काम किया। वहाँ पर स्टॉल लगाकर किसानों को सम्मानित करने का भी काम किया गया और किसान अन्नदाता बन्धुओं को सब्सिडी के बारे में भी बताया कि एस0पी0ओ0 के माध्यम से 80 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत व्यक्तिगत किसानों के लिए दिया जाता है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जबसे उत्तर प्रदेश में मा0 योगी जी की सरकार बनी है, किसानों को खाद भी अच्छी मिल रही है, बीज भी मिल रहा है। हम सिंचाई मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी को धन्यवाद देंगे कि हमारे अयसाह विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर जनपद पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस प्रकार से बहुत समय से टेल पर पानी नहीं पहुँच पा रहा था, जिस प्रकार से शाखा से गमरी असोथर होते हुए टेल पर पानी पहुँचने का निरन्तर काम हो रहा है और उनके आशीर्वाद से हमारे यहाँ 15 ट्यूबवेल भी मिलने का काम हुआ है। जो बोरिंग रि-बोर नहीं हो पा रही थी, वह भी रि-बोर होकर ठीक हुई।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह सकता हूँ कि बिजली के क्षेत्र में असीम सम्भावनाएं देखते हुए जो ट्रांसफार्मर खराब थे, वह ट्रांसफार्मर भी बदले गये और जो किसान संगठन और अन्नदाता बन्धु बहुत दिन से माँग कर रहे थे कि किसानों को अलग से लाईन ट्यूबवेल तक पहुँचाने का काम हो, वह भी स्वीकृत हो गया, टेण्डर भी पड़ गया और काम भी प्रारम्भ हो गया ।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं कह सकता हूँ कि जब से मा0 योगी जी की सरकार बनी है, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सहकारिता के अन्तर्गत हो, चाहे सड़कों को लेकर हो, सब जगह चहुमुखी विकास हुआ है। तभी तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दोबारा जनता ने भारी बहुमत से जिताकर 37 वर्ष बाद पुनः स्थापित करने का काम किया।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र की तीन प्रमुख बात रखना चाहता हूँ। असोथर विकास खण्ड के अन्तर्गत खुर्रम नगर ग्राम सभा पर बहुत दिन से कई बार सदन में भी माँग रख चुका हूँ, वहाँ पर पैचिंग होने का काम हो। दूसरा, गाजीपुर से असोथर मार्ग लगभग 45 से 50 ग्राम सभा और दो जनपदों को जोड़ने वाला मार्ग है फतेहपुर से कौशाम्बी तक। आपका संरक्षण प्राप्त हो जाए, तो वह बन जाए। तीसरी बात मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ कि असोथर नगर पंचायत में अग्निशमन केन्द्र स्थापित होने के लिए जमीन एलॉटमेंट हो गयी है। आपका संरक्षण मिल जाए, तो वह भी स्वीकृत हो जाए। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

क्या मा0 सिंचाई मंत्री जी बोलेंगे ? आप क्या अभी बोलना चाह रहे थे ?

जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर देना चाह रहा था।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, जब ये चर्चा समाप्त होगी, उसके बाद मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री अधिष्ठाता-

मार्शल अभी बीच में एक स्लिप देकर गए हैं, इसलिए मैंने आग्रह किया है।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, पहले मा0 नेता प्रतिपक्ष जी बोलेंगे, उसके बाद मा0 नेता सदन बोलेंगे। आज ही सबको बोलना है। यह सब सवा तीन बजे तक होना है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, साढ़े तीन बजे तक चर्चा के बाद माननीय जी बोल देंगे। बोलने के लिए इधर और आपकी तरफ भी काफी मेम्बर हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी है, वह व्यवस्था लागू रहेगी। कृपया आप लोग बैठें।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, अध्यक्ष जी दो घंटा कह के गए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

जो व्यवस्था अध्यक्ष महोदय जी देकर गए हैं वह व्यवस्था लागू रही है, क्योंकि आप लोग बैठे हैं। श्री जय कुमार सिंह जैकी जी आप अपनी बात शुरू करिए।

(विपक्ष के कई सदस्यों के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, यह लोग गलत कह रहे हैं चर्चा में मंत्रियों का अनुमोदन भी सम्मिलित होता है।

श्री अधिष्ठाता-

जैकी जी आप अपनी बात कहिए। मनोज जी ठीक है आपकी बात आ गई है।

अब आप बैठ जाइए।

कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, सरकार ने चर्चा के लिए सभी को अवसर दिया है किसी भी चर्चा से सरकार भागी नहीं है, यदि अध्यक्ष जी सहमत हो जाएंगे तो समय निर्धारित कर दिया जाएगा। हम चर्चा के लिए तैयार हैं।

श्री अधिष्ठाता-

हां ठीक बात है अभी अध्यक्ष जी आएंगे तो जो भी समय बढ़ाने घटाने की बात है वह तय हो जाएगी। तब तक सदन को व्यवस्थित रूप से चलने दीजिए। जैकी जी आप बोलिए।

***श्री जय कुमार सिंह जैकी-**

मान्यवर, आज आपने मुझे बाढ़ और सूखे पर बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम जिस जनपद से आते हैं वह जनपद गंगा और यमुना के बीच में बसता है। जैसे फतेहपुर जनपद और उसकी बिन्दकी विधान सभा क्षेत्र से मैं विधायक हूँ। जब भी कहीं पर पानी बरसता है कहीं भी गंगा और यमुना का प्रभाव फतेहपुर जनपद पर पड़ता है। हमारी सरकार ने बाढ़ की रोकथाम के लिए बहुत सारा प्रयास पिछले छह सालों में किया है। उसी का परिणाम है कि इस बार फतेहपुर में जब भी गंगा और यमुना में बाढ़ आई है उसमें बहुत से गाँव जो पहले डूब जाते थे उनको बचाने का काम सरकार ने किया है और बाढ़ के कारण पहले जो जिले अव्यवस्थित हो जाते थे उन्हें बाढ़ आने से पहले समय से उनकी व्यवस्था भी किया, टेंट से लेकर सारे सामान को देकर उन्हें व्यवस्थित भी करने का काम किया है, इसलिए मैं सिंचाई मंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को और सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस बार बहुत अच्छा काम किया गया है। इसके बावजूद चूंकि फतेहपुर जनपद दोआबा के बीच बसता है, तो इसमें बहुत सारी नदियां आती हैं। गंगा, यमुना के साथ रिन्द नदी भी है, बांडी नदी है, नोन नदी है, ससुर खदेरी नदी है, बहुत सारी नदियां हैं। आज कृषि मंत्री जी भी हैं, सिंचाई मंत्री जी हैं, तो मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो चेकडैम बनते हैं वाटर लेबल ठीक करने के लिए, चेकडैमों के कारण मैं कई नदियों का उदाहरण दे सकता हूँ कि उन नदियों की आत्मा मर जाती है। चेकडैम के कारण जब भी बरसात का पानी आता है उस पर सिल्ट जमा हो जाती है और सिल्ट जमा होने के कारण चेकडैमों में चूंकि सिल्टों की सफाई सही से नहीं होती है, तो उन नदियों की आत्मा मर जाती है और जो उसके पानी के स्रोत होते हैं वह खत्म हो जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर एक बार इस पर भी ध्यान आकर्षित किया जाए, क्योंकि नदियों का स्वरूप न बदले।

ऐसे बहुत सारे गांव हैं मैं गंगा नदी में कहूँ जैसे जाड़े का पुरवा है, बेनी खेड़ा है, डाली कुंडी है, यह सारे के सारे गांव हैं। इन गांवों में एक दिक्कत है कि वन विभाग के कारण यह गांव लगभग 100 सालों से बसे हुए गांव हैं, लेकिन यहां पर वन विभाग की आपत्ति करने के कारण जो उन्हें गांव में मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए जैसे उस गांव तक सड़क जानी चाहिए, पानी की टंकी बनी लेकिन वन विभाग ने वहां पर पाइप लाइन नहीं डालने दिया, इससे उन गांवों को पानी की दिक्कत रही है। इसके अलावा यह जो नेशनल हाई-वे बना है, जो कानपुर से ले करके इलाहाबाद जाने वाला नेशनल हाई-वे है पहले, बहुत सारे हाई-वे के किनारे से पानी के नाले बने थे। जैसे मलवा इण्डस्ट्रियल एरिया है वहाँ के किनारे-किनारे नाला था, जिससे गंगा नदी तक पानी चला जाता था, लेकिन सिक्स लेन होने के कारण पूरा का पूरा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नाला समाप्त हो गया और हमारे मलवा और तेलियानी ब्लाक में यह हालत है कि जो कैची मोड़ है वहाँ जब पानी बरसता है तो पानी निकलने का कोई माध्यम न होने के कारण लगभग 5 हजार बीघा में पूरी की पूरी भूमि जलमग्न हो जाती है। पिछले साल भी लगभग 5 हजार किसानों की फसलों का नुकसान हुआ था। इस बार भी यही हालत है। जब भी नेशनल हाई-वे बनते हैं, तो व्यवहारिक रूप से पानी निकलने का जो माध्यम होता है वह खत्म हो जाता है। नेशनल हाई-वे वाले केवल अपने हाई-वे का पानी निकालने के लिये नाला बनाते हैं। इसी तरह से फतेहपुर जनपद में मैं कह सकता हूँ कि छिवली नदी से लेकर खागा के बार्डर तक यह समस्या लगातार बनी हुयी है और वहाँ के किसान बहुत परेशान हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ चेकडैम बनने के कारण ससुरखदेरी नदी, जिस नदी को खुदवाने में तत्कालीन जिलाधिकारी कंचन वर्मा जी का बहुत सहयोग रहा था और राष्ट्रपति द्वारा उनको पुरस्कृत भी किया गया है, इसके बावजूद आज 07-08 साल के अन्दर सारे चेकडैमों में पानी भर जाने के कारण और सिल्ट जमा हो जाने के कारण वहाँ के किसान इतना परेशान हैं कि उनकी अब यह माँग है कि इस नदी की पुनः खुदाई करायी जाये । मा0 अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि यह कार्य कराने का भी प्रयास किया जाये। इसी तरह से हमारे क्षेत्र की और भी बहुत सी समस्याएं हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे गाँव आते हैं जैसे हमारे यहाँ एक अमेना झील है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप समाप्त करें। मा0 सदस्य शिव प्रताप यादव जी।

श्री जय कुमार सिंह जैकी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बस एक मिनट और लूँगा। जो अमेना झील है उसमें आने वाले गाँव जहाँ जलभराव होता है उसके कारण भी किसानों को बहुत दिक्कत होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे पम्प कैनाल हैं। फतेहपुर जनपद में एक दपसौरा पम्प कैनाल है, बहादुरपुर पम्प कैनाल है, एक आशापुर पम्प कैनाल है, एक जरौली पम्प कैनाल है। दपसौरा पम्प एक कैनाल का जो कैनाल है सरकार ने वहाँ पर नयी मोटर भी लगायी है, मैं चाहता हूँ कि उसकी लम्बाई 04 किलोमीटर और बढ़ा दी जाये। इसी तरीके से हमारे यहाँ निचली गंगा नहर है। मा0 सिंचाई मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। मैंने कई बार इनसे इस सम्बन्ध में अनुरोध किया है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आप मा0 मंत्री जी से मिलकर भी कुछ बता दीजियेगा। अब आप बैठें। मा0 शिव प्रताप जी, आप अपनी बात शुरू करें।

डॉ0 शिव प्रताप यादव-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि 'तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है। यह आँकड़े झूठे हैं, यह दावा किताबी है'। मान्यवर, मैं अपने जनपद

बलरामपुर तथा श्रावस्ती की बात करना चाहता हूँ। पिछले वर्ष अक्टूबर में बाढ़ आयी थी और हजारों एकड़ जमीन में लगी फसलें नष्ट हो गयी थीं। सैकड़ों घर गिर गये थे, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी थीं और किसान अपनी फसल को मण्डियों तक नहीं ले जा सके थे। तबसे लगभग एक साल हो गया, लेकिन न तो क्षतिग्रस्त सड़कें बनायी गयीं, न उनकी मरम्मत की गयी और जो बन्धे टूट गये थे न ही उनको रिपेयर किया गया। जो घर गिर गये थे उनको मुआवजा नहीं दिया गया। इसके अलावा जो फसलें नष्ट हुयी थीं उनका भी मुआवजा नहीं दिया गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नेपाल तथा सिद्धार्थनगर बार्डर से लेकर जो एरिया है जहाँ पर राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती, धोबड़ा, धोबैनिया, खरझार नाला, धंधिया नाला, सोनहीं नाला, भांभर नाला यह तमाम पहाड़ से निकलने वाले पहाड़ी नदी-नाले हैं और इस समय जो हालात हैं। इतनी नदियों का प्रकोप था, लेकिन सरकार ने एक भी काम नहीं किया। हर गांव में केवल दो-चार लोगों को मुआवजा दे दिया। जब पिछले सत्र में हमने नियम-51 में प्रश्न लगाया तो जवाब आया कि मुआवजा दे दिया गया है। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जांच करा लें कि कितने लोगों को मुआवजा मिला है ? अगर मेरी बात झूठी हो जाये तो मैं यहां सदन में माफी मांगने के लिए तैयार हूँ।

मान्यवर, इस समय डबल इन्जन की सरकार में डबल प्रकोप है। हमारे जनपद बलरामपुर, श्रावस्ती में एक तरफ तो सूखा पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ नेपाल के बन्धों से पानी छोड़ दिया गया हैं। और रापती नदी में बाढ़ आ गयी है। किसान कह रहा है कि हम घर बचायें या सूखे से निपटें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार इसे गम्भीरता से ले। जो बाढ़ की समस्या है उससे निजात पाने का एक ही रास्ता है कि नेपाल सरकार से बात की जाये। वे जब चाहते हैं वहां से पानी छोड़ देते हैं। इस समय बलरामपुर, श्रावस्ती में सूखा पड़ा हुआ है और बाढ़ भी आ गयी। इससे निजात कैसे मिल सकता है ? दूसरी तरफ वहां बन्धे कट गये हैं, तमाम गैप हैं। उनको भी भरना चाहिए। वह काम भी नहीं हो रहा है। जनपद बलरामपुर में हमारी विधान सभा क्षेत्र सिद्धार्थनगर में बसन्तपुर से लेकर पिपरिहाजमुनी तक करीब 10 किलोमीटर का बूढ़ी राप्ती के किनारे गैप है। तटबन्ध नहीं बना है। मामूली बरसात भी हो जाती है तो पूरा बाढ़ का पानी आ जाता है। इसके अलावा अतिक्रमण का मामला भी है जहाँ बलरामपुर जनपद में जो मुख्यालय है वहां पर सवांव नाला है। उसके लिए हमने कई बार लिखा। वह अतिक्रमण के कारण नाला से नाली बन गया है। कहां से पानी जायेगा। अतिक्रमण भी रोका जाये। इसके अलावा पचपेड़वा नगर में जूड़ी कुईया नगर पंचायत का वार्ड है तथा जगदीशपुर वार्ड है। उनके बीच में जो जमीन है, जो किसानों के खेत हैं। एक बार भी पानी बरसता है तो वहां बाढ़ की स्थिति आ जाती है। एन0एच0-730 पर बने पुलियों पर अतिक्रमण कर लिया गया। सत्तारूढ़ दल के लोग हैं। पानी निकलने के लिए जो पुलिया थी वहां पर घर बना लिया गया है। जिससे सैकड़ों एकड़ जमीन

डूब जाती है। मान्यवर, जहां तक सरयू नहर के बारे में बताया जा रहा था। 2022 के विधान सभा चुनाव के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सरयू नहर का उद्घाटन किया था। आज तक सरयू नहर का 50 प्रतिशत काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसे पुल बनाये गये हैं जैसे लग रहा है कि पहाड़ हैं।

(सदस्य डॉ0 शिव प्रताप यादव जी का माइक बन्द कर दिया गया)

***श्री राजेन्द्र कुमार-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सदर विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ। आपने मुझे मानसून सत्र में बाढ़ और सूखा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे क्षेत्र की विशेष पहचान आंवला को वन उपज से निकाल कर कृषि उपज में शामिल किया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं, वन मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

मान्यवर, किसानों और व्यापारियों को एक सुखद अनुभव कराया और शुभ अवसर दिया है वह अपनी उपज को मण्डियों में व्यापारियों को बेच सकते हैं साथ ही साथ वर्षा कम होने के कारण निश्चित रूप से किसानों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है। सिंचाई की माँग अधिक होने के कारण नहरों में पानी आ रहा था, लेकिन पर्याप्त मात्रा में किसानों को नहीं मिला और किसानों को तकलीफ हुई। प्रकृति के प्रकोप से बारिश नहीं हुई, तो लोगों को रोपाई करने के समय अतिरिक्त लोड बढ़ने के कारण निश्चित रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ा था। विद्युत उपकरण के फुंक जाने से सिंचाई करने के लिए किसानों को काफी असुविधा हुई। विषम परिस्थतियों को देखते हुए मैं सदन के माध्यम से यह माँग करना चाहता हूँ कि हमारे किसानों को शासन द्वारा उनकी भरपाई करने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, इस पर सदन और सरकार विचार कर उनको लाभान्वित करे। मैं मा0 मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि पूर्व में हमारे क्षेत्र में बारिश कम हुई दो ऐसे क्षेत्र हैं लोली पपता खान और सुपरक सराय जहां पर बारिश थोड़ी भी ज्यादा हो जाती है, तो जलभराव के होने से जमीने जलमग्न हो जाती हैं और बहुत दुस्वारियों का सामना करना पड़ता है साथ ही साथ मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में किसान भाइयों की समस्या से भी अवगत कराना चाहता हूँ कि नरहरपुर प्रयागराज हाई-वे पर एक कस्बा पड़ता है। रेलवे लाइन के कारण वहां अण्डरपास न होने के कारण हमारे किसान भाइयों को 10-15 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। साथ ही साथ वैसे ही गांव जगेसर जन बाजार है और पठखोली बाजार है और परशुरामपुर है वहां के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निवासी और किसानों को सड़क पर आने के लिए 4-5 किलोमीटर आना पड़ता है। निश्चित रूप से विकास का काम तो हुआ है रेलवे लाईन को डबल ट्रैक बनाया जा रहा है। जो रोडे टूट गयी है और आवागमन का मार्ग काफी कठिन हो चुका है। मैं सदन के माध्यम से माँग करता हूँ और मेरी मांगों को दुरस्त कराकर के हमारे क्षेत्र की जनता व किसानों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायी जाये। मैं देश व प्रदेश की सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूं।

***श्री बेचई सरोज-**

मान्यवर, आपने सूखा और बाढ़ के सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया उसके लिए अधिष्ठाता महोदय, आपका धन्यवाद। पूरे उत्तर प्रदेश में सूखे से किसान तबाही के कगार पर हैं मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के जिले से आता हूँ मेरा आजमगढ़ जिला सूखाग्रस्त है और किसान बहुत बदहाल है मैं विधान सभा क्षेत्र लालगंज से आता हूँ मेरी विधान सभा क्षेत्र से मान्यवर, चार नहरें जाती हैं।

एक नहर खेकवा भगवानपुर से होते हुए गोसाई की बाजार क्रास करती है, एक नहर सरायमोहन से होते हुए हमारे विधान सभा क्षेत्र को क्रास करती है, एक नहर बरदा से होकर मेरे विधान सभा क्षेत्र के बिल्कुल बीच से जाती है, एक नहर बरदा और ज्यूली से होकर जाती है, लेकिन इन चारों नहरों में अब तक पानी नहीं आया है। किसानों ने अपनी लागत पर किसी तरह से धान को लगाने का काम किया है। नहरों में पानी ना आने के कारण उनकी धान की सफल सूख रही है। हमारे यहां पर विद्युत आपूर्ति की दशा बहुत खराब है, ट्रांसफारमर जर्जर है, विद्युत तार जर्जर हैं, वहां पर केवल चार-पांच घण्टे बिजली आती है और जब किसान ट्यूबवेल से पानी लगाने जाता है तब बिजली ट्रिप कर जाती है। किसान बुरी तरह से बेहाल है।

ढ़रान से लालगंज सोफीपुर होते हुए एक ड्रेन पल्हना की ओर जाती है। पहले नहर पूरी तरह से बंद पड़ी थी जिसके कारण 100 ग्रामों की जमीन परती पड़ी रहती थी लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने ड्रेन को अच्छी तरह से साफ कराकर हेड से लेकर टेल तक पानी पहुँचवाने का काम किया था। इस सरकार के समय में नहरों में पानी नहीं जा रहा है जिसके कारण किसान बेहाल और परेशान है। किसानों ने उधार लेकर बोरिंग कराई है लेकिन बिजली नहीं आने के कारण वह अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहा है। हमारे यहां का किसान किसी तरह से खेती करके पेट पालना चाहता है, लेकिन बिजली विभाग के जे0ई0 और अधिशासी अभियन्ता ने किसानों के ऊपर बहुत मुकदमें कर दिये हैं। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे लालगंज विधान सभा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षेत्र के किसानों के ऊपर जो मुकदमें किये गये हैं उनको वापस कराने का कष्ट करें। यहां सदन में कहा जाता है कि प्रदेश में 24 घण्टे और 18 घण्टे बिजली दी जा रही है, लेकिन हमारे यहां पर चार घण्टे और आठ घण्टे बिजली आना दूभर है। हमारे यहां पर बहुत पुराने ट्रांसफारमर लगे हैं जिनकी छह साल से क्षमता वृद्वि नहीं की गई है। किसान जब अपने खेत को सींचने के लिए ट्यूबवेल चलाता है तो बिजली ट्रिप कर जाती है। हमारा किसान बेहाल है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र लालगंज में किसानों के ऊपर बिजली विभाग द्वारा जो मुकदमें लिखाये गये हैं उनको वापस लिया जाये और नहरों में टेल तक पानी पहुँचाया जाये। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया जिसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

***उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती रजनी तिवारी)-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे किसान और बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं सदन के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि किसानों के प्रति योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बहुत गम्भीर और संवेदनशील है। जैसा कि सबको पता है कि कुछ जगह वर्षा ज्यादा हुई जिसके कारण बाढ़ आई और कुछ जगह वर्षा कम हुयी जिसके कारण सूखे की स्थिति हुयी । इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के हित के लिए अनेकों योजनायें चलायी है। जिसके बारे में मा0 कृषि मंत्री जी ने सदन को बहुत विस्तृत रूप से बताया है। सूखे और बाढ़ के लिए किये गये प्रयास के बारे में उन्होंने अच्छे तरीके से बताया है। हमारी सरकार ने किसानों की फसलों की अच्छी पैदावार के लिए उन्हें बीज, खाद के साथ समुचित बिजली और पानी की व्यवस्था की है। फ्री नलकूप की व्यवस्था की । अनेक आवश्यक कृषि उपकरणों पर छूट दी जा रही है ताकि किसान अच्छी तरीके से फसल की पैदावार कर सके। अब किसान खाद के लिए लाइन में नहीं लगता है। वर्तमान में नहरों में टेल तक पानी पहुंचाया जा रहा है। यह सब कार्य मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में संभव हो पाया है।

मान्यवर, सारा विषय आ चुका था लेकिन हमारे बहुत सारे सदस्य अपनी बातों को रख रहे थे। कोई भी विषय ऐसा नहीं था जो बाढ़ या सूखे का हो और उसके विषय में सरकार की बात न आयी हो। लेकिन सभी सदस्यों ने अपने विषय को रखा। हमारे जनपद हरदोई की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। जनपद का क्षेत्रफल काफी बड़ा है। गंगा, रामगंगा व गर्रा जैसी बड़ी नदियाँ हरदोई से गुजरती हैं। नदियों के क्षेत्र में अक्सर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमारा मल्लावां विधान सभा क्षेत्र है, बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र है और मेरी विधान सभा क्षेत्र शाहाबाद भी उसमें आती है। जनपद में प्रमुख रूप से गन्ना,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गेहूँ, धान, आलू, मक्का आदि की खेती होती है। साथ ही हमारे जनपद में तीन शुगर मिल भी हैं। वर्तमान में लोनी, रूपापुर, हरियावां कार्यशील है। हमारे यहाँ सिंचाई के साधन में नहरें, सरकारी नलकूप व निजी नलकूप हैं। जनपद का अधिकतर क्षेत्र सिंचित है। मान्यवर मैं बताना चाहूंगी कि आप सबने अपनी बातों को रखा लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है वह किसानों के लिये संवेदनशील सरकार है। किसानों के हित के लिए काम कर रही है। चाहे कृषि विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो, सभी मिलकर किसानों के हित के लिये काम कर रहे हैं। हमारे जनपद में भी किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिल रही है। नदियों द्वारा होने वाले कटानों को रोकने के लिए तटबंध बनाये गये हैं। छोटे और बड़े पुलों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। हमारे यहाँ हरदोई में अर्जुनपुर में पुल की माँग थी, जब उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारे जनपद में अर्जुनपुर में पुल की माँग को पूरा किया गया है। आज बहुत बड़ा पुल वहां पर बनाया गया है। आपने किसानों के हित में अपनी बात रखी है लेकिन आप निश्चित रहिये प्रदेश की सरकार किसानों के लिये काम कर रही है, प्रदेश की सरकार संवेदनशील है, पूरी तरीके से सजग है और जब श्री मनोज पाण्डेय जी ने अपनी बात को रखा था तो हमारे कृषि मंत्री जी ने उसका जवाब दिया था कि आपके समय पर एम0एस0पी0 क्या थी और हमारी सरकार में एम0एस0पी0 कितनी हो गई। ज्वार में आपके समय में एम0एस0पी0 1250 थी हमारे समय में 2500 हो गई। अरहर की एम0एस0पी0 4350 थी हमारे समय में 7000 हो गई। इसी तरीके से अनेक चीजों में हमने किसानों के हित के लिये काम किया है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिये। हमारी सरकार किसानों के लिये सजग है, संवेदनशील है, जो भी निर्णय उनके हित में है वह निर्णय सरकार लेने का काम कर रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

अधिष्ठाता महोदय, चर्चा का सवा तीन बजे तक का समय है। दो घण्टे की चर्चा थी। काफी लोगों ने बोल लिया। मेरा सबमिशन यह है कि ऊर्जा के सम्बन्ध में भी कई बातें आई हैं तो अब मा0 ऊर्जा मंत्री जी और जल शक्ति मंत्री जी भी अपना जवाब दे देंगे।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

श्री अधिष्ठाता-

अब चर्चा का समय समाप्त हुआ। मा0 ऊर्जा मंत्री जी आप शुरू कीजिए।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अभी चर्चा का समय समाप्त नहीं हुआ है। कल मा0 मुख्य मंत्री जी इसका समापन करेंगे लेकिन 3:15 बजे तक चर्चा निर्धारित की गयी थी।

श्री अधिष्ठाता-

आज के दिवस की चर्चा के बाद मा0 ऊर्जा मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सूखे एवं बाढ़ की परिस्थिति पर आज चर्चा का लगातार तीसरा दिन है और कल चौथे दिन भी यह चर्चा चलने वाली है। इतनी लम्बी चर्चा करने एवं किसानों के हित में व्यवस्था करने के लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 अध्यक्ष जी एवं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ कि इतना समय किसानों के लिए दिया गया है। विपक्ष ने ऊर्जा को लेकर कई बातें कहीं हैं। कल मा0 सदस्यों ने और आज भी कई मा0 सदस्यों ने कई चिन्ताएँ जाहिर की हैं। मैं कुछ आंकड़ें देकर इस बात की स्पष्टता करना चाहूँगा। जो बिजली की पीक डिमाण्ड होती है जिसमें शाम के वक्त एवं रात में बिजली की डिमाण्ड पीक पर जाती है। वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक का एवरेज 13,000 मेगावाट था। हमारी इस बार पीक डिमाण्ड 28,800 मेगावाट के ऊपर गयी है। इतना ही नहीं, मैं विपक्ष के मा0 सदस्यों से एक बात और कहना चाहूँगा और वह नोट करके रख लें कि आपके समय की वर्ष 2016-17 सबसे बड़ी पीक डिमाण्ड 16,110 मेगावाट की थी और हमारी कल रात की लोवेस्ट डिमाण्ड है, अधिकतम 25, 26, 27 एवं 28 चल ही रही है लेकिन हमारी जो सबसे कम डिमाण्ड चल रही है वह भी आपके उस समय की अधिकतम डिमाण्ड से ज्यादा चल रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम कल रात की बात करें तो हमारी 16,494 मेगावाट सबसे लोवेस्ट डिमाण्ड थी। जो आपकी अधिकतम डिमाण्ड से भी ज्यादा है। हमारे विपक्ष के नेता चले गये हैं और हमारे माननीय जी बैठे हुए हैं। जनपद गाजीपुर एवं आजमगढ़ के कई मा0 सदस्यों ने इस बात की चिंता व्यक्त की है कि ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं, बिजली सिर्फ 4-8 घण्टे ही आ रही है लेकिन उन्हीं में से मा0 राजा भैय्या जी ने भी कहा है कि बिजली 16 घण्टे या 18 घण्टे आ रही है, इस चर्चा में न पड़ा जाए। जब मा0 राजा भैय्या जी बोल रहे थे तो स्वाभाविक रूप से वह जनपद प्रतापगढ़ जैसे ग्रामीण जिले की बात कर रहे थे तो हमारा ग्रामीण जिलों में 18 घण्टे बिजली देने का पूरा प्रयास है।

हमारी कई बार अच्छी बातें भी शोरगुल में दब जाती हैं। मैं इस सदन को एक आंकड़ा बहुत विनम्रता से देना चाहूँगा कि पूरे देश में वर्ष 2022-23 में 15.11 लाख मिलियन यूनिट बिजली की खपत हुई है और उसमें से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में 12 प्रतिशत के

आस-पास बिजली की खपत हुई है लेकिन दूसरे नम्बर पर 9.5 प्रतिशत बिजली की खपत उत्तर प्रदेश राज्य में हुई है। पूरे देश में जो बिजली की खपत एक साल में हुई है उसमें उत्तर प्रदेश राज्य दूसरे नम्बर पर है। अगर यही चलता रहा तो शायद हमारी खपत महाराष्ट्र राज्य को पार करके हम बहुत जल्दी पहले नम्बर पर पहुंच जायेंगे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र का जो पीक वर्ष 2022-23 का था वह 28,846 मेगावाट था, उस पीक तक ऑलरेडी हम लोग पहुंचने वाले हैं। हमारी जो पीक डिमाण्ड चल रही है वह 28,284 मेगावाट है। कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र चूंकि ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक नगर है इसलिए वहां डिमाण्ड ज्यादा रही और अब हम उस डिमाण्ड की तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए यह कहना कि बिजली की व्यवस्था खराब है, बिजली नहीं मिल रही है, ठीक नहीं है। यह जरूर है कि स्थानीय व्यवधान आते हैं, हमारे जो 24 घंटे शहरों एवं 18 घंटें ग्रामीणों को बिजली देने की जो व्यवस्था है उसमें स्थानीय व्यवधान आते हैं।

मान्यवर, हमारे कई मा0 सदस्यों ने ट्रांसफार्मर की बात कही कि ट्रांसफार्मर कम हैं या नहीं है, लगाने में बहुत समय लगता है, किसानों के नलकूपों की बात की गयी। मैं इसके बारे में भी कुछ आंकड़े देना चाहूंगा कि वर्ष 2017 अप्रैल तक इस राज्य में 10 लाख 65 हजार नलकूप कनेक्शन दिये गये। 70 साल की सारी सरकारें जिसमें सामने बैठे सभी दल आ जाते हैं, सारी सरकारों ने मिलकर 10 लाख 65 हजार नलकूप कनेक्शन दिये हैं और उसमें माननीय योगी जी के मात्र 06 साल के शासनकाल में वे कनेक्शन बढ़कर 14 लाख 65 हजार हो गये हैं तो कहां 70 साल का 10 लाख और कहां 06 साल का 04 लाख। किसानों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश की जमीन नहीं बढ़ी है लेकिन नलकूपों की संख्या इतनी तेजी से हमने बढ़ोत्तरी की है। इतना ही नहीं, ट्रांसफार्मर की संख्या देखें तो अप्रैल, 2017 तक, आजादी के 70 साल के अंदर, सारी पार्टियां यहां बैठी हुई हैं, तीन-तीन पार्टियां विशेष रूप से कांग्रेस, सपा और बसपा के शासन में मात्र 12 लाख ट्रांसफार्मर लगाये गये थे और मा0 योगी जी की मात्र 06 साल की सरकार में 14.36 लाख ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं मतलब जो 70 साल में लगे उससे भी लगभग अढ़ाई लाख ज्यादा ट्रांसफार्मर लगे। सिर्फ एक और सवा साल की बात करूं तो लगभग एक लाख ट्रांसफार्मर मात्र अप्रैल, 2022 से अप्रैल, 2023 तक लगाये गये हैं। हमारी जो काम करने की स्पीड है बहुत ज्यादा है। जो 60-70 साल में नहीं हुआ उन कामों को हम कर रहे हैं और आपसे दस गुना, छः गुना ज्यादा स्पीड से कर रहे हैं इसलिए स्थानीय परिस्थिति को इतना धूमिल करके मत बताइए, इतनी भी समस्या नहीं जितनी आप लोग बातें कर रहे हैं। स्पेसिफिक बात करूं तो आजमगढ़ के मा0 विधायक दुर्गा जी ने, लालगंज के विधायक जी ने और गाजीपुर के भी एक विधायक जी ने कहा कि ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, बदले नहीं जाते हैं। आजमगढ़ और गाजीपुर का मैं आपको कुछ आंकड़ा देना चाहूंगा।

जुलाई महीने में गाजीपुर में 854 ट्रांसफार्मर बदले गये हैं सिर्फ एक महीने की मैं बात कर रहा हूँ। आजमगढ़ में 850 ट्रांसफार्मर मात्र जुलाई महीने में बदले गये हैं। इस महीने के एक हफ्ते अर्थात् पहली तारीख से सात तारीख तक का मैं फिगर देना चाहूंगा कि गाजीपुर में 236 ट्रांसफार्मर बदले गये हैं और आजमगढ़ में 200 ट्रांसफार्मर बदले गये हैं। इस स्पीड के साथ काम हो रहा है, लेकिन समस्या यह है कि विपक्ष के मा0 नेता और चाचा जी अभी यहां पर हैं नहीं, कल मा0 वित्त मंत्री जी ने कहा था कि उनकी बात का संज्ञान लीजिएगा। हमारे भी मा0 चाचा जी हैं, हमारी गलतियों को माफ करेंगे अगर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो। माफ करने का उनका स्वभाव है, छोटों को वे माफ कर देते हैं। वह मऊ की बात कर रहे थे कि मऊ जिले में भी व्यवस्था अच्छी नहीं है।

मैं बड़ी विनम्रता से इतना जरूर कहूँगा कि हम पूरे राज्य में जो व्यवस्था करते हैं, वही व्यवस्था हमारे मऊ जिले की भी होती है। हम पूरे राज्य में जो व्यवस्था करते हैं, वही व्यवस्था हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के गोरखपुर जिले में भी होती है, वही व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के वाराणसी जिले में भी होती है। हम किसी जिले के लिए अलग कोई व्यवस्था नहीं करते हैं और अधिष्ठाता महोदय, व्यवस्था यह है कि शहरों में हम 24 घण्टे दे रहे हैं, तहसील मुख्यालय पर 21-22 घण्टे दे रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जैसा राजा भैय्या ने कहा, 18 घण्टे दे रहे हैं, अगर उसमें कहीं कोई कमी रह जाती है, तो हम उसे भी पूरा करने का प्रबन्ध करते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक और बात जो इटावा और सैफई से हमने देखा और सीखा, वह यह था कि एक ही गाँव तक बिजली तो जाती थी, लेकिन चेकिंग नहीं होती थी, न चोरी मानी जाती थी, न कोई बिल देता था। जब बिल ही नहीं बनता था, तो चेकिंग का कोई सवाल ही नहीं और वही माडल शायद पूरे राज्य में लगा दिया गया था, लेकिन बिजली ही नहीं थी, 12 हजार मेगावॉट ही बिजली जाती थी, आज 28 हजार मेगावॉट जा रही है। हम पूरे राज्य को बिजली दे रहे हैं, इसलिए हम बिजली का बिल भी माँग रहे हैं। आप न बिजली देते थे, न बिल माँगते थे, न बिजली आती थी और न बिजली जाती थी । इसलिए उस समय में और अभी में कोई तुलना नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि जहाँ कहीं कठिनाई आयेगी, शिकायत आयेगी, फरियाद आयेगी, हम उस पर अवश्य ध्यान देंगे।

अधिष्ठाता महोदय, बाढ़ की एक बात अब मैं यहाँ बैठे हुए माननीय सदस्य लोगों से कहना चाहूँगा और अपने विभाग की ओर से एक निवेदन भी करना चाहूँगा। पिछली बार भी यह अनुभव में आया और इस बार भी कहीं-कहीं अनुभव में आया, आगे भी यह परिस्थितियाँ आ सकती हैं। जब बाढ़ आती है, तो बलरामपुर, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, इस तरह के तराई के क्षेत्रों में कई जगह हमारे सब-स्टेशन बाढ़ में डूब जाते हैं। इसमें हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने-अपने क्षेत्रों में देख करके, समय रहते मैंने अपने विभाग को भी यह

सूचना दिया हुआ है कि इन सब-स्टेशनों पर कैसे हम ऊँचे स्थलों पर ट्रान्सफर कर दें या कैसे हम उनको सुरक्षित कर लें, इसमें यदि आप हमारी मदद करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। जहाँ तक सूखे से निपटने की बात है, अधिष्ठाता महोदय, तो यह बात जैसा मैंने पहले भी कहा है, वह पूरी तरह से हमारे संज्ञान में है, हम लोग उसके लिए दिन-रात लगे हुए हैं। बिजनेस प्लान में इस वर्ष के और उसमें भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के फीडर पर जल्दी काम करने की हमने सूचना दी है।

माननीय वित्त मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से हमारे पास पैसा भी है और लगभग 1268 करोड़ रुपये के काम ऑलरेडी हमारे बिजनेस प्लान में चल रहे हैं। उसी प्रकार हमारी आर0डी0एस0एस0 योजना में लगभग 13 हजार करोड़ रुपये के काम भी मंजूर हैं और वह भी विभिन्न स्थलों पर चल रहे हैं। आप लोगों से मैंने कई बार कहा भी है, आप भी उस पर निगरानी रखिए, वह काम जल्दी से सम्पादित हों, जल्दी से धरातल पर उतरें, इसके लिए आप भी हमें मदद करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ट्रान्सफार्मर अपग्रेड की जो बात हो रही है, जुलाई महीने में 3692 ट्रान्सफार्मर अपग्रेड हुए हैं। इस साल के 04 महीनों की यदि बात करूँ तो लगभग 5300 ट्रान्सफार्मर को अपग्रेड किया गया है। 33872 ट्रान्सफार्मर मात्र जुलाई में रिप्लेस किए गए हैं। अगर 04 महीनों की मैं बात करूँ तो लगभग 01 लाख, एक्जेक्ट आँकड़ा 95 हजार है, लेकिन 01 लाख ट्रान्सफार्मर हमारे रिप्लेस किए गए हैं। खम्भे बदलने का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। लगभग 85 हजार खम्भे बदले गए हैं, केबिल बदलने का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है, 25 हजार किमी0 केबिल लगभग 20 हजार गाँवों में हम लोगों ने बदला है। इस प्रकार किसान, गाँव और खेतों के लिए पूरी तरह से आक्रामक ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। एक चीज और जहाँ कृषि के फीडर अभी अलग नहीं किए जा सके हैं, हमारे पास पूरे प्रदेश में ऐसे कुल 21 हजार फीडर हैं।

पूरे राज्य में हमारे पास कुल 21 हजार फीडर हैं उनमें से 51 सौ फीडर ऐसे हैं जहां पर कृषि का भार ज्यादा है, 30 प्रतिशत से ज्यादा जब कृषि का भार होता है, तो उसे हम कृषि फीडर भी कहते हैं, उनमें से लगभग 27 सौ फीडर हमने अलग कर दिए हैं। गर्मी का सीजन देखते हुए जब यह परिस्थितियां खड़ी हुईं कि गर्मी के चलते विद्युत की माँग बढ़ रही है और हम विद्युत सप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर रहा है और स्थानीय व्यवधान आ रहे हैं, तो उन दिनों में 17 जून को हमारे निर्देश से यू0पी0पी0सी0एल0 ने एक सूचना दिया था कि 18 घण्टे बिजली देने का जो प्राविधान है, उसमें स्थानीय कारणों से अगर कुछ घण्टों की कमी आती है, तो उस कमी को हम पूरा करेंगे। जैसे बिजली कट करने का छः घण्टे रोस्टर का जो समय है उसमें से हम तीन घण्टा ही कट करेंगे अगर तीन घण्टा

हमने पूरा नहीं किया है, तो इस प्रकार की सूचना हमने 17 जून को ऑलरेडी जारी किया है। आप सबकी भावनाओं को देखते हुए कल-परसों से मैं बातें सुन रहा हूँ आप सबकी सेवा में, जनता की सेवा में आज हमने यह भी निर्णय लिया है कि जो एग्रीकल्चर फीडर अलग किए गए हैं उनमें से दस घण्टे बिजली देने की व्यवस्था हमने मा0 अधिष्ठाता महोदय किया था उसमें भी आज से वह सूचना हमने लागू कर दिया है और यह कहा है कि अगर उस दस घण्टे के दरमियान अगर कोई स्थानीय व्यवधान आता है दो घण्टे, तीन घण्टे का तो हम उस व्यवधान के समय को पूरा करके टोटल दस घण्टा मिनिमम जो है हम कृषि के फीडरों को आज से बिजली देंगे ऐसा निर्णय हमने आज ले लिया है और सबको हमने सूचना दे दिया है और तीसरी बात कृषि में तनाव को देखते हुए हमने यह भी कहा है कि हमने जैसे बिजनेस प्लान की बात किया, आर0डी0एस0एस0 की बात किया यह सारे जो हजारों करोड़ रुपए के जो काम चल रहे हैं उसमें हमने यह भी सूचना दिया है कि कृषि के फीडरों को या जिन फीडरों पर कृषि का भार ज्यादा है या जहां पर कृषि से सम्बन्धित लाइन और फीडरों में कोई समस्या हो उसके मजबूतीकरण के लिए जो काम हो उनको प्राथमिकता दी जाए, जिससे कि कृषि क्षेत्र में जो तनाव है उसको हम दूर कर सकें। एक चीज और हम अन्त में कह करके अपनी बात पूरी करूंगा कि किसानों को यह बात मैंने पहले भी कही है, किसानों को सोलराइजेशन की तरफ सौर ऊर्जा की तरफ ले जाना शायद उनके भी हित में है, राज्य के भी हित में है, हमारे हित में भी है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भी हित में है और उसमें अधिष्ठाता महोदय हमने अनुसूचित जनजाति, वन टांगिया और मुसहर जैसी सबसे पिछड़ी जो जातियां हैं उनके लिए सौ प्रतिशत सब्सिडी का हमने प्रावधान किया है। हमने अन्य लोगों के लिए सिंचाई के पम्पों के लिए लगभग 90 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया है इसलिए किसानों को भी सोलर की तरफ, सौर ऊर्जा की तरफ ले जाने के लिए हम पूरे सदन के सभी सदस्यों से मैं दर्ख्वास्त करता हूँ कि उनको यह बात आप समझाओ जितना वह अधिक से अधिक कर पाएंगे वह अच्छा होगा और मैं चाहूंगा जिस प्रकार किसान अपनी गाय से दूध निकालता है, अपने खेत से फसल निकालता है उसी प्रकार अपने खेत से वह सौर ऊर्जा भी पैदा करे उसके लिए भी वह सौर ऊर्जा काम आएगी और अगर उसके पास सौर ऊर्जा बची होगी तो वह उसको बेच करके किसान की आमदनी भी बढ़ाने में सहायक होगी। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि विद्युत की माँग को देखते हुए क्या प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोई पावर हाउस नहीं लगाया है और नहीं लगाया है तो क्या पावर हाउस लगाने का विचार कर रही है। मान्यवर, यह सदन में भी बात

आई है कि छापेमारी से लोगों को एक तरह से परेशान किया जा रहा है, तो मा0 मंत्री जी जो छापेमारी चल रही है उसके सम्बन्ध में कोई कड़ा निर्देश देंगे जिससे कि कोई परेशान न हो। मान्यवर, मा0 मंत्री जी कुछ बताना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कल मुख्य मंत्री जी सब बता देंगे। मा0 सिंचाई मंत्री जी अब आप बोलें।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय,

''काम करने के लिये जुनून चाहिये, आत्मविश्वास, रगों में खून चाहिये
कि आसमां भी आयेगा जमीं पर, बस इरादों में योगी जैसा जुनून चाहिये।''

मा0 शिवपाल जी भी नहीं हैं, मा0 लालजी वर्मा जी भी नहीं हैं, मा0 ओम प्रकाश सिंह भी नहीं हैं। कल पेपर में और छपवा दिया जबकि हमारी ड्यूटी मा0 सुरेश खन्ना जी ने उधर लगा दी थी। वहां पूरा जवाब देना था और मैं वहां पूरा अन्तिम समय तक बैठा रहा और यहां मा0 ओम प्रकाश सिंह जी ने अनुपस्थित का पेपर लगा दिया। आज अमर उजाला में छपा है कि कल स्वतंत्र जी सदन में उपस्थित ही नहीं थे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

और भी खबरें छपी हैं, शाही जी का बयान भी छपा है।

***श्री स्वतंत्र देव सिंह-**

कल मा0 शिवपाल जी, अच्छा विषय रख रहे थे। कह रहे थे कि 7 साल में हुआ क्या है ? वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक कुल 08 सिंचाई की परियोजनाओं को पूर्ण कर 1 लाख 95 हजार 996 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हुई जिससे 1 लाख 70 हजार 80 कृषकों को लाभ प्राप्त हुआ। वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक 85 सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण कर 23 लाख 19 हजार 945 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हुई है और 46 लाख 88 हजार 417 किसान लाभ प्राप्त किये हैं। आगामी वर्षों में 10 परियोजनाओं को पूर्ण कर 19 बांधों का पुनरोद्धार कर 3 लाख 27 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया जायेगा जिससे 6 लाख 83 हजार किसान लाभ प्राप्त करेंगे, मा0 ओम प्रकाश जी आ गये हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि कल मेरी उधर ड्यूटी लग गई थी। मान्यवर, जो नहरों की सफाई का काम होता था वह 29,000 किलोमीटर की लम्बाई में वर्ष 2017 के पहले सफाई का काम होता था आज प्रति वर्ष सफाई 50 हजार 769 किलोमीटर हो रही है। रोस्टर के बारे में चर्चा हो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रही थी कि अंग्रेजों के समय का रोस्टर बनता है। नहर संचालन हेतु वर्तमान समय में किसानों की आवश्यकता और फसलों के प्रकार और जल की उपलब्धता के अनुसार प्राविधान करते हैं। रोस्टर संशोधित किये गये हैं और रोस्टर कृषि अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता और जिलाधिकारी के अनुमोदन से लागू होता है। इधर तीन वर्षों में जो आपके द्वारा कहा जा रहा था कि एक नहर भी नहीं बनी। तीन वर्षों में राज्य सरकार के द्वारा मध्य गंगा नहर द्वितीय चरण में 120 नहरें और सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत 91 नहरें और बेतवा नहर परियोजना में 33 नहरों का निर्माण हुआ है, इस तरह से तीन वर्षों में कुल 244 नहरों का निर्माण कराया गया है। वर्ष 2017 में अधिकतम 5120 क्यूसेक नहरें चलती थीं, जो कि अगस्त, 2023 में 8,500 क्यूसेक चलाई जा रही हैं। मजे की बात है ओम प्रकाश जी, कल गाजीपुर के बारे में बोल रहे थे पम्प नहर गहमर (पश्चिम), पम्प नहर गहमर (पूर्वी), पम्प नहर राजमल बाँध, पम्प नहर सायर, पम्प नहर बरेली, पम्प नहर अमोरा, पम्प नहर देवल यह सभी पम्प नहर सिचांईरत् हैं और आपने भी हमारे एक्स0ई0एन0 के साथ दौरा किया है।

फोटो जबरदस्त है, और यह पम्पें चल रहे हैं, यह रंगाई-पुताई । यह टेल की स्थिति है। आप ही की बदौलत सिंचाई विभाग चल रहा है। यह अच्छी बात है। मैं ओम प्रकाश जी को बधाई देना चाहता हूँ कि अपने विधान सभा क्षेत्र में कम से कम किसानों के लिए चिंता कर रहे हैं। यह अधिकारी भी हमारा सहयोग कर रहा है और कितनी सुन्दर रंगाई-पुताई बनी हुई है। यह भाई साहब जहां गये थे। यह बता नहीं सकता, यह भी फोटोग्राफर हैं।

(कुछ सदस्य के टोका-टाकी करने पर)

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

मेरे भाई, आप रुको न मैं टेल तक आ रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, कृपया बीच में न बोलें।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

एक मिनट में बता रहा हूँ। मा0 शिवपाल जी यहां है नहीं, आप फोन करके पूछ लीजिए। उनके सभी टेलों को मैंने चेक किया, प्रधानों को रात में ही फोन किया। प्रधान कह रहे थे कि अब पानी बन्द करिए, ज्यादा पानी आ गया है और यह मा0 शिवपाल जी से आप पूछ सकते हैं। मा0 ओम प्रकाश भाई साहब ने टेल फीड की बात की थी, कुल टेल 306 हैं। 293 टेल फीड हैं। कारण क्या है, सपा शासन में इस प्रकार की कुछ नहरें जबरदस्ती निकाल दी गईं, ऐसे विधान सभा क्षेत्र में बढ़ा दिये। पानी की क्षमता न देखने की बजाए, अपना जो

कहा वहीं खोद दिया। अब वहां तक पानी पहुँचाना और उन नहरों की सफाई करना हमारे लिए मुसीबत है, क्योंकि मैं अपने टूर में एक टेल का दौरा जरूर देता हूँ। टेल तक जाऊँगा पैदल, पहले नहीं कर पाता था, लेकिन टेल तक टूर देता हूँ, इसलिए मैं टेल देखने जाता हूँ। अपने मा0 राजा भइया ने बोला, उनके यहां कुल टेल 73 हैं, टेल फीड 70 हैं और मानिकपुर रजवाहा की जो उन्होंने बात की, वह 35.30 किमी0 का है। पानी पहुँचा है 27.30 किमी0 तक और अगले 3 दिन में टेल को हम छू लेंगे।

(कुछ सदस्य के टोका-टाकी करने पर)

अभी नहीं, अभी कहां, अभी कहां पहुँचे, सिंचाई विभाग है, छोटा-मोटा है। यह शिवपाल जी भाई साहब का है, प्रधान सहित मैंने जानकारी मंगायी है, हर टेल की। मैंने अवधेश जी के लिए भी जानकारी मंगायी है। यह आजमगढ़ के दुर्गा जी भाई साहब चले गये, इनके टेल हैं 28, प्रधानों तक की सूची मंगायी है। हर टेल को फीड किया है। राकेश जी आपका नहीं बताऊँगा, आपका रखा है, आपका भी मंगाया है प्रधानों की सूची है। अधिष्ठाता महोदय, प्रधान सहित हमारी टेल समिति है, हैलो टेल है।

टेल पर आप अपने ट्यूबवेल पर भी वह चौपाल लगवा रहा है, उसका फोटो हमें चाहिए। जे0ई0 को स्पष्ट निर्देश है कि हर ट्यूबवेल पर चौपाल लगना चाहिए। जो 8, 10, 15 किसान उससे लाभ लेते हैं, वह मीटिंग में आयें महीने में एक बार कम से कम, कोई कमी आये तो बतायें। यह भी संस्कृति बदल गयी है, एक भी ट्रांसफर, एक भी ठेका मंत्री के कहने से नहीं होता है, न मंत्री ने किसी को दिया, सवा साल में। एक ठेका के लिए फोन एक ट्रांसफर के लिए फोन। यह ऑनलाइन ट्रांसफर जितने हुए हैं, अधिशासी अभियन्ता, यही योगी सरकार है, पूरा ऑनलाइन स्वेच्छा के आधार पर हुआ है। यह सब जितना हुआ है, यह मुरादाबाद के अपने मा0 विधायक जी का भी पूरा है।

हमारे सभी ट्यूबवेल की सिंचन क्षमता, ये जो लघु सिंचाई है, संकल्प-पत्र हमारा 2022 में, माननीय योगी जी के शासन में 5 वर्षों में कुल 16, 18, 936 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया है। 15-20 वर्षों के पूर्व के लागत के आधार पर उथले नल, जो 30 मीटर की बोरिंग सामान्य श्रेणी के किसान हेतु अधिकतम अनुदान 7000, अनुसूचित जाति-जनजाति के लाभार्थी कृषकों को रु0 10,000 अनुमन्य था जिसको मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत बढ़ाकर प्रदेश सरकार ने 15,000 को 19,000 किया। मध्यम गहरे को 30 वाला 60 से 90 निर्माण के विद्युतीकरण सहित अनुमानित दर 1.78 लाख को बढ़ाकर 2.75 लाख किया और 3.47 लाख सभी राज्य के अन्दर किया गया है। एक चीज और हो गया है, 6 मीटर व्यास से 15 मीटर की गहराई से ब्लाक बन रहे हैं, जो पहाड़ी इलाके थे उनका भी 10 लाख का टेण्डर होता है। यहां तक कि जो चेकडैम बन रहे हैं वहां का जल

स्तर ऊँचा हो रहा है। 3,75,080 उथले नलकूप का निर्माण हुआ है, 5,077 मध्यम गहरे नलकूप का निर्माण हुआ है, 250 चेकडैमों की मरम्मत हुई है।

शारदा सहायक संगठन, नहरों में पानी की व्यवस्था, शारदा सहायक संगठन, सिंचाई खण्ड अयोध्या, सिंचाई खण्ड टाण्डा, अम्बेडकरनगर द्वारा जनपद अम्बेडकरनगर में सिंचाई व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त दोनों खण्डों के अन्तर्गत जनपद-अम्बेडकरनगर में कुल 130 टेल हैं, जिसके सापेक्ष समस्त टेलों का वर्तमान खरीफ फसल में एक बार टेल तक कराया जा चुका है। वर्तमान में नहरें रोस्टर के अनुसार अपनी पूर्ण क्षमता से संचालित हैं। उपरोक्त 130 में से पुनः 115 टेलों को फिट कराया गया है, 15 टेल नहीं हो पायी हैं। माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी, उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-सिद्धार्थनगर की प्रभावी मुख्य नदियां एवं बड़े नाले क्रमशः राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बाणगंगा, कुड़ा घोघी नदी तथा जमुआर और तेलार नाले हैं। इसके अतिरिक्त भी जनपद में दर्जनों नाले जैसे -सोतवां, बुद्धा, सिकरी, पारसी, एकरारी, फजिहतवा, परिगवां आदि हैं, जिनका पानी उपरोक्त नदियों/नालों में प्रवाहित होता है। ऐसे तो पूरा जनपद ही बाढ़ से प्रभावित होता है, परन्तु राप्ती, बूढ़ी राप्ती एवं कुड़ा नदियों के बीच के हिस्से में जलप्लावन हो जाता है। जनपद में विभिन्न नदियों पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए 33 तटबन्धों का निर्माण कराया जा चुका है। जिनकी लम्बाई 454.62 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में कल माननीय शिवपाल जी बोल रहे थे कि बाढ़ के एक काम भी नहीं हुए हैं। 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में सुरक्षा की दृष्टि से लगभग 982 तटबन्ध बने हैं, ये कह रहे थे कि एक भी नहीं बना। अब तक 293 परियोजनायें पूर्ण हो गई हैं। यह सबसे अच्छा है कि उनको 15 जून तक कम्प्लीट करना पड़ता है और 75 प्रतिशत सभी परियोजनायें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन जहाँ पर संवेदनशील है, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, गोरखपुर, सन्तकबीरनगर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ ये जितने संवेदनशील जिले हैं, इन सभी जिलों का मैं भ्रमण स्वयं करता हूँ। एक-आध साइट पर मैं औचक निरीक्षण पर जाता हूँ और आप भी सभी परियोजनाओं को अपनी-अपनी विधान सभा क्षेत्र में देख सकते हैं। एक भी परियोजना एडजेस्टमेंट नहीं हो सकती है, योगी सरकार में। 293 परियोजनाओं में मैं कह सकता हूँ कि 21 नहीं तो 20 भी नहीं होगा, 19 नहीं हो पायेगा और यहाँ तक कि मैं टेण्डर का रेट भी मँगाता हूँ कि टेण्डर का रेट कितना बिलो गया है, कितना एडजेस्टमेण्ट है, यह मैं मँगाकर देखता हूँ। कभी-कभी सम्पूर्ण राज्य का टेण्डर देखता हूँ कि कहाँ समझौता हो रहा है, कहाँ मिला है, इसको भी चेक करता हूँ। ठीक है, आप सभी का विषय आया है और जो सुझाव आये हैं, उसे मैं ईमानदारी के साथ पूर्ण करूँगा और पूरा प्रयास करूँगा कि टेल तक पानी पहुँचाने में माननीय योगी जी की

सरकार में मैं सक्षम हूँ और उसे पहुँचाने की कोशिश करूँगा और बाकी भी सुझाव होंगे तो आप दे दीजिएगा।

***श्री ओम प्रकाश-**

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने नाम लिया है और आपने पढ़ा भी है। माननीय मंत्री जी, मैं एक-एक नहर का दौरा करता हूँ, रात को भी करता हूँ और दिन में भी करता हूँ। माननीय मंत्री जी, आप दो बार गाजीपुर गये हैं, ठीक है कि गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं जीता है। किसी जनप्रतिनिधि को जो विधायक है, कभी उन जनप्रतिनिधियों को बुलाया नहीं जाता है। यह पहली बार हो रहा है और ऐसा लगता है कि हम लोग हिन्दुस्तान से जनप्रतिनिधि हैं ही नहीं और हम लोग उत्तर प्रदेश के मानक में नहीं आते हैं। जब हम लोग आप से मिलेंगे और वह अधिकारी जो आपकी जी हुजूरी में है, उनकी हम बुराई नहीं करेंगे। वह अपनी कमी को उजागर करते हैं। आपने कहा मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन माननीय मंत्री जी मैं बहुत भारी मन के साथ कह रहा हूँ कि जो कर्मनाशा है, आप तो मिर्जापुर के रहने वाले हैं। ठीक है, कार्यक्षेत्र कहीं और है, वासी कहीं और हो गये और रह कहीं और रहे हैं। लेकिन मैं एक जरूर निवेदन करूँगा कि मेरे वहाँ 9 लघु लिफ्ट कैनाल हैं और जो जमानिया है, मा0 मंत्री जी मैं कम से कम दसों बार रात को गया हूँ, आपके एक्स0ई0एन0, जे0ई0, ए0ई0 के बारे में बताऊँ इस बाढ़ के समय में भी न जे0ई रहता है, न ए0ई0 रहता है और न एक्स0ई0एन0 रहता है। आप अपने गोपनीय तरीके से पता कर लीजिए, यदि रहता होगा और मेरी बात झूठ होगी तो आप चैम्बर में बुला लीजिएगा, मैं क्षमा माँग लूँगा। माननीय मंत्री जी, आपकी नीयत पर नहीं, इन लोगों की कार्यशैली पर मेरी उँगली है, ये ऐसे घोड़े हैं, जो घुड़सवार को पहचानते हैं, इन अधिकारियों को आप नहीं जानते हैं, हम लोग भी आते हैं तो इतनी अच्छी-अच्छी बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि इनसे सुन्दर कोई है ही नहीं। राम राम कहने वाला हनुमान भक्त ही नहीं होता, कालनेमि भी होता है। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी किसी टेल पर अपने वहाँ से टीम भेज दीजिए, इंजीनियर इन चीफ यहाँ रहते हैं। माननीय शिवपाल जी भी थे, उमाशंकर जी थे, मैंने कहा कि ट्यूबवेलों की हालत क्या है।

मान्यवर, बिगड़े हुये माहौल में मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि इनको जरा ठीक करिये। जब आप जिले में जाइये तो खुदा न खास्ता एक कप चाय पर हमें भी बुलाइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय ओम प्रकाश जी बहुत सीनियर सदस्य हैं। आपका नाम लोग सुबह-सुबह उठते ही लेते हैं, आपका नाम ओम है, ओम का नाम भगवान का नाम है। आपका

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नाम न लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपका नाम हर सांस में निकलता है। जहाँ तक आपके जिले में जा करके बात करने की, अब हम जायेंगे तो आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। यह हम आपको आश्वस्त करते हैं।

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, आप शब्दों की बाजीगरी नहीं करते। आप मन की बात कह रहे हैं, दिल की बात नहीं कह रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने कहा न, मैं जाऊंगा तो आपको जरूर सादर आमंत्रित करेंगे।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

मान्यवर, आपने सही कहा जो जे0ई0, ए0ई0 हैं वह रुकते नहीं है। उसी कारण मैं स्वयं जाता हूँ और देखता हूँ। मैंने अब रजिस्टर भी जारी कर दिया है कि जे0ई0 अपनी ड्यूटी और साइन भी करेगा। एक महीने के अन्दर मैंने चार एक्स0ई0एन0 को सस्पेंड किया है। आपके यहाँ एक्स0ई0एन0 को नोटिस दे करके आया था। मैं गाजीपुर में देखने गया था वास्तव में वहाँ पर जब कमरे में देखने गया तो वह कमरा रुकने लायक नहीं था।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैं पूरे सदन का आभारी हूँ कि जिन्होंने मानसून के विलम्ब से आने के कारण, उत्तराखण्ड, हिमांचल प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण, कुछ क्षेत्रों में जल जमाव और बाढ़ के ऊपर चर्चा में भाग लिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने सभी मंत्रियों को आदरणीय ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा जी, सिंचाई मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री बल्देव सिंह औलख जी को अभी माननीय रजनी तिवारी जी इस पर पार्टीसिपेट कीं, श्री लालजी वर्मा जी, ओम प्रकाश सिंह जी, राजीव गुम्बर जी, राजेश चौधरी जी, शिवपाल यादव जी हमारे सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में विशेष रुचि ली है। यह बात सही है कि पहले आपके समय में बहुत बिगड़ा हुआ माहौल था जैसा ओम प्रकाश सिंह जी ने कहा है। अब बिगड़ा हुआ जमाना बीत गया है, अब योगी जी के आने के बाद यह अच्छा जमाना है जिसके भीतर एक संवेदनशील सरकार काम कर रही है। यह हमारे मुख्य मंत्री जी की किसानों के प्रति उनकी जागरूकता और संवेदनशीलता है कि स्वयं उन्होंने इन सारी परिस्थितियों के बारे में समीक्षा की और माननीय मुख्य मंत्री जी की पहल पर यहाँ तीनों दिन से चर्चा चल रही है। यह शायद पहला अवसर है कि प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुये खासतौर पर किसान भाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुये तीन दिन तक की जो चर्चा हुई है, यह मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का पहला अवसर है। इसलिए मैं माननीय मुख्य

मंत्री जी नेता सदन को और माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसानों के प्रति पूर्ण जागरूक एवं संवेदनशील है किसानों के हितों के लिए संकल्पित है कि उनकी हर मदद करेंगे। आज की तारीख में प्रदेश के सभी तटबन्ध सुरक्षित हैं। प्रदेश के भीतर कहीं पर भी चिन्ताजनक स्थिति नहीं है। वर्षा या नदियों की बाढ़ की वजह से 22 हजार 713 हेक्टेयर जमीन जो कृषि योग्य है या कृषि की खेती करने के योग्य में एक फसल के भीतर आती है। वह प्रभावित है, उनका दैवी आपदा के मुताबिक उनका सर्वेक्षण करा करके, जिन किसानों की जितनी क्षति होगी उनकी भरपाई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करने के लिए निरन्तर करती रही है और आगे भी उसके लिए सचेष्ट होगी। इस समय लगभग सभी जनपदों में पिछले एक सप्ताह में बारिश हुई है और वहां की परिस्थितियों में काफी सुधार आया है। यद्यपि सावधानी बरतने के लिए 939 बाढ़ कार्यालय, 544 पशु शिविर और 834 स्थानों पर पशुओं के टीकाकरण की व्यवस्था के साथ 960 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। बाढ़ से प्रभावित स्थानों पर जानवरों और मवेशियों के लिए 4 लाख 61 हजार 178 जानवरों के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था की गई है और इसलिए किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है।

कल भी मैंने बताया था कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की पांच रेस्क्यू टीम वहां पर लग करके हर प्रकार से लोगों की मदद कर रही है। कल आपमें से किसी ने कहा था कि पहले जिप्सम मिलता था वह बन्द हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हर साल हम लोगों ने जिप्सम का वितरण किया है और पिछले साल 12 हजार 667 मीट्रिक टन जिप्सम का वितरण प्रदेश के भीतर हुआ है, 75 प्रतिशत अनुदान पर हम लोग वितरण करते हैं और किसान भाइयों को मात्र 210 रुपए प्रति बैग के हिसाब से उनको सुलभ करा रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ और जानकारी देना चाहता हूँ कि कुछ नदियों के भीतर खास तौर से गंगा में कछल ब्रिज बदायूं में, बलिया के भीतर घाघरा एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर है, लेकिन वहां पर अभी खतरे का कोई प्रभाव नहीं है यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ। हमारे अधिकारी/कर्मचारी और सरकार तीनों उसके प्रति सजग हैं, किसी प्रकार की वहां पर कठिनाइयां नहीं हैं। 08 अगस्त को एक स्थान पर सर्प काटने से और दो स्थानों पर जनहानि हुई है, इस सन्दर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी स्टैंडिंग आर्डर दे रखे हैं कि 48 घंटे के भीतर उसके परिवार को चार लाख रुपए की सहायता प्राप्त हो जायेगी उसके अनुसार जिला प्रशासन वहां पर पहुंचा देगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2017 में पहले चरण में ही शपथ-ग्रहण करने के बाद पहला फैसला किसानों के हक में लिया था और किसानों के असली ऋण पर जो बकाया था, आपकी सरकार के जमाने में जो कठिनाइयां किसानों को हुईं और जिसकी वजह से वह अदायगी नहीं कर सके, क्योंकि आपकी

सरकार किसानों के उत्पाद की खरीददारी नहीं करती थी, आपकी सरकार समय पर पानी नहीं पहुंचाती थी, किसान उस समय व्याकुल था, बुन्देलखण्ड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच किसान आत्महत्या करने के लिए विवश था और इस नाते योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस बात का फैसला किया कि हम उत्तर प्रदेश के केसीसी धारक किसानों को जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया है उनके 1 लाख रुपए तक के ऋण को हम माफ करेंगे और प्रदेश के भीतर 45 लाख 57 हजार 536 किसानों का ऋणमोचन करके उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसानों के हित में सबसे बड़ा कदम उठाया। कल मैंने आपको जानकारी दी थी कि अब तक उत्तर प्रदेश के भीतर 2 करोड़ 61 लाख किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के भीतर 59 हजार 105 करोड़ रुपए उनके खातों में पिछले चार वर्षों में गये हैं। आप समझिये कि किसानों की कितनी मददगार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कितनी मददगार है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार । हम लोगों ने राज्य के भीतर मैकेनाइजेशन का एक वृहद अभियान चलाया और उसके ऊपर भी कल आप कह रहे थे कि उनको कृषि यन्त्र नहीं मिल रहा है। रु0 1,11,755 किसानों को पिछले पाँच साल में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के कृषि यन्त्र सुलभ कराये हैं और उनके खातों में 1191 करोड़ 55 लाख रुपए की धनराशि पिछले पाँच साल के भीतर हमने अनुदान के रूप में प्रेषित किया है। इसी तरह से जैसा कि हमारे मा0 ए0के0 शर्मा जी ने बताया कि अब नलकूपों के 10 घंटे आपूर्ति के लिए उनके फीडर अलग किये जा रहे हैं। और लगभग 6500 फीडर अलग किये जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे बजट के भीतर लगभग 1600 करोड़ रुपये की इस बात की व्यवस्था की गयी है कि किसानों को जो उनके ट्यूबवेल थे उनको फ्री बिल जाएगा लेकिन बिल का पेमेंट नहीं करना होगा। उनके बिल की अदायगी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। इतनी बड़ी राहत सिंचाई के मामले में किसानों को राहत देने का काम हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। इस साल किसान ऊर्जा, सम्मान ऊर्जा, सुरक्षा उत्थान के भीतर 30 हजार सोलर पम्प हम नये लगा रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश-

यह बिल कब से माफ हो जायेगा ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

इस बिल की इस बजट में व्यवस्था की गयी है, जिस दिन से नोटिफिकेशन हो जाएगा, यह माफ हो जाएगा। इस बात की घोषणा आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने आपके सामने की थी और योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही और मोदी जी ने जो बात कही उसके ऊपर संशय करने का कोई कारण नहीं है जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं और उसको पूरा करेंगे।

(इसी मध्य अपराह्न 03 बजकर 44 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री राकेश प्रताप सिंह-

2-3 बातें जो मुख्य मंत्री जी ने कहीं थी, वह पूरी नहीं हुयी हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मैंने इस बात की जानकारी आपको सुबह भी दी थी कि 84 लाख 16 हजार 798 किसानों को हम लोगों ने पिछले वर्षों के दौरान अनुदान पर बीज मुहैय्या कराये हैं और उसके ऊपर भी 1100 करोड़ रुपये के करीब खर्चा हमारी सरकार ने किया है। फर्टिलाइजर का पर्याप्त इंतजाम करके रखा गया है। इस समय हमारे पास 24 लाख 93 हजार मीट्रिक टन फर्टिलाइजर है। किसी भी तरीके से किसान को डी0ए0पी0, यूरिया और एन0पी0के0 के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, समय से उनको फर्टिलाइजर मिलेगा, उनके गांव के समीप में मिलेगा। यह व्यवस्था हम लोगों ने भण्डारण करके सुरक्षित कर रखी है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन जिलों पर आच्छादन नहीं हो पाया हैं, वहां पर भी हम मिनी किट के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। जिससे किसान भाई लगाना चाहे तो मूंग और उड़द लगा सकते हैं और अगर कहीं बाढ़ की वजह से नुकसान हो गया होगा तो वहां पर हम तोरिया के बीज को निःशुल्क उपलब्ध करा कर के सितम्बर महीने के भीतर ही खेती करने हेतु देंगे जिससे खरीफ की फसल में जो क्षति होगी, उसको निःशुल्क बीज के माध्यम से खेती कराकर के हम यह व्यवस्था कर देंगे, जिससे कि वह रबी की खेती भी कर सकेंगे। यह व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी की सरकार व्यवस्था करेगी। इसलिए किसी भी बात की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाईयों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि निश्चित होकर के खेती करें। सरकार उनके साथ है जितनी वह पैदा करेंगे उनकी खरीददारी की व्यवस्था भी हम लोग करते हैं और विगत वर्षो में 1 लाख करोड़ से ऊपर की आपसे तीन गुना से ज्यादा खरीददारी हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने की है। इन्हीं शब्दों के साथ जिन मा0 सदस्यों ने भाग लिया उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का अननुमोदन

श्री अध्यक्ष-

(मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं।)

[डा0 पल्लवी पटेल की तत्समय अनुपस्थिति के कारण उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के अननुमोदन का संकल्प प्रस्तुत नहीं किया जा सका]

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) संशोधन विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

जी बताइए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह एक खासतौर से मुकदमों की बढ़ती हुयी संख्या को देखकर, जो छोटे मुकदमें, जो पिटी केसेज है उसके लिए शमन और उपशमन का बिल हम लाये हैं। यह वर्ष 1979 में एक बिल आया था, उसी के कानसीक्वेंस में यह है। वर्ष 1979 में ये छोटे केसेज जितनी भी अदालतों में बहुत बड़े पैमाने पर पेंडिंग रह गये, जिसमें 100 रुपये 50 रुपये जुर्माना है, या 8 दिन से लेकर 1 महीने तक की सजा है, ऐसे केसेज में खासतौर से शमन और उपशमन करने के लिए हम इसको लाये हैं और इसमें एक बात की जानकारी आपके माध्यम से मैं दे दूं कि अभी तक इस सम्बन्ध में इस एक्ट के तहत कई बार संशोधन हो चुके हैं। आज भी उसी एक्ट के तहत हम संशोधन लेकर आये हैं।

मान्यवर, अभी तक इस एक्ट में कई बार संशोधन हो चुके हैं। आज भी उसी एक्ट में हम संशोधन लेकर आए हैं। सबसे पहले वर्ष 2013 में एक संशोधन हुआ था। तत्समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसमें एम0 वी0 एक्ट का चालान और गैम्बलिंग एक्ट के धारा-3 और धारा-13 को छोड़कर धारा-4 के अन्तर्गत, जिसमें रु0 100/- का जुर्माना है और बहुत थोड़ी सजा है, उसके मुकदमें, पुलिस एक्ट सेक्शन-34 के मुकदमें, आई0पी0सी0 के 160 के मुकदमें, सी0आर0पी0सी0 के 107 और 109 के मुकदमें खास तौर से शमन किए गये थे, क्योंकि मुकदमों की संख्या बहुत है और अदालतों का काफी समय इसमें जाता है, इसलिए उसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सोचा गया है। वर्ष 2013 के बाद वर्ष 2015 में संशोधन आया, वर्ष 2016 में संशोधन आया।

मान्यवर, वर्ष 2019 में हमारी सरकार ने दिसम्बर, 2016 तक के सभी मुकदमों का शमन और उपशमन कर दिया। यानी जिसमें चार्जशीट लग गयी, उसमें शमन किया और जिसमें चार्जशीट नहीं लगी, जो केवल विचारण में था, उसको उपशमन कर दिया। आज उसी एक्ट के संशोधन के लिए हम ये बिल लेकर आए हैं कि 31 दिसम्बर, 2021 तक के जितने भी केसेज हैं, गैम्बलिंग एक्ट के धारा-13 और धारा-3 को छोड़कर, एम0वी0 एक्ट के सभी चालान और

पुलिस एक्ट के धारा-34 के मुकदमें और आई0पी0सी0 के 160 के मुकदमें और सी0आर0पी0सी0 के 107 और 109 के जितने भी मुकदमें हैं, उन सभी मुकदमों को हम शमन के रूप में समाप्त करने जा रहे हैं। इसके सम्बन्ध में एक अध्यादेश हुआ था और आज हम उसका प्रतिस्थानी बिल लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ कि यह सभी लोगों के लिए है।

मान्यवर, चूँकि अदालतों के सामने केसेज की संख्या ज्यादा है, इसलिए पहले से भी ये होता आया है और मैं समझता हूँ कि हमारे शमन करने के बाद काफी लोगों को इसमें राहत मिलेगी और ये मुकदमें अदालतों से समाप्त हो जाएंगे, जिससे अदालतों का बोझ भी कम हो जायेगा। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जिसका विरोध किया जाए। इसीलिए अननुमोदन आया नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अनुरोध करता हूँ कि इसको पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

श्री लालजी वर्मा, श्री उमाशंकर सिंह, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री राकेश प्रताप सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री अतुल प्रधान, श्री राम अचल राजभर तथा डॉ0 पल्लवी पटेल।

मैंने सारे नाम इसलिए लिये हैं कि जो लोग संशोधन देते हैं, वे बिल पढ़ते नहीं हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि बिल को अच्छी तरह से पढ़ने के पश्चात् ही संशोधन प्रस्ताव दें।

डॉ0 पल्लवी पटेल जी, आप प्रस्ताव पढ़िए।

डा0 पल्लवी पटेल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

क्या आप इस पर कुछ बोलेंगी।

डॉ0 पल्लवी पटेल-

मा0 अध्यक्ष जी, इस पर मुझे कुछ नहीं बोलना है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अतुल प्रधान जी ।

***श्री अतुल प्रधान-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसे ही संशोधन की बात आती है, तो तब्दीली की बात आती है। मैं कोई विरोध के लिए या फिर आपकी आलोचना के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर सही रूप में हो, तो संशोधन अच्छी चीज है। जैसे ही हम लोग अदालतों के चक्कर लगाते हैं या हमसे जुड़े हुए लोग लगाते हैं, क्योंकि नियम बनाने और फिर जनता में उसकी सहूलियत पहुंचाने का काम हमारा और आपका है।

मान्यवर, यह सदन इसी चीज के लिए है भी लेकिन जब किसी दण्ड विधि में संशोधन की बात आती है तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति यहां पर जितने भी मा0 सदन के सदस्य बैठे हैं रहे होंगे। जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी धारा में, कहीं न कहीं अदालत के सामने ना पहुंचे। चाहें वह धारा जो आप जिसको चेंज कर रहे हों वह हो, क्योंकि कई बार आर्थिक क्रय होता है और कई बार ऐसी कई धाराएं होती है सी0आर0पी0सी0 में और आई0पी0सी0 में, इतनी ज्यादा धाराओं का जाल है कि कई जगह ऐसी चीजे देखने में आती हैं जैसे अभी उदाहरण के स्वरूप में एक वाक्या बता सकता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इस विषय पर बताइए कि आपने बिल को क्या समझा आप वह बता दीजिए।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, जो जी0एस0टी0 होती है उसमें कई नियम इस तरह के हैं जिनको आप चेंज करके धाराएं खत्म कर रहे हैं। धाराएं खत्म करके लोगों को उसका लाभ दे रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो आई0पी0सी0, एक सी0आर0पी0सी0, यह दोनों भारत के संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट में है। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें संशोधन अपने तरह से रख सकती है यह नम्बर है। और तीन पुलिस एक्ट है एक दफा 34 का पुलिस एक्ट मतलब कि जो पुलिस एक्ट की दफा 34 है एक एमवी एक्ट है वह उत्तर प्रदेश का स्टेट का एक्ट है तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एमवी एक्ट भी उत्तर प्रदेश सरकार का है यह अपने आप में केवल उस पर चालान समाप्त कर रहे हैं। मुकदमों को बढ़ती हुई संख्या को देखकर अदालत के बढ़ते हुए बोझ को देखकर यह समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं और उसको शमन करने के लिए आज लाए हैं। मैं समझता हूँ कि चूंकि उन्होंने पढ़ा नहीं था इसलिए मैंने सोचा कि विषय को क्लीयर कर लें सिर्फ उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो बरसों से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुकदमें पेंडिंग है उन लोगों को राहत मिल जाएगी जुर्माना कितना है 50 रुपये, 100 रुपये। उनको शमन करके समाप्त कर रहे हैं। 31 दिसम्बर 2021 तक के जितने भी मुकदमें आए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के जितनी अदालतों में सब पेंडिंग है उनको समाप्त किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979

धारा-9 कतिपय विचारण का उपशमन

2-तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,-

(1) (क) ऐसे अपराध के लिये जो :-

(एक) मोटर यान अधिनियम, 1939 के, या

(दो) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 के, जो उक्त अधिनियम की धारा-3 के अधीन दण्डनीय अपराध या उक्त अधिनियम की धारा-13 के अधीन दण्डनीय पद्यम के सम्बन्ध में अपराध न हो, या

(तीन) पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा-34 के, या

(चार) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-160 के अधीन दंडनीय है, या

(ख) केवल जुर्माना से दण्डनीय किसी अन्य अपराध के लिये, अभियुक्त के विचारण का, या

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-107 या धारा-109 के अधीन किसी कार्यवाही का,

जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष 1 जनवरी, 1977 के पूर्व से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक पर लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-35 सन् 1979 की धारा-9 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा-9 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक '31 दिसम्बर, 2016' के स्थान पर शब्द और अंक '31 दिसम्बर, 2021' रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

3-(1) उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन, (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3 तक तथा खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का अननुमोदन

डॉ0 पल्लवी पटेल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि 'यह सदन उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का अननुमोदन करता है।'

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

वित्त एवं संसदीय कार्य (मंत्री) (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाये।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत संविधान के अनुच्छेद-246 (क) (1) में संसद और राज्य विधान मण्डल दोनों को माल और सेवा कर के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है। भारत सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को लाभ पहुँचाने के लिये इस सम्बन्ध में कुछ संशोधन पारित किये गये थे। ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी यह पारित किया जाना है। इसके सम्बन्ध में अध्यादेश पहले ही हम ला चुके हैं। आज खासतौर से उसका प्रतिस्थानी विधेयक लाये हैं। इसका उद्देश्य केवल यही है कि हम छोटे व्यापारियों को ई0-कामर्स ऑपरेटर के माध्यम से व्यापार करने की सुविधा दें। ग्रामीण क्षेत्र में चाहे वह सेल्फ हेल्प ग्रुप हों अथवा छोटे-छोटे कारोबारी हों, वह अपना पंजीकरण नहीं करा पाते हैं, क्योंकि पंजीकरण की लिमिट तक उनका टर्नओवर नहीं होता है। इसलिये उनको लोगों को व्यापार करने की सुविधा की दृष्टि से विशेष रूप से हम यह संशोधन लाये हैं। इसमें कई संशोधन ऐसे भी हैं जिसमें अभी तक दोहरी सजा थी यानी कि अगर जी0एस0टी0 के किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन करें तो उसकी भी सजा थी और आई0पी0सी0 के अन्तर्गत भी वह पनिशेबल थे। इसलिये जी0एस0टी0 के अन्तर्गत उसको समाप्त किया जा रहा है और आई0पी0सी0 के अन्तर्गत अगर वह किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन करेंगे तो उसके अन्तर्गत वह दण्डनीय अपराध होगा। साथ ही साथ विशेष रूप से जितनी भी एनॉमलीज हैं उसको इसमें रेक्टिफाई किया गया है और हर तरह से छोटे व्यापारियों को, खासतौर से जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को सुविधा पहुँचाने के लिये यह कानून लाया गया है। मैं समझता हूँ कि जी0एस0टी0 के कानून के अन्तर्गत चूँकि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों एक साथ अपने-अपने कानूनों में संशोधन करते हैं तो यह आवश्यक भी है। मान्यवर, इसलिये हम आपके माध्यम से पूरे सदन से अपील करते हैं

आप लोग इसको पारित करायें। इसके विभिन्न सेक्शन्स में अगर किसी की कोई जिज्ञासा होगी तो हम उसका समाधान करेंगे। इसका उद्देश्य केवल यही है कि हम लोगों को सुविधा पहुँचायें और जितनी भी विषमताएं हैं उनको दूर करें। लोगों को एनुअल रिटर्न फाईल करने के लिये 03 साल तक का सुविधाजनक समय दिया जा रहा है और हर तरह से उन लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुये यह संशोधन बिल लाया गया है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर संशोधन प्रस्ताव कोई प्रस्तुत करेगा ?

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें मेरी केवल एक जिज्ञासा थी। चूँकि उस समय हाउस नहीं था तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको प्रख्यापित कर दिया है। चूँकि 31 मार्च, 2023 को संसद से पास होने के बाद 31 मार्च, 2023 को महामहिम राष्ट्रपति जी की भी इस पर सहमति प्राप्त हो गयी है और मुझे लगता है कि 24 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 प्रख्यापित कर दिया गया है, ऐसी मेरी जानकारी है। मेरी केवल एक जिज्ञासा थी कि कौन सी ऐसी अरजेन्सी आ गयी जिसके कारण हाउस से पहले हमने इसको प्रख्यापित कर दिया, लागू कर दिया और अब हम उसको हाउस से पास करा रहे हैं। बहुत से ऐसे संशोधन आते हैं जो आवश्यक हैं, जैसे नगर निकाय का था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कमेटी बनी, इलेक्शन होना था तो उस समय महामहिम राज्यपाल महोदय के अनुमोदन से उसको लागू कर दिया गया, लेकिन इसमें हमारे विद्वान वित्त मंत्री जी बता जरूर बता दें इसमें कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गयी थी कि संसद से पास होने के बाद और महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा अनुमोदन होने के बाद हमने 24 जुलाई को ही इसे लागू कर दिया। मा0 वित्त मंत्री जी इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दें ताकि यह स्पष्ट हो जाये कि इस सदन का भी कोई महत्व है और सदन के बाद ही इसको लागू करना है। या सदन के पहले लागू करना है। मैंने उदाहरण भी बता दिया। जैसे नगर निकाय का पहले कर दिया गया। क्योंकि आपकी मजबूरी थी कि समय से चुनाव कराना था। इसमें क्या जल्दी थी कि सदन आहूत का समय करीब था, डेट भी मालम थी, उस समय इसे लागू कर दिया गया ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरे सामने एडीशनल सेकरेट्री भारत सरकार का पत्र है। आप कहें तो पढ़ कर सुना दें। Constitution of GSTAT-Consequent to the recommendation

made in the 49th Meeting of GST Council, necessary ammendments for establishments of the Goods and Service Tax Appellate Tribunal (GSTAT) have been made in the CGST Act vide the Finance Act, 2023. It is imperative to now work to make the benches of GSTAT functional as early as possible, for which your coopration in the following is requested. (कांस्टीट्यूशन ऑफ जी0एस0टी0 एट कांस्टीक्एंट टू द रीकमेंडेशन मेड एन द फोरटी नाइनन्थ मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, नेसेसरी अमेन्डमेंट्स फॉर इस्टेबिलाईजमेंट ऑफ द गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स एपील्लेट ट्रीबुनल (जीएसटीएट) हैव बीन मेड एन द जीएसटीटी एक्ट वाइड द फाइनेंस एक्ट, 2023 इट इज इम्पेरेटिव टू नाव वर्क टू मेक द बेन्चेस ऑफ जीएसटीएट फंक्सनल एस अर्ली एस पासिबल, फॉर व्हिच योर कोपरेशन इन द फालोविंग इज रिक्वेस्टेड) अप्रैल से लगातार पत्र आये और हम यह कोशिश कर रहे थे कि हम जल्द ही हाउस बुला लें। हाउस आ जायेगा तब करेंगे लेकिन जब हाउस नहीं हुआ तब हमको यह अध्याधेश लाना पड़ा। इस बिल में एक व्यवस्था यह भी है अगर आपने पढ़ा हो कि 5 ट्रिबुनल बन रहे हैं। 5 ट्रिबुनल के माध्यम से प्रदेश में जितने भी एपिलेट केसेस हैं खास तौर से उसको भी डील किया जायेगा। चूंकि इतना बड़ा स्टेट है। यह बात भी थी कि कहां-कहां कितने-कितने ट्रिबुनल बनें। चूंकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है इसलिए हमने खास तौर से इस बात की भी माँग थी कि 5 ट्रिबुनल इसी बिल में संशोधन बिल में हैं। प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी। खास तौर से जितनी भी अपील होंगी। अभी तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब ट्रिबुनल के सामने यहीं पर क्षेत्रीय लेविल के हिसाब से उनकी अपील की सुनवाई हो जायेगी। हमारे स्टेट की नई व्यवस्था आई है। हर चीज नये तरीके से इनीशिएट हो रही है ट्रिबुनल की व्यवस्था भी इसी संशोधन के माध्यम से आई है। उसकी प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना है। इसमें किसी सेक्शन के बारे में बात करना हो, किसी व्यवस्था के बारे में बात करना हो तो बतायें।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मैं वापस ले लूंगा । माननीय अध्यक्ष जी, जिस पीठ पर आप हों, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जैसे विद्वान मंत्री जी हों। जब देश की संसद से कानून बनता है और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जब ठप्पा लगता है तो उसको एडॉप्ट करने के लिए सारे स्टेट में भेजा जाता है। बहुत सारे स्टेट उसमें संशोधन करके जैसे आपने 5 ट्रिबुनल बनाये हैं। यह भी स्वागत योग्य है। हम सब चाहते हैं कि व्यापारियों की सुविधा के लिए हम जो बेहतर कर सकते हैं करें। मेरी जिज्ञासा केवल यह थी कि हम आगे से इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि पहले लागू करना महत्वपूर्ण न हो तो हम हाउस का इन्तेजार कर लें। उसका आनन्द कुछ और होता है। जबकि नीचे हम पढ़ लेते हैं कि इसको लागू कर दिया गया है। हम जानते हैं कि लागू कर दिया गया है। मेरा कहना है कि हम आगे इस बात का ध्यान रखें। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए अध्यादेश को लागू करने के पहले पुरः स्थापित लाते ही हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि संविधान में आर्डिनेन्स की व्यवस्था इसीलिए की गयी। अगर किसी बात को तुरन्त लागू करना हो और सदन उपवेशन में न हो तो उसके लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है। इसके साथ-साथ यह बाइन्डिंग भी है कि जैसे ही सदन आहूत हो तो तत्काल उस सदन के आहूत होने के बाद पहले सदन में, यह नहीं कि अगले सदन में रैक्टीफाइ करायें। इसी सदन, इसी हाउस, इसी सेशन में रैक्टीफिकेशन होना है। इसकी अपरिहार्यता इसलिए भी है कि हर मामले में चूंकि जितना भी जी0एस0टी0 लगता है उसमें 50-50 प्रतिशत हर मामले में हिस्सा हमारा भी है। स्टेट का हर मामले में हिस्सा 50 प्रतिशत होता है। अगर हम इसको रैक्टीफाई नहीं करेंगे तो उनका पैसा तो उनको मिल जायेगा और हमारा पैसा हमको नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-24 तक, तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) इस अधिनियम के उपबंध, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।

धारा 10 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) में, धारा 10 में, -

(क) उपधारा (2) में, खंड (घ) में, शब्द "माल या" निकाल दिये जाएंगे;

(ख) उपधारा (2क) में, खंड (ग) में, शब्द "माल या" निकाल दिये जाएंगे ।

धारा 16 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (2) में, -

(i) दूसरे परंतुक में, शब्द "उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में जो विहित की जाये, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जायेगा" के स्थान पर शब्द और अंक, "धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति से जो विहित की जाये,उसके द्वारा भुगतान किया जायेगा" रख दिये जायेंगे;

(ii) तीसरे परंतुक में, शब्द "उसके द्वारा" के पश्चात् शब्द "पूर्तिकार को" बढ़ा दिये जाएंगे।

धारा 17 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 17 में, -

(क) उपधारा (3) में, स्पष्टीकरण में, शब्द और अंक " अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट " के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

" अनुसूची 3 के ,–

(i) पैरा 5 में विनिर्दिष्ट गतिविधियों या लेनदेन का मूल्य; और

(ii) पैरा 8 के खंड (क) के संबंध में विहितगतिविधियों या लेनदेन का मूल्य।";

(ख) उपधारा (5) में, खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: -

"(चक) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन अपने आक्षेपों से संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग या उपयोग किए जाने के लिए तात्पर्यित हैं;"।

धारा 23 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 23 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी और तारीख 1 जुलाई, 2017 से रखी गयी समझी जाएगी, अर्थात्:-

"(2) धारा 22 की उपधारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, उन व्यक्तियों का प्रवर्ग, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है,विनिर्दिष्ट कर सकती है ।"

धारा 30 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (1) में, -

(क) शब्द "रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से :", के स्थान पर शब्द "ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यधीन, जैसा कि विहित किया जाये,ऐसे अधिकारी को " रख दिये जायेंगे;

(ख) परंतुक को निकाल दिया जाएगा ।

धारा 37 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 37 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

"(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिये जावक पूर्तियों के ब्यौरे, उक्त ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं,

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को उपधारा (1) के अधीन उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी एक कर अवधि हेतु जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।"

धारा 39 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 39 में, उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

"(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं,

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने की उक्त नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद भी उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।"

धारा 44 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 44 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्: -

"(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त वित्तीय वर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परंतु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाएं,

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को एक वित्तीय वर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है। "

धारा 52 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (14) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

"(15) प्रचालक को उपधारा (4) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाएं, एक प्रचालक या प्रचालकों के एक वर्ग को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर भी उपधारा (4) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।"

धारा 54 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (6) में, शब्द "जिसके अंतर्गत अंतिमत: स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है," निकाल दिये जायेंगे।

धारा 56 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 56 में, शब्द "उक्तधारा के अधीन आवेदन प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक", के स्थान पर शब्द "इस तरह के आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक साठ दिनों से अधिक विलंब की अवधि के लिये, ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अधीन जैसा विहित किया जाये, रख दिये जायेंगे।

धारा 62 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 62 में, उपधारा (2) में, -

(क) शब्द "तीस दिन" के स्थान पर शब्द "साठ दिन" रख दिये जायेंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामीलीकरण के साठ दिनों के भीतर एक विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है वहाँ वह साठ दिनों से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये अतिरिक्त विलंब शुल्क के भुगतान पर उक्त निर्धारण आदेश के तामीलीकरण के साठ दिनों की एक अग्रतर अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत कर सकता है और यदि वह ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करता है, तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा, किंतु धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का भुगतान या धारा 47 के अधीन विलंब फीस का संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा।"

धारा 109 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:-

"109—इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन गठित माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण होगा।

धारा 110 तथा 114 का निकाला जाना

15—मूल अधिनियम की धारा 110 तथा धारा 114 को निकाल दिया जायेगा।

धारा117 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 117 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों" के स्थान पर, शब्द "राज्य पीठों" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (5) में, खंड (क) और (ख) में, शब्द "राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ" के स्थान पर, शब्द " राज्य पीठ " रख दिये जाएंगे।

धारा 118 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 118 में, उपधारा (1) में, खंड (क) में, शब्द "राष्ट्रीय पीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय पीठों" के स्थान पर, शब्द "प्रमुख पीठ" रख दिये जायेंगे ।

धारा 119 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 119 में,—

(क) शब्द "राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों" के स्थान पर शब्द "प्रमुख पीठ" रख दिये जाएंगे;

(ख) शब्द "राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों" के स्थान पर शब्द "राज्य पीठ" रख दिये जाएंगे।

धारा 122 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 122 में, उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बड़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

"(1ख) कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो-

(i) ऐसी पूर्ति करने के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की अनुमति देता है;

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अन्तर्राज्यिक पूर्ति की अनुमति देता है जो ऐसी अन्तर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से प्रभावित माल की किसी जावकपूर्ति का, धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह दस हजार रुपये का जुर्माना, या यदि ऐसी पूर्ति धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई हो, में सम्मिलित कर की धनराशि के बराबर धनराशि,दोनों में जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए दायी होगा, ।"

धारा 132 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 132 में, उपधारा (1) में, -

(क) खंड (छ), (ज) और (ट) निकाल दिये जायेंगे;

(ख) खंड (ठ) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (क) से (ट)", के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (क) से (च) और खंड (ज) और (झ) " रख दिये जायेंगे;

(ग) खंड (iii) में, शब्द "जहां" के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अपराध में" रख दिये जायेंगे;

(घ) खंड (iv) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "या खंड (छ) या खंड (ज)" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 138 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 138 में,—

(क) उपधारा (1) में, पहले परंतुक में, -

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(क) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से (च), (ज), (झ) और (ठ) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमित होने के लिये अनुज्ञात किया गया था ;"

(ii) खंड (ख) निकाल दिया जाएगा;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी अपराध को करने का अभियुक्त है;

(iv) खंड (ङ) निकाल दिया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "दस हजार रुपये या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत, इनमें

से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रुपये या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने ", के स्थान पर शब्द " अंतर्वलित कर का पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम राशि के अंतर्वलित कर के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होने" रख दिये जायेंगे।

गयी धारा 158क का बढ़ाया जाना

22–मूल अधिनियम की धारा 158 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

"158क (1) धारा 133, 152 और 158 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन और परिषद की सिफारिशों के आधार पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित विवरण सामान्य पोर्टल द्वारा ऐसी अन्य प्रणालियों, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, के साथ ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जायं, साझा किया जा सकता है, अर्थात्: -

(क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में या धारा 39 या धारा 44 के अधीन दाखिल कृत विवरणी में प्रस्तुत विशिष्टियां;

(ख) बीजक तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावकपूर्ति का विवरण और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के निर्माण के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां;

(ग) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन विवरण साझा करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित की सहमति प्राप्त की जाएगी, -

(क) उपधारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन प्रस्तुत विवरण के संबंध में पूर्तिकर्ता; और

(ख) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन और उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथाविहित प्रपत्र में और रीति से प्रस्तुत विवरण, केवल जहाँ ऐसे विवरण में प्राप्तकर्ता की पहचान की सूचना सम्मिलित हो, के संबंध में प्राप्तकर्ता।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी देयता के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी और सुसंगत पूर्ति पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर का भुगतान करने की देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची III की कतिपय गतिविधियों और संव्यवहारों को भूतलक्षी प्रभाव से कर मुक्त करना

23–(1) मूल अधिनियम की अनुसूची III में, पैरा 7 और 8 और उसके स्पष्टीकरण 2 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018 की धारा 31 द्वारा बढ़ाया गया) पहली जुलाई 2017 से उसमें बढ़ाये गये समझे जायेंगे।

(2) एकत्र किये गये ऐसे सम्पूर्ण कर का प्रतिदाय नही किया जायेगा, जो इस तरह एकत्रित न किया गया होता, यदि उपधारा (1) समस्त तात्विक समयों पर प्रवृत्त होती।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2023

24–(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-24 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज यह आदरणीय राजेन्द्र प्रसाद जी के नाम पर बनाना निश्चित हुआ है। इसी का हम अध्यादेश लेकर आये थे, आज इसका प्रतिस्थानीय बिल है। श्री राजेन्द्र प्रसाद जी देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। वर्ष 2023-24 में इसको शुरू करना है, इसको 60 विधार्थियों से शुरू करने का प्लान है। इसमें जो नियुक्तियां हैं वह प्रक्रियाधीन हैं और मैं समझता हं कि डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज में खासतौर से कानून की पढ़ाई के लिए बहुत उपयोगी होगा इसलिए आज आपके समक्ष यह बिल लेकर आये हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन इस पर अपना अनुमोदन प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष-

कोई इस बिल पर संशोधन प्रस्तुत करना चाहता है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, इस बिल पर कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो विरोध का औचित्य ही नहीं उठता है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड -3 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज अधिनियम, 2020 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन), अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 10 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-28 सन् 2020 का सामान्य संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज अधिनियम, 2020 में शीर्षकों, उद्देशिका, संक्षिप्त नाम, दीर्घ नाम सहित शब्द 'उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज' जहां कहीं आये हों, के स्थान पर शब्द 'डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज' रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

3-(1) उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-11 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023

उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय।

मा0 अध्यक्ष जी, शिक्षा के लिए और शिक्षा के हर दिशा की तरफ द्वार होने चाहिए जिससे कि शिक्षा एक व्यापक क्षेत्र को लाभान्वित करे और व्यापक क्षेत्र से ही उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बने। इसके लिए अधिकतम शिक्षा के केन्द्र खुलें और हमारे मा0 मुख्य मंत्री योगी जी, इसमें बहुत ही संवेदनशील हैं उनका लक्ष्य है कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय खुले चाहे वह निजी हो या सरकारी तो हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं।

शिक्षा के लिए सभी दिशाओं से द्वार खुलने चाहिये और शिक्षा के सभी दिशाओं के द्वार खुलने चाहिये और जब निजी और सरकारी क्षेत्र में कम्प्टीशन होगा, तो निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर उठेगा और बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के अन्दर शिक्षा का स्तर उठ रहा है और बढ़ भी रहा है। प्रतिस्पर्धा हमेशा अच्छे की ओर ले जाती है। प्रतिद्वन्दिता नहीं, इसलिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिये और शिक्षा क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। निजी विश्वविद्यालय से शिक्षा और शिक्षणेत्तर पद जब बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और आम-जनता तक शिक्षा पहुँचेगी। इसके द्वारा हर छात्र को अच्छी शिक्षा उपलब्ध होगी। अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक शिक्षा पहुँच सके इस उद्देश्य से हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग प्राइवेट यूर्निवर्सिटीज खोलें। पहले अलग विश्वविद्यालय के अलग अधिनियम बनाये जाते थे, लेकिन अब एक अधिनियम के अन्तर्गत सभी शिक्षण संस्थायें खुलती हैं। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023 के अन्तर्गत लखनऊ में नया विश्वविद्यालय टी0एस0 मिश्रा विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव पर सदन अपना समर्थन दे।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य इस विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत करना चाहता है ?

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लगातार नये विश्वविद्यालय बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस विधेयक पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं हुआ। मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-12 सन् 2019 की अनुसूची-2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की अनुसूची-2 में, क्रम संख्या-35 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या-35 के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालय के लिये निम्नलिखित क्रम संख्या एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

क्र0-सं0	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
1	टी0एस0 मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	वैदिक एण्ड फ्यूचरिस्टिक एजुटेक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3-(1) राज्य सरकार टी0एस0 मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्याधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगेः

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्तावों पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

नियम-103 के अन्तर्गत चर्चाधीन प्रस्तावों पर पूर्व से चर्चाएं चली आ रही थीं जिसमें आज की कार्य-सूची में 17 मा0 सदस्यों के प्रस्ताव निर्धारित हैं। इन पर अग्रेतर चर्चा जारी रहेगी। क्रम संख्या-1 पर डॉ0 नीरज बोरा।

जनपद लखनऊ में गोमती नदी के तटों पर काशी की भांति घाटों का निर्माण कराये जाने विषयक डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद लखनऊ में गोमती नदी के तटों पर काशी की भांति घाटों का निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

क्रम संख्या-2 पर श्री जवाहर लाल राजपूत।

बिना कीटनाशक/रासायनिक खादों से उत्पादित उपज, फल, सब्जी, अनाज का उचित मूल्य किसानों को दिलाये जाने हेतु बुन्दलेखण्ड की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को देखते हुए क्षेत्र को प्राकृतिक खेती का हब बनाये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि बिना कीटनाशक/रासायनिक खादों से उत्पादित उपज फल, सब्जी, अनाज का उचित मूल्य किसानों को दिलाये जाने हेतु बुन्दलेखण्ड की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को देखते हुए क्षेत्र को प्राकृतिक खेती का हब बनाया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

क्रम संख्या-3 पर श्री वीर विक्रम सिंह।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-खुदागंज के ग्राम रेहरा में वैवहा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-खुदागंज के ग्राम रेहरा में वैवहा नदी पर पुल का निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

क्रम संख्या-4 पर श्री बेचई सरोज।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा सराय मोहन टांड में बेसो नदी पर पुल का नव निर्माण कराये जाने विषयक श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा सराय मोहन टांड में बेसो नदी पर पुल का निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

क्रम संख्या-5 पर श्री महेन्द्र नाथ यादव।

जनपद बस्ती के अन्तर्गत मुण्डेरवां में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद बस्ती के अन्तर्गत मुण्डेरवां में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

क्रम संख्या-6 पर डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगलाचूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों के अभाव में बन्द डिलीवरी प्वाइंट यथाशीघ्र पुनः चालू कराये जाने विषयक डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगलाचूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों के अभाव में बन्द डिलीवरी प्वाइंट यथाशीघ्र पुनः चालू कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

क्रम संख्या-7 पर श्री सचिन यादव।

विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुये 01 एजुकेशन टाउनशिप बनाये जाने की व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुये 01 एजुकेशन टाउनशिप बनाये जाने की व्यवस्था की जाय।''

श्री अध्यक्ष-

क्रम संख्या-8 पर श्री अनिल कुमार त्रिपाठी।

जनपद सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल को जनहित में नगर पालिका परिषद् का दर्जा प्राप्त कराये जाने विषयक श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल को जनहित में नगर पालिका परिषद् का दर्जा प्राप्त कराया जाये।''

श्री अध्यक्ष-

क्रम संख्या-9 पर श्री मौहम्मद फहीम इरफान।

जनपद मुरादाबाद की विधान सभा क्षेत्र बिलारी स्थित पौड़ाखेड़ा मंदिर और दादा मियां की दरगाह को पर्यटन स्थल घोषित कराये जाने विषयक श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद मुरादाबाद की विधान सभा क्षेत्र बिलारी स्थित पौड़ाखेड़ा मंदिर और दादा मियां की दरगाह को पर्यटन स्थल घोषित किया जाये।''

श्री अध्यक्ष-

क्रम संख्या-10 पर श्री अभय सिंह।

जनपद अयोध्या के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोसाईगंज में जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाने, सर्वे कराकर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराने के साथ-साथ बिजली कटौती की समस्या का समाधान कराये जाने विषयक श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद अयोध्या के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोसाईगंज में जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाने, सर्वे कराकर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराने के साथ-साथ बिजली कटौती की समस्या का समाधान कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

क्रम संख्या-11 पर डॉ0 नीरज बोरा।

जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड/किसान पथ पर अलग-अलग दिशाओं में पांच नये अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने विषयक डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड/किसान पथ पर अलग-अलग दिशाओं में पांच नये अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

क्रम संख्या-12 पर डॉ0 रागिनी।

प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को विभागीय संविदा कर्मी के रूप में विनियमितीकरण करते हुए उन्हें भी विभागीय कर्मियों की भांति समस्त सुविधायें प्रदान कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को विभागीय संविदा कर्मी के रूप में विनियमितीकरण करते हुए उन्हें भी विभागीय कर्मियों की भांति समस्त सुविधायें प्रदान की जायें।''

श्री अध्यक्ष-

क्रम संख्या-13 पर श्री मनोज कुमार पाण्डेय।

जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की जर्जर सड़कों का मरम्मतीकरण/चौड़ीकरण तथा कच्चे मार्गों का नव निर्माण कराये जाने विषयक श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद रायबरेली की विधान सभा ऊंचाहार के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की जर्जर सड़कों का मरम्मतीकरण/चौड़ीकरण तथा कच्चे मार्गों का नव निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

क्रम संख्या-14 पर श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह।

विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत भंगेली एवं बड़खर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत भंगेली एवं बड़खर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करायी जाये।''

श्री अध्यक्ष-

क्रम संख्या-15 पर श्री बेचई सरोज।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नव निर्मित 100 बेड के अस्पताल व महिला अस्पताल, कटघर में डाक्टर, फार्मासिस्ट, चिकित्सकीय उपकरण, पैथोलॉजी एवं सफाई कर्मी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराकर मरीजों के हित में चिकित्सीय सुविधा बहाल कराये जाने विषयक श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नवनिर्मित 100 बेड के अस्पताल व महिला अस्पताल, कटघर में डाक्टर, फार्मासिस्ट, चिकित्सकीय उपकरण, पैथोलॉजी एवं सफाई कर्मी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराकर मरीजों के हित में चिकित्सकीय सुविधा बहाल किया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

क्रम संख्या-16 पर श्री जवाहर लाल राजपूत।

जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाय।''

श्री अध्यक्ष-

क्रम संख्या-17 पर श्री सचिन यादव का प्रस्ताव है।

विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

नियम-103 के अन्तर्गत ग्राह्य प्रस्तावों का आज प्रस्तुतीकरण और चर्चा होनी है। मैं क्रम से मा0 सदस्यों के नाम ले रहा हूँ। इसमें क्रम संख्या-1 पर डॉ0 सुरभी का प्रस्ताव है।

जनपद कौशाम्बी की नगर पालिका परिषद, मंझनपुर के असकरनपुर मंगरोहनी में पानी टंकी बनवा कर पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति कराये जाने विषयक डॉ0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (व्यपगत)

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी की नगर पालिका परिषद्, मंझनपुर के असकरनपुर मंगरोहनी में पानी की टंकी बनवा कर पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति कराया जाये।''

श्री अध्यक्ष-

क्या आप इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रखना चाहती हैं या ड्राप करना चाहती हैं।

डॉ0 सुरभी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह प्रस्ताव वापस लेती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रस्ताव ड्राप हो गया। क्रम संख्या-2 पर डॉ0 पल्लवी पटेल का प्रस्ताव है।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-251, सिराथू के नगर पालिका परिषद्, मंझनपुर के असकरनपुर मंगरोहनी एवं नगर पंचायत सिराथू, अझुआ, कड़ा में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कराये जाने विषयक डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र-251, सिराथू के नगर पालिका परिषद्, मंझनपुर के असकरनपुर मंगरोहनी एवं नगर पंचायत सिराथू, अझुआ, कड़ा में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करायी जाये।''

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 पल्लवी पटेल क्या आप चर्चा जारी रखेंगी ?

डॉ0 पल्लवी पटेल-

जी मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इस प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष-

क्रम संख्या-3 पर श्री वीर विक्रम सिंह का प्रस्ताव है।

जनपद शाहजहाँपुर की विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड जैतीपुर को तहसील बनाये जाने विषयक श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (व्यपगत)

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड जैतीपुर को तहसील बनाया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

क्या आप चर्चा जारी रखेंगे।

श्री वीर विक्रम सिंह-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ, लेकिन इस पर कुछ बताना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

वापस लेने के बाद बताने की कोई जरूरत नहीं है। यह प्रस्ताव ड्राप हो गया।

श्री अध्यक्ष-

क्रम संख्या-4 पर श्री आशुतोष शुक्ल का प्रस्ताव है।

जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के अन्तर्गत गढ़ेवा-डोमनपुरवा पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री आशुतोष शुक्ल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (व्यपगत)

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के अन्तर्गत गढ़ेवा-डोमनपुरवा पुल का निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं, इसलिये प्रस्ताव ड्राप किया जाता है। कम संख्या-5 पर श्री जवाहर लाल राजपूत का प्रस्ताव है।

प्रदेश में गौसंवर्द्धन हेतु गो-पालकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर दोगुना किये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (व्यपगत)

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में गौसंवर्द्धन हेतु गौ-पालकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर दोगुना किया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

क्या आप चर्चा जारी रखेंगे।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रस्ताव ड्राप हो गया।

क्रम संख्या-6 पर श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा' का प्रस्ताव है।

जनपद उन्नाव की तहसील सदर व विकास खण्ड सिकन्दरपुर करन के अन्तर्गत ग्राम दुबेपुर में क्रीड़ा स्थल और व्यायामशाला का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (व्यपगत)

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद उन्नाव की तहसील सदर व विकास खण्ड सिकन्दरपुर करन के अन्तर्गत ग्राम दुबेपुर में क्रीड़ा स्थल और व्यायामशाला का निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं, इसलिये प्रस्ताव ड्राप किया जाता है।

श्री प्रदीप कुमार यादव उपस्थित हैं, आपकी चर्चा जारी रहेगी।

विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर में दिबियापुर नहर पुल से मल्हौसी नहर पुल तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर में दिबियापुर नहर पुल से मल्हौसी नहर पुल तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रदीप कुमार यादव उपस्थित हैं, आपकी चर्चा जारी रहेगी।

विधान सभा क्षेत्र भरथना के विकास खण्ड महेवा के ग्राम 'अंदावा की मड़ैया' को विकास खण्ड चकरनगर के ग्राम नौगावां से जोड़ने वाले मार्ग पर यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र भरथना के विकास खण्ड महेवा के ग्राम 'अंदावा की मड़ैया' को विकास खण्ड चकरनगर के ग्राम नौगावां से जोड़ने वाले मार्ग पर यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित हैं, आपकी चर्चा जारी रहेगी।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर बस्ती के अन्तर्गत मालवीय रोड पर ब्राह्मण महासभा से होते हुये सेंट बेसिल्स स्कूल तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर बस्ती के अन्तर्गत मालवीय रोड पर ब्राह्मण महासभा से होते हुये सेंट बेसिल्स स्कूल तक सड़क का निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

श्री महेन्द्र नाथ यादव उपस्थित हैं, आपकी चर्चा जारी रहेगी।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में स्थित दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड मोरना की पेराई क्षमता 2500 टी0सी0डी0 से बढ़ाकर 7500 टी0सी0डी0 की जाय एवं चीनी भण्डारण हेतु भवन निर्माण कराये जाने विषयक श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में स्थित दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, मोरना की पेराई क्षमता 2500 टी0सी0डी0 से बढ़ाकर 7500 टी0सी0डी0 की जाय एवं चीनी भण्डारण हेतु भवन निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

श्री चन्दन चौहान उपस्थित हैं, आपकी चर्चा जारी रहेगी।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत कोल नाला से दल छपरा होकर श्रीनगर टी0एस0 बन्धा तक मार्ग का निर्माण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत कोल नाला से दल छपरा होकर श्रीनगर टी0एस0 बन्धा तक मार्ग का निर्माण/सुदृढ़ीकरण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

श्री जय प्रकाश अंचल उपस्थित हैं, आपकी चर्चा जारी रहेगी।

जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र बिधूना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत याकूबपुर को नगर पंचायत बनाये जाने विषयक श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र बिधूना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत याकूबपुर को नगर पंचायत बनाया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती रेखा वर्मा उपस्थिति हैं, आपकी चर्चा जारी रहेगी।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में खानपुर बार्डर से पीथापुर कोटिया तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (व्यपगत)

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में खानपुर बार्डर से पीथापुर कोटिया तक सड़क का निर्माण कराया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

श्री राम सिंह अनुपस्थिति हैं, इनकी चर्चा ड्राप की जाती है।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में एक विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में एक विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करायी जाय।''

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 रागिनी उपस्थित हैं आपकी चर्चा जारी रहेगी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 10-08-2023 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 149 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्री सुरेन्द्र चौरसिया की जनपद मेरठ के थाना मुंडाली में दर्ज मुकदमा में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री चन्द्रपाल सिंह की जनपद बुलन्दशहर के वि0स0 क्षेत्र डिबाई में कतिपय मार्ग के सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र सिंह पटेल की जनपद फतेहपुर के वि0स0 क्षेत्र जहानाबाद में राजकीय महिला इण्टर कालेज की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री पीयूष रंजन निषाद की जनपद कासगंज के पटियाली तहसील में नागर कंचनपुर में अवैध अतिक्रमण हटाते हुये पैमाइश कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री विजय पाल (आढ़ती) की जनपद हापुड़ में कतिपय स्थान पर पुस्तकालय के निर्माण के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री राम अवतार सिंह की जनपद बिजनौर के वि0स0 क्षेत्र नूरपुर में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के वि0स0 क्षेत्र नजीबाबाद के कतिपय सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी) की जनपद जालौन के उरई में फायर ब्रिगेड के जर्जर भवन की मरम्मत के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्रीमती इन्द्राणी देवी की जनपद श्रावस्ती के वि0स0 क्षेत्र भिनगा में राप्ती नदी तट पर बन्धे का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्रीमती ऊषा मौर्या की जनपद फतेहपुर में कतिपय सड़क मार्गों का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा की जनपद कुशीनगर के वि0स0 क्षेत्र फाजिलनगर में कतिपय मार्ग पर पुल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री राम फेरन पाण्डेय की जनपद श्रावस्ती के वि0ख0 इकौना में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की कानपुर नगर के जाजमऊ में जे0के0 रेयान में हुए फ्री-होल्ड घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री विनय प्रकाश गोंड की जनपद कुशीनगर के वि0ख0 रामकोला के कतिपय मार्गों का निर्माण के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा के वि0स0 क्षेत्र खैरागढ़ में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद हरदोई में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से शिक्षिका को छत्रपति शाहू इण्टर कॉलेज हसनापुर में तैनाती न मिलने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्रीमती नीलिमा कटियार की वि0स0 क्षेत्र कल्याणपुर में सांइटिफिक सेंटर बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री प्रसन्न कुमार की जनपद शामली में बिजली सप्लाई सुचारु

रूप से कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री अखिलेश की जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र मुबारकपुर के ग्राम सुराई की चकबन्दी प्रक्रिया कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री राजेश चौधरी की जनपद मथुरा के वि0स0 क्षेत्र मांट में खण्ड वि0अधि0 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री पंकज सिंह की जनपद गौतमबुद्धनगर के वि0स0 क्षेत्र नोएडा में ग्राम इलाहबास में प्राथमिक विद्यालय एवं निठारी व गेझा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय को उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के गरौठा में कतिपय सड़कों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में विद्युत सप्लाई सुचारु रूप से कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के वि0स0 क्षेत्र सफीपुर में कतिपय स्थानों पर हेल्थ ए0टी0एम0 केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री शाहिद मंजूर की जनपद बलिया के ग्राम शाहपुर में धर्म विशेष के विरुद्ध नारे लगाये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री आशुतोष शुक्ल की जनपद उन्नाव के पुरवा में पुरवा पावर हाउस से लाइन मैन के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट) जनपद फतेहपुर के वि0ख0 हस्वा में पेयजल की आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार चौधरी की जनपद बुलन्दशहर के बुलन्दशहर नीमखेड़ा में कतिपय स्थान पर सी0सी0 रोड के निर्माण के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों से मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा में कतिपय सड़क मार्ग के चौड़ीकरण एवं मरम्मत के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्रीमती अंजुला सिंह माहौर की जनपद हाथरस में डिजिटल क्राफ्ट सर्वे योजना की जानकारी के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री राकेश कुमार गोस्वामी की बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को जनपद महोबा के चरखारी मुस्करा के ग्राम बसौठ के पास कट/रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की सरकारी अस्पतालों को सुचारु रूप से चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री अशोक कुमार की जनपद रायबरेली के वि0स0 क्षेत्र सलोन में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री विनोद शंकर अवस्थी की जनपद लखीमपुर खीरी के वि0स0 क्षेत्र धौरहरा में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री महेन्द्र सिंह खडगवंशी की जनपद अमरोहा के हसनपुर में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्रीमती मनीषा की जनपद हमीरपुर के राठ में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किनारों पर औद्योगिक नगरी विकसित किये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री ज्ञान तिवारी की वि0स0 क्षेत्र रामपुर मथुरा में स्वच्छ भारत मिशन में हुये भ्रष्टाचार के दोषियों को सजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालिसवीं सूचना श्री ओमकुमार की

वि0ख0 हल्दौर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में है, चालिसवीं सूचना श्री निर्मल वर्मा की जनपद सीतापुर के बिसवां में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, इकतालिसवीं सूचना डॉ0 जी0 एस0 धर्मेश की जनपद आगरा के वि0स0 क्षेत्र कैंट में कतिपय मार्ग पर नाला निर्माण के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना श्री रवेन्द्र पाल सिंह की जनपद बाराबंकी के वि0स0 क्षेत्र हैदरगढ़ के ग्राम जुगराज का पुरवा में अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालिसवीं सूचना श्री देवेन्द्र सिंह की जनपद कासगंज में कतिपय स्थान पर सड़क चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, चौवालिसवीं सूचना श्री हरिओम की जनपद कासगंज के क्षेत्र अमापुर में कतिपय सड़क मार्ग का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालिसवीं सूचना श्री फतेह बहादुर की प्रदेश में आंखों की बीमारी का प्रकोप की दवाइयों को जिला अस्पताल में दिलवाये जाने के सम्बन्ध में है, छियालिसवीं सूचना श्री चेतराम की जनपद शाहजहांपुर में वि0स0 क्षेत्र पुवायां में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, सैंतालिसवीं सूचना श्री रामपाल वर्मा की जनपद हरदोई के लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, अड़तालसिवीं सूचना श्री भूपेश चौबे की जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज के पचान नदी पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में है, उन्चासिवीं सूचना श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह में ग्राम पंचायत रजपुरा बाह की ग्राम सभा भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासिवीं सूचना श्री मनीष रावत की जनपद सीतापुर के वि0स0 क्षेत्र सिधौली के ग्राम हमीरपुर में कतिपय सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्रीमती केतकी सिंह की जनपद बलिया के वि0स0 क्षेत्र बांसडीह के अन्तर्गत परवतपुर में पानी के नए रेगुलेटर लगवाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री ब्रजभूषण राजपूत की बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर कट बनवाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के वि0स0 क्षेत्र खागा में यमुना नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा के वि0स0 क्षेत्र अलीगंज में पुलिस चौकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री संजय कुमार शर्मा की जनपद बुलन्दशहर में बी0सी0जी0 टेक्नीशियन के स्थाई पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री प्रेम नरायन पाण्डेय की वि0स0 क्षेत्र तरबगंज के ग्राम पंचायत ऐली से लोलपुर तक पक्के बन्धे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार की जनपद प्रतापगढ़ में कतिपय स्थान पर अण्डरपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री सुरेन्द्र मैथानी की गोविन्दनगर वि0स0 क्षेत्र के प्रमुख चौराहों पर स्मार्ट चौराहा बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री अंकुर तिवारी की जनपद सन्तकबीरनगर के वि0स0 क्षेत्र खलीलाबाद में कतिपय मार्ग पर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी की जनपद बहराइच के वि0स0 क्षेत्र पयागपुर के फायर स्टेशन में फायर की गाड़ियां बढ़वाये जाने के सम्बन्ध में है,

इकसठवीं सूचना श्री महेन्द्रपाल सिंह की जनपद गोरखपुर में राजस्व की जमीन का सर्किल रेट की वर्तमान स्थिति के अनुसार निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर के वि0स0 क्षेत्र चिल्लूपार में कतिपय सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री आर0 के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, चौंसठवीं सूचना श्रीमती पूजा की जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र मेंहनगर में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना श्री लकी यादव की जनपद जौनपुर के ग्राम चांदपुर में कतिपय सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, छाछठवीं सूचना श्री गौरव कुमार की जनपद बाराबंकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मरीजों को बेहतर उपचार दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, सड़सठवीं सूचना श्री राम मूर्ति वर्मा की पुरानी पेंशन योजना बहाली के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री आनन्द कुमार यादव की जनपद बहराइच के कैसरगंज में कतिपय सड़क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, उनहत्तरवीं सूचना श्री रफीक अंसारी की जनपद मेरठ के वि0स0 क्षेत्र हापुड़ में राजकीय कन्या इण्टर कालेज में शिक्षिकाओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की ग्राम पंचायत अरखा से निगोहां जाने वाले मार्ग के नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकहत्तरवीं सूचना श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया की जनपद बदायूं के सामुदायिक ऑडिटोरियम के निर्माण के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना श्री राजीव कुमार की जनपद अमरोहा में ग्राम शेरपुर से कतिपय मार्ग तक तटबन्ध के निर्माण के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवीं सूचना श्री लक्ष्मी राज सिंह की जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के रजिस्ट्री कार्यालय को शहर के बाहर स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी की जनपद एटा के वि0स0 क्षेत्र मारहरा में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं सूचना श्री अमन गिरि की जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम मालपुर में पावर प्लांट स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, छिहत्तरवीं सूचना श्री गणेश चन्द्र की सन्तकबीरनगर स्थित विश्वनाथपुर से कतिपय मार्ग का चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, सतहत्तरवीं सूचना प्रो0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के वि0स0 क्षेत्र फरीदपुर में नवीन मण्डी बनवाने के सम्बन्ध में है, अठहत्तरवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के रसड़ा में शारदा सहायक खण्ड-32 में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में है, उन्यासवीं सूचना डॉ0 आर0 के0 पटेल की जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र मडियाहूँ में राजकीय महाविद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं सूचना श्री जीत लाल पटेल की जनपद प्रतापगढ़ के वि0स0 क्षेत्र विश्वनाथगंज में ग्राम सभा महुवा वन गामी में निर्मित डिग्री कालेज की समिति के जांच के सम्बन्ध में है, इक्यासीवीं सूचना श्री ब्रजेश यादव की जनपद बदायूं के वि0स0 क्षेत्र सहसवान में अस्पताल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयासीवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद सिद्धार्थनगर के थाना कठेला में तत्कालीन इन्स्पेक्टर की गलत जांच से उत्पन्न स्थिति के

सम्बन्ध में है, तिरासीवीं सूचना डॉ0 शिव प्रताप यादव की जनपद बलरामपुर के वि0स0 क्षेत्र गैसड़ी में कतिपय मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरासीवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की सिंचाई विभाग के अन्तर्गत रिक्त पदों पर स्थानान्तरण नीति के अनुसार पदस्थापना नहीं किये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चासीवीं सूचना श्री मो0 ताहिर खान की जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत इसौली में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, छियासीवीं सूचना श्री त्रिभुवन दत्त की जनपद अम्बेडकरनगर के पिकिया नदी पर पुल का निर्माण के सम्बन्ध में है, सत्तासीवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव की जनपद बाराबंकी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की टी0ए0सी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठासीवीं सूचना डा0 वीरेन्द्र यादव की जनपद गाजीपुर के वि0स0 क्षेत्र जंगीपुर के पी0एच0सी0 में एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवासीवीं सूचना श्री जाहीद की जनपद भदोही कारपेट एक्सपो में स्वचालित सीढ़ियां लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, नब्बेवीं सूचना श्री नफीस अहमद की राजकीय सहायता प्राप्त डिग्री स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेज में नियुक्ति में हुयी अनियमितता के सम्बन्ध में है, इक्यानवीं सूचना श्री चन्दन चौहान की जनपद मुजफ्फरनगर के हस्तिनापुर में गंगा नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में है, बानबेवीं सूचना श्री बावन सिंह की जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरानबेवीं सूचना श्री अताउर रहमान की जनपद बरेली के वि0स0 क्षेत्र बहेड़ी में कतिपय सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में है, चौरानबेवीं सूचना श्रीमती सरोज कुरील की वि0स0 क्षेत्र घाटमपुर में कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्चानबेवीं सूचना श्री कैलाश राजपूत की जनपद अमेठी के पोस्ट कनकपुर में छत से एल0टी0 लाइन हटवाने के सम्बन्ध में है, छियानबेवीं सूचना श्री सभा कुंवर की भारत सरकार द्वारा वात्सल्य योजना की नवीन गाइड लाइन को अन्य राज्यों की भांति प्रदेश में स्थापित किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्त अध्यक्ष/सदस्यों के मानदेय दिये जाने व कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में है, सत्तानबेवीं सूचना श्री अमित अग्रवाल की जनपद मेरठ के मे0 मोदी रबर लि0, मोदीनगर में ग्राण्ड डीड की धारा-1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश 07-12-2013 के अनुसार श्रमिकों के हित में आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठानबेवीं सूचना श्री अभय सिंह की जनपद अयोध्या के ग्राम पंचायत रामापुर, वि0ख0 मया बाजार में कतिपय सड़कें ग्रामवासियों द्वारा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, निन्यानबेवीं सूचना इंजी0 सरवन कुमार निषाद की उप जिलाधिकारी सदर, वाराणसी के अवैध कब्जा खाली कराने के आदेश का अनुपालन कराने हेतु पुलिस कमिश्नर वाराणसी द्वारा पुलिस बल दिलवाने तथा उच्च न्यायालय का आदेश का पालन तत्काल अनुपालन कराए जाने के सम्बन्ध में है, सौवीं सूचना श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू की जनपद कुशीनगर के पडरौना में नहरों की सिल्ट सफाई तथा क्षतिग्रस्त पुलियों की मरम्मत के साथ बांसी नदी के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में है, एक सौ एकवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह की

जनपद बरेली के तहसील सदर में कतिपय भूमि स्वामी को कब्जा दिलाए जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दोवीं सूचना श्री अरमान खान की जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम की आवासीय कालोनी में प्रतिष्ठान बन्द करवाकर लोगों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में है, एक सौ तीनवीं सूचना डॉ0 विनोद कुमार बिन्द की जनपद सीतापुर के बिसवां में श्रीमती आशमा पत्नी सज्जन खान, निवासी ग्राम रेउसा को परिवार सहित दबंगों व थानाध्यक्ष की मिली-भगत से मकान पर कब्जा के सम्बन्ध में है, एक सौ चारवीं सूचना श्री नन्दकिशोर की जनपद गाजियाबाद के लोनी में कतिपय अधिकारी के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ पांचवीं सूचना श्री असीम कुमार की जनपद उन्नाव के सदर वि0स0 क्षेत्र में कतिपय सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ छठवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की जनपद बस्ती के पुलिस अधिकारियों द्वारा फर्जी मुकदमे लगाकर निर्दोष व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियमों में फंसाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सातवीं सूचना श्री रमेश जायसवाल की पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर में कतिपय सड़क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, एक सौ आठवीं सूचना श्री अशरफ अली खान की जनपद शामली में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ नौवीं सूचना श्री राजपाल सिंह बालियान की बेसिक शिक्षा विभाग में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दसवीं सूचना श्री बेचई सरोज की वि0स0 क्षेत्र लालगंज में कतिपय मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, एक सौ ग्यारहवीं सूचना श्री प्रभाष कुमार की उ0प्र0 राजस्व परिषद् समूह ख और समूह ग सेवा नियमावली, 2014 को संशोधित प्रस्ताव के अनुसार नियमावली, 1999 से लागू कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ बारहवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के बैरिया में कतिपय अस्पतालों में डाक्टर व स्टाफ की नियुक्ति व सुचारु रूप से चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ तेरहवीं सूचना श्री राज प्रसाद उपाध्याय की जनपद सुल्तानपुर में कतिपय मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चौदहवीं सूचना श्री योगेश वर्मा की लोक बन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ परिसर के सरकारी आवास टाइप-1 में अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ पन्द्रहवीं सूचना श्री अमरेश कुमार की जनपद मोहनलालगंज में फायर ब्रिगेड की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सोलहवीं सूचना श्री राम सिंह की जनपद प्रतापगढ़ में धर्म विशेष पर जाति भेद-भाव किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सत्रहवीं सूचना श्रीमती राजबाला सिंह की जनपद रामपुर के स्वार में अवैध खनन से हो रही दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में है, एक सौ अट्ठारहवीं सूचना श्री सौरभ सिंह सोनू की उ0प्र0 सचिवालय डिस्पेंसरी में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी का स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ उन्नीसवीं सूचना श्री प्रदीप शुक्ला की जनपद गोरखपुर के वि0स0 क्षेत्र सहजनवां में कतिपय मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, एक सौ बीसवीं सूचना श्री हृदय नारायण सिंह पटेल की ग्राम पंचायत महुला में पानी की टंकी चालू

करवाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ इक्कीसवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के कतिपय सड़क मार्गों के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, एक सौ बाइसवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर की बजाज शुगर मिल में किसानों की बकाया धनराशि न मिलने के सम्बन्ध में है तथा एक सौ तेइसवीं सूचना श्री स्वामी ओउ्मवेश की जनपद बिजनौर के वि0स0 क्षेत्र चांदपुर में कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

मोहम्मद हसन रूमी, श्री कमाल अख्तर, श्री कमलाकान्त राजभर, श्री रमेश सिंह, श्री संदीप सिंह, डॉ0 पल्लवी पटेल, श्री राजेश्वर सिंह, श्री मनीष असीजा, श्री पंकज पटेल, श्री राम चन्द्र यादव, श्री राम अचल राजभर, श्री पूरन प्रकाश, श्री ओम प्रकाश, श्री मनोज कुमार पारस, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', श्री विवेक कुमार वर्मा, श्री प्रकाश द्विवेदी, श्री विवेकानन्द पाण्डेय, श्री लालजी वर्मा, श्रीमती इन्द्राणी देवी, श्री आशु मलिक, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुकेश चौधरी, श्री राजीव गुम्बर।

विधान सभा क्षेत्र कालपी में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री विनोद चतुर्वेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)-

विधान सभा क्षेत्र कालपी ....

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

सर इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नियम-51 की सूचना

श्री जितिन प्रसाद-

[स्थित राठ-कालपी-मदारीपुर मार्ग पर आवागमन का भारी दबाव रहता है। मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। भारी वाहन निकलने पर पूरी सड़क अवरुद्ध हो जाती है, दूसरे वाहन नहीं निकल पाते हैं। इस मार्ग से हजारों गाँवों की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनता का आवागमन होता है। इस मार्ग को चौड़ा कर डिवाइडर रोड एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराना अति आवश्यक है। कई बार अनुरोध के बावजूद मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण न होने से जनता में काफी आक्रोश है तथा सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से माँग करता हूँ कि राठ-कालपी-मदारीपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव शीघ्र तैयार कराकर आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

वक्तव्य-

राठ-कालपी-मदारीपुर मार्ग (एस0एच0-130) की कुल लम्बाई 94.275 किमी0 है। जिसमें से प्रारम्भिक 29.470 किमी0 लम्बाई जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत तथा शेष 64.805 किमी0 लम्बाई जनपद जालौन के अन्तर्गत आती है। जनपद जालौन में प्रारम्भिक 24.765 किमी0 की लम्बाई 5.50 मीटर की चौड़ाई में सी0सी0 मार्ग निर्मित है तथा अवशेष 40.04 किमी0 लम्बाई में मार्ग 7.00 मीटर (02 लेन) चौड़ा है, जिसमें से 12.70 किमी0 का सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। शेष 27.34 किमी0 लम्बाई में सुदृढ़ीकरण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है। यह सड़क स्टेट हाई-वे की सड़क है। यह सड़क राठ-कालपी-मदारीपुर-औरैया जनपदों को जोड़ती है। इसकी कुल लम्बाई 94 किमी0 है। जिसमें से 29 किमी0 सड़क हमीरपुर के अन्तर्गत है और मा0 मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि सिर्फ 24 किमी0 शेष है। साढ़े पांच किमी0 सी0सी0 रोड बनी है और 27.34 किमी0 सड़क बननी है। इसमें यह सड़क अधूरी छोड़ी गयी है। आप भी कई बार कहते हैं कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का हम नहीं सुनना चाहते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, हमारा आपसे निवेदन है कि यह सड़क आधी बनी है। जबकि यह सरकार कहती है कि हम पूर्ण काम करेंगे, कोई काम अधूरा नहीं करते हैं तो यह आधी बनी है और आधी ऐसी ही पड़ी है, जबकि इससे भारी वाहन आते-जाते हैं। यह सड़क तीन जिलों को जोड़ती है, मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इन्होंने तो लिख दिया कि अनुरोध है कि मा0 मंत्री जी इस सड़क को बनाने का तो कह दें। इन्होंने तो लिख दिया कि शेष 27.34 किमी0 लम्बाई में सुदृढ़ीकरण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

श्री जितिन प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष जी, जो राठ-कालपी-मदारीपुर मार्ग की बात मा0 सदस्य ने कही है। यह सही है कि यह 94 किमी0 सड़क है, यह दो जनपदों हमीरपुर और जालौन की सड़क है। जहाँ

तक जिस जगह की यह बात कर रहे हैं वह 27 किमी0 लम्बाई का एक भाग है। जिसको 2022 में वाइडनिंग करके चौड़ा कराया गया था और बीच का जो हिस्सा है वह थोड़ा क्षतिग्रस्त है।

मान्यवर, बीच का हिस्सा थोड़ा क्षतिग्रस्त है, मगर मोटरेबल है और मा0 सदस्य की डिमाण्ड है कि इसकी वाइडनिंग एवं स्ट्रेन्थनिंग की जाए। मैंने विभागीय अधिकारियों से उसकी लागत मंगाई थी, तो अन्दाजन उसमें 80 करोड़ रुपया लगेगा और मैंने मा0 सदस्य को सूचित भी किया है कि यह वित्तीय संसाधनों के ऊपर निर्भर करती है और अभी जो स्थिति है वह यह है कि यह रोड मोटरेबल है, वहां पर जो भी स्थिति है, सी0सी0 रोड भी बनी है और जहां की आप बात कर रहे हैं वहां पर अभी कोई कष्ट नहीं है।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, आप यह रिकार्ड मांगा लें कि इस सड़क पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग मरे हैं। अभी भी इस सड़क पर दर्जनों बिजली के खम्भे हैं। सरकार के लिए 77 करोड़ रुपया कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मा0 मंत्री जी यह सड़क तीन-तीन जिलों को जोड़ती है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे 7,766 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है उससे यह रोड सीधी मिल जाती तो ज्यादा अच्छा होता। जितना बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे घूमा है उतने में ही यह रोड तीनों जिलों को मिला देती। मा0 अध्यक्ष जी आप आदेश कर दें।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, आपने मद संख्या-24 पुकारा है, लेकिन मद संख्या-24 के मा0 सदस्य अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं। अब आप आगे का मद ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मद संख्या-24 के मा0 सदस्य अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन मा0 मंत्री जी इसको पढ़ दीजिए।

जनपद गाजीपुर के ग्राम पंचायत रवसहा में ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य (राज्य मंत्री) (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, उपायुक्त (श्रम रोजगार), गाजीपुर द्वारा पत्र दिनांक 09-08-2023 के माध्यम से .....

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत रकसहा में ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर दर्ज ऑनलाईन सन्दर्भ सं0-40019523008830 के क्रम में उपायुक्त (श्रम रोजगार), गाजीपुर द्वारा त्रिसदस्यीय कमेटी गठन कर शिकायत की जाँच करायी गयी। उक्त समिति के अध्यक्ष खण्ड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी (कृषि)/तकनीकी सहायक मनरेगा सदस्य थे। समिति द्वारा मौके पर निरीक्षण में निम्नलिखित तथ्य पाये गये :-

1-पक्का नाला का निर्माण ग्राम पंचायत रकसहा में राजदेव यादव के घर से गांव के बाहर बाहा के पास तक हुआ है।

2-पक्के नाले की लम्बाई 385.00 मीटर, चौड़ाई 0.50 मीटर व गहराई 0.40 मीटर है।

3-राजदेव यादव के घर से 130 मीटर के बाद 20 मीटर नाला की बाहरी दीवार मिटटी कटान के कारण खेत की तरफ गिर गयी है।

4-राजदेव यादव के घर से 240 मीटर के बाद नाला की बाहरी दीवार 40 मीटर सपोर्ट नहीं होने के कारण खेत की तरफ झुक गयी है।

5-पक्का नाला आबादी के पास एवं रोड के तरफ जिधर सपोर्ट है सही स्थिति में है।

6-पक्का नाला की दीवार में कहीं-कहीं दरार आ गयी है व ऊपरी सतह क्षतिग्रस्त हो गयी है।

प्रश्नगत कार्य मनरेगा योजना अन्तर्गत नहीं कराया गया है। सम्बन्धित कार्य राज्य वित्त/पन्द्रहवां वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रकसहा द्वारा कराया गया है। उक्त कार्य में पायी गयी कमियों को सही कराने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एक माह का समय मांगा गया था। ग्राम पंचायत द्वारा मरम्मत कराया भी गया, परन्तु कृषकों द्वारा वहां ट्रैक्टर से जुताई कराते समय पुनः उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित, जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजीपुर के पत्र दिनांक 09-08-2023 के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी, भदौरा की अध्यक्षता में गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया निर्माण के कार्य में गुणवत्ता व निर्माण में कमी होने के कारण सम्बन्धित सचिव व ग्राम प्रधान दोषी हैं। दोषी सचिव व ग्राम प्रधान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी, गाजीपुर को प्रेषित किया जा रहा है।]

जनपद फतेहपुर से मोहनलालगंज लखनऊ तक 116 किमी0 सीमा को मोहनलालगंज से मौरावां बिहार थाना होते हुये मुरादीपुर चौराहे से ललौली यमुना तक फोर लेन किये जाने के सम्बन्ध में श्री जय कुमार सिंह जैकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-25 को पहले ले चुका हूँ, जो श्री जय कुमार सिंह जैकी जी से सम्बन्धित है।

लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)-

मान्यवर, मोहनलालगंज से चित्रकूट तक वर्तमान मार्ग विभिन्न जनपदों लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर तथा.....

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री जितिन प्रसाद-

[बाँदा से गुजरता है। वर्तमान में मार्ग की कुल लम्बाई 154.037 किमी0 है। इसमें से जनपद बाँदा में 15.637 किमी0 मार्ग पूर्व से 04 लेन निर्मित है। शेष मार्ग की विभिन्न चौड़ाई 3.75 मी0, 5.50 मी0 एवं 7.00 मी0 से चार लेन में चौड़ीकरण किया जाना यातायात घनत्व एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में कतिपय सड़को की मरम्मत के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)-

मान्यवर, जनपद अयोध्या की विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत खजुरहट मिल्कीपुर-अमानीगंज-रुदौली-रौजागांव .....

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री जितिन प्रसाद-

[मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग सं0-184ई) की कुल लम्बाई 53.900 किमी0 है। भारी यातायात एवं कस्ट कम होने के कारण रुदौली से अमानीगंज के मध्य 7.00 किमी लम्बाई में मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। मार्ग पर अत्यधिक वर्षा होने से जल भराव हो गया था जिसे पटरी पर पनकटे बनाकर निकाल दिया गया है। मार्ग के गड्ढों में आवश्यकतानुसार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत ब्रिक बैलास्ट/स्टोन बैलास्ट डालकर यातायात को सुचारु रूप से चलाया जा रहा है। उक्त मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में कतिपय स्थानों पर सड़कों के चौड़ीकरण व पुनः निर्माण के सम्बन्ध में श्री कमाल अख्तर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)-

मान्यवर, अमरोहा-कैलसा-पाकबड़ा मार्ग (राज्य मार्ग-78) एक राज्य मार्ग है। इस मार्ग के .....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री जितिन प्रसाद-

[पाकबड़ा आबादी भाग में व्यापारियों/निवासियों द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके कारण सुगम यातायात में व्यवधान तथा दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है । अतः अतिक्रमण हटाने के लिये लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राजस्व अभिलेखों के अनुसार सरकारी भूमि तक अतिक्रमण हटाने हेतु निशान लगाये गये हैं तथा सम्बन्धित व्यापारियों/निवासियों को अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस दिये गये हैं।]

***श्री कमाल अख्तर-**

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के अन्दर अमरोहा से कैलसा एक मार्ग है, जो अमरोहा से चलकर दिल्ली एवं मुरादाबाद को जोड़ता है। वहां पर सड़क के चौड़ीकरण के लिए पी0डब्ल्यू0डी0 की कोई भी योजना लम्बित नहीं है और न होने वाली है। करीब सैकड़ों वर्ष पुरानी वहां पर एक मार्केट है। पहले वहां पर तीन मीटर चौड़ी सड़क थी, तब भी वहां पर मार्केट थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार के अन्दर सात मीटर चौड़ी सड़क हुई और उसके बाद भी वहां पर सड़क के दोनों किनारों पर एक-एक, दो-दो मीटर सड़क की जगह शेष है। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि उस मार्केट में कई हजार दुकानदार हैं और उस मार्केट के अन्दर एक कब्रिस्तान का बहुत बड़ा एरिया आता है। वहां पर मस्जिद है, लोगों के कई-कई मंजिल के मकान हैं। वहां पर पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा निशान लगाये गये, पहले एक-एक मीटर का निशान लगाया गया और अब सात-सात मीटर का निशान लगाकर यह कहा गया कि यह जमीन पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग की है और यह जमीन सरकारी है। जबकि वहां पर 40 साल एवं 50 साल पुरानी लोगों की रजिस्ट्रियां एवं बैनामे हैं, जो उनकी पुश्तैनी जमीन है उसके भी पेपर हैं, लेकिन विभाग उसको मानने को तैयार नहीं है। मेरा मा0 मंत्री जी एवं आपसे अनुरोध है कि उस मार्केट में हजारों की संख्या में छोटे-छोटे गरीब दुकानदार हैं, उनकी समस्या को देखकर और जब वहां पर कोई योजना लम्बित नहीं है, जब वहां पर पी0डब्ल्यू0डी0 का कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, तो इसलिए मेरा मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि उन गरीब लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए और उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो अभियान चलाया जा रहा है उसको रोकने की कृपा करें।

श्री जितिन प्रसाद-

मान्यवर, यह जनपद अमरोहा की पाकबड़ा सड़क का मामला है। यहां पर कुछ व्यापारियों एवं निवासियों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है और वह पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग की सरकारी जमीन है और अभी सिर्फ चिन्हित किया गया है कि जिन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है उनको सूचित कर दिया गया है, मगर मैं विभाग से कहूंगा कि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखें। जमीन अगर सरकारी है तो वह खाली होनी ही चाहिए उसमें अतिक्रमण नहीं होगा और जिनके कागज हैं, जिनकी जमीन है उनका अधिकार बनता है, लेकिन अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, तो उसको दृष्टिकोण में रखते हुए अभी मार्किंग की गयी है।

श्री ओम प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, हमें अपने वक्तव्य में कुछ पूछना था।

श्री अध्यक्ष-

आप उस समय कहां चले गये थे।

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं उन्हें बताया नहीं जा सकता।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष-

आप थे नहीं तो मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी चली गयीं।

श्री ओम प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा यहां एक बयान आया है कि डी0एम0 को कार्यवाही करने के लिए भेजा गया है, जबकि लाखों का गबन हुआ है, इस पर कोई कार्यवाही न करके कहा गया है कि इस कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी को पत्रावली भेजी जाये। मेरा आपसे निवेदन है कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से कह दीजिए कि यह बहुत बड़ी घपलाबाजी है, इसकी जांच होने के बाद रिपोर्ट में है कि कई लाख का गबन हुआ है। ऐसे में जिलाधिकारी को भेजने का कोई औचित्य नहीं है सीधे कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

क्या उसमें जांच हो गयी है ? आपकी डिमाण्ड क्या है ?

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, हम चाहते हैं कि कार्यवाही हो ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मा0 सदस्य चाहते हैं कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही हो जाये।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

ठीक है मान्यवर।

जनपद फिरोजाबाद के थाना रामगढ़, थाना दक्षिण एवं थाना उत्तर के अत्यन्त पुराने एवं जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण एवं नवीन भवन निर्माण के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ के प्रशासनिक भवन एवं सर्विस ब्लाक के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश 24-03-2023 द्वारा.....

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[धनराशि रु0 743.82 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रु0 300.00 लाख व्यय हेतु अवमुक्त की गयी है। चिन्हित भूमि, जिस पर निर्माण कार्य किया जाना है, वह नगर निगम फिरोजाबाद के हक में दर्ज है। उक्त भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में नगर निगम फिरोजाबाद सदन की बोर्ड बैठक दिनांक 12-06-2023 में प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया, जिस पर नगर निगम फिरोजाबाद सदन द्वारा पुलिस विभाग को हस्तान्तरित किये जाने हेतु नगर विकास विभाग से अनुरोध किया गया है। नगर विकास विभाग द्वारा प्रश्नगत भूमि गृह विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित होने के उपरान्त निर्माण कार्य की अग्रेतर कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी।

थाना दक्षिण के पुराने जर्जर आवासीय/अनावासीय भवन के ध्वस्तीकरण तथा मलबे की नीलामी के उपरान्त कार्यदायी संस्था नामित की जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि थाना दक्षिण के भवन के मानकीकरण किये जाने हेतु मा0 मंत्रि-परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। मा0 मंत्रि-परिषद् का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रश्नगत थाना के निर्माण हेतु प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

थाना उत्तर के जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण हेतु शासनादेश दिनांक 17-01-2020 द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गयी है। ध्वस्तीकरण एवं मलवे की नीलामी के उपरान्त प्रश्नगत भवन के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बागपत के विकास खण्ड बड़ौत थाना रमाला, ग्राम सभा बरवाला के अन्तर्गत ग्राम बरवाला में शहीद लांस नायक जयपाल सिंह की पत्नी महेन्द्री को आवंटित कृषि भूमि पर अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश धामा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, श्रीमती महेन्द्री पत्नी स्व0 जयपाल के पक्ष में वर्ष 1977 से खसरा संख्या-283/0.164 हे0,.....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मानते हैं।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[खसरा सं0-291/0.2150, खसरा सं0- 422/0.054 हे0 एवं खसरा सं0-459/0.506हे0 कुल नम्बर-04, रकबा 0.939 हे0 कृषि आवंटन हुआ था । गाटा संख्या-283/0.164 हे0, खं0स0-291, रकबा 0.2150, ख0स0-422, रकबा 0.054 हे0 पर श्रीमती महेन्द्री का आवंटित क्षेत्रफल पर पूर्णतः कब्जा है। विवाद मात्र खसरा स0-459 के सम्बन्ध में है। खसरा सं0-459 का कुल रकबा 3.1810 है, जिसके अधिकांश भाग पर आबादी बसी हुई है। आवंटन के समय से ही खसरा सं0-459 के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हुआ, जिसका वाद विभिन्न न्यायालय में चला। राजस्व टीम व पुलिस बल द्वारा पूर्व में दिनांक 06-07-2022 को मौके पर जाकर उभय पक्षों की उपस्थिति में आपसी सहमति के आधार पर कब्जा दिलाया गया, किन्तु यह कब्जा आवंटित भूमि से कम रकबे पर है। चूंकि खसरा सं0-459 के अधिकांश भाग पर आबादी बनी है तथा शिकायतकर्ता द्वारा खसरा सं0-459 में रविन्द्र कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण रामनारायण आदि का अवैध कब्जा बताया जा रहा है, जो पूर्व से ही चला आ रहा है। विवादित भूमि चहारदीवारी से आबद्ध है तथा बतौर आबादी प्रयुक्त हो रही है। जिसके सम्बन्ध में एक वाद संख्या-5/2022 विशाल आदि बनाम लोकेन्द्र आदि मा0 सिविल न्यायालय बागपत में योजित हुआ, जिसमें दिनांक 20-01-2023 को मा0 न्यायालय द्वारा मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त सिविल वाद में श्रीमती महेन्द्री का पुत्र लोकेन्द्र वाद में पक्षकार है, उक्त के अतिरिक्त ख0सं0-459 के बावत ही तहसीलदार बड़ौत के न्यायालय में उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-67 के अन्तर्गत वाद संख्या-1048/2023

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-टी 202311080401048 भूमि प्रबन्धक समिति बनाम रविन्द्र, वाद संख्या-1049/2023 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-टी 202311080401049 भूमि प्रबन्धक समिति बनाम सुनील कुमार, वाद संख्या-1047/2023 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-टी 202311080401047 भूमि प्रबन्धक समिति बनाम देशपाल, वाद संख्या-1046/2023 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-टी 202311080401046 भूमि प्रबन्धक समिति बनाम विशाल निवासीगण ग्राम बरवाला, तहसील बड़ौत विचाराधीन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में मा0 सिविल न्यायालय जनपद बागपत द्वारा दिनांक 20-01-2023 को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने सम्बन्धी आदेश पारित किये गये हैं एवं तहसीलदार बड़ौत के न्यायालय में भी वाद विचाराधीन है। यह भी उल्लिखित करना है कि खसरा सं0-459 के अधिकांश भाग पर आबादी बनी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश के उपरान्त ही मौके पर कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव है।]

जनपद अमेठी के निवर्तमान अपर जिलाधिकारी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं अवैधानिक कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मंयकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि नियुक्ति अनुभाग-2 के आदेश दिनांक 23-12-2022 द्वारा श्री राज कुमार द्विवेदी, तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[अमेठी का स्थानान्तरण विशेष कार्याधिकारी, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद पर किया गया था। श्री राज कुमार द्विवेदी दिनांक 24-12-2022 की अपराह्न में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) जनपद अमेठी के पद से कार्यमुक्त हुए थे। श्री राज कुमार द्विवेदी द्वारा स्थानान्तरण तिथि से पन्द्रह दिन पूर्व और स्थानान्तरण निर्गत तिथि के उपरान्त निर्गत किये गये समस्त आदेशों की जांच आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या से कराये जाने के आदेश-पत्र

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संख्या-04 नियम/दो-2-2023-19/2(11)/2023, दिनांक 08-08-2023 द्वारा निर्गत कर दिये गये हैं।]

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, केवल समयबद्ध जांच हो जाये।

श्री मंयकेश्वर शरण सिंह-

आप निश्चिन्त रहिए, हमारी सरकार में सारा काम समयबद्ध ही होता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने कह दिया है सब समय से हो जाएगा।

जनपद कानपुर के सुजातगंज चंदारी वार्ड-99 के जलाशय को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 हसन 'रुमी' द्वारा दी नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, श्री मो0 हसन 'रूमी', मा0 सदस्य, विधान सभा, 216, कैण्ट-कानपुर नगर, जनपद कानपुर नगर द्वारा उत्तर प्रदेश ....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मानते हैं।

(नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 08-08-2023 को दी गयी सूचना में निम्न तथ्यों का उल्लेख करते हुए केवल वक्तव्य की माँग की गयी है :-

आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। उपरोक्त विषय जो 14 वर्षों से बिना कनेक्शन के 17 लाख लीटर का जलाशय बना खड़ा था मेरे द्वारा विगत वर्ष के प्रथम सत्र में नियम-51 की सूचना से सदन का ध्यान आकर्षित किया था जिसमें सम्बन्धित विभाग द्वारा सदन के माध्यम से अवगत कराया गया था कि चार

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माह में उपरोक्त जलाशय को चालू कर दिया जायेगा। परन्तु बड़े खेद के साथ सदन का ध्यान पुनः आकर्षित कर रहा हूँ कि जनहित के इस अति गम्भीर विषय को सम्बन्धित विभाग ने निष्क्रियता दिखाते हुए पेयजल समस्या को दूर करने की संकल्पित सरकार को बदनाम करने में अपनी सक्रियता दिखाई। 13 किमी0 की लाइन बिछनी थी, 7 किमी0 का कार्य हुआ है, क्षेत्र में गम्भीर पेयजल की समस्या है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार से उपरोक्त समस्या से निजात दिलाये जाने हेतु वक्तव्य दिये जाने की माँग करता हूँ।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सुजातगंज चंदारी क्षेत्र में 1700 किलो लीटर क्षमता का ओवरहेड टैंक का निर्माण वर्ष 2014 में पूर्ण कर लिया गया था, परन्तु भूमि विवाद के कारण पम्प हाउस, बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य सम्बन्धित कार्य बाधित रहे। बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण न होने के कारण स्थानीय निवासियों द्वारा निर्मित भूमिगत जलाशय (सी0डब्लू0आर0), उच्च एवं निम्न पैनल (एस0टी0/एल0टी0 पैनल रूम) एवं विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। जोनल पम्पिंग स्टेशन के निर्माण, पाइप लाइन बिछाने एवं विद्युत उपकरणों के अधिष्ठापन का कार्य अनुबंधित फर्म मेसर्स रैमकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, हैदराबाद द्वारा किया जा रहा था। पुलिस बल के सहयोग से फरवरी, 2022 तक जोनल पम्पिंग स्टेशन (जेड0पी0एस0) के सिविल कार्य पूर्ण करा दिये गये थे। उक्त फर्म द्वारा प्रस्तावित 12.67 किमी0 वितरण प्रणाली के सापेक्ष 7.2 किमी0 वितरण प्रणाली बिछाई जा चुकी है एवं 06 किमी0 वितरण प्रणाली बिछाया जाना शेष है। मेसर्स रैमकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, हैदराबाद द्वारा मई, 2022 में समस्त कार्य 04 माह में पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था, परन्तु कई बार अवसर प्रदान करने के बाद भी वर्तमान तक अवशेष कार्य पूर्ण नहीं कराये गये। उक्त फर्म की कार्य-प्रणाली के दृष्टिगत फर्म को अनुबन्ध संख्या-15/एस0ई0/2009-10, धारा-4 'बी' के अन्तर्गत बॉण्ड निरस्तीकरण (डिटरमाइन) की कार्यवाही कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध मेसर्स रैमकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, हैदराबाद द्वारा मा0 वाणिज्यिक न्यायालय, लखनऊ में वाद संख्या-55/2023 योजित किया गया है, जिसकी अगली सुनवाई मा0 न्यायालय में 05-09-2023 नियत है। उक्त फर्म को काली सूची में डाले जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और इस सम्बन्ध में उक्त फर्म को अन्तिम कारण बताओ नोटिस मुख्य अभियन्ता (क्रय), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्र दिनांक 15-06-2023 द्वारा निर्गत किया गया है।

वर्तमान में नगर निगम, कानपुर के सुजातगंज चन्दारी वार्ड सं0-99 में 02 नग नलकूप एवं 33 नग हैण्डपम्प एवं सब-मर्सिबल पम्प आदि के माध्यम से जलापूर्ति होती है।]

जनपद मेरठ की सरधना विधान सभा क्षेत्र के कस्बा दौराला में शुगर मिल में वाटर ट्रीटमेंट कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल प्रधान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य

वित्त एवं संसदीय कार्य (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-जी-41382/सी-3/वि0प्र0 83/2023 .....

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मानते हैं।

(पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दिनांक 09-08-2023 द्वारा श्री अतुल प्रधान, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 08-08-2023 को दी गयी सूचना के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार निम्नवत् अवगत कराना है :-

जनपद-मेरठ स्थित शुगर मिल मेसर्स दौराला शुगर वर्क्स (शुगर इकाई), दौराला, जनपद-मेरठ द्वारा कच्चे माल के रूप में 12,500 टन/दिन गन्ने की पेराई कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में ऑफ सीजन होने के कारण दिनांक 07-05-2023 से उद्योग बन्द है। उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 2600 कि0ली0/दिन क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाइयाँ यथा-ऑयल एण्ड ग्रीस स्कीमर, इक्वलाईजेशन टैंक, एनारोबिक फिल्टर, एयरेशन टैंक, सेकेण्डरी क्लेरिफायर, एयरेशन टैंक सेकेण्ड, क्लेरिफायर सेकेण्ड, स्लजड्राइंग बेड्स, मल्टीग्रेड फिल्टर एवं कार्बन फिल्टर हैं। संदर्भित उद्योग का निरीक्षण बोर्ड द्वारा दिनांक 06-04-2023 को किया गया था एवं निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संचालित पाया गया। तद्दिनांक को उक्त उद्योग से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूने की प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार समस्त प्रचालक निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये। उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नियमित अनुश्रवण हेतु आनलाइन कॉन्टिन्यूअस एफ्लुएन्ट, मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्थापित है, जोकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से संयोजित है। उक्त मॉनिटरिंग सिस्टम बोर्ड द्वारा किये गये निरीक्षण के समय संचालित पाया गया। उद्योग द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सिंचाई हेतु कृषि भूमि पर प्रयोग में लाया जाता है। उद्योग को बोर्ड

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत सशर्त सहमति जल तथा वायु दिनांक 31-12-2024 तक निर्गत है।

दौराला एवं आसपास के गांवों में कैंसर सहित विभिन्न रोगों के फैलने के सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मेरठ के पत्र संख्या-483/विधान सभा प्रश्न/23, दिनांक 08-08-2023 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके सम्बन्ध में सूचना प्रतीक्षित है।

उद्योग को भू-गर्भ जल विभाग, उ0प्र0 द्वारा भू-गर्भ जल दोहन हेतु दिनांक 19-06-2026 तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। अग्रेतर उक्त उद्योग द्वारा गाइडलाइन्स के विरुद्ध पानी के दोहन की सूचना की प्राप्ति के सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मेरठ के पत्र संख्या-484/विधान सभा/23, दिनांक 08-08-2023 द्वारा सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भू-गर्भ जल विभाग, मेरठ को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके सम्बन्ध में सूचना प्रतीक्षित है।]

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में दौराला शुगर वर्क्स है....

श्री अध्यक्ष-

जो जवाब आया है, केवल उस पर पूछिए।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, उसमें जो जवाब आया है उसमें शराब फैक्ट्री भी उसके पास बनी हुई है और उन्हीं की है।

श्री अध्यक्ष-

जो जवाब आया है उसमें आप क्या चाहते हैं यह बताइए ?

***श्री अतुल प्रधान-**

मान्यवर, जो जवाब आया है वह गलत आया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कैंसर से पीड़ित हैं, पीलिया है, काला पीलिया है और नई नस्ल खराब हो रही है कि अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर पानी की जांच करा ली जाय और इसके साथ ही जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है वह भी लोगों के फेफड़ों तक जाता है, आस-पास के पूरे इलाके में कैंसर और पीलिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें एक कमेटी बना दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप इस सन्दर्भ में लिखकर देंगे, मैं उसे देखूंगा अगर कमेटी बनाने की आवश्यकता होगी तो बना दूँगा। धन्यवाद।

अब हम कल दिनांक 11-08-2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 10 अगस्त, 2023 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थियाँ

नत्थी (क)

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-06 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-22-24 पर)

जनपदवार हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 एवं निवेश मूल्य की सूची

जिला	एम0ओ0यू0 की संख्या	निवेश का मूल्य (रू0 करोड़ में)
आगरा	288	2,19,927.04
अलीगढ़	367	47,820.50
अम्बेडकर नगर	301	1,719.50
अमेठी	179	7,970.80
अमरोहा	111	4,916.09
औरैया	152	2,142.10
अयोध्या	260	45,427.57
आजामगढ़	202	2,547.94
बागपत	102	16,899.34
बहराईच	166	4,470.61
बलिया	62	1,729.24
बलरामपुर	144	1,077.35
बांदा	117	9,982.77
बाराबंकी	261	20,218.95
बरेली	530	39,947.89
बस्ती	191	13,681.25
भदोही	109	1,461.76
बिजनौर	279	9,438.85
बदायूं	107	14,128.76
बुलन्दशहर	363	68,954.38
चंदौली	204	12,185.32
चित्रकूट	208	63,158.50
देवरिया	165	1,911.90
एटा	175	15,244.79
इटावा	208	2,722.51
फर्रुखाबाद	134	2,165.69
फतेहपुर	106	2,500.00
फिरोजाबाद	195	14,902.55
गौतमबुद्ध नगर	1,354	8,89,356.61
गाजियाबाद	3,255	1,09,242.32
गाजीपुर	183	2,618.33

गोंडा	117	3,562.76
गोरखपुर	340	1,75,695.40
हमीरपुर	111	2,069.90
हापुड़	370	30,323.96
हरदोई	180	6,520.51
हाथरस	215	3,724.37
जालौन	62	50,672.78
जौनपुर	107	46,056.94
झांसी	223	1,85,921.50
कन्नौज	78	7,171.25
कानपुर देहात	159	9,674.53
कानपुर नगर	616	58,921.78
कासगंज	54	705.47
कौशाम्बी	91	1,135.16
कुशीनगर	156	3,304.17
लखीमपुर खीरी	80	42,988.62
ललितपुर	90	33,024.05
लखनऊ	808	2,16,389.64
महराजगंज	168	1,868.25
महोबा	97	23,268.68
मैनपुरी	140	4,267.01
मथुरा	264	24,220.81
मऊ	120	6,889.50
मेरठ	551	26,955.90
मिर्जापुर	180	66,475.43
मुरादाबाद	290	22,720.29
मुजफ्फरनगर	167	11,775.30
पीलीभीत	154	7,891.43
प्रतापगढ़	96	11,015.20
प्रयागराज	286	57,358.25
रायबरेली	166	2,409.05
रामपुर	196	4,807.35
सहारनपुर	343	8,255.43
सम्भल	103	3,753.33

संतकबीर नगर	60	5,220.30
शाहजहांपुर	187	66,962.08
शामली	54	1,541.98
श्रावस्ती	99	1,533.70
सिद्धार्थनगर	133	9,656.39
सीतापुर	176	28,649.20
सोनभद्र	74	1,07,077.12
सुल्तानपुर	279	2,464.47
उन्नाव	89	15,199.57
वाराणसी	439	1,36,983.00
बहुविकल्पीय जिले	04	1,65,000.00
कुल योग	**19,250**	**33,52,553.02**

नत्थी (ख)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-03 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-49-50 पर)

संख्या- 685 / 26-3-2011

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28, फरवरी, 2011

विषयः- जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु जनपद स्तर पर जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति का गठित किया जाना ।

महोदय,

राज्याधीन सेवाओं में जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल नामक वाद में पारित आदेश संख्या-1994 (6) एस0सी0सी0 241 दिनांक 02 सितम्बर, 1994 के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या-22 / 16 / 92-का-2 / 1996- टी0सी0-III दिनांक 5 जनवरी, 1996 द्वारा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर स्कूटनी कमेटी का गठन किया गया है, जो जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जाति संबंधी विवादों में पारित आदेशों के आधार पर निर्देशित मामलों की सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित करती है।

2- जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन और उनकी वैधानिकता की जांच करने तथा इस संबंध में पारदर्शी व्यवस्था बनाने एवं जाति प्रमाण पत्रों के फर्जी बनाये जाने एवं उसके दुरूपयोग को रोकने हेतु मा0 उच्चतम न्यायलय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में जारी उक्त शासनादेश दिनांक 05 जनवरी, 1996 के अनुक्रम में जाति प्रमाण पत्रों के बनाये जाने और उसके सत्यापन संबंधी मामलों की बहुतायत संख्या को देखते हुए शासनादेश संख्या-428 / 26-3-2011, दिनांक 27-1-2011 द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के मण्डल स्तर पर सत्यापन हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में अपीलीय फोरम गठित किया गया

है, जिसमें जनपद स्तर पर राजस्व अधिकारियों द्वारा बनाये जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में आ रही कठिनाईयों से क्षुब्ध व्यक्ति अपील दायर कर सकते हैं।

3— इसी संदर्भ में दायर रिट याचिका संख्या—1396/2011(पी0आई0एल0) धारू शक्ति समिति महराजगंज व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में मा0उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12—1—2011 में दिये गये संवीक्षण के परिप्रेक्ष्य में जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा सुगम बनाये जाने हेतु जनपद स्तर पर भी निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :—

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अपर जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी	सदस्य
3	जिलाधिकारी द्वारा नामित एक उप जिलाधिकारी	सदस्य
4	जिला समाज कल्याण अधिकारी (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति हेतु) एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति के समक्ष यथास्थिति अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं, उसके माता—पिता या अभिभावक द्वारा किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश हेतु अथवा किसी सेवा में नियुक्ति के लिए जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर समिति द्वारा सत्यापन की पुष्टि विलम्बतम 15 दिन में कर दी जायेगी।

4— इसके अतिरिक्त उक्त समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में निम्न प्रकार के मामलों का भी निस्तारण किया जायेगा :—

1. किसी नियुक्ति के पश्चात सेवायोजक द्वारा सेवक के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन/पुष्टि हेतु प्रस्तुत किये गये मामले।
2. किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूहों के संबंध में जाति प्रमाण पत्रों के न बनाये जाने संबंधी शिकायतों के मामले।
3. जाति प्रमाण पत्रों के फर्जी होने अथवा त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने संबंधी मामले।
4. जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में किसी अन्य विसंगति के मामले।

समिति उपरोक्त प्रस्तर 4 में अल्लेखित एस सभी मामलों का निस्तारण अधिकतम 30 दिनों के भीतर कर देगी और समिति के निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उक्त निर्णय के अधिकतम 90 दिनों के भीतर शासनादेश संख्या–428/26–3–2011, दिनांक 27–1–2011 द्वारा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय अपीलीय फोरम के समक्ष अपील कर सकेगा । उक्त समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार अवश्य की जायेगी। जनपद स्तरीय उक्त समिति के गठन के फलस्वरूप मण्डलीय अपील समिति तथा राज्य स्तर पर गठित स्कूटनी कमेटी अपने दायित्वों का यथायत निवर्हन करती रहेगी।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या– (1)/26–3–2011 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0।
5. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास/पिछड़ा वर्ग कल्याण वि उ0प्र0,लखनऊ।
6. निदेशक,अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,उ लखनऊ।
7. निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
9. राज्य के समस्त उपकमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/कार्य अधिकारी, उ0प्र0।
10. प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के निबंधक।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. बेवमास्टर, समाज कल्याण/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वा
अनु सचिव

नत्थी (ग)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-26 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-70-72 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम गुरूवार के लिए निर्धारित मा0 सदस्य विधान सभा श्री वीर विक्रम सिंह "प्रिंस" द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-26 का संलग्नक

क्र.सं.	प्रशिक्षण प्रदाता संस्था का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का पता
1	मदर टेरेसा जन कल्याण समिति	मदर टेरेसा जन कल्याण समिति स्किल सेन्टर शाहजहाँपुर	मनोहर लाल महाविद्यालय कुतुआपुर कांठ, शाहजहाँपुर
2	सात्विक कर्म रिसर्च फाउंडेशन	सात्विक कर्म रिसर्च फाउंडेशन शाहजहाँपुर	खसरा नंबर 256/12 ग्राम गुरूरगपुर पेट्रोल पंप के पास पोस्ट भावलखेड़ा तहसील सदर
3	नया सवेरा संस्था	नया सवेरा संस्था रौसर शाहजहाँपुर	मुहल्ला रौसर कोठी शाहजहाँपुर
4	वॉस नॉलेज ग्रोथ इनिशिएटिव प्रा. लिमिटेड	वॉस नॉलेज ग्रोथ इनीशिएटिव्स प्राइवेट लिमिटेड पवायां शाहजहाँपुर	एसआईसी ऑफिस के सामने, रोड नंबर 1, टाटा टावर के पास, मोहल्ला कसभरा अस्ताल, पोवायां
5	अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड	अपोलो मेडस्किल्स शाहजहाँपुर	लोक विहार कॉलोनी
6	नॉर्दन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन	नीट शाहजहांपुर	सरस्वती शिशु मंदिर, खेड़ा बड़ेड़ा
7	सोयायटी ऑफ फ्यूचर स्किलेवशन टेक्नोलॉजी	एसएफआरटी स्किल सेंटर शाहजहांपुर	सर्वोदय विद्या बाल मंदिर रेलवे क्रॉसिंग के पास निगोही तहसील
8	ची. राजपाल सिंह मेमोरियल संस्था	राज स्किल सेंटर शाहजहाँपुर	ब्रिज विहार कॉलोनी, आकांक्षा स्कूल के पास, शाहजहाँपुर
9	मास इन्फोटेक सोसायटी	मास इन्फोटेक सोसायटी प्रोजेक्ट प्रवीण शाहजहाँपुर	राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तिलहर
10	एनपीए एजुकेयर एंड वेलफेयर सोसायटी	एनपीए स्किल सेन्टर	इटौरिया शाहजहाँपुर
11	ओरिक मल्टीमीडिया प्रा. लिमिटेड	ओरिक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	राजकीय बालक इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर
12	नारायण एजुकेशनल सोसायटी	नारायण एजुकेशनल सोसायटी शाहजहाँपुर	कैम्पस के बी एम पब्लिक स्कूल ग्राम एवं पोस्ट मिल्कीपुर खैर पुर भौराहा तिलहर, शाहजहाँपुर
13	फर्स्ट सोर्स	फर्स्ट सोर्स टीसी शाहजहाँपुर	ब्रेन ब्राइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, दामा पुलिया के पास
14	सोयायटी ऑफ फ्यूचर स्किलेवशन टेक्नोलॉजी	सोसायटी ऑफ फ्यूचर स्किलेवशन टेक्नोलॉजी निगोही सेंटर	कैम्पस सर्व हितैषी इंटर कॉलेज हमजापुर निगोही
15	वॉस नॉलेज ग्रोथ इनिशिएटिव प्रा. लिमिटेड	वॉस नॉलेज ग्रोथ इनिशिएटिव्स प्राइवेट लिमिटेड सदर शाहजहाँपुर	ब्रेन ब्राइट टेक्निकल इंस्टिटयूट निकट पीएनबी बैंक अंटा भौराहा शाहजहाँपुर
16	स्मार्टस्किल्स बिट्स एंड बाइट्स प्राइवेट लिमिटेड	स्मार्टस्किल्स बिट्स बाइट्स स्किल सेंटर	ग्राम बूढ़ा मैनारी पवायां शाहजहाँपुर यूपी-242401
17	सर्व शिक्षा विकास समिति	सर्व शिक्षा विकास समिति बांदा	241 ग्राम पोस्ट डाकाघनश्याम चौक बांदा
18	दिशा शिक्षण एवं समाज कल्याण समिति	दिशा शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति पोवायां	सरदार सिंह इंटर कॉलेज किरतपुर बिहारी
19	दिशा शिक्षण एवं समाज कल्याण समिति	दिशा शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति सीएससी अकादमी	सीएससी अकादमी शिवाजी वाटर पार्क बांदा रोड के पास
20	नारायण एजुकेशनल सोसायटी	नारायण स्किल सेन्टर	ग्राम- तिहार ऐंजनपुर, पोस्ट- तिदुआ नगरिया, बांदा, पुवायां, शाहजहाँपुर, उ.प्र
21	सुप्रीम फाउंडेशन	सुप्रीम स्किल सेंटर हथौरा बुजुर्ग एसपीएन	एसएसडन विद्यालय हथौरा बुजुर्ग शाहजहाँपुर
22	सुप्रीम फाउंडेशन	सुप्रीम स्किल सेन्टर अल्लाहगंज	एनजीएसडी कॉलेज अल्लाहगंज शाहजहाँपुर
23	अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड	अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड शाहजहाँपुर	हरिश्चंद्र हायर सेकेंडरी स्कूल, सुपर औटी के पीछे, बाबूजई, शाहजहाँपुर
24	धन्य इन्फो मीडिया प्रा. लिमिटेड	धान्या इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड शाहजहाँपुर	इंदिरा नगर कॉलोनी शाहजहाँपुर
25	सुप्रीम फाउंडेशन	सुप्रीम स्किल सेन्टर शाहजहाँपुर	मुहल्ला, नयादा, शाहजहाँपुर

क्र.सं.	प्रशिक्षण प्रदाता संस्था का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का पता
26	महेंद्र स्किल्स ट्रेनिंग ऑफ डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड	महेंद्रा स्किल्स यूपीएसडीएम शाहजहाँपुर	डॉ. शेखर हॉस्पिटल अंटा चौराहा के पास
27	सुप्रीम फाउंडेशन	सुप्रीम स्किल सेंटर हुंदल खेल एसपीएन	109, हुंडाल खेल, शाहजहाँपुर
28	सुप्रीम फाउंडेशन	सुप्रीम स्किल सेंटर शाहजहाँपुर	भव्या पैलेस तहसिला पब्लिक स्कूल के सामने शाहजहाँपुर
29	साईं शरणम फाउंडेशन	साईं शरणम फाउंडेशन स्किल सेंटर शाहजहाँपुर	ग्राम व पोस्ट सिसौआ शाहजहाँपुर
30	सुप्रीम फाउंडेशन	सुप्रीम स्किल सेन्टर पचदिउरा एसपीएन	श्री कृष्ण कुमार इंटर कॉलेज पचदिउरा, शाहजहाँपुर
31	सुप्रीम फाउंडेशन	सुप्रीम स्किल सेंटर शाहजहाँपुर	हुसैन मुरा, बेरूगंज रोड शाहजहाँपुर
32	सात्विक कर्म रिसर्च फाउंडेशन	सात्विक कर्म रिसर्च फाउंडेशन केंद्र	खसरा नंबर 324/12, बी आर पब्लिक स्कूल के पास, जैतीपुर
33	राधा श्याम ग्रामीण सेवा संस्थान	आरएसजीएसएस तिलहर शाहजहाँपुर	डुँडरगंज वाल्मिकी मंदिर तिलहर शाहजहाँपुर
34	ई-आश्रम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	ई आश्रम स्किल सेन्टर रेती शाहजहाँपुर	सिंह नर्सिंग होम अहमदपुरा रेती के पास
35	डॉ श्री साईं मानव सेवा संस्थान	ओसमस स्किल सेन्टर शाहजहाँपुर	नवादा इंदरपुर शाहजहाँपुर
36	फर्स्ट सोर्स	फर्स्ट सोर्स स्किल सेन्टर शाहजहाँपुर	183 बी, आवास विकास कॉलोनी शाहजहाँपुर
37	राधा श्याम ग्रामीण सेवा संस्थान	एसटीटी आरएसजीएसएस शाहजहाँपुर	जीवन चौराहा प्राथमिक विद्यालय टकोली रोड
38	नदर टेरेसा जन कल्याण समिति	नदर टेरेसा जन कल्याण समिति शाहजहाँपुर	ग्राम धुकुरी बुजुर्ग पोस्ट ढाकाघनश्याम, ब्लॉक बांदा
39	फ्यूचर शेप सोशल एजुकेशनल सोसायटी	फ्यूचर शेप सोशल एजुकेशनल सोसायटी चमकनी कर्बला शाहजहाँपुर	गुरुकुल स्कूल के पास, चमकनी कर्बला
40	दिशा शिक्षण एवं समाज कल्याण समिति	दिशा शिक्षण एवं समाज कल्याण समिति	शाहजहाँपुर रोड पुवायाँ
41	डोरिक मल्टीमीडिया प्रा. लिमिटेड	डोरिक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड झंडा शाहजहाँपुर	आरजीसीटीआई बिल्डिंग पुरानी मोटर साइकिल रोल लेन के पास, घंटा घर रोड झंडा शाहजहाँपुर
42	नवीक्षा एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी	नवीक्षा एजुकेशनल वेल्फेयर सोसायटी रोसुसर कोठी	रोसुसर कोठी अटल बिहारी, दनियापुर
43	श्री. राजपाल सिंह मेमोरियल संस्था	राज स्किल सेंटर शाहजहाँपुर	गांव– भिलादा, पोवायां रोड, तहसील–पोवायां, जिला–शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश
44	दिशा शिक्षण एवं समाज कल्याण समिति	दिशा शिक्षण एवं समाज कल्याण समिति कटरा	प्रोग्रेसिव आईटीआई के पास नगला पृथी पोस्ट मीरांपुर कटरा तहसील तिलहर शाहजहाँपुर
45	राधा श्याम ग्रामीण सेवा संस्थान	आइडल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन	एलआईसी कार्यालय के सामने, बैंक ऑफ बड़ौदा, पुवायां, शाहजहाँपुर
46	श्री. राजपाल सिंह मेमोरियल संस्था	राज स्किल सेंटर शाहजहाँपुर	154, ग्राम– दलेलपुर, जगदीशपुर, तहसील–पुवायां, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश
47	नवीक्षा एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी	नवीक्षा एजुकेशनल वेल्फेयर सोसायटी बिजलीपुरा एसपीएन	सी/ओ एम एच खान, बिजलीपुरा एसपीएन शाहजहाँपुर
48	एनपीए एजुकेयर एंड वेलफेयर सोसायटी	एनपीए एजुकेअर वेल्फेयर सोसायटी शाहजहाँपुर	सिकंदरपुर कलां
49	फ्यूचर शेप सोशल एजुकेशनल सोसायटी	फ्यूचर शेप सोशल एजुकेशनल सोसायटी मनोज भोर्या	मो. आवास विकास कॉलोनी निवर बरेली रोड शाहजहाँपुर 242001
50	आरकेटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	आरकेटी स्किल सेंटर शाहजहाँपुर	मो. गढ़ी गाढ़ीपुरा निकट तथागत शिक्षा निकेतन शाहजहाँपुर
51	वरुज इन्फोटेक प्रा. लिमिटेड	एसीएसपीएल स्किल सेन्टर सरस्वती ज्ञान मंदिर	बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, हथौरा बुजुर्ग

क्र.सं.	प्रशिक्षण प्रदाता संस्था का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का पता
52	बीएलसीसी हेल्थ केयर लिमिटेड	बीएलसीसी ट्रेनिंग सेन्टर शाहजहाँपुर	प्लॉट नंबर 167 ग्राम बड़ागांव, पोवायां, जिला शाहजहांपुर, पिन-24201
53	ई-आश्रम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	ई-आश्रम स्किल सेन्टर गादीगरीपुरा	मो. गाड़ीगरीपुरा निकट पुत्तूलाल चौराहा शाहजहाँपुर।
54	ई-आश्रम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	ई-आश्रम स्किल सेन्टर निगोही शाहजहाँपुर	तसीहैती इंटर कॉलेज के पास, इनजापुर निगोही शाहजहांपुर
55	ई-आश्रम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	ई-आश्रम स्किल सेन्टर नवादा	मो. नवादा इंदेपुर न्यू, जिला अस्पताल के पास
56	आरकेटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	आरकेटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, शाहजहाँपुर	जनहित इंटर कॉलेज पहाड़पुर
57	आरकेटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	आरकेटी सॉल्यूशन स्किल सेंटर	चकजहू इंटर कॉलेज महासिर शाहजहाँपुर
58	वरुज इन्फोटेक प्रा. लिमिटेड	एसीएसपीएल स्किल सेन्टर शाहजहाँपुर	राम सरन सिंह इंटर कॉलेज जलालाबाद
59	सेबिज इन्फोटेक लिमिटेड	सेबिज ट्रेनिंग सेंटर तिलहर	कैम्पस कृष्णा पब्लिक स्कूल, तिलहर, शाहजहाँपुर
60	कार्वी डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	कार्वी स्किल सेन्टर	प्लॉट नंबर 167 ग्राम बड़ागांव, डॉ. आरएनएल कन्या महाविद्यालय के पास, पोवायां, शाहजहाँपुर 242401
61	चौ. राजपाल सिंह मेमोरियल संस्था	राज स्किल सेंटर	शहीद-ए-आजम नवाब-निजाम अली खान इंटर कॉलेज शाहबाज नगर, शाहजहाँपुर
62	फ्यूचर शेप सोशल एजुकेशनल सोसायटी	फ्यूचर शेप सोशल एजुकेशनल सोसायटी	ग्राम कपसेड़ा तहसील सदर
63	जीआइटीआई-रोजा शहजानपुर	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शाहजहाँपुर	जी.आईटीआई, रोज़ा, रोजा मंडी के पास, शाहजहाँपुर
64	जीआईटीआई जलालाबाद, शहजानपुर	जीआईटीआई जलालाबाद	कोला मोड़ के पास जलालाबाद शाहजहाँपुर
65	फ्यूचर शेप सोशल एजुकेशनल सोसायटी	फ्यूचर शेप सोशल एजुकेशनल सोसायटी	निथलेश कुमारी इंटर कॉलेज पवैर रोड कलां तहसील कलान जिला शाहजहाँपुर-242127
66	फ्यूचर शेप सोशल एजुकेशनल सोसायटी	फ्यूचर शेप सोशल एजुकेशनल सोसायटी	मौहल्ला कुँवरगंज निकट वाल्मिकी मन्दिर तिलहर (शाहजहाँपुर)
67	कार्वी डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	कार्वी डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	ग्राम एवं पोस्ट सिसौआ जिला शाहजहाँपुर
68	ढोरिक मल्टीमीडिया प्रा. लिमिटेड	ढोरिक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड कटरा	प्रोग्रेसिव आई.टी.आई के पास, नगरिया-कौल नगर, थाना-कटरा, तहसील-तिलहर, जिला-शाहजहांपुर।
69	मास इन्फोटेक सोसायटी	मास इन्फोटेक सोसायटी चिनौर	ग्लेडरिंग पब्लिक स्कूल भवन हथौड़ा शाहजहाँपुर
70	मदीहा एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी	मदीहा शैक्षिक कल्याण सोसायटी	एसडी हाई स्कूल, निकट वर्मा नर्सिंग होम अहमदपुर रेती, शाहजहाँपुर,
71	भारत माता कल्याण फाउंडेशन	भारत माता वेलफेयर फाउंडेशन	सिविल कोर्ट के पास शाहजहाँपुर रोड पुश्तयाँ
72	ढोरिक मल्टीमीडिया प्रा. लिमिटेड	ढोरिक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड निगोही	सर्वोदय विद्यावती इंटर कॉलेज निगोही शाहजहाँपुर के पास
73	फ्यूचर शेप सोशल एजुकेशनल सोसायटी	फ्यूचर शेप सोशल एजुकेशनल सोसायटी शाहजहांपुर अनुराग	गायत्री परशुराम इंटर कॉलेज रौसर कोठी शाहजहाँपुर
74	आईएमसी ऑफ जीआईटीआई शाहजहाँपुर	आईएमसी ऑफ शाहजहाँपुर	रोजा मंडी के पास, जीआईटीआई रोजा कैंपस
75	मदीहा एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी	मदीहा एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी	एसडी हाई स्कूल निवर वर्मा नर्सिंग होम अहमदपुर रेती,

क्र.सं.	प्रशिक्षण प्रदाता संस्था का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का पता
76	एनपीए एजुकेयर एंड वेलकेयर सोसायटी	एनपीए एजुकेअर वेल्फेयर सोसायटी शाहजहाँपुर	रामसहाय आई सी जैतीपुर रोड खड़सार
77	आरकेटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	आरकेटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड स्किल डेवलपमेंट सेन्टर शाहजहाँपुर	पं. विश्वनाथ आईसी बरेली रोड जलालाबाद
78	वरुज इन्फोटेक प्रा. लिमिटेड	यूपीएसडीएम ट्रेनिंग सेन्टर	पीडब्लूडी गेस्ट हाउस के सामने, कचहरी के पास, शाहजहाँपुर
79	वरुज इन्फोटेक प्रा. लिमिटेड	एसीएसपीएल स्किल सेन्टर शाहजहाँपुर	आवास विकास कॉलोनी शाहजहाँपुर
80	वरुज इन्फोटेक प्रा. लिमिटेड	एल्सीवन स्किल सेन्टर शाहजहाँपुर	श्री धोखे सिंह इंटर कॉलेज परिसर, सौंधा ब्लॉक,जैतीपुर

नत्थी (घ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-49 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-89 पर)

विधान सभा द्वितीय सत्र-2023

प्रथम गुरूवार अतारांकित प्रश्न संख्या-49

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत जनपद-बिजनौर में वित्तीय वर्ष 2018 से 2022 तक लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या एवं व्यय धनराशि का विवरणः-

रू0 लाख में

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	भुगतानित धनराशि
01	2018-19	2551	रू0 765.30
02	2019-20	4157	रू0 1247.10
03	2020-21	4084	रू0 1225.20
04	2021-22	766	रू0 229.80
05	2022-23	1266	रू0 379.80
	कुल	12824	रू0 3847.20

नत्थी (ङ)

संलग्नक-1

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-64 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-97 पर)

उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण योजनायें

उ.प्र. कौशल विकास मिशन का गठन प्रदेश में प्रख्यापित उ.प्र. कौशल विकास नीति, 2013 के क्रम में किया गया था। मिशन का उद्देश्य कौशल विकास के क्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रशिक्षण योजनाओं को एक समान मानकों के अनुरूप संचालित करना है। कौशल विकास मिशन के द्वारा संचालित योजनाओं में 14–35 आयु वर्ग के समस्त युवा, जो अल्प शिक्षित अथवा स्कूली पढ़ाई जारी नही रख पाते है पात्र हैं। समाज वंचित वर्गों जैसे महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा दिव्यांग जनों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं में लक्ष्यों व संसाधनों का मात्राकरण भी निर्धारित है।

वर्तमान में उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न योजनायें निम्नवत् हैः–

1. **स्टेट स्किल डेवलपमेंट फण्डः–** यह फण्ड राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों से बजट प्राविधान के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। वस्तुतः यह प्रारम्भ में टाप–अप फण्ड के रूप में फाइनेंशियल गैप को भरने के लिए प्रयोग किया जाता था ताकि समस्त योजनायें एक समान मानकों पर संचालित की जा सकें। उक्त के अतिरिक्त इस फण्ड से युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। योजनान्तर्गत महिलाओं के लिए 30% व अल्पसंख्यकों के लिए 20% लक्ष्य मात्राकृत हैं।
2. **स्पेशल सेन्ट्रल एसिस्टेंस टू शिड्यूल्ड कास्ट सब प्लानः–** यह योजना शत्–प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है जिसमें 14–35 आयुवर्ग के अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र युवा कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अर्ह हैं। योजनान्तर्गत 30% महिलाओं के लिए मात्राकृत है।
3. **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (राज्य घटक):–** कौशल विकास एवं उद्यमिता मत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित यह योजना शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित है जिसके 25% लक्ष्य राज्य सरकारों से आवंटित किये गये हैं। वर्ष 2016–17 से यह योजना प्रदेश सरकार के क्रियान्वित करने हेतु आवंटित की गयी है। आयुवर्ग की पात्रता 14–35 है।
4. **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनाः–** उक्त योजना केन्द्र व राज्य सरकार के 60:40 के संशाधनों द्वारा संचालित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों हेतु निम्नवत् पात्रता के मानक निर्धारित हैः– 18 से 35 आयुवर्ग के युवा जो कि बी.पी.एल हों अथवा नरेगा योजना में पिछले 3 वर्षों में प्रति वर्ष कम से कम 35 दिन मजदूरी की जो Participatory Identification of Poor (PIP) प्रक्रिया द्वारा चयनित हों। योजना अन्तर्गत 15% लक्ष्य अल्पसंख्यकों के लिए 3% दिव्यांगों के लिए 33% महिलाओं के लिए तथा 50% एस.सी.एस.टी के व्यक्तियों के लिए मात्राकृत हैं।

नत्थी (च)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-65 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-98-99 पर)

एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण मार्गदर्शिका योजना की वार्षिक, द्वितीय तथा रोकथाम मुक्त की उपलब्धि

क्रम संख्या	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19						वित्तीय वर्ष 2019-20						वित्तीय वर्ष 2020-21					
		वार्षिक लक्ष्य		उपलब्धि				वार्षिक लक्ष्य		उपलब्धि				वार्षिक लक्ष्य		उपलब्धि			
		वार्षिक	द्वितीय	संख्या	परियोजना लागत (लाख में)	मार्जिन मनी (लाख में)	रोकथाम मुक्त	वार्षिक	द्वितीय	संख्या	परियोजना लागत (लाख में)	मार्जिन मनी (लाख में)	रोकथाम मुक्त	वार्षिक	द्वितीय	संख्या	परियोजना लागत (लाख में)	मार्जिन मनी (लाख में)	रोकथाम मुक्त
1	अम्बेडकरनगर	15	105	2	15	3.75	10	70	175	17	135	33.75	90	88	220	63	485.76	121.44	324
2	बिजनौर	10	70	116	1742.945776	435.74394	1162	144	360	36	825	180	550	130	325	83	1302.8	325.70	1302

क्रम संख्या	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22						वित्तीय वर्ष 2022-23						5 वर्षों का योग					
		वार्षिक लक्ष्य		उपलब्धि				वार्षिक लक्ष्य		उपलब्धि				उपलब्धि					
		वार्षिक	द्वितीय	संख्या	परियोजना लागत (लाख में)	मार्जिन मनी (लाख में)	रोकथाम मुक्त	वार्षिक	द्वितीय	संख्या	परियोजना लागत (लाख में)	मार्जिन मनी (लाख में)	रोकथाम मुक्त	संख्या	परियोजना लागत (लाख में)	मार्जिन मनी (लाख में)	रोकथाम मुक्त		
1	अम्बेडकरनगर	60	150	78	453.50	113.38	453	48	120	73	750.50	196.38	667	233	1880	469.70	1725		
2	बिजनौर	140	350	31	334.54	83.64	334	64	160	37	430.91	105.84	370	303	4536	1130.92	3716		

(सुनील कुमार)
सहायक आयुक्त उद्योग
ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ, लखनऊ

2. ओ0डी0ओ0पी0 सामान्य सुविधा केन्द्र योजनान्तर्गत जनपद बिजनौर में तीन सी0एफ0सी0 परियोजनाए स्वीकृत है। जो निर्माण के विभिन्न चरणों मे है। परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् हैः-

क0स0	जनपद का नाम	परियोजना का नाम एवं पता	सामान्य सुविधा (Intervention)	परियोजना लागत (रू0 लाख में)
1	बिजनौर	देवदार ऐसोसिऐशन जलालपुर भूंगा,नगीना बिजनौर	1. वुड सिसनिंग एण्ड कैमिकल ट्रीटमेंट प्लान्ट 2. एडवान्स्ड टूलरूम	996.99
2	बिजनौर	पुष्पा वुडकाफ्ट वेलफेयर फाउण्डेशन आलमपुर गावडी, बिजनौर अफजलगढ़	1. वुड सिसनिंग एण्ड कैमिकल ट्रीटमेंट प्लान्ट 2. एडवान्स्ड टूलरूम	910.63
3	बिजनौर	एक्का वुडवर्क्स फाउण्डेशन आलमपुर धापी, नगीना रोड, बिजौर	1. वुड सीसनिंग एण्ड कैमिकल ट्रीटमेन्ट इकाई 2.एडवांस टूलरूम	995.91

नत्थी (छ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-70 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-102-106 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य की ओ०डी०ओ०पी० सी०एफ०सी० योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाएँ

क्र0 सं0	जनपद का नाम	ओ०डी०ओ०पी० उत्पाद का नाम	एस०पी०वी० / परियोजना का नाम	सामान्य सुविधा (Intervention)	कुल परियोजन ा लागत (रू0	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	सिद्धार्थ नगर	खाद्य प्रसंस्करण (काला नमक चावल)	शियाश सिद्धार्थ नगर एग्रीकल्चर डेवलेपमेंट प्रोड्यूसर कम्पनी लि0	i. काला नमक धावल प्रोसेसिंग मिल ii.काला नमक धावल हेतु वेयर हाउस सुविधा iii पैकेजिंग सुविधा	696.38	परियोजना पूर्ण एवं लोकार्पित
2	सीतापुर	दरी	विश्वां बुनकर वेलफेयर सोसाइटी	i. डिजाइन एवं सेम्पलिंग सुविधा ii.एक्जीबिशन एवं विक्रय केन्द्र iii कॉमन प्रोसेसिंग सेन्टर iv रॉ मैटेरियल बैंक	225.17	परियोजना पूर्ण एवं लोकार्पित
3	आगरा	चमड़े के उत्पाद एवं संगमरमर पर जड़ना कार्य	जे०डी० वेलफेयर सोसाइटी	i. लैदर गुड्स ट्रेनिंग सेन्टर	329.83	परियोजना पूर्ण एवं लोकार्पित
4	आजमगढ	काली मिट्टी की कलाकृतियाँ	धौक चौटरी फाउण्डेशन	कॉमन प्रोडक्शन सेन्टर i.ब्लन्गर एवं पगमिल ii टनल किल्न iii लाइन भट्टी	181.72	परियोजना पूर्ण एवं लोकार्पित
5	अम्बेडकर नगर	वस्त्र उत्पाद	टांडा टैक्साटाईल एसोसिएशन	i.रॉ मैटेरियल बैंक ii कॉमन प्रोसेसिंग सेन्टर (कैलेण्डर एवं वार्पिंग मशीन, ऑटोमेटिक शटल रूम)	459.82	परियोजना पूर्ण एवं लोकार्पित
6	मुरादाबाद	धातु शिल्प	एम०सी०एस० मेटल फाउण्डेशन	i.फिजीकल वैपर डिपोजिशन फॉर मैटल	994.13	परियोजना पूर्ण एवं लोकार्पित
7	मैनपुरी	तारकशी कला	संतोषी माँ तारकशी हैण्डीक्राफ्ट ऐसोसिऐशन	i. कॉमन टूल रूम ii. रॉ मैटेरियल बैंक iii. डिजाइन एण्ड डिस्प्ले सेन्टर	100.53	परियोजना पूर्ण एवं लोकार्पित
8	मुरादाबाद	धातु शिल्प	गोल्डेन ऐरो सी०पी०बी०डी० फाउण्डेशन	i.डिरेक्टल फिजीकल वैपर डिपोजिशन (सी.पी.वी.डी.) फॉर मैटल, प्लास्टिक, वुड	996.06	परियोजना स्थापना के अंतिम चरण में है
9	सहारनपुर	काष्ठ शिल्प (वुड वर्किंग)	साहारनपुर हेण्डीक्राफ्ट डेवलपमेंट सेन्टर	i.कैमिकल ट्रीटमेंट प्लान्ट ii वुड शिलनिंग प्लान्ट iii कर्विंग मशीन	990.11	परियोजना स्थापना के अंतिम चरण में है।
10	वाराणसी	रेशम उत्पाद	अप-टाउन वैलफेयर फाउण्डेशन	i.ऑटोमेटेड स्क्रीन प्रिंटिंग ii डिजिटल प्रिंटिंग	974.11	परियोजना स्थापनाधीन है।
11	सम्भल	सींग एवं अस्थि उत्पाद	हार्न बोन क्राफ्ट्स फाउण्डेशन	i.बटन प्रोसेसिंग एण्ड पोलिशिंग यूनिट ii वुड शिलनिंग एण्ड एन्सीलियरी प्लाण्ट	991.67	परियोजना स्थापनाधीन है।
12	उन्नाव	जरी-जरदोजी	उन्नाव जरी-जरदोजी सदनाव फाउण्डेशन	i. रॉ मैटेरियल बैंक ii. कॉमन वर्किंग स्पेस (अड्डा) iii डिजायन स्टूडियो एण्ड डिस्प्ले सेन्टर iv कॉमन प्रोसेसिंग सेन्टर (ब्रम्बायडरी एण्ड ट्रैसिंग मशीन इत्यादि)	315.28	परियोजना स्थापनाधीन है।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद का नाम	एस0पी0वी0/परियोजना का नाम	सामान्य सुविधा (Intervention)	कुल परियोजना लागत (रू0	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
13	लखनऊ	चिकनकारी एवं जरी-जरदोजी	सेवा-समृद्धी	i. रॉ मैटेरियल बैंक ii कॉमन प्रोडक्शन सेन्टर	388.53	परियोजना स्थापना के अंतिम चरण में है
14	बरेली	जरी-जरदोजी	के-इम्प्रेशन सोसाइटी	i. कॉमन प्रोडक्शन सेन्टर ii डिजिटल डिजाइन बैंक एण्ड डिस्प्ले सेन्टर iii ट्रेनिंग सेन्टर	849.54	परियोजना स्थापनाधीन है।
15	मुरादाबाद	धातु शिल्प	ग्रोथ फैन टेक फाउण्डेशन	i. हाईब्रिड ई.आर.पी. (इण्टरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग) फॉर इक्सपोर्टर्स	958.43	परियोजना स्थापनाधीन है।
16	भदोही	कालीन	भदोही वूलेन ऐसोसिऐशन	i. रॉ मैटेरियल प्रोसेसिंग सेन्टर	868.7	परियोजना स्थापनाधीन है।
17	गाजियाबाद	यान्त्रिकी उत्पाद	एएमे0जी0 फाउण्डेशन फॉर इनोवेशन एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट	i. माडर्न टूल रूम ii. अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला iii मैटेरियल टेस्टिंग iv इण्डस्ट्री 4.0	1488.6	परियोजना स्थापनाधीन है।
18	मिर्जापुर	कालीन	विन्ध्य स्पीनर्स एण्ड रग्स ऐसोसिऐशन	i. वूल यार्न प्रोसेसिंग सेन्टर ii. रॉ मैटेरियल बैंक	757.42	परियोजना स्थापनाधीन है।
19	मऊ	वस्त्र उत्पाद	मैनमैड रिसर्च एण्ड मार्केटिंग ऐसोसिऐशन	i. एडवान्स्ड डिजाइन सेन्टर ii. टेस्टिंग लैबोरेटरी	684.19	परियोजना हेतु मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया प्रचलित है।
20	बिजनौर	काष्ठ शिल्प (वुड क्राफ्ट)	देवदार ऐसोसिऐशन	i.वुड सिसनिंग एण्ड केमिकल ट्रीटमेंट प्लान्ट ii एडवान्स्ड टूलरूम	996.99	परियोजना स्थापनाधीन है।
21	मुजफ्फरनगर	गुड़ उत्पाद	बघाई एग्रीबिजनेस प्रोड्यूसर कं0लि0	i.ऑटोमैटिक गुड़ प्रसंस्करण इकाई ii लैबलिंग, पैकेजिंग एण्ड ब्राण्डिंग iii.टेस्टिंग लैबोरेट्री	510.1	परियोजना स्थापनाधीन है।
22	गौतमबुद्धनगर	सिले सिलाये वस्त्र	क्रॉससोड इन्फोटेक	i.टेस्टिंग लैबोरेट्री	1450.2	परियोजना स्थापनाधीन है।
23	बिजनौर	काष्ठ शिल्प (वुड क्राफ्ट)	पुष्पा वुडक्राफ्ट वेलफेयर फाउण्डेशन	i.वुड सिसनिंग एण्ड केमिकल ट्रीटमेंट प्लान्ट ii एडवान्स्ड टूलरूम	910.63	परियोजना स्थापनाधीन है।
24	अयोध्या	गुड़ उत्पाद	अयोध्या धान जैगरी एसोसिएशन	i.ऑटोमैटिक गुड़ प्रसंस्करण इकाई ii ऑटोमैटिक क्रेन क्रशिंग प्लाण्ट iii.पैकेजिंग यूनिट iv स्टीम एण्ड पॉवर सोल्फ जेनरेशन इकाई	993.42	परियोजना स्थापनाधीन है।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद का नाम	एस0पी0वी0/परियोजना का नाम	सामान्य सुविधा (Intervention)	कुल परियोजना लागत (रू0	अनुमति
1	2	3	4	5	6	7
25	चित्रकूट	काष्ठ कला	चित्रकूट वनतरिया समिति	i.एडवांस ट्रेनिंग	150.24	परियोजना स्थापना हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रगतिरत है।
26	बिजनौर	काष्ठ शिल्प (वुड क्राफ्ट)	एकता हुडवर्क्स कारखंडान	i.ड्राई सीजनिंग एण्ड केमिकल ट्रीटमेन्ट इकाई ii एडवांस ट्रेनिंग	995.91	परियोजना स्थापनाधीन है।
27	मुजफ्फरनगर	गुड़ उत्पाद	जैविक किसान ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर कं0लि0	i. ऑटोमैटिक डैमरी प्रोसेसिंग सेन्टर ii. पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग सेन्टर iii टेस्टिंग लैबोरेटरी एण्ड आर्गेनिक सर्टिफिकेशन एण्ड ट्रेनिंग / ओरियन्टेशन सेन्टर iv कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी एण्ड वेयर हाउस	891.49	परियोजना स्थापना हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रगतिरत है।
28	जौनपुर	खाद्य प्रसंस्करण (जैम)	आईका फार्मर प्रोड्यूसर कं0लि0	i. बनाना टिशू कल्चर लैबोरेटरी/टेस्टिंग लैबोरेटरी ii. बनाना राईपनिंग चैम्बर एण्ड वेयरहाउस iii कॉमन प्रोसेसिंग सेन्टर एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट	849.69	परियोजना हेतु मान्यतिय समीक्षा की प्रक्रिया प्रगतिरत है।

एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 की प्रगति रिपोर्ट

दिनांक-31.03.2023

क्रम संख्या	मंडल का नाम	जनपद का नाम	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23		
			प्रशिक्षण		टूल किट वितरण	प्रशिक्षण		टूल किट वितरण	प्रशिक्षण		टूल किट वितरण	प्रशिक्षण		टूल किट वितरण	प्रशिक्षण		टूल किट वितरण
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	अलवर	अलवर	100	100	100	350	350	350	300	300	300	400	400	400	400	400	400
2	मथुरा	मथुरा	100	100	100	200	133	133	300	300	300	400	600	600	400	400	400
3		भरतपुरी	100	100	100	200	200	200	200	200	200	250	250	250	250	250	250
4		फिरोजाबाद	25	24	24	350	250	250	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5	बलीया	बलीया	100	100	100	350	346	346	200	199	199	350	350	350	350	350	350
6		बलरामपुर	100	100	100	250	250	250	200	200	200	250	250	250	250	250	250
7		एटा	100	100	100	250	250	250	200	200	200	250	250	250	250	250	250
8		हाथरस	100	100	100	200	200	200	150	150	150	250	250	250	250	250	250
9	बस्तीमंडल	बस्तीमंडल	100	100	100	300	300	300	250	250	250	250	250	250	250	250	250
10		सिद्धार्थनगर	25	25	25	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
11		संतकबीरनगर	25	23	23	300	300	300	200	200	200	300	300	300	300	300	300
12		अम्बेडकरनगर	100	100	100	350	350	350	250	250	250	400	400	400	400	400	400
13		बलरामपुर	25	25	25	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
14	बांदामंडल	बांदामंडल	25	25	25	200	200	200	200	200	200	250	250	250	250	250	250
15		बांदा	100	100	100	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0
16		चित्रकूट	100	100	100	300	300	300	250	250	250	400	400	400	400	400	400
17	बरेली	बरेली	100	100	100	350	350	350	300	300	300	400	400	400	400	400	400
18		बदायूं	100	100	100	250	250	250	200	200	200	300	300	300	300	300	300
19		पीलीभीत	100	100	100	150	150	150	100	100	100	150	150	150	150	150	150
20		शाहजहांपुर	100	100	100	300	300	300	200	200	200	250	250	250	250	250	250
21	बस्ती	बस्ती	25	25	25	300	300	300	150	150	150	200	200	200	200	200	200
22		संतकबीर नगर	25	25	25	200	200	200	150	150	150	200	200	200	200	200	200
23		सिद्धार्थनगर	100	100	0	200	200	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0
24	चित्रकूट	चित्रकूट	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	कलपत्र का नाम	परीक्षण		दूर भिट शिलालेख		परीक्षण		दूर भिट शिलालेख		परीक्षण		दूर भिट शिलालेख		परीक्षण		दूर भिट शिलालेख	
			बच्चा	उपलब्धि	बच्चा	उपलब्धि	बच्चा	उपलब्धि	बच्चा	उपलब्धि	बच्चा	उपलब्धि	बच्चा	उपलब्धि	बच्चा	उपलब्धि	बच्चा	उपलब्धि
25		सोहा	100	100	100	100	200	200	100	100	250	250	200	200	300	300	300	300
26		हुसैनपुर	100	100	100	100	300	300	100	100	300	300	250	250	350	350	300	300
27		मेहोना	100	100	100	100	300	300	100	100	300	300	250	250	350	350	300	300
28		देवीगंज	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	250	250	200	200
29		सोहा	100	100	0	0	200	200	150	150	250	250	150	150	250	250	175	175
30		बखरी	100	100	100	100	150	150	200	200	300	300	200	200	300	300	300	300
31		बखरी	100	100	100	100	200	200	200	200	300	300	200	200	300	300	200	200
32		रोपेखुर्द	25	25	25	25	350	250	0	0	200	200	150	150	200	200	0	0
33		रोपेखुर्द	25	25	25	25	350	250	0	0	200	200	150	150	200	200	0	0
34		बेलौंजपार	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	150	150	200	200	150	150
35		बेलौंजपार	100	100	100	100	250	250	200	200	200	200	150	150	200	200	200	200
36		खोरी	100	100	100	100	300	300	100	100	300	300	150	150	200	200	200	200
37		धनियापुर	100	100	100	100	250	250	250	250	300	300	250	250	300	300	300	300
38		बाजपैर	100	100	100	100	200	200	200	200	300	300	150	150	300	300	300	300
39		कलपुर	100	100	100	100	350	350	200	200	300	300	150	150	400	400	150	150
40		कलपुर नगर	100	100	100	100	350	350	200	200	300	300	150	150	400	400	400	400
41		कलपुर देहात	100	100	100	100	350	350	200	200	300	300	150	150	400	400	400	400
42		बरेवा	100	100	100	100	300	300	200	200	300	300	150	150	400	400	250	250
43		बरेवा	100	100	100	100	300	300	200	200	300	300	150	150	400	400	250	250
44		बरेवा	100	100	100	100	300	300	200	200	300	300	150	150	400	400	250	250
45		बरेवा	100	100	100	100	300	300	200	200	300	300	150	150	400	400	250	250
46		बरेवा	100	100	100	100	300	300	200	200	300	300	150	150	400	400	250	250
47		बरेवा	100	100	100	100	300	300	200	200	300	300	150	150	400	400	250	250
48		बरेवा	100	100	100	100	300	300	200	200	300	300	150	150	400	400	250	250
49		बरेवा	100	100	100	100	300	300	200	200	300	300	150	150	400	400	250	250
50		बरेवा	100	100	100	100	300	300	200	200	300	300	150	150	400	400	250	250

क्रम संख्या	भवन का नाम	जनपद का नाम	प्रविष्टियां		दुल शिट रिलीज		प्रविष्टियां		दुल शिट रिलीज		प्रविष्टियां		दुल शिट रिलीज		प्रविष्टियां		दुल शिट रिलीज		प्रविष्टियां		दुल शिट रिलीज	
			सामान्य	उपलब्धि	सामान्य	उपलब्धि	सामान्य	उपलब्धि	सामान्य	उपलब्धि	सामान्य	उपलब्धि	सामान्य	उपलब्धि	सामान्य	उपलब्धि	सामान्य	उपलब्धि	सामान्य	उपलब्धि	सामान्य	उपलब्धि
51	देवरा	देवरा	100	100	100	100	350	350	350	350	300	300	200	100	400	400	400	400	400	400	400	400
52		बलरामा	100	100	100	100	250	250	350	350	300	300	200	100	400	400	400	400	400	400	400	400
53		चाकियाकांत	100	100	100	100	250	200	200	200	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150
54		बुलेनबहुर	25	25	25	25	300	300	300	300	300	300	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400
55		पीलीबहुलवार	25	25	25	25	300	300	300	300	150	150	150	150	300	300	300	300	300	300	300	300
56		दुधुर	100	100	100	100	350	350	350	350	300	300	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400
57	बुलंदशहर	बुलंदशहर	25	25	25	25	350	350	350	350	300	300	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400
58		उनाउर	25	25	25	25	300	300	300	300	250	250	200	200	300	300	300	300	300	300	300	300
59		सिकन्दर	25	25	25	25	300	300	300	300	250	250	250	250	400	400	400	400	400	400	400	400
60		बनपोरा	100	100	100	100	350	350	350	350	300	300	250	250	400	400	400	400	400	400	400	400
61		बेलन	100	100	100	100	250	250	200	200	150	150	150	150	250	250	250	250	250	250	250	250
62	औरंगाबाद	औरंगाबाद	100	100	100	100	300	300	300	300	250	250	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300
63		सोनपत	100	100	100	100	250	250	250	250	200	200	200	200	300	300	300	300	300	300	300	300
64		शेख दरिकान	100	100	100	100	350	350	350	350	300	300	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400
65	प्रयागराज	प्रयागराज	25	25	25	25	350	350	350	350	300	300	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400
66		कौशाम्बी	100	100	100	100	300	300	300	300	250	250	250	250	400	400	400	400	400	400	400	400
67		फूलपुर	100	0	0	0	300	300	300	300	100	100	100	100	400	400	400	400	400	400	400	400
68		फूलपुर	100	100	100	100	300	300	300	300	200	200	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400
69	महाराजगंज	महाराजगंज	25	25	25	25	350	350	350	350	300	300	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400
70		बुलन्दशहर	100	100	100	100	300	300	300	300	250	250	250	250	400	400	400	400	400	400	400	400
71		सासनी	100	50	50	50	300	300	300	300	200	200	200	200	350	350	350	350	350	350	350	350
72	बरामली	बरामली	25	25	25	25	150	350	350	350	300	300	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400
73		गाजीपुर	25	25	25	25	200	200	200	200	150	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200
74		फौजपुर	100	100	100	100	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
75		फतेही	100	100	100	100	250	250	250	250	200	200	200	200	300	300	300	300	300	300	300	300
		योग	6175	5944	5644	5644	20000	19529	18429	18729	16000	15999	15549	15549	21000	21000	20435	20435	21000	21000	20435	20535

नोट :–

1. प्रदेश में योजना प्रारम्भ से योजनान्तर्गत कुल प्रशिक्षित लाभार्थी–69,472
2. प्रदेश में योजना प्रारम्भ से योजनान्तर्गत कुल वितरित दुलहिट–60,672
3. वित्तीय वर्ष 2021–22 में जनपद–ललितपुर की 200 दुलहिट अन्य हेतु अवशेष है।
4. वित्तीय वर्ष 2022–23 में जनपद–बहराइच की 300 दुलहिट अन्य हेतु अवशेष है।

(सुनील कुमार)
सहायक आयुक्त उद्यान
जी0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ, लखनऊ

नत्थी (ज)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-93 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-122 पर)

विधान सभा सचिवालय उ0प्र0, प्रश्न अनुभाग, लखनऊ

प्रश्न ?	उत्तर माननीय विधायक, मछलीशहर, जौनपुर द्वारा विधान सभा मछलीशहर के अर्न्तगत कृषि उपकरणो पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान प्राप्त करने वाले कृषको की चाही गई सूचना का विवरण				
	क0 सं0	लाभार्थी कृषक का नाम	ग्राम	विकासखण्ड	यंत्र का नाम
		सर्वश्री			
माo विधायक मछलीशहर डा0 रागिनी जी द्वारा पुछे गए प्रश्न 93- क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में कितने किसानो को कृषि उपकरणों पर अनुदान वर्तमान में दिया जा रहा है ? क्या सरकार किसानों की अनुदान सूची का विवरण सदन के पटल पर रखेगी यदि नही तो क्यों।	1	पारसनाथ	जमालपुर	मछलीशहर	सुपरसीडर
	2	फौजदार सिंह	कमासिन	मछलीशहर	रोटावेटर
	3	राजेश कुमार सिंह	कमासिन	मछलीशहर	पावर स्प्रेयर
	4	रामलखन मौर्य	भटहर	मछलीशहर	पावर स्प्रेयर
	5	नान्हू	रामनगर	मछलीशहर	पावर स्प्रेयर
	6	अशोक कुमार मौर्य	कोल्हारा	मछलीशहर	पावर स्प्रेयर
	7	फूलचन्द्र मौर्य	रामडीह	मछलीशहर	पावर स्प्रेयर
	8	विनय कुमार मौर्य	कोल्हारा	मछलीशहर	पावर स्प्रेयर
	9	सुरेन्द्र	बसहरा	मछलीशहर	पावर स्प्रेयर
	10	राजाराम यादव	जमुहर	मछलीशहर	पावर स्प्रेयर
	11	देवीचन्द्र यादव	अमाई	मछलीशहर	पावर स्प्रेयर
	12	दूधनाथ सिंह	खरैयामउ	मछलीशहर	पावर स्प्रेयर
	13	जीतेन्द्र कुमार सिंह	खरैयामउ	मछलीशहर	पावर स्प्रेयर
	14	मुन्नालाल	कटाहित खास	मछलीशहर	लेजर लैण्ड लेवलर
	15	मयाराम पाण्डेय	चौकी खुर्द	मछलीशहर	सुपर सीडर
	16	दिनेश कुमार सरोज	भदराव	बरसठी	रीपर कम्बाइण्डर
	17	संतोष कुमार सिंह	महुआरी	बरसठी	हैरो
	18	श्रीमती पुष्पा सिंह	महुआरी	बरसठी	लेजर लैण्ड लेवलर
	19	उदामा प्रसाद	गौरापट्टी	बरसठी	रीपर कम्बाइण्डर
	20	श्रीमती माधुरी सिंह	घिसुआखुर्द	मछलीशहर	रोटावेटर
	21	श्रीमती जलेया देवी	शिवपुर	मडियाहूँ	रोटावेटर
	22	श्रीमती पुष्पा सिंह	महुआरी	बरसठी	कस्टम हायरिंग
	23	अशोक कुमार दूबे	गोपालपुर	बरसठी	रोटावेटर
	24	ओमप्रकाश सिंह	महुआरी	बरसठी	रोटावेटर
	25	मीरा सिंह	करियामऊ	मछलीशहर	रोटावेटर
	26	सरजू	करियामऊ	मछलीशहर	रोटावेटर
	27	हरिशंकर	कोटवा	मछलीशहर	रोटावेटर
	28	हवलदार	कैथौली	मछलीशहर	पंपसेट
	29	मंगला प्रसाद सरोज	गहनी	मडियाँहू	पंपसेट
	30	हरिशंकर शर्मा	पटौली	बरसठी	वाटर कंवरिंग पाईप
	31	विजय शंकर	पटौली	बरसठी	वाटर कंवरिंग पाईप
	32	सुमन पाण्डेय	गोटाया	बरसठी	वाटर कंवरिंग पाईप
	33	राम चरन विश्वकर्मा	दीनारपुर	मडियाहूं	मल्टी क्राप थ्रेशर

उप कृषि निदेशक
जौनपुर

नत्थी (झ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-114 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-139 पर)

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में मण्डी परिषद के स्वामित्व के कुल 22 नग मार्गों का विवरण

क0	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0)	मरम्मत वर्ष
1.	इन्दईपुर से खजुरिया अखलाखपुर तक।	2.50	2017-18
2.	शकरपुर माईनरपर अशरफाबाद से महमूदपुर होते हुए इसौरी तक।	3.60	2017-18
3.	निकसनपुर स्कूल से सर्वेपुर तक।	1.20	2017-18
4.	नाउनगर से सुल्तानपुर पश्चिम दलित बस्ती तक।	0.90	2017-18
5.	पद्मपुर जलालपुर मार्ग पर पिच मार्ग होते हुए देवलर।	2.00	2017-18
6.	शाहपुर माईनर से खतमी तक।	1.40	2017-18
7.	शाहपुर औराव से रामनगर पुरानी बाजार तक।	1.60	2017-18
8.	राजेश्वरयारपुर से साली तक निर्माण कार्य।	2.00	2017-18
9.	पैकोलिया मोहरिया मार्ग से (पुन्थर) तक।	2.30	2017-18
10.	सं0मा0 चकमखदूमपुर।	0.70	2017-18
11.	सं0मा0 पसरौली।	0.40	2017-18
12.	सं0मा0 बिसुनपुर बजदहा।	1.10	2017-18
13.	सं0मा0 पैकोली	0.90	2017-18
14.	सं0मा0 दाउदपुर टप्पा।	0.30	2017-18
15.	आरापुर हसवर मार्ग से निरखापुर दलित बस्ती होते हुए भद्या दलित बस्ती तक।	2.00	2020-21
16.	देवरिया पंडित से इटौरी खुर्द तक।	2.70	2021-22
17.	बसखारी राम नगर निरीक्षण भवन से लगड़ी हाफिजपुर तक।	1.10	2021-22
18.	संपर्क मार्ग वकड़ापुर बीरखेत तक	1.80	अन्य विभाग द्वारा टेकअप
19.	संपर्क मार्ग फतेहजहूरपुर	0.330	अन्य विभाग द्वारा टेकअप
20.	संपर्क मार्ग बरमसापुर	1.30	अन्य विभाग द्वारा टेकअप
21.	अम्बेडकर ग्राम घरबासपुर तक	3.30	अन्य विभाग द्वारा टेकअप
22.	सम्पर्क मागर्ग गोल्हईपुर	0.20	अन्य विभाग द्वारा टेकअप

.....

23.8.23

(सत्य प्रकाश)
मुख्य अभियन्ता (प्रा0-2

नत्थी (ञ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-134 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-153-154 पर)

रबी 2022–23 मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मध्यावस्था/स्थानिक आपदा के अन्तर्गत क्षति के आंकलन का विवरण

क्र.सं.	बीमा. कम्पनी का नाम	जनपद	व्यक्तिगत स्तर पर क्षति के आंकलन की स्थिति			
			प्राप्त आवेदनों / कृषकों की कुल संख्या	पात्र पाये गए आवेदनों/कृषकों की आंकलित क्षतिपूर्ति की धनराशि (रू० में)	वितरित क्षतिपूर्ति की धनराशि (रू० में) (सफल भुगतान)	लाभान्वित कृषकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	AIC	आगरा	78	172732.79	142664.42	52
2	AIC	अलीगढ़	70	830862.81	687882.80	18
3	AIC	अम्बेडकरनगर	165	0.00	-	
4	AIC	अमेठी	116	112554.32	112554.33	17
5	AIC	अयोध्या	40	0.00	-	
6	AIC	आजमगढ़	15	0.00	-	
7	AIC	बागपत	10	7063.59	7063.59	2
8	AIC	बहराइच	247	140739.59	140477.08	10
9	AIC	बलिया	10	0.00	-	
10	AIC	बलरामपुर	6	1721.65	-	
11	AIC	बांदा	535	576791.43	576791.43	458
12	AIC	बाराबंकी	168	0.00	-	
13	AIC	बुलन्दशहर	343	339122.94	160947.02	37
14	AIC	चित्रकूट	384	67475.56	23609.61	61
15	AIC	देवरिया	327	177294.64	-	
16	AIC	एटा	17	0.00	-	
17	AIC	फिरोजाबाद	172	0.00	-	
18	AIC	गौतमबुद्धनगर	39	0.00	-	
19	AIC	गाजियाबाद	6	0.00	0.00	
20	AIC	गोण्डा	23	84185.89	12193.93	8
21	AIC	गोरखपुर	144	823.53	696.90	4
22	AIC	हमीरपुर	41	47978.27	-	
23	AIC	हापुड़	26	144193.28	72145.07	5
24	AIC	झांसी	1280	3008821.06	1686376.45	112
25	AIC	कानपुर	10	103.89	-	
26	AIC	कुशीनगर	5	4537.25	-	
27	AIC	लखीमपुर	478	4372.58	4372.58	1
28	AIC	महराजगंज	41	368833.54	273701.19	36
29	AIC	मैनपुरी	21	25564.19	11675.32	5
30	AIC	मथुरा	3029	1094855.85	1094855.85	195
31	AIC	मऊ	55	311099.66	214901.53	12
32	AIC	मेरठ	1	0.00	0.00	
33	AIC	मुजफ्फरनगर	0	0.00	0.00	
34	AIC	सहारनपुर	24	0.00	-	
35	AIC	शामली	0	0.00	-	
36	AIC	श्रावस्ती	21	0.00	-	
37	AIC	सुल्तानपुर	4	0.00	0.00	
		योग	7875	7520127.58	5228909.10	1043
38	HDFC	अयोध्या	123	632627.00	632627.00	123
39	HDFC	बस्ती	285	1815664.00	1815664.00	285
40	HDFC	गाजीपुर	185	368236.00	368236.00	185
41	HDFC	जौनपुर	83	757246.00	757246.00	83
42	HDFC	सन्तकबीरनगर	4918	52243340.00	52243340.00	4918
43	HDFC	मिर्जापुर	2168	15857312.00	15857312.00	2168
44	HDFC	सोनभद्र	119	1222173.00	1222173.00	119
45	HDFC	वाराणसी	1552	11653867.00	11653867.00	1552
		योग	9273	83750465.00	83750465.00	9273

विशेषज्ञ
कृषि बीमा इकाई एवं सांख्यिकी बीमा
उत्तर प्रदेश

क्र.सं.	बीमा कम्पनी का नाम	जनपद	व्यक्तिगत स्तर पर क्षति के आंकलन की स्थिति			
			प्राप्त आवेदनों / कृषकों की कुल संख्या	पात्र पाये गए आवेदनों/कृषकों की आंकलित क्षतिपूर्ति की धनराशि (रू० में)	वितरित क्षतिपूर्ति की धनराशि (रू० में) (सफल भुगतान)	लाभान्वित कृषकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
46	IFFCO	अमरोहा	17	168073.72	92460.18	13
47	IFFCO	बरेली	1000	9883578.33	7853197.62	822
48	IFFCO	बिजनौर	12	72350.92	72350.91	12
49	IFFCO	बदायूँ	590	10532967.08	9430765.52	543
50	IFFCO	जालौन	362	9026782.37	7829275.90	304
51	IFFCO	मुरादाबाद	172	1920181.50	1551140.13	150
52	IFFCO	पीलीभीत	654	4611615.45	4324797.52	609
53	IFFCO	रामपुर	983	7866764.48	5564682.77	724
54	IFFCO	सम्भल	101	680020.50	605299.40	90
55	IFFCO	शाहजहाँपुर	183	1657616.57	1407971.61	169
		योग	3994	45619950.92	38731941.56	3436
56	USGI	औरैया	6	0.00	0.00	0
57	USGI	बस्ती	77	19283.00	19110.00	6
58	USGI	इटावा	514	3920683.00	3042566.00	233
59	USGI	फर्रुखाबाद	57	447745.00	774575.50	31
60	USGI	फतेहपुर	452	3196501.00	3045764.47	268
61	USGI	हमीरपुर	1221	8146019.00	7888144.97	641
62	USGI	हरदोई	379	4912639.00	6084209.86	242
63	USGI	कन्नौज	13	34780.00	35775.94	7
64	USGI	कानपुर देहात	326	845411.00	727342.00	67
65	USGI	कानपुर नगर	278	1202826.00	763593.54	55
66	USGI	कौशाम्बी	103	193238.00	233226.20	47
67	USGI	लखीमपुर खीरी	277	1512713.00	1194521.05	134
68	USGI	लखनऊ	70	103992.00	109565.21	27
69	USGI	प्रतापगढ़	788	4529878.00	4522728.00	461
70	USGI	प्रयागराज	1386	5290988.00	5052515.30	242
71	USGI	रायबरेली	309	1781177.00	1524606.84	142
72	USGI	सन्तकबीरनगर	18	0.00	0.00	0
73	USGI	सिद्धार्थनगर	220	322628.00	274232.00	11
74	USGI	सीतापुर	105	247032.00	255095.66	61
75	USGI	उन्नाव	299	1333889.00	1548059.11	182
		योग	6898	38057422.00	37015631.65	2857
		महायोग	28048	174947965.43	164726947.31	16609

नोट– आँकड़े परिवर्तनीय है।

निदेशक
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा
उत्तर प्रदेश

नत्थी (ट)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-145 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-159-160 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 के 1–गुरूवार के लिए निर्धारित श्री नफीस अहमद, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–145 का उत्तर/अनुपूरक सामग्री

क0 सं0	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई (किमी0)	अभ्युक्ति
1	2	3	5
1	भीमपुर सैनापार मार्ग के नहर से बीबीपुर पुलिया तक	1.00	अन्य विभाग द्वारा टेकओप सन्तोषजनक
2	शान्तीपुर से पथरपुरवा बरागदपुर होते जयराजपुर मतुआई पिच मार्ग तक	2.00	अन्य विभाग द्वारा टेकओप सन्तोषजनक
3	भीमपुर सरदहा मार्ग के ग्राम बैजुवापार गांव से शेरपुर होते हुए महुई पिच रोड तक	2.20	अन्य विभाग द्वारा टेकओप सन्तोषजनक
4	सलेमपुर बाजार से गहबी खास होते हुए सिधवारा तक	2.50	सन्तोषजनक
5	भगतपुर में पिच रोड़ से कल्लू का मकान होते हुये महराजगंज मेन मार्ग तक	1.00	सन्तोषजनक
6	बिलरियागंज हाईडिल कालोनी से मोहम्मदपुर तक।	2.50	सन्तोषजनक
7	भीमपुर बाजार से ग्राम मठ विशम्भर तक।	0.32	सन्तोषजनक
8	लहरपार से अनुसूचित बस्ती होते हुए कुम्हवट तक।	1.15	सन्तोषजनक
9	इन्द्रासन बारी के घर से गोपालपुर होते हुए सरदहा परशुराम मार्ग तक।	0.71	सन्तोषजनक
10	सरदहा पिच रोड से अहंकारीपुर तक	0.65	सन्तोषजनक
11	भीमपुर बाजार से ग्राम मठिया तक	0.30	सन्तोषजनक
12	आजमगढ फैजाबाद मार्ग पर गिरिया मोड़ सिवरहा मार्ग का अवशेष भाग श्री विध्यांचल सब पूर्व प्रधान के घर से फरेन्दा तक	2.00	सन्तोषजनक
13	गौरिया बाजार से सरदहा मार्ग पर ग्राम गनरेपुर तक	1.50	सन्तोषजनक
14	सम्पर्क मार्ग डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा गैरबपुर चरौवा में स0मा0 कप्तानगंज भटनी मार्ग से गैरबपुर चरौवा हरिजन बस्ती तक	0.46	सन्तोषजनक
15	आजमगढ बिलरियागंज मार्ग पर शाहबुद्दीनपुर से इगलीपुर तक।	2.50	पैच मरम्मत योग्य है
16	सुन्दर सराय बल्ली, इगलीपुर, मोहम्मदपुर होते हुए फालवारिया नसीरपुर मार्ग तक।	3.07	पैच मरम्मत योग्य है
17	डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा काशीपुर चौरावां में स0मा0 कप्तानगंज भटनी मार्ग से काशीपुर चौरावां हरिजन बस्ती तक	0.55	पैच मरम्मत योग्य है
18	भटनी गांव से अक्षयलाल यादव के घर से दुबईला ताल होते हुए भीसाईपुर तक।	1.80	पैच मरम्मत योग्य है
19	बसही पतोहपुर से केशवपुर तक।	1.80	नवीनीकरण योग्य है
20	सम्पर्क मार्ग गिरिया फरेन्दा मार्ग का अवशेष भाग	0.60	नवीनीकरण योग्य है
	योग–	28.61	

नोट– क्रमांक 1, 2 एवं 3 पर अंकित सम्पर्क मार्ग (03 नग लम्बाई 5.20 कि0मी0) अन्य विभाग द्वारा टेकओप कर लिया गया है।

अधर अभियन्ता

01.06.2023
सहायक अभियन्ता

01/06/23
उप निदेशक (निर्माण)

नत्थी (ठ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-149 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-162 पर)

जनपद–आजमगढ़ के विकास खण्ड–मुबारकपुर तथा बिलरियागंज में वित्त वित्तीय वर्ष 2022–23 में कृषि उपकरणों के लाभार्थी कृषकों की विकास खण्डवार सूची

Sr. No.	Registration No	Farmer Name	Father Name	Village	Block Name	Empllment Name	Subsidy Amount (Rs.)
1	835187090 4800	GIRISH CHAND YADAV	BASDEV	CHAK MALOOK	Bilariyaganj	Power Sprayer	1714-00
2	835496564434729	ISRAVATI DAVI	MAHENDRA YADAV	PATUAGAOSPUR -[UG CODE 192965]	Bilariyaganj	Power Sprayer	1429-00
3	835242978500	AMIT YADAV	JAYAPRAKASH	GULAUR	Bilariyaganj	Power Sprayer	1429-00
4	555553534780225	PAX BHARTIYA AGRO FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED	INDRADEV RAI	PATWADH KAUTUK-[UG CODE-193089]	Bilariyaganj	Farm Mashinary Bank	192000-00
5	835745759	MAHATAM RAI	MANGARU RAI	DEVDA DAMODARPUR	Bilariyaganj	Mini Rice Mill	165000-00
6	835237695 0100	RAMBADAN YADAV	KALDEEN	BHAWARAIPUR PATTI	Bilariyaganj	Water Carring Pipe	1023-00
7	835701497 4100	KALPU	BARSATI	DEVABINDWAL	Bilariyaganj	Water Carring Pipe	1023-00
8	835241256 1000	LAL BAHADUR PATHAK	VANSHBHUSHAN	CHAK BENIRAM	Bilariyaganj	Water Carring Pipe	3070-00
9	835305042 6600	ASHWANI KUMAR MISHRA	PARMESHWAR MISHRA	ITAURA KHAS	Mahraljani	Rotaveter	42000-00
10	835996554 0551186	KARAM DEV	SUBHAGGA	CHEWATA	Mahraljanj	Laser Land Leiler	169642-00
11	555555334 783410	DEWARANCHAL FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED	GUDDU YADAV	BOPAPUR	Mahraljanj	Farm Mashinary Bank	1200000-00

उप कृषि निदेशक
आजमगढ़।

नत्थी (ड)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-155 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-165-167 पर)

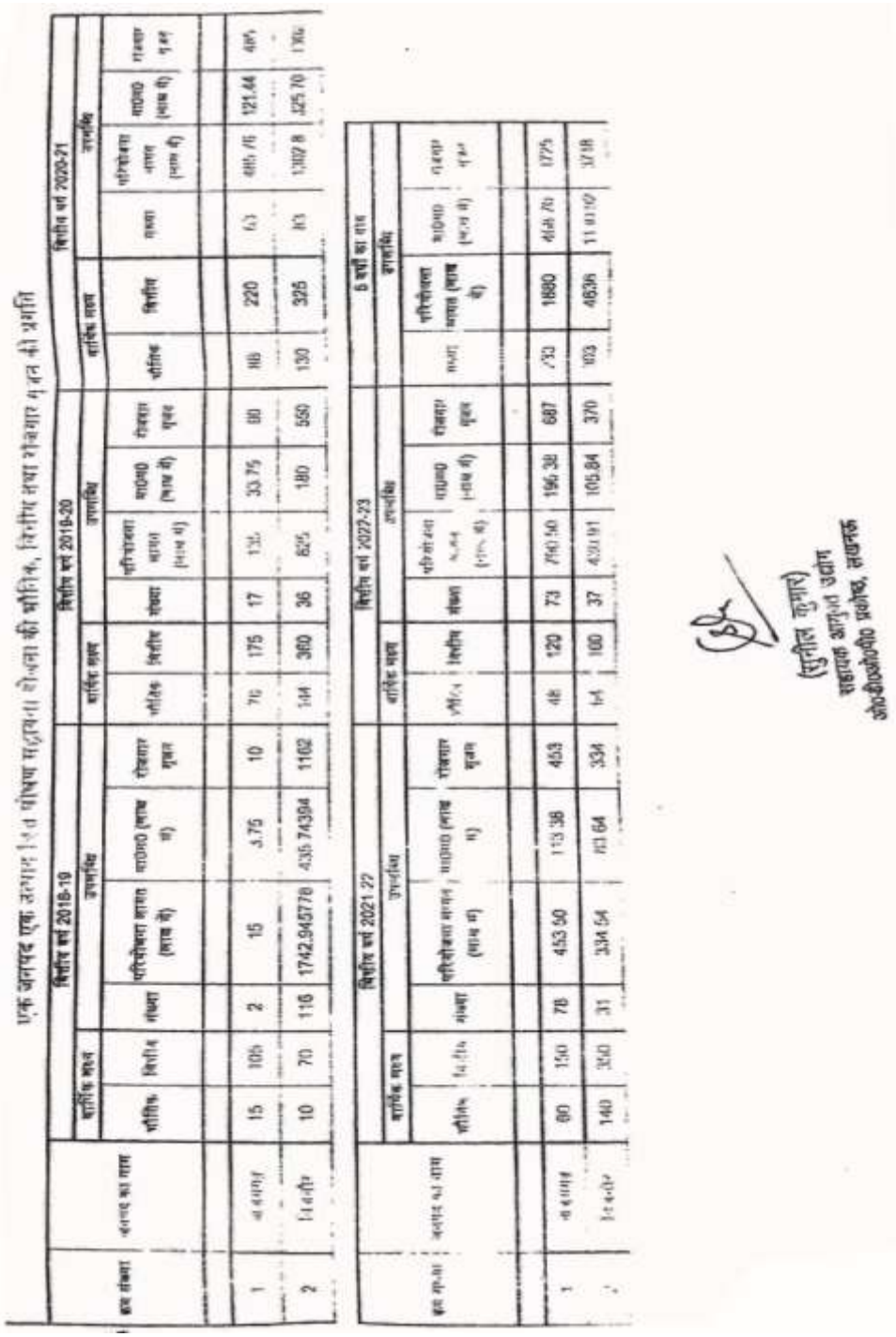

Budget alloted under ODOP MDA Scheme

Name of District	FY	Budget Alloted in Rs.
Azamgarh	2022-23	10,56,739.00
	2021-22	
	2020-21	35,761.00
	2019-20	37,500.00

"एक जनपद एक उत्पाद" कार्यक्रम के अन्तर्गत दक्षता/कौशल विकास/उद्यमिता विकास प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट दिनांक– 07.07.2023

जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षण वार्षिक लक्ष्य	प्रशिक्षण उपलब्धि	टूलकिट वितरण वार्षिक लक्ष्य	वितरित टूलकिट (संख्या)	अभ्युक्ति
आजमगढ़	2018–19	25	25	25	25	–
	2019–20	200	200	200	200	–
	2020–21	200	200	200	200	–
	2021–22	250	250	250	250	–
	2022–23	250	250	250	250	–
	योग	925	925	925	925	

(सुनील कुमार)
सहायक आयुक्त उद्योग,
ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ,
लखनऊ।

1. ओ0डी0ओ0पी0 सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजनान्तर्गत जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में 'ब्लैक पॉटरी फाउण्डेशन' सी0एफ0सी0 परियोजना स्थापित की गयी है, जहाँ ब्लैक पॉटरी उद्योग में कार्यरत इकाईयों को कॉमन प्रोडक्शन सेंटर की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। परियोजना का विवरण निम्नवत् हैः—

क0स0	जनपद का नाम	परियोजना का नाम एवं पता	सामान्य सुविधा (Intervention)	परियोजना लागत (रू0 लाख में)
1	आजमगढ़	ब्लैक पॉटरी फाउण्डेशन निजामाबाद, आजमगढ़	कॉमन प्रोडक्शन सेन्टर 1. ब्लन्गर एवं पगमिल 2. टनल किल्न 3. लाइन भट्टी	181.72

नत्थी (ढ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-179 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-184-185 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या-179 का संलग्नक

(अनुलग्नक-1)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (पीएमईजीपी) पूर्णतया भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण स्वरोजगार की योजना है, जिसका संचालन प्रदेश में तीन एजेन्सियों क्रमशः जिला उद्योग केन्द्र, खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सेवा क्षेत्र के उद्यम की स्थापना हेतु धनराशि रू0 20.00 लाख एवं उत्पादन इकाईयों को धनराशि रू0 50.00 लाख तक के ऋण पर सामान्य वर्ग के पुरूष उद्यमियों को कुल प्रोजेक्ट कास्ट का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों को क्रमशः 15 तथा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) की सुविधा अनुमन्य है। उक्त योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित पं0 दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना अन्तर्गत ब्याज उपादान (अधिकतम 13 प्रतिशत तक) प्रथम ऋण किश्त वितरण की तिथि से प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत घटते क्रम में अवशेष बैंक ऋण पर तीन वर्षों तक दिये जाने का प्राविधान है।

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित पीएमईजीपी योजना की वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 (दिनांक 14.07.2023) तक की प्रगति का विवरण

(धनराशि करोड़ रू0 में)

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	इकाई संख्या	मार्जिन मनी	रोजगार
1	2	3	4	6
1	2017-18	1677	50.89	16770
2	2018-19	1849	63.80	23312
3	2019-20	2363	81.75	27957
4	2020-21	4143	136.36	43118
5	2021-22	5058	162.64	49009
6	2022-23	5289	167.41	48381
7	2023-24 (दिनांक 14.07.2023 तक)	1515	59.00	16226
कुल योग		21894	721.85	224773

(अनुलग्नक-2)

मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों मे उद्यम की स्थापना करने हेतु अधिकतम परियोजना लागत रू0 10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। योजनान्तर्गत आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिये। इस योजना में व्यवसायिक शिक्षा (10+2) के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी आई0टी0आई0 व पॉलिटेक्निक संस्थाओं से तकनीकी संस्थाओं से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों को योजना में प्राथमिकता दी जाती है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थी को परियोजना में निहित पूँजीगत ऋण पर बैंक द्वारा कुल प्रभारित ब्याज में 4% ब्याज के अतिरिक्त शेष ब्याज तथा महिला सहित आरक्षित वर्ग के सभी लाभार्थियों को पूँजीगत ऋण पर बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज की सम्पूर्ण राशि ब्याज उपादान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उद्यमी के पक्ष में 05 वर्षों तक बैंक को दिया जाता है। प्रोजेक्ट लागत में निहित कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज उपादान की सुविधा अनुमन्य नहीं है।

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 (दिनांक 14 जुलाई, 2023) तक की प्रगति का विवरण

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	स्थापित इकाई संख्या	पूंजीनिवेश (लाख रु0 में)	रोजगार संख्या
1	2017-18	1116	6254.40	24791
2	2018-19	809	4215.07	16863
3	2019-20	396	1711.95	6863
4	2020-21	943	3580.71	14322
5	2021-22	861	3447.65	13845
6	2022-23	876	3782.01	15161
7	2023-24 (दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से 14 जुलाई, 2023 तक)	102	489.89	1958
कुल योग		5103	23481.68	93803

नत्थी (ण)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-197 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-196-198 पर)

एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना की भौतिक, वित्तीय तथा रोजगार सृजन की प्रगति

जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19						वित्तीय वर्ष 2019-20						वित्तीय वर्ष 2020-21					
	वार्षिक लक्ष्य		उपलब्धि				वार्षिक लक्ष्य		उपलब्धि				वार्षिक लक्ष्य		उपलब्धि			
	भौतिक	वित्तीय	संख्या	परियोजना लागत (लाख में)	माउण्ड (लाख में)	रोजगार सृजन	भौतिक	वित्तीय	संख्या	परियोजना लागत (लाख में)	माउण्ड (लाख में)	रोजगार सृजन	भौतिक	वित्तीय	संख्या	परियोजना लागत (लाख में)	माउण्ड (लाख में)	रोजगार सृजन
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
बलिया	5	35	0	0	0	0	20	50	9	47.15	11.7875	31	16	40	21	52	13.00	52

जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22						वित्तीय वर्ष 2022-23						5 वर्षों का योग					
	वार्षिक लक्ष्य		उपलब्धि				वार्षिक लक्ष्य		उपलब्धि				उपलब्धि					
	भौतिक	वित्तीय	संख्या	परियोजना लागत (लाख में)	माउण्ड (लाख में)	रोजगार सृजन	भौतिक	वित्तीय	संख्या	परियोजना लागत (लाख में)	माउण्ड (लाख में)	रोजगार सृजन	भौतिक	वित्तीय	संख्या	परियोजना लागत (लाख में)	माउण्ड (लाख में)	रोजगार सृजन
3	22	23	24	25	26	27	3	4	5	6	7	8	36	37	38	39		
बलिया	16	40	20	53.03	13.26	53	8	20	18	65.67	16.42	26	60	218	54.47	162		

"एक जनपद एक उत्पाद" कार्यक्रम के अन्तर्गत दक्षता/कौशल विकास/उद्यमिता विकास प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना की जनपद–बलिया की प्रगति रिपोर्ट

दिनांक– 20.07.2023

जनपद का नाम	ओ०डी०ओ०डी० उत्पाद का नाम	वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षण वार्षिक लक्ष्य	प्रशिक्षण उपलब्धि	टूलकिट वितरण वार्षिक लक्ष्य	वितरित टूलकिट (संख्या)	अभ्युक्ति
बलिया	बिन्दी	2018–19	100	100	100	100	–
		2019–20	300	300	300	300	–
		2020–21	300	300	300	300	–
		2021–22	300	300	300	300	–
		2022–23	300	300	300	0	वित्तीय वर्ष 2022–23 की 300 टूलकिट क्रय प्रक्रियाधीन है।
		योग	1300	1300	1300	1000	

20/7/23

(सुनील कुमार)
सहायक आयुक्त उद्योग,
ओ०डी०ओ०पी० प्रकोष्ठ, लखनऊ।

पी0एस0यू0पी0 एल0 28 विधान सभा (35)-03-06-2024-25 प्रतियां (कम्प्यूटर)।